

6.1



सूत्रानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालय - साहित्यावभागा-
धनराय शर्मा कलाशायति ~~संस्कृत~~ ^{संस्कृत} दीयते सकेतं
कलाशालीनाय पाठ्यक्रमसमावेशार्थं भवेति -

आनन्दभा

१५-७-७२



ध्वनिकललीलिनी

(१)

ध्वन्यालोक-प्रथमोद्योत-सहिता

ध्वनिसिद्धिः

(२)

व्यक्तिविवेक-प्रथमविमर्श सहितं

ध्वनिखण्डनम्

च

प्रणेता-भाषान्तरकर्ता च

आचार्य आनन्द झा

प्रकाशकः—

कामेश्वरसिंह/दरभंगा-संस्कृत-विश्वविद्यालयः
दरभंगा ।

प्रकाशनवर्षम्—१९७८ ई०

प्रथम-संस्करणम्— १९००

मूल्यम्—२५) रु०

मुद्रकः—

श्री भूपेन्द्र झा

मिथिला प्रेस, दरभंगा ।



डा० रामकरण शर्मा
कुलपति
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय
कामेश्वरनगर, दरभंगा (बिहार)



उद्गारः

आन्वीक्षिक्यामलङ्कारशास्त्रे काव्ये च कृतिभूषिपरिश्रमाणां प्रथितयशसां
पण्डितप्रकाण्डानां नैकभाषासाहित्य-सर्जनसदानन्दानां श्लोपाह्वानां श्रीमता-
मानन्दशर्मणां ध्वनिकल्लोलिनीं गुणिनामानन्दाय पुरस्कुर्वन्नमन्दमानन्दं
विन्दन्नहं वर्त्ते ।

ध्वनिसिद्धान्तस्य सर्वे पक्षा अत्र शुक्लतरीकृता विद्वत्तल्लजानन्दमहिम्नेति
परमामुपयोगितां भजते ग्रन्थरत्नमिदमुपादेयं सर्वेषां विदुषां छात्राणां चेति
निर्विवादमेतत् ।

कल्लोलिनीयं कल्पतां कल्याणाय गोर्वाणवाणीप्रणयिनां पावनावगाहनाय
परमानन्दाय च जिज्ञासूनामित्याशास्ते-

विदुषां वशंवदः
रामकरण शर्मा

प्राक्कथनम्

मन्ये नाविदितमेतदत्यन्तं विशिष्टानां संस्कृत-साहित्यसेविनां मनीषिणां यत् सुबहोः कालादागच्छन्त्यौ विचारधारे द्वे विराजेलैतरामपारेत्रप्रमहति तावत् काव्यसंसारतत्त्वरत्नविवेचनपारावारे, यत्रैका सा कथ्यते ध्वनि-काव्यमान्यत्वख्यापकतया ध्वनिधाराऽपरा च निगद्यते तद्विरोधितया ध्वन्यभावधारेति । द्वयोर्धारयोस्तयो मध्ये प्रथमायास्सुमहान् पोषकोऽभू-त्तत्रभवानानन्दवर्धनाचार्यौ द्वितीयायाश्च महाविद्वान् महिमभट्टः । काव्येषु मध्ये सर्वोत्तमतया निर्विवादयस्य ध्वनेः स्थापनायानन्दवर्धना-चार्येण विरचितश्चेद्भवन्यालोकनामाऽपूर्वग्रंथस्तर्हि तत्परवर्तिना विद्वद्वरेण ध्वनिबाधनाय विनिर्मितः खलु व्यक्तिविवेकाख्यस्तदनुरूपस्तु महान् ग्रन्थः । ग्रन्थरत्नयोरप्येतयोः तद्विचित्रोऽपि कियन्महत्त्वं कियत्काठिन्यं किय-च्चोपादेयत्वं तज्जानन्त्येव महान्तो विपश्चितस्संस्कृत-साहित्यमहाकान्तश्च सञ्चार-चतुराः केचन । तदिदानीन्तना अपि सरलमतयोऽध्येतारो भवन्तु सुपरिचिता धारयोरनयोः परस्परविरोधिन्यो स्सहैवेति विरचिता मया ध्वन्यालोक-प्रथमोद्योतश्लोकवार्तिकतामुपादधती ध्वनिसिद्धिरा-रचितञ्च व्यक्तिविवेक - प्रथमविमर्शश्लोकवार्तिकतामुपादधद् ध्वनि-खण्डनम् ययोः संहितारूपतां दधाना समुपस्थाप्यते ननु ध्वनिकल्लो-लिनीयं ध्वनिसाहस्रीत्यपरापि संज्ञामादधना पुरतस्तावत्सहृदय-धुरीणानाम् ।

ध्वन्यालोकं विरचय्य विदुषां महान्तमुपकारं कृतवतामाचार्यश्रीमदानन्दवर्धनानां, व्यक्तिविवेकं निर्माय तेषां महतीमुपकृतिं विहितवता श्रीमताम्महिमभट्टमहाभागानां च परिचयश्चेदपक्षितोलौकिकस्तर्हि संक्षि-प्ततया तावदिदमवगन्तव्यम् यत् एतावुभावपिविद्वत्तल्लजौ बभूवतुः काश्मीरजौ । राजतरङ्गिण्यां तत्कर्त्रा विद्वद्वरेण कल्हणेनानन्दवर्धनाचार्य-विषये खल्वेवं प्रशस्तिरल्लिखिता प्राप्यते यत्—

मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः ।

प्रथां रत्नाकरश्चागात् साम्राज्येऽवन्तिवर्मणः ॥

इति । तदनुसारं ८५५-८८३ ऐश्वीयवर्षेऽवश्यमासीदाचार्य आनन्दवर्धनः । यतोहि वैदेशिकानामितिहासविदामनेकेषां मते स एव राज्ञोवन्तिवर्मणः काश्मीरशासकस्य राज्यकालः । अनेकेषामन्येषामितिहास-विवेचकानां मतेऽवन्तिवर्मपुत्रस्य काश्मीरशासकस्य चाङ्कुरवर्मणोऽपि राजसभाया-मासीदाचार्योऽसौ सम्माश्रितः कवितया येन राज्ञा कारागारे निःक्षिप्तो-जात आसीत्तत्रैव न्यायमञ्जरी-रचयिता महानैयायिको जयन्तभट्टस्त-द्राजमन्त्री । मन्ये नन्वाचार्यमानन्दवर्धनमेव कविवरमभिलक्ष्य प्रोक्तं न्यायमञ्जर्यां तत्प्रणेत्रा भट्टजयन्तेन ध्वन्यस्त्रोकार-प्रसङ्गे—

अथवा नेदृशी चर्चा कविभिस्सह शोभते ।

विद्वांसोऽपि विमुह्यन्ति वाक्यार्थगहनेऽध्वनि ॥

इति । नैतावदेव, पण्डितराजजगन्नाथेनाप्येतदाचार्यविषये रसगङ्गाधरे-स्वोये “ध्वनिकृतमालङ्कारिकसरणि - व्यवस्थापकत्वा”दितिलिखता-व्यवस्थापितं व्यवस्थापकत्वमालङ्कारिकसरणे रस्याचार्यवर्यस्यस्य । कत्रिविद्वत्प्रवरस्याचार्यस्यानन्दवर्धनस्य पितुर्नामासौ “नोण” इतीति तस्यैव स्तुतिरस्तस्य देवीशतकस्यान्ते तदुल्लिखितेन श्लोकेनानेन निम्न-लिखितेनावगम्यते यत्—

देव्या स्वप्नोद्गमाऽऽदिष्टदेवीशतकसंज्ञया ।

देशिता-नुपमामाघादतो “नोण”सुतो नुतिम् ॥

इति । ध्वन्यालोकातिरिक्तं “देवीशतकं” “विषमवाणलीला” “अजुन-चरित” मिति काव्यग्रन्थरत्नत्रयमपि समुपलभ्यते तत्कृतम् । नैतदधिका काचन तज्जोवनवृत्तविषयिणी सूचना समुपलभ्यते तादाचार्यानन्दवर्धन-विषयिणी महत्त्वपूर्णा । तत्प्रशंसा तु राजशेखणाप्येवमस्ति विहिता यत्—

ध्वनिनातिगभीरेण काव्यतत्त्व-निवेशिना ।

आनन्दवर्धनः कस्य नासीदानन्दवर्धनः ॥ इति

व्यक्तिविवेक-प्रणेतृणां महाविदुषां महिमभट्टानां विषये विवेचकैरेव मुच्यते यदसौ १०५०-११०० ऐश्वीय वर्षेऽवश्यं काश्मीरभुवमलङ्कु-वन्नासीत् । तदीय-व्यक्तिविवेक-ग्रन्थान्त-लेखात् सुस्पष्टं मिदं लभ्यते यद्विदुषस्तस्य पितुर्नामासीद् “धैर्य” इति गुरोश्च श्यामलोति । श्यामलस्य

किञ्चिन्महाकाव्यमिदानीं नोपलभ्यते किन्त्वासीत्तत्किमपीति शक्यते कल्पयितुं व्यक्तिविवेक-लेखात् । तथाहि तल्लेखः—

श्रीधैर्यस्याङ्ग-भुवा महाकवेः श्यामलस्य शिष्येण ।

व्यक्तिविवेको विदधे राजानक - महिमकेनायम् ॥

श्लोकेनानेनैतप्युवगम्यते यन्महिमभट्टो सौ राजनकेतिवांशिकोपाधि समुल्लसित आसीदिति । व्यक्तिविवेकस्य रचना तेन स्वनप्तृणां गुण-वञ्जीमपुत्राणां योगक्षेमभोजानां कृतेकृतेत्यपि व्यक्तिविवेकग्रन्थान्तलेखा-देवास्मादवगम्यते यत्—

आधातुं व्युत्पत्तिं नप्तृणां क्षेम-योग-भोजानाम् ।

सत्सुप्रथितनयानां भीमस्यामितगुणस्य तनयानाम् ॥

इति । अत्र नप्तृपदं पौत्रवाचकमित्येकं मत मपरन्तु दोहित्रवाचक-मिति । ब्राह्मणस्यामितगुणवत्त्वमपि नैकविद्यावत्स्वरूपमेव तात्पर्य-विषयं भवितुं महँतीतिमहिमभट्टस्य पुत्रः पौत्राश्च सर्वे प्रकृष्टपाण्डित्य-शालिन आसन्निति लभ्यत इत्यहो तस्य भाग्यवत्ता । व्यक्तिविवेककृतो महिमभट्टस्य तदीयस्य व्यक्तिविवेकग्रन्थस्य च महिमा दार्शनिकचक्रचूमा-मणेरमहाकवेः श्रीहर्षस्य खण्डनखण्डखाद्यगतात्पद्यादस्मात् साधु शक्यते समवगन्तुं यत्—

दोषं व्यक्तिविवेकेऽमुं कविलोकविलोचने ।

काव्यमीमांसिषु प्राप्तमहिमा महिमाऽऽहत ॥

इति । व्यक्तिविवेकातिरिक्तः तत्त्वोक्तिकोशनामकोऽपि कश्चिद् ग्रन्थ आसीत्तेन रचित इति समवगम्यते व्यक्तिविवेकीय-द्वितीय-विमर्श वाक्यादस्मात् यत्—

(रसानुगुणशब्दार्थचिन्तास्तिमितचेतसः ।

क्षणं स्वरूपस्पर्शोत्था प्रज्ञैव प्रतिभा कवेः ॥

सा हि चक्षुर्भगवतस्तृतीयमिति गीयते ।

येन साक्षात्करोत्येष भावांस्त्रैलोक्यवर्त्तिनः ॥)

इत्यादि प्रतिभातत्त्वमस्माभिरुपपादितम् ।

शास्त्रे तत्त्वोक्तिकोशाख्य इति नेह प्रपञ्चितम् ॥

इति । ध्वनिविरोध्याचार्यपरस्पराप्यस्ति सुदीर्घा यतोहि मुकुलभट्ट-
प्रतीहारेन्दुराज-भट्टनायक-प्रभृतयोपि ध्वनिविरोधिन एव कथ्यन्ते, परन्तु
भट्टमहिम्नो विद्यते किमप्यन्यद्वेशिष्टचम् । विश्वसिमि मुद्रितयाऽनया-
कल्लोलिन्या स्यादेव ज्ञानवृद्धिमंहती जिज्ञासूनाम् । यतो हि सहिन्दी-
रूपान्तरस्यालोक-प्रथमोद्योतस्य विवेक - प्रथमविमर्शस्य चात्रयोजनेनैक-
कस्य विषयस्योपरि भविष्यति षड्धा प्रकाशपातः । यथा मूलकारिकया
एकः, स्वोपज्ञवृत्त्या द्वितीयः, द्वयोर्हिन्दीरूपान्तरभ्यां द्वौ, कल्लोलिनीतद्-
हिन्दीरूपान्तराभ्यामपि च द्वाविति । अस्तु । प्रकृताया ध्वनिकल्लो-
लिन्या अस्याः प्रकाशनं कामेश्वरसिंह-दरभंगा-संस्कृत-विश्वविद्यालये-
नानेन विधीयत इति नितरां प्रमोदावहम् । यत्सुदृष्टिसुफलमेतत्प्रकाशनं
तस्मै प्रख्यातवैदुष्याय प्रकृतस्य संस्कृतविश्वविद्यालयस्य यशस्विने
कुलपतये डा० श्रीमद्रामकरणशर्ममहाभागाय, विद्वद्भ्यां भूतवर्तमा-
नाभ्यां कुलसचिवाभ्यां च डा० सच्चिदानन्दचौधरि, डा० महेन्द्र-
ठक्कुराभ्यां साशीर्वादं वितराम्यमितान् धन्यवादान् । तेऽपि स्मर्यन्ते
मया स्वशिष्याः डा० दयाशङ्कर एम. ए. पी. एच. डी., शोपाह्व
विनोदचन्द्र-पवनकुमारा ये ध्वन्यालोक-प्रथमोद्योतस्य व्यक्ति-विवेक-
प्रथम-विमर्शस्य च प्रतिलिपिः सम्पादिता तावन्मुद्रणोपयोगिनी ।

ततः परं दरभंगास्थ “मिथिला” मुद्रणालयाधिपः कविसुहृत्पवरः श्रीसुरेन्द्रशा-
‘सुमन’ साहित्याचार्य एम. पी. महोदयोऽपि श्रीरामनारायणशास्त्रसंयोजक-
सहितोऽवश्यमेव साधुवादाहो येन विहितमस्ति मुद्रणसाहाय्यम् । यद्यपि
सत्यमिदं यन्मुद्रणानुकूलं यादृशी साध्वी यान्त्रिकी परिस्थितिरस्ति वाराण-
स्यादौ न तादृश्यस्ति साऽत्र दरभंगायां तथापि जातं तद्यथातथेति क्षन्तव्या
मुद्रणदोषाः सत्यामपि सावधानतायामवशिष्टाः केचनेत्यलमिदानीमिति
साञ्जलिवन्धं निवेदयन्नस्म्यहम्—

भवदीयः—

आनन्दशा

कल्लोलिनी-प्रणेता

ध्वनिसिद्धि-संक्षिप्त-विषय-सूची

मङ्गलाचरणम्	१
मूलमङ्गलश्लोक-विवरणम्	१-३
काव्यस्यात्मेत्यादिवरणम्	४
ध्वन्यभावपक्षत्रय-स्पष्टीकरणम्	४-५
अभावपक्षानुमानानि	५-११
भक्तिपक्षविवरणम्	११-१३
आहुरितिस्वरसास्वरसोद्भावनम्	१३
ध्वनिलक्षणाशक्ति-विवरणम्	१३-१४
अभाववादिषु श्रेष्ठत्वाश्रेष्ठत्वे	१४-१७
ध्वनिस्थापनारम्भः	१७
ध्वनेः काव्यात्मता	१७-१८
प्रतीयमानस्य वाच्यान्यता	१९-३३
व्यङ्ग्यमुख्यता	३३
शब्दार्थयोरुभयोरनुसन्धेयता	३४
काव्यमहत्त्वमेव महाकवित्व-प्रयोजकम्	३४
कुतोवाच्यादरप्राथम्यम्	३४-३७
गौणमुख्यभाव-नियमः	३७-३८
व्यङ्ग्यमहत्त्व-स्थापनम्	३८
तर्हि ध्वनिकाव्यावश्यमान्यता	३९
ध्वनिलक्षण-विवेचनम्	४०
अव्याप्त्यादिदोषविरहः	४१-४३
काव्योत्तमोत्तमभेद-निरासः	४३-४४
महिमभट्टोपहासः	४४
व्यङ्ग्यानुमेयत्व-निरासः	४५-४७
नालङ्कारस्य ध्वनिसंज्ञाबीजता	४८-४९

समासोक्त्यादौ ध्वन्यन्तर्भावनिरासः	४९-६३
निमित्तनैमित्तिकाभेदनिरासः	६३
सत्कार्यवादानादरः	६४
अलङ्कारादीनां काव्याङ्गता	६६-६७
नचेत्यादिमूल-विवरणम्	६८
परमाणुपुञ्जवादनिरासः	६८-७४
चित्ररूप-स्थापनम्	७५-८०
अपृथगितिमूलग्रन्थ-विवरणम्	८१
उत्पत्ति-निरूपणम्	८४
शोकश्लोकत्व-विचारः	८५
सूरिकथितत्व-विवरणम्	८६
स्फोटचर्चा	८७-८९
वैयाकरणविद्वत्प्राथम्यम्	९०-९१
ध्वन्यात्मवादविवेचनम्	९२
ध्वनिसिद्धान्तविकासः	९२
अभाववादिषु रोषो न विधेयः	९३
ध्वनिप्रभेदस्थिरीकृतिः	९४
भक्तिरूपचारः	९७
भक्त्या न ध्वनिकार्यसिद्धिः	१०५-१०९
ध्वनिलक्षणदशदोषनिरासः	११०-११३
महिममष्टोयव्यक्तिनिरुक्तिनिरासः	११३-११६
शिलिपिच्छेत्यादिष्वपि ध्वनित्वम्	११६-११७
गुणोभूतव्यङ्ग्यस्य मध्यमकाव्यतेव	११७
विवक्षिताविवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिवैलक्षण्यम्	११७-११८

ध्वनिखण्डन-संक्षिप्त-विषय-सूची

मङ्गलाचरणम्	१
युक्तोद्यमेतिपद्याभिप्रायः	२
इह सम्प्रतीतिकथनाभिप्रायः	२
सहसेत्यादि पद्यत्रयाभिप्रायः	२-३
यत्रार्थ इत्याद्यनुमानस्यैव लक्षणम्	३-४
सर्ववाचकाः व्यञ्जकाः	५
यत्तु तथाहीत्याद्यभिप्रायः	६
व्यभिचारेपोत्यादिकपक्षान्तरम्	६
ध्वनिलक्षणे शब्दानुपादेयता	१०
अनुकार्यानुकरण-शब्दौ	१०-१२
सुवर्णपुष्पेत्यादिष्वप्यनुमानमेव	१२
किञ्चेत्यादिकाभिप्रायः	१३
भङ्गीभणितिरुपस्कृतिः	१३
अर्थगौणत्वे शब्दस्य स्वतएव तत्	१५
अभिधागौणत्वानुक्तिरनुचिता	१७
शब्दपदादिभेदाः	१७
नाम्नां क्रियाप्रवृत्तिनिमित्तकत्वम्	१९
विभिन्नकर्तृकत्वभ्रान्तिनिमित्तानि	१९-२१
सर्वेषां नाम्नां न क्रियावाचकता	२२
अनुमेयत्रैविध्यम्	२३
वाक्यार्थद्वैविध्यम्	२३
मानत्रैविध्यम्	२४
साध्यत्वसाधनत्वद्वैविध्यम्	२६
अनुमेयस्यापि साधनत्वम्	२७
सहभावभ्रान्तिः क्रमालक्ष्यता-प्रयुक्ता	२८
ध्वनिव्यपदेशो न मुख्यः	२८-२९
श्रूयमाणशब्दस्यापि ष्फोटानुमापकत्वमेव	३०

लिङ्गलिङ्गिभाववाधानिरासः	३२
ध्वनिपक्ष्युक्तं हेतुदुष्टत्वमकिञ्चित्करम्	३४
रत्यादयः सुखाद्यवस्थाविशेषाः	३५
अनुमान्तरापेक्षया काव्यानुमानवैलक्षण्यम्	३६
स्थायिनां रसत्वावाप्तिः	३७
व्यक्तिलक्षणम्	४२
वाच्यव्यङ्ग्यमती न सह	४४
प्रकाशकद्वैविध्यम्	४५
व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावो वक्तुमर्हः	४७
वस्त्वन्तरितकाव्यचारुवाभावः	५०
अलङ्कारव्यवधानचारुता	५२
वा शब्दप्रयोगानौचित्यम्	५४
व्यञ्जकवैचित्र्यकृतं व्यङ्ग्यवैचित्र्यमनुपपन्नम्	५६
काव्यगतविशेषोऽनुपपन्नः	५
सूरिभिरित्युक्त्यनौचित्यम्	५८
लक्षणाऽपि न मान्या	६०
व्यञ्जकतयाऽभिमतमेवानुमापकम्	६३
वक्रत्वकाव्यजीवनता-खण्डनम्	६५
अनुमेयवस्तूपस्कृतिरसविशेषाभावः	६८
व्यभिचारावारकविशेषणासार्थक्यम्	७२
नेतरमेदाव्याप्यं लक्षणम्	६५
किमविवक्षणम्	७५
धर्मधर्मिभेदेनानुमेयद्वैविध्यम्	७९
विशेषाभावकूटतः सामान्याभावानुमानम्	८०
ध्वनिवादिनोऽपसिद्धान्तापातः	८१

ध्वनिकल्लोलिनी

ध्वनिसिद्धिः

(ध्वन्यालोक - प्रथमोद्योत - वार्त्तिकम्)

चरण - प्रणताऽशेष - हृदाऽऽवरणवारिणी ।

उदेतु हृदये काऽपि सवीणा कथुणा मम ॥

यदोय - वदनस्फुरन्ननिशाकर - प्रोज्ज्वला-

मुपास्य सुरभारतोमहमभूवसेतादृशः ।

तदोयवरणाऽरुणाम्बुज-पराग-पुञ्जे कथं

न मत्प्रणतिसन्तति भ्रंजर-भामिनो वोढलसेत् ॥

स्वेच्छासिंहस्य नखाः, कान्त्या खिन्नोद्धतेन्दवो नितराम् ।

त्रायन्तां वो नित्यं, मधुमथनस्य प्रपन्नदुःखमिदं ॥१॥

ध्वन्यालोककृतेदं, मंगलपद्येन विशदयता ।

ध्वनितमिदं यत्कर्त्रा विघ्नविघाताय मंगलं कार्यम् ॥२॥

स्वच्छेत्युक्त्या ध्वनितं नैतत्सिंहत्वमदृष्टकृतम् ।

नो वा परेच्छयाप्तं मधुमथनेच्छा यतः सकल हेतुः ॥३॥

एतेन व्यतिरेकः सिंहस्यास्यान्य-सिंहतो ध्वनितः ।

सामिप्रायविशेषणतया ततः परिकरः स्फुटितः ॥४॥

स्वाच्छयं छायायां ननु विशेषणोक्त्य साधिवदं ध्वनितम् ।

प्रकृता छाया नातपविरहः किं वा तमोऽपि नखत्र ॥५॥

सिंहत्वं मधुमथने प्रतिपाद्येदं स्फुटीकृतं मन्ये ।

भगवानपि वामनतां गतो न मान्यः स्वयं ह्यनुन्नत्या ॥६॥

आयासितेन्दव इति ब्रुवता स्पष्टीकृतं जनैर्विजितैः ।

खिन्नैरपि करणीयो यत्नो विजयाय न स्थिरै र्भग्न्यम् ॥७॥

चरण-प्रणत-अशेषजनो के हृदावरण-वारण-निपुणा ।

करुणा वीणापाणि उदित हों मनमें सतत कञ्जचरणा ॥१॥

जिनके-वदन-कमल निर्गत-शशिशुभ्र भारती को उपासना

कर, नर में हो पाया ऐसा जो कर सके भव्यतम रचना ।

उनके चरणाम्बुज-पराग पर भ्रमर-भाभिनी सो मेरी नति-

क्यों उल्लास-विलास न पाये, क्यों न हो पड़े तन्मय-मतिगति ॥२॥

स्वेच्छा से सिंहशरार धारण करनेवाले मधुसूदन के वे नख, जो कि अपनी कान्ति से चन्द्र को भी खिन्न करनेवाले हैं और शरण में आये हुए दीन-दुखियों के कष्ट को हरण करनेवाले हैं, सदा आप लोगों की रक्षा करें । १। अपने मंगल पद्य द्वारा इसी बात को बतलानेवाले ध्वन्यालोककार आचार्य आनन्दवर्धन के द्वारा, यह व्यक्त किया गया है कि प्रत्येक कठिन कार्य के प्रारम्भ में कर्ता को विघ्ननाशार्थ मञ्जला-चरण अवश्य करना चाहिये । २। मंगल पद्य में "स्वेच्छा" शब्द का प्रयोग करके आचार्य ने यह कहा है कि प्रकृत सिंहत्व अदृष्टकृत नहीं है, साथ ही किसी और की इच्छा के अधीन भी नहीं है । क्योंकि मधुसूदन की ईच्छा प्रत्येक कार्य के प्रति हेतु है । ३। इसके द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि अन्य सिंह से इस सिंह में व्यतिरेक है, भिन्नता है और इस प्रकार विशेषण की साभिप्रायता के कारण व्यतिरेक अलङ्कार के अतिरिक्त "परिकर" अलङ्कार भी व्यक्त होता है । ४। "स्वच्छस्वच्छायायासितेन्दवः" यहाँ पर छाया में स्वच्छता विशेषण देकर यह व्यक्त किया गया है कि प्रकृत छाया न प्रौढ़-प्रकाशक-तेज का अभाव है और न अन्धकार । ५। यहाँ भगवान् मधुसूदन का सिंह रूप में अर्थात् नृसिंह रूप में ग्रहण करके ध्वनिकार ने माना यह व्यक्त किया है कि भगवान् भी जब वामन बन जाते हैं अर्थात् छोटा रूप धारण करके आते हैं तो लोग उन्हें महत्त्व नहीं देते हैं । ६। नृसिंह के

ननु मधुरिपुरितिकथनात् सकल-खलानां निहन्तृत्वम् ।

ध्वनितं, परमोत्साहः ततश्च वीरो रसो ध्वनितः ॥८॥

भगवानपि नो तावत् हिनस्ति दुःखं न यावदापन्नः ।

व्रजति प्रपत्तिमित्यथ भवति ध्वनितं प्रपन्नपददानात् ॥९॥

आर्त्तविजिज्ञास्वार्थार्थिषु प्रपन्नो भवत्यसावार्त्तः ।

तस्माद् भगवानार्त्तः छेदाय प्रोद्यतो ध्वनितः ॥१०॥

बहुवचनान्तान्ननु नख-शब्दात् प्रकटीकृतं त्वेतत् ।

कर्त्तारो न भवन्त्यथ शून्याः फलतः कदाचिदपि ॥११॥

अंगान्येते ध्वनयो भावध्वनि रज्जितां भवे ।

अत्र हि मंगलपद्ये त्राण-प्रार्थनपरेऽभिधया ॥१२॥

नख को स्वच्छता को देख कर चाँद भी शुक्लपक्ष में वद्विष्णु होकर वैसी स्वच्छता की प्राप्ति के लिये प्रयास करता है, इस कथन के द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि खिल पराजित व्यक्ति को विजय प्राप्ति के लिये प्रयत्न करना चाहिये, बैठ नहीं जाना चाहिये । ७। भगवान् को मधुरिपु कहकर यह व्यक्त किया गया है कि भगवान् सभी खलों के निहन्ता हैं । इससे उनका उत्साह व्यक्त होता है और उससे वीररस व्यक्त होता है । ८। “प्रपन्नदुःखभिदः” यहाँ “प्रपत्ति” की चर्चा करके यह ध्वनित किया गया है कि भगवान् तबतक कष्ट नहीं हरते हैं जबतक व्यक्ति उनका भक्त नहीं बन जाता है पूर्णरूप से शरणागत नहीं हो जाता है । ९। “प्रपन्नार्त्तिच्छिदः” यहाँ पर आर्त्ति-च्छेद की चर्चा करके यह व्यक्त किया गया है कि (१) आर्त्ता (२) जिज्ञासु और (३) अर्थार्थी इन तीनों के अन्दर आर्त्त ही सचमुच शरणागत होता है । अतः भगवान् उसकी आर्त्ति के नाशार्थ सतत उद्यत रहते हैं । १०। नख शब्द को बहुवचनान्त रूप में उपस्थित करके यह प्रकट किया गया है कि सच्चे करनेवाले कभी भी फलशून्य नहीं होते हैं । उनका श्रम अवश्य सफल होता है । ११। अभिधा वृत्ति के द्वारा त्राण का प्रतिपादन करनेवाले इस प्रथम मंगल पद्य में ये सारे प्रदर्शित ध्वनि अंगभूत हैं और अंगी है भावध्वनि । १२।

काव्यस्यात्मेत्यादि — प्रथमश्लोकेन नन्विदं कथितम् ।

नानाम्नातः पूर्वं काव्यस्यात्मा ध्वनिर्विवृष्टैः ॥ १३ ॥

ये न परे ते कतिचन ध्वनेरभावं वदन्ति स्म ।

भिन्नां स्वभणितिरिति समाश्रयन्तो हृदा हीनाः ॥ १४ ॥

अस्मिन्नभावापक्षे पक्षत्रितयं समाविष्टम् ।

केवांचित् प्रथमोऽयं पक्षस्तत्राऽवगन्तव्यः ॥ १५ ॥

शब्दार्थात्मकमेव हि काव्यम्, शब्दास्त्वलंकाराः ।

शब्देऽनुप्रासादिप्रमुखा विदिता विपश्चितां स्पष्टम् ॥ १६ ॥

उपमादयस्तथाऽऽर्थाः समुपस्कारा अपि प्रथिताः ।

संघटनास्थितिमन्तो माधुर्याद्या गुणा अपि प्रथिताः ॥ १७ ॥

संघटनाभ्योऽभिन्ना उपनागरिकादयो यास्तु ।

प्रथितास्ता अपि लोके वृत्तिपदप्रख्यतां याताः ॥ १८ ॥

“काव्यस्यात्माध्वनिरिति” इत्यादि प्रथम पद्य के द्वारा यह बात लाया गया है कि विद्वानों के द्वारा काव्य का आत्मभूत ध्वनि पहले भी चर्चित या अर्चयित नहीं । १३। ऐसे कुछ लोग जो श्रेष्ठ नहीं थे ध्वनि के अभाव का प्रतिपादन करते थे, जो भिन्न प्रकार की प्रतिपादन-शैली का आश्रयण करनेवाले होते हुए भी सहृदय नहीं थे । १४। इस अभाववाद के अन्तर्गत तीन पक्ष थे, उरामें कुछ लोगों का प्रथम पक्ष यह ज्ञातव्य है ।

प्रत्येक काव्य शब्द और अर्थ एतदुभयात्मक ही होता है । उनके अन्दर शब्द के अलङ्कार होते हैं अनुप्रास यमक आदि यह विद्वानों को स्पष्ट रूप से मालूम ही है । १६। अर्थों को अलङ्कृत करनेवाले उपमा आदि अलङ्कार भी प्रसिद्ध ही हैं । वर्णयोजन-आत्मक संघटना में पर्यवसित होनेवाले माधुर्य आदि गुण भी विद्वानों के लिये प्रसिद्ध हैं । १७। वे उपनागरिका आदि भी अप्रसिद्ध नहीं जो सामान्य रूप में “वृत्ति” नाम से पुकारी जाती हैं और वर्णसंघटनात्मक हो होती हैं उनसे अतिरिक्त और कुछ नहीं । १८। काव्यों में अनुस्यूत होनेवाली वैदर्भी

वैदर्भीप्रमुखा यां रीतिः काव्येषु सन्दृढा ।

साऽपि प्रथिता विज्ञैर्नैवं प्रथिति ध्वनावस्ति ॥१९॥

तस्मात् प्रसिद्ध्यभावात् ध्वनिर्न मान्यो विशेषज्ञैः ।

नाश्वासोऽङ्ग-कथायां ध्वनिविषयायामतोऽभावः ॥२०॥

विमतमभावंप्रतियोगितावदस्याऽप्रसिद्धत्वात् ।

इत्यनुमानं मानं ध्वने रभावेऽत्र वस्तुतो न्यस्तम् ॥२१॥

न ध्वनिशब्दोऽप्रथितः तस्मादर्थोऽपि तस्य नाऽप्रथितः ।

दुष्टस्तस्माद्धेतुः स्वरूपसिद्ध्या विरहितत्वात् ॥२२॥

साध्यव्याप्तिः पक्षे सर्वं हेतावपेक्षितं भवति ।

हेतोः ससद्धेतुत्वे, नात्र विवादोऽस्ति कस्यापि ॥२३॥

गोडौ आदि रीतियों को भी विज्ञजन जानते हैं किन्तु इन अर्थों में "ध्वनि" शब्द की प्रसिद्धि है नहीं । १९। इसलिये प्रसिद्धि के अभाव-प्रयुक्त विद्वानों को ध्वनि नहीं मानना चाहिये । रहा अविद्वानों की बात, तो अविद्वानों के कथन पर भला कैसे विश्वास किया जा सकता ? अतः ध्वनि नहीं, ध्वनि का अभाव ही मान्य है । इन बातों के द्वारा ध्वनि के अभाव का स्थापक एक अनुमान प्रमाण वास्तविक रूप में उपस्थित किया गया है जिसका आकार यह ज्ञातव्य है कि विवाद-स्पद (ध्वनि) अभाव का प्रतियोगी है, क्योंकि खगुण्य वन्ध्यापुत्र आदि की तरह वह अत्यन्त अप्रसिद्ध है । २१।

ध्वनि शब्द सर्वथा अप्रसिद्ध नहीं है, इसलिये इसका अर्थ भी अप्रसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता । अतः उक्त ध्वनि के अभाव का स्थापक अनुमान स्वरूपसिद्धिनामक हेतुदोष से दुष्ट है । अतः वह ध्वनि के अभाव का स्थापक नहीं हो सकता । २२। अनुमानगत हेतु को सद्धेतु होने के लिये उसमें साध्य की व्याप्ति और पक्ष में विद्यमानता स्वरूप पक्षधर्मता ये दोनों अपेक्षित हुआ करते हैं इस पर किसी को भी विवाद नहीं है । २३। इसलिये उक्त अनुमान सही न हो पाने के कारण उसके बलपर ध्वनि का अभाव नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार

तस्मान्मानामावात् ध्वनेरभावो न वै वक्तुम् ।
 अर्हः प्रभवति कथमपि प्रब्रूयाच्चेद् ध्वनिश्रद्धः ॥२४॥
 पक्षस्तदा द्वितीयो ध्वनिविरहस्यापकः तूर्णम् ।
 अन्ये ब्रूयुरितीत्यं ध्वनिकारेणात्र सन्देहः ॥२५॥
 प्रवहन् ननु वैवर्ण्यं वाद्यसमुत्थो रवो ध्वनिः कथितः ।
 नोचुः काव्यविदः, तं काव्यं ये साम्प्रदायिका विबुधाः ॥२६॥
 यस्मात् सहृदय-हृदयाऽऽह्लादकता भावहन्तौ हि ।
 शब्दार्थावयव काव्यम्, प्रथितं काव्यस्य लक्षणं शुद्धम् ॥२७॥
 एतत्परम्परागत - काव्यपस्थानतो दूरे ।
 प्रथिते ध्वनिपदवाच्ये सम्भवमर्हन्न काव्यत्वम् ॥२८॥
 फलतो द्वितीयपक्षे ध्वनिविरहज्ञापके ह्यस्मिन् ।
 अन्यविधं त्वनुमानं विध्वनिपक्षा दुपास्थेयम् ॥२९॥
 प्रथितं ननु ध्वनित्वं काव्यत्वाभाववद्वृत्तिः ।
 यस्मात्, नहि काव्यत्वव्याप्यं तस्माद्भवितु मर्हेत् ॥३०॥

यदि ध्वनि पर श्रद्धा रखनेवाले लोग कहें तो ध्वनिकार के द्वारा अपने विपक्षियों की ओर से "अन्ये ब्रूयुः" इत्यादि के द्वारा ध्वनि के अभाव का लयापक द्वितीय पक्ष उपस्थित किया गया है ॥२५॥

हाँ ध्वनि शब्द प्रसिद्ध अवश्य है किन्तु वह वर्णभाव रहित मृदंग आदि वाद्योत्थित शब्द अर्थ में प्रसिद्ध है । किन्तु उस मृदंग वंशी वीणा आदि के शब्दों को काव्यज्ञ विद्वान् काव्य नहीं कहते ॥२६॥
 अतः काव्य का शुद्ध लक्षण यही प्रसिद्ध है कि 'सहृदयों के हृदय को आह्लादित करनेवाले शब्द और अर्थ हैं वाक्य' ॥२७॥ काव्य-मार्ग से अति दूरवर्ती उक्त प्रसिद्ध ध्वनि शब्द के अर्थ में इस काव्यलक्षण का समन्वय सम्भव नहीं । अतः उसे काव्य नहीं कहा जा सकता ॥२८॥
 ध्वनि के अभाव के ज्ञापक इस द्वितीय पक्ष में ध्वनि के अभाववादियों की ओर से एक अन्य प्रकार का अनुमान उपस्थित होता है ॥२९॥
 इस नये अनुमान का आकार यह ज्ञातव्य है कि ध्वनित्व काव्यत्व का

व्यापकविरहे व्याप्यव्यतिरेकः सम्भवत्येव ।

काव्यत्वव्यतिरेकिणि ध्वनौ कथं व्याप्य धर्मः स्यात् ॥३१॥

तस्मान्न काव्यभेदो ध्वनिरथ भवितुं प्रशक्नोति ।

ध्वनिकाव्यस्वीकारे तत् स्पृविज्ञैर्दुराग्रहः स्याज्यः ॥३२॥

साहित्यसम्प्रदायो लोके नैवैकशेषतां धत्ते ।

लोकसुचेर्भिन्नत्वात् ध्वनिरपिकाव्यं ततो भवितुमर्हेत् ॥३३॥

शब्दस्यार्थो नैकः, प्रभवतु वाद्योत्थितः शब्दः ।

ध्वनिरथ तद्गतसहृदय-हृदयाह्लादित्वतो ध्वनिः काव्यम् ॥३४॥

विस्तोर्णायां भूमौ काले चानन्तताभाजि ।

नो ध्वनिरसवित्सहृदयविरहः सामान्यतो वाच्यः ॥३५॥

व्याप्य नहीं माना जा सकता है क्योंकि वह काव्य में रहनेवाला नहीं, उसके विपरीत वह वर्णनात्मक उस वाद्योत्थ शब्दों में रहता है जहाँ कि काव्यत्व नहीं काव्यत्व का अभाव रहता है ॥३०॥ जहाँ व्यापक का अभाव रहता है वहाँ व्याप्यका अभाव अवश्य रहता है । ऐसी परिस्थिति में व्यापक काव्यत्व का जहाँ अभाव होगा वहाँ काव्यत्व का व्याप्य भी नहीं रह सकता है ॥३१॥ इसलिये “ध्वनि” को काव्य का प्रभेद नहीं कहा जा सकता, उत्तम काव्य नहीं कहा जा सकता है । अतः विज्ञानों को चाहिये कि ध्वनिकाव्य के स्वीकार में दुराग्रह का त्याग करें ॥३२॥

इसके अनन्तर ध्वनिवाद पर आस्था रखनेवालों को ओर से पुनः यह कहा जा सकता है कि साहित्यिकों का सम्प्राय कभी एक-शेष नहीं होता है । क्योंकि लोकसुचि भिन्न प्रकार हुआ करती है । अतः एक साहित्य सम्प्रदाय द्वारा अमान्य घोषित होनेवाला ध्वनिकाव्य दूसरे साहित्य-सम्प्रदाय द्वारा मान्य ठहराया जा सकता है ॥३३॥ एक शब्द के अर्थ अनेक हुआ करते हैं, तदनुसार वीणा-वेणु-मृदंग आदि के शब्द भी ध्वनि कहलाया करें, किन्तु अनेक सहृदयों के हृदय का आह्लादक होने के कारण उत्तम होनेवाला काव्य भी “ध्वनि” काव्य कहला सकता है ।

सहृदः केचन तस्मात् वै स्यु ध्वनिरसविदो लोके ।

इत्याद्यपि नो वाच्यम्, नहि कथमपि कल्पना शरणम् ॥३६॥

कल्पितमोदकतः किं क्षुत्क्षामस्यास्ति तच्छान्तिः ।

आस्तां वा काल्पनिकी साऽपि, प्रकृतस्य नो सिद्धिः ॥३७॥

काव्यत्वव्यपदेशः कल्पितसहृदः प्रसिद्धयर्थम् ।

प्रभवन् प्रवर्तितः किं सकलसहृदमोदकः प्रभवेत् ॥३८॥

तावेव हि शब्दार्थौ काव्यत्वेनात्र मान्यतां घत्तः ।

यौ ननु सकलसहृदजन हृदयस्यावर्जकौ भवतः ॥३९॥

तस्मान्नहि ध्वनित्वं काव्यत्वव्याप्यतां घत्ते ।

सति चैवं ध्वनि काव्यं कथमपि मान्यं भवेन्नैव ॥४०॥

भूमण्डल जब कि अति विस्तीर्ण है और काल जब कि अनन्त है असीम है, तब ध्वनिवेदी सहृदयों का सामान्याभात्र नहीं कहा जा सकता । ३६। इसलिये इस संसार में ऐसे भी कुछ सहृदय माने जा सकते हैं जो ध्वनिकाव्य जनित आनन्द का अनुभव कर सकते हैं । परन्तु ये बातें भी नहीं कही जा सकती हैं । क्योंकि कोरा कल्पना को शरण नहीं दिया जा सकता । ३६। क्या कल्पित मोदक से भूख को भूख जा सकती है ? अथवा उन भूखों का भूख का स्वप्न में काल्पनिक निवृत्ति भी हो जाये, परन्तु इससे प्रकृत ध्वनि को सिद्धि नहीं हो सकती है । कल्पित सहृदयों की सिद्धि के लिये ध्वनिकाव्य कल्पना की गई, और उस कल्पित काव्य का नाम का प्रयोग चल पड़ा ऐसा मानने पर, क्या वह सभी हृदयों को आनन्द देने वाला बन सकता है ? । ३७।

इस सत्य संसार में ऐसे शब्द और अर्थ हो काव्य रूप में मान्यता प्राप्त करते हैं जो कि निश्चित रूप से सभी सहृदयों के हृदयों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं । ३८। अतः ध्वनित्व काव्यत्व का व्याप्य नहीं हो सकता, अर्थात् “ध्वनि” काव्य का प्रभेद नहीं कहा जा सकता । ४०।

फलतो ध्वनिर्न काव्यम् सहस्रमत्कृत्यजनकत्वात् ।

इत्यनुमानं बाधकमानतया स्थापितं पुरतः ॥४१॥

यद्यत्र प्रत्रयात् ध्वनिवादी नोचितं कथनम् ।

अस्मद्दृष्टौ सहृदो नहि ते ये नो चमत्कृता ध्वनितः ॥४२॥

अज्ञानां बाहुल्यं नो विज्ञानामिति स्थितिः प्रथिता ।

किं काचरत्नभेदज्ञानं बाहुल्यमस्ति भुवनेऽस्मिन् ॥४३॥

नहि बहवो रत्नज्ञाः, किं तस्मात् काचता रत्ने ।

मान्या ? विज्ञैरज्ञानं बहून् प्रपस्यद्भिरुद्गीतैः ॥४४॥

प्रभवति हंसः श्वेतो वहति तथात्वं वकोऽपि सुस्पष्टम् ।

नीरक्षीरविवेचनकृत्यं हंसस्य नो वकस्यास्ति ॥४५॥

विरलाः सहृत्तमाः ते सत्यम् ये ध्वनिरसामिज्ञाः ।

किन्तु ततो ध्वनिविरहो नो वक्तुं शक्यते युक्त्या ॥४६॥

इन कथनों से निष्कर्ष यह प्राप्त होता है कि "ध्वनि" काव्य नहीं, काव्य से भिन्न है क्योंकि वह सहृदयों के हृदय को चमत्कृत करता नहीं।" इस प्रकार का अनुमान इस पक्ष में ध्वनि-काव्य के बाधक रूप में उपस्थित किया गया है । ४१।

यदि इसपर ध्वनिवादी यह कहें कि उक्त कथन उचित नहीं । क्योंकि हमलोगों को दृष्टि में वे सहृदय नहीं जिन्हें ध्वनि-काव्य से चमत्कार प्राप्त होता नहीं । ४२। संसार में अधिक संख्या अज्ञों की है विज्ञों की नहीं यह स्थिति स्पष्ट है । क्या काच और रत्न के भेद को पहचानने वाले इस संसार में बहुत पाये जाते हैं ? । ४३।

रत्न के पारखी बहुत नहीं पाये जाते हैं इसलिए क्या अज्ञों की ही अधिक संख्या देखने वाले विज्ञों के द्वारा उन बहुसंख्यक अज्ञों के विचारानुसार रत्न को भी काच मान लिया जाय ? । ४४। यह स्पष्ट है कि हंस भी श्वेत ही होते हैं और वक भी, किन्तु नीर और क्षीर का पृथक्करण हंस ही कर सकता है वक नहीं । ४५।

ध्वनि-रस का आस्वाद ले सकने वाले सहृदयों की संख्या अति अल्प

तर्हि ध्वनेरभावं पुनरपरे वक्तुकामा ये ।

तेषां पक्षः पुनरित्यादि-ग्रन्थेन वर्णितो विशदम् ॥४७॥

अस्तु ध्वनिः प्रसिद्धो, वहस्तु तथा कामनीयकं स्वस्मिन् ।

किन्तु न धत्ते नवतां ध्वनिरिति संज्ञैव नूतना यस्मात् ॥४८॥

अस्त्यथ यदि चारुत्वं ध्वनौ हृदावर्जकं किञ्चित् ।

शब्दार्थालङ्कारादिष्वेवान्तर्गति स्तस्य ॥४९॥

नाऽपूर्वसंज्ञयैव हि भवत्यपूर्वं किमप्यत्र ।

श्वसुरालयं गतो यदि जामाता कथ्यते लोकैः ॥५०॥

तत्रत्यैः किं कोऽपि प्रभवति तस्मात् स्वतो भिन्नः ।

ये कान्वालङ्काराः युगापन्नो ते समुद्भूताः ॥५१॥

हे, वे विरल हैं यह सत्य है किन्तु इसके कारण युक्तिपूर्वक ध्वनि का अभाव नहीं स्थिर किया जा सकता । इस प्रकार ध्वनि-सिद्धि के अनन्तर भी जो अन्यजन्म ध्वनिका अभाव स्थिर करना चाहते हैं उनके पक्ष को "पुनः" इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने विशद-रूप में उपस्थित किया है । ४७ । ध्वनि अप्रसिद्ध नहीं यह भी मान लिया जाय । वह अपने में कमनीयता अर्थात् सुन्दरता को भी धारण करे, किन्तु फिर भी ध्वनि कोई नयी वस्तु नहीं । क्योंकि किसी पुरानी वस्तु को "ध्वनि" यह नया नाम मात्र दे दिया गया है । ४८ । यदि ध्वनि में सहृदयों के हृदयों को आकृष्ट करने की क्षमता है तो ध्वनि का शब्दालङ्कार या अर्थालङ्कार में ही उसका अन्तर्भाव हो जायेगा । ४९ ।

नवीन नामकरण मात्र से कोई वस्तु नयी नहीं हो उठती । प्रत्येक विवाहित व्यक्ति समुसल जाने पर वहाँ के अनेक लोगों द्वारा "जामाता" इस नये नाम से पुकारा जाता है, परन्तु वह क्या उस नवीन शब्द से पुकारे जाने कारण, अपने से अन्य हो उठता है ? । ५० । जितने अलङ्कार उपलब्ध हैं वे सभी एक ही साथ प्रकाश में नहीं आये । ५१ । किन्तु सभी अलङ्कार के अन्दर ही मान्य हैं, अलङ्कार ही

किन्तु समेऽलङ्कारान्तः—पातित्वं व्रजन्त्येव ।

ध्वनिरपि तथैव पश्चादुद्भूतोऽन्तर्गतिं व्रजतु ॥५२॥

यदलोक-सहृदयत्वं विभावयद्भिर्मुकुलिताक्षैः ।

स्वस्मिन्, ध्वनिध्वनिरिति प्रनृत्यते तत्र नो हेतुः ॥५३॥

तस्मात् प्रवादमात्रं ध्वनिरिति, नो वै विचार-सहम् ।

तत्त्वं किञ्चिद्वक्तुं शक्यं प्रमवेन्नवीनं यत् ॥५४॥

ध्वनिरन्तर्गतिमाप्नोऽलङ्कारादौ चमत्कृति-करत्वात् ।

इत्यनुमानं फलतः पक्षेऽस्मिन् लभ्यते विशदम् ॥५५॥

यस्मिन्नस्ति न वस्त्विति पथं पक्षत्रयद्योति ।

ध्वनिवाद्युपहासकमिह ध्वनिकृद्भिः स्थापितं पुरतः ॥५६॥

ये व्यञ्जनामपि सती लक्षणयाऽऽस्मीकृतामाहुः ।

ते भक्तिभक्तिमन्तो ध्वनिकाव्यं भाक्तमेवाहुः ॥५७॥

कहलाते हैं । ध्वनि भी उसी प्रकार कभी प्रकाश में आने के कारण अलङ्कारों के अन्तर एक मान लिया जाय । ५२ । अपने में अलीक सहृदयता की भावना के फलस्वरूप आखे बन्द कर जो 'ध्वनि-ध्वनि' कहकर जोरों से नाचते हैं उसका कोई हेतु नहीं । ५३ । अतः बन्ध्या-पुत्र आदि की तरह ध्वनि यह एक 'कहने भर का है' प्रवाद मात्र है । कोई नवीन तत्त्व जो कि विचार करने पर वास्तव में टिकपाये है नहीं । ५४ । इस प्रकार किये जानेवाले विचार के फलस्वरूप ध्वनि की सिद्धि के विरुद्ध एक अनुमान प्रमाण उपस्थित होता है जिसका स्पष्ट आकार यह है कि—ध्वनि अलङ्कार आदि के ही अन्तर्गत है । क्योंकी चमत्कारी है ।' । ५५ । उक्त प्रकार प्राप्त होने वाले ध्वनि विरोधियों के पक्षत्रय को ध्वनिवादी के प्रति उपहासकर रूप में उपस्थित किया है ध्वनिकार ने ध्वनिवादियों के समक्ष । ५६ ।

ऐसे ध्वनिविरोधीजन जो कि व्यञ्जना वृत्ति का अन्तर्भाव लक्षणा ही में मानते हैं वे ध्वनिकाव्य को भाक्त कहते हैं । ५७ । ऐसे भक्तिवादी ध्वनिविरोधियों की ऐसी स्वीकृति के कारणको ध्वनिकार ने 'यद्यपि च'

एषामेवं स्वीकृति - कारणमिदमत्र मन्तव्यम् ।

यद् यद्यपिचेत्यादिकवृत्त्या ध्वनिकारसम्प्रोक्तम् ॥५८॥

सत्यं यद्यपि भामह-प्रभृतिभिरुद्बुद्ध-बुद्धिभिर्नैव ।

ध्वनि-शब्दो गुणवृत्त्यादिक-वाचित्वेन सम्प्रोक्तः ॥५९॥

किन्तुद्भट्ट-वामनमति रीषत्स्पृष्टेव भाति यतः ।

ध्वनिसिद्धान्तात् भक्त्या काव्यव्यवहार मादधतो ॥६०॥

भाक्तं तस्मात् काव्यं ध्वनिशब्देनापि सम्प्रोक्तम् ।

नान्यत् किञ्चिदितोत्थं मतमवसेयं तथान्येषाम् ॥६१॥

पक्षेऽस्मिन् ज्ञातव्या युक्तिरथापातरम्येयम् ।

द्विविधः खलु सम्बन्धः प्रभवति गौणश्च मुख्यश्च ॥६२॥

अयमेवहि साक्षादथ पारम्परिकश्च कथ्यते विबुधैः ।

एतद्वैविध्यानाऽक्रान्तो नैवास्ति सम्बन्धः ॥६३॥

इत्यादि वृत्ति-ग्रन्थ द्वारा बतलाया है । ५८। सरल अभिप्राय यह है कि यह सत्य है कि भामह प्रभृति प्रखर बुद्धि-सम्पन्न सज्जनों द्वारा 'ध्वनि' यह शब्द गुणवृत्ति भक्ति आदि अर्थों में प्रयुक्त हुआ है किन्तु लक्षणात्मक भक्ति को लेकर काव्य व्यवहार का सम्पादन करनेवालो उद्भट वामन आदि की बुद्धि ध्वनि सिद्धान्त को, अति-अल्प रूप में ही सही, स्पर्श करती हुई सी पायी जाती है । इसलिए भक्ति अर्थात् लाक्षणिक काव्य ही 'ध्वनि' नाम से भी कहा जाता है । और कुछ ध्वनि नाम से कहा जाता नहीं यही मत औरों का भी ज्ञातव्य है । ६१।

इस प्रकार कहनेवाले भक्तिवादीजनों के पक्ष में आपात - रमणीय युक्ति यह ज्ञातव्य है कि—सम्बन्ध कहलानेवाले द्विविध होते हैं, एक मुख्य और दूसरा अमुख्य । ६२। वे ही सम्बन्ध विद्वानों के द्वारा (१) साक्षात्-सम्बन्ध और (२) परम्परा-सम्बन्ध भी कहे जाते हैं । सभी सम्बन्ध इन्ही दो सम्बन्ध-प्रभेदों के अन्तर्गत हैं, कोई भी सम्बन्ध इनके बाहर नहीं जा सकता । ६३। इस वास्तविकता के आधार पर

एवं सत्यर्था अपि द्वैविध्याक्रान्ति मागता एव ।
 असहृत्साधारण्यं वाच्योर्थः प्रब्रजन्नेव ॥६४॥
 प्रभवेच्चमत्कृतिकरः, पारम्परिकस्तथा तस्मात् ।
 पारम्परिकार्थमयं काव्यं ध्वनिसंज्ञया वाच्यम् ॥६५॥
 उद्बुद्धैरेवार्थः पारम्परिको यतो ग्राह्यः ।
 भक्तिः परम्परा वा गुणवृत्तिर्वाऽपि नो भिन्ना ॥६६॥
 “आहुः” कथनात् स्वरसास्वरसावुक्ताविहेति मन्तव्यम् ।
 स्वीकृत्याऽस्ति स्वरसो रूपान्तरतामुपेत्य चास्वरसः ॥६७॥
 ध्वनिकाव्यं ननु भाक्तं लक्ष्येनार्थेन घटितत्वात् ।
 इत्यनुमानं मानं बोध्यं ध्वनिभाक्तापक्षे ॥६८॥
 केचित्पुनरव्याप्त्यादिकरहितं लक्षणं कर्तुम् ।
 कोमलबुद्धितया नो शक्ता गुडभोक्तृमूकसंकाशाः ॥६९॥

शब्द के अर्थ भी दो ही प्रकार के हो सकते हैं । ६४। इसलिए पर-
 म्परा-सम्बन्ध को आश्रयण करनेवाला गौण अर्थ ही चमत्कारी होता
 है, इसलिए पारम्परिक अर्थात् गौण-अर्थमय काव्य ही ध्वनि नाम
 से कहा जाय यह उचित है । ६५। क्योंकि पारम्परिक अर्थ ही प्रबुद्ध
 जनों के द्वारा गृहीत होता है । भक्ति कहें परम्परा-सम्बन्ध कहें या
 गुण-वृत्ति कहें ये सब एक ही हैं । ६६। इस मत के प्रतिपादक वाक्य
 के अन्त में ध्वनिकारने “आहुः” शब्द का प्रयोग करके कुछ सम्मति
 और कुछ असम्मति दोनों को ही व्यक्त किया है । ६७। इस ध्वनि
 काव्य को भाक्त कहनेवाले के पक्ष में यह अनुमान प्रमाण उपन्यस्त
 समझना चाहिए कि “ध्वनि काव्य भाक्त है क्योंकि वह लक्ष्यार्थ से
 घटित होता है । ६८।

कुछ लोग अति-कोमल-बुद्धिवाले होने के कारण अव्याप्ति अतिव्याप्ति
 आदि दोष रहित ध्वनिलक्षण के सम्पादन में सर्वथा असमर्थ हैं । वे
 ध्वनि के सम्बन्ध में अपने को गुड की मधुरता का आस्वाद लेनेवाले
 गूंगे के समान मानते हैं । ६९।

कथयन्त्येवं सत्यं यद् ध्वनिरस्तीति, किन्तु नो शक्यम् ।

वक्तुं तत्लक्षणमथ तद्धि वचोऽगोचरं सत्त्वम् ॥७०॥

यद् यद् वस्तु न तत्तत् सर्वं प्रतिपाद्यतामेति ।

कथमन्यथा तुरीयं ब्रह्म वचोऽगोचरं प्रोक्तम् ॥७१॥

तस्मात् सहृदयमात्रज्ञेयं ध्वनितत्त्व मेतद्धि ।

निर्वचनस्यानर्हं नो लक्षणलक्ष्यतां घटे ॥७२॥

वैमत्यापन्नेष्विह वादिष्वेतेषु पर-पर-श्रेष्ठयम् ।

यस्माद् भ्रान्तास्ते ये ध्वनेरभावं वदन्तिस्मिन् ॥७३॥

स्वीकुर्वन्तोऽपि च तं विप्रतिपन्नस्तु तद्रूपे ।

ते फलतः सन्दिग्धाः संशय एव स्थितिर्यस्मात् ॥७४॥

अतः ऐसा कहते हैं कि ध्वनि है तो सही, किन्तु उसका लक्षण नहीं किया जा सकता । क्योंकि वह वाणी का विषय होने वाला नहीं ॥७०॥ यह नहीं कहा जा सकता कि संसार की प्रत्येक वस्तु का लक्षण किया जा सकता ही, उसका प्रतिपादन हो ही सकता है । क्योंकि यदि ऐसा नियम माना जाय कि प्रत्येक पदार्थ निर्वचन योग्य ही होता है तो अद्वैत-वेदान्त-सिद्धान्त में तुरीय ब्रह्म को वाणी का अविषय कैसे माना गया है ? ॥७१॥ इसलिए सहृदय-हृदयमात्रगम्य यह ध्वनित्व निर्वचन योग्य नहीं है । उसका लक्षण सम्भव नहीं, वह किसी लक्षण का लक्ष्य नहीं हो सकता ॥७२॥

इन विमतिग्रस्त वादियों के अन्दर पूर्व-पूर्व की अपेक्षा, पर-परवर्ती की श्रेष्ठता ज्ञातव्य है । विमतिग्रस्त तीनों प्रकार के वे वादी जो कि ध्वनि का अभाव मानते हैं सर्वथा भ्रान्त हैं ॥७३॥ यहाँ पीछे-पीछे आने वाले वे वादी जो कि ध्वनि को मानते हुए भी उसके स्वरूप के सम्बन्ध में विप्रतिपन्न थे, अनिश्चय-ग्रस्त थे, वे ध्वनि के स्वरूप के सम्बन्ध में संशय-ग्रस्त होने के कारण सन्दिग्ध थे ॥७४॥

शक्तिविमिक्ता वृत्तिर्भक्तिः स्वैतद्धिः भक्तिस्त्वम् ।

व्यञ्जनलक्षणयोरेव सामान्यं निश्चयो न ततः ॥७५॥

ये गुडभुङ्क्ता इव निर्वचनं कर्तुमसमर्थाः ।

स्वाप्नोन् ध्वनितत्त्वं स्वीकुर्वन्तो द्वयोः श्रेष्ठाः ॥७६॥

आन्तानयः सन्दिग्धान् निर्वचनं कर्तुमसमर्थान् ।

लोकानुद्दिश्य यतः कोप्युपदेशे प्रवर्तते विबुधः ॥७७॥

ध्वनि-विषयोऽप्युपदेशः तस्मादौचित्य-भाग् भवति ।

यस्मादत्र तथाविधमिदं एते ननु प्राप्ताः ॥७८॥

अभिधात्मक शब्दगत स्वभाविक-शक्ति से भिन्न शब्द-शक्ति कहलाती है भक्ति, और यही है भक्ति का भक्तित्व । ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविकता से भिन्न अस्वाभाविकता-स्वरूप भक्तित्व, लक्षणावृत्ति और व्यञ्जनावृत्ति दोनों में समान होने के कारण, साधारण-धर्मज्ञानाधीन संशय का होना स्वाभाविक है अतः भक्तिवादी का सन्दिग्ध कोटि में आना स्वाभाविक है । क्योंकि उक्त प्रकार सामान्यधर्मज्ञान मात्र के कारण उन्हें ध्वनि-काव्य-स्थल में लक्षणा और व्यञ्जना के अन्तर्गत अन्यतर का निश्चय नहीं । ७५।

अनन्तर आनेवाले ध्वनि के निर्वचन में असमर्थ गुड-गत मधुरता का आस्वाद करने वाले मूक व्यक्ति की तुलना रखनेवाले तीसरे वादी उक्त दोनों प्रकार के वादियों से श्रेष्ठमान्य होंगे । क्योंकि इन्होंने स्वधीन ध्वनितत्त्व को मान्यता तो दी ? लक्षण भले ही ध्वनि का नहीं कर पायें, परन्तु वस्तुस्थिति की मान्यता तक तो पहुँचे ? ७६। आन्त, संदिग्ध और निर्वचनासमर्थ इन तीन प्रकार के लोगों को अद्देश्य करके ही यतः विज्ञान उपदेश में प्रवृत्त हुआ करते हैं । ७७। अतः आचार्य आनन्द-वर्चन द्वारा किया जाने वाला यह ध्वनितत्त्व का उपदेश भी औचित्य-प्राप्त है क्योंकि उक्त तीन प्रकार के वादी यतः प्रकृत ध्वनितत्त्व के सम्बन्ध में प्राप्त हो चुके हैं । ७८।

प्रीतिस्सहृदयमनसि स्यादेवास्मान्निरूपणान्मन्ये ।

परमिदमिह साफल्यं ध्वनिस्वरूपं ततो ब्रूमः ॥७९॥

सत्कविकाव्योपनिर्षद्भूत मथातीव-रमणीयम् ।

सदपि ध्वनिस्वरूपं नान्यैरुन्मीलितं पूर्वम् ॥८०॥

विहिते निरूपणेऽस्मिन् रामायणभारतादिगतलक्ष्ये ।

तल्लक्षणं गमयता मानन्दः स्यात् सहृदयानाम् ॥८१॥

नाऽतो निरूपणमिदं व्यर्थं केनाऽपि शक्यते वक्तुम् ।

इत्यादिकमतिविशदं प्रोक्तं ध्वनिकृद्भिरतिरुचिरम् ॥८२॥

प्रोक्ता अनुबन्धा अपि ग्रन्थारम्भोचिताः सर्वे ।

विषयो ध्वनिरिह सहृदय-हृदयप्रीति स्तथा ज्ञानम् ॥८३॥

आचार्य आनन्दवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक की रचना के सम्बन्ध में कहा है कि औरों को न सही, मैं समझता हूँ कम से कम सहृदयों को तो इस ध्वनि-निरूपण से आनन्द-लाभ होगा ही । इससे बढ़कर भला क्या सफलता कही जा सकती ? अतः मैं यहाँ ध्वनि का स्वरूप बतला रहा हूँ ॥७९॥ ध्वनि का स्वरूप सभी सत्कवियों के काव्यों का सारभूत है अतः अत्यन्त रमणीय है, जो कि आज तक, पूर्ण रूप से विज्ञों द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा पाया है ॥८०॥ इस ध्वन्यालोक ग्रन्थ में ध्वनि का स्वरूप-निरूपण हो जाने पर रामायण महाभारत आदि-गत लक्ष्यभूत ध्वनि कव्यों में आनन्दवर्धनकृत ध्वनिलक्षण के होते हुए समन्वय को देखकर सहृदयजन अवश्य प्रसन्न होंगे ॥८१॥ इसलिए यह यहाँ किया जाने वाला ध्वनि-निरूपण किसी के द्वारा गृहणीय नहीं कहा जा सकता, इत्यादि बातें आनन्दवर्धनाचार्य ने सुन्दरशैली में कहा है । ग्रन्थारम्भ के लिए उचित होनेवाले चारों अनुबन्ध भी आचार्य के द्वारा प्रदर्शित हुए हैं कि इस ग्रन्थ का विषय है "ध्वनि" । सहृदयों को होने वाला ध्वनि का ज्ञान और तत्प्रयुक्त उन्हें होने वाला आनन्द है इसका फल । फिर उक्त दोनों फलों को चाटने वाले हैं अधिकारी, और ध्वनि

फलमिह, तत्कामः स्यादधिकारीत्यपि ननु स्पष्टम् ।

॥०॥ प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभावः सम्बन्धतां घत्ते ॥८४॥

ग्रन्थविषययोर्नित्यं नात्र विवादोऽस्ति केषाञ्चित् ।

॥१॥ अव्यवहितोत्तरमिह ध्वनितत्त्वस्थापनं विहितम् ॥८५॥

काव्यं शब्दार्थाविति पूर्वमपि प्रोक्तमेवैतत् ।

शब्दस्तत्र शरीरं बाह्यत्वात्, आत्मता त्वर्थे ॥८६॥

ललितोचितरचनाकृत-चारुत्ववतो हि काव्यस्य ।

सहृदाश्लष्यस्त्वर्थः स्यादात्मा, ऽऽन्तरतया युक्तेः ॥८७॥

नाविदितं केषाञ्चित् रामश्यामादि-पदवाच्ये ।

॥२॥ बाह्येऽसृङ्मांसादौ प्रभवति देहत्वमेव नात्मत्वम् ॥८८॥

देहेनावच्छिन्नः प्रभवत्यात्मा गृहीत-बोधादिः ।

स्थूलदृशा नो दृश्यः, तद्वदिहापि प्रविज्ञेयम् ॥८९॥

तथा इस ध्वन्यालोक के बीच होने वाला प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव है सम्बन्ध । ८४। सर्वत्र विषय और ग्रन्थों के बीच प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव ही सम्बन्ध हुआ करता है, अतः इसके सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं । इसके अन्तर-ध्वनितत्त्व को स्थापन किया गया है । ८५।

यह बात पहले भी बतलायी जा चुकी है कि शब्द और अर्थ ही हैं काव्य । वहाँ दोनों के बीच बाह्य होने के कारण शब्द होते हैं शरीर-स्थानीय और अर्थ उसकी अपेक्षा आत्म-स्थानीय । ८६। क्योंकि ललित और उचित रचना-प्रयुक्त चारुता को धारण करने वाले काव्य की आत्मा अर्थात् सारभूत वस्तु अर्थ ही है, यह इसलिए मान्य है कि शब्द और अर्थ इन दोनों के बीच अर्थ अन्तर है । ८७। यह किसी को अज्ञात नहीं कि राम श्याम आदि किसी भी नाम के नामी राम श्याम आदि आदि, व्यक्ति के सम्बन्ध में विवेचन करने पर यही निर्णीत होता है कि मांस शोणित आदि में, देहता ही होती है आत्मता नहीं । ८८। और ज्ञात्र इच्छादि-सम्पन्न और देह से अवच्छिन्न अर्थात् सीमितीकृत होने-

आत्मत्वमादधानः प्रभवत्यर्थोपि यः काव्ये ।

तस्य द्वावथ भेदौ भवतो वाच्य-प्रतीयमानाख्यौ ॥९०॥

वाच्योऽप्यर्थो नैको यो बहुधा व्याकृतस्त्वन्यै ।

तस्मात्तस्य विवेचनमिह नो घत्ते विधेयतां स्वस्मिन् ॥९१॥

सत्येवं ननु योक्तिः प्राचीनोक्तस्य कुत्रापि ।

प्रकृतोपयोग्योमात् ज्ञेया ह्यनुवादभूता सा ॥९२॥

अग्निहिंसस्य भेषजमित्यनुवादो न चेद्वेदे ।

दोषायात्र कथं स्यादनुवादो यः समुपयोगी ॥९३॥

विधिरप्राप्तावेव हि मान्यो, नान्यत्र माननीयोऽसौ ।

इति निश्चयात्समेषाम् विधिर्न मान्यः परोक्तस्य ॥९४॥

तद्विदिव गौरोत्युक्तौ प्रभवत्युपमाऽपि वाच्यभूता हि ।

यस्मात्तस्माद्वाच्यालंकाराद्याः परैरुक्ताः ॥९५॥

वाला देह-भिन्न स्थायी तत्व है आत्मा । जो कि स्थूल चर्मचक्षु से देखा नहीं जाता है । इसी प्रकार काव्य स्थल में शब्द को देह और अर्थ को आत्मा मानना उचित है । ८९। काव्य के अन्दर आत्मत्व को धारण करने वाला अर्थ दो प्रकार का होता है, जिसके अन्दर एक का नाम होता है वाच्य, और दूसरे का प्रतीयमान । ९०।

अनेकता प्राप्त वाच्य अर्थ अन्य विवेचकों द्वारा बहुधा विवेचित हो चुके हैं अतः उस वाच्य अर्थ का विवेचन इस ध्वन्यालोक ग्रन्थ में विधेय नहीं ठहराया जा सकता । ९१। ऐसी परिस्थिति में कहीं भी जो, प्रकृत में उपयुक्त होने के कारण पूर्वोक्त की भी उक्ति की जाती है, वहाँ उस उक्ति को अनुवाद भूत समझना चाहिए विधानात्मक नहीं । वेद के अन्दर आने वाला “अग्निहिंसस्य भेषजम्” अर्थात् आग जाड़े की दवा है, इत्यादि वाक्य यदि अनुवाद वाक्य माना जाता है तब ज्ञात-ज्ञापक अन्य वाक्य क्यों न अनुवाद वाक्य होगा ? ९३॥ यह बात सबके लिए मान्य है । “विधान” अप्राप्त अर्थ के सम्बन्ध में ही हुआ करता है अनन्य अर्थात्

वाच्यात्प्रतीयमान स्त्वर्थो घत्ते संदाऽन्यत्वम् ।

नहि वनितालावण्यं भवति तदंगं परन्तु तद्योगि ॥९६॥

“पुनरन्यदेव” वस्त्विति यत् प्रोक्तं ध्वनिकृता पद्ये ।

तत्र च वस्तुत्वं नो व्यंग्यत्व-व्याप्य मास्थेयम् ॥९७॥

तस्मान्महाकवीनां वाणीषु व्यक्तिमायाते ।

नालङ्कार रसादावस्तुनि स्यादिहाऽव्याप्तिः ॥९८॥

प्रभवत्वलङ्कृतिर्वा वस्त्वथ ननु रसो वाऽपि ।

वनितांगग-लावण्य-प्रतिमोऽसौ नैव वाच्यः स्यात् ॥९९॥

रसवस्त्वलङ्कृतिस्वथ वस्तुत्पन्नं प्रसिद्धं यत् ।

तस्मात्तदुदाहरणत्वेनोऽपादाय बुध्यतां भेदः ॥१००॥

ज्ञात-ज्ञापक वाक्य वह मान्य नहीं १९४। यतः “तडिदिव गौरी” इत्यादि संस्कृत-वाक्य प्रयोग-स्थलों में वाच्य होने कारण उपमा भी वाच्य होती है अतः वाच्यभूत अलङ्कार अर्थात् अलङ्कारगत वाच्यत्व और लोगों के द्वारा प्रतिदादित है १९५।

प्रतीयमान अर्थ वाच्य अर्थ से अन्य ही माना गया है। सुन्दरी को सुन्दरता उस सुन्दरी का विभिन्न अङ्ग नहीं किन्तु सभी अङ्गों से अतिरिक्त होते हुए उस सुन्दरी के सारे अंगों में अनुस्यूत होती है १९६।

“प्रतीयमानं पुनरन्यदेववत्यादि पद्य में ध्वनिकार के द्वारा जो “वस्तु” इस शब्द का प्रयोग किया है वहाँ वस्तुत्व को व्यंग्यत्व का व्याप्यभूत वस्तुत्व नहीं समझना चाहिए। अर्थात् विभिन्न वस्तु-ध्वनि, रस-ध्वनि, और अलङ्कार-ध्वनियों के विद्यमानत्व में वस्तु अलङ्कार और रसादि तीनों विषय-प्रभेदों के संग्राहार्थ उक्त इन तीनों विषयों के संग्राहक रूप में एक मात्र वस्तु को नहीं लेना चाहिए १९७। अतः महाकवियों के ध्वनि काव्यों के सारभूत रस एवं अलङ्कार में प्रकृत वस्तुत्व की अव्याप्ति नहीं हो पाती है १९८। ध्वनि-काव्यस्थल में अलङ्कार हो या वस्तु हो अथवा रस हो, कोई भी वनिता के समस्त अंगों में अनुस्यूत सौन्दर्य की समानता के कारण वाच्य नहीं हो सकता १९९। रस वस्तु और अलङ्कार

प्रभवन् विधेर्निषेधस्य हि भेदो वार्यतां केन ।।

केन कथं वा ! भावाभावविभेदः स्फुटो यस्मात् ॥१०१॥

सत्येवं कामिन्या कयाचिदैवं यदा भणितः ।

युवकः कोऽपि तदर्थं चेष्टाशीलः तथा दृष्टः ॥१०२॥

अत्र धार्मिक विश्वस्तः स श्वाऽद्य भारितस्तेन ।

गोदावरी-कच्छकुंजवासवता हससिंहेन ॥१०३॥

तत्र प्रभवति वाच्यस्त्वर्थो विधिरूपताशाली ।

किन्तु प्रतीयमानः प्रतिषेधो यः ततो भिन्नः ॥१०४॥

यस्मादति-भीतत्वान्नागमनं ते, मृतः श्वाऽसौ ।

गोदातटगत-कुंजे वसता सिंहेन दारितो यस्मात् ॥१०५॥

इन तीनों के अन्दर "वस्तु सर्वाधिक प्रसिद्ध है अतः उसे ही लेकर वाच्य और व्यंग्य के बीच होने वाले पारस्परिक-भेद को समझा जाय । १००। विधि और निषेध के बीच होने वाला पारस्परिक-भेद, किसके द्वारा किस हेतु से, कैसे हटाया जा सकता है ? क्योंकि भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ में होने वाली भिन्नता सुस्पष्ट है । १०१। ऐसी वस्तुस्थिति में किसी तदणी के द्वारा तदर्थं चेष्टाशील कोई युवक अब उस युवती के द्वारा देखे जाने पर इस प्रकार कहा जाता है कि ओ धार्मिक ! अब निमंय होकर इधर घूमा करो । क्योंकि निकटवर्ती गोदावरी नदी के तटपर स्थित झाड़ी में वसनेवाले दर्पिले सिंह के द्वारा वह कुत्ता मारा गया । ऐसे कथन स्थल में वाच्य अर्थ तो होता है विधि-रूप, किन्तु प्रतीयमान व्यञ्जना-वृत्ति के द्वारा लभ्य होने के कारण व्यंग्य अर्थ होता है वह निषेध, जो कि होता है वाच्यअर्थभूत विधि से अत्यन्त भिन्न । १०४। जिससे अत्यन्त भय पाने के कारण तुम वहाँ नहीं आया जाया करते थे वह कुत्ता मर गया । गोदावरी नदी के तट पर वसनेवाले सिंह द्वारा वह मारा गया । १०५। इसलिए भय रहित होकर तुम यहाँ भ्रमण किया करो,

भयरहितेनेदानीमत्र विषेयं त्वया भ्रमणम् ।

तस्मादिति वाच्योऽर्थो विधिरूपोऽत्र स्फुटीभवति ॥ १०६ ॥

किन्तु प्रतीयमानो नासावर्थस्त्वितोऽस्ति विपरीतः ।

प्रभवति निषेधरूपो मा भ्रमणं कुरु यतो भीतः ॥ १०७ ॥

कुक्कुरतो यो भीतो, न स्यात् सिंहात् कथं भीतः ।

एवं प्रतीयमानो वाच्यादर्थो विभेदवान् भवति । १०८ ॥

सति चानर्थोर्विभेदे प्रधान्यमपि द्वयोर्भिन्नम् ।

नह्येकस्मिन् काव्ये द्वयोरतः स्यात् प्रधानत्वम् ॥ १०९ ॥

किनाम प्रधान्यं जिज्ञासा चेदियं प्रकृते ।

सहृदय-हृदयाद्वादातिशयकरत्वं हि तज् ज्ञेयम् ॥ ११० ॥

यह वाच्य अर्थ उक्त "भ्रम धार्मिक" इत्यादि वाक्य के उक्त प्रयोगस्थल में स्पष्ट होता है । १०६ ।

किन्तु उक्त वाक्य से प्रतीयमान रूप में प्राप्त होने वाला अर्थ उक्त प्रकार वह भ्रमण-विधान नहीं होता है जो कि वाच्य अर्थ रूपमें प्राप्त होता है ।

परन्तु उसके स्थान में प्रतीयमानरूप में प्राप्त यह होता है कि तुम जिस-लिए बड़े डरपोक हो इसलिए अब तो यहाँ जाना भ्रमण करना । १०९ । जो कुत्ते से डरता है वह भला सिंह से कैसे नहीं डरेगा ?

इस प्रकार भ्रमण-निषेधात्मक प्रतीयमान अर्थात् व्यंग्य अर्थ वाच्य अर्थभूत "भ्रमणविधान से अत्यन्त भिन्न हुआ करता है । १०६ । इस

प्रकार वाच्य अर्थ और प्रतीयमान अर्थ के बीच विभिन्नता स्पष्ट हो जाने पर वाच्य अर्थ और प्रतीयमान अर्थ दोनों में एक ही प्रकार प्रधानता की

स्थिति नहीं मानी जा सकती । वक्तव्य यह है कि कहीं वाच्य अर्थ प्रधान होगा तो कहीं प्रतीयमान अर्थ । एक ही काव्य वाक्य-स्थल में वाच्य अर्थ

और व्यंग्य अर्थ दोनों प्रधान नहीं हो सकते । १०९ । प्रकृत में प्रधानता का निर्वचन क्या हो सकता है ? ऐसी जिज्ञासा हो तो ज्ञातव्य यह है कि

सहृदयों के हृदय में अधिक आह्लाद देने की क्षमता ही होगी प्रकृत प्रधानता । ११० । यही प्रधानता किसी काव्यस्थल में वाच्य अर्थ में

एतद्धि प्रधान्यं वाच्यार्थगतं क्वचित् काव्ये ।

क्वचिदपरत्र न तत् स्यात्, प्रतीयमान-प्रधानत्वात् ॥१११॥

यत्र प्रतीयमाने प्रधान्यं तत् ध्वनिः काव्यम् ।

“ध्वन्यतः अनेन” इति तद्व्युत्पत्त्या तस्य सिद्धत्वात् ॥११२॥

पदतस्तदेकदेशादपि वा यत्रास्ति तद् ध्वननम् ।

प्रोक्ताह्लादकतायाः तौल्यात्स्यान्नो कथं ध्वनिता ॥११३॥

वाच्य-प्रतीयमानावेवाथौ ध्वनिकृताः प्राक्तौ ।

० लक्ष्यं स्वर्थो नोक्तः, किमत्र बीजं परिज्ञेयम् ॥११४॥

इति चेदिह जिज्ञासा, बोध्यमितीदं तदुत्तरं साधु ।

० नो लक्ष्यार्थत्यागाभिप्रायो ध्वनिकृतामत्र ॥११५॥

होगी और किसी वाच्य स्थल में यह वाच्य अर्थगत न होगी क्योंकि वहाँ प्रतीयमान अर्थात् व्यंग्य अर्थगत होगी प्रधानता १११। जहाँ प्रतीयमान अर्थ में प्रधानता होती है वह काव्य ध्वनि कहलाता है । जिसके द्वारा अर्थ ध्वनित हो वह कहलाता है “ध्वनि” इस प्रकार “ध्वनि” शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार उक्तप्रकार काव्य ध्वनि कहलाता है १११। जहाँ पूरे काव्य वाक्य से सुन्दर व्यंग्य अर्थ ध्वनित न होकर काव्य वाक्य के एक देशभूत पद के द्वारा अथवा उसके अंश के एक देश द्वारा भी सुन्दर व्यंग्य अर्थ व्यक्त होता है वहाँ भी अह्लादकता की तुलना के आधार पर पूरे काव्य-वाक्य को क्यों न ध्वनित्व होगा ११३। यहाँ ध्वनिकार के द्वारा वाच्य और प्रतीयमान दो ही अर्थ शब्द के बतलाये गये हैं। मालूम नहीं तृतीय प्रकार अर्थ “लक्ष्य” क्यों न शब्द के अर्थ रूप में बतलाया गया ? इसका ज्ञातव्य रहस्य क्या है ? ११४। ऐसी जिज्ञासा हो तो उसका सही उत्तर यह ज्ञातव्य है कि लक्ष्य अर्थ के अस्वीकार में ध्वनिकार का अभिप्राय नहीं है । किन्तु अभिप्राय यह ज्ञातव्य है कि ऐसा काव्य तो होता है जहाँ लक्ष्य अर्थ बिलकुल न हो, किन्तु ऐसा कोई काव्य नहीं हो सकता जहाँ वाच्य और प्रतीयमान अर्थात् व्यंग्य अर्थ न हों ११५। इसी के प्रतिपादनार्थ वाच्य

प्रभवति परन्तु काव्यं यत्र न लक्ष्यो भवत्यर्थः ।
 वाच्यप्रतीयमानावर्थौ तत्रापि सम्भवतः ॥११६॥
 प्रतिपादयितुं त्वेवं ध्वनिकृद्भिर्ननु तथा प्रोक्तम् ।
 यद्वा पूर्णं काव्ये प्रतिपादकतामुपादाय ॥११७॥
 वाक्यं चेत्लक्षकतां धत्ते, पदतां व्रजस्मसौ त्वरितम् ।
 मृग्यं निदर्शनं चेत् तदार्थवादो गृहीतव्यः ॥११८॥
 विध्यैक-वाक्यता स्यात् विना पदत्वं न चार्थ-वादस्य ।
 तस्माद्वाक्यस्यार्थो न भवति लक्ष्यः कदाचिदपि ॥११९॥
 इदमेव हि वैशिष्ट्यं समुपादायात्र नो लक्ष्यम् ।
 विज्ञेयं प्रतिपादितमथ नोऽस्वीकृत्य लक्ष्यार्थम् ॥१२०॥
 काव्ये क्वचिन्निषेधे प्रभवति वाच्ये, प्रतीयमानोऽन्यः ।
 प्रभवति विधिस्वरूपः तस्मादपि नो द्वयोरैक्यम् ॥१२१॥

और प्रतीयमान दो ही अर्थों की चर्चा ध्वनिकार ने की है। अथवा पूर्ण काव्य-वाक्य को ही प्रतिपादक मानकर लक्ष्य अर्थ का उल्लेख नहीं किया है ॥११६॥

लक्षक-वाक्य वाक्य न रहकर पदभाव को तुरन्त प्राप्त कर जाता है। इसका दृष्टान्त अपेक्षित हो तो अर्थवाद-वाक्य को लिया जा सकता है ॥११८॥ अर्थवाद वाक्य यदि पदभाव को प्राप्त न करे तो विधिवाक्य के साथ उसकी एकवाक्यता ही न हो पाये ॥११९॥ इसी विशेषता को ध्यान में रखकर वाच्य और प्रतीयमान दो ही प्रकार के अर्थ बतलाये गये हैं। ऐसा नहीं की पदार्थ-रूप में भी लक्ष्य को न मानते हुए यह कहा है कि अर्थ दो प्रकार के हैं वाच्य और प्रतीयमान ॥१२०॥

किसी काव्य में वाच्य अर्थ के निषेध स्वरूप होने पर भी प्रतीयमान अर्थ उससे अन्य विधिस्वरूप होता हुआ पाया जाता है। इसलिए भी वाच्य अर्थ और व्यंग्य अर्थ दोनों को एक नहीं कहा जा सकता है ॥१२१॥

एतस्मादपि हेतो ध्वनेर्विमेदोऽन्यतो मान्यः ।

काव्यान्नन्वव्यङ्ग्यादपकृष्टव्यङ्ग्यतो वाऽपि ॥१२२॥

एतदुदाहरणतया प्रोक्तमिदं ध्वनिकृता पद्यम् ।

यद्वीक्ष्य ध्वनिकाव्यगमन्यत्वं सर्वथा स्पष्टम् ॥१२३॥

इवश्रूत्र निमज्जति अत्राहं दिवसकं प्रलोकय ।

मा पथिक रात्र्यन्धक शय्यायामावयो मांक्षोः ॥१२४॥

शय्यापतननिषेधो वाच्यस्त्वर्थोऽत्र सुस्पष्टः ।

शय्यायां शयनीयं मम निश्शंकं विधिर्ह्यसौ व्यङ्ग्यः ॥१२५॥

एतस्मादपि हेतो नो वाच्यव्यंग्योयोरैक्यम् ।

तत्तत्प्राधान्यकृतो मेदो ध्वन्यन्ययो र्मान्यः ॥१२६॥

इन उक्त हेतुओं से भी व्यंग्य अर्थ रहित एवं निकृष्ट व्यंग्य-युक्त काव्यों से उन ध्वनिकाव्यों को जहाँ उत्कृष्ट व्यंग्य अर्थ प्रतीत होते हैं अतिरिक्त उत्तम काव्य मानना चाहिये । १२२। उदाहरण के द्वारा इस वस्तुस्थितियों को समझाने के लिये ध्वनिकार ने यह काव्य उपस्थित किया है । जिसे देखते हुए ध्वनिकाव्य एक विशिष्ट काव्य है यह स्पष्ट हो उठता है । १२३। काव्य-वाक्य यह है कि "सास यहाँ सोती है और मैं यहाँ । ओ रतींघी-रोगयुक्त पथिक ! दिन में ही देख लो, कहीं ऐसा न हो कि हम दोनों की शय्या पर तुम लुढ़क पड़ो । १२४। इस काव्यवाक्य में शय्या पर लुढ़क पड़ने का निषेध वाच्य अर्थ है यह स्पष्ट है और मेरी शय्या पर निश्शंक भाव से तुम सोना" यह सोने का निमन्त्रणात्मक विधान है व्यंग्य अर्थ । १२५। इसलिये भी वाच्य अर्थ और व्यंग्य अर्थ की पारस्परिक अन्यता, और तदनुसार कहीं वाच्य अर्थ की प्रधानता तो कहीं व्यंग्य अर्थ को प्रधानता इसके आधार पर गुणीभूत-व्यंग्यकाव्यों तथा चित्रकाव्यों से ध्वनिकाव्य की अन्यता अवश्य मान्य है । १२६।

वाच्ये विधाः वनुभय-स्वरूपता मादधानोपि ।

भवति प्रतीयमानः काव्ये क्वचिदित्यपि प्रोक्तम् ॥१२७॥

ब्रज समैवैकस्याः भवन्तु निःश्वास-रोदितव्यानि ।

मा तवापि-तया विना दक्षिण्यहतस्य जनिषत ॥१२८॥

इदमेवोदाहरणं समुपन्यस्तं प्रबोधाय ।

ब्रजः तस्यामासक्त स्त्वमिति विधिर्वाच्यभूतोऽत्र ॥१२९॥

अवधारितं शठत्वं स्थित्येह कृतं तवेदानीम् ।

व्यंग्यं त्विति तर्जनमिह न विधिप्रतिषेधरूपं यत् ॥१३०॥

प्रतिषेधेऽपि च वाच्ये ह्यनुभयरूपः क्वचिद् व्यंग्यः ।

प्रभवति, सोदाहरणं ध्वनिकृद्भिरिति स्फुटं विहितम् ॥१३१॥

किसी काव्यस्थल में वाच्य अर्थ तो विधि स्वरूप होता है पस्तु प्रतीयमान अर्थ न तो विधि-स्वरूप होता है और न निषेध-स्वरूप । अतः वह प्रतीयमान अर्थ विधि और निषेध एतदनुभयात्मक होता है इसका भी उदाहरण ध्वनिकार ने दिया है ॥१२७॥ उदाहरण-आत्मक काव्य वाक्य यह है कि "जाओ, विरह के कारण हिचकते हुए रोने आदि के कष्ट, केवल मुझे ही हों उस (नायिका) के विना तेरे जैसे दक्षिण नायक को वे कष्ट न हों" ॥१२८॥ प्रतीयमान अर्थ कहीं विधि और निषेध दोनों से अतिरिक्त होता है इसका उदाहरण ध्वनिकार ने यही दिया है उसी तरह ध्वनि को समझने के लिये । इस उदाहरण वाक्यस्थल में वाच्य अर्थ यह है कि "उसमें ओ अत्यन्त आसक्त ! तू जाओ उसी के पास" इत्यादि ॥१२९॥ और व्यंग्य अर्थ है यह कि "तेरी शठता मुझे अच्छी तरह मालूम हो गई, अब यहाँ तेरा रहना व्यर्थ है इस प्रकार उस नायक का तर्जन" जो कि न तो विधा-नात्मक है और न निषेधात्मक ॥१३०॥ वाच्य अर्थ तो निषेधात्मक है किन्तु प्रतीयमान अर्थात् व्यंग्य अर्थ इसी काव्यस्थल में न तो प्रतिषेधात्मक और न विधेयात्मक, किन्तु तदनुभयात्मक, इसका भी स्पष्ट उदाहरण ध्वनिकार ने उपस्थित किया है ॥१३१॥ वह उदाहरण

प्रार्थये तावत्प्रसीद निवर्त्तस्व मुखशशिज्योत्स्नाविलसतमोनिवहे ।

अभिसारिकाणां विघ्नं करोष्यन्यासामपि हताशे ॥१३२॥

इह गमनप्रतिषेधो वाच्योर्थो ज्ञायते स्पष्टम् ।

दयितोपश्लोकनकं प्रतीयमानं द्वयो र्भिन्नम् ॥१३३॥

वाच्योर्थो यद्विषयः तदितरविषयो भवन् व्यंग्यः ।

कथमथ जह्याद् मेदं ततः, ततो नो द्वयोरैक्यम् ॥१३४॥

इत्यपि सोदाहरणं प्रोक्तं संक्षेपमाचरता ।

पद्यमुदाहरणत्वेनेद मुपन्यस्तमतिललितम् ॥१३५॥

कस्य वा न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियायाः सत्रणमधरम् ।

सअमर—पद्माग्रायिणि ! वारित्वामे ! सहस्वेदानीम् ॥१३६॥

वाक्य इस तरह का हो सकता है कि “मैं प्रार्थना करती हूँ । ओ अपने मुखचन्द्र के प्रकाश से अन्धकार को विलकुल हटा डालनेवाली ! मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी बात मान जाओ, अब भी लौट जाओ । ओ अपनी आशा पर स्वयं पानी फेरनेवाली ! अन्य अभिसारिकाओं के लिये भी तुम विघ्न उपस्थित कर रही हो ? ॥१३२॥

इस उदाहरण में गमन का निषेध वाच्य अर्थ है यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो रहा है और सम्बोध्य नायिका के मुखसौन्दर्यगत अतिशय, व्यंग्य-अर्थ रूप में प्रतीत हो रहा है, जोकि न तो विधानात्मक हैं और न निषेधात्मक, अतः दोनों से निन्न है ॥१३३॥ किसी काव्यस्थल में वाच्य अर्थ जिसको विषय बनाता हुआ प्रतीत होता है व्यंग्य अर्थ उससे अलग किसी ओर को ही विषय बनाता हुआ पाया जाता है । ऐसी परिस्थिति में वाच्य और व्यंग्य अर्थ पारस्परिक भिन्नता को कैसे छोड़ सकते ? अतः उक्त दोनों की एकसा सम्भव नहीं ॥१३४॥ संक्षिप्त रूप में इसका भी ललित उदाहरण ध्वनिकार ने उपस्थित किया है ॥१३५॥ उदाहरण वाक्य इस प्रकार ज्ञातव्य है कि “अपनी प्रिया के खण्डित होठ को देखकर भला किस पति को कष्ट नहीं हो सकता ? ओ वारम्बार मेरे निवारण करने पर भी अमरयुक्त फूल को

वाच्यार्थ-प्रतिपाद्य प्रभवति पत्नी पतिर्नैव ।

व्यंग्यस्य प्रतिपाद्यो दूत्याः, पतिरेव नो पत्नी ॥१३७॥

इत्येवं पद्येऽस्मिन् भेदो विषयस्य सुस्पष्टः ।

तस्मादपि नो व्यंग्यो वाच्यार्थान्तर्गतः भवेत् ॥१३८॥

दिङ्मात्रं दर्शितमिह यदुक्तमेतत् ध्वनेः कर्त्रा ।

हेतूनामन्येषामपि वेद्यः संग्रहस्तस्मात् ॥१३९॥

बोद्धृ-स्वरूप-संख्या-निमित्त-कार्य-प्रतीति-कालानाम् ।

आश्रय-विषयादीनां भेदाद्भिन्नोऽभिधेयतो व्यंग्यः ॥१४०॥

सूचने वाली ! अब तू फल भोग ।” यहाँ वाच्य रूप में प्रतिपाद्य अर्थात् सम्बोध्य नायिका ही होती है नायक नहीं, किन्तु व्यंग्य रूप में कहनेवाली दूतो के लिये प्रतिपाद्य अर्थात् सम्बोध्य नायक होता है नायिका नहीं, क्योंकि कहनेवाली व्यंजना से नायक को यह बतला रही है कि “तेरी अधरदंशन की धारणा गलत है । वह अधरदंशन मानवकर्तृक नहीं, भ्रमरकीट-कर्तृक है । अतः प्रतिपाद्य नायक होता है नायिका नहीं ॥१३७॥ इस प्रकार इस उदाहरणभूत काव्यस्थल में प्रतिपाद्य-भूत वाच्य और व्यंग्य अर्थ में होनेवाला भेद स्पष्ट जाना जाता है । इस-लिये व्यंग्य अर्थ को वाच्य अर्थों के ही अन्तर्गत नहीं माना जा सकता ॥१३८॥ प्रकृत में ध्वनिकार ने जितना कहा है उसी के अनुसार यहाँ दिग्दर्शन कराया गया है । अतः यहाँ उक्त हेतुओं को उपलक्षण समझते हुए प्रकृत के उपयोगी अन्य हेतु का भी संग्रह ज्ञातव्य है । सारांश यह कि (१) बोद्धा (२) स्वरूप (३) संख्या (४) निमित्त (५) कार्य (६) प्रतीति (७) काल (८) आश्रय (९) विषय आदि ऐसी वस्तुओं की कमी नहीं है जिनके भेद-प्रयुक्त व्यंग्य अर्थ को अभिधेय अर्थ से भिन्न समझा जाय ।

यहाँ बोद्धृभेद को उपलक्षण समझना चाहिये । अतः वक्तृभेद-प्रयुक्त भी वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ को आपस में भिन्न मानना आवश्यक है । जहाँ कोई प्रतिष्ठित सत्य बोलनेवाली स्त्री पड़ोसिन से कहती है कि “जरा मेरे घर की ओर भी ध्यान रखना, मैं मीठा पानी लाने दूर

व्यंग्यं वस्तु न केवलमस्ति विभिन्नं स्फुटाद्वाच्यात् ।

शब्दार्थालंकारावपि वाच्याद् भिन्नतावन्तौ ॥ १४१ ॥

जा रही हैं" तो वाच्यार्थ मात्र का बोध होकर रह जाता है, किन्तु यदि कोई दुश्चरित्र स्त्री कहती है तो "यह बहाना बना रही है पर-पुरुष के पास जा रही हैं" यह व्यंग्य अर्थ भी समझा जाता है । यह है वक्तृभेद का उदाहरण । (२) यदि कोई युवती सच्चे हृदय से सच्चे हृदयवाली अपने उपकार में रत सखी से यह कहती है कि "उस मेरे प्रिय को अनुकूल बताते हेतु तुम बहुत कष्ट सह रही हो । क्या कहना है, तुम मुझपर होनेवाले सद्भाव के अनुरूप ही कर रही हो" तो इस वाक्य के वाच्य-अर्थ का ही बोध होता है किन्तु जिसे उक्त वाक्य कहा जा रहा है वह यदि आचरण की बुरी होती है तो व्यंग्यार्थ बोध भी श्रोताओं को होता है । जिसे कहा जा रहा है उसने कहनेवाली को दर्शा दिया है । दूती के स्थान में स्वयं सम्भोग कर आई है, उसी का उलहना पा रही है" यह है बोधभेद का उदाहरण । स्वरूप भेद के उदाहरण उपस्थित किये जा चुके हैं । जहाँ वाच्यार्थ है विधि तो व्यंग्यार्थ है निषेध या उदासीन, अथवा जहाँ वाच्य है निषेध तो व्यंग्यार्थ है विधि या उदासीन । (३) संख्याभेद का उदाहरण इस प्रकार ज्ञातव्य है कि "सूर्य अस्ताचल चला गया है" इस वाक्य का वाच्य-अर्थ एक ही होता है, किन्तु श्रोताओं की विभिन्न हार्दिक परिस्थिति के अनुसार व्यंग्य अगणित होते हैं । जैसे चरवाहों के लिये यह कि "अब गाएँ घर ले चलो" । पथिकों के लिये, अब जोर से चलना चाहिये । अभिसारिकाओं के लिये, अब अमिसार हेतु प्रस्तुत हो जाना चाहिये, तपस्वी ब्राह्मणों के लिये, अब "सन्ध्या-वन्दन आदि का अनुष्ठान करना चाहिये इत्यादि रूप में व्यंग्य अर्थ असंख्य होते हैं । (४) वाच्य अर्थ का बोध जहाँ शक्ति-ज्ञान सहित वाक्य-श्रवण मात्र से होता है, व्यंग्य अर्थ-बोध के लिये तदतिरिक्त प्रतिभा-नेम-ल्यात्मक सहृदयता की भी आवश्यकता होती है । अतः निमित्त भेद है । (५) कार्याभेद इसलिये होता है कि कहीं वाच्य अर्थ की प्रतीति मात्र होती है और कहीं व्यंग्य अर्थ की प्रतीति के अतिरिक्त हृदय में

रस-भाव-तदाभासाद्या अपि वाच्यार्थ-सामर्थ्यात् ।

आक्षेपं भजमाना एव हि यस्मात् प्रकाशन्ते ॥१४२॥

अभिधान्यापारस्याविषयास्ते वाच्यतावन्तः ।

स्युः कथमथ ते, तस्माद् वाच्यार्थाद् भेदवन्तो हि ॥१४३॥

वाच्यत्वं व्यंग्यानां निजशब्दाऽऽवेदितत्वेन ।

नैव हि वक्तुं शक्यं काव्ये रसवाचकाभावात् ॥१४४॥

सत्यपि रसपदयोगे क्वचित् कदाचित्, प्रतीतिर्नो ।

रसभावादेः प्रभवति चामत्कृतिकी पदात्तस्मात् ॥१४५॥

चमत्कार भी होता है । (६) प्रतीति भेद के उदाहरण सभी ध्वनिकाव्य हैं । (७) वाच्य अर्थ का और व्यंग्य अर्थ का दोनों बोध एक ही समय नहीं होते हैं किन्तु उसके विपरीत, वाच्य अर्थ का बोध पहले और व्यंग्य अर्थ का बोध पीछे होता है अतः कालभेद होता है । (८) अभिधा केवल पदाश्रित होती है अतः वाच्य अर्थ पद मात्राश्रित होता है किन्तु व्यञ्जना पद, पदांश वर्ण, संघटना आदि में भी आश्रित होती है अतः व्यंग्य अर्थ पदमात्रात्मित होता नहीं, अतः आश्रयभेद होता है । विषयभेद का उदाहरण “स्य वा न भवति रोषो” इत्यादि काव्य द्वारा ध्वनिकार ने भी उपस्थित किया है तथा यहाँ भी पहले बतलाया जा चुका है ।

इस प्रकार वाच्यभूत वस्तु और व्यंग्यभूत वस्तुओं में ही केवल भेद नहीं है, ऐसे शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हैं जो वाच्य न होकर जगह-जगह पर व्यंग्य होते हैं ॥१४१॥ इसी प्रकार रस भाव रसाभास, भावाभास आदि भी यतः वाच्य अर्थ के सामर्थ्य से अव्यवहित रूप में ही प्रकाशित होते हैं ॥१४२॥ अतः वे अभिधा व्यापार के विषय न हो पाने के कारण वाच्य अर्थ कैसे हो सकते ? इसलिये वे नियमतः व्यंग्य ही हुआ करते हैं वाच्य कभी होते नहीं ॥१४३॥ यह इसलिये अनिवार्य है कि उन रस रसाभास भाव भावाभास को अपने वाचकभूत रस-शब्द या शृङ्गार वीर करुण आदि शब्दों से आवेदित न होने के कारण वाच्य तो कहा नहीं जा सकता । क्योंकि

मीनवती नयनाभ्यां चरणाभ्यामपि प्रफुल्ल-कमलवती ।

शैवालिनी च केशैः सुरसेयं सुन्दरी सरसी ॥१४६॥

इत्यादौ रस-शब्दो विशेष-युक्तान्, विभावादौ ।

प्रतिपादयन् चमत्कृतिमाधत्ते नान्यथैवाऽथ ॥१४७॥

सति रसशब्दे तस्मात् प्रभवेत् किं नो रसास्वादः ।

एवं प्रश्ने जाते प्रोत्तर मिदमत्र विज्ञेयम् ॥१४८॥

बोधं शाब्दं केवलमाजनयन् तादृशः शब्दः ।

अनुवादकतां धत्ते रसप्रतीति विभावादेः ॥१४९॥

अधिकतर सरस काव्यों में रस, शृङ्गार आदि शब्द रहते नहीं । १४४। किसी सरस काव्य-शरीर में “रस” पद का प्रयोग होने पर भी उस सरस काव्य से सहृदयों को होनेवाला चामत्कृतिक रसास्वाद उस सरस काव्य में आये हुए “रस” शृङ्गार आदि शब्द-प्रयुक्त होता नहीं । १४५।

“यह सुन्दरी सचमुच एक सुन्दर-रस-वाली सरसी है । क्योंकि यह नयनात्मक मीन को धारण किये हुए हैं तो चरणात्मक प्रफुल्ल कमल को भी धारण किये है । इतना ही नहीं केशात्मक शैवाल भी इसमें देखा जा रहा है” । १४६। इत्यादि काव्य वाक्यों के अन्दर आनेवाले रस आदि शब्द विशेषता - युक्त विभाव, अनुभाव और संचारीभाव तीनों को, या दो को, या एक को उपस्थित करके उनके माध्यम से ही चमत्कृति का आधान करते हैं, सहृदयों को रसास्वाद पहुँचाते हैं अन्यथा नहीं । १४७। यदि यह प्रश्न उपस्थित किया जाय कि उक्त प्रकार “रस”-पदयुक्त सरस-काव्यस्थलों में जब उसके अन्दर रस का वाचक “रस” शब्द रहता ही है तो क्यों नहीं वहाँ होनेवाले रसास्वाद को उसी “रस” पद के प्रयोग का फल माना जाय ! तो उसका उत्तर यह ज्ञातव्य है । १४८। उक्त प्रकार काव्य-घटक रस आदि शब्द जो कि वाच्य अर्थ के रूप में काव्यार्थ-बोध का सम्पादक होता है सहृदयों द्वारा आस्वाद्य रस अर्थ में, अनु-वादात्मक हो जाता है । १४९।

नोचेत् यद्धि विभावाद्यभावच्छ्रूयते पद्यम् ।

सत्यपि रसादि-शब्दे तत्र कुतो नो रसास्वादः ॥१५०॥

व्यतिरेकान्वययोगादेवं तस्मात् समास्थेयम् ।

रसभावादेः कथमपि नो वाच्यत्वं कदाचिदपि ॥१५१॥

तस्माद्रसादिरूपो व्यंग्योऽपि न वाच्यतां घत्ते ।

फलतः सर्वे व्यंग्या वाच्यविभिन्ना भवन्त्येव ॥१५२॥

व्यंग्याभ्यामन्याभ्यां रसभावादेरयं भेदः ।

व्यक्तेरक्रमतायाः, सहेव वाच्येन ननु बोधः ॥१५३॥

इव शब्द-प्रतिपादनतो ध्वनिकारेण बोधितं न चिरात् ।

नापि च सहेव भवतो वाच्यव्यंग्य-प्रबोधौ द्वौ ॥१५४॥

आस्वाद्य रस की आस्वादक प्रतीति तो सहृदयों को विभाव अनु-
भाव और सञ्चारी भाव से ही होती है । ऐसा न हो तो विभाव,
अनुभाव और सञ्चारी भावों से रहित “रस” पद-घटित पद्य से भी
रसास्वाद क्यों नहीं होता है ? वहाँ भी रसास्वाद होना चाहिये ।
बारम्बार “रस रस” कहने पर भी श्रोता को आस्वाद मिलता नहीं
यह अनुभव सिद्ध है ॥१५०॥

इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक को देखते हुए यह मानना आवश्यक
हो उठता है कि रस रसाभाव और भाव भावाभास कभी वाच्य होते
नहीं ॥१५१॥ इसलिये भाव आदि व्यंग्य भी वाच्य नहीं हो पाते ।
फलतः यही प्राप्त होता है कि व्यंग्य अपनी व्यंग्यता के समय वाच्य
नहीं हो सकते । वे वाच्य से भिन्न ही होते हैं । वस्तु और अलंका-
रात्मक व्यंग्यों से रसरसाभास आदि व्यंग्यों में व्यक्ति की अक्रमता-
प्रयुक्त यह अन्तर पाया जाता है कि मानो वाच्यार्थ के साथ ही
उनका बोध हो उठता है ॥१५३॥ ध्वनिकार ने “सहेव” यहाँ पर
‘इव’ शब्द का प्रयोग करके यह बतलाया है कि न तो बिलम्ब से रस
आदि का बोध होता है और न बिलकुल साथ ही वाच्य-अर्थ
और व्यंग्यभूत रस आदि के दो बोध होते हैं ॥१५४॥ इस प्रकार

एवं स्वतन्त्रसत्तां प्रतीयमानस्य संस्थाप्य ।

काव्यस्यात्मेत्यादिक-पञ्चमपद्येन सम्प्रोक्तम् ॥१५५॥

यत्काव्यजीवनत्वं व्यंग्यानामेव विज्ञेयम् ।

वाच्यचमत्कृतिमात्रं दधती कविता मृता ललिता ॥१५६॥

अत एव हि बाल्मीकेः क्रौञ्चघ्राक्रन्दोत्थितः शोकः ।

श्लोकोऽभ्युन्मेत्यादिः प्रोक्तमिदं ध्वनिकृताः स्पष्टम् ॥१५७॥

शोकः करुणस्थायी प्रतीयमानो हि नो वाच्यः ।

मेत्यादिक-बाल्मीकीये पद्ये नास्त्यऽत्र सन्देहः ॥१५८॥

श्लोकत्वमादिमुक्तेः समागतो हृद्गतः शोकः ।

इत्युक्त्याऽखिलजगतो रसपरिणामत्वमादिष्टम् ॥१५९॥

वस्तुपङ्कतिरूपौ प्रतीयमानौ रसद्वारा ।

घत्तां चामत्कृतिकत्वमुपाऽऽस्वाद्यो रसो यस्मात् ॥१६०॥

प्रतीयमानः अर्थ की स्वतन्त्र सत्ता का प्रतिपादन करके “काव्यस्यात्मा”-
इत्यादि प्रञ्चम पद्य के द्वारा इस भाँति कहा गया है कि काव्यों के
जीवन व्यंग्य ही अर्थ हुआ करते हैं, यह विशेष रूप से ज्ञातव्य है ।
वाच्य-अर्थ-मात्रगत चमत्कार को धारण करनेवाली कविता मसी
हुई सुन्दरी के समान होती है ॥१५६॥

इसीलिये ध्वनिकार ने यह स्पष्ट किया है कि महर्षि बाल्मीकि का
वह शोक जो कि विरहिणी क्रौञ्ची के आक्रन्दन से जग उठा था
“मानिषाद” इत्यादि श्लोक बन आया ॥१५७॥ “मानिषाद” इत्यादि
बाल्मीकीय काव्य-वाक्यस्थल में व्यक्त होनेवाला शोक जो कि करुण
रस का स्थायी भाव है प्रतीयमान ही हो सकता है वाच्य नहीं हो
सकता । ऐसी परिस्थिति में आश्चायमानता की दशा में यतः वही
करुण रस कहलाता है अतः करुण रस भी प्रतीयमान ही होगा वाच्य
नहीं ॥१५८॥ आदि कवि बाल्मीकि का शोक श्लोक बन गया ।
आचार्य आनन्दवर्धन के इस कथन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि
उन्होंने इस जगत् को रस का परिणाम मानने का आदेश दिया है ॥१५९॥

कविता स्वादु व्यंग्य-स्पन्दपरा कविगतां प्रतिभाम् ।

प्रथयति परभामस्मादपि वाच्यव्यंग्ययो र्भेदः ॥१६१॥

नैवास्यां प्रतिभायां विप्रतिपत्तिः समुपयुक्ता ।

नो चेत् कवयः सर्वे कुतोऽथ न स्यु र्महाकवयः ॥१६२॥

नीरस-वैयाकरणै र्णो नीरसताकिं कै र्वाऽपि ।

वेद्यो व्यंग्यः, सहृदय-काव्यार्थज्ञै र्हि विज्ञेयः ॥१६३॥

गान्धर्वलक्षणविदा मपि गीताभ्यास-विमुखानाम् ।

यद्वन्ननु स्वरादे र्हृदयाकर्षी न वै बोधः ॥१६४॥

व्यंग्यो यदि वान्व्यार्थो नो भवति प्रोक्तयुक्तिभ्यः ।

तस्यैव तर्हि मौख्यं मन्तव्यं काव्यसंसारे ॥१६५॥

वस्तु एवं अलंकार स्वरूप प्रतीयमान भी रस के द्वारा ही चमत्कारी होते हैं । क्योंकि आस्वाद्य रस ही होता है । कविता स्वादुतम व्यंग्य को स्पन्दित करती हुई कविगत श्रेष्ठ प्रतिभा को प्रकाशित करती है इसलिये भी वाच्य और व्यंग्य के बीच भिन्नता मान्य है । १६०। १६१

कविगत उक्त प्रकार प्रतिभा के सम्बन्ध में सन्देह करना उचित नहीं । नहीं तो सभी कवि महाकवि क्यों न हो जायें । १६२। नीरस वैयाकरण अथवा नीरस तार्किक आदिके द्वारा व्यंग्य अर्थ का बोध होता नहीं । किन्तु केवल काव्यार्थतत्त्वज्ञ सहृदय मात्र के द्वारा वह ज्ञात हो पाता है । १६३। यहाँ दृष्टान्त यह ज्ञातव्य है कि जो लोग गान्धर्व शास्त्र के अन्तर्गत स्वर-श्रुति, राग-रागिनी आदि के लक्षणों को तो कण्ठस्थ कर लेते हैं किन्तु गाने का अभ्यास करते नहीं उन्हें जिस प्रकार स्वर एवं राग-रागिनी आदि का सही परिचय प्राप्त होता नहीं उसी प्रकार नीरस वैयाकरण, नीरस तार्किक आदि को छमत्कारी व्यंग्य अर्थ का ज्ञान होता नहीं । १६ । किये गये युक्तियुक्त विचार के आधार पर जब यह स्थिर हो गया कि व्यंग्य अर्थ वाच्य नहीं होता तब काव्य संसार में उसी को मुख्य मानना उचित है । १६५।

काव्यगत सारे अर्थ व्यंग्य होते नहीं, कोई ही व्यंग्य होता है । उसकी

नार्थः सर्वो व्यंग्यः, कश्चन एव प्रविरलत्वात् ।
 तद्गञ्जकश्च शब्दः कश्चन, सर्वस्तु नैव भवति ॥१६६॥
 अनुसन्धेयौ तस्मात् तौ यत्नान्ननु महाकविभिः ।
 ताभ्यामेव हि यत्नादुपाश्रिताभ्यां महाकविता ॥१६७॥
 नो वाच्यवाचकाभ्यां चारुभ्यामपि गृहीताभ्याम् ।
 काव्यमहत्त्वम् तस्मान्न ततः कर्तुं महाकविता ॥१६८॥
 इत्युक्त्या ध्वनिकर्त्रा स्वमतमिदं ख्यापितं स्पष्टम् ।
 काव्यं तन्न महत् स्या दापि यत् सर्गादिबन्धयुतम् ॥१६९॥
 प्रभवेत् यदि बाहुल्यं व्यंग्यस्यार्थस्य पद्येषु ।
 तद्घटकेषु तदैव हि काव्यमहत्त्वं विनिर्धार्यम् ॥१७०॥
 महतः काव्यस्यैवं करणात्कर्त्ता महाकवि भवति ।
 नैवान्यथा, कविगणे द्वित्रास्तस्मान्महाकवयः ॥१७१॥

विरलता के कारण और व्यंग्य अर्थ का व्यञ्जक शब्द भी कोई विरल ही होता है सभी शब्द व्यञ्जक होते नहीं । १६६।
 इसलिये महाकवियों का यह कर्तव्य है कि वे व्यंग्य अर्थ और व्यञ्जक शब्द का यत्नपूर्वक अनुसन्धान करें । क्योंकि प्रयत्नपूर्वक उन दोनों को अपनाने से ही अपनानेवाले को महाकवित्व प्राप्त होता है । १६७। सुन्दर वाच्य और वाचकों के चयन करने एवं होने पर भी काव्य में महत्त्व होता नहीं, इसलिये केवल वाच्य और वाचक को लेकर रचे जानेवाले काव्य के कर्ता को महाकवित्व नहीं प्राप्त होता है । १६८। यह कहकर ध्वनिकार ने अपना यह मत स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि सर्गादिबन्ध-युक्त होने पर भी व्यंग्य-बाहुल्य-शून्य काव्य महत्त्वपूर्ण नहीं । १६९। यदि काव्य-ग्रन्थघटक पद्यों में व्यंग्य अर्थ का बाहुल्य हो तो उसी के आधार पर काव्य-ग्रन्थ का महत्त्व निर्धारणीय है । १७०। ऐसे महत्त्वपूर्ण काव्यों का कर्ता होने के कारण ही कोई महाकवि हो सकता है अन्यथा नहीं । इसलिये कविगणों के अन्दर दो तीन ही अर्थात् कुछ ही महाकवि हुए हैं । १७१।

यदि वाच्यात् व्यंग्योऽर्थो मान्यः प्राधान्यभाक्त्वेन ।
 तर्हि कुतो वाच्योऽर्थः प्रथममुपादीयते कविभिः ॥१७२॥
 सत्यामाशंकाया मस्यां तस्याः सदुत्तरं प्रोक्तम् ।
 आलोकार्थीत्यादिकपद्येन ध्वनिकृता व्यक्तम् ॥१७३॥
 इष्टमुपेयं प्राप्तुं प्रथमं तदुपाय - संग्रहणम् ।
 भजते नन्वौचित्यम्, तस्मान्नायुक्तिरस्यत्र ॥१७४॥
 वाच्यार्थद्वारेण हि शब्दः स्याद्व्यञ्जको यस्मात् ।
 तस्मात् प्रथमं वाच्यस्यार्थस्य स्यात् समादरो युक्तः ॥१७५॥
 द्वारमगत्वा कथमपि कोऽपि न गन्ता गृहस्थान्तः ।
 तद्वद् वाच्यमगत्वा न प्राप्तुं शक्यते व्यंग्यः ॥१७६॥
 विषयालोकनमिच्छन् दीपशिखादौ प्रयत्नवान् भवति ।
 तद्वदुपायत्वा तद्वाच्यार्थो प्यादर-स्थानम् ॥१७७॥

यदि प्रधान होने के कारण व्यंग्य अर्थ से वाच्य अर्थ अधिक महत्त्व-पूर्ण मान्य नहीं है तो कविगण के द्वारा पहले वाच्य ही अर्थ क्यों गृहीत होता है ? ॥१७२॥ इस शंका के उपस्थित होने पर इसका सुन्दर उत्तर ध्वनिकार के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है “आलोकार्थी यथा” इत्यादि पद्य के द्वारा ॥१७३॥ प्राप्य इष्ट की प्राप्ति के लिये पहले उसके उपाय का संग्रह किया जाना उचित समझा जाता है । इसलिये उपाय रूप में पहले किया जानेवाला वाच्यार्थ का कविकर्तृक आदर अयुक्त नहीं ठहराया जा सकता ॥१७४॥ कोई भी शब्द वाच्य अर्थ की उपस्थिति कराकर अनन्तर ही व्यंग्य अर्थ की उपस्थिति नियमतः कराता है, इस दृष्टिकोण से भी व्यंग्य अर्थ से पहले वाच्य अर्थ का आदर उचित कहा जा सकता है ॥१७५॥ द्वार पर गये बिना कोई भी व्यक्ति घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाता है उसी प्रकार वाच्य अर्थ को अपनाए बिना व्यंग्य अर्थ का व्यवस्थल में नहीं प्राप्त किया जा सकता है ॥१७६॥

बाह्य विषयों को देखने का इच्छुक व्यक्ति पहले दीप जलाने का

एतेनोद्देश्यत्वात् प्राधान्यं व्यंग्य एवार्थः ।

भजते, नो वाच्यार्थो लक्ष्यो नो वेत्यपि ध्वनितम् ॥१७८॥

प्रतिपादकस्य सुकवेः यत्नो यद्वद्भवेद् व्यंग्ये ।

प्रतिपाद्य-सहृदयैरपि तद्वत्तत्रैव यन्तिभिर्मान्यम् ॥१७९॥

प्रतिबिम्बाधानाय प्रभवति नो दर्पणे यत्नः ।

तद्वन्निर्मलहृदि किं नोऽयत्नं व्यंग्य-सम्बुद्धिः ॥१८०॥

प्रभवेदियमाशंका चेत् विज्ञेयं तदुत्तरन्त्वेतत् ।

यावन्नो निर्मलताऽत्यन्तं तादवत् प्रयत्न आस्थेयः ॥१८१॥

प्रतिपाद्योऽपि न तावत् वाच्यमनवगत्य पाश्चात्यम् ।

व्यंग्यं ज्ञातुं शक्तः तस्यापीष्टस्ततो वाच्यः ॥१८२॥

प्रयत्न करता है । उसी प्रकार व्यंग्य अर्थ की प्राप्ति का उपायभूत होने के कारण पहले वाच्य अर्थ आदरणीय हो सकता है । १७७। इससे ध्वनित यह हुआ कि वस्तुतः उद्देश्य अर्थात् प्रयोजनभूत होने के कारण प्रधान व्यंग्य ही होता है वाच्य अथवा लक्ष्य अर्थ नहीं । १७८। इसलिये प्रतिपादक सुकवि का प्रयत्न व्यंग्य अर्थ के लिये ही होना चाहिये । और प्रतिपादनीय सहृदय को भी व्यंग्य अर्थ की प्राप्ति के लिये ही मुख्यतया प्रयत्नशील होना चाहिये । १७९। अब यहाँ यदि यह प्रश्न उपस्थित हो कि जिस प्रकार प्रतिबिम्ब के ग्रहणार्थ दर्पण में कोई प्रयत्न नहीं होता हुआ पाया जाता है, बिना प्रयत्न ही दर्पण में निकटवर्ती का प्रतिबिम्ब षड़ जाता है, क्यों न उसी प्रकार प्रयत्न के बिना ही सहृदय के निर्मल हृदय में व्यंग्य अर्थ का बोध हो जायगा ऐसा माना जाय ? १८०। तो इस आशंका का उत्तर यह ज्ञातव्य है कि दर्पण और उसमें आधेय प्रतिबिम्ब स्थल के समान ही तबतक सहृदय को प्रयत्न करना ही चाहिये जबतक दर्पण के समान हृदय में शीघ्र व्यंग्य-बोधानुकूल निर्मलता न आ जाये । १८१।

उस प्रतिपादनीय व्यक्ति को भी पहले वाच्य अर्थ का बोध हुए बिना ही व्यंग्य अर्थ का पाश्चात्य बोध होना सम्भव नहीं, इसलिये प्रतिपादनीय सहृदय के लिये वाच्य का अभिप्रेत होना उचित है । १८२।

वाक्यार्थ-प्रतिपत्ति नैव पदार्थ-प्रतीति सवधूय ।
 तद्वद् वाच्यस्य गतिं विधूय नो व्यंग्य-विज्ञातिः ॥१८३॥
 एतावता प्रतीत्यो वाच्य-व्यंग्यार्थ-गोचरयोः ।
 क्रमिकत्वमस्ति नियतं नो कथमपि तद्विपर्यासः ॥१८४॥
 प्रभवति यन्मुखदर्शी यः खलु तस्यैव मुख्यत्वम् ।
 तदपेक्षयेति, मौख्यं वाच्येऽर्थे तर्हि तो व्यंग्ये ॥१८५॥
 प्रभवन्त्यां जिज्ञासाया मित्थं ध्वनिकृता प्रोक्तम् ।
 स्व-सामर्थ्येत्यादिक-पद्ययुगं तन्निवृत्त्यर्थम् ॥१८६॥
 योहि यदर्थः प्रभवति गौणोऽसौ तस्य मुख्यस्य ।
 इति गौणमुख्यभावे नियमो ज्ञेयो न चापरथा ॥१८७॥

वाक्यार्थ का बोध पहले पदार्थ की उपस्थिति के बिना कभी नहीं हो पाता है, उसके समान वाच्य अर्थ की प्रतीति के बिना व्यंग्य अर्थ का बोध नहीं होता है । १८३। इससे प्राप्त यह हुआ कि वाक्यार्थ और व्यंग्यार्थ के बोध के लिये पूर्वापरीभावात्मक क्रम बिलकुल निश्चित है कि वाक्यार्थ-बोध पहले और व्यंग्यार्थ-बोध तदनन्तर होता है । इस प्रकार निश्चित क्रम का विपर्यास अर्थात् अन्यथाभाव कभी हो नहीं सकता कि कहीं व्यंग्य अर्थ का बोध होकर वाच्य अर्थ का बोध हो पाये । १८४। जो अपने इष्ट को सिद्धि के लिये जिसकी अपेक्षा रखता है वह उसकी प्रधानता को स्वीकार करते हुए स्वयं अप्रधान बन जाता है यह लोक-सिद्ध है । तदनुसार तो फिर वाच्य अर्थ को मुख्य और व्यंग्य अर्थ को प्रमुख होना चाहिये ऐसी जिज्ञासा को ध्यान में रखकर उस जिज्ञासा के निवृत्त्यर्थ ध्वनिकार द्वारा "स्वसामर्थ्य" इत्यादि दो पद्य कहे गये हैं । १८५। जो जिसके लिये होता है वह उसे मुख्य बनाता हुआ अपने उस मुख्य के प्रति गौण होता है, गौण-मुख्यभाव भाव के सम्बन्ध में यही सर्वलोक-सिद्ध निर्णय है, इसके विपरीत नहीं । १८६। इसी नियम के आधार पर उपेय मुख्य और उसका उपाय उस मुख्य के प्रति

अतएवोपेयस्योपायान्मुख्यत्वं सवष्टृतं भवति ।

॥१८८॥ वाच्यावगमाद्व्यंग्यावगते व्यंग्योद्बोधोपेयस्थः ॥१८८॥

बोधौपयिकोपस्थिति-विषयो यद्यपि पदस्यार्थः ।

॥१८९॥ वाक्यार्थविगमे नहि विषयः किन्तु प्रधानतया ॥१८९॥

तद्वदुपायमतावथ विषयो वाच्यस्तदर्थ-विमुखानाम् ।

॥१९०॥ सहृदयान्मन्त्रलभते न स्थानम्, व्यंग्य एव परम् ॥१९०॥

सहृदयबुद्धावेवहि वैशिष्ट्यं तर्हि नो कस्मात् ।

मान्यम् ? काव्यगतासा ध्वनिता कस्मादुपास्थेया ॥१९१॥

प्रश्नस्यास्योत्तरमिदं भवगन्तव्यं बुधैः सद्भिः ।

॥१९२॥ आश्रित्य काव्यमेव हि भवति व्यंग्यो यतो ध्वनितः ॥१९२॥

गौण हो जाता है यह निर्णीत है । तदनुसार वाच्यार्थ-बोध से व्यंग्यार्थ-बोध होने के कारण व्यंग्य अर्थ उपेय का स्थान ले लेता है । अतः उपाय-भूत वाच्य-अर्थ क प्रमुख और व्यंग्य अर्थ का मुख्य होना उचित है । १८८। पदों के अर्थ व्याख्या-बोध के प्रति कारणीभूत पदार्थाप-स्थिति के विषय होते हैं, किन्तु उसके कारण अन्तिम रूप में वे प्रधानतया वाक्यार्थ-बोध के विषय होते नहीं । १८९। उसी प्रकार वाच्य अर्थ व्यंग्य अर्थ के बोध के प्रति हेतुभूत वाच्यार्थ-बोध के विषय तो होते हैं किन्तु व्यंग्यार्थ-बोध के विषय होते नहीं । क्योंकि वे वाच्यार्थ-बोध के प्रति अनादर रखने वाले सहृदयों के हृदय में वे स्थान पाते नहीं, किन्तु व्यंग्य अर्थ ही सहृदयों के हृदय में स्थान पाते हैं । १९०। तब प्रश्न यह उपस्थित किया जा सकता है कि फिर सहृदयों की बुद्धि में ही क्यों न कुछ ऐसी विशेषता मान ली जाय ? जिसके कारण सहृदयों के हृदय में चमत्कार सम्भव हो । काव्य में ध्वनित्व क्यों माना जाय ? १९१।

इस प्रश्न का उत्तर सच्चे विद्वानों को यह समझना चाहिए कि व्यंग्य अर्थ जिसलिए काव्याश्रित रूप में ही ध्वनित होता है अतः काव्य में ध्वनित्व मानना उचित है । १९२।

संक्षेपेण प्रोक्तो ध्वनिकारेणायमेवार्थः ।

यत्रावभासत इति, शेषः “सोऽर्थो”ऽत्र विज्ञेयः ॥१९३॥

फलतो व्यंग्यस्याश्रयतया महत्त्वं यतोऽस्ति काव्यस्य ।

तस्मादध्वनित्वरूपं तदवश्यं काव्यगं मान्यम् ॥१९४॥

एतावदग्रन्थान्तं मेदं व्यंग्यस्य निर्णयः ।

तन्मुख्यं ध्वनिरूपं काव्यमपि स्याद् ध्रुवं मान्यम् ॥१९५॥

इत्यभिधाय, ज्ञापक जिज्ञासाया मिदं प्रोक्तम् ।

अव्याप्त्यादिक-दोषाद्बहिर्हितं ध्वनिलक्षणं स्पष्टम् ॥१९६॥

यत्रार्थः शब्दोवा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो ।

व्यक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥१९७॥

संक्षेप में यही बात “यत्रावभासते” इसके द्वारा ध्वनि-कारने बत-
लायी है। यहाँ वाक्य में “सोऽर्थः” इतना शेष अर्थात् अधिक योज्य
समझना चाहिए। १९३। फलतः व्यंग्य अर्थ के आश्रय रूप में यतः
काव्य महत्त्व रखता है अतः उसमें ध्वनित्व अवश्य मान्य है १९४।
यहाँ तक व्यंग्य अर्थ की वाच्य अर्थ से भिन्नता का निर्णय करके जहाँ
व्यंग्य अर्थ वाच्यार्थ से मुख्य अर्थात् प्रधान हो वह काव्य ध्वनि काव्य
अवश्य मान्य है १९५। इसे विशकलित वाक्यों के द्वारा समझाकर
ध्वनि के ज्ञापक के सम्बन्ध में जिज्ञासा के कारण अव्याप्ति अतिव्याप्ति
और असम्भव दोषों से रहित ध्वनि-काव्य का स्पष्ट लक्षण बतलाया
है १९६।

ध्वनि काव्य का लक्षण बतलाते हुए ध्वनिकार ने यह कहा है कि
जिस काव्य-स्थल में शब्द अपने अर्थ को व्यंग्य अर्थ अपने को उपसर्जन
अर्थात् गौण बनाते हुए उसाचमत्कारों व्यंग्य अर्थ को व्यक्त करता है,
काव्य-तत्त्वज्ञ विद्वानों के मत में वह काव्य, “ध्वनि” कहा जाता है।
१९७। इस ध्वनि-लक्षण वाक्य में क्वचित् व्यंग्यगत शब्दशक्त्युत्थता
को ध्यान में रखकर “शब्द” कहा गया है अर्थात् शब्द अपने अर्थ को
गौण बनाये यह कहा गया है और व्यंग्यगत अर्थ-शक्त्युत्थता को
ध्यान में रखकर “अर्थ” कहा गया है अर्थात् वाच्यार्थ अपने

अभिलक्ष्य शब्दशक्त्युद्गतं ध्वनिं शब्द इत्युक्तम् ।
 अर्थगत-शक्त्यधीन ममिलक्ष्य त्वर्थ इत्युक्तम् ॥१९८॥
 नैतद्वेदन-महिमो भट्टो महिमेति साधु विज्ञातुम् ।
 शक्यत एव तदुक्तिं व्यक्तिविवेकस्थितां प्रपश्यद्भिः ॥१९९॥
 मुख्य-व्यंग्यार्थोपस्कारकता मावहन्नन्यः ।
 प्रभवेदर्थो यत्रतु तद्ध्वनिसंज्ञं भवेत्काव्यम् ॥२००॥
 यो यदुपस्कारकतां वहत्यसौ मुख्यतां धत्ते ।
 तदपेक्षयेति नियमः संसारे सर्वमान्योऽस्ति ॥२०१॥
 एतावतेदमुक्तं व्यंग्य-प्राधान्यभृत्काव्यम् ।
 ध्वनिकाव्यतया मान्यं, नान्यत् यद् वाच्यमुख्यं स्यात् ॥२०२॥
 तद्वत् तदपि न तत्स्यात् यत्स्याल्लक्ष्य-प्रधानं हि ।
 प्राधान्यंतु चमत्कृतिकारित्वं पूर्वमप्युक्तम् ॥२०३॥
 यत्रार्थः शब्दोवेत्यत्र प्रोक्तोहि 'वा' कारः ।
 न समुच्चयार्थवाची किन्तु ज्ञेयो विकल्पार्थः ॥२०४॥

को गौण वनाये यह कहा गया है १९८। इस रहस्य को ध्वनि-खण्डन-
 कारी महिम भट्ट ने समझा नहीं इस बात को व्यक्ति-विवेक-स्थित
 उनकी उक्तिओं को देखकर भलीभाँति समझा जा सकता है १९९।
 संक्षेप में आनन्दवर्धनोक्त ध्वनि-लक्षण का आशय यह है कि अप्रतीय-
 मान अर्थ जहाँ प्रतीयमान का उपस्कारक बन जाता है अर्थात् गौण
 होता है वह काव्य-ध्वनि नाम से पुकारा जाता है २००। जो जिससे
 उपस्कृत होता है वह उसके प्रति मुख्य होता है यह नियम सर्वमान्य
 है २०१। फलितार्थ रूप में ध्वनिकार ने यही कहा है कि व्यंग्य-प्रधान
 काव्य है ध्वनि, वाच्य-प्रधान काव्य ध्वनि नहीं २०२। इसी प्रकार
 लक्ष्य-प्रधान काव्य भी ध्वनि नहीं। चमत्कारी ही होता है प्रधान यह
 पहले भी कहा जा चुका है २०३।

"यत्रार्थः शब्दो वा" इत्यादि ध्वनिकारोक्त ध्वनि-लक्षण वाक्य में
 आया हुआ "वा" शब्द समुच्चयार्थक नहीं किन्तु विकल्पार्थक है २०४।

एतेन व्यञ्जकता यत्रैकस्यैव नान्यस्य ।

नो तत्राप्यव्याप्तिः, काव्ये ध्वनिरूपतापत्ते ॥२०५॥

फलतो "व्यक्तः" शब्दे ननु द्विवचनार्थभूतस्य ।

द्वित्वस्य व्यञ्जकतायामेवान्वितिरिति ज्ञेयम् ॥२०६॥

व्यञ्जकताद्वैविध्यः - प्रसूचनं केवलं हि फलम् ।

प्रकृत-द्विवचनयोरिह नो व्याप्तेः सूचनं च तयोः ॥२०७॥

लक्षणलक्ष्यत्वावच्छेदकयोः सामनैयत्यम् ।

प्रभवति लक्षण-संगति रव्याप्तिस्तद्विरहमूता ॥२०८॥

शुक्लत्वं गोलक्षण मव्याप्तम्, सामनैयत्यम् ।

यस्मान्न भवति गोत्व-श्वेततयो रेकदेशगयोः ॥२०९॥

इसलिए व्यञ्जकता जहां शब्द और अर्थ इन दोनों के बीच केवल एक को हो, ऐसे ध्वनि-काव्य में अव्याप्ति नहीं । फलतः ध्वनिकारोक्त ध्वनि-लक्षण-वाक्य के अन्दर आने वाले "व्यक्तः" वहाँ द्विवचन के अर्थ द्वित्व का-अन्वय शब्द और अर्थ-निष्ठ व्यञ्जकता में अभिप्रेत है न कि व्यञ्जक शब्द और अर्थ में ॥२०६॥ सारांश यह ज्ञातव्य है कि व्यञ्जकता में द्वित्वसामानाधिकरण्य का ही प्रतिपादन ध्वनिकार का अभिप्रेत है न कि "द्वित्वाभाववदवृत्तित्व - स्वरूप द्वित्व की व्याप्ति; व्यञ्जकता में ॥२०७॥ लक्षण और लक्ष्यतावच्छेदक का सम-नियत अर्थात् दोनों का अन्यून एवं अनधिक आधार वाला होना है लक्षण का लक्ष्य में समन्वय और उसका अभाव ही है "अव्याप्ति" ॥२०८॥

गाय का लक्षण यदि यह किया जाय कि शुक्ल रूप-युक्त प्राणी है गाय । तो यह गाय का लक्षण अव्याप्त अर्थात् अव्याप्ति-दोष-युक्त होगा, अतः गाय का यह लक्षण सही नहीं माना जायगा । अव्याप्ति वहाँ इस लिए होगी कि लक्ष्यतावच्छेदक गोत्व और शुक्ल-रूपात्मक लक्षण ये दोनों कुछ सफेद गायों में तो एकत्र रहते हैं परन्तु सम-नियत अर्थात् अन्यून और अनधिक स्थानों में रहने वाले होते नहीं । काली आदि

अतिशयिनीं ब्रव्यासि मान्याऽसम्भवादालप्या ।

तेनासम्भूते, नोऽतिव्यासि लक्ष्यताः सिद्ध्या ॥२१०॥

लक्षणं लक्ष्यतावच्छेदक-तद्विरहयोस्तु ।

सामानाधिकरणं भवत्यतिव्याप्ति - पदवाच्यम् ॥२११॥

शृंगित्वं गोत्वस्या त्यन्ताभावेन सहवृत्ति ।

गोत्वेनापि च तस्मात् दुष्टं प्रभवत्यतिव्याप्त्या ॥२१२॥

अत्राऽपिलक्ष्यतावच्छेदक-लक्षण-गतं नैव ।

प्रभवति समनियतत्वं तस्मादेकोहिलक्षणो दोषः ॥२१३॥

गायों में लक्ष्यतावच्छेदक गोत्व तो रहता है किन्तु शुक्ल रूप वहां रहता नहीं । लक्ष्य में रहने वाला ऐसा घर्म होता है लक्ष्यतावच्छेदक जिसके कारण लक्ष्य अलक्ष्यों से अन्य समझा जाता है । गोत्व घर्म के कारण ही गाय अलक्ष्य घोड़े आदि से भिन्न हैं । २०० । इस प्रकार अव्याप्ति ही यदि सार्वत्रिक होती है अर्थात् लक्ष्यतावच्छेदक और लक्षण दोनों यदि परस्पर विरुद्ध होते हैं, दोनों कहीं भी एक स्थान में नहीं रहते हैं, जहाँ जहाँ लक्ष्यतावच्छेदक रहता है नियमतः बनाये लक्षण का वहाँ अभाव रहता है, तो लक्षण में असम्भव दोष होता है यह परिस्थिति अव्याप्ति स्थल में होती नहीं । लक्षण के असमन्वय की दृष्टि से असम्भव भी सार्वत्रिक अव्याप्ति ही है । २१० । लक्ष्यतावच्छेदक और उसके अभाव दोनों का सामानाधिकरण्य कहलाता है अतिव्याप्ति । २११ । जैसे गाय का लक्षण यदि "शृङ्ग" किया जाय तो लक्षण में अतिव्याप्ति दोष होगा । क्योंकि शृङ्गित्व गोत्व और गोत्व का अभाव दोनों के साथ रहता है सींग गाय और भैंस दोनों को होते हैं । २१२ । अतिव्याप्ति स्थलों में भी लक्ष्यतावच्छेदक और लक्षण दोनों को समनियतत्व नहीं होता है क्योंकि समनियत होने की तो बात क्या ? एक स्थान पर वे दोनों रहते तक भी नहीं । इसलिए लक्ष्यतावच्छेदक का लक्षण में होने वाले असमनियतत्व को ही यदि केवल एकमात्र लक्षण-

लक्ष्याव्यापनतो यदि स एव विरहस्तदाऽव्याप्तिः ।

लक्ष्यातिव्यापनतो यदा तदाऽसावतिव्याप्तिः ॥२१४॥

यद्यद् ध्वनिकाव्यं तत्तदवश्यं हृदयमत्कारम् ।

व्यंग्येनैवातनुते तस्माद् व्यंग्य-प्रधानं तत् ॥२१५॥

एवं व्यंग्यप्राधान्य-ध्वनिकाव्यत्वयोः सुतराम् ।

लक्षण-लक्षात्वावच्छेदकयोः सामनैयत्यम् ॥२१६॥

इदमेव ध्वनिकाव्यं पण्डितराजेन सम्प्रोक्तम् ।

उत्तमतोऽप्युत्तममिति, काव्यचतुष्टयं प्रपश्यता विशदम् ॥२१७॥

उत्तमतोऽप्युत्तममपि तन्नोत्तमां जहाति यतः ।

तस्मादुत्तममध्यम-तदधममेदाद्धि तत् त्रिविधम् ॥२१८॥

दोष माना जाय तो उक्त (१) अव्याप्ति (२) अतिव्याप्ति और (३) असम्भव तीनों लक्षण-दोषों को उस एक मात्र “लक्ष्यताऽवच्छेदकाऽसमनियतत्व” अर्थात् लक्षण को लक्ष्यताऽवच्छेदक का असमनियत होना इस एक लक्षण-दोष में ही अन्तर्भुक्ति भलीभाँति कही जा सकती है ॥२१३॥

वही लक्षण में होने वाला “लक्ष्यतावच्छेदकाऽसमनियतत्व” यदि लक्षण का लक्ष्य के अव्यापन-प्रयुक्त होता है तो उसे कहा जाता है ‘अव्याप्ति’ और वही जब लक्ष्यातिव्यापन-प्रयुक्त होता है तो उसे कहा जाता है अतिव्याप्ति ॥२१४॥ प्रत्येक ध्वनिकाव्य सहृदयों के हृदय में चमत्कार को व्यंग्य के माध्यम से ही पैदा करते हैं इसलिए प्रत्येक ध्वनि-काव्य व्यंग्य-प्रधान होता है ॥२१५॥ इसलिए लक्ष्यतावच्छेदक ध्वनि काव्यत्व अर्थात् उत्तम-काव्यत्व और “लक्षण” ध्वनि-प्राधान्य, अन्यून और अनधिक स्थान में रह जाते हैं, लक्षण को लक्ष्यतावच्छेदक-सामनैयत्य प्राप्त हो जाता है ॥२१६॥ ध्वनि नाम से पुकारे जाने वाले उत्तम काव्य को काव्यगत चतुष्टय के पक्षपाती पण्डितराज जगन्नाथ ने स्पष्ट रूप से “उत्तमोत्तम नाम से पुकारा है ॥२१७॥ परन्तु उत्तम से भी उत्तम

नोचेदधमाधमता मपि संश्रित्याथ काव्यस्य ।

पञ्चविधत्वं कस्माच्चो मान्यं स्यात् ? निरुत्तरं त्वेतत् ॥२१९॥

भारविमाधमहाकविरचितेस्वेकाक्षरेषु पद्येषु ।

काव्यत्वाभावोक्तिः पण्डितराजस्य सर्वथा घाष्ट्यर्थम् ॥२२०॥

तत्सहृदयैरत्वं सत्यं तस्मादये किं स्यात् ।

तदकाव्यं, सत्येवं महाकवित्वं न तेषु ननु भूयात् ॥२२१॥

महिमा भट्टमहिम्नः कियान् विगेषः पुरस्सहृदाम् ।

अव्यञ्जनभोजित्वाद् ध्वनिकाव्यं तस्य नोऽभिमतम् ॥२२२॥

होने वाला यतः उत्तम होता ही है उत्तम से बाहर नहीं जा पाता, तब उसे उत्तम कहना ही अधिक संगत प्रतीत होता है। इसलिए काव्य (१) उत्तम (२) मध्यम और (३) अधम इन तीन प्रभेदों में ही विभक्त मान्य हैं। ॥२१८॥

अन्यथा यदि ध्वनि काव्य को और अधिक महत्व देने के लिए काव्य का एक उत्तमोत्तम नाम का चतुर्थ प्रभेद मानने का भी आग्रह किया जायगा तो उसी युक्ति से "अधमाधम" नाम का एक पांचवा भी काव्य का प्रभेद क्यों न मान्य हो ? इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया जा सकता। भारवि और माध जैसे महाकवि के "एकाक्षर" पद्यों को काव्यता नहीं, ऐसा मानने को पण्डितराज की घृष्टता ही कहा जायेगा ॥२०॥ यह बात सही है कि जैसे एकाक्षर आदि काव्य अधिक होते नहीं, उनको पसन्द करने वाले सहृदय अति अल्प होते हैं। विरल होते हैं किन्तु इसीके आधार पर उन एकाक्षर आदि काव्यों को "अकाव्य" नहीं कहा जा सकता। क्योंकि तब वे महाकवि महाकवि नहीं हो पायेंगे ॥२२१॥ महिमभट्ट की महिमा विशेष रूप से कितनी गायी जाय ? उपहासात्मक शैली में इस लिए यही कथन उचित होगा कि "अव्यञ्जन-भोजी" होने के कारण उन्हें ध्वनि से चिढ़ है। अतः वे उत्तम-काव्य मानते हुए भी "ध्वनि" नामक काव्य मानते नहीं ॥२२२॥

व्यंग्यानामनुमेयत्वमसौ पश्यन् विशालाक्षः ।

यत्प्रब्रवीति तच्चेत् श्रोतव्यं श्रूयतां स्पष्टम् ॥२२३॥

वाच्यस्तदनुमितो वा यत्रार्थोर्थान्तरं प्रकाशयति ।

सम्बन्धतः कुतश्चित् सा काव्यानुमिति रित्युक्ता ॥२२४॥

औचित्यं भजते नो कथनं मिदं युक्ति-शून्यत्वात् ।

नानुमितिः सम्बन्धाद् यतः कुतश्चित् कदापि यतः ॥२२५॥

प्रत्यक्षास्याप्यनुमितिता स्याद् वार्या कथं तेन ।

प्रभवति नो प्रत्यक्षे प्रत्यासत्ते रपेक्षा किम् ॥२२६॥

एवं यद्युच्येत ज्ञातात् सम्बन्धतोऽनुमितिः ।

प्रत्यासत्तिं ज्ञाता नो प्रत्यक्षे भवति हेतुः ॥२२७॥

एवमपि शाब्द-बोधेऽनुमितित्वं ननु समापन्नम् ।

यद् वाच्य-वाच्यकत्वं ज्ञातं सदपेक्षितं तत्र ॥२२८॥

ध्वनिवादी के व्यंग्य अर्थ को वे वैसा न मानकर "अनुमेय" मानते हैं अपनी विशाल बुद्धि के अनुसार । वे जो कहते हैं उसे स्पष्ट रूप में सुनना हो तो सुनें । २२३। वे कहते हैं कि वाच्य अर्थ या उसके द्वारा अनुमित कोई अर्थ किसी सम्बन्ध के कारण, जहाँ अर्थान्तर का प्रकाशन करता है वह "काव्यानुमिति" कहलाती है । २२४। युक्ति-शून्य होने के कारण ऐसा कथन उचित नहीं । क्योंकि अनुमिति कहीं जिस किसी भी सम्बन्ध के कारण होती नहीं । २२५।

यदि जिस किसी सम्बन्ध के कारण अनुमिति मानी जाय, तो प्रत्यक्ष भी अनुमिति हो पड़ेगा । इस आपत्ति का निवारण इसलिए सम्भव होगा नहीं कि प्रत्यक्ष को भी तो प्रत्यासत्ति की अपेक्षा होती ही है ? क्या प्रत्यासत्ति सम्बन्ध नहीं है ? २२६। यदि यह कहा जाय कि उक्त सम्बन्ध पद से ज्ञातोपयोगी सम्बन्ध विवक्षित है । प्रत्यक्ष-स्थानीय प्रत्यासत्ति, सम्बन्ध तो है किन्तु वह ज्ञात होकर प्रत्यक्ष को नहीं उत्पन्न करता । २२७। ऐसा मानने पर शाब्द-बोध में भी अनु-

इष्टापत्तिः कार्यं वैशेषिकवन्न तेन स्यात् ।

वाच्यस्तदनुमितोवेत्युक्त्या व्याघाततस्तस्य ॥२२९॥

किञ्चात्रेदं बोध्यम्, द्विविधं ह्यनुमानं उपयोगि ।

सामान्यतः प्रहृष्टं विशेषतो वाऽपि नाऽपरथा ॥२३०॥

सामान्यतो गृहीता यत्र व्याप्तिर्भवेत्तत्र ।

प्रथमम्, विशेषतश्चेद्द्वितीयमित्येव वक्तव्यम् ॥२३१॥

साथान्यतो गृहीता व्याप्तिः सामान्य-साधिका भवति ।

व्यंग्योर्थस्तु विशेषो न ततः सामान्यमनुमानम् ॥२३२॥

अभिनवऽवाक्याधिगमे तत्प्रतिपाद्यो विशेषस्तु ।

अगृहीतत्वात् प्रथमं प्रतियोगी नो भवेद् व्याप्तेः ॥२३३॥

मितित्व आपन्न हो सकेगा । क्योंकि वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध, ज्ञात होकर शाब्द-बोध में उपयोगो होता है । यह आपत्ति वैशेषिक-दार्शनिकों के लिये सहा है यह भी नहीं कहा जा सकता । क्योंकि “वाच्यस्तदनुमितो वा” इस अव्यवहित उक्ति के साथ विरोध आपन्न हो उठेगा । क्योंकि शाब्द-बोध को अनुमिति मान लेने पर अर्थ वाच्य होगा ही नहीं । अनुमित होने वाला अर्थ वाच्य कहलाता नहीं । और भी ध्यान देने योग्य बात यहाँ यह ज्ञातव्य है कि अनुमान दो ही प्रकार के होते हैं (१) सामान्यतोदृष्ट और (२) विशेषतोदृष्ट, और कोई नहीं ।

जिस अनुमान स्थल में व्याप्ति सामान्य रूप से गृहीत होती है, विशेष रूप से नहीं वह अनुमान होता है “प्रथम अर्थात् सामान्यतो-दृष्ट । और जहाँ व्याप्ति विशेषतः गृहीत होती है वहाँ का अनुमान होता है द्वितीय ॥२३१॥

सामान्य रूप से गृहीत व्याप्ति, सामान्य की ही साधिका होती है विशेष की नहीं, और ध्वनि-काव्य स्थल में व्यंग्य अर्थ नियमतः विशेष ही होता है सामान्य नहीं, अतः वहाँ सामान्यतोदृष्ट अनुमान को व्यंग्य अर्थ का ज्ञापक नहीं कहा जा सकता है ॥२३२॥ अभिनव-काव्य-वाक्यार्थः

तस्माद्विशेषतोऽपि स्यादनुमानं नहि व्यंग्ये ।
 अनुमेयत्वं तत्र स्यात् कथमाः तर्हि ननु मान्यम् ॥२३४॥
 सामान्यादनुमानात् विशेषबोधोऽपि जायते तत्र ।
 यत्रेतरबाधोऽपि प्रवर्तते तेन तत्सुगतिः ॥२३५॥
 यद्यपि कथनं युक्तं नो कथमपि भट्टपक्षीयम् ।
 अक्रममेव रसादे झटति यतो जायते बोधः ॥२३६॥
 इतरस्यापि च बाधः स्यादनुनेयो यदा तत्र ।
 झटिति प्रत्येयस्य प्रमितिः सम्भाविनी कथमाः ॥२३७॥
 तस्मादनुमेयत्वं व्यंग्यस्योवाच यन्महिमा ।
 मान्यं नो, ऽभिनवोऽयं व्यंग्यस्थापनकरः पन्थाः ॥२३८॥
 वाच्यार्थेष्वस्त्रिलेष्वथ गौणत्वं मुख्यता व्यंग्ये ।
 उपमानुप्रसादीन् तच्चारुत्वस्य कारकांस्तस्मात् ॥२३९॥

बोध स्थल में काव्यार्थ पहले सर्वथा अग्रहीत रहने के कारण व्याप्ति सम्बन्ध के प्रतियोगी रूप में व्याप्तिज्ञान का विषय नहीं हो सकता अतः द्वितीय अर्थात् विशेष-व्याप्ति-मूलक भी अनुमान वहाँ नहीं कहा जा सकता ॥२३३॥ इस प्रकार सामान्यतोद्घट और विशेषतोद्घट द्विविध अनुमान की गति ध्वनि-काव्य स्थल में सम्भव जब नहीं, तब व्यंग्य अर्थ को भला कैसे अनुमेय कहा जा सकता ? ॥२३४॥ यह बात सही है कि इतर-बाध-स्थल में सामान्य-ज्ञान से भी विशेषानुमिति होती है परन्तु ध्वनि-वाक्य-स्थल इतरबाध अनुभव सिद्ध नहीं ॥२३५॥

अतः इतरबाध का सहारा लेकर भी भट्ट के पक्ष से कुछ कहना सम्भव नहीं । व्यंग्य अर्थ का बोध अति शीघ्रता से अक्रम जैसा ही होता है ॥२३६॥ जब कि इतरबाध का भी अनुमान करना होगा तो व्यंग्य अर्थ की प्रतीति अति शीघ्रता से कैसे होगी ? ॥२३७॥ इसलिए महिम-भट्ट ने जो व्यंग्य अर्थ को अनुमेय कहा है, मान्य नहीं है । यहाँ यह व्यंग्य अर्थ और तत्प्रधान ध्वनि काव्य की सिद्धि के सम्बन्ध में एक नया मार्ग उपस्थित किया गया है ॥२३८॥ ध्वनिकाव्य-स्थल में सादे

समुपादाय न कथमपि, व्यवहारो ध्वनिमुससृक्तः ।

अहो भवितु मनेनेत्यादि-विवरणेन मुस्पष्टम् ॥ २४० ॥

चित्रादन्यत् सहृदय-हृदयाह्लादकतमं काव्यम् ।

नो लक्षणकृन्मात्र-प्रसिद्धमिति तद् ध्वनिप्रख्यम् ॥ २४१ ॥

शब्दार्थालंकारौ चित्रे काव्येऽपि सम्भवतः ।

तस्मान्नालंकारे ध्वनिसंज्ञाबीजता मान्या ॥ २४२ ॥

फलतः प्रसिद्धप्रस्थानातिक्रमिणो हि मार्गस्य ।

इत्यादिकं यदुक्तं ध्वनिप्रतीपैरपास्तं तत् ॥ २४३ ॥

यत्कामनीयकं नोऽतिवर्त्तमानस्य काव्यस्य ।

ध्वनिनाम्नोऽलंकाराद्यन्तर्भावोऽस्त्विति प्रोक्तम् ॥ २४४ ॥

वाच्य अर्थ गौण होते हैं और मुख्य व्यंग्य अर्थ होता है। उस मुख्य अर्थ की चाखता के सम्पादक उपमा अनुप्रास आदि को लेकर भी "ध्वनि" व्यवहार का सम्पादन नहीं किया जा सकता, इसका स्पष्टीकरण ध्वनिकार ने "अनेन" इत्यादि विवरण के द्वारा स्पष्ट भाव से किया है।

ऐसे काव्य अप्रसिद्ध नहीं हैं जो चित्र काव्य से अन्य होते हुए सहृदयों को अत्यन्त आह्लाद पहुंचानेवाले होते हैं। वे काव्य केवल काव्य-लक्षण-विघ्नायी अलङ्कारिक विद्वान के ही परिचित नहीं हैं, वे काव्य-ध्वनि कहलाते हैं यह बात बारम्बार कही जा चुकी है" ॥ २४१ ॥ शब्दालङ्कार और अर्थालंकार तो चित्र काव्य में भी हुआ करते हैं, अतः अलंकारों के कारण काव्य का नाम "ध्वनि" होता है, अलङ्कार ही काव्य-विशेष के ध्वनि-नामकरण का बीज है, यह बात नहीं कही जा सकती ॥ २४२ ॥ अतः "प्रसिद्ध प्रस्थान के अतिरिक्त ध्वनि का कोई मार्ग नहीं है" इत्यादि जो ध्वनि-विरोधियों के द्वारा कहा गया ॥ २४३ ॥ और यह जो कहा गया है कि कमनीयतात्मक सौन्दर्य को अतिक्रमण करनेवालों का ही नाम होता है ध्वनि, अतः ध्वनि काव्य का अन्तर्भाव आलङ्कारिक काव्यों में ही मान लेना उचित है, ॥ २४४ ॥ सो इसलिये

तद् वाच्य-वाचकत्वाश्रयिणि प्रस्थानमेवेऽर्थः ।

व्यंग्यव्यङ्गकभावश्रित-ध्वने रप्रवेक्षान्न ॥२४५॥

अङ्गांगिनोरभेदो नोकथमपि युज्यते यस्मात् ।

तद्वीति-गुणालंकृतयोश्चैव व्यंग्यस्वरूपा नो ॥२४६॥

ननु यत्रालंकारे वैशद्येन प्रतीयमानस्य ।

प्रतिपत्तिर्न प्रभवति सा, नामास्तां ध्वनोर्विषयः ॥२४७॥

किन्तु समासोक्त्याक्षेपादौ प्रभवत्स्फुट-व्यंग्ये ।

कथमथ नान्तर्भावो ध्वनि-काव्यस्येति वक्तव्यम् ॥२४८॥

नेयं शंका कार्या यस्मादुपसर्जनोक्त-स्वाथौ ।

ध्वनि कृद्भिः प्रतिपादित मित्येतरलक्षणे तस्य ॥२४९॥

उचित नहीं कि अधिकतर अलंकार और तत्प्रयुक्त आलंकारिक काव्य "वाच्य-वाचकभाव" सम्बन्ध पर ही आधारित होते हैं । किन्तु काव्य का ध्वनित्व नियमतः वैसा न होता हुआ "व्यंग्य-व्यङ्गक-भाव" पर ही आधारित होता है । अतः ध्वनि काव्य अलङ्कार-प्रधान काव्य में अन्तर्भुक्त हो सकता नहीं ॥२४५॥

अंग और अंगी इन दोनों की अभिन्नता यतः सम्भव एवं उचित नहीं इसलिए गुण और अलङ्कार व्यंग्य रस स्वरूप वहीं हो सकते । ॥२४६॥ अब यहाँ प्रश्न यह उपस्थित किया जा सकता है कि जिस अलङ्कार स्थल में व्यंग्य अर्थ की प्रतीति नहीं होती है उसे भले ही ध्वनि काव्य न माना जाय ॥२४७॥ किन्तु उन समासोक्ति अलङ्कार आक्षेप-लंकार आदि में, जहाँ कि व्यंग्य अर्थ की सत्ता स्फुट है, उक्त ध्वनिकाव्य का अन्तर्भाव क्यों न मान लिया जाय ? ॥२४८॥ इस प्रकार की भी शंका नहीं उपस्थित की जा सकती है । क्योंकि ध्वनिकार ने उक्त ध्वनिलक्षण में "उपसर्जनोक्त-स्वाथौ", इस कथन के द्वारा यह कहा है कि ध्वनि काव्य के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सहृदय को प्राप्ताहीने वाला आह्लादातिशय जहाँ वाचक शब्द या उसके वाच्य अर्थ की अभि-

अर्थो गुणोक्ततात्मा गुणोक्तार्थश्च शब्दो वा ।
 काव्ये यत्रार्थान्तरमभि व्यनक्ति ध्वनिस्तत् स्यात् ॥२५०॥
 इत्येव हि सरलोऽर्थो लक्षण-वाक्यस्य प्रोक्तस्य ।
 व्यंग्यस्यैव प्राधान्यं तस्माद् ध्वनिकाव्यगं मान्यम् ॥२५१॥
 न समासोक्ता वेतद्दर्शयितुं शक्य मेतद्धि ।
 सोदाहरण मुपोद्धेत्यादिकपद्येन सम्प्रोक्तम् ॥२५२॥
 अनुरागि लोलतारं तथा गृहीतं निशामुखं शशिना ।
 अपि गलितं तिमिरांशुक मलक्षितं रक्तया निशया ॥२५३॥
 अत्र हि सन्ध्यावर्णन-पद्ये वाच्यर्थतामेति ।
 घटना निशेन्दुबद्धा या नैव व्यंग्यतामेति ॥२५४॥

त्कारिता के अधीन नहीं होता है वही काव्य ध्वनि-काव्य कहलाने का
 अधिकारी होता है । २४९। सारांश यह कि जहाँ वाच्य अर्थ अपने को
 और शब्द अपने अर्थ को गौण बनाता हुआ व्यंग्य अर्थ को व्यक्त करता
 है वह काव्य कहलाता है ध्वनि । २५०।

यही ध्वनि काव्य का सरल लक्षण प्राप्त होने के कारण यह मन्तव्य
 है कि ध्वनिकाव्य में व्यंग्य को ही प्रधानता होती है । २५१। समासोक्ति
 अलंकार स्थल में यह परिस्थिति होती नहीं । यह परिस्थिति वहाँ दिख-
 लायी नहीं जा सकती इसे उपोदरागेण" इत्यादि समासोक्ति-अलंकार-
 युक्त काव्य को उपस्थित करके ध्वनिकार ने भलीभाँति स्पष्ट किया
 है । २५२। कहने का सरल अभिप्राय यह कि निशा के अनुरागी तथा
 विलोलतारक मुखमण्डल को चन्द्र ने इस प्रकार ग्रहण किया कि उसके
 द्वारा अपनी काली साड़ी का पूर्ण रूप से हो जानेवाला पतन भी सम्भ्रा
 जा पाया नहीं" इस समासोक्ति अलंकार युक्त सन्ध्यावर्णन-काव्य
 में निशा और चन्द्र की घटना वाच्य अर्थ होती है न कि व्यंग्य अर्थ ।
 और नायक नायिका की घटना व्यंग्य होती है सही किन्तु वह निशा-

दम्पत्योरथ घटना परस्परं रक्तयो रत्र ।

व्यंग्या वा वाक्यार्थोपोद्वलिनी तेन न ध्वनिता ॥२५५॥

व्यंग्य-विशेषाक्षेपिणि वाच्ये चारुत्वमुपदिष्टम् ।

आक्षेपालंकारे तस्मात्तत्राऽपि नो ध्वनिता ॥२५६॥

तव विरहे हरिणाक्षी निरीक्ष्य नवमालिकां दक्षिताम् ।

हन्त नितान्तमिदानीं आः किं हतजल्पितै रथवा ॥२५७॥

आक्षेपेत्रहि जरूपननिषेधरूपस्तु वाच्योऽर्थः ।

वक्ष्यगवैलक्षण्यं विधिशबलं व्यंग्यतामेति ॥२५८॥

अत्रापि वाच्यपुच्छे संलग्नो व्यंग्य एवार्थः ।

न व्यंग्यपुच्छलग्नो वाच्यार्थः, तेन न ध्वनिता ॥२५९॥

चन्द्र-घटना-स्वरूप आकर्षक वाच्य अर्थ का पोषक मात्र होने के कारण प्रधान नहीं हो पाती। अतः उक्त काव्य को ध्वनि नहीं माना जा सकता ॥२५५॥

आक्षेपालंकार-घटित काव्य-स्थल में जहाँ कि वाच्य अर्थ-विशेष का आक्षेप हुआ करता है वहाँ भी चारुता अर्थात् सुन्दरता वाच्य अर्थ में ही मानी जाती है। अतः आक्षेपालङ्कार-स्थल में भी काव्य में ध्वनित्व नहीं ॥२५६॥ जैसे “उस मृगनयनी को तेरे विरह में मसली हुई नव-मालिका देखकर, हाय ! अरे, अब और इससे अधिक कहने की आवश्यकता क्या ? ॥२५७॥ इस आक्षेपालंकार के उदाहरण-काव्य में कथन निषेध होता है वाच्य अर्थ। और कर्तव्यता की ओर अग्रसर करने वाला प्रतिपाद्य उस मृगनयनी की चिन्तनीय परिस्थिति है व्यंग्य ॥२५८॥ इसके अनुसार यहाँ व्यंग्य अर्थ वाच्यार्थ का पुच्छ-लग्न होता है न कि वाच्य अर्थ व्यंग्य अर्थ का पुच्छलग्न अर्थात् उसके प्रति गौण होता है जो कि ध्वनिकाव्य होने के लिए नितान्त आवश्यक है। इसलिए आक्षेप अलंकार-प्रधानतायुक्त काव्य को ध्वनि काव्य नहीं कहा जा सकता है। ॥२५९॥ इसमें नियामक क्या है ? इस जिज्ञासा के निवृत्त्यर्थ वृत्ति के द्वारा

किं नामात्र नियामक मिति जिज्ञासा-निवृत्त्यर्थम् ।

॥१॥ चारुत्वोत्कर्षस्य हि तत्त्वमिति प्रोक्तमिह वृत्त्या ॥२६०॥

अनुरागवतीत्यादिक-पद्यमुदाहृतितया न्यस्तम् ।

वाच्या सन्ध्याघटना यत्र चमत्कृतिकरी भाति ॥२६१॥

नायक नायिकयो र्या घटना व्यंग्यत्वमादधती ।

॥२॥ एति मनःपथमपि सा नो तादृश्यस्ति यादृशी वाच्या ॥२६२॥

भामहमतेः समासोक्तौ सत्यामपिततोऽत्र ननु भिन्ने ।

वामनमत आक्षेपालङ्कार स्तद्ध्युपादानम् ॥२६३॥

प्राधान्यस्य त्रिवक्षातोहि व्यापदेश इति तत्त्वम् ।

॥३॥ तस्यादत्र विवादः कस्यापि सचेतसो मन्ये ॥२६४॥

ध्वनिकार ने चारुत्वगत उत्कर्ष को ही नियामक ठहराया है ॥२६०॥

“अनुरागवती सन्ध्या” इत्यादि पद्य को ध्वनिकारने आक्षेपालंकार के उदाहरण रूप में उपस्थित किया है । क्योंकि अर्थ यह है कि “संध्या अनुरागवती है और दिन उसके निकट में रहता है, फिर भी दोनों को समास में होता नहीं । यहाँ सन्ध्या घटना वाच्य अर्थ है जो कि अधिक चमत्कारी है ॥२६१॥ व्यंग्य है नायिका और नायक की अमिलन-घटना, जो कि उस प्रकार मन में चमत्कारी है नहीं, जैसा कि उक्त वाच्यार्थभूत सन्ध्या-घटना ॥२६२॥ यहाँ भामह के मत में समासोक्ति अलंकार मान्य होने पर भी वामन के मत में आक्षेपालंकार ही है । क्योंकि तथापि समास नहीं हो रहा है” यह आक्षेप स्पष्ट है ॥२६३॥ दो अलंकारों के समप्राधान्य की सम्भावना-स्थल में व्यवहार, प्राधान्य की विवक्षा के आधार पर होता है, इसके सम्बन्ध में किसी भी सहृदय को विवाद नहीं, अतः विशेषतः जहाँ समासोक्ति है वहाँ मतान्तर से आक्षेप अलंकार भली भाँति कहा जा सकता है इसलिए ध्वनिकार ने “अनुरागवती सन्ध्या” इत्यादि काव्य को आक्षेप अलंकार के उदाहरण रूप में उपस्थित किया है ॥२६३॥ ॥२६४॥ इसीलिए दीप्तक प्रपञ्चुति आदि अलंकार-स्थल में उपमा

दोषकणाऽलंकृतिता किंवाऽपह्नुतिगता यत्र ।
 तत्र व्यञ्ज्ञाप्युपमा व्यपदेशं नैव तत्त्वभते ॥२६५॥
 उपमैका शैलषी सम्प्राप्ता चित्रभूमिका-मेदान् ।
 रञ्जयति काव्यरंगे नृत्यन्तोत्थत्र नो विमतिः ॥२६६॥
 अथ याऽनुक्तनिमित्ता भवति विशेषोक्त्यलंकृतिस्तत्र ।
 प्राकरणिकतावशतो व्यंग्यमति नो चमत्कृतेर्मौल्यम् ॥२६७॥
 आहूतोऽपि सहायै रेमीत्युक्ता विमुक्त-निद्रोऽपि ।
 गन्तुमना अपि पथिकः संकोचं नैव शिथिलयति ॥२६८॥
 इत्यत्रापि च तस्माद्व्यंग्यापेक्षाकृतं मौल्यम् ।
 प्रभवति व्याच्यार्थस्य हि नो व्यंग्यस्येति सुस्पष्टम् ॥२६९॥
 गम्यस्यापि च भंग्यन्तरेण भणिति भवति यत्र ।
 पर्यायोक्ते तत्र हि नान्तर्भावो ध्वनेः कस्मात् ॥२७०॥

अलंकार व्यक्त होने पर भी वहाँ उपमा अलंकार कहा नहीं जाता है । २६५।

उपमानटी विचित्र भाव से विभिन्न भूमिकाओं को धारण कर काव्य-रङ्ग-स्थल में नाचती हुई सहृदयों का मनोरंजन करती है । इसके सम्बन्ध में किसी को विमति नहीं है । २६६। जहाँ निमित्त की अनुक्ति मूलक विशेषोक्ति अलङ्कार होता है वहाँ प्रकारणिकतावश व्यंग्य-बुद्धि होती अवश्य है किन्तु चमत्कृति प्रयुक्त मुख्यता व्यंग्य अर्थ को होती नहीं । २६७। उदाहरण के द्वारा इसे यों समझा जा सकता है कि "पथिक, साथियों के द्वारा बुलाया जा रहा है, यह मैं आया यह कहता हुआ निद्रा त्याग भी कर चुका है : आना चाहता भी है परन्तु जाने के प्रति होनेवाले संकोच को शिथिल नहीं कर पा रहा है" । २६८। इस अनुक्तनिमित्त विशेषोक्ति अलंकारके उदाहरण-काव्य-स्थल में प्रेयसी के प्रति होने वाला व्यंग्य निमित्तात्मक रागातिशय वाच्य अर्थ से मुख्य होता नहीं, वाच्य अर्थ ही मुख्यता प्राप्त करता हुआ प्रतीत होता है, यह स्पष्ट

इष्यपि नो वक्तव्यं ध्वनिविषयाणां महात्मत्वात् ।

प्रभवति लघुनो यस्मा दन्तर्मुक्तिं महत्येव ॥२७१॥

महतः क्वापि न लघुनि प्रभवत्यन्तर्गतिः कदाचिदपि ।

तस्मात् पर्यायोक्तं ध्वनिगं प्रभवेत् ध्वनि न तद्वष्टकः ॥२७२॥

हरिचक्राघाताज्ञावशतो राहोर्विलासिनी जाता ।

चुम्बनमात्रैकफलाऽऽलिङ्गनवन्ध्याऽपि सन्निहिता ॥२७३॥

इत्यादौ न्तु यस्माद्वाहुशिरश्छेद-रूपे हि ।

न व्यंग्ये प्राधान्यं वाच्यार्थस्यैव निर्णीतम् ॥२७४॥

एतस्मादपि हेतोः पर्यायोक्ते समावेशः ।

कर्तुं मशक्यः प्रकृत-ध्वनेरिति ज्ञायतां स्पष्टम् ॥२७५॥

ह । जहाँ व्यंग्य अर्थ को भी अन्य भंगी से उक्ति होती है उस पर्यायोक्त-अलंकार में ध्वनि-काव्य को अन्तर्गत क्यों न माना जाय ? ॥२७०॥

यह भी नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि ध्वनि का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है । छोटे का ही अन्तर्भाव महान् में सम्भव होता है ॥२७१॥ इसके विपरीत छोटे में महान् का अन्तर्भाव कभी नहीं होता है । इस-लिए पर्यायोक्त-अलंकार-युक्त काव्य को तो ध्वनि काव्यों के अन्दर एक कहा जा सकता है किन्तु सारे ध्वनि काव्यों को पर्यायोक्त अलंकार-युक्त काव्य नहीं कहा जा सकता है । ॥२७२॥ “भगवान् विष्णु के सुव-र्ण चक्र के आघात की आज्ञा से राहु की पत्नी निकट होने पर भी आलिङ्गन में असमर्थ और चुम्बन मात्र में समर्थ हो गई” ॥२७३॥ इस पर्यायोक्त-अलंकार-युक्त काव्य स्थल में यतः शिरश्छेदात्मक व्यंग्य अर्थ में प्राधान्य नहीं माना गया है, किन्तु उक्त प्रकार वाच्य अर्थ में ही। ॥२७४॥ इसलिए भी पर्यायोक्त अलंकार में ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं कहा जा सकता, यह स्पष्ट रूप से ज्ञातव्य है ॥२७५॥

अभिप्राय यह कि भामहोक्त या तत्सदृश पर्यायोक्त अलंकार का

यदि भामहोक्त-पर्यायोक्तोदाहरणमाद्रियते ।
 प्रश्नो न सावकाशो भवत्ययं स्थापित स्तर्हि ॥२७६॥
 गृहवाह्योस्तदन्ना न वयं मुंक्ते न यदधीती ।
 पर्यायोक्तोदाहृति रेवं ननु भामह-प्रोक्ता ॥२७७॥
 शक्या मारयितुं नो वयं विषान्नादि-दानेन ।
 व्यंग्योऽर्थोयं मुख्यो नेतीति ध्वनिवहिर्गतिः स्पष्टा ॥२७८॥
 न व्यंग्य-प्राधान्यं यस्मान्ननु दृश्यते तत्र ।
 व्यंग्य-प्रधानकाव्यं ध्वनिसंज्ञमिति प्रथममुक्तम् ॥२७९॥
 प्रभवति दीपकसमपह्नुत्यो वाच्यं प्रधानं हि ।
 नो व्यंग्यं, तस्मान्नो ध्वनेस्तयोरपि समावेशः ॥२८०॥
 नन्वस्तु तर्हि संकरकुक्षीकरणं ध्वने, मैवम् ।
 छायाग्राहिणि तस्मिन् व्यंग्यं यस्मात् प्रधानं नो ॥२८१॥

उदाहरण लिया जाय तो उक्त प्रश्न का अवकाश ही नहीं रह जाता २७६ क्योंकि भामहने पर्यायोक्त का उदाहरण यह उपस्थित किया है कि “जिसे स्वाध्यायशूलजन खाते नहीं उसे हमलोग क्या घर क्या बाहर कहीं नहीं खाते” ॥२७७॥ यहाँ व्यंग्य अर्थ यह है कि मुझे कोई विषाक्त भोजन कराकर मार नहीं सकता । इसे चारुताप्रयुक्त-मुख्यता है नहीं, अतः इसका ध्वनिबाह्य होना स्पष्ट है ॥२७८॥ ध्वनि का प्राधान्य यहाँ देखा जाता नहीं और व्यंग्य-प्रधान काव्य हो ध्वनि होता है, यह बारम्बार पहले कहा जा चुका है । दीपक अलंकार और अपह्नुति अलंकार-युक्त काव्य-स्थलों में भी वाच्य अर्थ ही प्रधान होते हैं व्यंग्य नहीं इसलिए भी “ध्वनि काव्य का अन्तर्भाव उनमें सम्भव नहीं । दीपक और अपह्नुति अलंकार स्थल में मुख्यता वाच्य अर्थ में ही होती है व्यंग्यभूत उपमा अप्रधान ही होती है । यह बात पहले भी कही जा चुकी है, उसे स्मरण रखना चाहिए ॥२८०॥ अब प्रश्न यह उठया जा सकता है कि तब ध्वनि काव्य का अन्तर्भाव “संकर” अलंकार में मान

नीरक्षीरन्यायादलंकृतीनां परस्परं यत्र ।

मिलितत्वम्, प्राधान्यं कस्याप्येकस्य दुर्ग्रहं तत्र ॥२८२॥

न्यस्ता तथा नु वीक्षा मृग्याम्, मृग्यैव वा तत्र ।

व्यंग्योपमात्र वाच्यग-सुषमानेत्री प्रधानं नो ॥२८३॥

यत्रालंकारद्वयमास्ते सम्भावितं तत्र ।

प्राधान्यं सममेव हि वाच्यव्यंग्योभयो भिति ॥२८४॥

नयनानन्ददमेतद्विम्बमथेन्दो रसमभ्युदितम् ।

वदनोद्देश्यक-कथनेऽस्मिन् स्यु बहवो बालंकाराः ॥२८५॥

लिया जाय ? तो ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता कि "छायाग्राही" संकरालंकार-स्थल में व्यंग्य अर्थ यतः प्रधान होता नहीं, अतः उसके अन्दर दीपक - अलंकार स्थल के समान ध्वनित्व की सम्भावना ही नहीं रह जाती है, अतः ध्वनि का अन्तर्भाव उसमें नहीं कहा जा सकता । २८१। और जिस संकर स्थल में अनेक अलंकार नीरक्षीर-दृष्टान्त से आपस में अत्यधिक रूप से घुल-मिल जाते हैं, वहाँ किसी एक का प्राधान्य गृहीत हो पाता नहीं, जब कि ध्वनिकाव्य स्थल में व्यंग्य की प्रधानता निश्चित रूप से गृहीत होती है । २८२।

"क्या उस सुन्दरी ने मृगियों के पास अपना देखना रख छोड़ा है । या मृगियों ने ही अपना देखना उस सुन्दरी के पास ?" इस छायाग्राही संकर-स्थल में व्यंग्य उपमा वाच्य-अर्थ में सौन्दर्य का आधान करती है, अतः उसे प्रधान नहीं माना जा सकता । उसमें ध्वनिकाव्यता ही जा पाती नहीं अतः उस संकर में भी ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं कहा जा सकता । २८३। जिस संकर अलंकार स्थल में अनेक अलङ्कार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, वहाँ समान प्रधानता के कारण किसी एक में वास्तव का उत्कर्ष होता नहीं । "नयन को आनन्द देनेवाला यह चन्द्र-विम्ब उदित हो आया" किसी नायिका के सुन्दर मुख को लक्ष्य रख कर कहे गये इस काव्य-वाक्य में बहुत अलंकार होते दिखाई देते हैं । २८४। जैसे पर्यायोक्ति, अतिशयोक्ति रूपक और दीपक । परन्तु

पर्यायोक्तातिशयोक्तीरूपक-दीपकौ किन्तु ।

को वाच्यः को व्यंग्यः किमप्रधानं प्रधानं किम् ॥२८६॥

इति निर्णेतुमशक्यं यतस्ततो नो ध्वनेस्तत्र ।

अन्तर्भावः कथमपि वक्तुं शक्यः कदाचिदपि ॥२८७॥

व्यंग्यस्य प्रभवेदपि मौख्यं यदि कुत्रचित् तत्र ।

पर्यायोक्तन्यायात् ध्वने न हि स्यात् समावेशः ॥२८८॥

अर्थात् तादृक् संकर-काव्यं ध्वनिकुक्षिगं भवतु ।

किन्तु ध्वनिकाव्यं नो संकरकाव्ये गतं प्रभवेत् ॥२८९॥

सकरसंज्ञैव हि किं तद्ध्वनि-सम्भावनां निराकुरते ।

नो । यस्मान्मिश्रितयोः मुख्यामुख्यव्यवस्था नो ॥२९०॥

अप्रस्तुतप्रशंसायामपि नान्तर्गमो भविता ।

ध्वनिकाव्यस्येत्यपि विस्तारेणाथ प्रदर्शितं स्पष्टम् ॥२९१॥

उनमें कौन वाच्य है और कौन व्यंग्य ? कौन प्रधान है और कौन अप्रधान ? ॥२८६॥ यह निर्णय यतः किया नहीं जा सकता अतः वहाँ ध्वनित्व ही नहीं होने के कारण उसमें ध्वनि का अन्तर्भाव कभी नहीं कहा जा सकता ॥२८७॥

यदि किसी ऐसे विरल संकर-अलंकार-युक्त काव्य-स्थल में व्यंग्य का प्राधान्य निर्णीत भी हो तो पर्यायोक्ति अलंकार-स्थल के समान उसका भले ही ध्वनिकाव्य के अन्दर अन्तर्भाव मानना पड़े, परन्तु समग्र ध्वनिकाव्य का उस संकर अलंकार में अन्तर्भाव नहीं कहा जा सकता ।

॥२८८, २८९॥ क्या संकर अलंकार का "संकर" यह नामकरण ही उसके ध्वनित्व की सम्भावना का निराकरण नहीं करता है ? यतः समान-भाव से मिश्रितों के अन्दर गौण-मुख्यभाव की व्यवस्था नहीं हो सकती ॥२९०॥ ध्वनिकार के द्वारा विस्तार से यह भी बतलाया गया है कि अप्रस्तुत प्रशंसा-काव्यों के अन्दर भी ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं हो सकता ॥२९१॥ सामान्यविशेषभाव या निमित्तनैमित्तिकभाव के कारण

सामान्यविशेषभावात् नैमित्तिकनिमित्तभावाद्वा ।

वाच्याप्रस्तुतसंगः प्रस्तुतकेन प्रतीयमानेन ॥२९२॥

यत्र प्रभवति, नैकप्राधान्यं तत्र, तत् किन्तु ।

वाच्यप्रतीयमानोभयगं सममेव, नो तस्मात् ॥२९३॥

ध्वन्यन्तर्गति रत्रैवंविधतामावहन्त्यां स्यात् ।

व्यंग्यस्यैव हि यस्मात् ध्वनिकाव्येऽपेक्षितं मौख्यम् ॥२९४॥

पादाहतमुत्तिष्ठत् यन्मूर्द्धनि निजपदं घत्ते ।

मनुजाद्वरं रजस्तत् स्वस्थादेवापमानेऽपि ॥२९५॥

अपमानेऽपि स्वस्थः कश्चित् सामान्यतो वाच्यः ।

योऽप्रस्तुतो, विशेषो व्यंग्यस्तु प्रस्तुतो भवत्यत्र ॥२९६॥

चन्द्रोऽङ्गेऽध्यारोपितहरिणो मृगलाञ्छनो लोके ।

ननु दारितमृगयूथः सिंहः प्रोक्तो मृगाधिपतिः ॥२९७॥

प्रस्तुत प्रतीयमान का अप्रस्तुत-वाच्यार्थ-सम्बन्ध जहाँ अप्रस्तुत के साथ प्रशंसा में हुआ करता है उस अप्रस्तुत - प्रशंसायुक्त काव्य-स्थल में प्रधानता किसी एक को ही होती नहीं किन्तु वाच्य और व्यंग्य दोनों अर्थों में समान रूप से ही प्राधान्य होता है, अतः ऐसी परिस्थिति वाले अप्रस्तुत - प्रशंसा अलंकार में ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं हो सकता । क्योंकि ध्वनिकाव्य में व्यंग्य अर्थ में ही मुख्यता आवश्यक होती है । १२९२, १२९३, १२९४।” अपमान प्राप्त होने पर भी स्वस्थ रहनेवाले मनुष्य से श्रेष्ठ तो वह धूल होती है, जो पांव से आहत होते ही आघात देनेवाले के सर पर जा बैठती है” १२९५। यहाँ अपमान होने पर भी स्वस्थ रहनेवाला कोई सामान्य रूप से वाच्य अर्थ होता है अतः यह अप्रस्तुत हो जाता है और विशेष रूप में विवक्षित व्यक्ति व्यंग्य होता है जो कि प्रस्तुत होता है । १२९६। “वह चन्द्र जो कि हरिण को अपनी गोद में बैठाता है मृगलाञ्छन कहलाता है और मृगयूथ को नष्ट करनेवाला सिंह कहलाता है मृगपति” १२९७।

केसरिमृगाधिपत्यात् वाच्यविशेषात्तु गम्यत्वम् ।
 सामान्यस्य प्रभुगत-प्रक्रौर्यस्यात्र बोद्धव्यम् ॥२९८॥
 कोमलतांऽग्रे या तव सरोजमाला ततः परुषा ।
 पल्लव-मृदालयोः का कथा तदानौ तदग्रे स्यात् ॥२९९॥
 वाच्यात्सरोजमाला-पारुष्यात् नायिकांगानाम् ।
 मार्दवविशेषकारण मथ गम्यं ननु भवत्यत्र ॥३००॥
 विनिवारितेऽपि वचनैः रोषान्मयि गन्तुमुद्यते दूरम् ।
 बाला रुरोध मार्गं विद्वालशिञ्जुनेऽङ्गितज्ञेन ॥३०१॥
 मार्गाविरोधवाच्यात् कारणतोऽत्र प्रवासविनिवृत्तेः ।
 कार्यस्य व्यंग्यत्वं प्रभवति विहिते विवेचने नूनम् ॥३०२॥
 सममेव प्राधान्यं वाच्यव्यंग्योभयोरेषु ।
 अप्रस्तुत-प्रशंसोदाहरणेषु व्यवस्थितं स्पष्टम् ॥३०३॥

यहाँ वाच्य अर्थभूत सिंहमत मृगपतित्व-स्वरूप विशेष से प्रभुगत क्रौर्य-स्वरूप सामान्य गम्य अर्थात् प्रतीयमान होता है । २९८। तेरे अङ्गों में विद्यमान कोमलता को देखते हुए कमल-माला भी तेरे अंगों से कठोर प्रतीत होती है । ऐसी परिस्थिति में तेरे अंगों के आगे नव-पल्लव और कमल-नाल की कथा व्यर्थ है उसकी बात क्या है । २९९। यहाँ वाच्य-अर्थभूत कमल-मालागत पारुष्य से नायिका के अंग में विद्यमान विशेषभूत मार्दवात्मक कारण गम्य अर्थात् व्यंग्य होता है । ३००। पहले मेरी प्रिया ने मुझे अनुनय-विनयपूर्ण अपने वाक्यों द्वारा जाने से बहुत रोका, फिर भी क्रोध-प्रयुक्त जब दूर देश चले जाने को मैं उद्यत हो उठा, तो उसने इंगितज्ञ बिल्ली के बच्चों को मार्ग पर रखकर मुझे रोक डाला । ३०१। यहाँ विवेचन करने पर वाच्यार्थ-भूत मार्गाविरोधात्मक कारण से विदेश-स्थिति-निवृत्ति-स्वरूप कार्य में व्यंग्यत्व प्राप्त होता है । ३०२। अप्रस्तुत-प्रशंसा अलङ्कार के इन उदाहरण-स्थलों में वाच्य और व्यंग्यों का प्राधान्य स्पष्टतया समान रूप से ही व्यवस्थित है । ३०३।

अप्रस्तुत-प्रस्तुतयोः कथमथ तुर्यं प्रधानत्वम् ।

इत्याशंकां ध्वनिकृत् “यदे”ति वृत्त्या निराकरो ॥३०४॥

यदि प्रस्तुतत्ववशतो व्यंग्यविशेषस्य वाच्यसामान्यात् ।

अप्रस्तुतात् मतिः स्यात् प्राधान्येनेति वक्तव्यम् ॥३०५॥

ज्ञेयं तदेदमत्र प्राधान्यमति भवेदेव ।

सामान्येऽपि, यतस्तत् विशेषकूटात्मन नान्यत् ॥३०६॥

सत्यपि यथाकथञ्चित् तयोर्विभेदेऽविनाभावात् ।

प्रतिपत्तिर्हि समाना मान्या प्राधान्ययुक्ततया ॥३०७॥

अप्रस्तुत और प्रस्तुतों में समान रूप से प्रधानता कैसे हो सकती है ? इस आशंका का निराकरण ध्वनिकार ने “यदे” इत्यादि वृत्ति वाक्य द्वारा किया है ॥३०४॥ अभिप्राय यह है कि यदि व्यंग्यभूत विशेष में प्रस्तुतत्व के आधार पर अप्रस्तुत - वाच्यभूत सामान्य से प्रधानता होगी ऐसा कहा जाय तो सामान्य में भी प्रधानता माननी ही होगी । क्योंकि सामान्य विशेष-कूट ही होता है अन्य नहीं । अतः विशेष में प्रधानता होगी तो वह प्रधानता सामान्य में भी होगी ॥३०५-३०६॥ यदि यह कहा जाय कि सामान्य और विशेष को अभिन्न नहीं माना जा सकता क्योंकि तब दोनों के बीच मान्य सामान्य-विशेष-भाव ही खण्डित हो उठेगा । इसलिये विशेष को सामान्याश्रित ही मानना उचित होगा, ऐसी मान्यता में प्रस्तुत विशेष में होनेवाली प्रधानता इसलिये सामान्य में भी मान्य होगी कि प्रधान रूप से स्वीकृत होनेवाला विशेष भी सामान्य के ही अन्दर अन्तर्भुक्त रहेगा । वह सामान्य से बाहर तो होगा नहीं । सारांश यह कि सामान्य और विशेष के बीच भेद मान्य होने पर भी अविनाभाव-सम्बन्ध दोनों के साथ दोनों का समान होने के कारण दोनों को समान-प्रधानतायुक्त मानना होगा । विशेष के आधार में सामान्य के अभाव की सत्ता कभी होती नहीं । अतः सामान्य को व्यापक और विशेष को व्याप्य

भवति विशेषाधारे सामान्याभाव-सत्ता नो ।

अविनाभावो मान्यः सामान्य-विशेषयोस्ततो मध्ये ॥३०८॥

एवं विवेचने सति वाच्यव्यंग्योभयोर्मौल्यात् ।

अप्रस्तुत-प्रशंसा न निगीर्णध्वनितया मान्या ॥३०९॥

यत्रापि कार्यकारणभावो व्यंग्यस्य वाच्येन ।

अप्रतिषिद्धा गतिरथ तत्रापीयं प्रविज्ञेया ॥३१०॥

अविनाभावः किंवाऽअभेदो व्यंग्यस्य वाच्यार्थात् ।

स्यादेवेति हि मौल्यं वाच्यव्यंग्योभयस्थं स्यात् ॥३११॥

यदि सामान्यनिमित्ता प्रकृताऽप्रकृतोभयोः सा स्यात् ।

अविवक्षितमुख्यत्वे वाच्ये तस्याः ध्वनौ पातः ॥३१२॥

इवा मृगपत्यासनगः चेदपि किं कर्तुमीष्टेऽसौ ।

मत्तेभकुम्भपाटन-लम्पट-हरिणाधिपस्य नादं तम् ॥३१३॥

मानना होगा । अतः दोनों के बीच अविनाभाव सम्बन्ध अवश्य मान्य होगा । ३०७, ३०८ ।

इस प्रकार विवेचन प्रस्तुत होने पर वाच्य और व्यंग्य दोनों में उक्त प्रकार से समान रूप से मुख्यता की प्राप्ति के कारण अप्रस्तुत-प्रशंसा को निगीर्ण-ध्वनि अर्थात् अपने में "ध्वनि" को अन्तर्मुक्त करनेवाली नहीं माना जा सकता । ३०९ । जहाँ व्यंग्य अर्थ और वाच्य अर्थ के बीच कार्यकारण-भाव सम्बन्ध विवक्षित होगा वहाँ भी यही मार्ग सम्भवा जा सकेगा । ३१० । अप्रस्तुत-प्रशंसास्थल में वाच्य और व्यंग्य के बीच अविनाभाव सम्बन्ध हो या अभेद, दोनों पक्षों में मुख्यता दोनों में होगी केवल व्यंग्य में नहीं । ३११ । यदि वह अप्रस्तुत - प्रशंसा प्रस्तुत और अप्रस्तुत के बीच सामान्य-निमित्तक होगी और वाच्य अर्थ में मुख्यत्व की विवक्षा नहीं होगी, तो उस अप्रस्तुत-प्रशंसा का भी ध्वनि में अन्तर्भाव होगा, न कि उस अप्रस्तुत-प्रशंसा में सारे ध्वनियों का अन्तर्भाव सम्भव होगा । ३१२ । "कुत्ता शेर के आसन पर बैठा भले ही दिया जाय,

अत्राप्रस्तुत-वाच्य-श्वनिन्दया वेशभूषाद्यैः ।

अभिनेतु विद्वत्त्वं निन्दा मूर्खस्य ननु गम्या ॥३१४॥

उभयोः सम्बन्धस्त्विह सारूप्यं तत्र यदि वाच्यम् ।

भूयादप्रस्तुतितोऽप्रधानमथ चेत् प्रधानं तत् ॥३१५॥

व्यंग्यम्, तर्हि ध्वन्यन्तर्गतितरस्याः ध्वनेर्नोऽस्याम् ।

लघुनो महदन्तर्गतिरेव न महतो लघौ यस्मात् ॥३१६॥

प्रस्तुतताया वाच्यव्यंग्योभय-गामिता यत्र ।

तत्राप्येवं बोध्यम् वाच्यप्रस्तुतिरसिद्धा नो ॥३१७॥

चम्पक ! कुतो विषीदस्यनाहतः चञ्चरीकेण ।

केशास्सन्तु कुशेशयदृशां कुशलिनो घना रम्याः ॥३१८॥

फिर भी क्या वह मदमत्त गजराज के मस्तक-विदारण के रसिक शेर के उस विलक्षण गर्जन को कर पायेगा । ३१३।

यहाँ अप्रस्तुत वाच्यभूत कुत्ते की निन्दा से केवल वेश-भूषा आदि द्वारा विद्वत्ता का अभिनय करनेवाले मूर्ख की निन्दा, गम्य अर्थात् व्यंग्य होती है । ३१४। ऐसी परिस्थिति में उक्त प्रकार कुत्ता और उक्त प्रकार मूर्ख दोनों में विद्यमान सारूप्य-सम्बन्ध जो कि वहाँ वाच्य अर्थ है, वह यदि उक्त निन्दात्मक व्यंग्य की अपेक्षा से अप्रधान प्रतीत होगा तो उक्त काव्य ध्वनि काव्य होगा सही किन्तु उस अप्रस्तुत-प्रशंसा से सारे ध्वनियों का अन्तर्भाव नहीं कहा जा सकेगा । क्योंकि महान् में लघु का अन्तर्भाव हो सकता है लघु में महान् का नहीं । ३१५, ३१६। जिस अप्रस्तुत-प्रशंसा-स्थल में वाच्य और व्यंग्य दोनों ही प्रस्तुत होंगे वहाँ भी यही परिस्थिति ज्ञातव्य है । वाच्य की प्रस्तुति सर्वथा असिद्ध नहीं है । ३१७। “ओ चम्पक पुष्प ! भ्रमर द्वारा प्राप्त अनादर से तुम दुखी क्यों हो ? कमल-नयिनियों के वे घनीभूत अति सुन्दर केश स्वस्थ रहें ॥” ३१८।

चम्पकगुणिनोर्वाच्य-प्रतीयमानत्वमावहतोः ।

उभयोरस्तिप्रस्तुतिरत्रेत्यत्रास्ति नो विमतिः ॥३१९॥

सत्कार्यवादपक्षे कारणकार्योभयामेदात् ।

कार्यप्राधान्ये सति तत्त्वं हेतो रपि स्पष्टम् ॥३२०॥

तस्मात् कारणकार्योभयगतमेव प्रधानत्वम् ।

सत्येवं ध्वनिता नो प्रकृताप्रस्तुतप्रशंसायाः ॥३२१॥

समुपादानोपादेयामेदो युक्तिसिद्धोऽस्तु ।

नैमित्तिकेप्यमेदो भवेन्निमित्तान्न युक्तिसंसिद्धः ॥३२२॥

समुपस्थाप्यः प्रश्नो नायं सत्कार्यसिद्धान्ते ।

नो मान्यत्वं घत्तः निमित्त-नैमित्तिकत्वे हि ॥३२३॥

अन्वयतद्व्यतिरेकावुपलभ्येते कृतोऽथ तयोः ।

प्रतिबन्धक-विघटनमथ कृत्यं यस्यान्निमित्तस्य ॥३२४॥

यहाँ सम्बोध्य रूप में वाच्य होनेवाले चम्पक-पुष्प और कमलनयनी के केश-स्थानीय व्यंग्य गुणीजन दोनों ही प्रस्तुत हैं, इसमें किसी को विवाद नहीं। ३१९। सत्कार्यवाद पक्ष में कारण और कार्य दोनों में अभिन्नता मान्य होने के कारण कार्य में प्रधानता होने पर हेतु को भी प्रधानता हो जायेगी यह स्पष्ट है। ३२०। अतः कार्यकारण-भावमूलक-अप्रस्तुत-प्रशंसायुक्त-काव्यस्थल में कार्य और कारण उभयगत प्राधान्य मानना होगा। सुतरां उस काव्य में ध्वनित्व होगा नहीं। ३२१। सत्कार्य-सिद्धान्त में उपादान और उपादेय के बीच अभेद मान्य होने पर भी निमित्त और नैमित्तिक में अभेद मान्य नहीं, एतन्मूलक प्रश्न इसलिये नहीं उपस्थित किया जा सकता। क्योंकि सत्कार्य-सिद्धान्त में कार्य के प्रति निमित्त-कारण मान्य होते नहीं। ३२२, ३२३। फिर निमित्त और नैमित्तिक के बीच अन्वय और व्यतिरेक क्यों गृहीत होते हुए पाये जाते हैं? इसका उत्तर यह ज्ञातव्य है कि यतः निमित्त का कृत्य प्रतिबन्धक का विघटन माना जाता है। ३२४।

सत्कार्यवादपक्षो नो मान्यो वस्तुतस्त्वत्र ।

अंगांगिनोर्विभेदो यस्मात् प्रतिपादितोऽस्त्यग्रे ॥३२५॥

न पटस्तन्तुभ्योऽथ प्रमिद्यते सांख्यसिद्धान्ते ।

सत्कार्यवादपक्षाश्रयिणीति प्रविदितं विदुषाम् ॥३२६॥

व्यंग्यस्येत्यादिक-पद्यद्वयतोऽत्र संक्षेपः ।

सारंख्येन ध्वनिकृद्भिः प्रोक्तो य स्तदर्थोऽयम् ॥३२७॥

यत्र समासोक्त्यादौ व्यंग्यं वाच्यानुपातितया ।

भजते नो प्राधान्यं वाच्यालंकारता तत्र ॥३२८॥

व्यंग्यस्य प्रतिभाते वाच्यार्थस्यानुयायित्वे ।

मान्यं ध्वनिकाव्यत्वं नो, व्यंग्यस्याप्रधानत्वात् ॥३२९॥

तर्हि ध्वनिकाव्यत्वं कुत्र स्यादिति विजिज्ञासा ।

तद्विनिवृत्तिविहिता प्रोक्ता ननु तत्परेत्यादि ॥३३०॥

वस्तुतः यहाँ सत्कार्य - सिद्धान्त मान्य ही नहीं है। क्योंकि आगे जलकर अवयव और अवयवों का भेद प्रतिपाद्य है। सत्कार्यवादी सांख्य सिद्धान्त में पट तन्तुओं से भिन्न माना जाता नहीं, यह विद्वानों को ज्ञात ही है ॥३२५॥ “व्यंग्य-द्वयस्य” इत्यादि पद्यद्वय-द्वारा ध्वनिकार ने सख्य रूप में जो कुछ कहा है उसका अभिप्रेत अर्थ यह है कि जिन समासोक्ति आदि स्थलों में व्यंग्य अर्थ वाच्य अर्थ का अनुपासी हुआ करता है, प्रधान होता नहीं वे समासोक्ति आदि “वाच्यालंकार” होते हैं ॥३२६, ३२७॥ फलितार्थ यह कि व्यंग्य अर्थ में वाच्य अर्थ की अनुपासिता प्रतिभात अर्थात् ज्ञात होने पर व्यंग्य अर्थ की अप्रधानता के कारण, काव्य में ध्वनिकाव्यत्व मान्य नहीं होता है ॥३२८॥

तो फिर काव्य ध्वनिकाव्य कहाँ होगा? यह जिज्ञासा हो सकती है, इसलिये उसकी निवृत्ति ध्वनिकार ने “तत्परादेव” इत्यादि पद्य के द्वारा की है ॥३२९॥ इसका यही भावार्थ अच्छी तरह स्पष्ट रूप में

अस्यायमेव भावो ज्ञेयः स्पष्टः प्रकृष्टतया ।

व्यंग्यपरौ शब्दार्थौ चेत् ध्वनिता काव्यगा ज्ञेया ॥३३०॥

तस्यां स्थितौ स्थितौ हि व्यंग्यं प्रति तौ रवार्थौ यत् ।

व्यंग्यस्योपस्कारकतया हि नित्यं तदुन्मुखीभूतौ ॥३३१॥

फलतस्तत्र तु वाच्यं नैव प्राधान्यं मावहति ।

ध्वनिकाव्यत्वं तस्मात् शुद्धं तत्रैव मन्तव्यम् ॥३३२॥

केचिद्वेदन्ति पद्यत्रयं मन्त्रं न मूलगं किन्तु ।

वृत्तिगमिति कृत्वा नो प्रोद्भाव्यं पिष्टपेषणं विवृणुः ॥३३३॥

विस्तृति-संक्षेपाभ्यां द्वाभ्यां यस्मात् द्वयौ प्रोक्तिः ।

एकत्रापि च घटते तस्माद्दोषो न मूलत्वे ॥३३४॥

ध्वनिकाव्यस्यास्तित्वे प्रोक्तान् हेतूनुपन्यस्य ।

हेत्वन्तरमप्याह ध्वनिकृदितश्चेति ननु वृत्त्या ॥३३५॥

ज्ञातव्य है कि शब्द और अर्थ दोनों जब व्यंग्याभिमुख हों, तो काव्य में ध्वनित्व समझना चाहिये ॥३३०॥ उक्त परिस्थिति में शब्द और अर्थ दोनों व्यंग्य अर्थ की ओर नियमित रूप से उन्मुख होते हैं व्यंग्य अर्थ के उपस्कारक रूप में, अर्थात् उसके उपस्थापक रूप में स्थित होते हैं ॥३३१॥ फलितार्थ यह कि ध्वनि-काव्यस्थल में वाच्य अर्थ कभी प्रधान नहीं होता है, इसलिये उज्ज्वल ध्वनि-काव्यता वहाँ ही अर्थात् व्यंग्य के प्राधान्य में ही ज्ञातव्य है ।

यहाँ कुछ लोगों का कहना यह है कि यहाँ के तीनों श्लोक मूलभूत नहीं हैं अपितु वृत्तिगत हैं, अतः विद्वान् विवेचकों को पिष्टपेषण दोष का उद्भावन नहीं करना चाहिये ॥३३३॥

परन्तु यदि इसे वृत्तिग्रन्थ के अन्तर्गत न मानते हुए मूल ग्रन्थ के अन्तर्गत माना जाय फिर भी पुनरुक्ति-दोष की आपत्ति इसलिये नहीं दी जा सकती है कि विस्तार और संक्षेप दोनों को लेकर एक ही ग्रन्थ में दो जगहों में एक ही वस्तु का वर्णन किया जा सकता है ॥३३४॥

अङ्गी काव्य-विशेषो ध्वनिरिति कथितो बुधैस्तत्त्वैः ।

॥३३६॥ तत्र च नालंकाराणामिति के नामिजानन्ति ॥३३६॥

कटकाद्यालंकारा नो मुख्याः किन्तु सुन्दरी मुख्या ।

॥३३७॥ मृत-सुवतीतनुगास्ते यस्मान्नाकर्षका यूनः ॥३३७॥

कटकादीनां लोके यत्र स्थानम्, काव्य-संसारं ।

उपमानुपमादीनामपि तन्नेतरनिवृत्तम् ॥३३८॥

ध्वनिकाव्य के अस्तित्व के सम्बन्ध में उक्त युक्तियों के उपन्यास के अनन्तर "इतदत्र" इत्यादि वृत्तियों के द्वारा उसके सम्बन्ध में अन्य वक्तियाँ दे रहे हैं। वस्तुतः अभी तक शरीरातिस्क्तात्मवाद से प्रभावित होते हुए काव्य की अस्मा रक्त आदि व्यंग्य अर्थ के, अलंकारक अर्थात् पोषक होते हैं अलङ्कार, ऐसा मानकर बातें की जा रही थीं और अब यहाँ शरीरात्मवाद को भी स्थान देते हुए शब्द अर्थ उभयात्मक काव्य के पोषक होने के कारण अनुप्रास उपमा आदि कहलते हैं अलङ्कार ऐसा मानकर बातें की जा रही हैं, अतः पुनर्वक्ति-दोष नहीं ॥३३५॥ काव्यज्ञ विद्वानों के द्वारा काव्य अंगी और अलङ्कार उसके अङ्ग माने जाते हैं, तदनुसार ध्वनि नामक काव्य-विशेष होता है अंगी और अनुप्रास उपमा आदि सारे होते हैं अलङ्कार। इसीलिये प्रकृत अलङ्कारों को काव्यालङ्कार कहा जाता है। इसके अनुसार ध्वनि काव्य होगा अङ्गी और उक्त सारे अलङ्कार होंगे अङ्ग। अतः अङ्गित्व अलङ्कारों में सम्भव नहीं इसे कौन नहीं जानता ॥३३६॥ कड़े कुण्डल आदि अलङ्कार अङ्गी नहीं, मुख्य नहीं किन्तु उसे आकर्षण करनेवाली स्त्री होती है अङ्गी, मुख्य। क्योंकि इसीलिये मारी सुन्दरी के आश्रीकृत कड़े कुण्डल आदि युवकों के लिये आकर्षक होते नहीं ॥३३७॥ इस शौरिक अर्थ में कड़े कुण्डल आदि अलङ्कारों को जो स्थान प्राप्त है, काव्य-संसार में वही स्थान प्राप्त है अनुप्रास उपमा आदि सभी अलङ्कारों को, अन्य स्थान मिलकुल नहीं ॥३३८॥

गुणवृत्त्यादीनामप्यन्तत्वं नैव चागित्वम् ।

प्रथितम्, तस्मात्तेऽपि न ध्वनिसंज्ञाभूतताः स्युः ॥३३९॥

ननु यत्रालंकारध्वनिर्भवेत् तत्र किं वाच्यम् ।

मुख्यत्वामुख्यत्वे यस्माच्चैकत्र सम्भवतः ॥३४०॥

विप्रश्रमणन्यायात् मुख्या ध्वनित्वे तत्र स्यात् ।

मान्या विबुधैर् युक्तया गौण्यलंकारता तत्र ॥३४१॥

विप्रः कश्चित् श्रमणो जातश्चेत् विप्रता तत्र ।

गौणी, श्रामण्यतुज्ज्वलं तदानीं सतो लिंगात् ॥३४२॥

तद्वदलंकारस्य व्यंग्यत्वं प्रोज्ज्वलं यत्र ।

तत्र ध्वनिता मुख्यापस्कारकता नैव मुख्या ॥३४३॥

इसी प्रकार गुण, वृत्ति एवं रीति आदि भी अङ्गी नहीं अङ्ग ही होते हैं यह प्रसिद्ध है, अतः उनके कारण काव्य-विशेष का ध्वनि नामकरण संगत नहीं कहा जा सकता । अब प्रश्न यह उपस्थित है कि “अलङ्कार-ध्वनि” के स्थल में क्या होगा ? व्यंग्य अर्थ होने के कारण अलंकार अंगी बन जायेगा फिर वह अलंकार कहलाने का अधिकारी कैसे होगा ? क्योंकि अलंकार को गौण कहा गया है । एक ही, गौण और मुख्य दोनों कैसे कहा जा सकता ? तो इसका उत्तर यह ज्ञातव्य है कि “ब्राह्मणश्रमणन्यायसे” वहाँ अलंकार में “ध्वनित्व” मुख्य रूप में और अलंकारत्वे गौण रूप से मान्य होगा । इसलिये वहाँ का काव्य “अलंकार-प्रधान कहला पायेगा । ३४१ कोई ब्राह्मण-वैष्णव जब बौद्धश्रमण या जैनश्रमण बन जाता है तब ब्राह्मणत्व उसमें गौण हो जाता है और वर्तमान के सारे उसके चित्त उक्त श्रमण के ही होते हैं, इसलिये “श्रमणत्व” उसमें उज्ज्वल अर्थात् मुख्य रूप से मान्य होता है । ३४२ अलंकार-ध्वनि-स्थल में जहाँ कि अलंकार में व्यंग्यत्व उज्ज्वल-भाव से रहेगा वहाँ अलंकार में ध्वनित्व मुख्य मान्य होगा और अलंकारत्व गौण रूप से, मुख्य रूप से नहीं । ३४३ इस संसार

वाग्व्यवहारो गौणः प्रभवत्येव स्फुटो लोके ।

॥३४४॥ : स्याद् मौणोऽलंकार-व्यवहारः तत्र तद्वेतोः ॥३४४॥

अज्ञाज्ञिनो रमेदात् नो कस्माद् ध्वन्यलंकृत्योः ।

मान्योऽभेद इतोयं जिज्ञासा तन्निवृत्त्यर्थम् ॥३४५॥

ध्वनिकारेण स्पष्टं प्रोक्तमथेदं न चेत्यादि ।

तदभिप्रायो न्यायानुगतिं मन्या न सांख्यस्य ॥३४६॥

अज्ञाज्ञिनो रमेदे मान्ये परमाणु पुञ्जत्वम् ।

गलपादुकया मान्यं बौद्धीयं घटपटादीनाम् ॥३४७॥

एवं सति प्रत्यक्षं प्रजायमानं घटादीनाम् ।

न प्रभवेदुपपन्नं महत्त्वविरहाद्धि परमाणोः ॥३४८॥

मैं गौरुरूप से किया जानेवाला वाक्य-प्रयोग भी स्पष्ट रूप से खूब चलता दिखाई देता है, इसलिये अलंकार-ध्वनिस्थल में मुख्यता-प्राप्त अलंकार को गौण रूप में अलंकार कहा जाता ही रहेगा ॥३४४॥

अब यहाँ जिज्ञासा यह उठना स्वाभाविक है कि ध्वनि और अलंकार के बीच इसलिये अभेद क्यों न माना जाय ? कि अंग और अंगी तत्त्वतः एक ही होते हैं । अतः इसकी निवृत्ति के लिये ॥३४५॥ ध्वनिकारने स्पष्ट रूप से अपना मत "न चेदं" इत्यादि के द्वारा व्यक्त किया है । उसका अभिप्राय यह है कि अवयव और अवयवी के सम्बन्ध में न्याय और वैशेषिक मत को अपनाना चाहिये न कि सांख्य मत को ॥३४५॥ क्योंकि अंग और अंगी अर्थात् अवयव और अवयवी इन दोनों में अस्मिन्नता मानने पर गलेपादुकान्याय से बौद्धों का परमाणु-पुञ्जवाद भी आघमकेगा । घड़े कपड़े आदि सबको परमाणु-पुञ्जात्मक मानना पड़ेगा । और उसे मानने पर घड़े कपड़े आदि का वह प्रत्यक्ष जो कि

स्थूलोऽयं नन्वेको घट इति साक्षात्कृति लोके ।

कथमथ सम्पाद्या स्यात् स्थौल्यैकस्योभयाभवात् ॥३४६॥

अणुपुञ्जेऽवयविनि नो कथमप्येकत्व-सम्पत्तिः ।

एकत्वं पुञ्जत्वं व्याघास्येतद् द्वयं यस्मात् ॥३५०॥

स्थौल्यं महत्त्वनियतं कथमणुगं मान्यतां गच्छेत् ।

तस्मादंगादंगी भिन्नो मान्यो विशेषज्ञैः ॥३५१॥

एकः स्थूलो घट इति बुद्धिर्नान्तेति नो मान्यम् ।

सत्येवं सर्वेऽनुग्रान्ता एवात्र संसारे ॥३५२॥

आमस्त्वेवमितीत्थं नो वक्तुं शक्यते बौद्धैः ।

तेषामपि सर्वान्तःपातितत्वात् आन्ततापातात् ॥३५३॥

लोक-सिद्ध है कैसे हो पायेगा ? क्योंकि उक्त परमाणु-पुञ्जवाद में घटपट आदि में स्थूलत्व महत्त्व एवं एकत्व नहीं हो पायेगा ॥३४९॥

अणु-पुञ्जात्मक अवयवी में एकत्व कभी नहीं बन पायेगा । क्योंकि एकत्व और पुञ्जत्व आपस में यतः अत्यन्त विरोधी हैं ॥३५०॥ स्थूलता महत्त्व-नियत है, अर्थात् स्थूलत्व जहाँ भी होता है महत्त्व वहाँ अवश्य रहता है । ऐसी परिस्थिति में परमाणुओं में स्थूलत्व कैसे मान्य हो पायेगा ? मान्य नहीं होने पर “यह घट स्थूल है एक है” इत्यादि प्रतीतियाँ कैसे बन पायेंगी ? इसलिये विशेषज्ञों की दृष्टि में अणु और अंगी परस्पर भिन्न मान्य हैं ॥३५१॥ “घड़ा एक है और स्थूल है” इत्यादि बुद्धियाँ भ्रम हैं, ऐसा नहीं माना जा सकता । क्योंकि ऐसा मानने पर संसार में सबको भ्रान्त मानना होगा, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता ॥३५२॥ हाँ, ऐसा ही माना जाय, यह भी बौद्धों की ओर से नहीं कहा जा सकता । क्योंकि तब उक्त कथन के अनुसार बौद्धों से भी भ्रान्तता आपन्न हो उठेगी । क्योंकि सबके अन्दर वे बुद्ध भी जायेंगे । यदि वे अपने को भी भ्रान्त स्वीकार कर बैठें तो

आमिस्त्युक्तौ आन्तिस्वीकारादप्रमाणत्वम् ।

स्वमुखादेव स्वस्य स्वीकृतगत्य तैरहो मौढ्यम् ॥३५४॥

अप्रामाणिक-कथनं नहि प्रमाणं कथञ्चिदपि ।

इति तैरपि मन्तव्यं नाऽपरथा खण्डनं घटते ॥३५५॥

अस्त्येव तस्य खण्डनपरा प्रवृत्तिर्जन-प्रथिता ।

तस्मादप्रामाण्यं नोऽभीष्टं स्यात् वृत्ते तस्य ॥३५६॥

एकःस्थूलो घट इति बुद्धिर्नास्त्येवमस्माकम् ।

इति तत्कथनं मिथ्याऽपरथा क्रयविक्रयाभावात् ॥३५७॥

एकानैक-घटकय-काले मूल्यं समानं किम् ।

घटविक्रयिणे तेन प्रदीयते बुद्धिमत्त्वेन ॥३५८॥

किमहं करोमि युक्त्या अवयवावयविप्रसिद्धिर्नो ॥

कात्स्न्यैकदेशवृत्ते र्यतो विकल्पाऽसहिष्णुत्वम् ॥३५९॥

स्वयं अपने में आन्ति स्वीकार कर अपने मुख से ही अपने को वै अप्रामाणिक व्यक्ति मान लेंगे, तो यह उनकी कैसी मूर्खता होगी ? ॥३५४॥ अप्रामाणिक कथन किसी भी प्रकार प्रमाण नहीं कहा जा सकता, यह बोद्धों को भी मानना ही होगा। नहीं तो उनके द्वारा किया जाना काला प्रोत्साह का खण्डन उपपन्न नहीं हो सकता ॥३५५॥ खण्डनोत्पन्न उनकी प्रवृत्ति लोगों के बीच प्रसिद्ध ही है। इसलिये स्वयं अप्रामाणिकता उनके लिये अभीष्ट नहीं मानी जा सकती ॥३५६॥ "घड़ा एक है स्थूल है" इत्यादि प्रतीतियाँ मुर्ख होती नहीं, ऐसा यदि वे कहें तो यह उनकी कथन मिथ्या होगा। क्योंकि ऐसे कहने पर अनुसन्धित क्रय-विक्रय आदि का अभाव हो पड़ेगा ॥३५७॥ क्या अपने बुद्धिमत्ता के कारण वे एक और अनेक घड़े के क्रय-स्थल में विक्रय करने वाले को समान मूल्य देते हैं ? ॥३५८॥

क्या मैं कहूँ ? युक्ति के अनुसार अवयव और अवयवी की सिद्धि हो नहीं पाती। वह अवयव में कात्स्न्य रहता है या एकदेश ? इस विकल्प का सहन, यती मान्य अवयवावयविभाव कर नहीं पाता ॥३५९॥

प्रत्येकस्मिन्नंगे पूर्णोऽङ्गो तिष्ठतीत्येवम् ।
॥ ३६० ॥ जैव हि वक्तुं शक्यम्, स्यादासंख्यं तदैकस्य ॥ ३६० ॥

यस्तन्तुकोटि-घटितः पटः स तन्तु-प्रभेदाद्भि ।
किं कीटिसंख्यको न स्यादस्मिन् पूर्णता-पक्षे ॥ ३६१ ॥

एकः स्वदेशभेदैः कोटिषु तन्तुषु भवेद्वृत्तिः ।
तस्मान्नासंख्यत्वं सस्वप्यंगेषु तादृशम् ॥ ३६२ ॥

इत्येकदेशवर्त्तनमपि शक्यं स्यान्नवै वक्तुम् ।
अनवस्थापातादंगांगानां मान्यतापातात् ॥ ३६३ ॥

तस्माद् भेदो नांगांगिनो रवश्यं बुधै र्मान्यः ।
मान्ये पुञ्जे कथमप्यवकाशो नो विकल्पस्य ॥ ३६४ ॥

प्रत्येक अवयव में अवयवी पूर्णरूप से रहता है इस प्रकार इसलिये नहीं कहा जा सकता कि तब एक ही अवयवी को एक ही समग्र असंख्य मानना होगा । ३६०। प्रत्येक अवयव में एक अवयवी पूर्णरूप से रहता है इसकी मान्यता पर एक करोड़ तन्तुओं से निर्मित होनेवाला एक वस्त्र प्रत्येक तन्तु में पूर्णरूप से रहने के कारण करोड़ नहीं हो उठेगा ? ३६१। एक ही अवयवी अपने विभिन्न देशों अर्थात् अवयवों के द्वारा करोड़ों अवयवों में रहता है । ३६२। इस प्रकार एक-देशवर्त्तमानता पक्ष में करोड़ों अवयवों में रहनेवाला पट आदि अवयवी स्वताः एक ही होगा, अतः असंख्यता की आपत्ति नहीं दी जा सकती, यह भी नहीं कहा जा सकता । क्योंकि ऐसा मानने पर असीम रूप में अवयवों के अवयवों की मान्यता हो उठने के कारण "अनवस्था" दोष आपन्न हो उठेगा । ३६३। इसलिये अवयव और अवयवी के बीच विद्वानों द्वारा भेद नहीं कहा जा पायेगा । परमाणु-पुञ्जवाद की मान्यता-पक्ष में कहना चाहिये कि एकदेशेन रहने का विकल्प क्यों नहीं उठाया जा सकता । ३६४।

इति बौद्धपक्षगानां कथनं नो युक्तिर्मावहति ।

॥३६५॥ बहुहुतासहवर्तिन्यशेषता कात्स्न्य-शब्दाख्या ॥३६५॥

एकस्मिन्नंगिनि नो बहुला तस्मादशेषत्वम् ।

सम्भवमर्हेत्, कथमपि कात्स्न्य-विकल्पस्ततो न भवेत् ॥३६६॥

ननु नैकः स्यादंगी विरुद्ध-धर्मद्वयाऽदृष्टेः ।

एकस्तरुर्विकम्पः कम्पयुतोपि च कथं प्रभवेत् ॥३६७॥

चित्रा काचन शाटी कथमेका शक्यते वक्तुम् ।

कृष्णश्चेत-विरुद्धोभयरूपा तेन भिन्नैव ॥३६८॥

यौ धर्माविकत्र स्थितिमन्तौ तौ विरुद्धौ नो ।

स्पष्टविरोधे कम्पाकम्पद्वे नीलपीतत्वे ॥३६९॥

यह बौद्धानुयायियों का कथन युक्तियुक्त नहीं। क्योंकि बहुत्व के साथ रहनेवाला अशेषता का ही दूसरा नाम होता है “कात्स्न्य” ॥३६५॥ एक अवयवी में बहुत्व रहता ही नहीं, बहुत्व के साथ रहनेवाला अशेषत्व वहाँ सम्भव नहीं। इस प्रकार एक अवयवी में कात्स्न्य की सम्भावना न होने के कारण उक्त प्रकार विकल्प ही नहीं उठाया जा सकता ॥३६६॥

अब यहाँ प्रश्न यह उठाया जा सकता है कि अनेक अवयवों में रहने वाला एक अवयवी इसलिये नहीं माना जा सकता कि दो विरुद्ध धर्मों का समावेश एक में सम्भव नहीं। एक ही वृक्ष एक ही समय कम्पनयुक्त और कम्पन-रहित कैसे हो सकता? ॥३६७॥ अनेक रङ्ग वाली किसी साड़ी को एक कैसे कहा जा सकता? एक ही साड़ी कात्यापन सफेदी आदि विरुद्ध रूपों वाली एक ही समय कैसे हो सकती? इसलिये जिसे एक कहा जा रहा है उसे अनेक मानना ही होगा। एक में जो अनेक धर्म, एकसाथ एकत्र रहते हैं वे विरुद्ध कहलाते नहीं। कम्पयुक्तता और निष्कम्पता, नीलत्व और पीतत्व के आपस में स्पष्ट विरोध रखनेवाले ही होते हैं ॥३६९॥

एकत्वस्य प्रतीति स्तस्माद् भ्रान्तिस्वरूपैव ।
 सत्येवं नो कथमथ कात्स्न्य-विकल्पो भवेत् प्रोक्तः ॥३७०॥
 इत्यपि कथनं बौद्धानां नो युक्तत्वं भावयति ।
 तरुशाखामूलादिषु कम्पालम्बौ यतो मान्यौ ॥३७१॥
 निरवयवश्चेदेको वृक्षोमान्य स्तदा तेन ।
 प्रोक्ता युक्तिः स्थानं कथमपि लब्धुं समर्था स्यात् ? ॥३७२॥
 अंगानाश्रयणे नहि वक्तुं शक्यो भवेदंगो ।
 अंगिनि वृक्षे तस्मादंगानि बहूनि मान्यानि ॥३७३॥
 एकस्मिन्नंगे यदि कंपोऽन्यस्याथ किं जातम् ।
 यस्मादपरांशस्य न निष्कम्पत्वं भवेच्छक्यम् ? ॥३७४॥

इसलिये यह मानना ही होगा कि एक ही समय सकम्प और निष्कम्प होनेवाले वृक्ष को एक नहीं माना जा सकता । एक ही समय अनेक रंगोंवाली साड़ी को एक नहीं कहा जा सकता । अतः उन प्रतीतियों को भ्रम ही मानना होगा । पूर्वोक्त वह विकम्पात्मक अवयवी प्रत्येक अवयव में पूर्णतः है या अवयवशः इत्यादि विकल्प भी हो ही सकता है । ३७०। इत्यादि बौद्धों के कथन भी उचित नहीं ठहराये जा सकते । क्योंकि एक अवयवी के विभिन्न अवयवों को ही कम्पयुक्त कहा जा सकता है । इसी भाँति एक साड़ी के विभिन्न भागों को ही लाल, पीला, नीला इत्यादि विविध-रंगयुक्त देखते हुए साड़ी को चित्र कहा और देखा जा सकता है । ३७१। बौद्धों का उक्त कथन भी तभी टिक सकता है यदि वे एक निरवयव अवयवी मानें । परन्तु सो परमाणु-पुञ्जवादो होने के कारण तथा निरवयवता और अवयवता के विरुद्ध होने के कारण उनकी ओर से कहा नहीं जा सकता । ३७२। अंगों के बिना कोई अंगी नहीं कहा जा सकता । इसलिये एक वृक्ष के अनेक अंग मानने होंगे । ३७३। ऐसी परिस्थिति में एक अवयवी के किसी एक अवयव में कम्प होने पर और किसी अन्य अंग को क्या हुआ ? जिससे उसके अन्य अंग को निष्कम्प न माना जा सकेगा ? ३७४।

कम्पाकम्पविरोधे विमति नो काऽपि नो सत्यम् ।
 भिन्नांगाश्रयिता नो ऽवाच्या तस्मात् कथञ्चिदपि ॥३७५॥
 यच्चित्रशटिकाया एकस्या अपि विभिन्नत्वम् ।
 प्रोक्तं वर्णितयुक्त्या बौद्धैस्तदपि न विचारसहम् ॥३७६॥
 यस्मादेकं रूपं चित्रं मान्यं समग्रायाम् ।
 या शटिकात्र विमते विषयतया स्थापिता तत्र ॥३७७॥
 “एकं चित्रं रूपम्” प्रतिपत्तिरियं भवत्येव ।
 सर्वेषाम्, नो सर्वे भ्रान्ता मान्याः कदाचिदपि ॥३७८॥
 बौद्धोऽपि च सर्वान्तःपातित्वाद् भ्रान्ततां लभते ।
 अप्रामाण्यं तस्मात् हेतो बौद्धस्य सन्निपतेत् ॥३७९॥

यह सत्य है कि एक ही काल में एक ही का सकम्प और निष्कम्प होना विरुद्ध है। इस विरोध की मान्यता में मेरी भी सहमति है। किन्तु उक्त विरुद्ध धर्मों के बीच एक एक का अलग एक एक अंगों में आश्रित होना किसी प्रकार अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। ३७५। जिसके आधार पर एक चित्र साड़ी को अनेक ठहराया जाय। अतः उक्त युक्तियों के अनुसार बौद्ध विद्वानों ने जो कुछ कहा है वह विचार करने पर स्थिर नहीं ठहर पाता है। ३७६। क्योंकि अनेक अवयवों में अनेक रंगों के कारण बहुरंगी देखे जाने वाली साड़ी में एक अलग “चित्र” नामक सातवाँ रूप मान्य है। ३७७। जिस उक्त प्रकार साड़ी को विवादास्पद रूप में बौद्धपक्ष द्वारा उपस्थित किया गया था, वहाँ “यहाँ एकचित्र रूप है” यह प्रतीति होती ही है सबको। सभी को कभी भ्रान्त नहीं ठहराया जा सकता। ३७८। यदि सभी को भ्रान्त माना जाय तो बौद्ध भी उन भ्रान्तों में ही आ गिरेंगे। और उस भ्रान्तता के कारण बौद्ध-पक्ष से उपस्थित हेतुओं को अप्रामाण्य आपन्न हो उठेगा। ३७९।

अप्रामाण्ये तेषां कथयापि तदीयया विगतम् ।
 अप्रामाणिक-वाक्यं कथमपि यस्मात् प्रमाणं नो ॥३८०॥
 नैव हि वक्तुं शक्यं तै र्यदिदं नोऽस्ति नो ज्ञानम् ।
 यदि मिथ्याश्रयणं नो क्रियते तैस्सौगतं-मन्यैः ॥३८१॥
 किञ्चेदमत्र बोध्यम् . चित्रस्यैकस्य रूपस्य ।
 नो मान्यत्वे वस्त्रप्रत्यक्षं नो भवेत् प्रभवत् ॥३८२॥
 द्रव्यस्य चाक्षुषत्वे रूपं प्रभवति यतो हेतुः ।
 कथमथ चित्राभावे चित्रपटस्याक्षिजा बुद्धिः ॥३८३॥
 रूपस्य हेतुता चेन्नो मान्या द्रव्यप्रत्यक्षे ।
 वाय्वाकाशादेरपि भूयान्मतिरक्षिजा नूनम् ॥३८४॥
 प्रभवति कदाचिदपि नो वाय्वाकाशादि नीरूपम् ।
 द्रव्यं विषयीकुर्वत् प्रत्यक्षं चक्षुषा जनितम् ॥३८५॥

और उनके हेतु अप्रामाणिक हो जाने पर उनके द्वारा किया जानेवाला विवाद समाप्त हो जायेगा । क्योंकि अप्रामाणिक का वाक्य कभी प्रमाण नहीं माना जा सकता । यदि मिथ्या का आश्रयण न करें तो वे बौद्ध-मन्य यह नहीं कह सकते कि मैंने कुछ समझा नहीं । ३८१। और यह भी एक यहाँ ध्यान देने योग्य युक्ति है कि एक चित्र रूप को मान्यता न देने पर उस बहुरंगी रूप में देखे जानेवाले एक वस्त्र का प्रत्यक्ष न हो सकेगा । ३८२। क्योंकि किसी द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष में वहाँ रूप का अस्तित्व कारण होता है । यदि वहाँ चित्र रूप रहेगा ही नहीं तो आँखों से होनेवाला उस वस्त्र का प्रत्यक्ष जो कि होता है कैसे हो पायेगा । ३८३। यदि द्रव्य के प्रत्यक्ष में रूप को कारण न माना जाय तो वायु आकाश आदि का भी प्रत्यक्ष मान्य हो पड़ेगा । ३८४। रूप रहित वायु आकाश आदि का प्रत्यक्ष कभी होता नहीं जो कि चक्षु आदि किसी इन्द्रिय से होनेवाला होता है । ३८५।

माऽस्तां द्रव्याध्यक्षे रूपं सामान्यतो हेतुः ।

“कमलाजलपवनेयम्” प्रत्यक्षमिदं यतो भवति ॥३८६॥

किन्तु प्रत्यक्षमिदं स्पर्शनमथ चाक्षुषं नैव ।

तस्माच्चक्षुर्जनिते ऽवश्यं रूपस्य हेतुत्वम् ॥३८७॥

सत्येवं चित्रत्वे न प्रत्यक्षस्य वसनस्य ।

स्यादथ कथमध्यक्षं चित्रे रूपे न वै मान्ये ॥३८८॥

यदि कश्चित् प्रब्रूयात् आस्तां रूपस्य हेतुत्वम् ।

द्रव्यस्य चाक्षुषत्वे, चित्रं रूपं तु नो मान्यम् ॥३८९॥

रूपे ननु चित्रत्वं रूपत्व-व्याप्यमेकं नो ।

एकाश्रयगत-रूपानेकत्वं तद्धि विज्ञेयम् ॥३९०॥

एकस्मिन्नपि वसने वसन्त्यनेकानि रूपाणि ।

तान्येव चित्रसंज्ञां दत्तानि जनैः प्रगृह्यन्ते ॥३९१॥

“यह कमला नदी का जल-पवन है” इस प्रकार वायु का स्पर्शन प्रत्यक्ष होने के कारण द्रव्य-प्रत्यक्ष में रूप को भले ही कारण न माना जाय ॥३८६॥ किन्तु वहाँ स्पर्शन प्रत्यक्ष होता है चाक्षुष नहीं, इसलिये द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष में रूप को कारण अवश्य मानना होगा। अब बहुरंगी वस्त्र में चित्र रूप न मानने पर उस वस्त्र का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो पायेगा जो कि हुआ ही करता है ॥३८८॥ यहाँ यदि कोई यह कहे कि द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष में रूप को कारण भले ही माना जाय किन्तु चित्ररूप मान्य नहीं ॥३८९॥ सारांश यह कि “चित्रत्व” को “रूपत्व” का व्याप्य अर्थात् उससे अल्पस्थान में रहनेवाला एक कोई धर्म मानने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि एक आश्रय में साथ विद्यमान होनेवाले अनेक रूप का ही नाम है “चित्रत्व”। अथवा यों कहा जाय कि एकाश्रित अनेक रूपों में होनेवाली अनेकता ही है चित्रत्व ॥३९०॥ एक वस्त्र में भी अनेक रूप रहते हैं उन अनेक रूपों को ही जो एक “चित्र” यह नाम दे दिया जाता है उस एक नाम वाले नाना एकाश्रित रूपों को ही लोग देखते हैं, एक कोई स्वतन्त्र “चित्र” रूप को नहीं ॥३९१॥

तस्मान्नीरूपत्वं नो वाच्यं चित्रवस्त्रस्य ।
 सत्यां सरूपताया मप्रत्यक्षं निराकृतं भवति ॥३९२॥
 नेदं कथनं युक्तं रूपस्य व्याप्यवृत्तित्वम् ।
 अनुभूतं सर्वत्रान्यत्र, ततो नो विपर्यासः ॥३९३॥
 अव्याप्यवृत्तितायां नो मान्यायां हि रूपस्य ।
 नो चित्रवस्त्रगान्यथ लोहित-पोतादि-रूपाणि ॥३९४॥
 एवं सति नीरूपं वस्त्रं तन्मान्यमेव स्यात् ।
 प्रत्यक्षता न तस्मात् सम्पाद्या स्यात् कथञ्चिदपि ॥३९५॥
 तस्मादेकं चित्रं रूपं मान्यं भ्रुवं बौद्धैः ।
 सति चैवं नानात्वं नाऽऽपाद्यं तत् समापन्नम् ॥३९६॥

इसलिये एक स्वतन्त्र चित्ररूप न मानने पर भी चित्र कहलानेवाले इस वस्त्र के अप्रत्यक्ष की आपत्ति नहीं दी जा सकती । उस वस्त्र को रूप-रहित नहीं कहा जा सकता । ३९२। किन्तु इस कथन को इसलिये उचित नहीं ठहराया जा सकता कि अन्य सभी स्थानों में रूप अव्याप्य-वृत्ति नहीं, अतः उसके स्वभाव का परिवर्तन नहीं माना जा सकता कि चित्र कहे जानेवाले वस्त्र में अनेक रूप एक ही वस्त्र में अव्यावृत्ति होकर साथ रहते हैं । ३९३। जब कि रूप संयोग की तरह "अव्याप्य-वृत्ति" अर्थात् एक-देश में रहनेवाला मान्य नहीं है तब अनेक नील पीत आदि रूप उस एक वस्त्र में एक ही काल में मान्य नहीं हो सकते । ३९४। ऐसा होने पर उस वस्त्र को रूप-रहित मानना ही होगा और उस वस्त्र का प्रत्यक्ष तबतक न हो पायेगा जब तक एक चित्र नामक स्वतंत्र रूप उसमें न मान लिया जाय । ३९५। इसलिये बौद्धों को भी एक चित्र रूप मानना ही होगा । अतः उन्होंने जो एक में अनेकता की आपत्ति दिखला कर अवयवी का खण्डन करके परमाणु-पुञ्जवाद की स्थापना चाही है वह उचित नहीं । ३९६।

यद्रघुनाथेनोक्तं मान्यं नो चित्र-रूपमिति ।

तत् प्रौढिवादमात्रं काणस्याक्ष्णाऽभिमानिस्तस्य ॥३९७॥

नैकं चित्रं मान्यं बह्व्यस्त्वव्याप्य-वृत्तिता मान्याः ।

सत्येवं को लाभो जातस्तस्येत्यसौ वेत्तु ॥३९८॥

याऽव्याप्यवृत्तितास्यान्नीले सा नैव पीते स्यात् ।

भिन्न-प्रतीति-विषयत्वादिति मान्यं समै विबुधैः ॥३९९॥

मान्या भवन्तु धर्मा बहवो, मान्यो न धर्म्यकः ।

इत्येषा तन्नोतिरिति चेन्नो युक्त्यनाकलनात् ॥४००॥

वृत्तित्वं धर्मत्वं नाव्ये नैयायिके हि मते ।

तदयोगात् धर्म्यपि किं कथयतु नो धर्मतां घटे ? ॥४०१॥

नव्यनैयायिक रघुनाथ-शिरोमणि ने जो यह कहा है अपने पदार्थ-तत्त्वनिरूपण में कि चित्र नाम का एक स्वतन्त्र रूप मान्य नहीं, सो उनका प्रौढिवाद मात्र है, दम्भ मात्र है ॥३९७॥ चित्र पट आदि स्थलों में एकचित्र न मान कर बहुत अव्याप्य-वृत्ति रूप मानने में उन्हें क्या लाभ मिला यह वे जानें ॥३९८॥ रूप को अव्याप्य-वृत्ति मानने पर नील पीत आदि विभिन्न रूपों में विद्यमान अव्याप्य-वृत्तिता को भी अलग-अलग मानना होगा । क्योंकि नील पीत आदि, भिन्न रूप से प्रतीत होंगे ॥३९९॥ इस प्रकार अनेक रूपों में अनेक अव्याप्य-वृत्तिता-धर्म माने जाय, और एक चित्र रूपात्मक धर्म न माना जाय यह विचार उनका हो, तो उसे उचित नहीं कहा जा सकता । क्योंकि कोई युक्ति दोखती नहीं ॥४००॥ नव्यनैयायिकों के मत में "धर्मत्व" की परिभाषा "वृत्तित्व" है । अर्थात् किसी भी आधार में रहनेवाला कहलाता है धर्म, इस परिभाषा के अनुसार क्या धर्म भी धर्म नहीं बन जाते हैं ? फिर तो पटवृत्ति होने के कारण अर्थात् पट में रहने के कारण चित्र रूप भी धर्म हो जाता है । जब कि इस प्रकार चित्र रूप भी धर्म हो जाता है तब धर्म ही अनेक मान्य हैं धर्म नहीं इससे क्या लाभ ? ॥४०१॥

युक्त्याऽनया हि चित्रं पटवृत्तित्वाद्धि धर्मतां लभते ।

तस्मादुभयो धर्मत्वं मान्यं चेत् द्वयो स्तौल्यम् ॥४०२॥

कृतमथ सगोत्र-कलहेनानेनाऽत्राथवा यस्मात् ।

अव्याप्यवृत्तितायामपि रूपस्यास्ति नो हानिः ॥४०३॥

बहुगन्धितन्तु-निर्मित-पटो यथाऽऽस्ते विनिर्गन्धः ।

तद्वच्चित्र-पटोऽपि प्रभवतु रूपैर्विहीनो ऽसौ ॥४०४॥

प्रत्यक्षोक्रियमाणं यन्नीलाद्यस्त्यनेकं तत् ।

पटशेष-भिन्नतन्तुगमस्तु ततः कास्ति नो हानिः ॥४०५॥

नीरूपप्रत्यक्षं भवति कदाचिन्नहीति नो वाच्यम् ।

सोऽयं घटं इति चाक्षुष मध्यक्षं कालविषयं यत् ॥४०६॥

कालः कालपदेनाभिहितः सन्नपि नवै कालः ।

नहि वाऽन्य-रूपयोगी किन्तु प्रत्यक्ष-विषयोऽसौ ॥४०७॥

क्योंकि कृत विचार के फलस्वरूप रूपों की अव्याप्यवृत्तिता और और चित्र-रूप दोनों तुल्य रूप से धर्म होंगे । ४०२। अथवा अब इस सगोत्र-कलह को यहाँ तक ही रहने दिया जाय । यतः रूप को अव्याप्य वृत्ति मानने पर भी उससे बौद्ध-पक्ष को कोई लाभ न होने के कारण अपनी कोई हानि नहीं । ४०३। बहुगन्धी विभिन्न तन्तुओं से निर्मित पट जिस प्रकार निर्गन्ध मान्य होता है उसी प्रकार चित्रपट भी रूप हीन हो जाय । ४०४। प्रत्यक्ष किये जानेवाले नील पीत आदि, वस्त्र के अवयवभूत विभिन्न तन्तुओं में ही माने जायँ, इसमें भी क्या क्षति दिखलायी जा सकती है ? । ४०५। नीरूप द्रव्य का चाक्षुष-प्रत्यक्ष कभी होता नहीं, यह बात नहीं कही जा सकती । क्योंकि “यह वही घड़ा है” इत्यादि प्रत्यक्ष-स्थल म यतः काल भी उस प्रत्यक्ष का विषय माना जाता है । ४०६। काल काला-अर्थक काल नाम से पुकारा तो जाता है किन्तु वह काला होता नहीं और अन्य रूपवाला भी होता नहीं किन्तु उक्त प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय अवश्य होता है । ४०७।

नीरूपः कालश्चेत् प्रात्यक्षिकतां वहन्नास्ते ।

चित्रस्य कोऽपराधः पटस्य रूपेण हीनस्य ॥४०८॥

इत्यपि नव्यैरस्माभिर्वक्तुं शक्यते सुदृढम् ।

ग्राह्योपमेव किंवा योऽन्यानुद्भावितः पन्थाः ॥४०९॥

निर्गन्धोऽथपटश्चेत् भवत्यसौ किं न नीरूपः ।

एवं सति न विरुद्धानामेकस्मिन् समावेशः ॥४१०॥

असमावेशे तेषां न ततोह्येकस्य नानात्वम् ।

तेन च नैकाऽवयवि-स्वीकारे काऽपि मे बाधा ॥४११॥

नोऽवयवावयविभावो यद्यपि मुख्योऽत्र काव्य-संसारे ।

नाऽसङ्गातिस्तथाऽपि प्रसङ्गतो यद्विवेचन-प्रसरः ॥४१२॥

रूप-रहित काल यदि प्रत्यक्ष होता है तो चित्रपट का ऐसा भला कौन-सा अपराध माना जायगा कि नीरूप होने के कारण उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा ? हम नव्यों के द्वारा यह भी सुदृढ़ रूप में कहा जा सकता है। इस प्रकार अन्य के द्वारा अनुद्भावित इस मार्ग का आश्रयण किया जा सकता है। ४०९। पट यदि निर्गन्ध माना जाता है तो नीरूप क्यों नहीं माना जा सकता ? ऐसी परिस्थिति में एक में विरुद्ध धर्म का समावेश नहीं दिखलाया जा सकता। ४१०। ऐसी परिस्थिति में एक को अनेक नहीं सिद्ध किया जा सकता। अतः एक अवयवी के स्वीकार में कोई बाधा नहीं उपस्थित की जा सकती। ४११। सभाग-द्रव्य-स्थल में ही मुख्य रूप से अवयवावयविभाव होने के कारण, काव्य-जगत में वह मुख्य रूप में यद्यपि सम्भव नहीं। अतः अवयवावयविभाव पर यहाँ इतना दीर्घ विचार क्यों ? यह कुछ लोगों के मन में आ सकता है, परन्तु यहाँ किये गये इस विचार को असङ्गत इसलिये नहीं कहा जा सकता कि यह विचार प्रसङ्ग-सङ्गति के आधार पर किया गया है। ४१२।

मान्येऽवयवावयवित्वे तस्माद्युक्ति-संसिद्धे ।
 ध्वनिकारोक्तिर्युक्ता ततो न चेत्यादिना स्पष्टा ॥४१३॥
 गुणवृत्त्यलंकृतोनां ध्वनिकाव्य स्याज्ज्ञता तेन ।
 उभयो भेदो मान्यो नैकत्वं युक्ति-संसिद्धम् ॥४१४॥
 आलंकारिक-काव्ये ऽलंकार-पदं बहु प्रोक्तम् ।
 ध्वनिकारेण, न विस्मरणीयं तत्, संगतिस्तस्मात् ॥४१५॥
 भिन्नोऽवयवस्तस्मात् भिन्नोवयवी न चाभिन्नः ।
 इत्येवं स्वीकारे कथमपृथग्भाविताऽथ तयोः ॥४१६॥
 भिन्नत्वाद् घटपटयोरपृथग्भावः कदाचिदपि ।
 नो दृश्यते तथैवाऽवयव्यवयवोभयो न स्यात् ॥४१७॥
 इति शंकाध्वनिकृद्भि निर्ाकृताऽपृथगिति ग्रन्थात् ।
 तस्यायमभिप्रायो ज्ञेयः सुस्पष्ट-भावेन ॥४१८॥

उक्त प्रकार युक्तियों के आधार पर अवयवावयवविभाव मान्य ठहरने के कारण “नच……” इत्यादि ग्रन्थ द्वारा स्पष्ट रूप से उपस्थापित ध्वनिकार का कथन उचित सिद्ध होता है । ४१३। गुण, वृत्ति, और अलङ्कार होते हैं ध्वनिकाव्य के अंग, इसलिए ध्वनिकाव्य और अलंकार आदि में भेद मानना आवश्यक है सुतरां दोनों को एक नहीं कहा जा सकता । दोनोंकी एकता युक्ति सिद्ध नहीं । ४१४। आलंकारिक काव्य अर्थ में “अलङ्कार पद का प्रयोग ध्वनिकार ने प्रचुर मात्रा में किया है यह सदा स्मरण रखना चाहिए, इसलिए प्रकृत कथन संगति लाभ करता है । ४१५। जब यह स्वीकार कर लिया गया है कि अवयव अवयवी से सर्वथा भिन्न हुआ करता है तब अवयव और अवयवी के बीच अपृथग्भाव अर्थात् नियमित-सहभाव कैसे होता है ? ४१६। क्योंकि परस्पर भिन्न होनेवाले घट और पट आदि में तो अपृथग्भाव देखा जाता नहीं । तदनुसार भिन्नता होने के कारण अवयव और अवयवी में अपृथग्भाव नहीं होना चाहिए । ४१७। यह शंका ध्वनिकार के द्वारा “अपृथक……” इत्यादि ग्रन्थ से दिया गया है । अभिप्राय यह है । ४१८।

नित्यः सम्बन्धो हि ज्ञेयः प्रकृतोऽपृथग्-भागः ।

ना अमेदः सम्बन्धः, सम्बन्धस्य द्विनिष्ठत्वात् ॥४१९॥

द्वित्वं नैकस्मिन् स्यात् तात्त्विकमेतत्तु निर्णीतम् ।

अपृथग्भावः स्तर्हि स्यात् कथमेकप्रतिष्ठितः सत्यः ॥४२०॥

तिष्ठत्यंगेष्वंगो समवायान्नित्य-सम्बन्धात् ।

भेदात्मकादभेदः तस्मान्नांगांगिनो रैक्यम् ॥४२१॥

अंगोऽलंकारादिः ध्वन्यंगित्वं कदाचिदपि ।

स्वस्मिन् सन्धारयितुं स्याच्छक्तो नेति मन्तव्यम् ॥४२२॥

समवाय-स्त्रीकारे विमतिर्विज्ञे विधेया नो ।

यस्मादुत्पत्तिर्नो निर्वाच्या तं विना कैश्चित् ॥४२३॥

प्रकृत में "अपृथग्भाव" का अभिप्रेत अर्थ नित्य-सम्बन्ध समझना चाहिए। अभेद सम्बन्ध नहीं हो सकता। क्योंकि प्रत्येक सम्बन्ध द्विष्ठ हुआ करता है, अर्थात् दो को आश्रयण करके ही रहता है। ४१९। एक में तात्त्विक द्वित्व कभी हो नहीं सकता यह निर्णीत है। फिर अपृथग्भाव भी एक मात्र में सत्य कैसे हो सकता है। ४२०। इसलिए यही मानना होगा कि भेदात्मक समवाय सम्बन्ध से अवयवी अपने अवयव में रहता है। इसलिए अंग और अंगी का अभेद अर्थात् एकता सम्भव नहीं। ४२१। इस प्रकार विचार के अनुसार अंगभूत अलंकार आदि अपने में अंगित्व ला सकते नहीं, यह मानना होगा। ४२२। विज्ञों को समवाय के स्वीकार में अपनी विमति नहीं उपस्थित करनी चाहिए। क्योंकि समवाय सम्बन्ध को मान्यता दिये बिना "उत्पत्ति" का निर्वचन सम्भव न हो पायेगा। कोई भी समवाय सम्बन्ध की मान्यता के बिना उत्पत्तिका निर्वचन नहीं कर सकता। ४२३।

सत्तायाः समवायो घटे घटोत्पत्तिरिति तत्त्वम् ।

यद्वाकपालयोरथ घट-समवायो घटोत्पत्तिः ॥४२४॥

आद्यक्षणसम्बन्धो नोत्पत्तिः शक्यते वक्तुम् ।

आद्यत्वा ऽनिर्वनात्, सतोर्द्वयोरेव सम्बन्धात् ॥४२५॥

उत्पत्तेः पूर्वं नो घटो भवेत् येन सम्बन्धः ।

आद्यक्षणस्य भूयादियं निरुक्ति स्ततो नेष्टा ॥४२६॥

उत्पत्तेः समवायत्वेऽपीयं कठिनता भाति ।

समवायः स्यात् कस्मिन् को वा समवायतस्तिष्ठेत् ॥४२७॥

“उत्पत्ति” का सही निर्वचन यही हो सकता है कि किसी में सत्ता का समवाय ही होती है उसकी उत्पत्ति । जैसे घड़े कपड़े आदि म होनेवाले सत्ता के समवाय को ही उनकी उत्पत्ति कहा जा सकता है । अथवा यह कहा जा सकता है कि अपने उपादान-कारण में होने वाला अपना सम्बन्ध ही है किसी वस्तुकी अपनी उत्पत्ति । इसे जिन दो कपालों को जोड़कर घड़ा बनता है उनम होनेवाला घड़े का समवाय संबंध ही होती है घट की उत्पत्ति । इस प्रकार जिन तन्तुओं को ताना-वाना देकर वस्त्र बनता है उन तन्तुओं में होनेवाला पट का समवाय ही है पटोत्पत्ति । ४२४ “आद्यक्षण सम्बन्ध” अर्थात् सर्वप्रथम-क्षण के साथ होनेवाला किसी वस्तु का सम्बन्ध ही है उस वस्तु की उत्पत्ति, यह उत्पत्ति की परिभाषा इसलिए सही नहीं कही जा सकती कि “आद्यक्षण” का निर्वचन सम्भव नहीं । दूसरी बात यह कि अपनी उत्पत्ति के पूर्व तो कार्य वस्तु होती नहीं कि उसके साथ होने वाले “प्रथम क्षण” के सम्बन्ध को उसकी उत्पत्ति माना जा सके । ४२५। यह कठिनता तो उत्पत्ति को समवाय स्वरूप मानने पर भी समान ही होगी । क्योंकि उत्पत्ति से पहले उस वस्तु के न होने के कारण उसमें कैसे सत्ता का समवाय सम्बन्ध हो पायेगा ? या कैसे उस उत्पन्न वस्तुका अपने उपादान-कारण में समवाय हो पायेगा जिसे उत्पत्ति कहा जायेगा ? । ४२६। ४२७। ऐसी यदि

प्रभवेद् यदि शंकेयं तस्याः प्रोत्तरमिदं ज्ञेयम् ।

उत्पत्तिः समवाये प्रतियोगित्वानुयोगित्वे ॥४२८॥

वैकल्प्येन ज्ञेया तथा च नो दोष उद्भाव्यः ।

यावन्नतयोरेकं न तावदुत्पत्तिरपि मान्या ॥४२९॥

सत्ताप्रतियोगिकतां वहन्नसौ भाति समवायः ।

तद्वद् घटानुयोगिकतामपि घटो, मतन्त्वेत् ॥४३०॥

तस्मात् समवायोऽसौ प्रतियोगित्वानुयोगित्वे ।

बहतीत्यन्यतरस्योत्पत्तित्वं मान्यतास्थानम् ॥४३१॥

उत्पत्तिरन्यैव स्यात्कविभिः काव्यविद्भिश्च ।

नैवान्यथा महत्त्वं स्यात् सूत्रवे नूतनाकरणात् ॥४३२॥

शंका उठायी जाय तो उसका उत्तर यह ज्ञातव्य है कि समवाय में आनेवाली प्रतियोगिता या अनुयोगिता है उत्पत्ति, यह अभिप्राय सम्भूतना चाहिए। तब उक्त दोष का उद्भावन सम्भव नहीं। जबतक किसी वस्तु में समवाय की प्रतियोगिता या उसके अंगों में अनुयोगिता न आये तबतक उसकी उत्पत्ति मान्य नहीं ॥४२८॥४२९॥

घटोत्पत्ति के स्थल में समवाय-सम्बन्ध, सत्ता-प्रतियोगिक और घटानुयोगिक रूप में विद्यमान होता है। अतः वहाँ समवाय सम्बन्ध जहाँ एक ओर से सत्ता का अनुयोगी बनता है वहाँ दूसरी ओर घड़े का प्रतियोगी। अथवा जहाँ वह घड़े का अनुयोगी बनता है वहाँ ही कपालात्मक घटोपादान का प्रतियोगी। अतः इस प्रकार समवाय आनेवाली प्रतियोगिता या अनुयोगिता को भलीभाँति घट-पट आदि किसी भी वस्तु की उत्पत्ति कहा जा सकता है ॥४३०॥४३१॥ कवि और सहृदय दोनों को उत्पत्ति माननी ही होगी। क्योंकि उत्पत्ति न मानने पर कवि का क्या महत्त्व रह जायेगा? उत्पत्ति न मानने पर वह कोई नया काम करने वाला हो नहीं पायेगा ॥४३२॥ कवि का निर्माण विधाता

कविनिर्मितश्चतुर्मुखनिर्मितो भाति भव्यांगी ।
 इति बहुशः प्रतिपादित मास्ते काव्योयतत्त्वज्ञैः ॥४३३॥
 नोनिर्मितिरुत्पत्ते रन्या काचन विचारार्हा ।
 सा समवायो नान्यत् किमपीत्युक्तं विशेषेण ॥४३४॥
 आस्तां वा समवायोऽभेदः सत्कार्य-वादिनये ।
 किन्तु विभेद-सहिष्णुत्वं मान्यं निश्चितं तेन ॥४३५॥
 भेदस्यांगीकारे तादात्म्यं सर्वथा, नैव ।
 अंगांगिनो हि यस्मा दलंकृते स्तेन नो ध्वनिता ॥४३६॥
 एतेनेदमपास्तं शोकः श्लोकत्व मागत स्तर्हि ।
 क्रौञ्चद्वन्द्व-वियोगात् कथमथ हस्त्यः पुराऽदिकवेः ॥४३७॥

के निर्माण से कहीं अच्छा होता है, यह अनेकत्र काव्य-तत्त्वज्ञ मनी-
 षिजों के द्वारा कहा गया है ॥४३३॥ विचार करने पर निर्माण को
 उत्पत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता । और वहाँ उत्पत्ति
 समवाय के अतिरिक्त अर्थात् समवाय सम्बन्ध में आनेवाली प्रति-
 योगिता या अनुयोगिता के अतिरिक्त कुछ नहीं कही जा सकती है
 यह विशेष रूप से बतलाया जा चुका है ॥४३४॥

अथवा सत्कार्यवादी-सिद्धान्त के अनुसार समवाय को “अभेद” सम्बन्ध
 ही माना जाय, फिर भी उसमें भेद सहिष्णुता माननी ही होगी ॥४३५॥
 और भेद की भी मान्यता पर अंग और अंगी में अत्यन्त तादात्म्य
 नहीं माना जा सकता इसलिए अलङ्कार को ही ध्वनि नहीं कहा जा
 सकता ॥४३६॥ इस विवेचन से यह भी प्रश्न खण्डित हो गया कि यदि
 अंग और अंगी का अभेद न माना जाय तो यह कथन कैसे संगत होगा
 कि प्राचीन काल में आदि कवि वाल्मीकि के हृदयगत क्रौञ्च-क्रौञ्ची-
 वियोग-जनित शोक श्लोक बन आया ॥४३७॥

ध्वन्यन्तर्गतिरास्तां क्वचित् कथञ्चित्कथञ्चित् ।

अप्रस्तुतप्रशंसाविवेचने प्रोक्तमेवैतत् ॥४३८॥

कथितः सूरिभिरितिकारिकांशतः प्रोक्तमेतद्धि ।

उक्तं विद्वदुपज्ञं यथाकथञ्चित् प्रवृत्तं नो ॥४३९॥

वैयाकरणाः प्रथमे विद्वांशः, सर्वविद्यानाम् ।

मूलं व्याकरणं यत्, तैर्वर्णार्थो ध्वनिः कथितः ॥४४०॥

श्रवणेन्द्रिय-गोचरता मुपादधानेषु शब्देषु ।

ध्वनिरिति संज्ञादत्ता बहुपूर्वं व्याकृतिप्रज्ञैः ॥४४१॥

फलतो वैयाकरणाः फोटस्य व्यञ्जकं शब्दम् ।

नादात्मानं प्रोचु ध्वनिनाम्ना तेन नाख्यातिः ॥४४२॥

यह बात अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार को लेकर उठाये गये प्रश्न के उत्तरात्मक विवेचन के अवसर पर कही जा चुकी है कि ध्वनि का क्षेत्र अति-विस्तृत होने के कारण कुछ अलङ्कार-काव्य भले ही ध्वनि काव्य के अन्दर आ जायें परन्तु ध्वनि को किसी अलंकारमें गतार्थ नहीं किया जा सकता है ॥४३८॥

ध्वनिकार ने “ध्वनि लक्षण वाक्य में “सूरिभिः कथितः” अर्थात् विद्वानों के द्वारा कहा गया” इसके द्वारा यह बतलाया गया है कि उत्तम काव्य विशेष का “ध्वनि” यह नामकरण विद्वानों के द्वारा हुआ, कि अविचार से ही ये प्रवृत्त हो पड़ा ॥४३९॥ सारी विद्याओं का मूलभूत शब्दार्थ-ज्ञान यतः व्याकरण-शास्त्र से ही प्राप्त होता है अतः वैयाकरण-शास्त्र प्रथम-विद्वान् कहलाते हैं। और उनके द्वारा वर्णात्मक शब्द अर्थ में ध्वनि शब्द का प्रयोग किया गया ॥४४०॥ सारांश यह कि श्रोत्रेन्द्रिय के विषय बननेवाले शब्दों को बहु-पूर्वकाल में ही व्याकरण-शास्त्रज्ञ विद्वानों के द्वारा ध्वनि-संज्ञा दी गई थी। फलितार्थ यह हुआ कि वैयाकरणों ने स्फोट नामक अखण्ड एवं अक्रम नित्य अश्रूयमाण शब्द को व्यक्त करने वाले वैखरीभावापन्न नादा-

नो वा यथाकथञ्चित् प्रवृत्तपूर्वा ध्वनिख्यातिः ।

वाद्यादीनां शब्दा अपि साम्यात् ध्वनितया ख्याताः ॥४४३॥

स्फोटः शब्दः कस्मात् मान्यः शाब्दिक-नये मित्रः ।

वर्णभ्यो, जिज्ञासां चेत् तत्तत्त्वं प्रगृह्यता मेतत् ॥४४४॥

वर्णसमूहः पदमथ पदसमुदायश्च वाक्यं स्यात् ।

वाक्यानां समवायो व्रजति महावाक्यतां पश्चात् ॥४४५॥

फलतो वर्णसमूहो वाक्यं महदपि भवेन्नान्यत् ।

क्रमिका वाक्यगवर्णाः तस्मात् क्रमशः श्रुतिस्तेषाम् ॥४४६॥

नित्या अपि सन्तो ननु वर्णाः शाब्दिकनये नैव ।

श्रूयन्ते समयकस्मिन्निति सर्वे विजानन्ति ॥४४७॥

आविभावतिरोभावौ वर्णानां ध्रुवं वाच्ये ।

क्रमिकश्रुतिसम्पादकतया, यतो नास्ति गतिरन्या ॥४४८॥

तमक शब्दों को "ध्वनि" नाम से पुकारना प्रारम्भ किया था। अतः "ध्वनि" यह नाम आख्यात न था, उसकी ख्याति पहले भी थी। सार्थक रूप में ध्वनि नाम का प्रचार पहले भी था। अतः पूर्व काल में उसकी श्रुत्याति नहीं कही जा सकती। ४४३। वैयाकरणों के मत में वर्णात्मक श्रूयमाण शब्दों से अतिरिक्त स्फोटात्मक शब्द क्यों माना गया? यह जिज्ञासा हो तो उसका तत्त्व यह ज्ञातव्य है। ४४४।

वर्ण-समूह होता है पद, पद-समुदाय होता है वाक्य, और वाक्य-समुदाय महावाक्य। ४४५। फलतः वाक्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह होगा वर्णात्मक ही। वे वर्ण जो कि वाक्य के अन्दर आते हैं, नियम-तः क्रमिक ही होते हैं, इसीलिए वे सुने भी क्रमसे ही जाते हैं। ४४६। वैयाकरणों के मतमें नित्य होने पर भी वर्ण क्रमिक ही सुने जा पाते हैं, यह सर्व विदित है। ४४७। क्रमिक रूपमें होने वाले श्रवण के सम्पादक रूप में वर्णोंका आविर्भाव और तिरोभाव जरूर मानना होगा, क्योंकि अन्य कोई उपाय नहीं। ४४८। वाक्यार्थ-बोध के पहले सम्पूर्ण

वाक्यार्थबोधपूर्वं ना अव्यवधानेन सम्पूर्णम् ।

वाक्यं श्रुतिपथमाप्ते कथमथ जनयेदखण्डबोधन्तत् ॥४४९॥

अव्यवहितपूर्वस्मात् कारणतः कार्यसम्पत्तिः ।

नैवान्यथेति मान्यं विद्यत एवाथ सर्वेषाम् ॥४५०॥

एतस्मान्ननु हेतोः क्रमरहितः स्फोटशब्दाख्यः ।

शब्दः कश्चन नित्यो मन्तव्योऽर्थ-स्फुटीकरण-हेतोः ॥४५१॥

सत्येवं ननु तस्मात् कुतो न वाक्यार्थ-बोधः स्यात् ।

सततम्, यतोहि नित्योऽसौ मान्यः क्रमविमुक्तत्वात् ॥४५२॥

अस्य प्रश्नस्योत्तरदानाय व्यंग्यता तत्र ।

किञ्चिन्निष्ठ-व्यञ्जकतया निरूप्या भ्रुवं मान्या ॥४५३॥

व्यञ्जकता साऽन्त्ये यदि वर्णं मान्या तदान्येषाम् ।

पूर्वेषां वर्णानां वैयर्थ्यं स्यात् सुदुर्वारम् ॥४५४॥

वाक्य अव्यवहित रूप में पूरे वाक्यार्थ का बोधक कैसे हो सकता ।४४९।

अव्यवहित पूर्ववर्ती कारण से ही कार्य हुआ करता है अन्यथा नहीं, यह तो सबको मान्य है ।४५०। इसलिए वाक्यार्थ के स्फुटीकरणार्थ क्रम-रहित नित्य शब्द मान्य होता है । जिसका नाम अपने कार्य के अनुसार होता है “स्फोट” ।४५१। ऐसा मान्य होने पर अब प्रश्न यह उपस्थित हो आता है कि फिर उस नित्य स्फोट शब्द के बल पर सदा ही वाक्यार्थ बोध क्यों न होता रहता है ? क्योंकि नित्यता के कारण उसका अभाव भी कहा नहीं जा सकता । नित्य वह इसलिए मान्य होगा कि वह क्रम-विमुक्त होगा ।४५२। इस प्रश्न के उत्तरदानार्थ उस स्फोट को व्यंग्य माना जाता है जिससे अपनी अव्यक्तता के समय वह बोध न करा पावे । उसे इस प्रकार “व्यंग्य” मानने के लिये बाध्य होने पर उसका व्यञ्जक भी अवश्य मान्य होगा ।४५३। वह व्यञ्जकता यदि वाक्य के अन्तिम वर्ण में मानी जाय तो अन्य सभी वाक्यगत-पूर्ववर्ती वर्ण अनिवार्य रूप में व्यर्थ हो उठेंगे ।४५४।

यदि तेषां प्रत्येकं व्यञ्जकता तर्हि पूर्वस्मात् ।

एकस्मादपि वर्णात् पूर्णो वाक्यार्थबोधः स्यात् ॥४५५॥

एवं सति द्वितीयाद्या वर्णा व्यर्थभूताः स्युः ।

तत्सर्ववर्ण-समनुस्यूतो नादः तथा मान्यः ॥४५६॥

नादात्मानो वर्णाः वर्णत्वं तत्स्फुटीभावात् ।

अत एव बाध-शब्दे स्फुटे क्वचिद्वर्णता-बुद्धिः ॥४५७॥

जायत एव कदाचित् भवति यदा वादको निपुणः ।

स्फोट-व्यञ्जकतावात्तादो ध्वनिसंज्ञया प्रोक्तः ॥४५८॥

वैयाकरणैः प्रथमं, यथाकथञ्चित् प्रवृत्तिर्नो ।

पूर्वमपीदं प्रोक्तं नन्ववधानाय पुनरत्र ॥४५९॥

प्रथमे विद्वांसो वैयाकरणा इति तु यत्प्रोक्तम् ।

प्राथम्येनोपक्रमतोक्ता व्याकरण-शास्त्रस्य ॥४६०॥

यदि वाक्य के प्रत्येक वर्ण में पूरे वाक्यार्थ को व्यक्त करने की क्षमता स्वरूप व्यञ्जकता मानी जाय तो किसी एक वर्ण मात्र से पूरा वाक्यार्थ-बोध आपन्न हो उठेगा जो कि अनुभव विरुद्ध होगा ॥४५५॥ साथ ही द्वितीय आदि सारे वर्ण व्यर्थ हो उठेंगे । इसलिये सारे वर्णों में अनुस्यूत नाद को मान्यता देनी पड़ती है ॥४५६॥ नादात्मक होते हैं वर्ण और उन्हें वर्ण कहा जाता है स्फुटीभाव के कारण । इसलिये बाध के शब्द भी वादक की निपुणता के कारण जब स्फुटीभूत होते हैं तो सुननेवालों को उनमें वर्ण-बुद्धि हो उठती है । इस प्रकार स्फोट-व्यञ्जकनाद वैयाकरणों के द्वारा ध्वनि नाम से सर्वप्रथम कहे गये । ध्वनि नाम का प्रचलन, निष्कारण यों नहीं चल पड़ा, यह बहुत पहले भी कही गयी थी और यहाँ फिर उस ओर ध्यान दिलाया गया है ॥४५७, ४५८, ४५९॥

वैयाकरणों को प्रथम विद्वान् जो कहा गया है वह इसलिये कि व्याकरण-शास्त्र, प्रथम अध्येय होने के कारण उपक्रम का स्थान ग्रहण करता है ॥४६०॥ मीमांसकगण उपक्रम-पराक्रम के पक्षपाती हैं ।

प्रभवत्युपक्रम-पराक्रम इति मीमांसका जगदुः ।

पाश्चात्यो न क्वचिदपि संजात-पराक्रमो भवति ॥४६१॥

पूर्वमपेक्ष्य, प्रथमः संजात-पराक्रमो भवति ।

तस्मात् परतः परतो दौर्बल्यं तन्मते मान्यम् ॥४६२॥

एतेनेदं ध्वनितं ध्वनिकर्त्रा ध्वनि-निषेधेऽपि ।

प्रतियोगितायाऽपेक्षा ध्वने रतस्तस्य बलवत्त्वम् ॥४६३॥

शब्दार्थयोर्हि मध्ये शब्दः प्रथमं श्रुतो भवति ।

तस्माच्छाब्दी विद्या फलतो बीजत्व मासैव ॥४६४॥

बीजस्य प्राथम्यं सर्वानुमतं न वै विमतम् ।

तस्माद्वैयाकरणाः प्रथमे विद्वांस इत्युक्ताः ॥४६५॥

समघोत-व्याकरणो गुहीतकोशो जनो बालः ।

नैयायिकस्य गेहे, प्राथम्यं तेन तेषां हि ॥४६६॥

उनका कहना है कि पूर्व की अपेक्षा से परवर्ती परक्रमी नहीं माना जाता है । प्रथम ही पराक्रमी होता है इसलिये उनके मत में पीछे-पोछे वाले पूर्व पूर्व से दुर्बल हुआ करते हैं । ४६१, ४६२ । इससे ध्वनिकार ने प्रकृत में यह भी सूचित किया है कि ध्वनि का निषेध करने वालों को भी उस निषेध के लिए प्रतियोगी के रूप में ध्वनि को मान्यता देनी होगी । अतः निषेध के पूर्ववर्ती ध्वनि को, प्रबलता मान्यता की दृष्टि से प्राप्त हो जायेगी । ४६३ । शब्द और अर्थ के बीच पहले शब्द ही सुना जाता है इसलिये शाब्दी-विद्या अर्थात् व्याकरणविद्या बीज के स्थान को प्राप्त करती है । ४६४ ।

बीज की प्रथमता सर्वानुभूत है, किसी को इसमें विमत नहीं है । इसलिये ध्वनिकार ने वैयाकरणों को प्रथम विद्वान् कहा । ४६५ । किन्तु नैयायिकों के घर में व्याकरण और कोश का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेने पर ही कोई व्यक्ति बालक भी कहलाने का अधिकारी हो पाता है । ४६६ । पग-पग पर स्खलन प्राप्त करने वाला शिशु, समर्थ

बालो नैव समर्थः स्खलनं गच्छन् पदे पदेऽतितराम् ।
 किन्तु समर्थः क्वाऽपि प्रभवेन्नाप्राप्त-शैशवः कश्चित् ॥४६७॥
 प्रभवत्त्वसमर्थत्वं बाले प्राथम्य मस्त्येव ।
 तस्माद् युक्ता प्रोक्ति ध्वनिकारस्येति विज्ञेयम् ॥४६८॥
 ये वाच्यवाचकत्वेनैव चमत्कार मुपयाताः ।
 ते तत्पीठ-विमर्दाः शब्द-प्राधान्य-बुद्धिस्थाः ॥४६९॥
 अप्यव्यंग्यं काव्यं चामत्कारिकतया प्रोचुः ।
 ध्वनिसंज्ञया, यतो नो बुद्धिस्तेषामभूत् सूक्ष्मा ४७०॥
 फलतोऽग्निमर्णवको व्यवहारोऽयं यथा गौण्या ।
 व्याहृतिरेवं काव्ये ध्वनिरिति जाता तथा गौण्या ॥४७१॥
 पंतावत्पर्यन्तं त्वासीद् देहात्मवाद--तुर्यत्वम् ।
 सुश्लेक्षिकोदयेत्वथ व्यंग्य-प्राधान्य मीक्षितं तत्र ॥४७२॥

सबल नहीं होता है, यह तो सही है, परन्तु प्रत्येक समर्थ व्यक्ति पहले शैशवं अवश्य प्राप्त किया होता है । बालक में हो असमर्थता ही क्यों नहीं, किन्तु प्राथम्य उसमें रहता ही है । इसलिए भी ध्वनिकार की उक्ति उचित होती है यह ज्ञातव्य है ॥४६८॥ ऐसे लोग जो कि वाच्यता और वाचकता को लेकर संतुष्ट थे, उसीके आधारपर पूर्ण आस्वाद प्राप्त करने वाले थे, वे वाच्यता और वाचकता को ही महत्त्व देने वाले तथा काव्य-शरीर शब्द पर ही आस्था रखनेवाले थे ।

व्यंग्य-रहित काव्य को भी चमत्कारी मानते और कहते थे । वे उस काव्य को ही ध्वनि अर्थात् उत्तम काव्य इसलिए कहते थे कि उनकी बुद्धि सूक्ष्म थी नहीं ॥४६८, ४६९॥ फलतः 'अग्निमर्णवकः' अर्थात् 'यह उपनीत बालक आग है' इत्यादि वाक्य-प्रयोग जिस प्रकार गौणी अर्थात् सादृश्य-मूलक लक्षणा के आधार पर होता है, उसी प्रकार, उक्त-प्रकार वाच्य और वाचक-प्रधान काव्यों में यह ध्वनि-काव्य अर्थात् उत्तम काव्य है यह व्यवहार गौणी लक्षणा के आधार

नो देहः खल्व्वात्मा तद्विपरीतो यथा किन्तु ।

तद्वच्छब्दो, वाच्यो, नात्मा काव्यस्य, तु व्यंग्यः ॥४७३॥

वस्त्वथवाऽलंकारो रसोऽथवा कोऽपि यः सोऽर्थः ।

प्रभवेच्चमत्कृतिकरो ध्वनिता काव्ये ततो ज्ञेया ॥४७४॥

ध्वनिसिद्धान्तः खल्वयमेवं क्रमिकं विकासमुपयातः ।

आह तथैवेत्यादिक-वृत्त्या ध्वनिकृत् स्फुटन्वेतत् ॥४७५॥

प्रोक्ता महाविषयता येयं ध्वनिकाव्यगा स्पष्टा ।

तस्याः क्षोदिष्ठत्वं ध्वने निरस्तं समाक्षिप्तम् ॥४७६॥

आक्षिप्तं यत् पूर्वं ह्यानन्त्याद् वाग्विकल्पानाम् ।

इत्यादिना, निरासो नचेति तस्याः समुद्दिष्टः ॥४७७॥

विषयाल्पत्वान्नास्ति ध्वनि, भवन्नपि महान्नासौ ।

तेन ज्ञातुं मशक्यो नाणुः प्रत्यक्ष-विषयो हि ॥४७८॥

पर होता था ॥४७०, ४७१॥ यहाँ तक का ध्वनि काव्य-सम्बन्धी व्यवहार देहात्मवाद के समान था । जब सूक्ष्म ईक्षण का उदय हुआ तब वहाँ व्यंग्य अर्थ का प्राधान्य पाया गया ॥४७३॥ जिस प्रकार आत्मा देह नहीं किन्तु देह से तत्त्वतः अतिरिक्त है, इसी प्रकार शब्द या वाच्य अर्थ काव्य की आत्मा नहीं है किन्तु व्यंग्य अर्थ ही काव्य की आत्मा है, वही काव्य का सार होता है ॥४७३॥ काव्य के अन्दर वस्तु अलंकार या रस आदि जो कोई चमत्कारी व्यंग्य हो, काव्य का ध्वनित्व उसी के कारण मान्य है ॥४७४॥

“यह एक निश्चित तथ्य है कि यह ध्वनि-सिद्धान्त इस प्रकार क्रमशः विकसित हुआ” इसे ध्वनिकार ने स्फुट रूप में “तथैव” इत्यादि वृत्ति के द्वारा स्पष्ट किया है ॥४७५॥ ध्वनि काव्य में जो स्पष्ट रूप से महाविषयता बतलायी जा चुकी है उसके कारण वह निरस्त हो गया जिसे इस प्रकार पूर्वपक्षी द्वारा उपस्थित किया गया था कि ध्वनि के मान्यता में कोई क्षोदक्षम तत्त्व नहीं दीख पड़ रहा है ॥४७६॥ और यह जो पहले आक्षेप किया गया था कि वाग्-विकल्प अनन्त है

ननु नेदं वक्तव्यं, मुष्टिग्राह्यै रलंकारैः ।

सुमहान् ध्वनिभारो नो वोढुं शक्यो यतः काव्ये ॥४७९॥

तस्मान्मूर्द्धन्यतया ध्वनिरवधार्योऽखिले तत्र ।

क्षोभोऽसमतोद्भावनजः सद्योऽस्य प्रकृतज्ञैः ॥४८०॥

कथयति कंचित् काणं यदि काणोऽसीति क्लैप्यन्यः ।

प्रभवत्येषहि कोपी काणोऽसौ नात्र सन्देहः ॥४८१॥

तत्कोप-विप्रयोगो वक्ता सद्यो, यतस्तेन ।

दोषोद्भावन-दोषो निजीकृतः स्वेच्छया भवति ॥४८२॥

तस्मान्ननु नोद्भाव्यं कलुषीकृत-शेमुषीकृतम् ।

ध्वनि-मर्मज्ञै रस्माभिरिति नचेत्यादिना प्रोक्तम् ॥४८३॥

अर्थात् वाणी की शैलियाँ अनन्त हैं, ध्वनि भी उन्हीं के अन्दर आ जायेगा इत्यादि उसका खण्डन 'नच' इत्यादि के द्वारा ध्वनिकार ने उपस्थित किया है । ४७७। विषयगत कोई वैशिष्ट्य न होनेके कारण या तो ध्वनि है नहीं, और यदि कथञ्चित् उसे मान भी लिया जाय तो वह कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं । इसलिए वह जाना एवं जनाया नहीं जा सकता । क्योंकि महत्त्व-रहित अणु प्रत्यक्ष देखा जाता नहीं इत्यादि बातें नहीं कही जा सकती क्योंकि मुठी भर अलङ्कारों के द्वारा अति महान् ध्वनि का भार-धारण काव्य-स्थलों में सम्भव नहीं । ४७८, ४७९।

इसलिये समग्र काव्यों के अन्दर ध्वनि काव्य को मूर्धन्य काव्य अर्थात् उत्तम काव्य मानना चाहिए । काव्यों के अन्दर ध्वनि को उत्तम काव्य कहकर जो विषमता का उद्भावन किया जाता है, तत्प्रयुक्त यदि कुछ लोग क्षुब्ध हो उठते हैं तो प्रकृत ध्वनि-रहस्यज्ञों का यह कर्तव्य हो आता है कि वे भी क्षोभ के बदले क्षोभ नहीं करें । ४८०। यदि किसी काने को स्वयं काना न होने वाला कोई व्यक्ति 'काना' कहे, तो अपने को काना कहने वाले के प्रति वह काना क्रुद्ध होता ही है । परन्तु क्रुद्ध होकर यदि वह काना व्यक्ति अपने को काना कहने वाले व्यक्ति को अवाच्य कहे तो उस काने को काना कह कर छेड़ने

इत्यध्वन्यध्वानं निरस्य, मेदो ध्वने रुक्तः ।

सामान्येन, विशेषात् यतोऽसौ वक्ष्यमाणोऽग्रं ॥४८४॥

कस्मात् लक्ष्यकुक्षौ व्यंग्यनिवेशो, ध्वनिर्न तदा ।

इत्यनिरस्य विभागः कुतः कृतो नेदमाशङ्क्यम् ॥४८५॥

लक्षण-समुदाहरणाभ्यामथ सामान्य-विज्ञाने ।

संजाते ह्यक्षेपोऽथवा निरासो यतो युक्तः ॥४८६॥

समुदाहरणं नियमात् भवति विभक्तस्य नान्यस्य ।

सामान्यं नो यस्माद् विशेषकूटातिगं सिद्धम् ॥४८७॥

वाले का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने अपराध को देखते हुये अपने प्रति कही गयी बुरी बातों को सह्य करे । क्यों कि वह छेड़ने वाला दोषोद्भावनात्मक दोष को अपनाता है । ४८१, ४८२ । इसलिए हम ध्वनि मर्मज्ञों का यह प्रबल कर्तव्य होता है कि हम लोग भी अपने हार्दिक क्षोभ का प्रदर्शन न करें इसी बात को ध्वनिकार ने "नच...." इत्यादि के द्वारा बतलाया है । ४८३ । इस प्रकार ध्वनि विरोधियों के अनुचित विचार-मार्ग का खण्डन कर के ध्वनिकार ने यहाँ सामान्य रूप से ध्वनि के प्रभेद बतलाये हैं । क्यों कि विशेष रूप से उन्हें आगे चलकर बतलाया जायेगा । ४८४ ।

व्यंग्य का अन्तर्भाव लक्ष्य अर्थ के अन्दर ही क्यों न माना जाय ? क्योंकि तब तत्त्वतः ध्वनिकाव्य मानने का प्रश्न ही नहीं रहेगा, इस प्रश्न का खण्डन किये बिना ही ध्वनि का विभाजन क्यों ध्वनिकार पहले उपस्थित कर रहे हैं ? यह आशंका नहीं करनी चाहिये । ४८५ । क्योंकि लक्षण और उदाहरणों द्वारा ध्वनि का व्यापक रूप से ज्ञान हो जाने के अनन्तर ही तबीन आशंका और उसका खण्डन उचित है । ४८६ । उदाहरण रूपमें उपस्थापन, नियमतः विभक्त का ही सम्भव होता है । क्योंकि सामान्य, तत्त्वतः विशेषकूट का अतिक्रामक होता नहीं । ४८७ ।

अविवक्षित-वाच्यत्वं विवक्षितान्य-पर-वाच्यत्वम् ।

एतद्व्यं विरुद्धं ध्वनिगं तस्मात् ध्वने भेदः ॥४८८॥

अविवक्षितवाच्योस्ति प्रथमो भेदो ध्वने रस्य ।

ज्ञेयो ननु द्वितीयो विवक्षितान्यपर-वाच्यो हि ॥४८९॥

सौवर्णपुष्परुचिरां पृथ्वीं पुरुषास्त्रयो विचिन्वन्ति ।

शूरः कृतविद्यो वा यो वा जानाति सेवितुं नितराम् ॥४९०॥

इत्याद्योदाहरणं यस्माद्वाच्यो विवक्षितो भवितुम् ।

नार्हत्येव, सुमनसामस्वार्णत्वा दतस्तेषाम् ॥४९१॥

शूरादीनामर्थ-प्राप्तिर्लक्ष्या, प्रकर्षः स्यात् ।

व्यंग्यः तत्रायासाभावो वैपुल्यमित्यादिः ॥४९२॥

अविवक्षित-वाच्यता और विवक्षितान्य-परवाच्यता ये दोनों धर्म परस्पर विरोधी हैं जो कि ध्वनिगत हैं, अतः इनसे युक्तरूप में ध्वनि का भेद माना जाता है ॥४८८॥ तदनुसार प्रथम (१) अविवक्षित-वाच्य-ध्वनि और (२) द्वितीय विवक्षितान्य-परवाच्य-ध्वनि ये दो ध्वनि के प्रभेद हैं ॥४८९॥ “(१) शूर (२) विद्वान् और (३) सेवा-विशेषज्ञजन ये तीन, खिले हुए सोने के फूलों से भरे अतएव अति सुन्दर भूभाग का चयन करते हैं, उसे प्राप्त करते” ॥४९०॥ यह प्रथम अर्थात् अविवक्षित-वाच्य-ध्वनिकाव्य का उदाहरण ज्ञातव्य है । क्योंकि यहाँ सोने के फूल का खिलना सर्वथा असम्भव है तदनुसार वैसे फूलों से भरी न तो पृथिवी हो सकती है और न उसका चयन, अतः वाच्य अर्थ विवक्षित नहीं माना जा सकता ॥४९१॥ इसलिये मानना यह होगा कि प्रकृत काव्यस्थल में “शूर आदि उन गुणीजनों को अर्थ प्राप्ति होती है, यह लक्षणालभ्य लक्ष्य अर्थ, और अर्थगत अर्थात् धनगल विपुलता एवं उस विपुल धन की प्राप्तिगत अनायासता आदि होते हैं व्यंग्य अर्थ, जो कि चमत्कारी होते हैं ॥४९२॥

क्वतपश्चक्रे कियदथ कीरशिशु र्येन ननु तन्वि ।
 त्वदधरपाटलमेतद् बिम्बं दण्डुं समर्थोऽसौ ॥४९३॥
 इत्यपरोदाहरणं वाच्योऽन्यपरो विवक्षितो यस्मात् ।
 वाच्यार्थस्यावाधादविवक्षितवाच्यता नाऽत्र ॥४९४॥
 त्वदधरसदृशास्वादः सुदुर्लभश्चेत् कथा तर्हि ।
 का ननु तवाधरास्वादस्येति व्यंग्यभूतोऽर्थः ॥४९५॥
 तत्रोपसर्जनत्वं बिम्बास्वादस्य वाच्यस्य ।
 कीरशिशुकर्तृकस्येत्येतोन्यपरता सुविज्ञाता ॥४९६॥
 भक्ति ध्वनिरिति प्रोक्तं यदध्वनेः पक्षतः पूर्वम् ।
 तस्य निरासो भक्त्येत्यादि ग्रन्थेन सम्प्रोक्तम् ॥४९७॥

'हे सुन्दरी ! इस सुगो के बच्चे ने कहाँ जाकर कितना तप किया कि तेरे अधर के समान लाल इस बिम्बफल के दंशन में अर्थात् उस पर चोंच गड़ाने में समर्थ हो रहा है ?' ॥४९३॥ यह काव्य= वाक्य द्वितीय का अर्थात् विवक्षितान्य-परवाच्य ध्वनि का उदाहरण है । क्योंकि यहाँ वाच्य अर्थ पूर्व उदाहरण-काव्य की तरह बाधित होता नहीं है अतः विवक्षित है, अविवक्षित तो नहीं है पर सहृदयों के हृदय के लिये वह वाच्य विश्राम-स्थान होता नहीं, अतः उक्त प्रकार वाच्य अर्थ अन्य-पर अर्थात् व्यंग्य-निष्ठ होता है ॥४९४॥ तेरे अधर के सदृश होनेवाले बिम्बफल का आस्वादन जब कि सुदुर्लभ है तब, तेरे अधररस के आस्वादन की दुर्लभता के सम्बन्ध में भला क्या कहना है ? यह होता है व्यंग्य अर्थ । उसके प्रति उक्त प्रकार वाच्यार्थ बिम्बफलाऽऽस्वादन जो कि कीर-शिशु-कर्तृक होता है उपसर्जन हो जाता है, गौण हो जाता है । इस प्रकार वाच्य अर्थ अन्य पर हो जाता है ॥४९५, ४९६॥ अध्वनि अर्थात् ध्वनि-विरोधी पक्ष से जो यह पहले कहा गया था, कि ध्वनि-काव्य भाक्त-काव्य होता है । व्यञ्जनात्मक ध्वनि भक्ति ही है अर्थात् लक्षणा ही है उसका खण्डन "भक्त्या . . ." इत्यादि के द्वारा आचार्य आनन्दवर्धन ने किया है ॥४९७॥

उक्तं प्रकारमाप्तो ध्वनिर्न भाक्तादनन्यत्वम् ।
 धत्ते यस्माद्रूपं परस्परं भिन्नतापन्नम् ॥४९८॥
 पटमठयोरपि भेदः तत्तद्गतरूपभेदेन ।
 प्रभवति नात्र विवादो रूपं यस्मात् स्वभावाख्यम् ॥४९९॥
 शब्दादर्थदथवा तात्पर्येण प्रकाशनं यत्र ।
 मुख्यस्य व्यंग्यस्य ध्वनिकाव्यं तत् समाख्यातम् ॥५००॥
 भक्तिरुपचारमात्रं या गौणी लक्षणा प्रोक्ता ।
 अग्निर्माणवक्रोऽयं सिद्धोवेत्यादि-वाक्योक्तौ ॥५०१॥
 सर्वस्मिन् ध्वनिकाव्ये नो भक्तिर्नियमतो भाति ।
 नाखिलभाक्ते वाक्ये ध्वनिकाव्यत्वं तथा दृष्टम् ॥५०२॥

उक्त अविवक्षित-वाच्य और विवक्षितान्य - पर-वाच्य रूप में विभक्त होनेवाला ध्वनिकाव्य भाक्त नहीं है क्योंकि ध्वनि और भक्ति, ध्वनिकाव्य और भाक्तवाक्य के स्वरूपों में महान् भेद पाया जाता है । ४९८। घड़े कपड़े आदि में भी पारस्परिक भेद तत्तद्गत्त धर्मभेद के ही कारण होता है । क्योंकि स्वरूप और स्वभाव दो हुआ करते हैं इसमें कोई मतभेद नहीं है । ४९९।

यह पूर्ण रूप से निश्चित है कि जिस काव्य-स्थल में शब्द-शक्ति-मूलक या अर्थ-शक्तिमूलक रूप में तत्परतापूर्वक मुख्यभूत व्यंग्य अर्थ का प्रकाशन होता है वह कहलाता है ध्वनिकाव्य । ५००। भक्ति तो उपचार मात्र है, जिसे गौणी लक्षणा कहा जाता है । जैसे किसी व्यक्ति के लिए यदि यह कहा जाय कि “यह आग है” अथवा यह कहा जाय कि “यह शेर है” तो, तो वहाँ “आग” शब्द अथवा “शेर शब्द” जिस अपने में आरोपित अर्थात् प्रदत्तशक्ति के द्वारा मुख्यार्थभूत आग एवं शेर को न समझाते हुए उस अभिप्रेत मानव-विशेष को समझाता है वह अस्वाभाविक शक्ति कहलाती है भक्ति । ५०१। न सभी ध्वनिकाव्यों में उक्त भक्ति-मूलक-भाक्तता रहती है और न सभी भाक्तवाक्यों में काव्यता पायी

अग्निर्वदुरितिवाक्यं भाक्तं सदापि ध्वनित्वविरहि स्यात् ।
 तेजोऽतिशये व्यंग्ये न चमत्कृतिहेतुता यस्मात् ॥५०३॥
 इयं वयःस्था नागर-संगादंगस्य वेदनां हन्ति ।
 अत्रोपचारविरहेष्यस्ति ध्वनिकाव्यता स्पष्टा ॥५०४॥
 नायकनायिकयो र्यत् शृंगारो रस्यतां गच्छन् ।
 अत्र चमत्कृतिकृत्त्वं घत्ते, कस्याऽपि नो विमतिः ॥५०५॥
 एवं ध्वनित्वभक्तयोः समनियतत्वं न विद्यते, तस्मात् ।
 व्यञ्जनभक्तयोर्भेदे, ध्वने स्ततो भाक्तता नैव ॥५०६॥
 अत्यन्तविशकलितयोः पदार्थयो र्यद्धि सादृश्यात् ।
 भेदमतेः स्थगनं तत् स्यादुपचारो, न तन्मात्रात् ॥५०७॥

जाती है ॥५०२॥ “यह छात्र आग है” यह वाक्य भाक्त है किन्तु काव्य न होने के कारण ध्वनि काव्य नहीं । क्योंकि अतितेजस्विता स्वरूप व्यंग्य में चमत्कारिता नहीं । वहाँ कथञ्चित् काव्यता मानी भी जाय तो रिक्सावाले अर्थ में कहे जानेवाले “ओरिक्सा, ओ रिक्सा” इत्यादि रूढ़िमूलक भाक्त-वाक्य में काव्यता नहीं कही जा सकती ॥५०३॥ “यह वयस्था नागर के सङ्ग से वेदना हटा रही है” यहाँ उपचारात्मक भक्ति नहीं है किन्तु ध्वनिकाव्यता स्पष्ट है ॥५०४॥

सौंठ और नागरमोथा के मिलित उपयोग से वेदना-हरण को काव्य रूप में बतलाने वाले इस वाक्यस्थल में यतः नायक और नायिका का शृंगाररस आस्वाद्य होता हुआ चामत्कारी पाया ही जाता है इसमें विवाद नहीं है ॥५०५॥ इस प्रकार, भक्ति अर्थात् लक्षणा और ध्वनिकाव्यता ये दोनों समनियत अर्थात् समानमात्र-स्थान-स्थित नहीं पाये जाते हैं, अतः व्यञ्जना और भक्ति को अलग अलग व्यापार मानना ही होगा । इसलिए ध्वनिकाव्य को भाक्त काव्य नहीं कहा जा सकता । ॥५०६॥ अत्यन्त भिन्न दो पदार्थों के बीच होनेवाली भेद-बुद्धि का स्थगन ही होता है उपचार । इसी के कारण किसी वाक्य को ध्वनि नहीं कहा जा सकता । अतः ध्वनिकाव्य को भाक्त कहना उचित नहीं ॥५०७॥

प्रभवेद् ध्वनित्वयोगो वाक्यस्याकाव्यभूतस्य ।
 तन्नौपचारिकं स्यात् वाक्यं ध्वनिकाव्यतायोगि ॥५०८॥
 भक्तिर्नो ध्वनिलक्षणमव्याप्तं स्यादतिव्याप्तम् ।
 भक्त्यारहिते लक्ष्ये लक्षणभक्तेरनागमनात् ॥५०९॥
 न महत्सौष्ठवमास्ते व्यंग्यकृतं यत्र तत्र खलु भाक्ते ।
 लक्ष्याद्भिन्ने लक्षणभक्ते र्गतिमन्वतश्चापि ॥५१०॥
 प्रकृतार्थं स्पष्टयितुं भक्ते स्समुदाहृति र्वहो ।
 दत्ता ध्वनिकारेण प्रभवति यत्राथ नो ध्वनिता । ५११॥
 ग्लानं विसिनीशयनं वदति कृशांग्यास्सुसन्तापम् ।
 वदतोत्यत्र हि भाक्तं स्फुटोकरोतीत्यभिप्रेते ॥५१२॥
 चुम्बनमपि शतकृत्वः सहस्रकृत्वोऽवरोधोऽपि ।
 युज्यत एव यतो नो प्रेग्णि भवेत्कापि पुनरुक्तिः ॥५१३॥

५०८। भक्ति को ध्वनिकाव्य का लक्षण नहीं माना जा सकता क्योंकि वैसा मानने पर अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोनों प्रकार के लक्षण-दोष आपन्न हो उठेंगे। क्योंकि भक्तिरहित ध्वनिकाव्य में ध्वनित्व रहता है और ऐसे वाक्यों में जहाँ कि व्यंग्यकृत कोई सौष्ठव नहीं ऐसे ध्वनिलक्षण के अलक्ष्यभूतक साधारण वाक्य में भी "भक्ति" अर्थात् लक्षणा पायी जाती है। ५०९।

इस प्रकृतोपयोगी तथ्य को स्पष्ट करने हेतु ध्वनिकारने ऐसे बहुत से उदाहरण उपस्थित किये हैं जहाँ भक्ति है किन्तु ध्वनिकाव्यता नहीं है। ५०९, ५१०, ५११। "यह कमल पुष्परचित-शय्या कृशाङ्गी के सन्ताप को कह रही है" यहाँ स्पष्ट "कह रही है" बतला रही है इत्यादि शब्द "सूचित कर रही है" इस अभिप्रेत अर्थ में भाक्त है लाक्षणिक है। ५१२। सैकड़ों बार चुम्बन, और हजारों बार अपराध भी अनुचित नहीं, उचित ही, क्योंकि प्रेम में पुनरुक्ति कभी होती नहीं,

पुनरुक्तौ पुनरुक्ति नोक्तैवात्रेति मन्तव्यम् ।

उक्तेरेवाभावात् भाक्ता वैयर्थ्यरूपेऽर्थे ॥५१४॥

स्वैरिण्यो ननु महिला हरन्ति हृदयं गृहीताश्चेत् ।

अत्र “हरन्ति” “गृहीताः” भाक्तौ शब्दाविभौ मान्यौ ॥५१५॥

करसंयोगाभावात् ग्रहणं वाच्यं विलोकनं यस्मात् ।

आहरणस्याभावात् हरणं वाच्यं वशीकरणम् ॥५१६॥

नववनितास्तनकमले प्रियप्रदत्तः प्रहारो हि ।

मृदुकोऽपि दुस्सह इवाऽभवदथ हृदये सपत्नीनाम् ॥५१७॥

॥५१३॥ इस काव्य वाक्य के अन्दर पुनरुक्ति शब्द पुनरुक्ति अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है यह मानना ही होगा, क्योंकि किसी एक शब्द को बारम्बार उक्ति की कोई बात ही नहीं है। न चुम्बन उक्ति है और न पथरोघात्मक अवरोध उक्ति है जिसकी बारम्बारता को वहाँ पुनरुक्ति कहा जाय। अतः यहाँ का “उनरुक्ति” शब्द “व्यर्थता” अर्थ में भाक्त है लाक्षणिक है ॥५१४॥

“व्यभिचारिणी स्त्रियाँ गृहीत होने पर हर डालती हैं” इस काव्य-वाक्य के प्रयोग स्थल में “गृहीत होने पर” और “हर डालती हैं” ये दोनों अंश भाक्त अर्थात् लाक्षणिक ही मान्य होंगे ॥५१५॥ क्योंकि “गृहीत होना” का वाच्य अर्थ होता है “हाथ से पकड़ा जाना” और “हरण कर डालती हैं” इसका वाच्य अर्थ “हरण कर लेती हैं” यह। ये दोनों अर्थ-संगत हो पाती है नहीं, अतः “गृहीत होना” का लाक्षणिक अर्थ “देखा जाना” और “हर डालना” का लाक्षणिक अर्थ “वश में कर डालना” यह विवक्षित होता है ॥५१६॥ “नई पत्नी के साथ कमल पर पति के द्वारा दिया जाने वाला कोमल से कोमल भी प्रहार सौत के लिए असह्य हो उठता है ॥५१७॥ इस काव्य-वाक्य स्थल में “दिया

अत्र “प्रदत्त”-शब्दः कृत् इत्यर्थे स्फुटं भाक्तः ।

नो स्वस्वत्वनिवृत्तिरन्यस्वत्वं यतो हेतौ ॥५१८॥

अन्यार्थे यत्पीडा मनुभवसि त्वं ततो घन्यः ।

इक्षो ! वाक्येत्वन ह्यनुभवसीति स्फुटं भाक्तम् ॥५१९॥

वहसीत्यत्रार्थे, यन्नचानुमृतिः स्फुटा तत्र ।

सुस्पष्टं चैतन्यं ह्यनुभवनं स्थावरे न यतः ॥५२०॥

एतादृशो परिस्थितिरस्ति कदाचित् ध्वनौ नैव ।

तस्मान्न ध्वनिकाव्यं शक्यं भाक्तं प्रवक्तुमथ ॥५२१॥

यदशक्यं चारुत्वं व्यञ्जक-शब्दातिरिक्तेन ।

चोषयितुं तद्व्यञ्जक-शब्दो ध्वनिनामभाग् भवति ॥५२२॥

“वदति तथा “पुनरुक्ति” “हरन्ति” “दत्तो” “नुभवती”ति ।

प्रोक्ताः शब्दा नैवाऽन्योक्त्याऽलभ्य-प्रकाशका नियतम् ॥५२३॥

गया” यह शब्द “किया गया” इस अर्थ में भाक्त होता है लाक्षणिक होता है । क्योंकि “देना” होता है अपना स्वत्व छोड़कर दूसरे के स्वत्व को उत्पन्न करना, जो कि प्रकृत में सम्भव नहीं है ॥५१८॥ “ओ गन्ने ! दूसरों के लिए पीडा अनुभव करने के कारण तुम घन्य हो” इस काव्य-वाक्य के प्रयोग स्थल में “अनुभव करने के कारण” यह शब्द “स्वीकार करने के कारण” इस अर्थ में लाक्षणिक है । क्योंकि स्थावरों को अनुभव होता नहीं, यतः स्पष्ट ज्ञान ही, कहलाता है अनुभव ॥५२०॥

कहीं भी ध्वनि काव्यस्थल ऐसी व्यंग्य-रहित लक्ष्य मात्र अर्थ की सत्ता की परिस्थिति होती नहीं । इसलिये ध्वनिकाव्य को “भाक्त” नहीं कहा जा सकता ॥५२१॥ व्यञ्जक शब्द से अतिरिक्त शब्द द्वारा जो चारुता अर्थात् अर्थगत सुन्दरता प्रकाशित हो पाती नहीं, उस चारुता का प्रकाशक शब्द ही “ध्वनि” कहलाने का अधिकारी है ॥५२२॥ उक्त संस्कृत उदाहरण वाक्यों में आये हुए “वदति” “पुनरुक्तिः” “हरन्ति” “अनुभवसि” ये शब्द, व्यञ्जक-शब्द से अतिरिक्त की उक्ति-द्वारा अप्रकाशित होनेवाले अर्थ के ही प्रकाशक नहीं हैं किन्तु लक्षक शब्द द्वारा प्रकाशित होनेवाले अर्थ के प्रकाशक हैं ॥५२३॥

स्वं स्वं व्यंग्यमगूढं विभावयन्तो वदत्याद्याः ।

प्रतिवेशिशब्दतुल्याः तस्मात् ध्वनितां न गाढन्ते ॥५२४॥

फलतो न भवति भाक्तैर्लभ्ये व्यंग्ये प्रकर्षश्रीः ।

तस्मान्नहि भाक्तस्य ध्वनिता कथमपि भवेद् वाच्या ॥५२५॥

एवं ननु सकला नो भक्ति ध्वनिकाव्य-मूलमिति ।

प्रतिपाद्य निरूढाऽपिच सा नो तदिति स्फुटं चक्रे ॥५२६॥

रूढा इत्यादिकया कारिकयाऽऽनन्दवर्धनो धोमान् ।

ज्ञेयस्तन्निप्रायोऽयमिह ध्वनिकाव्य मिच्छद्भिः ॥५२७॥

लावण्याद्याः केचन शब्दा एवं समुपलब्धाः ।

ये वाच्यार्थविभिन्नानर्थानपि बोधयन्त्येव ॥५२८॥

लावण्यशब्द-वाच्योऽर्थो लवणत्वं द्युतिर्नैव ।

लोकप्रसिद्धि-रूढ्या भक्त्या सा लभ्यतेऽर्थतया ॥५२९॥

उक्त “वदति” आदि शब्द “अगूढ-व्यंग्या” प्रयोजनवती लक्षणा के आधार पर प्रयुक्त होने के कारण, प्रयोजनभूत व्यंग्य अति स्फुट होने के कारण “प्रतिवेशी” आदि शब्दों की तरह “ध्वनि” कहलाने के अधिकारी नहीं हो पाते हैं । ५२४। सारांश यह कि प्रयोजनवती लक्षणा के स्थल में प्रयोजन के व्यंग्य होने पर भी वहाँ वह सौन्दर्य-प्रकर्ष होता नहीं, जिसके कारण भाक्त को ध्वनि कहा जा सके । ५२५। इस प्रकार ध्वनिकार ने सव्यंग्या प्रयोजनवती-लक्षणा ध्वनिकाव्य का मूल नहीं इसका प्रतिपादन करके निरूढ़ा लक्षणा भी ध्वनिकाव्य का मूल नहीं है यह ‘रूढ़ा ये विषये’ इत्यादि द्वारा बतलाया है । ध्वनिकाव्य को मान्यता देने की इच्छा रखनेवालों को उसका अभिप्राय यह समझना चाहिये । ५२७। “लावण्य” आदि अनेक ऐसे शब्द उपलब्ध हैं जो कि वाच्यभूत अर्थ से विलकुल असम्पृक्त अन्य अर्थ को बतलाते हैं । ५२८। लावण्य शब्द का वाच्य अर्थ लवणत्व ही होता है वह कान्ति नहीं जो कि अति-प्रसिद्ध रूप में उससे समझी जाती है । अतः यह मानना होगा कि लोक-प्रसिद्ध्यात्मक रूढ़ि-मूलक निरूढ़ा लक्षणा से ही कान्ति-अर्थ समझा जाता है । ५२९।

अर्थान्तरप्रकाशो लावण्यादिभिरपि क्रियते ।
 किन्तु ध्वन्यभिध्येयत्वं नो तेषां कथञ्चिदपि ॥५३०॥
 सामान्यस्याभावे न सम्भवी तद्विशेषोऽपि ।
 व्यंग्यस्यैवाभावे नोत्कृष्ट-व्यंग्यता तत्र ॥५३१॥
 उत्कृष्ट-व्यञ्जकतासुपादधानो हि शब्दोऽत्र ।
 ध्वनिशब्दभाक् प्रभवतीत्युक्तं मिहाभ्यासतः पूर्वम् ॥५३२॥
 तस्मान्न निरूढापि ध्वनिमूलत्वं ब्रजेद् भक्तिः ।
 स्याद्व्यञ्जना तथात्वं दधतीत्येवं प्रमन्तव्यम् ॥५३३॥
 ईक्ष्य त्वन्मुखलावण्यमपि मनागेति न क्षोभम् ।
 सत्यं सुमुखि ! पयोधिर्जलराशि रसौ न सन्देहः ॥५३४॥
 ध्वनिता कथमित्यादौ प्रश्नो नायं समुद्राव्यः ।
 रूपकमेव व्यंग्यं प्रोत्कृष्टं येन तत्र स्यात् ॥५३५॥

लक्ष्यभूत अर्थान्तर का बोधन लावण्य आदि शब्दों के द्वारा भी होता है किन्तु वे शब्द ध्वनि नहीं होते हैं । निरूढ-लक्षणा-स्थल में जब व्यंग्य-सामान्य का ही अभाव होता है तब व्यंग्य के प्रभेदभूत आकर्षक-व्यंग्य वहाँ कहाँ से आयेगा ? अतः भाक्त-काव्य में उत्कृष्ट-व्यंग्य-अर्थ-युक्तता नहीं कही जा सकती । ५३१। उत्कृष्ट-व्यंग्य-अर्थयुक्त शब्द ही होता है ध्वनि नाम का अधिकारी यह अनेकवार कहा जा चुका है । ५३२। इसलिये निरूढ-लक्षणा भी ध्वनि का मूल नहीं हो सकती । व्यञ्जना ही ध्वनि का मूल हो सकती है यह मानना चाहिये । ५३३। हे सुमुखी ! तेरे मुख के लावण्य को देखकर भी जो समुद्र तरंगाश्रित नहीं होता है वह सत्य ही जलराशि है, तनिक भी सन्देह नहीं । ५३४। इस ध्वनिकाव्य में फिर ध्वनित्व कैसे सम्पन्न होगा ? यह प्रश्न इसलिये उचित नहीं कि रूपक-अलङ्कार ही उत्कृष्ट व्यंग्य विद्यमान है । ५३५।

मुखचन्द्रयो स्तथा तत्कान्त्यो रैक्यं विवक्षितं तत्र ।
 रूपणतस्तत् साध्यम् तस्मात्स्यात्तत्र रूपकं नित्यम् ॥५३६॥
 मुख्यामित्यादिकया कारिकयाऽन्या सती युक्तिः ।
 प्रतिपादिता, ऽन्नभावः तस्या एवं प्रविज्ञेयः ॥५३७॥
 यत्फलमुद्दिश्य हि ननु मुख्यां वृत्तिं परित्यज्य ।
 आश्रियते गुणवृत्तिः कयाऽथ वृत्त्यास्तु तत्प्राप्यम् ॥५३८॥
 संकेताभावान्नो ऽभिधा ऽन्यथा सा कथं त्याज्या ।
 भक्तिरपि ततः पूर्वस्मिन्नेवार्थे समासक्ता ॥५३९॥
 भक्तेरमान्यतायां प्रयोजनादर्थतो न स्यात् ।
 सम्बन्धः शब्दस्य हि, ततो भवेद् बाधितार्थत्वम् ॥५४०॥

रूपण के आधार पर मुख और चन्द्र की एकता तथा दोनों की कान्ति की एकता प्रतिपाद्य रूप में वहाँ विवक्षित होती है। अतः रूपक अलङ्कार स्थिर है ॥५३६॥ “मुख्यां वृत्तिं” इत्यादि कारिका के द्वारा जो अच्छी युक्ति बतलाई गई है वहाँ भावार्थ यह ज्ञातव्य है ॥५३७॥ जिस फलीभूत वस्तु के लाभार्थ वक्ता अभिधा का आदर न करके लक्षणा-वृत्ति का आश्रयण करके वाक्य-प्रयोग कहता है उस फलीभूत वस्तु की प्रतिपत्ति सहृदय श्रोता को व्यञ्जना-वृत्ति को मान्यता न देने पर कैसे हो पायेगी ? अभिप्राय यह कि “यह मुख चाँद है” इत्यादि वाक्य के प्रयोगस्थल में श्रोता को मुख में चन्द्र की सदृशता का बोध हो जाने के अनन्तर मुख में सौन्दर्यातिशय का जो बोध होता है वह व्यञ्जना को मान्यता दिये बिना नहीं हो सकता ॥५३८॥ उस प्रयोजनी-भूत अर्थ में सङ्केत न होने के कारण अभिधा नहीं काम दे सकती। लक्षणा भी प्रयोजन-बोध के पूर्व उपस्थित अर्थ में ही आसक्त होने के कारण उसे ही समझा कर अपना काम खतम कर डालेगी ॥५३९॥ ऐसी परिस्थिति में व्यञ्जना को मान्यता न देने पर उक्त प्रयोजनभूत सहृदय-बोध्य अर्थ के साथ शब्द का कोई सम्बन्ध न हो पायेगा, अतः वाक्य उस प्रयोजनभूत सहृदय-हृदय-बोध्य अर्थ में बाधितार्थ अर्थात् अप्रतीतिार्थ हो उठेगा ॥५४०॥

भवति यदर्थो बाध्यः शब्दोनाऽसौ विगत-दोषः ।

किन्तु व्यञ्जक-शब्दो नो दुष्टः कथ्यते विबुधैः ॥५४१॥

प्रत्युत स चमत्कारार्थोपस्थापकतयाऽनीष्टः ।

प्रभवति कृते कवीनां किञ्चात्यन्तं सहृदयानाम् ॥५४२॥

तस्मात् प्रतीयमानादर्थच्छब्दस्य सम्बन्धः ।

मान्यो व्यञ्जनरूपो व्यञ्जक-शब्दस्ततो न भाक्तः स्यात् ॥५४३॥

किञ्चाऽत्रेदं बोध्यम्, भक्तिर्बाध-प्रयोज्यैव ।

नच बाधाद् व्यंग्येऽर्थे गच्छति बुद्धि र्यथा लक्ष्ये ॥५४४॥

समुपस्थाप्य स्वार्थं विरम्य पश्चात् प्रतीयमानञ्च ।

भक्तिः समुपस्थापयतीत्यपि वक्तुं क्षमं नैव ॥५४५॥

जिस शब्द का अर्थ बाधित अर्थात् उस शब्द से अप्राप्त होता है वह उस अर्थ में प्रयुक्त होने पर दुष्ट ही माना जाता है दोष-रहित नहीं । किन्तु व्यञ्जक शब्द विद्वानों के द्वारा दुष्ट नहीं कहा जाता है ॥५४१॥ प्रत्युत वह चमत्कारी अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण अत्यन्त आदर का पात्र होता है ॥५४०॥ इसलिये उस प्रतीयमान अर्थ से प्रतिपादक शब्द का सम्बन्ध अवश्य मानना होगा । उसे ही व्यञ्जन, व्यञ्जना, व्यक्ति आदि नामों से कहा जाता है । अतः व्यञ्जक शब्द को व्यंग्य अर्थ में भाक्त अर्थात् लाक्षणिक नहीं कहा जा सकता ॥५४१॥ इसके अतिरिक्त और यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि भक्ति अर्थात् लक्षणा नियमित रूप से मुख्यार्थ-बाध प्रयुक्त हुआ करती है । परन्तु व्यञ्जना ऐसी होती नहीं । सहृदय श्रोता की पैनी बुद्धि बाध-प्रयुक्त व्यंग्य की ओर जाती नहीं जिस प्रकार लक्ष्य की ओर नियमतः पदार्थों के पारस्परिक सम्बन्ध-बोध में प्राप्त बाधा-प्रयुक्त ही जाया करती है ॥५४२॥ यह भी नहीं कहा जा सकता कि भक्ति अर्थात् लक्षणा ही पहले लक्ष्य अर्थ को समझा कर व्यंग्य रूप से पराभिमत अर्थ को भी समझाती है । अतः व्यञ्जना की मान्यता आवश्यक नहीं ॥५४५॥

रव-बुद्धि-कर्मणामथ विरम्य कार्यप्रकारित्वम् ।

नेष्टम्, नोचेदभिधा भक्तिं कुर्यात् स्वकुक्षिगां नित्यम् ॥५४६॥

सविरति-कार्यकरत्वं चेदिष्टं नाभिधैव कुतः ।

लक्ष्यमपि बोधयेदथ भक्तिरपि स्वां हि मान्यतां जह्यात् ॥५४७॥

सत्येवं भाक्तत्वं ध्वनिकाव्यस्येति कथनं नो ।

अर्हेत् सामञ्जस्यम्, विना न भक्तिं यतो भाक्तः ॥५४८॥

अभिधैवैका मान्या ह्यभिधेया एव सर्वेऽर्थाः ।

इत्यपि वक्तुमशक्यम् विस्तृतमेतद्विचारितं यस्मात् ॥५४९॥

अपिचेदमत्र बोध्यम्, नैकाश्रितयोर्द्वयोरभिन्नत्वम् ।

राजैकाश्रितभृत्यौ नाभिन्नौ युक्तितः सिद्धौ ॥५५०॥

शब्द ज्ञान और कर्म अर्थात् क्रियाएँ इनका स्वरुक कर अपना काम करना इष्ट नहीं । यदि ऐसा न माना जाय तो फिर अभिधा ही निश्चित रूप से लक्षणा को भी निगल जायेगी ॥५४६॥ स्वरुक कर काम करना यदि इष्ट हो तो अभिधा ही क्यों न वाच्य अर्थ समझाने के अनन्तर लक्ष्य अर्थ को भी समझा दे । ऐसा होने पर तो भक्ति भी अपनी मान्यता को खो बैठेगी ॥५४७॥ फलतः “ध्वनि-काव्य भाक्त है” यह कथन सङ्गत नहीं हो पायेगा । क्योंकि भक्ति की मान्यता के बिना ध्वनि-काव्य को “भाक्त” नहीं कहा जा पायेगा ॥५४८॥ यदि यह कहा जाय कि तब एक अभिधा ही मानी जाय, और तदनुसार सारे अर्थों को शब्द का अभिधेय अर्थात् वाच्य ही अर्थ मान लिया जाय ? तो यह भी इमलिये नहीं कह जा सकता कि विहित-विचार-पूर्वक इसका खण्डन किया जा चुका है ॥५४९॥ और यह भी यहाँ ध्यान रखने की बात है कि एकत्रित शब्दों को एक नहीं माना जा सकता । एक राजाश्रित सारे भृत्य एक नहीं हो पाते हैं ॥५५०॥

भक्तिव्यञ्जनयोरभिधैवैका यत्र मूलं स्यात् ।

कथमथ तयोरभेदः तत्र ततो नैक-शेषत्वम् ॥५५१॥

शक्यस्य हि सम्बन्धो भवति यतो लक्षणा तेन ।

अभिधा-पुच्छगतैव हि मान्या भक्तिः स्वतन्त्रा नो ॥५५२॥

एवं सति वाच्यार्थात् संसृष्टं बोधयेद् भक्तिः ।

वाच्यार्थाऽसंसृष्टा बहवो व्यञ्जा भवन्त्येव ॥५५३॥

कथमथ तान् भक्तिस्सा परपुच्छगता भवेदर्हा ।

बोधयितुम्, तस्मान्नो ध्वनिर्भवेद् भाक्ततायुक्तः ॥५५४॥

इत्ययमर्थो ध्वनिकृद्भिः कारिकयाऽथ वाचकत्वेति ।

प्रोक्तो नैव हि तस्मात् भाक्तत्वं ध्वनिगतं मान्यम् ॥५५५॥

अव्याप्तिरितिव्याप्तिः प्रोक्ता पूर्वं पुनस्तां हि ।

स्मारितवान् ध्वनिकारो नहीति वृत्त्योपपादयन् स्पष्टम् ॥५५६॥

जड़ां भक्ति अर्थात् लक्षणा तथा व्यञ्जना दोनों का मूल एक ही अभिधा ही होगी वहाँ दोनों में अभिन्नता कैसे होगी ? इसलिये एक-शेष नहीं किया जा सकता, अर्थात् व्यञ्जना को भी भक्ति नहीं माना जा सकता ॥५५१॥ विचार करने पर लक्षणा को शक्यस्य सम्बन्धात्मक ही मानना होगा, तदनुसार भक्ति को अभिधा के पुच्छभूत अर्थात् अभिधा के अधीन ही मानना होगा । वह स्वतन्त्र हो सकती ॥५५२॥ एतदनुसार भाक्त वाच्यसंसृष्ट को समझा सकता है किन्तु वाक्यविशेषस्थल में वाच्य अर्थ से बिलकुल असम्बद्ध बहुत व्यञ्जना अर्थ होते ही हैं । ऐसी परिस्थिति में अभिधा-पुच्छलग्ना भक्ति दूरवर्ती व्यङ्ग्य अर्थों को कैसे समझा सकती ? अतः ध्वनि को भी नहीं कहा जा सकता ॥५५३-५५४॥ इन बातों को ध्वनिकार ने अपनी 'वाचकत्वाश्रयेणैव' इत्यादि कारिका के द्वारा बतलाया है । अतः ध्वनि में भाक्तता नहीं मान्य हो सकती ॥५५५॥

भाक्तत्व को ध्वनि का लक्षण मानने पर अव्याप्ति तथा अतिव्याप्ति दोनों प्रकार के लक्षण-दोष आपन्न हो उठेंगे यह बात पहले बतलाई

बहवो ध्वनिप्रकाराः नैव ह्येको विवक्षितान्यपरः ।

अन्येषामव्यापनतो भक्तिर्ध्वनिगता नैव ॥५५७॥

अविवक्षितवाच्ये नन्वास्ता उपलक्षिका भक्तिः ।

भाक्तं विबोधयन्ती न ध्वनिकाव्यं ततश्छिन्नम् ॥५५८॥

उपलक्षकोऽर्थबोधं सत्यं कारयति किन्त्वत्र ।

भक्तिस्तथाविधा नो, विनिगमः नो यतस्तु किमपोह ॥५५९॥

फलभूतोऽर्थो व्यंग्यो व्यञ्जनयैवाथ तल्लाभात् ।

प्रतिपादितमिदमसकृत् ध्वनिकाव्यत्वं ततोऽबाधम् ॥५६०॥

जा चुकी है । यहाँ 'नहि ध्वनिप्रभेदो' इत्यादि वृत्तिग्रन्थ के द्वारा ध्वनिकार ने उन्हें ही स्मरण कराया है । ५५६। ध्वनि के प्रभेद बहुत हैं, वह केवल विवक्षितान्य-परवाच्य ही नहीं है । ध्वनि को भाक्त मानने पर अभिधामूल-व्यञ्जना-प्रयुक्त ऐसे ध्वनिकाव्यों में जहाँ कि भक्ति बिलकुल होगी नहीं ध्वनि-लक्षण की अव्याप्ति हो उठेगी । वहाँ ध्वनित्व नहीं जा पायेगा, अतः ध्वनिकाव्य को भाक्तकाव्य नहीं कहा जा सकता । ५५७। यदि यह कहा जाय कि भक्ति विशेषण रूप में भले ही ध्वनि का परिचायक न हो पाये किन्तु उपलक्षण रूप में तो उसका परिचायक हो ही सकती है । घर के सामने आकाश में उड़ता हुआ पक्षी भी घर का परिचय देता ही है उसी प्रकार विवक्षितान्य-परवाच्य ध्वनिस्थल में नियमतः रहनेवाली भक्ति उपलक्षण रूप में अविवक्षित-वाच्य-ध्वनि को भी समझा सकती है । सारे ध्वनिकाव्य भक्ति ही हो जायें तो क्या बिगड़ जायगा ? ५५८। यह सही है कि उपलक्षण भी ज्ञापक होता है परन्तु प्रकृत में उपलक्षण रूप में भक्ति की अर्थ-प्रकाशकता के सम्बन्ध में कोई निर्णायक प्रमाण प्राप्त न होने के कारण वैसा नहीं माना जा सकता है । ५५९। प्रयोजनवती लक्षणा स्थल में प्रयोजन-भूत फल का बोध व्यञ्जनावृत्ति से ही मान्य होगा, क्योंकि भक्ति लक्ष्य-अर्थ को समझा कर पहले ही क्षीण हो जाती है यह बात पहले भी बतलाई जा चुकी है । अतः फल को व्यंग्य ही मानना होगा । फलतः अभाक्त ध्वनिकाव्य मानना ही होगा । ५६०।

क्रियया यत्र व्यक्ति स्तत्र व्यञ्जनमवश्यमथ मान्यम् ।
 अन्यत्र कोऽपराधस्तस्यामान्यत्वहेतु-भूतोऽस्ति ॥५६१॥
 भक्ते ध्वनिलक्षणताऽपि प्रोक्ता यैरितः पूर्वैः ।
 साहाय्यमेव विहितम्, ध्वनिर्हि लक्ष्यो यतोऽभिमतः ॥५६२॥
 यस्माद् ध्वनिरस्तीत्य हि नः पक्षः प्राक् स्थिरीकृतो विबुधैः ।
 तैर्भक्तिलक्षणैरपि समीहितासिः प्रजातैव ॥५६३॥
 निर्वचनेऽथ कृतेऽस्मिन्नपि ते न परोक्षवादिनोऽविज्ञाः ।
 ध्वनितत्त्वमनाख्येयं वदन्ति चेत् धन्यधन्यास्ते ॥५६४॥
 ख्यापयितुं सौन्दर्यं निरतिशयं ध्वनिगतं ते चेत् ।
 एवं वदन्ति, युक्ताभिधायिनो नात्र सन्देहः ॥५६५॥

इसके अतिरिक्त यह भी कि जहाँ क्रिया को देखकर अर्थ का बोध होता है वहाँ व्यञ्जना-व्यापार और तत्प्राप्य व्यंग्य-अर्थ मानना ही होगा । ऐसी परिस्थिति में उत्तम काव्यस्थल में ऐसा उसका क्या अपराध हो आयेगा कि वह अमान्य घोषित कर दिया जाय ॥५६१॥

अनन्तर ध्वनिकार ने यह कहा है कि इनमें इससे पूर्व भक्ति को ध्वनि का लक्षण मानकर ध्वनिकाव्य को भाक्त कहनेवाले काव्य-विवेचक विद्वानों द्वारा भी, थोड़ा ही सही, कुछ न कुछ साहाय्य अवश्य चहुँचाया गया । क्योंकि अन्ततः उन्होंने लक्ष्यभूत उत्तम-काव्य और इसका लक्षण तो माना ? ॥५६२॥ अतः उन भक्ति को ही ध्वनि का लक्षण माननेवाले विवेचकों ने भी मुझे अभीष्ट सिद्धि को ओर अग्रसर ही किया । क्योंकि “ध्वनि है” यही मेरा स्थापनीय पक्ष है ॥५६३॥ इसके अनन्तर ध्वनिकार ने यहाँ अन्त में उन विद्वानों को जिन्होंने “ध्वनितत्त्व” को सर्वथा निर्वचन का अयोग्य कहा था, सामने रखकर यह कहा है कि इस प्रकार ध्वनितत्त्व का विस्तृत सर्वतोमुख विवेचन उपस्थित किये जाने के कारण वे बिना विचार किये ही ध्वनितत्त्व को सर्वथा निर्वचन के अयोग्य ठहरानेवाले अपनी अविज्ञता के लिये बहुशः धन्यवादाहं हैं ॥५६४॥

दशलक्षणदोषा ये प्रोक्ताः श्रीमन्महिमभट्टैः ।

विहिते सूक्ष्मविचारे नो ते प्रभवन्ति तत्त्वतः प्रकृते ॥५६६॥

शब्दात्प्रत्येमीत्येवानुव्यवसायो यतः परं बोधात् ।

तस्माच्छाब्दमतित्वं व्यङ्ग्यमतौ मान्यमेव स्यात् ॥५६७॥

द्विविधा पुनः परिस्थितिरनुभवसिद्धा क्वचिच्छाब्दा ।

आर्थ्याऽपिव्यञ्जनया लाभोव्यङ्ग्यस्य जायते क्वचिदिति ॥५६८॥

शब्दार्थयोर्निवेशस्तदभिप्रायेण लक्षणेऽस्ति कृतः ।

शब्देऽनेकार्थकताऽनभिधेयस्यापि बोधविषयत्वम् ॥५६९॥

संयोगविप्रयोगादिकवशतो नाभिधागतिर्यत्र ।

तदभिप्रायेणैव हि लक्षणगः शब्दविनिवेशः ॥५७०॥

और यदि वे प्रकृत ध्वनितत्त्व की निरतिशय सुन्दरता के स्थापनार्थ उसे निर्वचन का अयोग्य बतलाते हैं, तो उनका कहना सही है, असन्दिग्ध भाव से सही है, इस कारण भी वे बहुशः ध्वन्यवादाहं हैं ॥५६५॥ महिमभट्ट के द्वारा जो दश दोष ध्वनिकार के ध्वनिलक्षण में दिखलाये गये हैं, सूक्ष्म रूप से विचार करने पर वस्तुतः वे वहाँ हो नहीं पाते हैं ॥५६६॥ क्योंकि व्यङ्ग्यार्थ-बोध के अव्यवहित उत्तर “मैं शब्द से समझ रहा हूँ” ऐसा ही अनुव्यवसाय होता है, “अनुमान से समझ रहा हूँ” ऐसा नहीं । इसलिये व्यंग्य अर्थ के बोध को शाब्दबोध ही मानना होगा अनुमिति नहीं ॥५६७॥ व्यंग्य अर्थ के बोधस्थल में दो परिस्थितियाँ होती हैं । एक यह कि कहीं शाब्दी व्यञ्जना से व्यंग्य का लाभ होता है और दूसरी यह कि उसका लाभ शाब्दी-व्यञ्जना से न होकर आर्थी-व्यञ्जना से होता है ॥५६८॥ इन्हीं बातों को बतलाने के लिये ध्वनिलक्षण में शब्द और अर्थ का उल्लेख किया गया है । जहाँ शब्द अनेकार्थक होता है किन्तु संयोग विप्रयोग आदि के अन्दर किसी के कारण बोध्य अर्थ में अभिधा जा नहीं पाती, वहाँ उस बोध्य का बोध शाब्दी व्यञ्जना से होता है वहाँ की परिस्थिति को अभिप्राय में रखकर ध्वनि-लक्षण में “शब्द” शब्द का उल्लेख हुआ है ॥५६९-७०॥

“गङ्गायामिहपल्लो”त्यादिकवाक्यस्थले स्थिति नो सा ।
तत्तन्त्रानभिधेयालक्ष्यविबोधोऽर्थ-माध्यमेनैव ॥५७१॥
बोधकताऽञ्जनरूपाऽनभिधेयालक्ष्यबोध्यबोधनतः ।
एतदभिप्रायेण हि लक्षणगोऽर्थस्य निर्देशः ॥५७२॥
उपसज्जनीकृतत्वं समुपाश्रित्याथ यत्किमप्युक्तम् ।
नो तत्कुचोद्यकरूपनतो ननु भिन्नं विचारतः किञ्चित् ॥५७३॥
नहि साधर्म्यमभेदस्तदोपमालोप एव स्यात् ।
सति चैवं व्यञ्जकं हेतुत्वं नैव सिद्ध्यर्थम् ॥५७४॥
अभिधोपसर्जनत्वानुक्तिर्दोषो निरासमायातः ।
स्वत एवेदानीमिह सन्दंशेनार्थ-शब्दमध्यत्वात् ॥५७५॥

“यह बस्ती गङ्गा में है” इत्यादि वाक्य-प्रयोगस्थल में वह परिस्थिति होती नहीं, वहाँ बस्ती में शीतलता पवित्रता आदि का बोध अर्थ के माध्यम से ही होगा है । वहाँ अर्थगत-बोधकता को व्यञ्जना ही मानना होगा । क्योंकि वहाँ का बोध्य शैत्य पावनत्व आदि, न अभिधेय होता और न लक्ष्य । इसी अभिप्राय से ध्वनिलक्षण में “अर्थ” शब्द का उल्लेख किया गया है । ५७१-७२ । महिमभट्ट ने ‘उपसर्जनीकृतत्वं’ अर्थात् गौणत्व के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, विचार करने पर उसे कुचोद्यकरूपना के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता । ५७३ । समान-धर्म-युक्त होना और अभिन्न अर्थात् एक होना ये दोनों परिस्थितियाँ एक नहीं क्योंकि ऐसा मानने पर उपमा का लोप हो उठेगा । और ऐसा मान लेने पर व्यञ्जक को अनुमापक हेतु नहीं कहा जा सकेगा, भले ही व्यञ्जक और अनुमापक हेतु, इन दोनों में गौणता-युक्त समानता हो । ५७४ । जब शब्द और अर्थ को अर्थान् अभिधेय को ध्वनिकावस्थल में गौण होना आवश्यक होगा, यह ध्वनिकार ने कहा, तब अभिधा को भी गौण होना चाहिये यह भी क्यों नहीं कहा ? महिमभट्ट का यह कथन भी अब अनायास निरस्त हो गया । क्योंकि वह शब्द और अर्थ के बीच में हो होने के कारण सन्दंश-न्याय से स्वतः गौण सिद्ध हो जाती है । ५७५ ।

भङ्गीभणितिरलङ्कृतिरस्त्वभिधा नैव किन्तु साऽवश्यम् ।
 सामर्थ्यं तच्छब्दगमतो न वै दीपकाव्याप्तिः ॥५७६॥
 समशाब्दव्यवहारेऽनुमानरूपत्वमित्युक्तिः ।
 भजते ननु नौचित्यं यदनुव्यवसाय-भेद सुस्फीतिः ॥५७७॥
 तच्छब्द-सम्प्रयोगानौचित्यं यन्महिम्नोक्तम् ।
 तदपि न युक्तं शब्दे लिङ्गस्यावास्तवत्वेन ॥५७८॥
 आरोपितं हि शब्दे लिङ्गमिति स्वमतबोधाय ।
 ध्वनिकृतथाऽऽह साध्वेवं वक्तुं शक्यतेऽस्माभिः ॥५७९॥
 यद्वा लावण्यतुलां स्पष्टयितुं तन्नपुंसकोद्देशः ।
 व्यङ्ग्यस्य प्राधान्यापेक्षां वक्तुं च पुङ्क्तयोर्लेखः ॥५८०॥
 यत् स्त्रीपुंसोर्मध्ये प्राधान्यं पुंस एवेष्टम् ।
 शिवशक्तयोरपि मध्ये शिवः प्रधानो यतो हि सा तस्य ॥५८१॥

अलङ्कार भले ही "भङ्ग्याभरण" हो, परन्तु अभिधा वह नहीं है । वह तो शब्दगत सामर्थ्य है, अतः दीपक-अलङ्कारात्मक ध्वनि में जो महिमभट्ट ने अव्याप्ति दी है वह वारित हो गई । ५७६ । सारे शाब्द-व्यवहार अनुमान रूप ही होते हैं, यह उनका कथन भी पूर्वोक्त अनु-व्यवसाय-भेदप्रयुक्त खण्डित ज्ञातव्य है । ५७७ । ध्वनि के सम्बन्ध में पहले "तत्" इस प्रकार नपुंसक-प्रयोग करके उसके सम्बन्ध में तत् शब्द का अप्रक्रान्त पुलिङ्ग से उक्ति को उन्होंने जो गलत कहा है, सो भी ठीक नहीं । क्योंकि ध्वनिकार ने बुद्धिपूर्वक ऐसा इसलिये किया है कि शब्दगत लिङ्गों को अवास्तव समझा जाय, यह हमलोग अच्छी तरह कह सकते हैं । ५७८ । अथवा पहले लावण्य की तुलना अर्थात् आकर्षता बतलाने के लिये नपुंसक रूप में और पीछे व्यंग्य में प्राधान्य की अपेक्षा बतलाने हेतु पुलिङ्ग रूप में तत् शब्द का प्रयोग किया । क्योंकि प्राधान्य को पुरुष-धर्म ही होना अभीष्ट है । शिव और शक्ति के बीच शिव ही प्रधान होते हैं क्योंकि शक्ति "उनकी" कही जाती है । ५७९-५८०-५८१ ।

शब्दस्यार्थस्यापि च यदासमुल्लेख-साधुता सिद्धा ।
 द्विवचन-वा-शब्दोभयसमादरस्यापि साधुताऽवश्यम् ॥५८२॥
 अर्थ-द्वारा शब्दे, क्वचित् स्वतोऽर्थेऽपधानता यस्मात् ।
 वैकल्पिकी परिस्थितिरतो हि वा-शब्द-युक्तता मान्या ॥५८३॥
 अर्थः स्वं शब्दस्तु स्वार्थं गौणीकरोतीति ।
 स्थित्योरुभयोः संग्रहहेतोरुक्तोऽस्ति वा शब्दः ॥५८४॥
 वा शब्दोऽन्यतरार्थः प्रत्येकमुभयबोधकोऽन्यतर-शब्दः ।
 नास्मिन् पक्षे तस्मादव्याप्तिर्या महिमोक्ता ॥५८५॥
 व्यक्ते लक्षणमुक्तं “सतोऽसतोवे”ति लिखता यत् ।
 तत्तत्कपोलकल्पितमेवोत्पत्त्यादि-गत्वतस्तस्य ॥५८६॥

ध्वनिलक्षण-वाक्य में जब कि शब्द और अर्थ के उल्लेख का औचित्य स्थिर हो चुका है तब उसमें “व्यङ्ग्यः” यह द्विवचन-प्रयोग और “वा” शब्द का प्रयोग भी अवश्य उचित माना जायगा । शब्द में अर्थ के द्वारा अर्थात् उसकी अप्रधानता-प्रयुक्त अप्रधानता होती है और अर्थ में स्वतः अर्थात् साक्षात् भाव से । इस प्रकार विकल्प की परिस्थिति में तद्बोधक वा शब्द के प्रयोग को उचित ही मानना होगा । ५८२-८३ ।
 आर्थीव्यञ्जना-स्थल में अर्थ स्वयं अपने को गौण करता है और शाब्दी व्यञ्जना-स्थल में शब्द अपने अर्थ को गौण करता है । इन दोनों परिस्थितियों के संग्रहार्थं विकल्पार्थक वा शब्द कहा गया है । ५८४ ।
 प्रकृत में वा शब्द अन्यतर अर्थात् दोनों में कोई एक-अर्थक है, अतः इस पक्ष में वह अव्याप्ति नहीं होगी जो महिमभट्ट के द्वारा दी गई है । क्योंकि अन्यतर शब्द प्रत्येक करके दोनों को कहता है । ५८५ । महिम-भट्ट ने “सतोऽसतो वा” इत्यादि के द्वारा जो “व्यक्ति” अर्थात् व्यंजन का लक्षण कहा है, वह उनकी कपोल-कल्पना मात्र है, क्योंकि उत्पत्ति और परिणति भी व्यंजन हो उठती है, जो कि उचित नहीं । उत्पत्ति परिणति और अनुमिति ये व्यञ्जन नहीं हैं । व्यञ्जन तो वह एक

नोत्पत्तिपरिणती यन्नो वाऽनुमितिस्तथा व्यक्तिः ।

सा व्यञ्जनक्रियैका स्वतन्त्रताशालिनी सहद्वेष्टा ॥५८७॥

असहसहभावनियमो व्यंग्यव्यञ्जकगतो न वै मान्यः ।

व्यक्तिविचारस्तत्तद्विहितो नौचित्यमावहति तथ्यम् ॥५८८॥

व्यंग्योत्तमता प्रभवति कुत्रचिदथ नापि कुत्रचिद्यस्मात् ।

व्यंग्योत्तमता लुप्तता विशेषः कथं न वै काव्ये ? ॥५८९॥

काव्यत्वे व्यापकता विषमव्याप्ति ध्वनित्वे यत् ।

तस्मात्तयोरभेदः कथमपि नो वक्तुमर्हः स्यात् ॥५९०॥

प्रभवति नीरसमपि यन्निजभावोक्त्यादि-सम्पन्नम् ।

काव्यं ततो हि तस्य व्यापकता युक्तिसंसिद्धा ॥५९१॥

लक्षणवाक्यगतानां शब्दानां मुक्तरूपेण ।

सार्थक्यान्नावाच्यप्रवचनदोषोऽपि युज्यते वक्तुम् ॥५९२॥

व्यापार है जो कि उन सबसे अलग है, जिसे सहृदय लोग ही समझ पाते हैं । ५८६-८७ व्यंग्य और व्यञ्जक के बीच सहभाव या असहभाव का नियम भी मान्य नहीं है, अतः यह तथ्य है कि महिमभट्ट के द्वारा किया गया व्यक्ति का विचार सही नहीं । ५८८। काव्य में व्यंग्य की उत्तमता कहीं होती है और कहीं होती नहीं, फिर व्यंग्य की उत्तमता-मूलक विशेषता काव्य में क्यों नहीं होगी ? ५८९। काव्यत्व ध्वनित्व के प्रति व्यापक है व्याप्य नहीं और ध्वनित्व उसके प्रति व्याप्य है व्यापक नहीं । इसलिये काव्यत्व और ध्वनित्व को एक नहीं कहा जा सकता । ५९०। स्वभावोक्ति-आदि-सम्पन्न कुछ काव्य शृङ्गार आदि नौ रसों से रहित भी होते हैं, अतः काव्यत्व में ध्वनित्व के प्रति व्यापकता युक्ति सिद्ध है । ५९१। उक्त प्रकार से ध्वनिलक्षणघटक सभी पदों की सार्थकता सिद्ध हो जाने के कारण “अवाच्यवचन” दोष कहना भी उचित नहीं । ५९२।

आक्षेपादपि कर्त्ता सत्यं लभ्यत्वमावहति ।
 किन्तु न कर्तृविशेष स्ततो हि सूरिभिरिति प्रोक्तम् ॥५९३॥
 एवं दिग्दोषाणां भट्टमहिम्ना प्रदत्तानाम् ।
 युक्त्या मया निरासो विहितः सद्भिः प्रविज्ञेयः ॥५९४॥
 व्यक्तिनिरुक्तावसतोऽप्युल्लेखाद्यद्विवर्त्तवादोऽपि ।
 अङ्गीकृतो महिम्ना ततोऽप्ययुक्तिर्निरुक्तिगा बोध्या ॥५९५॥
 नो खलुविवर्त्तवादः परिणत्युत्पत्तिवादमुखबोक्षी ।
 यत्तत्रितयाभ्युपगमसापेक्षं व्यक्तिलक्ष्म सुभगं स्यात् ॥५९६॥
 जगतो विवर्त्ततायां काव्यजगद्व्याकुलोकृतं भवति ।
 तज्जगति यतः सर्वं सत्यं ज्ञातं सदेव सुखदायि ॥५९७॥

यह बात सही है कि कर्त्ता का लाभ आक्षेप से भी होता है परन्तु सामान्यतः कर्त्ता का ही लाभ होता है विशेष-कर्त्ता का लाभ सामान्य क्रिया से होता नहीं इसलिये लक्षण में “सूरिभिः” यह कहा गया है । ५९३। इस प्रकार महिमभट्ट-प्रदर्शित दश-दोषों का निरास मेरे द्वारा किया गया है उसे सज्जन अच्छी तरह समझें । ५९४। महिमभट्ट ने “व्यवित्” की अपनी निरुक्ति में जिसलिये “असत्” का भी प्रतीयमान रूप में उल्लेख किया है, अतः उन्हें “विवर्त्तवाद” को भी मानना होगा इस दृष्टिकोण से उनकी निरुक्ति को अयुक्त मानना होगा । ५९५। विवर्त्तवाद तो परिणामवाद और उत्पत्तिवाद का मुख भी नहीं देखना चाहता है ऐसी परिस्थिति में उत्पत्तिवाद परिणामवाद और विवर्त्तवाद तीनों की अपेक्षा रखनेवाला उनका “व्यक्तिलक्षण” कैसे सुन्दर कहा जायेगा ? ५९६। जगत् को विवर्त्त मानने पर तो काव्यजगत् का सारा व्यवहार अस्तव्यस्त हो उठेगा । क्योंकि उस जगत् में तो सभी को सत्य मान कर ही आस्वाद मिलता है । ५९७।

परिणत्युत्पत्त्योरपि नैकजनस्वीकृतिः सिद्धा ।

उभयोः कुक्षीकरणं तत्तेनेक्तं कथम्भवेदुचितम् ॥५९८॥

नानुमितिप्रामाण्यं विवर्त्तवादानुकूल्ययुग्मवति ।

तदनाश्रयणे व्यञ्जनशब्दव्यापारभञ्जनं नैव ॥५९९॥

शिखिपिच्छकर्णपूरेत्यादिक-सव्यंग्यवस्तुकाव्येषु ।

यत्तेनोत्तमता न स्वीक्रियतेऽसहृदयत्वम् ॥६००॥

तत्तस्य ख्यापयति प्रमाणमुक्तं सहृदयत्वमेव ।

क्वचिदप्यवस्तु किञ्चित्करं यतो नैव सम्भवति ॥६०१॥

वस्तुत्वं तदलंकारे भावेऽपि च रसेऽपि मन्तव्यम् ।

प्रकृतेऽलङ्कारादिकभिन्नतया वस्तुनिर्देशे ॥६०२॥

ऐसा कोई भी दार्शनिक नहीं जो कि आरम्भवाद और परिणामवाद दोनों को समान रूप से मान्यता देता हो, फिर उन दोनोंवादों को अपने में समेटनेवाला महिमभट्ट का व्यक्तिलक्षण कैसे उचित हो सकता ? विवर्त्तवादी सिद्धान्त में अनुमान तात्त्विक प्रमाण नहीं माना जा सकता और अनुमान को प्रमाण न मानने पर शब्दगत व्यञ्जनात्मक व्यापार को खण्डन हो नहीं सकता । ५९८-५९९। “शिखिपिच्छकर्णपूरा” “वाणिर्जकहस्तदन्ता” और “विपरीत सुरतसमये” इत्यादि एक, दो और तीन वस्तुओं के व्यवधान से युक्त-अर्थ-बोधस्थलीय काव्यों में जो महिमभट्ट ने ध्वनिकाव्यता नहीं मानी हैं वह उनका असहृदयता है । ६००। क्योंकि काव्य की उत्तमता के लिये सहृदय हृदयों को उन्होंने भी प्रमाण माना है । केवल वे ही सच्चे-सहृदय हैं यह तो वे नहीं कह सकते । कहीं अवस्तु किञ्चित्कर नहीं पाया जाता है, तदनुसार अलङ्कार और रस में भी वस्तुत्व मानना ही होगा । उक्त तीन काव्यों में यदि अलङ्कार और रस से भिन्न वस्तु व्यंग्य होते हैं तो क्या ऐसा बिगड़ जाता है कि वहाँ का वस्तुगत व्यंग्यत्व उज्ज्वल अर्थात् आकर्षक फलतः ध्वनिकाव्यता का प्रयोजक नहीं माना जाय ? फिर क्यों न उन ध्वनि के द्वारा ध्वनिकाव्य के रूप में उदाहृत काव्यों को

किं हीयतेऽथ तस्यौज्ज्वल्यं व्यंग्यत्वसहकृतं यन्नो ।
 सति च तथा सा ध्वनिता कथं न काव्येषु तेषु स्यात् ॥६०३॥
 गुणभूतव्यंग्येऽपि च योत्तमता स्वीकृता महिन्नास्ति ।
 सा नो युक्तिसहास्ति प्राधान्यगुणत्वयो विरुद्धत्वात् ॥६०४॥
 व्यंग्यप्राधान्ये नो तद्गुणता तद्गुणीभावे ।
 न प्राधान्यं व्यंग्ये कथं तदा स्याद्ध्वनित्वमथ तत्र ॥६०५॥
 काव्योत्तमता ध्वनिता तदभावे नैव तस्य तूत्तमता ।
 गुणभूतव्यंग्यं तत् काव्यं मध्यमतयाऽऽस्थेयम् ॥६०६॥
 अविवक्षितवाच्ये नो भवति विवक्षाऽथ वाच्यगा वक्तुः ।
 विवक्षितान्यपरे वै वाच्ये सविशेषवाच्यगा साऽस्ति ॥६०७॥
 विवक्षितान्यपरवाच्यरवसमासो न तेन बुद्धो यत् ।
 भट्टमहिम्ना तेन हि विहिता भ्रान्तिस्ततोऽन्यथाभणितम् ॥६०८॥

ध्वनिकाव्य माना जाय ? ॥६०१-२-३॥ महिमभट्ट ने गुणीभूत-व्यंग्य-काव्यों को भी जो उत्तम काव्य कहा है वह इसलिये युक्तिसंगत नहीं कि प्रधानता और गौणता ये दोनों आपस में अत्यन्त विरुद्ध हैं । वहाँ व्यंग्य अर्थ में प्रधानता मानने पर उसमें गौणता नहीं रहेगी और गौणता वहाँ होने पर उसमें प्रधानता नहीं रहेगी ऐसी परिस्थिति में उस गुणीभूत-व्यंग्य काव्यों में जिसमें उसके नाम के अनुसार वहाँ के व्यंग्य में गौणता अनिवार्य होगी, कैसे ध्वनिकाव्यता होगी ? काव्यगत ध्वनिता ही है उसकी उत्तमता, अतः गुणीभूत-व्यंग्यकाव्य उत्तम काव्य नहीं, वह मध्यम काव्य है यही मानना होगा ॥६०४-५-६॥ ध्वनि काव्य के अविवक्षित-वाच्य और विवक्षितान्य-परवाच्य प्रभेद के सम्बन्ध में जो महिमभट्ट ने आपत्ति उठाई है वह भी ठीक नहीं । क्योंकि अविवक्षित-वाच्य ध्वनि-काव्य स्थल में वक्ता को वाच्य के विषय में विवक्षा बिलकुल होती नहीं और विवक्षितान्य-परवाच्य ध्वनि काव्य-स्थल में वच्यगत विशेष में अर्थात् विशेष-युक्त वाच्य अर्थ में वक्ता की

अन्यः परो विशेषो विवक्षितो यत्र वाच्यगः काव्ये ।
 ध्वनिकाव्यं विज्ञेयं विवक्षितान्यादि-नामकं तद्वै ॥६०९॥
 एवं कृते विचारे ध्वनिकृद्गुणं महत्त्वयोग्येव ।
 यत्कोऽपि नैव दोषो लक्षणवाक्ये ध्वनेस्तस्य ॥६१०॥
 श्रीसत्यव्रतसिंहस्याग्रहवशतः समारचितम् ।
 आनन्देन ध्वन्यालोकाद्योद्योतवार्त्तिकं सरलम् ॥ ॥
 लक्ष्मणपूर्विश्वविद्यालयस्य प्राच्ये विभागेऽत्र ।
 प्राध्यापयता विधिवत् विविधान् ग्रन्थांश्च विरचयता ॥ ॥
 अनयाहि ध्वनिसिद्ध्या तुष्यतु मिथिला प्रसूमे या ।
 यद्गर्भादुपजाता वन्दाऽऽद्या मैथिली माया ॥ ॥

विवक्षा होती है । महिमभट्ट को “विवक्षितान्य-परवाच्य” इस शब्द के सही अर्थ को समझने में भूल हुई इसलिये उन्होंने आपत्ति उठाई । इस प्रकार विचार करने पर ध्वनिकार का ध्वनिलक्षण-वाक्य महत्त्व-पूर्ण सिद्ध होता है, सही उतरता है, क्योंकि उस लक्षण वाक्य में कोई दोष उपलब्ध होता नहीं । ६०७-८-९-१० ।

इति बिहार-राज्यान्तर्गत-दशभङ्गामण्डलान्तःपाति-सिंहवाड़-ग्राम-
 वास्तव्य-लखनऊ-विश्वविद्यालय-प्राच्यसंस्कृत-विभागाध्यक्ष-वेदान्त-
 वागीश-साहित्यालङ्कार-श्रीमदानन्दज्ञान्यायाचार्य-विरचितायां
 ध्वनिसाहस्र्यां संहितायां ध्वनिकल्लोलिन्यां ध्वनिसिद्धिः समाप्ता ।

लखनऊ-विश्वविद्यालय में अवस्थित दो संस्कृत-विभागों के अन्तर्गत प्राच्य-संस्कृत-विभाग के अध्यक्ष, विविधविद्य तथा विविध ग्रन्थों के निर्माता आचार्य आनन्दज्ञा द्वारा ध्वन्यालोक के प्रथम-उद्योत का सरल संस्कृत-श्लोक-वार्त्तिक तथा उसका यह हिन्दी व्याख्यान इसलिये रचित हुआ कि द्वितीय संस्कृत, पाली प्राकृत विभाग के अध्यक्ष एवं विविध प्रतिष्ठित ग्रन्थों के व्याख्याता डा० सत्यव्रतसिंह ने इस रचना के लिये मुझ से आग्रह किया । इस ध्वनिसिद्धि के प्रणयन से वह मेरी जन्म-

भूमि मिथिला प्रप्रसन्न हो जिसके गर्भ से महामाया आद्याशक्ति मैथिली निकली थी ।

विविध मुद्रित-अमुद्रित ग्रन्थरत्नों के प्रणेता, लखनऊ-विश्वविद्यालय-प्राच्य-संस्कृत-विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष, मिथिला-संस्कृत-शोध-संस्थान दरभंगा के आवासीय विद्वान् एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा-विश्व-विद्यालय के सम्मानित-प्राध्यापक आचार्य आनन्दझा-द्वारा रचित ध्वनिसाहस्री-संहितान्तर्गत ध्वनिसिद्धि समाप्त ।

★ ★

श्रीरामकरण शर्मा—

कुलपप्रवरो विभाति सत्कर्मा ।

तद्दृष्टि-सुफलमेतत्

ध्वनिसिद्धिर्यत् प्रकाशमायाता ॥

—::❀::—

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

१११

श्रीमदानन्दवर्धनाचार्यप्रणीतो

ध्वन्यालोकः

प्रथम उद्योतः

स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छस्वच्छायायासितेन्दवः ।

त्रायन्तां वो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः ॥

स्वेच्छा से सिंह बनने वाले मधुसूदन के वे नख, जो कि अपनी स्वच्छ कान्ति से चन्द्र को खिल करनेवाले हैं तथा शरणागतों के कष्टों को नष्ट करनेवाले हैं आपलोगों की रक्षा करें ।

काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नातपूर्व-

स्तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये ।

केचिद् वाचां स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं

तेन ब्रूमः सहृदयमनः-प्रीतये तत्स्वरूपम् ॥१॥

जिस ध्वनि को प्राचीन विद्वान् काव्य की आत्मा कहते आ रहे थे उसे न मानकर अपर कुछ लोगों ने उसका अभाव कहा । अन्य कुछ लोगों ने उसे भाक्त कहा और और कुछ लोगों ने उसके तत्त्व को वाणी के परे बतलाया । अतः सहृदयों के मन के सन्तोषार्थ उसका स्वरूप हम बतला रहे हैं ।

बुधैः काव्यतत्त्वविद्धिः, काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति संज्ञितः, परम्परया यः समाम्नातपूर्वः सम्यक् आसमन्ताद् आम्नातः, प्रकटितः, तस्य सहृदयजन-मनःप्रकाशमानस्याप्यभावमन्ये जगदुः ।

बुधों अर्थात् काव्यतत्त्वज्ञों द्वारा वह काव्य की आत्मा "ध्वनि" नाम से कही गई । परम्परा से जो "समाम्नातपूर्व" था, सही रूप में

पूर्णरूप से अस्मात् तथा अर्थात् प्रकटित था, सहृदयों के हृदय में प्रकाशमान उस ध्वनि का कुछ लोगों ने अभाव कहा ।

तदभाववादिनां चामो विकल्पाः सम्भवन्ति—

तत्र केचिदाचक्षोरन्, शब्दार्थशरीरन्तावत् काव्यम् । तत्र शब्दगता-
श्चारुत्वहेतवोऽनुप्रासादयः प्रसिद्धा एव । अर्थगताश्चोपमादयः । वर्ण-
सङ्घटनाधर्माश्च ये माधुर्यादयस्तेऽपि प्रतीयन्ते । तदनतिरिक्तवृत्तयो वृत्त-
योऽपि याः कैश्चिदुपनागरिकाद्याः प्रकाशिताः, ता अपि गताः श्रवणगोचर-
ताम् । रीतयश्च वैदर्भीप्रभृतयः । तद्व्यतिरिक्तः कोऽयं ध्वनिर्नामेति ?

ध्वनि के अभाववादियों के अन्दर कुछ लोगों ने ऐसा कहा - काव्य शब्द और अर्थ है । उनके अन्दर शब्द-तत् सुन्दरता के हेतु हैं अनुप्रास आदि शब्दालङ्कार जो कि प्रसिद्ध हैं और अर्थगत सुन्दरता के हेतु हैं उपमा आदि । वर्णयोजना के धर्म माधुर्य आदि भी प्रतीत होते हैं । उनसे अनधिक-वृत्ति उपमागरिका आदि जो वृत्तियाँ प्रकाशित हैं अर्थात् वर्णित हैं वे भी सुनी जा चुकी हैं । वैदर्भी आदि रीतियाँ भी श्रुत हैं । उन सबसे अतिरिक्त भला यह क्या है, जिसे ध्वनि नाम से कहा जा रहा है ?

अन्ये ब्रूयुः नास्त्येव ध्वनिः । प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिणः काव्यप्रकारस्य काव्यत्वहानेः । सहृदयहृदयाङ्गादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणम् । न चोक्तप्रस्थानातिरेकिणो मार्गस्य तत्र सम्भवति । न च तत्समयान्तः-
पातिनः सहृदयान् कांश्चित् परिकल्प्य तत्प्रसिद्ध्या ध्वनौ काव्यव्यपदेशः प्रवर्तितोऽपि सकलविद्वन्मनोग्राहितामवलम्बते ।

अन्य लोग इस प्रकार कहेंगे कि 'ध्वनि' सर्वथा नहीं है । क्योंकि काव्य के प्रसिद्ध मार्गों को उल्लंघन करनेवालों में काव्यता न होगी । सहृदयों के हृदयों को आह्लादित करनेवाले शब्द और अर्थों से युक्त होना ही है काव्य का लक्षण । वह काव्य-लक्षण उक्त काव्य-मार्ग के अतिरिक्त मार्ग को अपनानेवालों में नहीं जा सकता है । अतः वहाँ

काव्यत्व नहीं हो सकता है। ध्वनि की मान्यता के नियम के अन्तर्गत कुछ सहृदयों की कल्पना करके उनकी प्रसिद्धि के आधार पर ध्वनि में यदि काव्य नाम का व्यवहार चलाया भी जाय तो वह सभी विद्वानों के मन को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकता।

पुनरपरे तस्याभावमन्यथा कथयेयुः । न सम्भवत्येव ध्वनिर्नामापूर्वः
कश्चित् । कामनीयकमनतिर्तमानस्य तस्योक्तेष्वेव चारुत्वहेतुष्वन्तर्भावात् ।
तेषामन्यतमस्यैव वा अपूर्वसमाख्यामात्रकरणे यत्किञ्चन कथनं स्यात् ।

किं च वाग्विकल्पानामानन्त्यात् सम्भवत्यपि वा कस्मिंश्चित् काव्य-
लक्षणविधायिभिः प्रसिद्धैरप्रदर्शिते प्रकारलेशे, ध्वनिर्ध्वनिरिति यदेतदलीक-
सहृदयत्वभावनामुकुलितलोचनैर्नृत्यते, तत्र हेतुं न विद्मः । सहस्रसो हि
महात्मभिरन्यैरलङ्कारप्रकाराः प्रकाशिताः प्रकाशयन्ते च । न च तेषामेषा
दशा श्रूयते । तस्मात् प्रवादमात्रं ध्वनिः । न त्वस्य क्षोदक्षमं तत्त्वं
किञ्चिदपि प्रकाशयितुं शक्यम् ।

फिर और कुछ लोग उस ध्वनि का अभाव और प्रकार से कहेंगे—
ध्वनि नाम की कोई अपूर्व वस्तु नहीं है। क्योंकि सुन्दरता का उल्लंघन
न करनेवाले उस ध्वनि का अन्तर्भाव सुन्दरता के हुतुभूत उक्त अलंकार
आदि में ही हो जायेगा। यदि उन्हीं सुन्दरता के हेतुओं के अन्तर्गत किसी
का “ध्वनि” यह अपूर्व नामकरण मात्र किया जाय तो वह किसी काम
का न होगा, वह कथन व्यर्थ होगा। और भाषण-शैली की अनन्तता
के कारण, किसी भी पूर्ववर्ती काव्य-विवेचकों के द्वारा अप्रकाशित
यदि कोई ऐसा वागी का क्षुद्र प्रभेद हो भी, तो मिथ्या ही अपने को
सहृदय मानते हुए उसके अभिनय में गलकें बन्द कर कुछ लोग जो
“ध्वनि-ध्वनि” इस प्रकार चिल्लाते हैं उसका कोई कारण मालूम नहीं
होना। सहृदय विवेचकों द्वारा बहुत अलंकार प्रकाशित हुए हैं और
प्रकाशित होंगे परन्तु उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं सुनी जाती है, अतः
ध्वनि केवल कहने मात्र की चीज है। विचारने पर इसमें कोई ठोस
तत्त्व नहीं दिखलाया जा सकता। इसीलिये औरों ने भी यह कहा है—

तथा चान्येन कृत एवात्र श्लोकः—

यस्मिन्नस्ति न वस्तु किञ्चन मनः प्रह्लादि सालङ्कृति ,
व्युत्पन्नै रचितं न चैव वचनैर्वचक्रोक्तिशून्यं च यत् ।
काव्यं तद् ध्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या प्रशंसन् जडो ,
नो विमोऽभिदधाति किं सुमतिना पृष्ठः स्वरूपं ध्वनेः ॥

जिसके अन्दर मन को आह्लादित करनेवाला कोई तत्त्व नहीं जो अलंकारों से शून्य है । न तो प्रबुद्ध-रचित है और न वक्रोक्ति-युक्त है उसे "यह व्यंग्य अर्थ युक्त ध्वनि काव्य है" यह कहकर उसकी प्रशंसा करनेवाले जड़, पूछे जाने पर उस ध्वनि का स्वरूप क्या बतलायेंगे ? हमलोग जानते नहीं ।

भाक्तमाहुस्तमन्ये । अन्ये तं ध्वनिसंज्ञितं काव्यात्मानं गुणवृत्तिरित्याहुः ।

"भाक्तमाहुस्तमन्ये" इसका सरल अर्थ यह है कि अन्य कुछ लोग इस ध्वनि नामक काव्यात्मा (व्यंग्य) को "गुणवृत्ति" अर्थात् लक्षणा-वृत्ति द्वारा लभ्य फलतः लक्ष्य कहते हैं ।

यद्यपि च ध्वनिशब्दसङ्कीर्तनेन काव्यलक्षणविधायिभिर्गुणवृत्तिरन्यो वा न कश्चित् प्रकारः प्रकाशितः, तथापि असुख्यवृत्त्या काव्येषु व्यवहारं दर्शयता ध्वनिमार्गो मनाक् स्पष्टोऽपि, न लक्षित इति परिकल्प्यैवमुक्तम्, भाक्त-माहुस्तमन्ये इति ।

यद्यपि किसी काव्य विवेचक के द्वारा ध्वनि शब्द का उल्लेखपूर्वक ऐसा कोई काव्य-प्रभेद नहीं बतलाया गया है स्पष्ट रूप में, फिर भी काव्यों में अप्रधान (लक्षणा) वृत्ति के उपयोग को दिखलानेवाले लोगों द्वारा ध्वनि की पद्धति कुछ अपनाई जाने पर भी पूर्णरूप से उनके द्वारा ज्ञात नहीं हो पाई, इस अभिप्राय से कहा गया है "भाक्तमाहुस्तमन्ये" ।

केचित् पुनर्लक्षणकरणशालीनबुद्धयो ध्वनेस्तत्त्वं गिरामगोचरं सहृदयहृदय-संवेद्यमेव समाख्यातवन्तः । तेनैवंविधासु विमतिषु स्थितासु सहृदयभनः-प्रीतये तत्स्वरूपं ब्रूमः ।

कुछ लक्षण-निर्माण-निपुण लोगों ने ध्वनि के तत्त्व को वर्णन के परे केवल सहृदयों के हृदय से ही वेद्य होनेवाला बतलाया है। इसलिये ध्वनि के सम्बन्ध में इस प्रकार नाना प्रकार के मतवादों की उपस्थिति होने पर सहृदयों के मन की प्रसन्नता-हेतु उस ध्वनि का स्वरूप कहने जा रहा हूँ।

तस्य हि ध्वनेः स्वरूपं सकलसत्कविकाव्योपनिषद्भूतं, अतिरमणीयं, अणीयसीभिरपि चिरन्तनकाव्यलक्षणविधायिनां बुद्धिभिरनुन्मीलितपूर्वम्। अथ च रामायणमहाभारतप्रभृतिनि लक्ष्ये सर्वत्र प्रसिद्धव्यवहारं लक्ष्यतां सहृदयानां, आनन्दो मनसि लभतां प्रतिष्ठामिति प्रकाश्यते ॥१॥

उस ध्वनि का स्वरूप जो कि सभी अच्छे कवियों के काव्यों का सारभूत है अति सुन्दर है, प्राचीन काव्य-विवेचकों की सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आज तक पूर्णरूप से प्रकाशित नहीं हो पाया है, परन्तु रामायण-महा-भारत आदिगत काव्यों में सब जगह उसका उपयोग किया गया प्राप्त है, वह प्राप्त है। इस वस्तुस्थिति की ओर दृष्टि रखनेवाले सहृदयों के मन प्रसन्न हों इसलिये ध्वनितत्त्व यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है।

तत्र ध्वनेरेव लक्षयितुमारब्धस्य भूमिकां रचयितुमिदमुच्यते—

अतः प्रकाशनीय ध्वनि के सम्बन्ध में ही भूमिका-रचनार्थ यह कहा जा रहा है—

योऽर्थः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः।

वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ॥२॥

शब्द और अर्थ एतदुभयात्मक काव्य के अन्दर जो सहृदयों द्वारा प्रशंसित अर्थ काव्य की आत्मा रूप में विद्यमान होता है उसके प्रभेद दो बतलाये गये हैं,

काव्यस्य हि ललितोचितसन्निवेशचारुणः शरीरस्येवात्मा साररूपतया स्थितः सहृदयश्लाघ्यो योऽर्थः, तस्य वाच्यः प्रतीयमाश्चेति द्वौ भेदौ ॥२॥

लालित्य और औचित्यपूर्ण-रचना-प्रयुक्त सुन्दरता को प्राप्त करने-

वाले काव्य के अन्दर शरीर के अन्दर आत्मा के समान सार रूप में स्थित होने के कारण सहृदयों द्वारा प्रशंसित होनेवाले अर्थ के प्रभेद दो हैं। प्रथम है वाच्य और द्वितीय प्रतीयमान।

तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैरुपमादिभिः ।

बहुधा व्याकृतः सोऽन्यैः,

उक्त दो प्रकार के अर्थों के अन्तर्गत प्रथमता-प्राप्त वाच्य अर्थ उपमा आदि प्रभेदों से युक्त रूप में विस्तारपूर्वक विचारित हो चुके हैं अन्य लोगों के द्वारा।

काव्यलक्ष्मविधायिभिः ।

वे वाच्यार्थ भूत उपमा आदि उन अन्य लोगों के द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं जिन्होंने लक्षण-निर्माण आदि द्वारा काव्य पर अच्छा प्रकाश डाला है।

ततो नेह प्रतन्यते ॥३॥

इसलिये वाच्य अर्थ के सम्बन्ध में विवेचन का यहाँ प्रयत्न नहीं किया जा रहा है।

केवलमनूद्यते पुनर्यथोपयोगम् ॥३॥

जहाँ कुछ कहना आवश्यक होगा वहाँ भी यथासम्भव केवल अनुवाद ही किया जायेगा।

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव, वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम् ।

यत् तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं, विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥४॥

महाकवियों की वाणियों में उपलब्ध प्रतीयमान अर्थ वाच्य अर्थों से अति विलक्षण, कुछ और ही हुआ करता है। क्योंकि वह प्रतीयमान अर्थ उसी प्रकार अन्य प्रसिद्ध काव्याङ्गों से अतिरिक्त रूप में सुशोभित हो रहा है, जिस प्रकार किमो सुन्दरो का आकर्षक सौन्दर्य उसके हृदय पाँव मुख आदि अङ्गों में व्याप्त होते हुए भी उन अङ्गों से अतिरिक्त रूप में ही सुशोभित होता है।

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वाच्यात् वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम् । यत् तत् सहृदयसुप्रसिद्धं, प्रसिद्धेभ्योऽलङ्कृतिभ्यः प्रतीतेभ्यो वाच्यवेभ्यो व्यतिरिक्तत्वेन प्रकाशते ।

महाकवियों की वाणियों में प्रतीयमान वस्तु अर्थात् अर्थ, वाच्य-अर्थ से अन्य ही होता है, क्योंकि वह सहृदय-मात्र के द्वारा ज्ञात होनेवाला प्रतीयमान अर्थ, सर्वप्रसिद्ध अलङ्कारों तथा ज्ञायमान अन्य काव्यावयवों से अर्थात् गुणरीतिवृत्ति आदि से अन्य रूप में ही प्रकाशित होता है । विवेचक उसे अलग ही समझते हैं ।

लावण्यमिवाङ्गनासु । यथा ह्यङ्गनासु लावण्यं पृथङ् निर्वर्ण्यमानं निखिलावयवव्यतिरेकि किमप्यन्यदेव सहृदयलोचनामृतं तत्त्वान्तरं तद्वदेव सोऽर्थः ।

“लावण्यमिवाङ्गनासु” इस कथन का तात्पर्य यह है कि विचार करने पर सुन्दरियों का सौन्दर्य जिस प्रकार उसके अङ्ग-प्रत्यङ्गों से अलग ही सहृदयों के लोचन के लिये अमृततुल्य वस्तु है उसी प्रकार वह प्रतीयमान-अर्थ अन्य काव्यावयवों से अन्य ही होता है ।

स ह्यर्थो, वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तं वस्तुमात्रं, अलङ्काररसादयश्चेत्यनेकप्रभेद-प्रभिन्नो दर्शयिष्यते । सर्वेषु च तेषु प्रकारेषु तस्य वाच्यादन्यत्वम् । तथा हि आद्यस्तावत् प्रभेदो वाच्याद् दूरं विभेदवान् । स हि कदाचिद् वाच्ये विधिरूपे प्रतिषेधरूपः । यथा—

वह प्रतीयमान अर्थ कहीं वाच्यअर्थ के सामर्थ्य से प्राप्त वस्तुमात्र अर्थात् अलंकार और रस रसाभास भाव भावाभास आदि से भिन्न होता है और कहीं अलंकार रस आदि अनेक प्रभेदों में विभक्त, यह आगे दिखलाया जायेगा । सारे प्रतीयमान अर्थात् व्यंग्य अर्थों में वाच्य अर्थों से अन्यता होती है । यथा— प्रथम प्रभेद अर्थात् वस्तुस्वरूप-प्रतीयमान, वाच्य अर्थ से अत्यन्त भिन्न होता है । यतः वाच्य अर्थ के भावात्मक होने पर भी वह प्रतीयमान अर्थात् व्यंग्य अर्थ, निषेध स्वरूप अर्थात् अभावात्मक होता है । जैसे—

मम घग्मिअ बीसत्थो सो सुत्तओ अज्ज मारिओ देण ।

गोलाणइ कच्छकुडंगवासिण दरिअ सीहेण ॥

(अम धार्मिक विस्रब्धः स शुनकोऽब मारितस्तेन ।

गोदानदीकच्छकुञ्जवासिना दससिहेन ॥)

हे धार्मिक ! अब आश्वस्त होकर घूमा करो, इधर आया-जाया करो । क्योंकि गोदावरी नदी के तीरगत जंगल के दर्पीले सिंह द्वारा वह कुत्ता मार दिया गया । यहाँ इस वाच्य अर्थ के विपरीत प्रतीयमान अर्थात् व्यंग्य अर्थ यह प्राप्त होता है कि इस शेर के याता-यात वाले स्थान में कुत्ते से डरनेवाले तुम मत घूमा करो इत्यादि ।

क्वचिद् वाच्ये प्रतिषेधरूपे विधिरूपो यथा—

कहीं वाच्य अर्थ तो निषेध रूप होता है किन्तु व्यंग्य विधि स्वरूप अर्थात् भावात्मक । जैसे—

अत्ता एत्थ णिमज्जइ एत्थ अहं दिअसअं पलोएहि ।

मा पहिअ रत्ति अन्धअ सेज्जाए मह णिमज्जहिसि ॥

(श्वश्रूत्र निमज्जति, अत्राहं दिवसकं प्रलोकय ।

मा पथिक रात्र्यन्धक शय्यायां मम निमंक्ष्यसि ॥)

दिन में ही देख लो, मेरी सास यहाँ सोती हैं और मैं खससे अलग यहाँ । हे रात में नहीं देख-पाने वाले पथिक ! ऐसा न करना कि मेरी शय्या पर आ जाओ । (यहाँ वाच्यार्थ जहाँ मेरी शय्या पर मत आना यह निषेध है वहाँ व्यंग्यार्थ उसके विपरीत यह कि मेरी शय्या पर आ जाना । अतः वाच्यार्थ निषेध है तो व्यंग्यार्थ विधान ।)

क्वचिद् वाच्ये विधिरूपेऽनुभयरूपो यथा—

बच्च मह विअ एक्के इहोन्तु णीसास रोइअन्वाइं ।

मा तुज्ज वि तोअ विणा दक्खिण्ण हअस्स जाअन्तु ॥

(ब्रज ममैवैकस्या भवन्तु निःश्वासरोदितव्यानि ।

मा तवापि तया विना दक्षिण्यहतस्य जनिषत ॥)

कहीं वाच्यार्थ तो विधान-स्वरूप होता है परन्तु व्यंग्य-अर्थ न तो विधान होता है और न निषेध, किन्तु विधान और निषेध दोनों से भिन्न । जैसे—“जाओ, यही अच्छा होगा कि केवल मुझे ही रोना पड़े; मैं ही कष्ट भोगूँ । तेरे जैसे दक्षिण-नायक को भी उसके बिना रोना आदि-प्रयुक्त कष्ट न हो । यहाँ वचन-भंगी-विशेष पूर्वक ‘जाओ’ कहने से क्रोध एवं दूसरी के प्रति अधिक अनुराग व्यक्त होता है जो न विधि है और न निषेध ।

क्वचिद् वाच्ये प्रतिषेधरूपेऽनुभयरूपो यथा—

दे आ पसिअ णित्तसु मुहससि जोह्वविलुत्ततमणिवहे ।

अहिसारिआणं विग्घं करेषि अण्णाणं वि हआसे ॥

(प्रार्थये तावत् पसीद निवर्तस्व मुखशशिज्योत्स्नाविलुप्ततमोनिवहे ।

अभिसारिकाणां विघ्नं करोप्यन्यासामपि हताशे ॥)

कहीं वाच्य अर्थ तो निषेध स्वरूप होता है परन्तु व्यंग्य अर्थ न निषेध और न विधि, अतः अनुभयात्मक अर्थात् दोनों से अलग । जैसे ‘ओ अपनी-मुख-कान्ति से अन्धकार को नष्ट करनेवाली ! मुझ पर कृपा करके लौट जाओ, क्यों अपने साथ अन्य अभिसारिकाओं के लिये भी विघ्न उपस्थित करती हो ?’ यहाँ व्यक्त होनेवाला सौन्दर्यातिशय न विधि और न निषेध होता है ।

क्वचिद् वाच्याद् विभिन्नविषयत्वेन व्यवस्थापितो यथा—

कस्स व ण होइ रोसो दट्ठूण पिआएँ सव्वणं अहरम् ।

सभमरपउमग्वाइणि वारिअवामे सहसु एन्हिम् ॥

(कस्य वा न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियायाः सत्रणमधरम् ।

सअमरपद्माग्रायिणि वारितवामे सहस्वेदानीम् ॥)

कहीं व्यंग्य अर्थ वाच्यभूत सम्बोध्य-व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को विषय अर्थात् आश्रय बनाता हुआ प्रतीत होता है। जैसे— “अपनी प्रिया के अङ्गर को कटा देख कर किसे क्रोध होता नहीं ? ओ वारण करने पर भी सञ्जर-फूल को सूँघनेवाली ! अब भोगो। यहाँ का “इसका अङ्गरज्जन दन्तक्षतजन्य नहीं है, अङ्गरदशनजन्य है” इस व्यंग्य का बोध नायक को कराया जाता है न कि सम्बोध्य नायिका को।

अन्ये चैवं प्रकाराः वाच्याद् विभेदिनः प्रतीयमानभेदाः सम्भवन्ति। तेषां दिङ्मात्रमेतत् प्रदर्शितम्। द्वितीयोऽपि प्रभेदो वाच्याद् विभिन्नः सप्रपञ्चमग्रे दर्शयिष्यते।

अन्य भी वाच्य अर्थों से भिन्नता रखनेवाले प्रतीयमान के ऐसे प्रभेद होते हैं। यहाँ यह उनके सम्बन्ध में दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। अलङ्कारात्मक प्रतीयमान का द्वितीय प्रभेद भी विस्तारपूर्वक आगे दिखलीया जायगा।

तृतीयस्तु रसादिलक्षणः प्रभेदो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तः प्रकाशते, न तु साक्षाच्छब्दव्यापारविषय इति वाच्याद् विभिन्न एव। तथा हि, वाच्यत्वं तस्य स्वशब्दनिवेदितत्वेन वा स्यात्, विभावादिप्रतिपादनमुखेन वा। पूर्वस्मिन् पक्षे स्वशब्दनिवेदितत्वाभावे रसादीनामप्रतीतिप्रसङ्गः। न च सर्वत्र तेषां स्वशब्दनिवेदितत्वम्। यत्राप्यस्ति तत्, तत्रापि विशिष्टविभावादि-प्रतिपादनमुखेनैवैषां प्रतीतिः, स्वशब्देन सा केवलमनूद्यते, न तु तत्कृता। विषयान्तरे तथा तस्या अदर्शनात्। न हि केवलं शृङ्गारादिशब्दमात्र-मात्रि विभावादिप्रतिपादनरहिते काव्ये मनागपि रसवत्त्वप्रतीतिरस्ति। यतश्च स्वाभिधानमन्तरेण केवलेभ्योऽपि विभावादिभ्यो विशिष्टेभ्यो रसादीनां प्रतीतिः। केवलाच्च स्वाभिधानादप्रतीतिः। तस्मादन्वयव्यतिरेकाभ्यामभिधेयसामर्थ्याक्षिप्तत्वमेव रसादीनाम्। न त्वभिधेयत्वं कथञ्चित्।

इति तृतीयोऽपि प्रमेदो वाच्याद् भिन्न एवेति स्थितम् ।

वाच्येन त्वस्य सहेव प्रतीतिरग्रे दर्शयिष्यते ॥४॥

तृतीय वह रस-रसाभास भाव-भावाभास आदि प्रतीयमान का प्रमेद जो कि वाच्य अर्थ के सामर्थ्य से प्राप्त होकर प्रकाशित होता है, साक्षात् रूप में शब्द से प्रकाशित होता नहीं, वह तो वाच्य अर्थ से विभिन्न स्वतः होता ही है। क्योंकि उसे वाच्य, अपने वाचक शब्द द्वारा आवेदित रूप में कहा जायगा या विभाव अनुभाव और संचारी-भाव के द्वारा ? प्रथम-पक्ष में जिस काव्य में "रस-शृङ्गार" आदि रसवाचक शब्द नहीं होंगे वहाँ रस का आस्वाद नहीं मिल पायेगा। सभी काव्यों में तो "रस-शृङ्गार" आदि शब्द पाये जाते नहीं। जहाँ कहीं "सैवेयं सुन्दरी सरसी" इत्यादि काव्य में पाया जाता है वहाँ भी विलक्षण विभाव आदि के प्रतिपादन-प्रयुक्त ही रसास्वाद मिलता है। वहाँ स्थित "रस" आदि वाचक शब्द केवल होनेवाले रसास्वाद का अनुवाद मात्र करता है रसास्वाद कराता नहीं। जहाँ केवल "रस रस" "शृंगार शृंगार" आदि शब्द ही कहे जाते हैं वहाँ थोड़ा भी रसास्वाद मिलता नहीं। इस प्रकार यतः रस आदि शब्द के न होने पर भी विलक्षण विभाव आदि से रस का आस्वाद होता पाया जाता है और केवल रसशृंगार आदि शब्दों से रसास्वाद मिलता नहीं, अतः रस आदि को वाच्य-विभाव आदि अर्थ के सामर्थ्य से ही प्राप्त मान्य है। इसलिये व्यंग्य का रस आदि तृतीय प्रमेद भी वाच्य अर्थ से भिन्न ही होता है यह सिद्ध है। रस आदि की प्रतीति वाच्य अर्थ के साथ ही होती सी प्रतीत होती है, यह आगे बतलाया जायेगा।

काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा ।

क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः ॥५॥

काव्य की आत्मा वह व्यंग्य अर्थ ही होता है। तभी प्राचीन काल में आदि कवि का क्रौंच और क्रौंची के वियोग को देखकर होनेवाला शोक श्लोक बन आया था।

विविधवाच्यवाच करचनाप्रपञ्चचारुणः काव्यस्य स एवार्थः सारभूतः ।
तथा चादिकवेर्वाल्मीकेर्निहतसहचरीविरहकातरक्रौञ्चाक्रन्दजनितः शोक
एव श्लोकतया परिणतः ।

विविध प्रकार के वाच्य और वाचकों को लेकर की जानेवाली
रचना के विस्तार-प्रयुक्त चारुता-प्राप्त काव्य में सारभूत अर्थ वह
प्रतीयमान ही होता है । तभी निहत सहचरी के विरह से दुखी क्रौंच
के आक्रन्दन जनित महाकवि वाल्मीकि का शोक निम्नलिखित श्लोक
बन आया—

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः ।

यत् क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम् ॥

ओ नीच निषाद ! तुम हजारों वर्ष तक सुखी जीवन न बिता
पायेगा, क्योंकि तूने क्रौंच और क्रौंची का सुखी जोड़ी के बीच
कामासक्त एक का वध कर डाला है ।

शोको हि करुणरसस्थायिभावः । प्रतीयमानस्य चान्यमेददर्शनेऽपि रस-
भावमुख्येनैवोपलक्षणं प्राधान्यात् ।

करुण - रस का स्थायी - भाव होता है शोक । प्रतीयमान के
(१) वस्तु और (२) अलङ्कार स्वरूप अन्य भेद भी देखे जाते हैं
किन्तु करुण रस के स्थायी-भाव शोक का ही उल्लेख आदि कवि ने
प्रधानता के अभिप्राय से ही किया है ।

सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निःस्पन्दमाना महतां कवीनाम् ।

अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम् ॥६

महाकवियों की वाणी इसी प्रतीयमान अर्थ को निःस्पन्दित करती
हुई महाकवियों की स्फुरणशील अलौकिक अनिर्वचनीय प्रतिभा को
व्यक्त करती है ।

तत् वस्तुतत्त्वं निस्पन्दमाना महतां कवीनां भारती अलोकसामान्यं

प्रतिभाविशेषं परिस्फुरन्तं अभिव्यनक्ति । येनास्मिन्नतिविचित्रकविपरम्परा-
वाहिनि संसारे कालिदासप्रभृतयो द्वित्राः पञ्चषा एव वा महाकवय इति
गण्यन्ते ॥६॥

उस प्रीतीयमानात्मक सार पदार्थ को निष्पन्दित करनेवाली महान्
कवियों की वाणी परिस्फुरणशील उनके असाधारण प्रतिभाविशेष को
व्यक्त करती है, जिसके कारण कवियों की अति-विचित्र परम्परा को
धारण करनेवाले इस संसार में कालिदास आदि दो तीन या चार पाँच
ही महाकवि रूप में गिने जाते हैं ।

इदं चापरं प्रतीयमानस्यार्थस्य सद्भावसाधनं प्रमाणम्—

प्रतीयमान अर्थ के अस्तित्व का साधक एक यह भी और प्रमाण
है कि—

शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणैव न वेद्यते ।

वेद्यते स तु काव्यार्थतत्त्वज्ञैरेव केवलम् ॥७॥

वह प्रतीयमान अर्थ व्याकरणात्मक शब्दशास्त्र और कोशात्मक अर्थ
शास्त्र के ज्ञानमात्र से नहीं जाना जा पाता है, किन्तु काव्य के सारभूत
अर्थतत्त्व को जाननेवाले सहृदयों से ही वह प्रतीयमान अर्थ जाना
जाता है ।

सोऽर्थो यस्माद् केवलं काव्यार्थतत्त्वज्ञैरेव ज्ञायते । यदि च वाच्यरूप
एवासावर्थः स्यात्, तद् वाच्यवाचकस्वरूपपरिज्ञानादेव तत्प्रतीतिः स्यात् ।
अथ च वाच्यवाचकलक्षणमात्रकृतश्रमाणां काव्यतत्त्वार्थभावनाविमुखानां
स्वरश्रुत्यादिलक्षणमिवाप्रगीतोनां गान्धर्वलक्षणविदामगोचर एवासावर्थः ॥७॥

यतः वह प्रतीयमान अर्थ सहृदयों के द्वारा ही ज्ञात होता है,
असहृदयों के द्वारा नहीं, अतः उसे वाच्य अर्थ नहीं जाना जा सकता ।
यदि वह भी वाच्य ही अर्थ होता तो वाच्य और वाचकों के स्वरूप
ज्ञानमात्र से उसकी प्रतीति होती ? वास्तविक परिस्थिति यह है कि
वाच्य और वाचकों के लक्षण-मात्र में श्रम करनेवाले काव्यार्थ की

भावना से विमुख असहृदयों द्वारा वह उसी प्रकार नहीं जाना जा पाता है जिस प्रकार उदाहरणभूत गीतों का अनुशीलन न रखनेवाले गान्धर्व-शास्त्राभ्यासी-मात्र द्वारा स्वर श्रुति आदि का स्वरूप नहीं जाना जा पाता ।

एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यङ्ग्यस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्राधान्यं तस्यैवेति दर्शयति—

इस प्रकार वाच्य अर्थ के अतिरिक्त व्यंग्य अर्थ का प्रतिपादन करके वह व्यंग्य अर्थ ही प्रधान रूप से ग्राह्य है, तदर्थ ही प्रयत्न उचित है यह दिखलाते हैं—

सोऽर्थस्तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्च कश्चन ।

यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवेः ॥८॥

वह कोई विलक्षण अर्थ और उसे व्यक्त करने की क्षमता रखनेवाला कोई शब्द, ये दोनों ही महाकवियों के लिये यत्नपूर्वक प्रत्यभिज्ञेय हैं, पहचानने योग्य हैं ।

स व्यङ्ग्योऽर्थस्तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्च कश्चन, न शब्दमात्रम् । तावेव शब्दार्थौ महाकवेः प्रत्यभिज्ञेयौ । व्यङ्ग्यव्यञ्जकाभ्यामेव सुप्रयुक्ताभ्यां महाकवित्वलाभो महाकवीनां, न वाच्यवाचकरचनामात्रेण ॥८॥

वह व्यंग्य अर्थ और उसे व्यक्त करने की क्षमता युक्त शब्द ही, न कि शब्द मात्र । वे शब्द और अर्थ ही महाकवियों के लिये पहचानने योग्य हैं । सही रूप में प्रयुक्त किये जानेवाले व्यंग्य और व्यञ्जक से ही महाकवियों को महाकवित्व प्राप्त होता है, न कि वाच्य और वाचक को लेकर की जानेवाली रचना मात्र से ।

इदानीं व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः प्राधान्येऽपि यद् वाच्यवाचकावेव प्रथममुपाददते कवयस्तदपि युक्तमेवेत्याह—

अब व्यंग्य और व्यञ्जक की प्रधानता होने पर भी कविगण जो पहले

वाच्य और वाचक को ही अपनाते हैं, सो भी उचित ही है यह कहा जा रहा है—

आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवान् जनः ।

तदुपायतया तद्वदर्थे वाच्ये तदादृतः ॥६॥

प्रकाश चाहनेवाला व्यक्ति जिस प्रकार पहले दीप जलाने का प्रयत्न करता है, क्योंकि दीप जलाना प्रकाश का उपाय होता है, उसी प्रकार कवि भी पहले वाच्य अर्थ का आदर करता है। क्योंकि व्यंग्य की प्राप्ति का उपाय होता है प्रथम-प्राप्त वाच्य अर्थ।

यथा आलोकार्थी सन्नपि दीपशिखायां यत्नवान् जनो भवति, तदुपाय-
तया । नहि दीपशिखामन्तरेण आलोकः सम्भवति । तद्वद् व्यङ्ग्यमर्थं
प्रत्यादृतो जनो वाच्येऽर्थे यत्नवान् भवति । अनेन प्रतिपादकस्य कवेर्व्यं-
ग्यमर्थं प्रति व्यापारो दर्शितः ॥९॥

लोग जिस प्रकार प्रकाशार्थी होते हुए भी उसके प्रति उपायभूत होने के कारण दीपशिखा के लिये यत्नशील होते हैं, क्योंकि दीप की शिखा के बिना प्रकाश होता नहीं। उसी प्रकार व्यंग्य अर्थ के प्रति आदर रखनेवाले भी पहले वाच्य-अर्थ के लिये प्रयत्नशील होते हैं। इस कथन से यह बतलाया गया है कि प्रतिपादन करनेवाले कवि को व्यंग्य के लाभार्थ चेष्टा करनी चाहिये।

प्रतिपाद्यस्यापि तं दर्शयितुमाह—

न केवल कवि को अपने काव्य में व्यंग्य अर्थ के समावेशार्थ चेष्टा करनी चाहिये, किन्तु प्रतिपाद्य अर्थात् काव्यार्थ बोध के इच्छुक व्यक्तियों को भी व्यंग्य अर्थ के बोधार्थ चेष्टा करनी चाहिये।

यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थः सम्प्रतीयते ।

वाच्यार्थपूर्विका तद्वत् प्रतिपत्तस्य वस्तुनः ॥१०॥

जिस प्रकार पदार्थ के द्वारा अर्थात् पदों के अर्थों को समझकर ही पूरे

वाक्य का अर्थ अच्छी तरह प्रतीत होता है, उसी प्रकार उस व्यंग्यात्मक सार अर्थ की प्रतीति वाच्य-अर्थ की प्रतीति के अनन्तर ही होती है ।

यथा हि पदार्थद्वारेण वाक्यार्थविगमस्तथा वाच्यार्थप्रतीतिपूर्विका व्यङ्ग्यस्यार्थस्य प्रतिपत्तिः ॥१०॥

जैसे निश्चित रूप से वाक्यार्थ-बोध पदार्थ-बोध के द्वारा ही होता है तैसे व्यंग्य अर्थ का बोध भी नियमतः वाच्यार्थ-बोधपूर्वक ही होता है ।

इदानीं वाच्यार्थप्रतीतिपूर्वकत्वेऽपि तत्प्रतीतेः, व्यङ्ग्यस्यार्थस्य प्राधान्यं यथा न विलुप्येत तथा दर्शयति—

अब यह बतलाया जा रहा है कि व्यंग्यार्थ प्रतीति के वाच्यार्थ प्रतीति पूर्वक होने पर भी व्यंग्य अर्थ की प्रधानता अर्थात् श्रेष्ठता लुप्त नहीं हो यह दर्शाते हैं—

स्वसामर्थ्यवशेनैव वाक्यार्थं प्रथयन्नपि ।

यथा व्यापारनिष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्यते ॥११॥

पदार्थ अपने सामर्थ्य के बल पर वाक्यार्थ का प्रकाशन करता हुआ भी जिस प्रकार अपने कर्तव्य की निष्पत्ति के समय वाक्यार्थ बोध के अन्दर स्व-स्वरूप में भासित नहीं होता है ।

यथा स्वसामर्थ्यवशेनैव वाक्यार्थं प्रकाशयन्नपि पदार्थो व्यापारनिष्पत्तौ न भाव्यते विभक्ततया ॥११॥

जिस प्रकार अपने सामर्थ्य के बल पर ही वाक्यार्थ का प्रकाशन करता हुआ भी पदार्थ वाक्यार्थ बोध के अन्दर विभक्त रूप में अर्थात् अलग अलग प्रतीत नहीं होता है—

तद्वत् सचेतसां सोऽर्थो वाच्यार्थविमुखात्मनाम् ।

बुद्धौ तत्त्वार्थदर्शिन्यां भटित्येवावभासते ॥१२॥

उसी प्रकार वाच्यार्थ के प्रति मुख्य रूप से आदर न रखनेवाले सहृदयों की व्यंग्य अर्थ के प्रति आदरशील पैनी बुद्धि में वह व्यंग्य अर्थ ही शीघ्रता पूर्वक अवभासित होती है, वही मन में आ जाती है।

एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यंग्यस्यार्थस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्रकृत उपयो-
जयन्नाह—

इस प्रकार व्यंग्य अर्थ वाच्य अर्थ से भिन्न होता है यह प्रतिपादन करके प्रकृत में उसका उपयोग करते हुए कहते हैं—

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थानुपसर्जकृतस्वार्थौ ।

व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति स्वरिभिः कथितः ॥१३॥

जहाँ शब्द और अर्थ अपने अर्थ और अपने को उपसर्जन अर्थात् गौण करते हुए उस व्यंग्य अर्थ को व्यक्त करते हैं, काव्यों के अन्दर आनेवाला वह विशेष प्रकार का काव्य काव्यतत्त्वज्ञों द्वारा ध्वनि इस नाम से कहा जाता है।

यत्रार्थो वाच्यविशेषः, वाचकविशेषः शब्दो वा, तमर्थं व्यङ्क्तः, स काव्यविशेषो ध्वनिरिति । अनेन वाच्यवाचकचारुत्वहेतुभ्य उपमादिभ्योऽनु-
प्रासादिभ्यश्च विभक्त एव ध्वनेर्विषय इति दर्शितम् ।

जहाँ अर्थ अर्थात् वाच्य अर्थ विशेष, और शब्द अर्थात् वाचक शब्द-विशेष उस व्यंग्य अर्थ को व्यक्त करते हैं अर्थात् व्यञ्जना-वृत्ति के द्वारा प्रकाशित करते हैं वह विलक्षण-प्रकार का काव्य ध्वनि कहा जाता है। इस लक्षण-कथन से यह दिखलाया गया है कि वाच्य-अर्थगत सुन्दरता के हेतुभूत उपमा आदि अलङ्कार और वाचक शब्दगत सुन्दरता के हेतुभूत अनुप्रास आदि अलङ्कारों से ध्वनि की परिस्थिति अलग ही होती है।

यदप्युक्तं—“प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिणो मार्गस्य काव्यत्वहानेर्ध्वनि-
र्नास्ति” इति, तदप्युक्तम् । यतो लक्षणकृतमेव स केवलं न प्रसिद्धः,
लक्ष्ये तु परीक्ष्यमाणे स एव सहृदयहृदयाह्लादकारि काव्यतत्त्वम् । ततोऽन्य-
चित्रमेवेत्यग्रे दर्शयिष्यामः ।

यह जो एक ध्वनिकाव्य के अभाववादी के द्वारा कहा गया है कि प्रसिद्ध मार्ग से अतिरिक्त होनेवाले मार्ग में काव्यत्व ही नहीं हो सकता है, अतः ध्वनि नाम का काव्य नहीं है वह भी उचित नहीं । क्योंकि ध्वनिकाव्य केवल ध्वनिलक्षणकारियों के लिये ही प्रसिद्ध नहीं है । लक्ष्यों को परीक्षा करने पर ध्वनि ही सहृदयों के हृदय का आह्लाद देनेवाला तात्त्विक काव्य है । उससे अन्य तो चित्र अर्थात् अधम काव्य ही होना है यह आगे दिखलायेंगे ।

यदप्युक्तम् — “कामनोयकमनतिवर्तपानस्य तस्योक्तालङ्कारादिप्रकारेष्वन्तर्भावः” इति, तदप्यसमीचानम् । वाच्यवाचकमात्राश्रयिणि प्रस्थाने व्यङ्ग्यव्यञ्जकसमाश्रयेण व्यवस्थितस्य ध्वनेः कथमन्तर्भावः । वाच्यवाचकचारुत्वहेतवो हि तस्याङ्गभूताः, स त्वङ्गिरूप एवेति प्रतिपादयिष्यमाणत्वात् । परिकरश्लो हश्चात्र —

यह जो कहा गया है कि ध्वनिकाव्य यदि सुन्दरता का अतिक्रमण नहीं करना है तो उसका अन्तर्भाव अलङ्कृत काव्यों में ही हो जायगा, वह भी उचित नहीं कहा जा सकता । वाच्य एवं वाचक मात्र को आश्रयण करनेवाले प्रस्थानों में व्यंग्य और व्यञ्जक को आश्रयण कर व्यवस्थित होनेवाले ध्वनि का अन्तर्भाव कैसे हो सकता ? वाच्य एवं वाचक की सुन्दरता के हेतुभूत अलङ्कार आदि तो ध्वनि काव्यस्थल में अंग होते हैं अंगो नहीं । वह व्यंग्य अर्थ तो ध्वनि काव्यस्थल में अंगी अर्थात् प्रधान ही होता है यह आगे प्रतिपादित होगा । इसका पोषक श्लोक यह है —

व्यङ्ग्यव्यञ्जकसम्बन्धनिबन्धनतया ध्वनेः ।

वाच्यवाचकचारुत्वहेतवन्तः पातिता कुतः ॥

ध्वनि यतः व्यंग्यव्यञ्जनभावत्मक-सम्बन्धमूलक होता है, अतः वाच्य-वाचकगत-चारुत्व-मूलक अलङ्कृतमात्र काव्यों में ध्वनि का अन्तर्भाव कैसे माना जा सकता ?

ननु यत्र प्रतीयमानार्थस्य वैशद्येनाप्रतीतिः स नाम मा भूद् ध्वनेर्विषयः । यत्र तु प्रतीतिरस्ति, यथा समासोक्त्याक्षेपानुक्तनिमित्तविशेषोक्तिपर्यायोक्ता-पह्नुतिदीपकसङ्करालङ्कारादौ, तत्र ध्वनेरन्तर्भावो भविष्यति, इत्यादि निगा-कतुमभिहितम्, “उपसर्जनीकृतस्वार्थौ” इति । अर्थो गुणीकृतात्मा, गुणीकृताभिधेयः शब्दो वा यत्रार्थान्तरमभिव्यनक्ति स ध्वनिरिति । तेषु कथं तस्यान्तर्भावः । व्यङ्ग्यप्राधान्ये हि ध्वनिः । न चैतत् समासोक्त्या-दिष्वस्ति ।

अब यहाँ प्रश्न यह उपस्थित किया जा सकता है कि जहाँ उक्त प्रधान प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति विशद रूप में नहीं होती है वह भले ही “ध्वनि” न कहा जाय किन्तु जहाँ प्रतीयमान की विशद प्रतीति होती है जैसे समासोक्ति, आक्षेप, अनुक्त-निमित्तक विशेषोक्ति, पर्यायोक्ति, अपह्नुति, दीपक, संकर आदि अलंकारों में । इनमें ध्वनि का अन्तर्भाव होगा, अतः इन प्रश्नों के निराकरणार्थ उक्त ध्वनिलक्षण म “उपसर्जनीकृतस्वार्थौ” यह कहा गया है । ध्वनि तो वह होता है जहाँ वाच्य अर्थ-गौण बना दिया जाता है और शब्द अपने वाच्य अर्थ को गौण बनाते हुए अन्य व्यंग्य अर्थ को व्यक्त करता है । ऐसी परिस्थिति में उक्त अलंकारों में ध्वनि का अन्तर्भाव कैसे ? व्यंग्य अर्थ की प्रधानता होने पर ही काव्य ध्वनि होता है, सो तो समासोक्ति आदि उक्त अलंकार प्रधान काव्यों में होता नहीं ?

समासोक्तौ तावत्—

उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृहीतं शशिना निशामुखम् ।

यथा समस्तं निमिरांशुकं तथा, पुगेऽपि रागाद् गलितं न लक्षितम् ॥

इत्याद्यौ व्यङ्ग्येनानुगतं वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते । समारोपित-नायिका-नायकव्यवहारयोर्निशाशशिनोरेव वाक्यार्थत्वात् ।

समासोक्ति अलंकार-स्थल में इसे देखा जाय ‘रागपूर्ण चन्द्रमा द्वारा निशा का मुख इस प्रकार पकड़ा गया कि निगा ने अनुराग के

कारण सामने खुलकर गिर पड़ी अपनी काली साड़ी को भी न समझ पाया” इस समासोक्ति अलंकार-स्थल में व्यंग्य अर्थ से अनुगत वाच्य अर्थ ही प्रधान रूप में जाना जाता है। क्योंकि नायिका और नायक के पारस्परिक व्यवहार जिनमें आरोपितमात्र होते हैं ऐसे (१) निशा और (२) चन्द्र ये दोनों ही वाक्यार्थ हैं। ऐमा मानना आवश्यक इसलिये है कि उक्त काव्य-वाक्य द्वारा सन्ध्याकाल का वर्णन अभिप्रेत है।

आक्षेपेऽपि व्यंग्यविशेषाक्षेपिणोऽपि वाच्यस्यैव चारुत्वं, प्राधान्येन वाक्यार्थ आक्षेपोक्तिसमर्थ्यदेव ज्ञायते। तथाहि तत्र शब्दोपाखण्डो विशेषाभिधानेच्छया प्रतिषेधरूपो य आक्षेपः स एव व्यंग्यविशेषमाक्षिपन् मुख्यं काव्यशरीरम्।

आक्षेप अलंकार स्थल में भी व्यंग्य अर्थ विशेष के आक्षेपक अर्थात् आक्षेप द्वारा उसकी प्रतीति करानेवाले वाच्य अर्थ को ही सुन्दरता अर्थात् तन्मूलक प्रधानता होती है, और वही प्रधान रूप से वाक्य का अर्थ होता है यह आक्षेप की उक्ति के सामर्थ्य से ही ज्ञात होता है। क्योंकि वहाँ शब्दतः प्राप्त होनेवाला वह प्रतिषेधात्मक आक्षेप जो कि किसी विशेष को बतलाने के लिये प्रयोग में लाया जाता है, वही व्यंग्य अर्थविशेष का आक्षेपक होता हुआ प्रकृत काव्य का मुख्य शरीर होता है अर्थात् प्रकृत काव्य में प्रधानता उस वाच्य अर्थ की होती है जो कि व्यंग्य अर्थ का आक्षेपक होता है, प्रापक होता है।

चारुत्वोत्कर्षेनिबन्धना हि वाच्यव्यंग्ययोः प्राधान्यविवक्षा। यथा—

व्यंग्य अर्थ और वाच्य अर्थ दोनों की प्राप्तिस्थल में प्रधानता की विवक्षा चारुता के उत्कर्ष पर ही आधारित होती है, चारुत्वगत उत्कर्ष-मूलक ही होती है। जैसे —

अनुरागवतो सन्ध्या दिवसस्तत्पुरःसरः।

अहो देवगतिः कोटक् तथापि न समागमः॥

अत्र सत्यामपि व्यंग्यप्रतीतौ वाच्यस्यैव चारुत्वमुत्कर्षवदिति तस्यैव प्राधान्यविवक्षा।

“हाय रे विधाता या अदृष्ट का विचित्र विधान ! सन्ध्या अनु-
रागवती है और दिवस उसके निकट भी, फिर भी दोनों का मिलन
हो पाता नहीं ।” इस काव्य वाक्य-स्थल में व्यंग्य अर्थ की प्रतीति
होने पर भी वाच्य अर्थ की चारुता ही उत्कर्ष-युक्त है, अतः प्राधान्य
की विवक्षा भी उस उत्कृष्ट चारुताशाली वाच्य अर्थ में ही है ।

यथा च दीपकापह्नुत्यादौ व्यंग्यत्वेनोपमायाः प्रतीतावपि प्राधान्येना-
विवक्षितत्वाच्च तथा व्यपदेशस्तद्वदत्रापि द्रष्टव्यम् ।

जिस प्रकार दीपक और अपह्नुति आदि अलङ्कारयुक्त काव्यस्थलों
में उपमा की प्रतीति व्यंग्य रूप में होने पर भी प्रधान रूप से विवक्षित
न होने के कारण उस उपमा को प्रधान नहीं कहा जाता है उसी
प्रकार यहाँ भी ज्ञासव्य है ।

अनुक्तनिमित्तायामपि विशेषेक्तौ—

आहूतोऽपि सहायैः, ओमित्युक्त्वा विमुक्तनिद्रोऽपि ।

गन्तुमना अपि पथिकः सङ्कोचं नैव शिथिलयति ॥

इत्यादौ व्यंग्यस्य प्रकरणसामर्थ्यात् प्रतीतिमात्रम् । न तु तत्प्रतीति-
निमित्ता काचिच्चारुत्वनिष्पत्तिरिति प्राधान्यम् ।

‘पथिक अपने साथी द्वारा आहूत होने पर भी ‘हाँ यह आया’ यह
कहता हुआ निद्रा त्याग करने पर भी, और जाने का इच्छुक होने पर
भी जाने के प्रति होनेवाले अपने संकोच को शिथिल नहीं कर रहा है’
इस काव्य वाक्यस्थल में जहाँ कि अनुक्त-निमित्त “विशेषोक्ति” नाम
का अलंकार विद्यमान है, प्रकरण के सामर्थ्य से व्यंग्य अर्थ की प्रतीति
मात्र होती है, उस प्रतीयमान व्यंग्य में चारुता का भान होता नहीं,
अतः प्राधान्य होता नहीं ।

पर्यायोक्तेऽपि यदि प्राधान्येन व्यंग्यत्वं तद् भवतु नाम तस्य ध्वना-
वन्तर्भावः । न तु ध्वनेस्तत्रान्तर्भावः । तस्य महाविषयत्वेन, अङ्गित्वेन च
प्रतिपादयिष्यमाणत्वात् ।

पर्यायोक्ति अलंकारयुक्त काव्यस्थल में यदि व्यंग्य अर्थ प्रधान माना जाय तो उस काव्य का ध्वनिकाव्य के अन्दर भले ही अन्तर्भाव हो, किन्तु सारे ध्वनिकाव्यों का उस पर्यायोक्ति-अलंकारयुक्त काव्य में अन्तर्भाव नहीं कहा जा सकता । क्योंकि ध्वनि काव्य का क्षेत्र अत्यन्त महान् है । तदनुसार ध्वनिकाव्य अंगों और पर्यायोक्ति-युक्त काव्य उसका एकमात्र अंग होगा यह आगे प्रतिपादनोप है ।

न पुनः पर्यायोक्ते भामहोदाहृतसदृशे व्यंग्यस्यैव प्राधान्यम् । वाच्यस्य तत्रोपसर्जनोभावेनाविवक्षितत्वात् ।

भामह के द्वारा उदाहृत के समान पर्यायोक्ति-युक्त काव्य में तो व्यंग्य अर्थ को वाच्य अर्थ को अपेक्षा प्रधानता ही नहीं होती । क्योंकि वहाँ वाच्य अर्थ अप्रधान रूप से विवक्षित होता नहीं ।

अपह्नुतिदोषयोः पुनर्वाच्यस्य प्राधान्यं व्यंग्यस्य चानुयायित्वं प्रसिद्धमेव ।

अपह्नुति और दोषक अलंकार-युक्त काव्यस्थल में वाच्य ही अर्थ प्रधान होता है । व्यंग्य अर्थ उनका अनुगामी अर्थात् अप्रधान ही होता है, यह बात तो प्रसिद्ध ही है ।

सङ्करालङ्कारेऽपि यदालङ्कारोऽलङ्कारान्तरच्छायामनुगृह्णाति, तदा व्यंग्यस्य प्राधान्येनाविवक्षितत्वात् ध्वनिविषयत्वम् । अलङ्कारद्वयसम्भावनायान्तु वाच्य-व्यंग्ययोः समं प्राधान्यम् । अथवाच्योपसर्जनोभावेन व्यंग्यस्य तत्रावस्थानं तदा सोऽपि ध्वनिविषयोऽस्ति, न तु स एव ध्वनिरिति वक्तुं शक्यम् पर्यायोक्तिनिर्दिष्टन्यायात् । अपि च सङ्करालङ्कारेऽपि न क्वचिन् सङ्करोक्तिरेव ध्वनिसम्भावनां निराकरोति ।

संकर अलंकारयुक्त काव्यस्थल में भी जब एक अलंकार अलंकारान्तर की छाया को अपनाना है तो व्यंग्य की प्रधानता अविवक्षित होने के कारण वह काव्य ध्वनि नहीं होता । संकरालङ्कार को सम्भावना के स्थल में वाच्य और व्यंग्य में समान रूप से ही प्रधानता होती है ।

यदि वहाँ गौण वाच्यार्थ के प्रति मुख्य रूप में व्यंग्य अर्थ की स्थिति हो तो वह काव्य भी ध्वनि के अन्तर्गत एक हो सकता है किन्तु वही ध्वनि है यह नहीं कहा जा सकता ।

अप्रस्तुतप्रशंसायामपि यदा सामान्यविशेषभावान्निमित्तनिमित्तिभावाद्वाभिधीयमानस्याप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुतेनाभिसम्बन्धस्तदा अभिधीयमान-प्रतीयमानयोः सममेव प्राधान्यम् । यदा तावत् सामान्यस्याप्रस्तुतस्य अभिधीयमानस्य प्राकरणिकेन विशेषेण प्रतीयमानेन सम्बन्धस्तदा विशेषप्रतीतौ सत्यामपि प्राधान्येन तत्सामान्येनाविनाभावात् सामान्यस्यापि प्राधान्यम् । यदापि विशेषस्य सामान्यनिष्ठत्वं तदापि सामान्यस्य प्राधान्ये, सामान्ये सर्वविशेषणामन्तर्भावाद्विशेषस्यापि प्राधान्यम् । निमित्तनिमित्तिभावे चायमेव न्यायः ।

अप्रस्तुत-प्रशंसा अलंकार-युक्त काव्यस्थल में जब प्रस्तुत प्रतीयमान अर्थ के साथ अप्रस्तुत अभिधीयमान का निमित्त-नैमित्तिक-भाव या सामान्य-विशेष-भाव सम्बन्ध अभिमत होता है तब अभिधीयमान वाच्य अर्थ और प्रतीयमान व्यंग्य अर्थ दोनों में प्रधानता समान रूप से ही होती है । और जब प्राकरणिक प्रतीयमान “विशेष” के साथ अभिधीयमान एवं प्रस्तुत होनेवाले सामान्य का सम्बन्ध विवक्षित होता है तब “विशेष” को प्रधान रूप में प्रतीति होने पर भी उस विशेष के साथ सामान्य का अविनाभाव सम्बन्ध होने के कारण सामान्य को भी प्रधानता हो आती है । और जब विशेष सामान्यनिष्ठ होता है तब भी सारे विशेष सामान्य के अन्तर्गत ही होते हैं इसलिये विशेष में भी प्रधानता आ ही जाती है । निमित्त-नैमित्तिक-भाव-मूलक अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार-युक्त काव्यस्थल में भी यही परिस्थिति ज्ञातव्य है ।

यदा तु सारूप्यमात्रवशेनाप्रस्तुतप्रशंसायामप्रकृतप्रकृतयोः सम्बन्ध-स्तदाप्यप्रस्तुतस्य सारूप्यस्याभिधीयमानस्य प्राधान्येनाविवक्षायां ध्वनावेवान्तःपातः । इतरथा त्वलङ्कारान्तरमेव ।

अप्रस्तुत-प्रशंसा अलंकार-युक्त काव्यस्थल में जब अप्रकृत और प्रकृत का सम्बन्ध केवल सारूप्य-मूलक अर्थात् सादृश्यात्मक होता है, तो वहाँ भी यदि अभिधीयमान एवं सरूप अप्रस्तुत प्रधान रूप से विवक्षित नहीं होता है तो उस अप्रस्तुत-प्रशंसा-युक्त काव्य का ध्वनिकाव्य में ही अन्तर्भाव होता है। अन्यथा तो एक स्वतन्त्र ही अलंकार वहाँ मान्य होता है।

तदयमत्र संक्षेपः—

व्यङ्ग्यस्य यत्राप्राधान्यं वाच्यमात्रानुयायिनः ।

समासोक्त्यादयस्तत्र वाच्यालङ्कृतयः स्फुटाः ॥

व्यङ्ग्यस्य प्रतिभा-मात्रे वाच्यार्थानुगमेऽपि वा ।

न ध्वनिर्यत्र वा तस्य प्राधान्यं न प्रतीयते ॥

तत्परावेव शब्दार्थौ यत्र व्यङ्ग्यं प्रति स्थितौ ।

ध्वनेः स एव विषयो मन्तव्यः सङ्करोज्झितः ॥

तस्मान्न ध्वनेरन्तर्भावः ।

यहाँ संक्षेप में वक्तव्य यह प्राप्त होता है कि जिस काव्यस्थल में वाच्यमात्र अर्थ के अनुगामी व्यंग्य अर्थ में प्रधानता होती नहीं वहाँ समासोक्ति आदि वाच्य अलंकार स्फुट होते हैं। जहाँ व्यंग्य अर्थ पूर्ण उज्ज्वल रूप में प्रतीत नहीं होता है या वाच्य अर्थ के अनुगामी रूप में प्रतीत होता है, व्यंग्य अर्थ में प्रधानता प्रतीत होती नहीं, वहाँ उसे ध्वनिकाव्य नहीं माना जाता है, वह ध्वनिकाव्य नहीं होता है। जिस काव्यस्थल में शब्द एवं वाच्य-अर्थ व्यंग्य अर्थ को ही श्रेष्ठ बतलाते हुए तदभिमुख होकर अवस्थित होते हैं संकर अलंकारस्थलीय परिस्थितियों से रहित वह काव्य ही ध्वनि कहलाने का अधिकारी होता है। इसलिये ध्वनि का अन्य में अन्तर्भाव सम्भव नहीं।

इतश्च नान्तर्भावः । यतः काव्यविशेषोऽङ्गी ध्वनिरिति कथितः । तस्य पुनरङ्गानि, अलङ्कारा गुणा वृत्तयश्चेति प्रतिपादयिष्यन्ते । न चावयव एव पृथग्भूतोऽवयवीति प्रसिद्धः । अपृथग्भावेऽपि तु तदङ्गत्वं तस्य । न तु तत्त्वमेव । यत्रापि तत्त्वं तत्रापि ध्वनेर्महाविषयत्वान्न तन्निष्ठत्वमेव ।

इसलिये भी ध्वनि का अन्य में अन्तर्भाव मान्य नहीं कि अङ्गी काव्य-विशेष ध्वनि कहा गया है । अलङ्कार गुण और वृत्तियाँ ये सब ध्वनि के अङ्ग होते हैं यह आगे बतलाया जानेवाला है । अवयवी से पृथक् हुआ भी अवयव अवयवी नहीं होता है और अवयवी से अपृथक् रहनेवाला अवयव भी अवयवी नहीं होता है, उसका अङ्ग ही होता है । जहाँ ध्वनित्व काव्य को होता भी है वहाँ ध्वनि विशेषात्मक काव्य भी ध्वनि सामान्य के अन्दर ही आयेगा, क्योंकि ध्वनिक्षेत्र महान् है ।

सूरिभिः कथितः इति विद्वदुपज्ञेयमुक्तिः, न तु यथाकथञ्चित् प्रवृत्तेति प्रतिपाद्यते ।

“सूरिभिः कथितः” यह कहकर यह बतलाया गया है कि उत्तम काव्य को यह ध्वनि नाम द्विवेकी विद्वानों द्वारा दिया गया । ऐसा नहीं कि यह ध्वनि नाम यों ही किसी प्रकार चल पड़ा ।

प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः, व्याकरणमूलत्वात् सध्वविद्यानाम् । ते च श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति । तथैवान्यैस्तन्मतानुसारिभिः काव्यतत्त्वार्थदर्शिभिर्वाच्यवाचकसम्भिः शब्दात्मा काव्यमिति-व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसाभ्याद् ध्वनिरित्युक्तः ।

प्रथम विद्वान् वैयाकरण ही होते हैं, क्योंकि सारी विद्याएँ व्याकरण-मूलक होती हैं । वे श्रूयमाण वर्णों को ध्वनि कहा करते हैं, उसी प्रकार उनके मत को अनुसरण करनेवाले काव्य के तात्त्विक अर्थों को देखने वाले विद्वानों द्वारा वह वाच्य का वाचक निश्चित शब्द ध्वनि नाम से कहा गया जो कि काव्य नाम से कहा जा रहा था ।

न चैवंविधस्य ध्वनेर्वक्ष्यमाणप्रभेदतद्भेदसङ्कलनया महाविषयस्य यत् प्रकाशनं तदप्रसिद्धालंकारविशेषमात्रप्रतिपादनेन तुर्यमिति तद्भावितचेतसां युक्तएव संरम्भः । न च तेषु कथञ्चिदोष्याकलुषितशेषमुषीकत्वमाविष्करणीयम् । तदेवं ध्वनेरभाववादिनः प्रत्युक्ताः

आगे वर्णनीय भेद एवं उपभेदों के संकलन-अनुसार क्षेत्रगत महत्ता को प्राप्त करनेवाले उस ध्वनि का प्रकाशन, अप्रसिद्ध नवीन अलङ्कार के प्रतिपादन के समान ही महत्त्वास्पद होगा, इस प्रकार विचार रखनेवाले विवेचकों का ध्वनि-विवेचन के सम्बन्ध में होनेवाला अनुत्साह उचित ही माना जायगा । उन ध्वनि-विवेचकों के प्रति हृदयगत ईर्ष्या, द्वेष आदि के अनुरूप अनादरपूर्ण दुर्बुद्धि का परिचय देना उचित नहीं । तो इस प्रकार ध्वनि के अभाववादी खण्डित हो गये ।

अस्ति ध्वनिः । स चाविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति द्विविधः सामान्येन । तत्राद्यस्योदाहरणम्—

सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः ।

शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम् ॥

ध्वनि है और वह (१) अविवक्षित-वाच्य और (२) विवक्षितान्य-परवाच्य इस प्रकार द्विविध है सामान्य रूप से । ध्वनि के उक्त दो प्रभेदों के अन्दर प्रथम का उदाहरण ज्ञातव्य है “शूर, विद्वान् और सेवा-विज्ञजन, ये तीनों प्रफुल्ल-स्वर्णपुष्पों से भरी भूमि प्राप्त करते हैं” इत्यादि काव्य-वाक्य ज्ञातव्य हैं । यहाँ खिले सुवर्णपुष्पों वाली पृथ्वी का चयन-स्वरूप वाच्य अर्थ विवक्षित न होकर शूर आदि का पूर्ण सुखो-जीवन स्वरूप व्यंग्य अर्थ विवक्षित होता है ।

द्वितीयस्यापि—

शिखरिणि क्व नु नाम कियच्चिरं किमभिधानमसावकरोत्तपः ।

सुमुखि येन तवाघरपाटलं दशति बिम्बफलं शुक्रशवकः ॥१३॥

द्वितीय विवक्षितान्य-परवाच्य ध्वनि का उदाहरण “हे सुमुखी !

“इस सुगो ने किस पर्वत पर कितने दिनों तक कौन-सा तप किया कि तेरे अधर के समान लाल इस बिम्बफल का दंशक कर रहा है ?” इत्यादि काव्य ज्ञातव्य है । क्योंकि वाच्य अर्थ को रखते हुए सुमुखी के अधर-दंशन-कर्ता का भाग्यातिशय व्यक्त होता है ।

यदप्युक्तं भक्तिर्ध्वनिरिति, तत् प्रतिसमाधोयते—

यह भी जो कुछ लोगों द्वारा कहा गया कि ध्वनि व्यक्ति ही है, अब उसका समाधान किया जा रहा है कि—

भक्त्या विभक्तिं नैकत्वं रूपभेदादयं ध्वनिः ।

भक्ति और ध्वनि के स्वरूपों में महान् अन्तर होने के कारण ध्वनि और भक्ति को एक नहीं कहा जा सकता है ।

अयमुक्तप्रकारो ध्वनिर्भक्त्या नैकत्वं विभक्तिं, भिन्नरूपत्वात् । वाच्य-व्यतिरिक्तस्यार्थस्य वाच्यवाचकाभ्यां तात्पर्येण प्रकाशनं यत्र व्यङ्ग्यप्राधान्ये स ध्वनिः । उपचारमात्रन्तु भक्तिः ॥

यह उक्त प्रकार ध्वनि भक्ति के साथ एकता इसलिये नहीं प्राप्त कर सकते कि दोनों के स्वरूपों में महान् भेद है । क्योंकि जहाँ वाच्य अर्थ और वाचक शब्द दोनों के द्वारा तात्पर्यवश व्यंग्य अर्थ का प्रकाशन होता है और व्यंग्य अर्थ प्रधान होता है वह होता है ध्वनि । भक्ति तो उपचार मात्र होता है ।

मा चैतत् स्याद् भक्तिर्लक्षणं ध्वनेरित्याह—

उपचारात्म-भक्ति ध्वनि का लक्षण न समझा जाय एतदर्थ यह कहा जा रहा है कि—

अतिव्याप्तेरथाव्याप्तेर्न चासौ लक्ष्यते तथा ॥१४॥

ध्वनि भक्ति के द्वारा लक्षित होता है अर्थात् भक्ति ध्वनि का लक्षण है यह इसलिये नहीं कहा जा सकता कि तब अव्याप्ति एवं अतिव्याप्ति दोनों दोष आपन्न हो उठेंगे ।

नैव भक्त्या ध्वनिर्लक्ष्यते । कथम् ? अतिव्याप्तेरव्याप्तेश्च । तत्राति-
व्याप्तिर्ध्वनिव्यतिरिक्तेऽपि विषये भक्तेः सम्भवात् । यत्र हि व्यंग्यकृतं
महत् सौष्ठवं नास्ति तत्राप्युपचरितशब्दवृत्त्या प्रसिद्धयनुरोधप्रवर्तितव्यव-
हाराः कवयो दृश्यन्ते । यथा—

भक्ति को ध्वनि का लक्षण नहीं माना जा सकता है । क्यों ? तो
इसलिये कि अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोनों दोष आपन्न हो उठेंगे ।
दोनों के अन्दर अतिव्याप्ति इसलिये होगी कि भक्ति अर्थात् लक्षणा
तो उस काव्यस्थल में भी पाई जाती है जो काव्य ध्वनि होता नहीं ।
जहाँ व्यंग्य-अर्थमूलक कोई बड़ा काव्यसौन्दर्य होता नहीं, वहाँ भी
कविगण प्रसिद्धि के अनुरोधवश उपचारात्मक अर्थात् लक्षणात्मक
शब्दवृत्ति को अपनाकर काव्य करते हुए पाये जाते हैं । जैसे—

परिम्लानं पोनस्तनजघनसङ्गादुभयतः ,

तनोर्मध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम् ।

इदं व्यस्तन्यासं शथलभुजलताक्षेपवलनैः ,

कृशाङ्ग्याः सन्तापं वदति विसिनीपत्रशयनम् ॥

यह कमलदल-निर्मित शय्या जो कि मांसल स्तन और जाँघ के
सम्पर्क-प्रयुक्त ऊपर और दोनों ओर म्लान हो पड़ी है किन्तु कटि की
ऋशिमा के कारण बीच में शरीर-सम्पर्क न पाकर म्लान नहीं है और
करवट बदलने आदि प्रयुक्त अस्तव्यस्त दिखाई दे रही है तरुणी के
कामकण्ठ को भलीभाँति “कह रही है” इस काव्य में “कह रही है”
यह औपचारिक प्रयोग तो है किन्तु यह ध्वनि-काव्य नहीं है ।

तथा—

चुम्बिज्जइ सअहुत्तं अवरन्धिज्जइ सहस्सहुन्तम्भि ।

विरमिअ पुणो रमिज्जइ पिणो जणो णत्थि पुनरुत्तम् ॥

(चुम्ब्यते शतकृतवोऽवरन्ध्यते सहस्रकृतवः ।

विरम्य पुनरम्यते प्रियो जनो नास्ति पुनरुत्तम् ।)

इसी प्रकार 'नायक द्वारा अपनी प्रिया का चुम्बन-सैकड़ों बार किया जाता है उसका घेराव हजारों बार किया जाता है। रुक-रुक कर फिर फिर सम्भोग किया जाता है। वहाँ पुनरुक्ति-दोष होता नहीं" इस काव्य वाक्यस्थल में 'पुनरुक्ति' शब्द का औपचारिक प्रयोग तो है किन्तु यह काव्य ध्वनि नहीं है।

तथा—

कुविआओ पसन्नाओ ओरण्णमुहीओ विहसमाणाओ ।

जह गहिओ तह हिअअं हरन्ति उच्छिन्तं महिलाओ ॥

(कुपिताः प्रसन्ना अवरुदितमुख्यो विहसन्त्यः ।

यथा गृहीतास्तथा हृदयं हरन्ति स्वैरिण्यो महिलाः ॥)

इसी प्रकार "व्यभिचारिणी स्त्रियाँ कुपित, प्रसन्न, रोती हुई", किसी भी प्रकार क्यों न देखी जायें, देखने वालों के हृदय को अवश्य हर लेती हैं" इस काव्यस्थल में "हृदय को हर लेती हैं" यह प्रयोग औपचारिक अर्थात् लाक्षणिक है, किन्तु यह ध्वनि-काव्य नहीं है।

तथा—

अज्जाए पहारो णवलदाए दिण्णो पिण्ण थणवट्टे ।

मिउओ वि दूसहो जाओ हि अए सबत्तीणम् ॥

(आर्यायाः द्वारो नवलतया दत्तः प्रियेण स्नानपृष्ठे ।

सदुकोऽर दुस्सह-इव जातो हृदये सपत्नी ॥ ३० ॥)

इसी प्रकार "नारी प्रिया के स्तन पर प्रिय पति के द्वारा दी गयी कोमल थपकी भी साक्षियों हृदय के लिये दुस्सह-प्रहार बन आई" इस काव्य वाक्यस्थल में "दुस्सह-प्रहार" यह शब्द औपचारिक है किन्तु यह ध्वनि काव्य नहीं है।

तथा—

परार्थे यः पीडामनुभवति भङ्गेऽपि मधुरो ,

यदीयः सर्वेषामिह खलु विकारोऽप्यभिमतः ।

न सम्प्राप्तो वृद्धिं यदि स भृशमक्षेत्रपतितः ,
किमिक्षोर्दोषोऽसौ न पुनरगुणायामरुमुवः ॥

अत्रेक्षुपक्षेऽनुभवतिशब्दः ।

न चैवविधः कदाचिदपि ध्वनेर्विषयः ॥१४॥

इसी प्रकार "जो दूसरों के लिये पीड़ा का अनुभव करता है, तोड़े जाने पर भी मीठा ही रहता है, जिसका विकार भी सबका अभिमत होता है, वह इक्षु (गन्ना) यदि खेत के दोषप्रयुक्त पतन न पाय तो यह क्या उस इक्षु का दोष माना जायगा, या उस ऊसर खेत का ? इस अन्योक्ति काव्य में इक्षु पक्ष में "पीड़ा का अनुभव करता है" यह भाक्त अर्थात् औपचारिक है किन्तु वह ध्वनि काव्य है नहीं ।

अतः—

उक्त्यन्तरेणाशक्यं यत् तच्चारुत्वं प्रकाशयन् ।

शब्दो व्यञ्जकतां विभ्रद् ध्वन्युक्तेर्विषयीभवेत् ॥१५॥

क्योंकि जो सुन्दरता अन्य प्रकार इसे कहने पर प्राप्त न होनेवाला हो, उस सुन्दरता को व्यञ्जनावृत्ति का आश्रयण करता हुआ जो शब्द व्यक्त करता है, वही शब्द ध्वनि नास से कहे जाने का पात्र होता है ।

अत्र चोदाहृते विषयेऽन्यत्राशक्य-चास्त्वव्यक्तिहेतुः शब्दः ॥१५॥

प्रकृत काव्य-वाक्यों के अन्दर वे औपचारिक विभिन्न शब्द ऐसे नहीं हैं जो ऐसी सुन्दरता को व्यक्त करते हों जो कि अन्य औपचारिक शब्द-प्रयोग से प्राप्त न हो पाये ।

किञ्च—

रुद्धा ये विषयेऽन्यत्र शब्दाः स्वविषयादपि ।

लावण्याद्याः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदं ध्वनेः ॥१६॥

और यहाँ यह भी ध्यान रखने की बात है कि जो शब्द अपने वाच्य अर्थ से अतिरिक्त अन्य अर्थ में रुद्ध हो पड़ते हैं जैसे "लावण्य" आदि

शब्दः । वे काव्य में प्रयुक्त होने पर उन अर्थों के व्यञ्जक न होने के कारण ध्वनि कहलाने के अधिकारी नहीं होते हैं ।

तेषु चोपचरितशब्दवृत्तिरस्तीति तथाविधे च विषये क्वचित् सम्भवन्नपि ध्वनिव्यवहारः प्रकारान्तरेण प्रवर्तते न तथाविधशब्दमुखेन ॥१६॥

एन अन्य अर्थों में शब्द की “निरुद्धलक्षणा” स्वरूप उपचारात्मक ही वृत्ति होती है व्यञ्जना नहीं । अतः उन अर्थों को लेकर यदि कहीं ध्वनि शब्द का व्यवहार किया जाय तो वह अन्य प्रकार से ही प्रवृत्त मान्य है ।

अपि च—

मुख्यां वृत्तिं परित्यज्य गुणवृत्त्याऽर्थदर्शनम् ।

यदुद्दिश्य फलं, तत्र शब्दो नैव स्वलद्गतिः ॥१७॥

और यह भी यही ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रयोजन को उद्देश्य बनाकर मुख्य अभिधावृत्ति का परित्यागपूर्वक गौण लक्षणावृत्ति का आश्रयण करके वाक्यार्थबोध सम्भव किया जाता है उस प्रयोजनात्मक अर्थ को समझाने में शब्द स्वलद्गति अर्थात् पंगु नहीं माना जा सकता ।

तत्र हि चारुत्वातिशयविशिष्टार्थ-प्रकाशनलक्षणे प्रयोजने कर्तव्ये यदि शब्दस्यामुख्यता तदा तस्य प्रयोगे दुष्टतैव स्यात् । न चैवम् ॥१७॥

ध्वनि-काव्यस्थल में सौन्दर्यातिशययुक्त व्यंग्य अर्थ का प्रकाशन कर्तव्य होने पर यदि शब्द अमुख्य अर्थात् गौण हो जाय, अमुख्य लक्षणावृत्ति का आश्रयण करे तो उस शब्द का प्रयोग दुष्ट माना जायेगा, जैसा कि माना जाता नहीं ।

तस्मात्—

वाचकत्वाश्रयेणैव गुणवृत्तिर्व्यवस्थिता ।

व्यञ्जकत्वैकमूलस्य ध्वनेः स्याद्भक्षणं कथम् ॥१८॥

इसलिये अभिधास्वरूप वाचकता का आश्रयण करके ही अवस्थित

होनेवाली गुणवृत्ति लक्षणा व्यञ्जनावृत्तिमात्र के बल पर होनेवाले ध्वनि का प्रकाशक कैसे हो सकता है ?

तस्मादन्यो ध्वनिः अन्या च गुणवृत्तिः ।

अतः यह मानना आवश्यक है कि व्यञ्जनावृत्ति अन्य है और लक्षणा-वृत्ति अन्य । अथवा ध्वनिकाव्य अन्य है और गौणकाव्य अन्य ।

अन्यासिरप्यस्य लक्षणस्य । नहि ध्वनिप्रभेदो विवक्षितान्यपरवाच्यलक्षणः, अन्ये च बहवः प्रकाराः भवत्याऽव्याप्यन्ते । तस्माद् भक्तिरलक्षणम् ॥ १८ ॥

“भाक्त अर्थात् भक्तिमूलक काव्य है ध्वनि “यह ध्वनिलक्षण अव्याप्ति दोष से भी दुष्ट है । क्योंकि ध्वनि का प्रभेद विवक्षितान्य-पर-वाच्य ही नहीं, अर्थात् अभिधामूल ध्वनि एवं तदन्य और भी बहुतसे ध्वनि काव्य के प्रभेद लक्षणामूलक न होने के कारण भाक्त होते नहीं ।

कस्यचिद् ध्वनिभेदस्य सा तु स्यादुपलक्षणम् ।

किसी विरल ही ध्वनि-प्रभेद-स्थल में वह भक्ति अर्थात् लक्षणा उपलक्षण अर्थात् प्रकाशक होती है, जैसे प्रयोजनवती-लक्षणास्थल में लक्ष्य अर्थ का ।

सा पुनर्भक्तिर्वक्ष्यमाणप्रभेदमव्यादन्यतमस्य भेदस्य यदि नामोपलक्षणतया सम्भाव्येत । यदि च गुणवृत्त्यैव ध्वनिर्लक्ष्यत इत्युच्यते तदभिव्यापारेण तदितिरोऽलङ्कारवर्गः समग्र एव लक्ष्यत इति प्रत्येकमलङ्काराणां लक्षण-करणवैयर्थ्यप्रसङ्गः ।

यदि यह सम्भावना की जाय कि प्रयोजनवती लक्षणा-स्थल में ध्वनि-अर्थात् व्यंग्यभूत-प्रयोजन का भी उपलक्षण अर्थात् प्रकाशन, भक्ति से ही सम्भावित है । और साथ ही यह भी कहा जाय कि सारे ध्वनि अर्थात् व्यंग्य, फिर तो पूर्व-सिद्ध लक्षणा से ही प्रकाशित हो सकते हैं अतः ध्वनि-काव्य का अलग लक्षण करना भी कोई प्रयोजन नहीं रखता । तो ऐसा कहने पर उपमा आदि कुछ अलङ्कार वाच्य होने पर सारे अलङ्कारों को वाच्यता आपन्न हो उठेगी और अभिधेय

हो उठने के कारण प्रत्येक अलङ्कारों का लक्षण-वाक्य-निर्माण भी व्यर्थ हो जायगा ।

किञ्च—

लक्षणेऽन्यैः कृते चास्य पक्षसंसिद्धिरेव नः ॥१६॥

यदि उक्त प्रकार ध्वनि के अभाववादियों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जाय कि ध्वनि का विवेचन उसका लक्षण आदि अपूर्व नहीं माना जा सकता, तो इससे मेरे पक्ष की ही सिद्धि हो जाती है ।

कृते वा पूर्वमेवान्यैर्ध्वनिलक्षणे पक्षसंसिद्धिरेव नः, यस्माद् ध्वनिरस्तीति नः पक्षः । स च प्रागेव संसिद्ध इति, अयत्नसम्पन्नसमीहितार्थाः सम्पन्नाः स्मः ।

यदि यह कहा जाय कि ध्वनि का लक्षण पहले भी किया गया था तो इससे मेरे ही मत की पुष्टि होती है । क्योंकि ध्वनि है यही मेरा पक्ष है, और वह पहले से ही सिद्ध है । बिना प्रयास ही हम ध्वनि-वादियों की अभिष्ट-सिद्धि हो आई ।

येऽपि सहृदयहृदयसंवेद्यमनाख्येयमेव ध्वनेरात्मानाम्नासिष्ठुस्तेपि न परीक्ष्यवादिनः । यत उक्तया नीत्या वक्ष्यमाणया च ध्वनेः सामान्य-विशेषलक्षणे प्रतिपादितेऽपि यद्यनाख्येयत्वं तत् सर्वेषामेव वस्तूनां तत्-प्रसक्तम् ।

यदि पुनर्ध्वनेरतिशयोक्त्यानया काव्यान्तरातिशायि तैः स्वरूपमाख्यायते तत्तेऽपि युक्ताभिधायिन एव ॥१७॥

इति राजानकानन्दवर्धनाचार्यविरचिते ध्वन्यालोके प्रथमोद्योतः ।

जिन लोगों ने सहृदयहृदय-सम्बन्ध ध्वनितत्त्व को अनाख्येय अर्थात् निर्वचनायोग्य ही कह डाला वे भी परीक्ष्यवादी अर्थात् विचार करके बोलनेवाले नहीं । क्योंकि उक्त एवं वक्ष्यमाण रीति से जब कि ध्वनि सामान्य और उसके प्रभेदों का लक्षण प्रतिपादित

होने पर भी ध्वनि को अनाख्येय कहा जाय, वह प्रतिपादन का अयोग्य ठहराया जाय, तो संसार की सारी वस्तुओं में वह अनाख्येयत्व अर्थात् निर्वचनानर्हत्व आपन्न हो उठता है। हाँ, यदि वे उक्त-प्रकार अपनी अतिशयोक्ति द्वारा ध्वनि-काव्य को ध्वनि-भिन्न काव्यों से अतिशायी अर्थात् अधिक-महत्त्वपूर्ण बतलाते हैं तब उनका कहना सही है। वे उचितवक्ता ही हैं। इति।

ध्वन्यालोक-प्रथम उद्योत का
कवितार्किकचक्रवर्ती आदि विविधोपाधि - समलङ्कृत-
आचार्य आनन्द झा कृत-
हिन्दी रूपान्तर समाप्त ।

★

व्यक्तिविवेकः ।

प्रथमो विमर्शः ।

अनुमानेऽन्तर्भावं सर्वस्यैव ध्वनेः प्रकाशयितुम् ।

व्यक्तिविवेकं कुरुते प्रणम्य महिमा परां वाचम् ॥१॥

युक्तोऽयमात्मसदृशान् प्रति मे प्रयत्नो नास्त्येव तज्जगति सर्वमनोहरं यत् । --
केचिज्ज्वलन्ति विकसन्त्यपरे निमोलन्त्यन्ये यदभ्युदयभाजि जगत्प्रदीपे ॥२॥

सभी ध्वननों का अनुमान में अन्तर्भाव है इसके प्रकाशनार्थ हम महिम-
भट्ट परा वाणी को नमस्कार करके व्यक्तीववेक की रचना कर रहे हैं ।
अपने जैसे लोगों के लिये किया जानेवाला यह मेरा प्रयत्न सर्वथा
उचित है । सबको अच्छा ही लगे ऐसी घटना संसार में कोई नहीं
होती है । क्योंकि समग्रजगत के लिये प्रदीपभूत सूर्य के उदय पर
सबपर उसकी एक-सी प्रतिक्रिया नहीं होती है । सूर्योदय होने पर कोई
जल उठता है तो अन्य कोई विकसित हो उठता है । और तीसरा कोई
आँखें मूंद लेता है । सूर्योदय होने पर सूर्यकान्त-मणि प्रज्वलित होता है,
कमल विकसित होते हैं और कुमुद सकुच जाता है ।

इह सम्प्रतिपत्तितोऽन्यथा वा ध्वनिकारस्य वचोविवेचनं नः ।

नियतं यशसे प्रपत्स्यते यन्महतां संस्तव एव गौरवाय ॥३॥

यहां स्वीकार अथवा उसके विररीत खण्डन रूप में किया जानेवाला
ध्वनिकार की वाणी का यह विवेचन अवश्य मेरे लिये यशःप्रद होगा ।
क्योंकि बड़े लोगों के साथ किया जानेवाला सम्बन्ध कैसा भी क्यों न
हो वह गौरवप्रद होता ही है ।

सहसा यशोऽभिसर्तुं समुद्यतादृष्टदर्पणा मम धीः ।

स्वालङ्कारविकल्पप्रकरणे वेत्तु कथमिषावद्यम् ॥४॥

दर्पण को बिना देखे ही यश की प्राप्ति हेतु अभिसरणशील मेरी बुद्धि अपने प्रसाधनगत दोषों को कैसे समझ पायेगी ?

ध्वनिवत्स्मन्यतिगहने स्खलितं वाण्याः पदे पदे सुलभम् ।

रभसेन यत् प्रवृत्ता प्रकाशकं चन्द्रिकाद्यदृष्टवैव ॥५॥

किन्तु तदवधोर्यार्थैर्गुणलेशे सततमवहितैर्भाव्यम् ।

परिपवन्वदथवा ते जात्यैव न शिक्षितास्तुपग्रहणम् ॥६॥

अत्यन्त गहन इस ध्वनि-मार्ग पर पग-पग पश मेरी वाणी का स्खलन स्वाभाविक है । क्योंकि प्रकाशक "चन्द्रिका" आदि को देखे बिना ही यतः मेरी वाणी प्रवृत्त हो पड़ी है । किन्तु श्रेष्ठजनों से निवेदन यह है कि वे उधर ध्यान न देकर इसके गुणलेश की ओर ही ध्यान दें । अथवा इस निवेदन का कोई प्रयोजन नहीं देखता । क्योंकि वे श्रेष्ठ-जन पछोड़नेवाले सूप के समान स्वाभाविक रूप से ही निस्सार का ग्रहण नहीं करेंगे । क्योंकि उन्हें शिक्षा ही ऐसी मिली रहती है ।

तत्र ध्वनेरेव तावत्लक्षणं वक्तव्यम् । कोऽयं ध्वनिर्नामिति । तच्च ध्वनिकारेणैवोक्तम् । तद्यथा—

‘यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ ।

व्यङ्क्तः काव्यविशेषः सं ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥’ इति

उक्त प्रकार प्रतिज्ञा के अनन्तर ध्वनिका ही लक्षण कहना चाहिये कि यह ध्वनि क्या है ? तो ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धन के द्वारा ही ध्वनिकाव्य का यह लक्षण बतलाया गया है कि— “जहां शब्द अपने अर्थ को और अर्थ अपने को प्रतीयमान अर्थ के प्रति गौण बनाते हुए उस प्रधानभूत प्रतीयमान अर्थ को व्यक्त अर्थात् ध्वनित करते हैं अर्थात् व्यञ्जनावृत्ति द्वारा समझाते हैं वह विशेष प्रकार का काव्य सुधीजनों द्वारा “ध्वनि” नाम से कहा जाता है ।

एतच्च विविच्यमानमनुमानस्यैव सङ्गच्छते, नान्यस्य । तथा हि—
अर्थस्य तावदुपसर्जनीकृतात्मत्वमनुपादेयमेव । तस्यार्थान्तरप्रतीत्यर्थमुपा-
त्तस्य तदव्यभिचाराभावात् । न ह्यग्न्यादिसिद्धौ धूमादिरूपादीयमानो
गुणतामतिवर्तते । तस्य तस्मात्त्रलक्षणत्वात् ।

इसका विवेचन करने पर यह आनन्दवर्धनोक्त लक्षण अनुमान का ही
लक्षण होता हुआ संगत मालूम पड़ता है । जैसे अर्थ अर्थात् पहले
प्राप्त होने वाले अर्थ में उपसर्जनीकृतात्मत्व अर्थात् गौणत्व का कथन
निष्प्रयोजन है क्योंकि वह तो स्वतः प्राप्त हो जाता है । यह इसलिये
कि प्रथम प्राप्त होनेवाला अर्थ जब कि पीछे प्राप्त होनेवाले अन्य
अर्थ को समझाने हेतु ही आता है तब उसमें पश्चात् प्राप्त होनेवाले
अर्थ का व्यभिचार नहीं होगा । साध्य की सिद्धि के लिये प्रथम प्राप्त
होनेवाला साध्यसाधक हेतु नियमतः साध्य का अव्यभिचारी ही होता है
और तत्प्रयुक्त साध्य के प्रति गौण भी होता ही है । अग्नि की अनु-
मिति के लिये प्रथम गृहीत होनेवाला धूम कभी अग्नि के प्रति गुणता
का अतिक्रमण करता नहीं । क्योंकि उसका वह स्वभाव ही होता है ।
जो जिसके लिये होता है वह उससे अप्रधान होता ही है, गौण होता
ही है ।

यत् पुनरस्य क्वचित् समासोक्त्यादौ प्राधान्यमुच्यते तत् प्राकरणि-
कत्वापेक्षयैव । न प्रतीयमानापेक्षया । यथा—

उपोढरागेण बिलोलतारकं तथा गृहीतं शशिना निशामुखम् ।

वथा समस्तं तिमिरांशुकं स्या पुरोऽपि रागाद्गलितं न लक्षितम् ॥

कहीं समासोक्ति आदि अलङ्कार-युक्त काव्यस्थल में जो प्रथम प्राप्त
वाच्य अर्थ की प्रधानता होती है वह प्राकरणिकता मात्र के आधार पर ।
पीछे प्राप्त होनेवाले प्रतीयमान अर्थ को अपेक्षा करके नहीं । जैसे—
“अनुरागीचन्द्र के द्वारा निशा का चञ्चलतारक मुख इस प्रकार चूमा
गया कि निशा को यह भी पता नहीं कि उसका तिमिरांशुक कब और
कैसे गिर गया ?

अत्र हि प्रतीयमानेनानुगतं वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते समारोपित-
नायिकानायकव्यवहारयोर्निशाशशिनोरेव वाक्यार्थत्वात् इति । तद-
पेक्षया च तस्य लिङ्गत्वादुपसर्जनीभावाव्यभिचार एव ।

यहां प्रतीयमान अर्थ के द्वारा अनुगत होनेवाला वाच्य अर्थ ही प्रधानरूप में प्रतीत होता है । उस प्रतीयमान अर्थ का वह वाच्य अर्थ लिङ्ग अर्थात् अनुमापक हेतु होता है, अतः उपसर्जनी भाव का अर्थात् गौणत्व का अव्यभिचार ही है । वाच्य अर्थ में प्रतीयमान अर्थ की अपेक्षा से गौणत्व है ही । अभिप्राय यह कि प्रत्येक अनुमान-स्थल में हेतु नियमतः गौण और साध्य नियमतः उसके प्रति मुख्य अर्थात् प्रधान होता ही है । इसी प्रकार जब कि ध्वनि काव्यस्थल में वाच्य हेतु नियमतः गौण और और प्रतीयमान अर्थ नियमतः मुख्य अर्थात् प्रधान ही होता है तो ध्वनि-काव्यस्थल में भी अनुमिति ही क्यों न मानी जाय ! दूसरी बात यह कि प्रतिपादित युक्ति से जब कि वाच्य अर्थ में प्रतीयमान अर्थ के प्रति गौणता स्वतः स्पष्ट है तब ध्वनि लक्षण में वह बात क्यों कही जा रही है ?

व्यभिचारेऽपि वैफल्यादनुपादेयमेवैतद्, गुणीभूतव्यङ्ग्येऽपि काव्ये
चारुत्वप्रकर्षदर्शनादिति वक्ष्यते ।

उक्तं गुणीकृतात्मत्वं यदर्थस्य विशेषणम् ।

गमकत्वान्न तत् तस्य युक्तमव्यभिचारतः ॥७॥

इति संग्रह-श्लोकः ।

यदि थोड़ी देर के लिये व्यभिचार मान भी लिया जाय अर्थात् उक्त समारोपित अलङ्कार युक्त काव्य वाक्यस्थल में वाच्य अर्थ को ही प्रतीयमान अर्थ से प्रधान माना जाय, प्रतीयमान अर्थ को ही वाच्य अर्थ से गौण अर्थात् अप्रधान माना जाय फिर भी उक्त ध्वनि-लक्षण-वाक्य में जो अर्थ में अर्थात् वाच्य अर्थ में उपसर्जनीकृतात्मत्व स्वरूप गौणत्व विशेषण दिया गया है वह व्यर्थता प्रयुक्त नहीं देना चाहिये । वह विशेषण-दान व्यर्थ इसलिये है कि जिस गुणीभूत व्यंग्य काव्य में ध्वनि काव्यता के निवारणार्थ वह विशेषण दिया जाता है तत्त्वतः वह

निवारणीय नहीं है। क्योंकि उसमें भी आकर्षकता स्वरूप चारुता पाई ही जाती है यह बात आगे चलकर बतलाई जाने वाली है। फलितार्थ यह हुआ कि अर्थ में जो गौणत्व विशेषण दिया गया है वह अव्यभि-
चारात्मक व्याप्ति के कारण अनुमापक होने से स्वतः प्राप्ति-प्रयुक्त देय नहीं है।

शब्दः पुनरनुपादेय एव । तस्य स्वार्थाभिधानमन्तरेण व्यापारान्तरा-
नुपपत्तोरुपपादयिष्यमाणत्वात् ।

न च तस्यानुकरणव्यतिरेकेणोपसर्जनीकृतार्थत्वं सम्भवति । यथा—

‘तं कर्णमूलमागत्य पलितच्छन्नना जरा ।

कैकेयीशङ्कयेवाह रामे श्रीर्न्यस्यतामिति ॥’

जैसे उक्त ध्वनिलक्षण में अर्थ का उल्लेख उचित नहीं है उसी प्रकार शब्द का भी उल्लेख उचित नहीं। क्योंकि कोई भी शब्द कहीं भी अपने वाच्य अर्थ को बतलाने के लिये प्रयुक्त होता है। ऐसी परिस्थिति में वह अर्थ को भला कैसे गौण बना सकता है? क्योंकि प्रत्येक शब्द अपने अर्थ को बतलाने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं करता है यह बात आगे चलकर बतलाई जानेवाली है। अनुकरणा-
त्मक शब्द को छोड़कर अन्य अर्थात् अननुकरणात्मक शब्द में उपसर्जनी-
कृतार्थत्वं नहीं हो सकता है अर्थात् वह अपने अर्थ को कभी गौण नहीं बना सकता है। अनुकरणात्मक शब्द के प्रयोगस्थल में अर्थ अवश्य गौण होता है। जैसे—“बुढ़ापे ने केश पकने के बहाने महाराज दशरथ के कान के पास आकर मानो इसलिये ‘राम को अब युवराज बना डालो’ यह चुपके से कहा कि कहीं कैकयी न इस बात को सुन जाय” इस काव्यवाक्य के प्रयोगस्थल में कवि के द्वारा प्रयुक्त होनेवाला “राम को युवराज बना डालो” यह खण्डवाक्य अपने अर्थ को नहीं बतलाता है केवल अपने स्वरूप को ही बतलाता है। अतः उसका अर्थ गौण हो जाता है अप्रधान हो जाता है।

कुतस्तर्हि तदर्थवगतिः । अनुकार्यादिति ब्रूमः तस्य सार्थकनिरर्थकत्व-
मेदेन द्वैविध्यतः । नवनुकरणात्, तस्येतिना व्यवच्छिन्नस्य स्वरूपमात्रे-
ऽवस्थानात् ।

तो उसके अर्थ का ज्ञान श्रोता को कैसे होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में कहना यह है कि श्रोता को अर्थबोध अनुकार्य शब्द से होता है । क्योंकि अनुकार्य शब्द (१) सार्थक और (२) निरर्थक इस प्रकार दो प्रभेदों वाले होते हैं । अनुकरणात्मक शब्द से अर्थबोध होता नहीं । क्योंकि वह “यह” “इति” आदि से व्यवच्छिन्न अर्थात् नियन्त्रित फलतः सीमित होने के कारण अपने स्वरूपमात्र में पर्यवसित हो जाता है । स्वरूपमात्र को समझाता है ।

अन्यस्य तूपसर्जनीभावाव्यभिचार एव, तस्य तदर्थमुपादानतः, यो हि यदर्थमुपादीयते, नासौ तमेवोपसर्जनीकरोतीति युक्तं वक्तुम् । यथोदकाद्युपादानार्थमुपात्तो घटादिस्तदेवोदकादि । अन्यथा प्रधानेतरव्यवस्था निर्निबन्धनैव स्यात् । अतएव घटादिरेव प्रतिनिधीयते नोदकादीत्यसम्भवो लक्षणदोषः ।

अन्य अर्थात् अनुकरण-भिन्न शब्द में तो उपसर्जनीभाव का अव्यभिचार ही होता है, अर्थात् वह तो अपने अर्थ के प्रति अपनेको सदा गौण बनाता है अपने अर्थ को कभी गौण नहीं बनाता है, क्योंकि शब्द तो अपने अर्थ को समझाने के लिये ही आदृत होता है । जो जिसी के लिये आदृत होता है, गृहीत होता है वह उसी को उपसर्जन अर्थात् गौण बना डाले यह कभी उचित नहीं कहा जा सकता । जैसे जलानयन के लिये गृहीत होनेवाला घड़ा उसी अपने को महत्वास्पद बनानेवाले जल को गौण नहीं बनाता है । ऐसा न मानने पर गौण-मुख्य-भाव की व्यवस्था अमूलक हो उठेगी । कोई उसका नियामक नहीं हो पायेगा । तभी तो घट आदि उपजीवक ही प्रतिनिधि बनते हैं जल आदि उपजीव्य आश्रयणीय कभी प्रतिनिधि नहीं बनता है । प्रतिनिधि गौण होता है यह सर्वथा लोकसिद्ध है । सारांश यह कि प्यासे को पानी अवश्य चाहिये और कुछ नहीं, परन्तु वह पानो उसे घड़े या उसके स्थान में अन्य किसी पात्र से मिले । किसी से पानी उसे अवश्य मिलना चाहिये । इसलिये पानी के लिये ही सुरक्षित होनेवाला घड़ा पानी को कभी गौण नहीं बनाता है । प्रकृत में काव्यगत शब्द जब कि अपने अर्थ को बतलाने के लिये ही कवि के द्वारा काव्य में उपन्यस्त होता है तब वह अपने वाच्य अर्थ को कैसे गौण बना पायेगा ? जैसा कि उक्त ध्वनि-

लक्षण में अपने वाच्य अर्थ को गौण बनाने के लिये कहा गया है। ऐसी परिस्थिति में उक्त ध्वनि-लक्षण का असम्भव-दोषग्रस्त होना अनिवार्य है।

व्यभिचारसम्भवयोरपि वा यत् स्वार्थयोरुपसर्जनीकृतत्ववचनं तत् पुनरुक्तं, तयोरर्थान्तरामिव्यक्त्यर्थमुपात्तयोस्सामर्थ्यदेव तदवगतेरित्युक्तम् । न च स्वरूप-मात्रानुवादफलमेतदिति शक्यं वक्तुं तस्य पुनरुक्तिप्रकारत्वोपपादनतः । एवञ्च यत् 'सुवर्णपुष्पां पृथिवीमित्याद्युदाहरणमुपदर्शितं, तदसिद्धसाध्यसाधनधर्मानुगतमित्यवगन्तव्यम् ।

यदि व्यभिचार और सम्भव दोनों मान भी लिये जायें, अर्थात् समासोक्ति अलंकार स्थल में वाच्य अर्थ को ही प्रधान माना जाय और तत्प्रयुक्त लक्षण-समन्वयात्मक सम्भव के कारण असम्भव दोष भी न माना जाय फिर भी शब्द और अर्थ में जो उपसर्जनीकृतार्थत्व कहा गया है वह पुनरुक्ति-दोषग्रस्त होता ही है। क्योंकि शब्द और वाच्य अर्थ दोनों ही जब कि प्रतीयमान अर्थ को समझाने के लिये ही आदृत होते हैं तब उनमें गौणत्व तो उसी से ज्ञात हो जाता है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि उक्त कथन स्वरूपानुवाद है। क्योंकि स्वरूपानुवाद भी एक प्रकार पुनरुक्ति ही है। ऐसा होने पर 'सुवर्णपुष्पां पृथिवीं' इत्यादि जो ध्वनि काव्य का उदाहरण बतलाया गया है उसे भी "असिद्ध साध्यसाधक धर्मानुगत" अर्थात् असिद्ध सुखी-जीवनात्मक साध्य के साधक शौर्य कृतविद्यता, सेवाविशेषज्ञता आदि हेतु का ख्यापक मानना चाहिये।

किञ्च यथाभिधेयोऽर्थस्तद्विशेषणं चोपात्तं तद्वदभिधाध्युपादानमर्हत्येव । अन्यथा यत्र दोषकादेरलङ्कारादलङ्कारान्तरस्योपमादेः प्रतीतिस्तत्र ध्वनित्वमिष्टं न स्यात्, तल्लक्षणेनाव्याप्तेः । अलङ्काराणां चाभिधात्मत्वमुपगतं तेषां भङ्गी-भणितिर्भेदरूपत्वात् ।

और उक्त ध्वनि लक्षण में यह भी कमी पाई जाती है कि अभिधा की उपसर्जनता का उल्लेख नहीं किया गया है। शब्द और अर्थ की गौणता के उल्लेख के समान अभिधा की भी गौणता उल्लेख-योग्य है। उसके उल्लेख के अभाव में जिस अलङ्कार-ध्वनि काव्यस्थल में वाच्य-

भूत दीपक आदि अलङ्कार से उपमा आदि की प्रतीति होती है वहां मान्य ध्वनित्व उसमें नहीं हो पायेगा । क्योंकि उक्त लक्षण के अनुसार वहां उक्त ध्वनि-लक्षण की अव्याप्ति हो उठेगी । अलङ्कारों में भी अभिधात्व इंसलिये स्वीकरणीय है कि अलङ्कार भी “भङ्गीभणिति” के प्रभेद ही होते हैं । सारांश यह कि एक प्रकार विशेष शैली में किया जाने वाला कथन ही अलङ्कार होता है ।

‘अलङ्कारान्तरस्थापि प्रतीतौ यत्र भासते ।

तत्परत्वं न वाच्यस्य नासौ मार्गो ध्वनेर्मतः ॥’ २।२ ध्व० ॥

इत्यादिना तत् प्रतिषिद्धमिति (चेद्) उच्यते— तत्प्रतिषेधहेतोः काव्या-
तत्परतालक्षणस्यासिद्धत्वात् = उपमानोपमेयभावाद्यभिधानपरतयैव दीपकाद्यलङ्कार-
भङ्गीभणितिसमाश्रयणतः । प्रतीयमानस्यैव चालङ्कारादेश्चास्तुतिशययोपात् ताव-
न्मात्रनिबन्धनत्वाच्च तद्ध्वनिव्यवहारस्येति कथं तत्प्रतिषेधसिद्धिः ।

यदि ध्वनिवादी की ओर से यह कहा जाय कि “जहां अलङ्कारान्तर की भी प्रतीति होती है किन्तु वाच्य ‘प्रतीयमान पर’ अर्थात् प्रतीयमान को अपने से श्रेष्ठ बतलाने वाला” नहीं होता है वहां ध्वनित्व इष्ट नहीं, वह ध्वनि का मार्ग नहीं, ध्वन्यालोकगत इस कथन के अनुसार उक्त दीपकालङ्कार से उपमा की प्रतीति-सम्पादक काव्य में ध्वनित्व ही निषिद्ध है । अतः अलक्ष्यता के कारण वहां ध्वनि-लक्षण की अव्याप्ति नहीं दी जा सकती । तो इसके उत्तर में कहना यह है कि वहां ध्वनित्व के निषेधक हेतु रूप में वर्णित “काव्यात्परता” अर्थात् वाच्य की प्रतीयमानपरता का अभाव असिद्ध है । क्योंकि वाच्य-दीपकालङ्कार का आश्रयण इसीलिये किया जाता है कि उपमानोपमेय-भाव प्रतीत हो पाये । और वाच्य अलङ्कार से प्रतीयमान अलङ्कार में अधिक चारुता अर्थात् सुन्दरता होती ही है । और ध्वनि का व्यवहार वाच्य से प्रतीयमान की अधिक आकर्षकता पर ही आधारित है । फिर कैसे उक्त अलङ्कारद्वय-स्थलीय उदाहरण में ध्वनित्व का प्रतिषेध सिद्ध हो सकता है ।

अथार्थप्रतीत्यन्यथानुपपत्त्यैव तत्सद्भावावगमः, अर्थशब्दयोरुपसर्जनीकृत-
स्वार्थत्वाभिधानसामर्थ्याच्च तदुपसर्जनीभावावगतिः, तस्याः प्राधान्येन तयोरुप-
सर्जनीभाव इति व्यर्थस्तदुपादानप्रसङ्ग इति । एवं तर्थास्यैवोपसर्जनीभावोऽभि-
धेयो न शब्दस्य, तस्याभिधाया इव तदुपसर्जनीभावाभिधानसामर्थ्यादिव तदव-
गतिसिद्धेरिति लक्षणवाक्ये व्यर्थं शब्दग्रहणम् ।

इस पर यदि यह कहा जाय कि अभिधा के अस्तित्व के बिना वाच्य अर्थ की प्रतीति ही नहीं हो सकती अतः उसकी भी प्रतीति होती है । अभिधा के अस्तित्व का अवगम अर्थापत्ति प्रमाण से ही होता है और काव्यगत शब्द एवं उसके वाच्य अर्थ में स्वीकृत गौणता के बल पर ही उस अभिधा की गौणता भी समझ ली जाती है । क्योंकि उस अभिधा के प्रति प्रधान होने वाले शब्द और अर्थ में भी गौणता होती है इसलिये अभिधा की गौणता का लाभ स्वतः अनायास हो जाने के कारण उसकी गौणता का उल्लेख व्यर्थ ही होगा । इसलिये लक्षण-वाक्य में अभिधा की गौणता का उल्लेख नहीं हुआ है ? तो ऐसा कहने पर लक्षण में केवल अर्थ की गौणता का ही उल्लेख उचित होगा, शब्द में गौणता का जो उल्लेख हुआ है वह असङ्गत हो उठेगा । क्योंकि अर्थ को गौण कह देने पर अभिधा के समान शब्द की गौणता भी स्वतः लब्ध होगी, उसका ज्ञान हो जायगा इसलिये लक्षण-वाक्य में शब्द का उल्लेख व्यर्थ हो उठेगा ।

अन्यथाभिधानग्रहणमपि कर्तव्यं प्रसज्येत, विशेषामावात् । न चास्य स्वार्थाभिधानमात्रपर्यवसितसामर्थ्यस्य व्यापारान्तरमुपपद्यते, येनायमर्थान्तरमव-
गमयेत्, तदपेक्षं चोपसर्जनीकृतार्थत्वमियात् । अर्थस्यैव तदुपपत्ति-समर्थनात् ।

जब कि ऐसा नहीं, अर्थात् उक्त लक्षण वाक्य में शब्दगत गौणता को समझाने के लिये "शब्द" का उल्लेख जब किया गया है तब उसके समान अभिधा का भी उल्लेख लक्षण वाक्य में कर्तव्य होता है । क्योंकि अभिधा और शब्द इन दोनों में यहाँ की दृष्टिकोण से कोई विशेषता नहीं पाई जा रही है । और यह भी ध्यान देने योग्य है कि शब्द में

केवल यह एकमात्र सामर्थ्य होता है कि वह उस सामर्थ्य के बल पर अपने अभिधेय को समझा दे । तदतिरिक्त और कोई काम उसका होता नहीं, कोई अन्य सामर्थ्य उसमें होता नहीं जिसके सहारे वह अर्थान्तर को अर्थात् अभिधेय के अतिरिक्त किसी प्रतीयमान अर्थ को समझा पाये, और उसके प्रति गौण बने । क्योंकि अर्थ अर्थात् वाच्य अर्थ में ही अन्य अर्थ को समझाने की क्षमता होती है ।

सर्व एव हि शाब्दो व्यवहारः साध्यसाधनभावगर्भतया प्रायेणानुमान-
रूपोऽभ्युपगन्तव्यः, तस्य परप्रवृत्तिनिवृत्तिनिबन्धनत्वात् तयोश्च सम्प्रत्यया-
सम्प्रत्ययात्मनोरन्यथाकर्तुमशक्यत्वतः । न हि युक्तिमनवगच्छन् कश्चिद्-
विपश्चिद्वचनमात्रात् सम्प्रत्ययभाग् भवति । द्विविधो हि शब्दः पदवाक्य-
भेदात् । तत्र पदमनेकप्रकारं नामाख्यातोपसर्गनिपातकर्मप्रवचनीयभेदात् ।

सारे का सारा ही शाब्दव्यवहार अर्थात् वाक्य-प्रयोग साध्यसाधन-
भाव-घटित होने के कारण प्रायः अनुमानरूप ही स्वीकर्तव्य है ।
शारांश यह कि सारे प्रयुज्यमान वाक्य अनुमापक ही होते हैं । क्योंकि
वे उपदेश वाक्य ही औरों को होने वाली प्रवृत्ति और निवृत्ति के मूल
होते हैं । यतः उपदेश-वाक्यों को अनुमापक नहीं मानने पर उनसे
स्वीकारात्मक प्रवृत्ति और अस्वीकारात्मक निवृत्ति नहीं हो सकती है ।
कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति युक्ति न जानते हुए केवल किसी के कहने
मात्र से निश्चय करके कुछ करता नहीं ।

(१) पद और (२) वाक्य के भेद से शब्द दो प्रकारों वाला है ।
उनके अन्दर (१) नाम (२) आख्यात (३) उपसर्ग (४) निपात
और (५) कर्मप्रवचनीय इत प्रभेदों के अनुसार पद अनेक प्रकारों
वाला है ।

तत्र सत्त्वप्रधानानि नामानि तान्यपि बहुप्रकाराणि सम्भवन्ति । जाति-
गुणक्रियाद्रव्याणां तत्प्रवृत्तिनिमित्तानां बहुत्वात् । तद्यथा घटः पट इति जाति-
शब्दः । शुक्लो नील इति गुणशब्दः । पाचकः पाठक इति क्रियाशब्दः ।
दण्डो विषाणीति द्रव्यशब्दः ।

पद के उक्त प्रभेदों के अन्दर प्रधानरूप से किसी अस्तित्वशील वस्तु को बतलाने वाले पद कहलाते हैं नाम । वे नाम भी बहुत प्रकार के होते हैं । क्योंकि उनके “प्रवृत्तिनिमित्त” अर्थात् प्रयोग - नियामक (१) जाति (२) गुण (३) क्रिया और (४) द्रव्य इन रूपों में बहुत प्रकार के हैं । जैसे घट पट आदि, जातिवाची शब्द हैं । शुक्ल नील आदि शब्द हैं गुणवाची शब्द । पाचक पाठक आदि शब्द हैं क्रियावाची शब्द और दण्डी विषाणी आदि शब्द द्रव्यवाची शब्द हैं ।

केचित् पुनरेषां क्रियैवैकः प्रवृत्तिनिमित्तमिति क्रियाशब्दत्वमेव सर्वेषां नामपदानामुपगच्छन्ति । तथा हि घटादि-शब्दाः स्वार्थं प्रवर्तमाना घटनादि-क्रियामेवान्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रवृत्तिनिमित्तभावेनावलम्बमाना दृश्यन्ते न घटत्वादि सामान्यम् । सा चैषा घटनादिक्रिया घटत्वसामान्ययोगादन्यथा वास्तु । नैतावता तस्याः प्रवृत्तिनिमित्तत्वव्याघातः ।

कुछ विवेचक किन्तु यहाँ यह कहते हैं, कि उक्त सारे नामों का प्रवृत्ति-निमित्त एकमात्र क्रिया है । इसलिये वे सारे नाम-पदों को क्रियावाचक ही मानते हैं । यथा—अपने अर्थों को समझाने के लिये प्रवृत्तिशील घट आदि शब्द अन्वय और व्यतिरेक-प्रयुक्त “घटन” आदि क्रिया को ही प्रवृत्तिनिमित्तरूप में ग्रहण करते हुए देखे जाते हैं, घटत्व आदि जाति को प्रवृत्तिनिमित्तरूप में ग्रहण करते पाये नहीं जाते । वह घटन आदि क्रिया, घटत्व आदि जाति के कारण हो या अन्यथा हो उससे क्रिया की प्रवृत्तिनिमित्तता में कोई बाधा आती नहीं ।

न च सत्यपि घटत्वसामान्ये स्वयमघटन् घटात्मतामनापद्यमान एवासौ घटत्वव्यपदेशविषयो भवितुमर्हति । एवं हि पटोऽपि घटव्यपदेशविषयः स्यात् । घटनक्रियाकर्तृत्वाभावाविशेषात् । न हि शुक्लत्वमनापद्यमान एवार्थः शुक्ल इति व्यपदेष्टुं शक्यते, अपचन्नेव पाचक इति । तस्माद् घटन-क्रिया कर्तृत्व-लक्षणमेव घटत्वं घटशब्दस्य प्रवृत्तौ निमित्तमवसेयम् । न घटत्वमात्रम् । तदेव चेह घटनमित्युक्तम् ।

नित्य घटत्व जाति के पहले से ही रहने पर भी जबतक घट स्वयं

घटित नहीं होता, घटात्मता को प्राप्त नहीं करता तबतक वह घट कहला नहीं सकता । यदि नित्य एवं व्यापक होनेवाली घटत्व जाति को घटपद का प्रवृत्तिनिमित्त माना जाय तो पट भी घट कहलाने लगेगा । क्योंकि घटनक्रियाकर्तृत्व का अभाव तब घट और पट दोनों के लिये समान ही होगा । शुक्लता को नहीं प्राप्त करने वाला "शुक्ल" नहीं कहा जाता और पाकक्रिया नहीं करनेवाला "पाचक" नहीं कहलाता । इसलिये घटनक्रियाकर्तृत्व स्वरूप ही घटत्व घट शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त मान्य है घटत्व जातिमात्र नहीं । उस घटनक्रियाकर्तृत्व को ही यहाँ घटन कहा गया है ।

ननु चेष्टाद्यर्थात् घटस्थादेर्धातोरजादौ घटत इत्याद्यर्थे घटनादिक्रियैव सर्वेषां घटादिशब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तभावेनास्मभिरप्युच्यते एवेति व्यर्थः पक्षान्तरोप-
न्यासः । सत्यमिष्यत एव भवद्भिः । किन्तु सा शब्दस्य व्युत्पत्तिनिमित्तं न प्रवृत्तिनिमित्तम् । अन्यद्धि व्युत्पत्तिनिमित्तम्, अन्यच्च प्रवृत्तिनिमित्तम् । यथैकेषां मते गमनादिक्रिया गवादिशब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तम् एकार्थसमवायात् गोत्वादि प्रवृत्तिनिमित्तीकरोति । अत एव गच्छत्यगच्छति च गवि गोशब्दः सिद्धो भवति ।

एवमिहापि चेष्टादि-क्रिया घटादि शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तमिति सिद्धं भवति ।

अब यहाँ प्रश्न यह हो सकता है कि चेष्टार्थक घट धातु से अच् प्रत्यय करके "घटित हो रहा है" इस अर्थ में घट शब्द का प्रयोग, एवं इसी प्रकार अन्य पट आदि शब्द का भी प्रयोग हमलोग भी मानते हैं, तदनुसार घटन आदि क्रिया की ही प्रवृत्तिनिमित्तता-सर्वमान्य है । हमलोग भी मानते ही हैं, फिर इसका यहाँ पक्षान्तरूप में क्यों उप-
न्यास किया जा रहा है ? सारांश यह कि धातुस्वरूप प्रकृति और प्रत्यय तथा उसके योग से शब्द की निष्पत्ति आदि के सम्बन्ध में सभी के एकमत होने के कारण सभी धातुओं की क्रियामात्रार्थकता-प्रयुक्त सभी शब्दों की क्रियामात्र-वाचकता में तो किसी को विवाद नहीं होना चाहिये । इसलिये इस क्रियावाचकता के कथन को पक्षान्तर

व्यर्थ ही कहा जा रहा है। इसका उत्तर यह है कि हाँ मानते हो तुम लोग भी क्रिया को शब्दों का निमित्तभूत किन्तु तुम लोग क्रिया को व्युत्पत्तिनिमित्त मानते हो प्रवृत्तिनिमित्त नहीं। व्युत्पत्तिनिमित्त वह कहलाता है यदर्थक धातु से वह शब्द निष्पन्न होता है और प्रवृत्तिनिमित्त वह कहलाता है जिसके कारण शब्द वस्तु-विशेष को ही समझाता है सब को समझाता नहीं। सरल अर्थ यह कि शब्द की निष्पत्ति का निमित्त होता है व्युत्पत्ति-निमित्त और बोध का निमित्त होने वाला कहलाता है शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त। जैसे गमनक्रिया गो शब्द का प्रवृत्ति-निमित्त तो है किन्तु वह गो शब्द का प्रवृत्ति-निमित्त नहीं है। किन्तु गमनक्रिया अपने साथ एकार्थ-समवाय-प्रयुक्त गोत्व को प्रवृत्तिनिमित्त बनाती है। इसीलिये क्रियाशीलता और निष्क्रियता दोनों के समय में गाय-बैल आदि को "गौ" कहा एवं समझा जाता है। इसी प्रकार यहाँ भो जाति-आदि-शक्तिवादी के मत में घटनात्मक चेष्टा, घट शब्द का व्युत्पत्तिनिमित्त होती है प्रवृत्ति-निमित्त नहीं, यह सिद्ध होता है।

तदपेक्षमेव च विपच्य घटो भवतीत्यादौ विषाकादि-क्रियायाः पौर्वकाल्यं क्त्वाप्रत्ययस्य विषयो वेदितव्यः, यथाधिश्रित्य पाचको भवतीत्यादौ पाकाद्य-पेक्षमधिश्रयणादेर्न भवनक्रियापेक्षम्। सा हि नावश्यं प्रयुज्यते। प्रतीयते तु पदार्थानां सत्ताऽन्यभिचारात्। न तु तावता तदपेक्षं तदिति मन्तव्यं तस्या बहिरङ्गत्वाद् अर्थास्यासङ्गतिप्रसङ्गाच्च।

उस घटन क्रिया को अपेक्षा करके ही "विपच्य घटो भवति" पक-कर घड़ा होता है इस वाक्य के प्रयोगस्थल में विपच्यनात्मक क्रिया में क्त्वा प्रत्यय का अर्थ पूर्वकालीनता का अन्वय होता है ऐसा ज्ञातव्य है। जैसे "अधिश्रित्य पाचको भवति" चूल्हे पर बर्तन चढ़ाकर पाचक होता है इत्यादि वाक्य-प्रयोगस्थल में पाक आदि क्रिया को अपेक्षा करके ही अधिश्रयण में क्त्वा प्रत्यय का अर्थ पूर्वकालीनता का अन्वय होना है "अधिश्रित्य" यहाँ पर पाक क्रिया को अपेक्षा करके ही क्त्वा प्रत्यय होता है, भवन अर्थात् होना क्रिया को अपेक्षा करके नहीं। इसीलिये

‘भवति’ इस रूप में भवन क्रिया का उल्लेख आवश्यक नहीं होता है। हाँ, अव्यभिचारी होने के कारण सत्ता की प्रतीति अवश्य ही होती है, किन्तु तत्प्रयुक्त उसको अपेक्षा करके अधिश्रित्य यहाँ पर पूर्व-कालीनता अर्थात् तदर्थक प्रत्यय का प्रयोग होता है ऐसा नहीं मानना चाहिये। क्योंकि सत्ता अन्यत्र भी होने के कारण बहिरङ्ग होती है और पाक, विना अधिश्रयण का कभी सम्भव नहीं। इसलिये पाक क्रिया, वहाँ भवन क्रिया को अपेक्षा करके अन्तरङ्ग होती है। यही परिस्थिति ‘विपच्य घटो भवति’ इस वाक्य के प्रयोगस्थल में भी है। घटन क्रिया अन्तरङ्ग है और भवन क्रिया बहिरङ्ग। “विपच्य” या “अधिश्रित्य” यहाँ पर उक्त वाक्यों के प्रयोगस्थलों में क्त्वा प्रत्यय को भवन-क्रिया-सापेक्ष मानने पर आर्थिक विसङ्गति भी प्राप्त होती है। क्योंकि ‘होना’ स्वरूप भवन तो अन्यत्र भी होता है जिसके पूर्व में विपचन या अधिश्रयण होता ही नहीं।

प्रयुज्यमान-क्रियापेक्षमेव च प्रायेण पौर्वकाल्यं क्त्वो विषयो न प्रतीय-मानापेक्षम् । इतरथा—

‘श्रुत्वापि नाम बधिरो दृष्ट्वाप्यन्धो जडो विदिस्वापि ।

यो देशकालकार्यव्यपेक्षया पण्डितः स पुमान् ॥’

इत्यादि प्रयोगजातमनुपपन्नमेव स्यात्, श्रवणादोनां तत्पूर्वकालत्वाभावात् । अत्र तु श्रुत्यादिशक्तिविरहलक्षणबाधिर्यादिक्रियापेक्षमेव श्रवणादोनां पौर्वकाल्य-मिति न काचिदनुपपत्तिः ।

प्रयुक्त होनेवाली क्रिया को अपेक्षा करके ही पूर्व क्रिया में पूर्व-कालीनता-बोधक क्त्वा प्रत्यय होता है किसी प्रतीयमान क्रिया को अपेक्षा करके नहीं। अन्यथा “पण्डित वहीं होता है जो कि (१) देश (२) काल और (३) कार्य को देखते हुए सुनकर भी बहिरा, देखकर भी अन्धा और जानकर भी अनजान बन जाता है” इत्यादि वाक्य-प्रयोग अनुपपन्न ही हो उठेगा। क्योंकि अन्य लोगों की दृष्टि में यहाँ किसी क्रिया की पूर्वकालीनता मालूम नहीं होती है। किन्तु सारे नाम-पद क्रियावाची ही होते हैं इस प्रस्तुत मतवाद में अनुपपत्ति इस

लिये नहीं होती है कि “बधिर” बहिरा, “अन्ध” अन्धा, “जड” अन-
जान आदि शब्द भी क्रियावाची ही मान्य हैं। इस सिद्धान्त में श्रवण
शक्ति का अभाव भी एक प्रकार क्रिया ही मान्य है। अतः उस
क्रिया को अपेक्षा करके “श्रुत्वाऽपि बधिरः” सुनकर भी बहिरा ऐसा
वाक्य-प्रयोग होगा जहाँ पर पूर्वकालीनता अर्थक क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग
है। इसी प्रकार अन्यत्र भी ज्ञातव्य है, अतः कोई अनुपपत्ति नहीं
रह जाती है।

बह्विषु च तामूत्तरोत्तरक्रियापेक्षं पूर्वपूर्वक्रियापौर्वकाल्यम्, यथा स्नात्वा
भुक्त्वा पीत्वा ब्रजतीत्यादौ। अत्र च विपचनघटनभवनरूपा बह्व्यः क्रिया
इत्यत्रापि घटनापेक्षं विपचनस्य तद् भवितुमर्हत्येव, उभयत्रापि कर्तृप्रत्ययनिर्देशा-
विशेषात्।

जहाँ वाक्य में अनेक असमापिका क्रियाएँ क्त्वा प्रत्ययान्त शब्द के द्वारा
उपयोग में लाई जाती हैं वहाँ अव्यवहित उत्तर उत्तर क्रिया की पूर्व-
कालीनता पूर्व पूर्व क्त्वा प्रत्ययान्त पद के द्वारा समझी जाने वाली
क्रिया में समझी जाती है। जैसे—“नहाकर खाकर पीकर जाता है”
इत्यादि वाक्य-प्रयोग स्थलों में। तदनुसार “विपच्य घटो भवति”
पककर घड़ा होता है यहाँ पर (१) विपचन अर्थात् पकना, (२) घटन
घटित होना और (३) भवन अस्तित्वशील होना ये बहुतसी क्रियाएँ हैं
अतः यहाँ भी घटन-क्रिया की पूर्वकालीनता विपचन-क्रिया में होती है
उसी को “विपच्य” पककर यहाँ प्रयुक्त क्त्वा प्रत्यय समझाता है यह
हो ही सकता है, क्योंकि कर्त्ता-अर्थक प्रत्यय दोनों जगह है।

केवलं कृद्वाच्यतया कर्तुरुपाधिभावं गमितेति भिन्नकर्तृकत्वभ्रमः। यथा—

‘शिशिरकालमपास्य गुणोऽस्य नः क इव शीतहरस्य कुचोष्मणः।

इति धियास्तरुषःपरिरेभिरे घनमतोऽनमतोऽनुमतान् प्रियाः॥’

इत्यत्र कुचोष्मणः कर्तुर्हरणक्रिया। अत एव केचिदपास्येत्ययं ल्यबन्तप्रति-
रूपको निपात इति व्याख्यातवन्तः। यथा वा—

‘निरीक्ष्य संरम्भनिरस्तधैर्यं राधेयमाराधितजामदग्न्यम् ।

असंस्तुतेषु प्रसभं भयेषु जायेत मृत्योरपि पक्षपातः ॥’

इत्यत्र निरीक्षण-क्रियाकर्तुर्मृत्योर्भय-पक्षपतनक्रिये विषयविषयभावभङ्ग्योपात्ते ।

केवल कृत् प्रत्यय का वाच्य होने के कारण वह भवनक्रिया कर्ता घट के उपाधि-भाव को अर्थात् धर्मभाव को प्राप्त कर जाता है, इसलिये भिन्न-कर्तृकत्व का भ्रम होता है । वस्तुतः भिन्न-कर्तृकत्व होता नहीं । जैसे— इस जाड़ के समय को छोड़कर इस ठिठुरन को हरने वाले स्तनोष्मा से क्या लाभ ? यह सोचने वाली रमाणियों ने रोष छोड़कर कसकर उन अभिमत युवकों का आलिङ्गन किया जो कि उनके समक्ष प्रणत नहीं भी हो रहे थे । इस काव्यवाक्य के प्रयोगस्थल में ठिठुरन-हरना क्रिया, कर्ता स्तनोष्मा के उपाधि-भाव को प्राप्त करने के कारण भिन्न-कर्तृकत्व का भ्रम उत्पन्न करती है । इसीलिये उक्तार्थक “शिशिर-कालमपास्य” इत्यादि माघमहाकाव्यगत श्लोक में आनेवाले “अपास्य” इस पद को कुछ व्याख्याताओं ने ल्यप्-प्रत्ययान्त-सा प्रतीतमात्र होने-वाला ‘निपात’ कह डाला है । अथवा जैसे—“परशुराम के शिष्य महारथी कर्ण को क्षुब्ध एवं क्रुद्ध देखकर यमराज को भी हठात् भय और पक्षपात हो उठेंगे” इस काव्यवाक्य के प्रयोगस्थल में देखना-स्वरूप क्रिया के कर्ता यमराज में भय और पक्षपात दोनों क्रियाएँ विषय-विषयीभाव की शैली में कथित होने के कारण भिन्न-कर्तृकत्व का भ्रम कराती हैं ।

यथा वा ‘यां दृष्ट्वापि समुत्सके मनसि मे नान्या क्रगेत्यास्पदम्’ इत्यत्र दर्शन-क्रियाकर्तुर्मनसोऽन्यकर्तृकास्पदक्रियानधिकरणभावेनोपात्तस्योत्सुक्यक्रिया-विशेषणभावेनोपात्ता ।

क्वचित् कर्तुः सम्बन्धितामुपगतासौ अमहेतुः । यथा—

‘स्मर संस्मृत्य न शान्तिरस्ति मे’ इति ।

किं वा जैसे “जिसे देखकर अति उत्सुकहोनेवाले मेरे मनमें

और कोई युवती आ भी नहीं पाती" इस काव्य वाक्यस्थल में देखना-स्वरूप क्रिया के कर्ता उस मन के विशेषणरूप में उत्सुकता स्वरूप क्रिया कही गई है, जो कि और किसी नायिका का आधार होता नहीं। कहीं क्रिया, कर्ता के साथ सम्बन्ध के कारण, भिन्न-कर्तृकता का भ्रम उत्पन्न करती है। जैसे "ओ स्मर !" स्मरण करते ही मुझे अशान्ति आ जाती है यहाँ पर। यहाँ अशान्ति और स्मरण दोनों एक ही कर्ता से सम्बद्ध हैं।

केचिद् पुनः कर्तृक्रियोरनुपादानमपि हेतुमिच्छन्ति । तत्र कर्तुर्यथा—

‘ननु सर्व एव समवेक्ष्य कमपि गुणमेति पूज्यताम् ।

सर्वगुणविरहितस्य हरेः परिपूजया कुरु नरेन्द्र ! को गुणः ॥’

अत्र हि समवेक्षापूजयोरेको लोकः कर्ता । स च सामर्थ्यसिद्ध इति नोपात्तः । पूजा चोपात्तापि कृद्वाच्यतया कर्मोपसर्जनीभूतेत्युभयं भ्रमहेतुः ।

कुछ लोग वाक्य में कर्ता और क्रिया के अनुल्लेख को भी भिन्न-कर्तृ-कत्व-भ्रम का हेतु बतलाते हैं। उनके अन्दर केवल कर्ता का अनुल्लेख यहाँ भ्रम-हेतु होता है। यथा—

“प्रत्येक व्यक्ति गुणी देखे जाने पर ही पूज्य होता है। हे राजन् ! सर्वगुणहीन श्रीकृष्ण की पूजा से क्या लाभ ?” यहाँ देखना और पूजन दोनों का कर्ता एक ही होता है, जिसका उल्लेख नहीं हुआ है। वह कथन शैली से ज्ञात होता है। पूजा क्रिया का उल्लेख तो है। किन्तु कृत् प्रत्यय के कारण वह कर्मभूत पूज्य व्यक्ति के प्रति गौण हो जाती है। अतः यह कर्ता और क्रिया दोनों के अनुपादान का उदाहरण ज्ञातव्य है। यहाँ दोनों के अनुपादान के कारण भिन्न-कर्तृकत्व का भ्रम होता है।

क्रियाया यथा—

अकृत्वा परसन्तापमगत्वा खलनम्रताम् ।

अनुत्सृज्य सतां मार्गं यत् स्वरूपमपि तद्वद् ॥’

अत्र हि प्रकरणादिगम्याया लाभक्रियाया अनुपादानं अकरणादीनां भिन्न-
कर्तृकत्वभ्रमहेतुः । तदुक्तम्—

कर्तुरुपाधितयोक्ता कृद्वाच्यतया गतान्यगुणतां वा ।

क्त्वो भिन्नकर्तृकत्वभ्रमाय भवति क्रियाऽवचश्च तयोः ॥'

‘पौर्यापयं क्रियाणां यद् वास्तवं तदपेक्षिणि ।

क्त्वः पौर्वकाल्ये किं तासां प्राधान्येतरचिन्तया ॥’

इत्यलमनेन ।

क्रिया की उक्त भ्रम हेतुता का उदाहरण यह है । यथा—“दूसरे को सन्तप्त न करके, बुरे लोगों के समक्ष झुटने न टेक कर, सत्पुरुषों के मार्ग को न छोड़ कर, जो ही थोड़ा कुछ मिल जाय वही बहुत है ।” यहाँ प्रकरण आदि के द्वारा लाभ-क्रिया का अनुल्लेख, न करने आदि में भिन्न-कर्तृकत्व का भ्रम कराता है । जैसा कि कहा गया है कि (१) क्रिया की कर्ता के उपाधि रूप में उक्ति (२) कृत्-प्रत्यय का वाच्य होने के कारण क्रिया का अन्य के प्रति गौण हो जाना (३) क्रिया का अकथन, (४) कर्ता का अकथन और (५) क्रिया और कर्ता दोनों का अकथन, ये भिन्न-कर्तृकत्व-भ्रम के हेतु हैं । क्रियागत वास्तविक पूर्वकालीनता को अपेक्षा करके पूर्वकालीनता-अर्थक क्त्वा प्रत्यय होते हैं । वहाँ प्रधानता और अप्रधानता का विचार अनावश्यक है ।

घटतीति घटो ज्ञेयो नाघटन् घटतामियात् ।

अघटत्वाविशेषेण पटोऽपि स्याद् घटोऽन्यथा ॥८

घटनञ्च तदात्मत्वापत्तिरूपा क्रिया मता ।

मूलञ्च तस्याश्चित्रार्थाभासाविष्कृतिरीशितुः ॥९

संक्षेप में संग्रहरूप में यहाँ वक्तव्य यह है कि घटनक्रियाशील होने के कारण ही घट “घट” कहलाता है । घटन-क्रियाशील न होने पर वह “घट” नहीं हो सकता है । वह “घटन” घटात्मता की प्राप्ति-स्वरूप एक प्रकार की क्रिया है और कुछ नहीं । उसका कारण

भगवान् शिव की विचित्र-वस्तुओं के ज्ञापनानुकूल आविष्कृति मात्र है। सारांश यह कि भगवान् अपने को ही वैसा दिखाना चाहते हैं और प्रकाशन करते हैं इसलिये ही सारी बातें देखी जाती हैं।

यः कश्चिदर्थः शब्दानां व्युत्पत्तौ स्यान्निबन्धनम् ।

प्रवृत्तौ तु क्रियैवैका सत्तासादनलक्षणा ॥१०॥

तस्यामेव क्विवाद्याश्च विधेयाः कर्तृमात्रतः ।

न तूपमानादाचारे तयोरर्थात् प्रतीतितः ॥११॥

शब्दों का व्युत्पत्ति-निमित्त कोई भी हो सकता है किन्तु सारे शब्दों का प्रवृत्ति-निमित्त केवल एकमात्र क्रिया ही होती है। और वह क्रिया सत्ता-प्राप्ति के अरिखित और कुछ नहीं। उसी क्रिया के अर्थ में कर्ता से क्विप् आदि प्रत्यय होते हैं उपमानता प्रयुक्त या आचार प्रयुक्त नहीं। क्योंकि साम्य और आचरण तो स्वयं प्रतीत हो जाते हैं।

यथा अश्वति बालेय इत्यतोऽर्थः प्रतीयते ।

अश्वत्वमासादयति खर इत्यर्थतः पुनः ॥१२॥

अश्वतुल्यसमाचारः खर इत्यवसीयते ।

जैसे संस्कृत भाषा में “खरः अश्वति” कहने पर उसका सही अर्थ यह है कि गर्दभ अश्वता प्राप्त कर रहा है। पीछे वह अश्व के जैसा आचरणशील है यह निश्चित होता है।

न तत्त्वासादनं युक्तं तदतुल्यक्रियस्य हि ॥१३॥

सत्तायां व्यावृत्तिश्चैषा चित्रत्वपरिनिष्ठितेः ।

सङ्गच्छते जडस्यापि घटादेर्घटनादिवत् ॥१४॥

नाम्नः सत्त्वप्रधानस्य धातुकारोऽत एव हि ।

शब्दवक्त्रैकदेशादेर्धात्वर्थत्वमवोचत ॥१५॥

जो जिसके समान क्रियाशील नहीं होगा वह वह हो कैसे सकता ?

उक्त प्रकार तत्त्वाऽऽसादन-स्वरूप सत्ता इसलिये सम्भव है कि भगवान् शिव के आविष्कार-कौशलप्रयुक्त विचित्रता वस्तुमात्र का एक अकाट्य स्वभाव है। इसलिये वह चेतनों के समान जड़ में भी सम्भव होता है; जैसे घट में घटनात्मक क्रिया। इसीलिये सत्त्वप्रधान नाम को घातु भी बना लिया जाता है। शब्द वक्ता एक देश आदि को भी घातु का अर्थ कहा गया है।

एवञ्च विपच्य घटो भवतीति क्त्वोऽस्य पूर्वकालत्वम् ।

घटनापेक्षं ज्ञेयं, भवनापेक्षन्तु नासमन्वयतः ॥१६

बहिरङ्गत्वाच्च यथा भवत्यधिश्चित्य पाचकोऽयमिति ।

अत्र हि पाकापेक्षाधिश्चयतेः पूर्वकालतावगतिः ॥१७

इसलिये 'विपच्य घटो भवति' पककर घड़ा होता है इत्यादि वाक्य के प्रयोगस्थल में क्त्वा प्रत्यय से प्राप्त होनेवाली पूर्वकालीनता घटनात्मक क्रिया को ही अपेक्षा करती है भवन अर्थात् होनास्वरूप क्रिया को अपेक्षा करके नहीं। क्योंकि तब असङ्गति हो उठेगी। ऐसा इसलिये भी, कि भवन क्रिया घटन क्रिया की अपेक्षा से बहिरङ्ग है। जैसे कि "अधिश्चित्य पाचकोयम्" यह चूल्हे पर वर्तन चढ़ाकर पाककर्ता बन रहा है इत्यादि वाक्य-प्रयोगस्थल में अधिश्चयण में पाक को अपेक्षा करके ही पूर्वकालीनता अवगत होती है।

तस्मान्नामपदेभ्यो यः कश्चिदर्थः प्रतीयते ।

न स सत्तामनासाद्य शब्दवाच्यत्वमर्हति ॥१८

इत्थञ्चास्तिभवत्यादि क्रियासामान्यमुच्यते ।

नान्तरङ्गतयावश्यं वक्तारस्तत् प्रयुज्यते ॥१९

क्रियाविशेषो यस्त्वन्यः पाकादिव्यभिचारभाक् ।

बहिरङ्गतया तस्य प्रयोगोऽवश्यमिष्यते ॥२०

इति संग्रहश्लोकाः ।

इसलिये नामपदों के द्वारा जो भी कोई अर्थ प्रतीत होता है वह

तत्त्वासादन स्वरूप सत्ता को प्राप्त किये बिना शब्द का वाच्य नहीं हो सकता । इससे फलितार्थ यह निकला कि संस्कृत भाषा में “अस्ति, भवति,” आदि शब्दों के द्वारा एक प्रकार सर्वसाधारण क्रिया कही जाती है । इसीलिये वक्ता, भवति, अस्ति आदि का उल्लेख नियमतः वाक्यों में नहीं किया करता है । किन्तु उन सामान्य क्रिया से अन्य पचन आदि उन विशेष क्रियाओं का उल्लेख जो कि सार्वत्रिक नहीं होती है, अवश्य किया जाता है ।

भावप्रधानमाख्यातम् । असत्त्वभूतार्थ उपसर्गादयः । तेषामसत्त्वभूतार्थत्वा-विशेषेऽपि व्यापारनियमात् प्रयोगनियमाच्च त्रैराश्रयोपगमः । तथाहि— क्रिया-रूपातिशयप्रतिपत्तिनिबन्धनमुपसर्गाः प्रादयः । भावसत्त्वयोरात्मभेदप्रत्यायन-निमित्तमवधृतरूपार्थविशेषाः स्वरादयो निपाताः ।

आख्यात भावप्रधान अर्थात् क्रिया-प्रधान होता है । जिनके अर्थ सत्त्वात्मक कोई खास पदार्थ नहीं होते हैं, सारांश यह कि जो उत्कर्ष अपकर्ष आदि परिस्थिति विशेष को ही बतलाते हैं वे उपसर्ग आदि होते हैं । कोई ठोस अर्थ न होना यद्यपि समान होता है फिर भी व्यापार और प्रयोगगत वैविध्य के आधार पर उपसर्गादि को तीन भागों में विभक्त माना जाता है । जैसे (१) क्रियागत विशेषता को समझाने के कारण “प्र” आदि कहलाते हैं उपसर्ग । जो अपने अर्थों के अवधारण द्वारा क्रिया और तदतिरिक्त वस्तुगत स्वरूप-भेद को बतलाते हैं वे स्वः आदि होते हैं निपात ।

क्रियाविशेषोपजनित-सम्बन्धावच्छेद-हेतवः कर्मप्रवचनीयाः । यदुक्तम्—

‘द्विधा कैश्चित् पदं भिन्नं चतुर्धा पञ्चधापि वा ।

अपोद्घृत्यैव वाक्येभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवत् ॥’ इति ।

एतच्च वक्ष्यते । वाक्यमेकप्रकारं, क्रियाप्राधान्यात्, तस्याश्चैकत्वात् । यदाहुः—

‘साकाङ्क्षावयवं भेदे परानाकाङ्क्षशब्दकम् ।

क्रियाप्रधानं गुणवदेकार्थं वाक्यमिष्यते ॥’

क्रियाविशेष के द्वारा उपजनित सम्बन्ध के अवच्छेद के प्रति हेतु होनेवाले होते हैं कर्मप्रवचनीय । “प्रति” आदि शब्द कर्म-प्रवचनीय कहलाते हैं, क्योंकि “तं प्रति उवाच” इत्यादि वाक्य-प्रयोगस्थल में “प्रति” शब्द वचनात्मक क्रियाविशेष के साथ वक्तव्य-जन के सम्बन्ध को सीमित करता है । इसी प्रकार “अनु” आदि शब्दों के वारे में भी ज्ञातव्य है । तभी पदों के प्रभेद के सम्बन्ध में “द्विधा कैश्चित् पदं भिन्नं” इत्यादि के द्वारा यह कहा गया है कि कुछ लोग पदों को दो भागों में बाँटते हैं और कुछ लोग चार प्रभेदों में । अन्य कुछ लोग पाँच भेदों में पदों को विभक्त करते हैं । पदों के ये विभाजन उन्हें वाक्य से अलग करके किया जाता है, जैसे सुवन्त तिङन्त आदि आदि । पदों से अलग करके (१) प्रकृति और (२) प्रत्यय रूप में पद का विभाजन होता है । ये बातें विशेष रूप से आगे बतलाई जायेंगी । वाक्य किन्तु एक ही प्रकार का होता है, क्योंकि उसमें क्रिया प्रधान होती है और प्रत्येक वाक्य में क्रियापद एक ही होता है ।

अर्थोऽपि द्विविधो वाच्योऽनुमेयश्च । तत्र शब्दव्यापारविषयो वाच्यः ।
स एव मुख्य उच्यते । यदाहुः—

‘श्रुतिमात्रेण यत्रास्य तादर्थ्यमवसीयते ।

तं मुख्यमर्थं मत्यन्ते गौणं यत्नोपपादितम् ॥’

इति । तत एव तदनुमिताद्वा लिङ्गभूताद्यदर्थान्तरमनुमीयते सोऽनुमेयः । स च त्रिविधः । वस्तुमात्रमलङ्कारा रसादयश्चेति । तत्राद्यौ वाच्यावपि सम्भवतः । अन्यस्त्वनुमेय एवेति । तत्र पदस्यार्थो वाच्य एव नानुमेयः, तस्य निरंशत्वात् साध्यसाधनभावाभावतः ।

(१) वाच्य और (२) अनुमेय के रूप में अर्थ भी द्विविध होता है । उन दोनों के अन्दर शब्दगत अभिधा का विषय होता है वाच्य । वही वाच्य अर्थ मुख्य अर्थ भी कहलाता है । जैसा “श्रुति मात्रेण यत्रास्य” इत्यादि के द्वारा यह कहा गया है कि पद को सुनते ही जिस अर्थ का बोध हो जाता है वह होता है मुख्य अर्थ और यत्न करके

जो समझा जाता है वह अर्थ होता है गौण अर्थात् अप्रधान । उस वाच्य अर्थ से अथवा उसके द्वारा अनुमित किसी अन्य अर्थ से जो अनुमित होता है वह कहलाता है अनुमेय । उसके फिर तीन प्रभेद होते हैं । यथा, (१) वस्तुमात्र, (२) अलङ्कार और (३) रसादि । इन तीनों के अन्दर (१) वस्तु और (२) अलङ्कार, ये कहीं वाच्य भी हो सकते हैं किन्तु (३) रस आदि नियमतः अनुमेय ही होते हैं । पद का अर्थ वाच्य ही होता है क्योंकि वहाँ साध्यसाधन-भाव के उपयोगी अनेक अंश होते नहीं ।

वाक्यार्थस्तु वाच्यस्यार्थस्यांशपरिकल्पनायामंशानां विध्यनुवादभावेनावस्थितेर्विधेयांशस्य सिद्धासिद्धतयोपपादनानपेक्षसापेक्षत्वेन द्विविधो बोद्धव्यः ।

तत्र सिद्धौ विध्यनुवादभावः स्वरूपमात्रानुवादाद्, यथा — ‘अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः’, इत्यत्र । असिद्धौ साध्यसाधन-भावरूपेणऽनूद्यमानस्यांशस्य साधनधुराधिरोहत्वात् ।

वाक्यार्थ द्विविध ज्ञातव्य है । प्रतिपाद्य में अंशांश-भाव की कल्पना करने पर विधि और अनुवाद रूप में अंशों की अवस्थिति प्राप्त होती है । विधेय अंश भी सिद्ध एवं असिद्ध होने के कारण उपपादन-निरपेक्ष और उपपादन-सापेक्ष यतः होते हैं । इन दोनों के अन्दर सिद्धि-स्थलीय विध्यनुवाद स्वरूप-मात्रानुवाद होता है । जैसे “अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा” इत्यादि कालिदासीय काव्यस्थल में । असिद्धिस्थलीय विध्यनुवादभाव होता है साध्यसाधन-भावस्वरूप क्योंकि सिद्ध अंश साधनत्व को प्राप्त करता है ।

साध्यसाधनभावश्चानयोरविनाभावावसायकृतोऽवगन्तव्यः । स च प्रमाण-मूलः । तच्च त्रिविधम् । यदाहुः—

‘लोको वेदस्तथाध्यात्मं प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम् ।’ इति

दो अंशों के बीच साध्यसाधन-भाव अविनाभावात्मक व्याप्ति के निश्चय-प्रयुक्त होनेवाला ज्ञातव्य है । व्याप्ति का निश्चय प्रमाण-

मूलक होता है। वह प्रकृत में त्रिविध ज्ञातव्य है। जैसा कि “लोको-वेदस्तथाऽध्यात्मं” इत्यादि कथन के द्वारा यह बतलाया गया है कि (१) लोक (२) वेद और (३) अध्यात्म ये तीन प्रमाण कहे गये हैं।

तत्र लोकप्रसिद्धार्थविषयो लोकः । यथा—

‘कयासि कामिन् सरसापराधः पादानतः कोपनयावधूतः ।

यस्याः करिष्यामि दृढानुतापं प्रवालशय्याशरणं शरीरम् ॥’

अत्र हि पादानतितदवधूतोः सरसापराधकोपनत्वयोश्च लोकप्रमाणसिद्धः कार्यकारणभावस्तन्मूलश्च साध्यसाधनभावः ।

जिसका विषय लोकप्रसिद्ध होता है वह प्रमाण ‘लोक’ कहलाता है। यथा “कयासि कामिन्” इत्यादि कुमारसम्भवीय कालिदास के काव्य-स्थल में। श्लोकार्थ यह है कि हे कामी इन्द्रदेव ! नवीन अपराध-प्रयुक्त पादाऽऽनत होने पर भी किस कोपना नायिका के द्वारा अस्वीकार के कारण आप तिरस्कृत हुए हैं ? आप बतलायें, अभी अभी उसके शरीर को प्रवल काम-ज्वर-ग्रस्त करके कोमल नवपल्लव-रचित शय्या के हवाले करता हूँ। यहाँ पादानति और तत्कर्तृक तिरष्कार तथा नवीन अपराध और क्रोध में कार्यकारण-भाव लोक-सिद्ध है और तन्मूलक साध्यसाधनभाव होता है।

यथा वा—

‘चन्द्रं गता पद्मगुणान् न भुङ्क्ते पद्माश्रिता चान्द्रमसीमभिख्याम् ।

उमामुखं तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप लक्ष्मीः ॥’

अत्र हि पद्मगुणानां चान्द्रमस्या अभिख्यायाश्च युगपदभोगे लक्ष्म्या यत् कारण-द्वयं रात्रिसङ्कोचदिवानुदयलक्षणं तल्लोकप्रसिद्धमेवेति नोपादेयतामर्हति ।

अथवा ‘चन्द्रं गता पद्मगुणान् न भुङ्क्ते’ इत्यादि कालिदासीय काव्य-स्थल में, जिसका सरल अर्थ यह है कि “लक्ष्मी चन्द्रगत होकर कमल के उपभोग से वञ्चित रह जाती है और कमल पर जाने पर चन्द्रमा की अमल-कान्ति का उपभोग नहीं कर पाती है परन्तु वह पार्वती के मुख

को पाकर चन्द्र और कमल दोनों के गुणों का उपभोग पाती है ।”
यहाँ “लोक” प्रमाण का परिचय प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि
अलग अलग कमल के गुणों और चन्द्रमा की कान्ति का युगपत् उपभोग
का अभाव जिन रात्रि-सङ्कोच और दिन में अनुदय के कारण होता है
वे दोनों ही लोक-प्रसिद्ध ही हैं, इसलिये काव्य में उनके कथन की
आवश्यकता नहीं हुई ।

शास्त्रमात्रप्रसिद्धार्थविषयो वेदः । वेदग्रहणमितिहासपुराणधर्मशास्त्राद्युप-
लक्षणं तेषां तन्मूलत्वोपगमात् । यथा—

‘अयाचितारं नहि देवमद्रिः सुतां प्रतिग्राहयितुं शशाक ।

अभ्यर्थनाभङ्गभयेन साधुर्माध्यस्थ्यमिष्टेऽप्यवलम्बतेऽर्थे ॥’

जिस प्रमाण का विषय शास्त्र मात्र में प्रसिद्ध रहता है वह प्रमाण
कहलाता है “वेद” । यहाँ वेद कहने से इतिहास, पुराण और धर्म-
शास्त्र भी ग्राह्य है, क्योंकि वे भी वेदमूलक ही हैं । जैसे— “अया-
चितारं नहि देवदेव” इत्यादि कालिदास के काव्य को यहाँ उदाहरण
रूप में उपस्थित किया जा सकता है । इस श्लोक के अन्दर महाकवि
कालिदास ने यह कहा है कि “याचना न करने वाले शिवजी को
कन्यापिता हिमालय ने इसलिये अपनी कन्या पार्वती नहीं दे पाया कि
अच्छे लोग प्रार्थना के अस्वीकार के भय से अभीष्ट विषय के सम्बन्ध
में भी तटस्थ हो जाते हैं” । अर्थात् अभीष्ट-सिद्धि के लिये ऐसे जन के
समक्ष अपनी प्रार्थना लेकर नहीं उपस्थित होते जिसके प्रति उन्हें यह
सन्देह होता है कि कदाचित् अस्वीकार न कर दे ।

अत्र हि कारणभूतस्य भगवद्गतस्य सम्प्रदानत्वनिबन्धनस्य याचनस्याभावे
भूधरेन्द्रगतस्य कार्यस्य कन्याग्राहणशक्तत्वस्याभावोपनिबन्धः शास्त्रमूलः, तयोः
कार्यकारणभावस्य तन्मूलत्वेन प्रसिद्धेः । यदाहुः—

‘अयाचितानि देयानि सर्वद्रव्याणि भारत ।

अन्नं विद्या तथा कन्या अनर्थिभ्यो न दीयते ॥’

यहाँ कारणभूत शिवगत-सम्प्रदानत्व-मूलक याचना के अभाव-प्रयुक्त

भूधरेन्द्रगत कन्या-ग्राहण-सामर्थ्यात्मिक कार्य के अभाव का जो उल्लेख हुआ है वह शास्त्र-प्रमाण-मूलक है । क्योंकि सम्प्रदान-कर्तृक याचना और पितृगत कन्याग्राहण-सामर्थ्य इन दोनों के बीच होनेवाला कार्य-कारण-भाव शास्त्रमूलक रूप में प्रसिद्ध है । जैसा कि कहा गया है— कि अन्य वस्तुएँ अयाचित भी दी जा सकती हैं किन्तु अन्न, विद्या तथा कन्या ये तीन वस्तुएँ न चाहने वालों को न दी जायें ।

अर्थी च सम्प्रदानम् । यदुक्तम्—

‘अनिराकरणात् कर्तुं स्त्यागाङ्गं कर्मणेप्सितम् ।

प्रेरणानुमतिभ्यां वा लभते सम्प्रदानताम् ॥’

अर्थी का अभिप्राय सम्प्रदान से है । जैसा कि कहा गया है कि ‘त्यागकर्ता के त्याग का अङ्गभूत, त्याग-क्रियार्थ अभीप्सित व्यक्ति, अनिराकरण के कारण कि वा प्रेरणा या अनुमति के कारण, सम्प्रदान होता है ।

एवञ्च कारणानुपलब्धिप्रयोगोऽयमार्थ इति मन्तव्यं, यथा नात्र धूमोऽग्नेर-भावादिति ।

आध्यात्मिकार्थविषयमध्यात्मम् । यथा—

‘पशुपतिरपि तान्यहानि कृच्छ्रादगमयदद्विसुतासमागमोत्कः ।

कमपरमवशं न विप्रकुर्युर्विभुमपि तं यदमी स्पृशन्ति आवाः ॥’

इसके अनुसार प्रार्थन! स्वरूप कारण की अनुपलब्धि का यह प्रयोग अर्थ अर्थात् अर्थ-प्राप्त है, ऐसा मानना चाहिये । जैसे कि यहाँ धूम नहीं है क्योंकि अग्नि का अभाव है । आध्यात्मिक-अर्थ-विषयक प्रमाण कहलाता है अध्यात्म । जैसे ‘पशुपतिरपि तान्यहानि’ इत्यादि महाकवि कालिदास के काव्य में इसे देखा जा सकता है । श्लोक का अर्थ यह है कि— पार्वता के समागमार्थ उत्सुक पशुपति, कष्टपूर्वक दिन बिता रहे थे । जब कि परमेश्वर को भी ये कामादि भाव सताने से बाज नहीं आते हैं, तब और किसको नहीं विकारयुक्त करेंगे ।

अत्र हि भगवत्पशुपतिगतस्य कृच्छ्रादिवसातिवाहनस्याद्विभुतासमागमोक्त-
त्वस्य चाध्यात्मसिद्धः कार्यकारणभावः यन्मूलोऽयमनयोस्साध्यसाधनभावः ।

यहाँ भगवान् पशुपति के द्वारा कष्ट-सहन-पूर्वक समय-यापन और पार्वती के समागमार्थ उत्सुक होना, इन दोनों के बीच होनेवाला कार्य-कारण-भाव और तन्मूलक साध्यसाधन-भाव प्राप्त होता है ।

स हि द्विविधः शाब्दश्चार्थश्चेति । सोऽपि च साध्यसाधनयोः प्रत्येकं पदार्थवाक्यार्थरूपत्वात्, पदार्थस्य च जातिगुणक्रियाद्रव्यभेदेन भेदाद्, धर्म-धर्मितया च धर्मस्यापि समानाधिकरण्यभेदाद्, वाक्यार्थस्य च क्रियात्मनः कारकवैचित्र्येण वैचित्र्याद्, यथायोग्यमन्योन्यसाङ्ग्याद्बहुविध इति तस्य दिङ्-मात्रमिदमुपदर्शयते—

वह साध्यसाधन-भाव (१) शाब्द और (२) आर्थभेद से दो प्रकार का होता है । कहीं साध्य और साधन पदार्थ रूप होते हैं तो कहीं वाक्यार्थ रूप । पदार्थ भी (१) जाति (२) गुण (३) क्रिया और (४) द्रव्य के भेद से भिन्न होते हैं । कहीं साध्य एवं साधन धर्मी होते हैं तो कहीं धर्म, धर्म भी समानाधिकरण्य के भेद से भिन्न होते हैं, वाक्यार्थभूत कियाएँ भी कारकगत वैचित्र्य के कारण विभिन्न होते हैं, फिर जहाँ जैसा, इनमें पारस्परिक-साङ्ग्य भी होता है । इसलिये वह शाब्द या आर्थ भी साध्यसाधन-भाव बहुविध होता है । इसलिये यहाँ उसका दिग्दर्शन-मात्र उदाहरण द्वारा कराया जा रहा है ।

तत्र धर्ममात्रस्य साधनभावे शाब्दो यथा—

‘प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद् भरणादपि ।

स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः ॥’ इति

तस्यैव धर्मस्य समानाधिकरणस्योपादाने सत्यार्थो यथा—

‘द्विषतामुदयः सुमेघसा गुरुरस्वन्तरस्तु मृष्यते ।

न महानपि भूतिमिच्छता फलसम्पत्प्रवणः परिक्षयः ॥’ इति

अत्र हि द्विषदुदयगतस्यास्वन्तत्वस्य सुमर्षणत्वस्य च, तत्परिक्षयगतस्य फलसम्पत्प्रवणत्वस्य दुर्मर्षणत्वस्य चार्थः साध्यसाधनभावो निबद्धः ।

उक्त प्रभेदों के अन्तर्गत धर्ममात्र के साधनभावता-स्थल में शब्द का “प्रजाओं में विनय का आधान प्रजाओं का रक्षण और उनके भरण के कारण महाराज दिलीप ही सच्चे अर्थ में पिता थे । पिता कहे जाने वाले तो केवल जन्मदाता थे ।” एतदर्थक “प्रजानां विनयाधानात्” इत्यादि रघुवंशगत कालिदास के श्लोक को उदाहरण समझना चाहिये । धर्म को ही समान-वचनान्त रूपमें प्रयोगात्मक समानाधिकरण्य को लेते हुए आर्थसाधन-भाव का उदाहरण, “बुद्धिमानों को चाहिये कि वे दुश्मनों के ऐसे बड़े उदय को भी सहन करें जिसका परिणाम अच्छा न हो । किन्तु अपने कल्याण के इच्छुक उन बुद्धिमानों को चाहिये कि दुश्मनों के ऐसे महान् पतन को भी अपने लिये सह्य न समझें, जो कि आगे चलकर दुश्मनों के लिये शुभ-फलप्रद होनेवाला हो ।” एतदर्थक महाकवि भारवि के ‘द्विषतामुदयः शुमेधसा’ इत्यादि वाक्य को समझना चाहिये । यहाँ दुश्मनों के उदयगत अशुभफल-प्रदत्व और सह्यत्व और दुश्मनों के परिक्षयगत फलप्रदता और असह्यत्व के बीच होने वाला साध्यसाधन-भाव आर्थ होता है ।

धर्मधर्मिभावाभावे तु पदार्थमात्रस्य साधनत्वाच्छाब्द एव यथा—

‘दुर्मन्त्रान्त्रपतिर्विनश्यति यतिः सङ्गात् सुतो लालना—

द्विप्रोऽनध्ययनात् कुलं कुतनयाच्छीलं खलोपासनात् ।

दीर्घधादनवेक्षणादपि कृषिः स्नेहः प्रवासाश्रया—

नैत्रो चाप्रणयात् समृद्धिरनयात् त्यागात् प्रमादाद्धनम् ॥’ इति

जहाँ धर्मधर्मिभाव होता नहीं वहाँ केवल पदार्थ मात्र ही साधन होता है, अतः वहाँ का साध्य-साधन-भाव केवल शब्द ही होता है । जैसे—“बुरी मन्त्रणा के कारण राजा, लोक-सम्पर्क के कारण सन्यासी, लालन के कारण पुत्र, न पढ़ने के कारण ब्राह्मण, बुरे पुत्र के कारण कुल, बुरे लोगों की सेवा से शील, मद्यपान के कारण लज्जा, देखरेख

के अभाव के कारण खेती, प्रवास के कारण स्नेह, स्नेह के अभाव के कारण मित्रता, अनीति के कारण समृद्धि और त्याग तथा असावधानता के कारण धन नष्ट होते हैं" यहाँ पर शाब्द ही साधनता होती है, क्योंकि सारे हेतुओं का स्पष्ट रूप में शब्द से उल्लेख है।

एवं वाक्यार्थविषयेऽपि साध्यसाधनभावो द्विविधो बोद्धव्यः । तत्र शाब्दो यथा—

‘सरस्यामेतस्यामुदरवलिबीचीविलुलितं

यथा लावण्याम्भो जघनपुलिनोल्लङ्घनपरम् ।

यथा लक्ष्यश्चायं चलनयनमीनव्यतिकर—

स्तथा मन्ये मग्नः प्रकटकुचकुम्भस्स्मरगजः ॥’ इति

इसी प्रकार वाक्यार्थभूत साध्यसाधन-भाव भी (१) शाब्द और (२) आर्थ इस प्रकार द्विविध ज्ञातव्य है। इन दोनों के अन्दर शाब्द जैसे— “इस सरोवर के अन्दर जिस प्रकार उदरगत त्रिवली-स्वरूप-तरङ्गयुक्त सौन्दर्यजल जघनतट का उल्लंघन करता हुआ दीख पड़ रहा है और जिस प्रकार यहाँ से दो नयन-मछलियाँ छलाँग मार रही हैं उससे मालूम पड़ता है कि वह स्मरगज जिसके स्तनकुम्भ दिखाई पड़ रहे हैं अवश्य यहाँ गोतामार रखा है।” यहाँ पर वाक्यार्थगत शाब्द-साध्यसाधन-भाव है। क्योंकि यहाँ पूर्व उदाहरण के समान, पद से नहीं, वाक्य से साध्यसाधन-भाव ज्ञात हो रहा है।

आर्थो यथा—

‘निवार्यतामालि ! किमप्यसौ बटुः पुनर्विवक्षुः स्फुरितोत्तराधरः ।

न केवलं यो महतोऽपभाषते शृणोति तस्मादपि यः स पापभाक् ॥’

यथा च—

‘दिवं यदि प्रार्थयसे वृथा श्रमः पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः ।

अथोपयन्तारमलं समाधिना न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत् ॥’ इति

आर्थ साध्यसाधन-भाव का उदाहरण यह है—जैसे— ‘ओ सखी !

इस ब्रह्मचारी को बोलने से रोको । इसके होठ के चलने से मालूम पड़ता है कि यह फिर कुछ बोलना चाहता है । महापुरुष का निन्दक ही पापी नहीं होता, सुनने वाले को भी पापी बनना पड़ता है ।” यहाँ पर साध्यसाधन-भाव शब्दतः नहीं, अर्थतः अवगत होता है । अथवा जैसे— “ओ पार्वती ! तू तपस्या यदि इसलिये कर रही हो कि “स्वर्ग मिले” तो तपस्या व्यर्थ है । क्योंकि तेरा घर ही देवताओं का निवास-स्थान है और यदि पति के लिये तपस्या कर रही हो ? फिर भी तपस्या व्यर्थ है, क्योंकि रत्न व्यक्ति को खोजता नहीं, व्यक्ति ही रत्न की खोज करता है ।” यहाँ शब्द नहीं आर्थ वाक्यार्थ-विषयक साध्य-साधन-भाव है ।

अनुमेयार्थविषयो यथा—

“सुवर्णपुष्पां पृथिवी चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः ।

शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम् ॥”

अत्र हि सर्वत्र सुलभा विभूतयः शूरादीनामित्यमयमर्थोऽनुमीयत इत्ये-
तद्विदितमिष्यते । अनुमितानुमेयार्थ-विषयो । यथा—

“पत्युः शिरश्चन्द्रकलामनेन स्पृशेति सख्यापरिहासपूर्वम् ।

सा रञ्जयित्वा चरणौ कृताशीर्माल्येन तां निर्वचनं जघान ॥”

इत्यत्र हि नखरञ्जनानन्तरं परिहासपूर्वं सख्या कृताशिषो देव्या यदेतद-
वचनं माल्येन हननं, तत् तदनुभाषभूतं तस्याः कौतुकौत्सुक्य-प्रहर्ष-लज्जादि-
व्यभिचारिसम्पदमनुमापयति । सा चानुमीयमाना सती भगवति भवे भर्तरि रति-
मनुमायति । यथा च—

“एवं वादिनि देवर्षौ पार्श्वे पितुरभ्यमुखी ।

लोकलकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ॥”

यथा वा—

“प्रयच्छतौच्चैः कुसुमानि मानिनी

विपक्षगोत्रं दयितेन लम्बिता ।

न किञ्चिद्दूचे चरणेन केवलं

लिलेख वाष्पाकुललोचना भुवम् ॥”

अनुमेयार्थ-विषयक आर्थ साध्यसाधन-भाव का उदाहरण है—
 “सुवर्णपुष्पां पृथिवीं” इत्यादि काव्य । पद्य का अर्थ यह है कि (१)
 शूर (२) विद्वान् और (३) सेवाविशेषज्ञ ये तीन, खिले सुवर्ण-पुष्प-
 युक्त भूमि का चयन करते हैं । यहाँ “उक्त तीनों प्रकार के लोगों के
 लिये धन-वैभव सुलभ होते हैं” ऐसा अनुमान होता है, इसे विस्तार-
 पूर्वक आगे बताया जायगा । अनुमितानुमेयार्थ-विषयक आर्थ साध्य-
 साधन-भाव का उदाहरण है “पत्युः शिरश्चन्द्रकलामनेन” इत्यादि
 काव्य । इसका अर्थ यह है कि “इस रज्जे पाँव से तू अपने पति के
 शिर पर स्थित चन्द्रकला को छूना” इस प्रकार पाँव रज्ज कर आशीर्वाद
 देनेवाली अपनी सखी को पार्वती ने पुष्पमाला से केवल मारा परन्तु
 कुछ बोली नहीं ।” यहाँ नाखून रज्ज के अनन्तर परिहासपूर्वक सखी
 से आशीर्वाद पानेवाली देवी पार्वती द्वारा किया गया मौन-धारण तथा
 माला से सखी को मारना जो कि अनुभाव है, देवी पार्वतीगत (१)
 कौतुक (२) उत्सुकता (३) अत्यन्त हर्ष और (४) लज्जा
 आदि व्यभिचारी-भावों का अनुमान कराते हैं । और वे अनुमीयमान
 व्यभिचारीभाव भगवान् शिव-स्वरूप पति के प्रति होनेवाली देवी
 पार्वती की रति का अनुमान कराते हैं । इसका एक और दूसरा उदा-
 हरण है “एवं वादिनि देवर्षी” इत्यादि काव्य । इसका अर्थ यह है कि
 “देवर्षि नारद के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर अपने पिता के बगल
 में खड़ी पार्वती, शिर नीचे करके हस्तगत कमल के पत्ते गिनने लगी ।”
 अथवा एक और उदाहरण है “प्रयच्छतौच्चैः कुसुमानि मानिनी”
 इत्यादि काव्यवाक्य । इसका अर्थ यह है कि फूल की ऊँची डाल को
 फूल चुनने हेतु नीचे करनेवाले पति के द्वारा असावधानतावश अन्य
 स्वाभिमत नायिका का नाम लिये जाने पर वह उसकी अपनी

नायिका ने पति से कुछ कहा तो नहीं । किन्तु उसकी आँखें भर आईं और वह चरणगत नाखून से भूमि पर लकीर करने लगी । नाखून से मिट्टी खोदने लगी ।

यथा च वाक्यार्थविषये साध्यसाधनभावे साध्यसाधनप्रतीत्योः सुलक्षः क्रमभावः तथा वस्तुमात्रादावनुमेयविषयेऽप्यवगन्तव्यः । केवलं रसादिध्वनुमेयेष्वयमसंलक्ष्यक्रमोगम्यगमकभाव इति सहभावभ्रान्तिमात्रकृतस्तत्रान्येषां व्यञ्ज्य-व्यञ्जकभावाभ्युपगमः, तन्निवन्धनश्च ध्वनिव्यपदेशः । स तु तत्रौपचारिक एव प्रयुक्तो न मुख्यः । तस्य वक्ष्यमाणनयेन बाधितत्वात् । उपचारस्य च प्रयोजनं सचेतनचमत्कारकारित्वं नाम । तद्धि मुख्ये चित्रपुस्तकादौ व्यक्तिविषये परिहृष्टमेव ।

वाच्योद्धार्यो न तथा चमत्कारमातनोति यथा स एव विधिनिषेधादिकाव्यभिधेयतामनुमेयतां बावतीर्णं इति स्वभाव एवायमर्थानाम् । तथा हि—

मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपाद् दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः ।

सञ्चूर्णयामि गदया न सुयोधनोरु सन्धिं करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥

जिस प्रकार वाक्यार्थ-विषयक साध्यसाधनभाव-स्थल में साध्य और साधन की प्रतीयियों के बीच अनायास क्रम अर्थात् पूर्वापरीभाव ज्ञात होता है । उसी प्रकार वस्तु-अलङ्कार-अनुमेयता-स्थल में भी क्रम अवगत होता है, यह ज्ञातव्य है । केवल जहाँ रस रसाभास, भाव भावाभास, आदि अनुमेय होते हैं, वहाँ क्रम अवगत होता नहीं, इसलिये वहाँ का अनुमेय - अनुमापकभाव असंलक्ष्यक्रम होता है । अतः सहभाव की भ्रान्ति के कारण ही अन्य लोगों अर्थात् ध्वनिवादियों द्वारा व्यङ्ग्य-व्यञ्जकभाव मान लिया जाता है । और तत्प्रयुक्त ही "ध्वनि" शब्द का व्यवहार अर्थात् प्रयोग चल पड़ा है । इसलिये उसे अपने अर्थ में औपचारिक अर्थात् अवास्तवरूप में ही प्रयुक्त - होनेवाला जानना चाहिये । उसे मुख्य अर्थात् वास्तविक नहीं माना जा सकता । क्योंकि वक्ष्यमाण रीति से वह बाधित है । औपचारिक प्रयोग का प्रयोजन यह कि सहृदयों के हृदय में उससे चमत्कार होता है । वह चमत्कार

कारिता विलक्षण चित्र, विलक्षण पुस्तक आदि में मुख्य रूप से देखी ही जाती है ।

विधि या निषेध आदि कोई भी अर्थ, साधारण वाच्यरूप में वैसा चमत्कारी नहीं होता जैसा कि जब वह काकुमुद्रा द्वारा अभिहित होने पर या अनुमेय होने पर चमत्कारी होता है। यह एक प्रकार का वस्तु-गत स्वभाव है । जैसे “मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपात्” इत्यादि काव्यवाक्य के प्रयोगस्थल में वह स्पष्टतः देखा ही जाता है । इस काव्य-वाक्य का अर्थ यह है कि “तुम लोगों का राजा युधिष्ठिर भले ही कुछ पैसे मात्र पर सन्धि कर डालें । पर इससे क्या ? मैं सभी कौरवों को युद्ध में मार नहीं डालूंगा ? मैं दुश्शासन के हृदय को विदीर्ण कर उसका खून नहीं पोऊँगा ? मैं दुर्योधन की जंघा को गदा से चूर्ण-विचूर्ण नहीं कर डालूंगा ?

इत्यतो—

‘लाक्षागृहानलविषान्नसभाप्रवेशैः प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य ।

आकुष्टपाण्डवधूपरिधानकेशाः स्वस्था भवन्तु मयि जांयति धार्तराष्ट्राः ॥

इत्यतश्च यथा विधिनिषेधयोश्चारुतावगतिर्न तथा शब्दाभिधेययोरिति । यथा च प्रतिषेधद्वयानुमितस्य प्रकृतस्यैवार्थस्य विधेश्चारुतावगतिर्न तथा स्वशब्द-वाच्यस्य । द्विविधिश्च प्रतिषेध उक्तः सुसिद्धन्तविषयत्वात् । तद्यथा—

‘अथाङ्गराजादवतार्य चक्षु यतिति जन्यामवदत् कुमारी ।

नासौ न काम्यो नच वेद सम्यक् द्रष्टुं न सा भिन्नरुचिर्हि लोकः ॥

इति । सम्भाव्यनिषेध-निवर्तनं हि प्रतिषेधद्वयस्य विषय इति ।

तथा चाह ध्वनिकारः— ‘साररूपोद्घर्षः स्वशब्दानभिधेयत्वेन प्रकाशितः सुतरां शोभामावहति । प्रसिद्धिश्चेयमस्त्येव विदग्धपरिषत्सु यदभिमततरं वस्तु व्यङ्ग्यत्वेन प्रकाश्यते न वाच्यत्वेन’ इति ।

अव्यवहित उक्ता ‘मथ्नामि कौरवशतं’ उक्त काव्यवाक्य से तथा “लाक्षागृहानलविषान्न-सभाप्रवेशैः” इत्यादि काव्यवाक्य से, जिनका

अर्थ यह है कि वे कुरुराज धृतराष्ट्र के पुत्र, क्या मेरे जीतेजी स्वस्थ-जीवन बिता सकते हैं ? और जिन्होंने हमलोगों के धन, मान तथा प्राण पर भी, लाक्षागृह में आग लगाकर, खाद्य में विष देकर, भरी सभा में द्रौपदी को निवस्त्रकर सांघातिक आक्रमण किया” । इनसे अवगत होने-वाले जिस विधि और निषेध में, आकर्षता की प्रतीति होती है, स्पष्ट शब्द से अन्य प्रकार से कहे जाने पर कथित विधि और निषेध में वह आकर्षता प्रतीत होती नहीं । प्रतिषेधद्वय अर्थात् दो निषेधक “न” आदि शब्द के प्रयोगस्थल में अनुमित विधि में जैसी चारुता प्रतीत होती है, वैसी चारुता वहाँ नहीं प्रतीत होती है जहाँ विधान अपने भाववाची शब्द से उक्त होता है । सुप् और तिङ्ग स्वरूप विषय के भेद से निषेध द्विविध हैं, जैसे “अथाङ्ग राजादवतार्य चक्षुः” इत्यादि काव्यवाक्यस्थल में । श्लोकार्थ यह है कि “अनन्तर राजकुमारी इन्दुमती ने अङ्ग-देश के राजा की ओर से आँखें हटाकर दासी से यह कहा कि आगे बढ़ो । यह भी नहीं कि अङ्गराज ग्रहण-योग्य नहीं थे, और यह भी नहीं कि राजकुमारी परखना नहीं जानती थी । किन्तु रुचिभेद ही अस्वीकार का कारण था । निषेधद्वय के प्रयोगस्थल में द्वितीय निषेध सम्भावित प्रथम-निषेध का हुआ करता है । जैसा कि ध्वनिकार ने कहा है— “सारभूत अर्थ अपने वाचक शब्द के अनभिधेय रूप में प्रकाशित होकर निरतिशय शोभा को प्राप्त करता है । यह विदग्धजनों की गोष्ठी में प्रसिद्ध ही है कि अति-अभिमत वस्तु, वाच्य रूप में नहीं व्यङ्ग्य रूप में ही प्रकाशित की जाती है ।

आद्ययोस्तु क्रमस्य सुलक्षत्वाद् भ्रान्तिरपि नास्तीति निर्निबन्धन एव तत्र व्यङ्ग्यव्यपदेशाग्रहः । अतएव श्रूयमाणानां शब्दानां ध्वनिव्यपदेश्यानामन्तः— सन्निवेशिनश्च स्फोटमिमतस्यार्थस्य व्यङ्ग्यव्यञ्जक-भावो न सम्भवतीति व्यञ्जकत्वसाम्याद् यः शब्दार्थात्मनि काव्ये ध्वनिव्यपदेशः सोऽत्यनुपपन्नः तत्रापि कार्यकारणमूलस्य गम्यगमकभावस्योपगमात् ।

वस्तु और अलङ्कार की अनुमेयता-स्थल में क्रम की प्रतीति स्पष्ट होने के कारण सहभाव की भ्रान्ति भी सम्भव नहीं । अतः वहाँ

विषय को व्यङ्ग्य कहने का आग्रह निराधार ही कहा जायगा । इसलिये ध्वनि-शब्द से कहे जानेवाले श्रूयमाण शब्द और अन्तःसन्निवेशी अर्थात् सूक्ष्मभूत स्फोट-शब्दात्मक वस्तु के बीच भी व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावं मान्य नहीं, कि व्यञ्जकता की समानता के आधार पर भी शब्दार्थो-भयात्मक-काव्य-अर्थ में ध्वनि शब्द का प्रयोग माना जाय । अतः वह भी अनुपपन्न है । क्योंकि स्फोट और श्रूयमाण शब्द के बीच भी कार्य-कारण-भावमूलक गम्यगमक-भाव अर्थात् अनुमेय-अनुमापकभाव ही मान्य है । श्रूयमाण शब्द होगा कार्य और स्फोट कारण ।

ननु विभावादिवाक्यार्थसमकालमेव रत्यादीनां प्रतीतिरुपजायमाना सर्व-रेवावधार्यते । न तु तत्रान्तरा सम्बन्धस्मरणादि-विघ्नव्यवधान-संविद्धिः काचित् ।

अब यहाँ प्रश्न यह उठाया जा सकता है कि रति आदि स्थायी भावों की प्रतीति काव्यवाक्यार्थभूत विभाव अनुभाव आदि की प्रतीति के समय ही होती पाई जाती है । वहाँ बीच में व्याप्ति-स्मरण आदि विघ्न और तत्प्रयुक्त व्यवधान का भान तो कुछ होता नहीं ?

रत्यादिप्रतीतिरेव रसादिप्रतीतिरिति मुख्यवृत्त्यैव व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावाभ्यु-पगमः । तत्र प्रदीपघटादिवदुपपन्नो गम्यगमकभावः । यतः स एवाह— व्यञ्ज-कत्वमार्गे तु यदार्थोऽर्थान्तरं द्योतयति तदा स्वरूपं प्रकाशयेन्नवासावन्यस्य प्रकाशकः प्रतीयते प्रदीपवद् यथा—

‘लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ।’

इत्यादौ इति । पुनः स एवाह— नहि व्यङ्ग्ये प्रतीयमाने वाच्यबुद्धिर्दूरी-भवति । वाच्याविनाभावेन तस्य प्रकाशनात् । तस्माद् घटप्रदीपन्यायस्तयोः । यथैव हि प्रदीपद्वारेण घटप्रतीतावुत्पन्नायां न प्रदीपप्रकाशो निवर्तते तद्वद्व्यङ्ग्य-प्रतीतौ वाच्यावभास इति

रति आदि की प्रतीति ही रस रसाभास आदि की प्रतीति होती है इसलिये वहाँ मुख्य रूप में ही वहाँ व्यङ्ग्यव्यञ्जक-भाव होता है । वहाँ प्रदीप घट आदि स्थल की तरह गम्यगमक-भाव उपपन्न होता है

क्योंकि उन्होंने स्वयं यह कहा है कि व्यञ्ज्यव्यञ्जकभावीय पद्धति में जब एक अर्थ अर्थान्तर का द्योतन करता है, तब वह प्रकाशक अपना प्रकाशन करता हुआ ही दूसरे का प्रकाशन करता है, ऐसा प्रतीत होता है, प्रदीप के समान। जैसे 'लीलाकमलपत्राणि' इत्यादि स्थल में। फिर उन्होंने यह कहा है कि व्यङ्ग्य की प्रतीति-स्थल में वाच्य-अर्थ की बुद्धि, अति दूरवर्ती होती नहीं। क्योंकि व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति वाच्य अर्थ से अविनाभूत रूपमें ही होती है। इसलिये वाच्य-अर्थ से व्यङ्ग्य-अर्थ की प्रतीति-स्थल में घट-प्रदीप दृष्टान्त लागू होता है। जैसे प्रदीप के द्वारा घट की प्रतीति उत्पन्न होने पर प्रदीप का प्रकाश निवृत्त होता नहीं, उसी प्रकार व्यङ्ग्य की प्रतीति होने पर वाच्य-अर्थ का अवभास भी निवृत्त होता नहीं।

उच्यते। वाच्यप्रतीयमानयोरर्थयो र्यथा क्रमेणैव प्रतीतिर्न समकालं, यथाचानयो-
र्गम्यगमकभावः तथा तेनैव व्यक्तिवादिना तयोः स्वरूपं निरूपयितुं कामेनाप्युक्तं,
तदेवास्माभिः समाधत्सुभिरिह लिख्यते परम्।

इस प्रश्न के उत्तर में कहना यह है कि वाच्य और प्रतीयमान की प्रतीतियाँ जैसे क्रम से ही होती हैं, एक काल में नहीं, और वाच्य तथा प्रतीयमान के बीच जिस प्रकार गम्यगमक-भाव होता है, उसका निरूपण, वाच्य और प्रतीयमान के स्वरूप-निरूपार्थ उन व्यञ्जनावादियों के द्वारा ही जैसा बतलाया गया है, उसीका उल्लेख यहाँ उन्हीं के उक्त प्रश्न के समाधानार्थ यहाँ हमलोगों द्वारा किया जा रहा है। अपनी ओर से कोई नई बात नहीं कही जा रही है।

तद्यथा— न हि विभावानुभावव्यभिचारिण एव रसा इति कस्यचिदवगमः।
अतएव विभावादिप्रतीत्यविनाभाविनी रसादीनां प्रतीतिरिति तत्प्रतीत्योः कार्य-
कारणभावेनावस्थानात् क्रमोऽवश्यम्भावी। स तु लाघवात्तलक्ष्यत इत्य-
लक्ष्यक्रमा एव सन्तो व्यङ्ग्या रसादय इत्युक्तम्। इति

वह उनका कथन इस प्रकार है—विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी-भाव ही रस है, यह कोई मानता नहीं। इसलिये रस आदि की प्रतीति

विभाव, अनुभाव और सञ्चारी-भाव की प्रतीति की अविनाभाविनी होती है। क्योंकि दोनों प्रतीतियों के बीच कार्यकारणभाव अवस्थित होने के कारण, क्रम अवश्यम्भावी है। वह क्रम, अति शीघ्रता-प्रयुक्त ज्ञात नहीं हो पाता है, इसलिये अज्ञेयक्रम होने के कारण ही रस आदि व्यङ्ग्य कह दिये जाते हैं।

पुनश्च तस्मादभिधानाभिधेयप्रतीत्योरिव वाच्यव्यङ्ग्यप्रतीत्यो निमित्तनिमित्ति-भावाद् नियमभावी क्रमः। सतूक्तयुक्तेः क्वचिल्लक्ष्यते क्वचित्तु न लक्ष्यते इति।

फिर भी कहा गया है कि “इसलिये अभिधान और अभिधेय की प्रतीतियों के समान, वाच्य की प्रतीति और व्यङ्ग्य की प्रतीति दोनों के बीच, निमित्त-नैमित्तिक-भाव अर्थात् कार्यकारण-भाव होने के कारण, क्रम का होना निश्चित है। वह, उक्त युक्ति के अनुसार कहीं ज्ञात होता है और कहीं नहीं।

तदेवं वाच्यप्रतीयमानयोर्वक्ष्यमाणक्रमेण लिङ्गलिङ्गिभावस्य समर्थनात् सर्वस्यैव ध्वनेरनुमानान्तर्भावः समन्वितो भवति, तस्य च तदपेक्षया महाविषय-त्वात्। महाविषयत्वं चास्य ध्वनिव्यतिरिक्तेऽपि विषये पर्यायोक्तादौ गुणीभूत-व्यङ्ग्यादौ च सर्वत्र सम्भवात्। तच्च वचनव्यापारपूर्वकत्वात् परार्थमित्यव-गन्तव्यम्। त्रिरूपलिङ्गाख्यानां परार्थमनुमानमिति केवलमुक्तनयानभिज्ञतया तत्र लक्ष्यव्यविचक्षणो लोकः।

इस प्रकार वाच्य और प्रतीयमान के बीच वक्ष्यमाणयुक्ति के अनुसार लिङ्गलिङ्गिभाव अर्थात् हेतुसाध्यभाव समर्थित होने के कारण, सब ध्वनियों का अनुमान में ही अन्तर्भाव सङ्गत होता है, क्योंकि व्यङ्ग्यव्यञ्जकभाव की अपेक्षा से लिङ्गलिङ्गिभाव महाविषय है। अर्थात् व्यङ्ग्यव्यञ्जकभाव के स्थान से अनुमेय - अनुमापकभाव के स्थान अधिक होते हैं। ऐसा इसलिये मानना आवश्यक है कि पर्या-योक्त आदि अलङ्कारस्थल में और गुणीभूत-व्यङ्ग्य-काव्यस्थल में भी अनुमेय-अनुमापकभाव होता है किन्तु वहाँ ध्वनिकाव्यता मान्य न होने के कारण, व्यङ्ग्यव्यञ्जकभाव नहीं मान्य कहा जा सकता। वह

अनुमान परार्थानुमान मान्य होगा, क्योंकि वह वचन-व्यापार-पूर्वक होता है, अर्थात् काव्यवाक्य से वहाँ अनुमिति होती है । (१) पक्षसत्त्व (२) सपक्षसत्त्व और (३) विपक्षसत्त्व इन तीन रूपों अर्थात् धर्मों से युक्त-हेतु का आख्यान, अर्थात् कथन ही यतः होता है परार्थानुमान । केवल इस पद्धति की अनभिज्ञता के कारण, साधारण जनता, इस बात को नहीं जानती है ।

अथ यदि सर्व एव वाक्यार्थः साध्यसाधनभावागर्भ इत्युच्यते तर्हि यथा साध्यसाधनयोस्तत्र नियमेनोपादानं तथा दृष्टान्तस्यापि स्यात्, तस्यापि व्याप्ति-साधनप्रमाणविषयतयावश्यापेक्षणीयत्वात् । न । प्रसिद्ध-सामर्थ्यस्य साधनस्यो-पादानादेव तदपेक्षायाः प्रतिक्रियात् । तदुक्तम्—

‘तद्भावे हेतुभावौ हि दृष्टान्ते तदवेदिनः ।

ख्याप्येते, विदुषां वाच्यो हेतुरेव च केवलः ॥

अब यहाँ प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि सारे वाक्यार्थों को साध्यसाधनभावगर्भ ही माना जा रहा है, तो प्रत्येक वाक्य-प्रयोग-स्थल में, साध्य और साधन के समान दृष्टान्त का भी नियमतः उपादान होना चाहिये । क्योंकि दृष्टान्त भी व्याप्ति के साधक-प्रमाण के विषय-रूप में अवश्य अपेक्षित होता है ।

इस प्रश्न का उत्तर यह ज्ञातव्य है कि, ऐसा नहीं । क्योंकि जहाँ साधन अर्थात् हेतु प्रसिद्ध-सामर्थ्य होता है अर्थात् उसमें व्याप्ति और पक्ष-धर्मता पहले से ही प्रसिद्ध हो तो उसे हेतु बनाने पर, दृष्टान्त की अपेक्षा होती नहीं । जैसा कि ‘तद्भावे हेतु भावौ हि’ के द्वारा कहा गया है । उसका अर्थ यह है कि अनजान व्यक्ति को दृष्टान्त में हेतु और साध्य दिखला-कर हेतु-साध्यभाव बतलाया जाता है । जानकार को केवल हेतु ही कहना चाहिये । अर्थात् दृष्टान्त की आवश्यकता नहीं ।

ननु कुतोऽयं रत्यादीनां सुखाद्यवस्थाविशेषाणां काव्यादौ सचेतनचमत्कारी सुखास्वादसम्भवः ; यो रसादीनामनुमेयानां व्यङ्ग्यत्वोपचारस्य प्रयोजनांशतया कल्प्यते । नहि लोके लिङ्गतः शोकादिष्वनुमीयमानेष्वनुमातृसुखास्वादलवोऽपि लक्ष्यते । प्रत्युत साधूनामुदासीनानामपि वा भयशोकदौर्मनस्यादि-दुःखमसम-मुपजायमानमवधार्यते । न च लोकेतः काव्यादौ कुश्चिदतिशयः येनासौ तत्रै-वोपगम्येत, न लोके । त एवहि लौकिका विभावादयो हेतुकार्यसहकारिरूपा-गमकाः ।

त एव च रत्यादयोऽवस्था-विशेषरूपा भावा गम्याः । तत् कोऽतिशयः काव्यादौ, यत् तत्रैव रसास्वादो न लोक इति प्रयोजनांशाऽसम्भवाद् रत्यादिषु-व्यङ्ग्यत्वोपचारोऽनुपपन्न एव ।

अब यहाँ प्रश्न यह उपस्थित होता है कि रति आदि भी तो सुख आदि के ही एक प्रकार अवस्था-विशेष हैं, फिर काव्य-आदि-स्थल में सहृदयों को अति चमत्कारी सुखास्वाद क्यों होता है ? जो अनुमेय-रसादि में व्यङ्ग्यता के उपचार का प्रयोजनांश रूप में कल्पित होता है अर्थात् जिसके कारण रस आदि अनुमेय को व्यङ्ग्य नाम से पुकारे जाने की बात कही जाती है ? काव्यजगत् के अतिरिक्त लोक में किसी हेतु से किसी व्यक्ति में शोक आदि का अनुमान करने पर अनुमाता को कणभर भी सुखास्वाद होता नहीं पाया जाता है । प्रत्युत साधुओं और उदासीन जनों को भी भय, शोक, ग्लानि आदि ही होता हुआ पाया जाता है । लोक-जगत् से काव्य-जगत् में कोई ऐसी विशेषता पाई जाती नहीं, जिसके कारण काव्य-जगत् में ही उक्त-प्रकार विलक्षण सुखास्वाद माना जाय और लोक में नहीं । वे लौकिक विभाव अनु-भाव और सहचारी-भाव ही तो लोक में कारण कार्य और सहकारी होते हैं, जो गमक अर्थात् अनुमापक माने जा रहे हैं ? और गम्य अर्थात् अनुमेय माने जाने वाले रति आदि के अवस्था-विशेषात्मक आन्तर-भाव भी लौकिक ही होते हैं, लोकातीत नहीं । तब काव्यस्थल में क्या ऐसी विशेषता होती है कि वैसा रसास्वाद वहाँ ही होता है, लोक-

में नहीं ? अतः कोई अतिरिक्त प्रयोजन सिद्ध न हो पाने के कारण रति आदि में व्यङ्ग्यत्व का उपचार अनुपपन्न है । उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता ।

उच्यते । यत्र विभावादिमुखेन भावानामवगमस्तत्रैवसहृदयैक संवेद्यो रसास्वादोदय इति वस्तुस्वभाव एवायं न पर्यनुयोगपदवीमवतरति प्रामाणिकानाम् । यदाह— भरतः— “विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः” इति ।

यथोक्तम्—

‘भावसंयोजनाव्यङ्ग्यपरसंविच्छिन्नोचरः ।

आस्वादनात्मानुभवो रसः काव्यार्थ उच्यते ॥’

उक्त प्रश्न का उत्तर यह वक्तव्य है कि जहाँ विभाव, अनुभाव और सहचारी-भाव के माध्यम से ही रति आदि भावों का अवगम होता है वहाँ ही, और केवल सहृदयों को ही, रसास्वाद होता है, यह वस्तुगत तथा परिस्थितिगत स्वभाव है, इसलिये प्रामाणिकजनों के लिये आक्षेप का स्थान बन पाता नहीं । जैसा कि महामुनि भरत ने कहा है— विभावानुभाव इत्यादि सूत्र के द्वारा । सूत्र का अर्थ यह है कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है जैसा कि अन्यत्र भी “भावसंयोजनाव्यङ्ग्य” इत्यादि के द्वारा कहा गया है । उसका अर्थ यह है कि विभाव, अनुभाव और सहचारी भावों के संयोजन से व्यक्त होनेवाला सर्वश्रेष्ठ रूप में सम्वेदन का विषय बननेवाला आस्वादात्मक अनुभव ही है रस, जो कि काव्य का प्रयोजन कहा जाता है ।

न च लोके विभावादयो भावा वा सम्भवन्ति, हेत्वादीनामेव तत्र सम्भवात् । न च विभावादयो हेत्वादयश्चेत्येक एवार्थ इति मन्तव्यम् । अन्ये हेत्वादयोऽन्य एव विभावादयः । तेषां भिन्न-लक्षणत्वात् । तथाहि— ये लोके रत्यादयो रामादिगताः स्थेमभाजोऽवस्थाविशेषाः केचित्, त एव काव्यादौ कवि-प्रभृतिभिर्वर्णनाद्यर्थमात्मन्यनुसंहिताः सन्तो भावयन्ति तांस्तान् रसानिति भावा इत्युच्यन्ते । यदाह भरतः—

‘नामानिभयसम्बन्धावर्थास्त रसानिभान् ।

यस्मात् तस्मादमी भावा विज्ञेया नादयश्चोक्तुभिः ॥

लौकिक जगत् में भी विभावादि एवं रसभावापन्न इत्यादि-भाव, होते ही हैं ऐसी बात नहीं है। ऐसा मानना सही नहीं कि वे विभावादि भी लौकिक ही हैं। क्योंकि लौकिक जगत् में कारण कार्य और सहकारी ही होते हैं। उन्हीं के अस्तित्व की सम्भावना है, विभावादि के अस्तित्व की नहीं। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि विभाव और कारण, अनुभाव और कार्य, व्यभिचारी-भाव और सहकारी, एक ही तत्त्व हैं। क्योंकि कारण आदि और विभाव आदि तत्त्वतः अन्य ही होते हैं। क्योंकि उनके लक्षण परस्पर भिन्न ही हैं। यह इस प्रकार ज्ञातव्य है कि-रस आदि में जो रति आदि विद्यमान रहते हैं, जिन्हें एक प्रकार स्थिरताशील अवस्था-विशेष कहा जा सकता है, वे लौकिक तत्त्व ही होते हैं; जबतक काव्य-जगत् में उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। काव्य-जगत् में आकर वे, और ही, हो जाते हैं। क्योंकि वर्णनाय वे कवि के द्वारा अपने में अनुसंहित अर्थात् अनुसन्धान का विषय होकर तत्तत् रस को भावित अर्थात् उत्पादित करते हैं, इसलिये काव्य-जगत् में आकर वे भाव कहलाते हैं। यह उनकी परिस्थिति पहले लौकिक-जगत् में बिल्कुल नहीं रहती है, जैसा कि मुनि भरत ने ‘नामानिभय-सम्बन्धाद्’ इत्यादि के द्वारा कहा है। अर्थ यह है कि भाव, इसलिये भाव कहलाते हैं कि अभिनय में वे रस पहुँचाते हैं, ऐसा ज्ञातव्य है।

ये च तेषां हेतवः सीताद्याः केचित्, त एव वाक्यादिसमर्पिताः सम्प्रो विभावान्मयी भावा एभिरिति विभावा इत्युच्यन्ते । यदाह भरतः—

‘यहोऽर्था विभाव्यन्ते वागङ्गाभिनयाधवाः ।

अनेन यस्मात् तेनायं विभाव इति संज्ञितः ॥’

ये च तेषां केचित् कार्यरूपा मुखप्रसादादयोऽर्थास्त एव काव्याद्यवदर्थ-वाग्वाः यस्मात्तेऽनुमादयन्ति तांस्तान् भावानित्यनुभावा इत्युच्यन्ते ॥ यदाह भरतः—

‘वाङ्मयसत्त्वाभिनयै यस्मादर्थोऽनुभाव्यते ।’

वाङ्मयीपाङ्गसंयुक्तः सोऽनुभाव इति स्मृतः॥

इससे, च-तेषामन्तरान्तरानवस्थायिनोऽवस्थाविशेषास्तदवान्तर-हेतुजनिता उत्कालिकाकाराः केचिदुत्पद्यन्ते, त एव निजनिजविभावानुभाववर्गमुखेनोपदेश्य-मानाः सन्तो विशेषणाभिमुख्येन चरन्ति तेषु तेषु भावेष्विति व्यभिचारिण इत्युच्यन्ते । यदाह भरतः— ‘विविधमाभिमुख्येन रसेषु चरन्तीति व्यभिचारिणः’ इति ।

हेतुभूत-उन रति आदि भावों के प्रति सीता आदि वे कुछ, जब काव्य आदि के माध्यम से सहृदयों को समर्पित होते हैं, तब रति आदि उनके द्वारा विभावित आदि होते हैं, इसलिये तब अर्थात् पीछे, वे विभाव आदि नाम से कहे जाते हैं, पहले नहीं । जैसा कि मुनि भरत ने कहा है ‘बहुवोऽर्था विभात्यन्ते’ इत्यादि के द्वारा । इसका अर्थ यह है कि वाचिक एवं आङ्गिक अभिनय को आश्रय करनेवाले बहुत अर्थ-यत्न उनसे भावित अर्थात् प्रकाशित होते हैं, सम्पन्न होते हैं, अतः सीता आदि विभाव कहलाते हैं ।

और तदतिरिक्त जो उनके कार्य-भूत मुखप्रसाद आदि अर्थ पाये जाते हैं वे काव्य आदि के द्वारा उपदेशित होने पर ही तत्तत् आन्तर भावों का अनुभव कराते हैं, अतः काव्य-जगत में आकर ही वे अनुभाव कहलाते हैं, पहले नहीं । जैसा कि मुनि भरत ने ‘वाङ्मयसत्त्वाभिनयैः’ इत्यादि के द्वारा बतलाया है । उसका अर्थ यह है कि, जिससे वाचिक आङ्गिक एवं सात्त्विक अभिनयों के द्वारा आन्तर-भावात्मक अर्थ अनुभावित होता है वह ‘अनुभाव’ कहलाता है जो कि स्वयं भी वाक्-अङ्ग और उपाङ्गों में आश्रित होता है ।

और उन विभाव एवं अनुभाव दोनों से अतिरिक्त किन्तु विभिन्न अनुभावों के बीच-बीच में ही अस्थायी रूप में कुछ अवस्था विशेष आते हैं, जो कि अवान्तरवर्ती अपने हेतुओं से उत्पन्न होते हैं और अधिक उत्सुक करनेवाले होते हैं वे स्वसम्पन्न-विभाव एवं अनुभाववर्ग के माध्यम से

प्रदर्शित होकर अभिमुखरूप में विशेषभाव से तत्तत् भावों में सञ्चरण के कारण "व्यभिचारी कहलाते हैं। जैसा कि भरत मुनि ने कहा है- "विविधमाभिमुख्येन" इत्यादि पंक्ति के द्वारा। उसका अर्थ यह है कि विविध-भाव से अभिमुख रूपमें जो रसों में विचरण करता है वह व्यभिचारी कहलाता है।

ये चैते स्थायिव्यभिचारिसात्त्विकमेवादेकोनपञ्चाशद्भावाः उक्तास्ते सर्वे व्यभिचारिण एव। केवलमेषां प्रतिनियतरूपापेक्षो व्यपदेशमेव। तथा हि स्थायित्वं स्थायिष्वेव प्रतिनियतं न व्यभिचारि-सात्त्विकेषु। व्यभिचारित्वं व्यभिचारिष्वेव नेतरयोः। सात्त्विकत्वमपि सात्त्विकेष्वेव नेतरयोरिति। तत्र स्थायिभावानामुभयी गतिः। न व्यभिचारिसात्त्विकानाम्। ते हि नित्यं व्यभिचारिण एव, न जातुचित् स्थायिनः प्रकल्पन्ते।

(१) स्थायीभाव (२) व्यभिचारीभाव और (३) सात्त्विकभाव नाम से जो उन्नास भाव कहे गये हैं वे सभी वस्तुतः हैं व्यभिचारी भाव ही, केवल स्वरूपगत कुछ विभिन्नता के आधार पर विभिन्न उक्त नामों से उन्हें पुकारा जाता है। जैसे स्थायिता स्थायीभावों में ही होती है व्यभिचारी एवं सात्त्विक कहे जानेवाले भावों में नहीं। इसी प्रकार विशेषतः व्यभिचारण व्यभिचारियों में ही होता है और दोनों में नहीं। इसी प्रकार सत्त्वगुणोद्रेक-प्रयुक्तता स्वरूप सात्त्विकता सात्त्विक कहे जानेवाले में ही होती है अन्य में नहीं। उक्त तीनों भावों के अन्तर स्थायी भावों में दोनों प्रकार की गतिविधियाँ पाई जाती हैं, व्यभिचारी और सात्त्विकों में नहीं। वे अर्थात् व्यभिचारी, स्थायी कभी नहीं हो सकते।

यतु भावाध्याये स्थायिनां लक्षणमुक्तं तद्व्यभिचारिदशापन्नानामेव तेषामवगन्तव्यं, नान्येषां लक्षणवचनस्य वैयर्थ्यप्रसङ्गात्। स्थाय्यनुकरणात्मानो हिरसा इष्यन्ते, ते च प्रधानमिति तल्लक्षणमुखेनैव तेषां स्वरूपावगमसिद्धेः, तेषां विभ्वप्रतिविभ्वन्यायेनावस्थानात्, स्थायिभावेषु च निर्घटादिष्विव व्यभिचारिणामनुपादानात्। तदुपादाने हि तेषां स्थायित्वमेव हि स्यान्न व्यभिचारित्वं निर्घटादिष्वत्। तस्माद्योग्यता-प्रवर्तितोऽयं वर्गत्रयविभासोपदर्शनाय व्यभि

चारिण्यपि स्वादित्यपदेष्टः, तन्मात्रविप्रलम्भकृतोऽन्वेषां स्वादिभावकप्रमाण
हरकमप्रस्तुतवस्तुविस्तरेण ।

भरत-कृत नाट्य-शास्त्र के भावाध्याय में जो स्थायी भावों का लक्षण कहा गया है वह व्यभिचारि - दशापन्न स्थायी भावों का ही लक्षण किया गया है, ऐसा समझना चाहिये अन्य का नहीं । अन्यथा वहाँ लक्षण कहना व्यर्थ हो उठेगा । रस स्थायी भावों का समुकरणात्मक ही मान्य अभिप्रेत है । वे रस ही प्रधान हैं, अतः रस के लक्षण से ही स्थायी-भावों का भी स्वरूप अवगत हो सकता था । स्थायी-भाव और रस ये दोनों विम्ब-प्रतिबिम्ब-भावापन्न रूप में अवस्थित हैं । जो केवल व्यभिचारी ही होते हैं ऐसे भावों का उल्लेख निर्वेद भावि की तरह इसीलिये स्थायियों के अन्दर नहीं हुआ है कि यदि उनका भी उल्लेख किया जाता तो वे भी स्थायी हो जाते, केवल व्यभिचारी नहीं रह पाते । जैसे शान्त-रस-स्थल में निर्वेद स्थायी ही हो जाता है वहाँ वह व्यभिचारी नहीं रह पाता है, जैसा कि अन्य रस-स्थल में निर्वेद व्यभिचारी-भाव रहता है । इसलिये यह मानना होगा कि व्यभिचारियों के अन्दर कुछ का स्थायी रूप में कथन स्वरूप-योग्यतामात्र मूलक है, उक्त - प्रकार (१) स्थायी (२) व्यभिचारी और (३) सात्त्विक इसरूप में किये जानेवाले वर्गत्रय के उपदेशार्थ किया गया है । इसलिये जो लोग स्थायी-भाव के पृथक् किये गये लक्षण की वृत्तना में पड़कर स्थायी-भाव को बिल्कुल व्यभिचारी-भाव के पृथक् समझते हैं, वे सर्वथा भ्रान्त हैं । यहाँ का यह विचार सांख्यिक है, प्रस्तुत नहीं, अतः अभी इतना ही रखा जाय ।

तदेवं विभावादीनां हेत्वादीनां च कृत्रिमाकृत्रिमतया काव्यलोक-विषयतया च स्वरूपमेवे विषयमेवे चावस्थिते सत्येकत्वासिद्धे यदा हि विभावादिभिभविषु रत्वादिष्वसत्येव प्रतीतिरूपजन्वते, तदा तेषां तन्मात्रसारत्वात् प्रतीयमाना इति गम्या इति च व्यपदेशा मुख्यदृष्ट्योपपन्न एव । तत्प्रतीतिपरामर्श एव च रत्नात्वादः स्वाभाविक इत्युक्तम् ।

इस प्रकार जब कि (१) कारण (२) कार्य और (३) सहकारी जो कि लौकिक तथा अकृत्रिम अर्थात् स्वाभाविक हैं और (१) विभाव (२) अनुभाव और (३) व्यभिचारी जो कि लौकिक नहीं अलौकिक अर्थात् काव्यजगत्-मात्रगत होने के कारण सर्वथा कृत्रिम अर्थात् अस्वाभाविक हैं, अतः दोनों विकों में विषयगत एवं स्वरूपगत भेद स्पष्ट रूप में बतला दिया गया है। तब कथित विभिन्नता के कारण यह मानना आवश्यक है कि उक्त प्रकार विभावादि त्रिक के द्वारा जब आवर्तमान रति आदि की प्रतीति होती है, उस समय तत्त्वतः रति आदि के न होने के कारण असत्य होने के कारण वे स्थादि वस्तुता प्रतीतिभाज्यार होते हैं। अतः उन्हें "प्रतीयमान" "गम्य" आदि शब्दों से कहा जाता है मुख्य रूप में, यह सर्वथा युक्तियुक्त है और उस प्रतीति का परामर्श ही वास्तविक रसास्वाद्य है, और कुछ नहीं यह उक्त होता है।

भास्तां वा रत्यादिर्नित्यपरोक्षः । प्रत्यक्षोऽपि अर्थः साक्षात् संवेद्यमानः सन्नेतृत्वा न तथा चमत्कारमानोति यथा स एव सत्कविना वचनगोचरता गमितः । तदुक्तम्—

‘कविशक्त्यर्पिता भावास्तन्मयीभाव-युक्तिः ।

यथा स्फुरन्त्यमी कान्यान् तथाध्यक्षतः किल ॥’ इति

अथवा यह मान लिया जाय कि रति आदि नित्यपरोक्ष अर्थात् अप्रत्यक्ष, फलतः अनुमेय होते हैं। कोई प्रत्यक्षसिद्ध वस्तु भी प्रत्यक्षता देखे जाते हुए सहृदयों को वैसा चमत्कार नहीं देती है, जैसा कि वही सत्कवियों के द्वारा वर्णित होने पर चमत्कार देती है। जैसा कि “कविशक्त्यर्पिता भावाः” इत्यादि के द्वारा कहा गया है। उसका अर्थ यह है कि तन्मयीभाव के कारण कवि की शक्ति के द्वारा अर्पित-भाव जिस प्रकार सहृदयों के हृदय में स्फुरित होते हैं काव्य द्वारा प्राप्त होकर, प्रत्यक्ष होते हुए उस प्रकार स्फुरित होते नहीं।

सोऽपि च तेषां न तथा स्वदत्ते, यथा तैरेवानुमेयतां नीत इति स्वभाव एवायं न पर्यनुयोगमर्हति । तदुक्तम्—

‘नानुमितो हेत्वाद्यैः स्वदत्तेऽनुमितो यथा विभाव्याद्यैः ।

न च सुखयति वाच्योऽर्थः प्रतीयमानः स एव यथा ॥’ इति

ध्वनिकृताप्युक्तम्— ‘साररूपोद्धार्यः स्वशब्दानभिधेयत्वेन प्रकाशितः सुतरां शोभाभाववद्वति’ इति । प्रतीतिमात्रपरमार्थं च काव्यादि तावत्तैव विनेयेषु विधि-निषेधन्युत्पत्ति-सिद्धेः । तदुक्तम्—

‘भ्रान्तिरपि सम्बन्धतः प्रमा इति ।

‘मणिप्रदीपप्रभयो-र्मणि-बुध्याभिधावतोः ।

मिथ्याज्ञानविशेषेऽपि विशेषोऽर्थक्रियां प्रति ॥’ इति च ।

यह सत्कवि-वर्णित-भाव भी यों वैसा सहृदयों के लिये आस्वादप्रद नहीं होता है जैसा कि काव्य-समर्पित विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी-भावों के द्वारा अनुमित होकर आस्वादप्रद होता है, यह परिस्थिति स्वाभाविक है । इसलिये इसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का आक्षेप नहीं उठाया जा सकता । जैसा कि कहा गया है— “नानुमितो हेत्वाद्यैः” इत्यादि के द्वारा । इसका अर्थ यह है कि लौकिक हेतु के द्वारा अनुमित पदार्थ वैसा आस्वादप्रद नहीं होता है जैसा कि विभाव, अनुभाव और सञ्चारी भावों के द्वारा अनुमित पदार्थ आस्वाद-प्रद होते हैं । वाच्य अर्थ उस प्रकार सुखप्रद होता नहीं, जिस प्रकार अनुमित-अर्थ सुखप्रद होता है । ध्वन्यालोककार ने भी कहा है सारभूतोद्धार्यः” इत्यादि के द्वारा । इसका अर्थ यह है कि सारभूत अर्थ जब अवाच्य अर्थात् प्रतीयमानमात्र रूप में प्रकाशित होता है तब वह अत्यन्त सुशोभित होता है ।

काव्य आदि का परम प्रयोजन प्रतीति मात्र है । क्योंकि उपदेश्य-जनों में उचित का विधान और अनुचित का निषेध ये दोनों अनायास सिद्ध हो जाते हैं, विनेयों को उनका बोध हो जाता है । जैसा कि “भ्रान्तिरपि” इत्यादि के द्वारा तथा “मणिप्रदीपप्रभयोः” इत्यादि के द्वारा कहा गया है । अर्थ यह है कि सम्बद्ध अर्थात् सम्वादी भ्रान्ति भी फलतः प्रमा ही होती है । मणि की प्रभा और प्रदीप की प्रभा दोनों,

को मणि समझना समान रूप से भ्रम ही है, परन्तु दोनों के फलों में महान् अन्तर होता है। मणि के प्रकाश को मणि समझकर मणि की प्राप्ति होती है, प्रदीप की प्रभा को मणि समझकर नहीं।

तेनात्र गम्यगमकयोः सचेतसां सत्यासत्यत्वविचारो निरूपयोग एव। काव्यविषये च वाच्यव्यंग्यप्रतीतीनां सत्यासत्यविचारो निरूपयोग एवेति तत्र प्रमाणान्तरपरीक्षोपहासायैव सम्पद्यत इति।

तत्र हेत्वादिभिरंकुत्रिमैरंकुत्रिमा एव प्रत्याख्यन्ते। तत्रैषामनुमेयत्वमेव न व्यङ्ग्यत्वगान्धोऽपीति, कुतस्तत्र सुखास्वादलवोऽपि सम्भवति। एष एव लोकतः काव्याद्वावतिशय इत्युपपद्यत एव सत्यादौ गम्ये सुखास्वादप्रयोजनो व्यङ्ग्यत्वोपचार इति।

मुख्यवृत्त्या द्विविध एवार्थो वाच्यो गम्यश्चेति। उपचारतस्तु व्यङ्ग्य-स्तृतीयोऽपि समस्तीति सिद्धम्।

इसलिये यह विचार सहृदय विवेचकों के लिये कोई उपयोग नहीं रखता है, कि गम्य और गमक अर्थात् अनुमेय और अनुमापक सत्य हैं या असत्य। इसी प्रकार काव्य से होनेवाले वाच्यार्थबोध एवं प्रदीयमानार्थ बोध भी यथार्थ हैं या अयथार्थ? यह विचार भी कोई उपयोग रखता नहीं, अतः वहाँ प्रमाणान्तर के द्वारा उसका परीक्षण उपहासास्पद ही होगा। उक्त दो त्रिकों के अन्दर कारण कार्य और सहकारी के द्वारा अंकुत्रिम अर्थात् वास्तविक पदार्थ ही प्रतिपादित होते हैं। वहाँ के प्रतिपाद्य अनुमेय ही होते हैं। उनमें तो व्यङ्ग्यता की अर्थात् विभावादि-प्रयुक्त अनुमेयता की गन्ध भी नहीं होती इसलिये वहाँ कैसे सुखास्वाद का लेश भी सम्भव होगा? यही लोक से काव्य में विशेषता हो सकती है। इसलिये गम्य अर्थात् अनुमेय को व्यङ्ग्य कहने का प्रयोजन यह हो सकता है कि वहाँ सुखास्वाद होता है यह समझा जा सके। इससे यह सिद्ध होता है कि मुख्यरूप में पद के अर्थ (१) वाच्य और (२) गम्य ये दो ही हैं। हाँ, औपचारिक रूप में कुछ अनुमेयों को व्यंग्य भी कहा जा सकता है किन्तु वास्तविक रूप में नहीं। अतः तृतीय औपचारिक मात्र है, यह सिद्ध होता है।

वाचो गुणीकृतार्थत्वं न सम्भवति ज्ञातुञ्चित् ।

तदर्थं तदुपादाना, दुदकार्थं दृतेरिव ॥ इति संग्रहश्लोकः ।

सार रूप में प्रकृत वक्तव्य यहाँ यह है कि ध्वनिकारोक्त ध्वनि के लक्षण में जो शब्द में गुणीकृतार्थत्व विशेषण दिया गया है वह किसी प्रकार उचित नहीं । क्योंकि शब्द तो अपने अर्थ को बतलाने के लिये ही कहा जाता है । अतः अपने प्रयोजन को वह गौण कैसे करेगा ? जैसे कोई भी जलपात्र जल को गौण नहीं बनाता है ।

नापि वाच्यप्रतीयमानयोर्मुख्यवृत्त्या व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः सम्भवति, व्यक्ति-लक्षणानुपपत्तेः । तथाहि सतोऽसत् एव वार्थस्य प्रकाशमानस्य सम्बन्धस्मरणा-नवेक्षिणा प्रकाशकेन सहैव प्रकाशविषयतापत्तिरभिव्यक्तिरिति तल्लक्षणमाचक्षते । तत्र सतोऽभिव्यक्ति स्त्रिविधा, तस्य त्रैविध्यात् ।

मुख्य रूप से वाच्य अर्थ और प्रतीयमान अर्थ इन दोनों के बीच व्यङ्ग्य-व्यञ्जक-भाव हो भी नहीं सकता । क्योंकि व्यञ्जन का लक्षण वहाँ उपपन्न होता नहीं । क्योंकि व्यञ्जन का सही लक्षण, यही है कि अन्यत्र भी कभी प्रकाशित होनेवाले सत् अथवा असत् का किसी ऐसे प्रकाश से, जो कि व्याप्तिस्मरण की प्रकृत-प्रकाशनाश्रय अपेक्षा न रखता हो, होनेवाला प्रकाशन ही है व्यञ्जन । यही उसका लक्षण विवेचक-गण कहते हैं । वहाँ सत् पदार्थ की अभिव्यक्तियाँ तीन प्रकार की होती हैं, क्योंकि सत् पदार्थ तीन प्रकार के हैं ।

तत्र कारणात्मनि कार्यस्य शक्त्यात्मनावस्थानात् तिरोभूतस्येन्द्रिय-गोच-रत्वापत्तिलक्षण आविर्भाव एका, यथा क्षीराद्यवस्थायां दग्धादेः । तथावस्था-मानुषागमे तु सौवोत्पत्तिरित्युच्यते कैश्चित् । तस्यैवाविर्भूतस्य कुसञ्चित् प्रति-बन्धादप्रकाशमानस्य प्रकाशकेनोपसर्जनीकृतात्मना सहैव प्रकाशो द्वितीया, यथा प्रदीपादिना वृद्धादेः । तदुक्तम्—

‘स्वज्ञानेनान्यघोहेतुः सिद्धेऽर्थे व्यञ्जकोमतः ।

यथा दीपोऽन्यथाभावे को विशेषोऽस्य कारकात् ॥’

इति ध्वनिकारेणाप्युक्तं— स्वरूपं प्रकाशयन्नेव परार्थावभासनो व्यञ्जक इत्युच्यते यथा प्रदीपो घटादेः इति ।

उक्त तीन प्रकार अभिव्यक्तियों के अन्दर एक है वह आविर्भाव, जहाँ उदादान-कारण में उपादेय पहले से ही शक्ति रूप से अवस्थित होता है, अतः उस तिरोभूत-कार्य को कारण-व्यापार से इन्द्रिय-गोचर बना दिया जाता है । इसी इन्द्रिय-गोचरता की प्राप्ति को आविर्भाव कहा जाता है । जैसे, दूध से दही का आविर्भाव होता है । और वहाँ यदि यह नहीं माना जाय कि उपादान में उपादेय पहले से ही शक्ति रूप में अर्थात् सूक्ष्म रूप से अवस्थित रहता है, तब वही कहलाता है उत्पत्ति, ऐसा कुछ लोगों का कहना है । उसी आविर्भूत या उत्पन्न कार्य का यदि किसी प्रतिबन्धक के कारण, प्रकाशन पहले प्रकाशक से नहीं होता रहता है और किसी ऐसे प्रकाश के द्वारा जो कि अपने को गौण बना डालता है, और अपने साथ ही उस प्रकाश्य का प्रकाशन करता है, तो वह प्रकाशन है द्वितीय व्यक्ति अर्थात् अभिव्यक्ति, फलतः व्यञ्जन । जैसे प्रदीप से घट आदि का व्यञ्जन होता है । जैसा कि “स्वज्ञानेनान्य-धी-हेतुः” इत्यादि के द्वारा कहा गया है । इसका अर्थ यह है कि जहाँ पदार्थ पहले से सिद्ध रहता है वहाँ अपने ज्ञान के साथ अन्य अर्थ का ज्ञापक होता है व्यञ्जक । यदि ऐसा न माना जाय, तो कारक हेतु, और ज्ञापक हेतु में क्या अन्तर रह जायगा ? ध्वनिकार ने भी यही “स्वरूपं प्रकाशयन्नेव” इत्यादि के द्वारा कहा है । अर्थ यह है कि जो अपने स्वरूप का प्रकाशन करता हुआ, अन्य का प्रकाशन करता है, वह होता है व्यञ्जक । जैसे प्रदीप घट आदि का व्यञ्जक होता है ।

तस्यैवानुभूतपूर्वस्य संस्कारात्मनान्तर्विपरिवर्त्तिनः कुतश्चिदभिव्यभिचारिणोऽर्थान्तरात् तत्प्रतिपादकाद्वा संस्कार-प्रबोधमात्रं तृतीया, यथा धूमादग्नेः, यथा-चालेख्य-पुस्तकप्रतिविम्बानुकरणादिभ्यः, शब्दाच्च गवादेः । असतस्त्वेकप्रकारैव, तस्य प्रकारान्तरासम्भवाद, यथाकालोकादिनेन्द्रचापादेः । इति ।

उसी अनुभूत पदार्थ का, जो कि संस्कार रूप में प्राणी के अन्दर ही विपरिवर्तित रहता है अर्थात् छिपा-सा रहता है । बीच में अज्ञात के

समान हो जाता है, उसके साथ अव्यभिचारी होनेवाले अन्य-पदार्थ से अथवा उसके प्रदिपादक शब्द से, जो उस अन्तर्विपरिवर्तमान का संस्कारोद्बोध होता है, अर्थात् उसका सुप्त संस्कार उद्बुद्ध हो उठता है, वह है तृतीय प्रकार की व्यक्ति या अभिव्यक्ति । जैसे धूम को देखकर जो अग्नि का संस्कारोद्बोध होता है या चित्र, पुस्तक, प्रतिविम्ब, अनुकरण, आदि से जो संस्कारोद्बोध होता है । ये तीनों प्रकार के व्यञ्जन सत् पदार्थ के ही होते हैं, असत् पदार्थ के नहीं । असत् की अभिव्यक्ति एक ही प्रकार की होती है । क्योंकि वहाँ उक्त प्रकारान्तर सम्भव होता नहीं । जैसे सूर्य की किरणों से आकाशीय इन्द्रधनुष का व्यञ्जन होता है । वह इन्द्रधनुष सत् नहीं असत् होता है ।

न चैतल्लक्षणं वाच्ये सङ्गच्छते । तथा हि— सतोऽभिव्यक्ति [क्ते] र्यदाद्य-बोर्धयोर्लक्षणं न प्रतीयमानेष्वकमपि संस्पृष्टं क्षमते, तस्य दद्यादेरिवेन्द्रियविषय-भावापत्तिप्रसङ्गाद् । घटादेरिव वाच्यार्थ-सहभावेनेदन्ताप्रतीतेरसम्भवात् । न च स्वरूपासंस्पर्शि लक्षणं भवति ।

तृतीयस्यास्तु यल्लक्षणं तदनुमानस्यैव सङ्गच्छते, न व्यक्तेः । यदुक्तं— 'त्रिरूपाङ्गिज्ञाषदनुमेये ज्ञानं तदनुमान' मिति । तच्चानुमानमेव । न ह्यार्थादार्थान्तरप्रतीतिरनुमानमन्तरेणार्थान्तरमुपपद्यते । उपमानादीनां च तत्रैवान्तर्भावात् ।

यदाहुः— न चान्यदर्शनेऽन्यकरूपना युक्ताऽतिप्रसङ्गात् । तस्य नान्तरीय-कृतायां स्यात् । नहि यथाविधसिद्धः तथाविधसन्निधानं सूचयति । सामान्येन च सम्बन्धिनार्थप्रतिपत्तिरनुमानमिति द्वे एव प्रमाणे । इति

उक्त किसी प्रकार का व्यञ्जन का लक्षण वाच्य अर्थ के साथ सङ्गत नहीं होता है । इसे इस प्रकार समझाय कि सद्भूत अर्थों की अभिव्यक्ति का उक्त एक भी लक्षण प्रतीयमान की अभिव्यक्ति को छू तक नहीं सकता । क्योंकि तब दधि आदि की तरह नये रूप में प्रतीयमान भी पुरोवर्ती रूपमें इन्द्रिय गोचर हो उठेगा जैसा कि वह होता नहीं । घट आदि की तरह वाच्यार्थ-सहभूत रूपमें "यह" इस रूप में प्रतीयमान की प्रतीति होनी पाई जाती नहीं है । स्वरूप को स्पर्श तक न कर पा सकने वाला कोई लक्षण नहीं हो सकता । तृतीय-प्रकार अभिव्यक्ति का जो लक्षण

बतलाया गया है, वह तो फलतः अनुमान के ही लक्षण रूप में संगत होता है। किसी अन्य प्रकार अभिव्यक्ति के लक्षण रूप में नहीं। जैसा कहा गया है कि पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षासत्त्व इस रूपत्रय से युक्त लिङ्ग आदि से, अनुमेय के विषय में होनेवाला ज्ञान है अनुमान। इसलिये तृतीय-प्रकार अभिव्यक्ति को अनुमान ही मानना होगा। किसी अन्य वस्तु से तदन्य वस्तु का होनेवाला ज्ञान अनुमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं युक्तियुक्त हो सकता है। उपमान आदि प्रमाणों के अन्तर्भाव अनुमान में ही है। जैसा कि "न चान्यदर्शनेन" इत्यादि के द्वारा कहा गया है। उसका अर्थ यह है कि केवल किसी को देखकर तदन्य जिस किसी की कल्पना मान्य नहीं है, क्योंकि अतिप्रसङ्ग हो उठेगा। हाँ, अव्यभिचार होने पर हो सकता है। समानता के आधार पर व्याप्य-हेतु से होनेवाली वस्तु-प्रतीति है अनुमान। इसलिये दो ही प्रमाण मान्य हैं।

न च वाच्यादर्थार्थान्तरप्रतीतिरविनाभावसम्बन्धस्मरणमन्तरेणैव सम्भवति, सर्वस्यापि तत्प्रतीतिप्रसङ्गात्। नापि सहभावेन, धूमाग्नि-प्रतीत्योरिव तत्प्रतीत्योरपि, क्रमभावस्यैव संवेदनाद् इत्यसम्भवो लक्षणदोषः।

अविनाभावात्मक व्याप्ति के स्मरण विना, वाच्य अर्थ से अर्थान्तर अर्थात् प्रतीयमान की प्रतीति होती नहीं। क्योंकि तब सब की प्रतीति होने लगेगी। और प्रतीयमान की प्रतीति वाच्यार्थ के साथ ही होती है ऐसा भी नहीं माना जा सकता है। क्योंकि ऐसा मानने पर धूम और अग्नि की प्रतीति भी सहभावेन उत्पन्न हो उठेगी। तभी धूम और अग्नि की प्रतीति के समान वाच्य और प्रतीयमान की प्रतीति क्रमिक रूप से ही होती प्रतीति होती है। इसलिये ध्वनिकारोक्त ध्वनिकाव्य का लक्षण असम्भव दोषग्रस्त है।

अथ रसाद्यपेक्षया तयोः सहभावेन प्रकाशोऽभिमत इत्युच्यते, अव्याप्ति-स्तर्हि लक्षणदोषः। वस्तुमात्रालङ्कारप्रकाशस्य प्रकाशकासहभावेनाव्याप्तेः।

यदि यह कहा जाय कि रस की प्रतीयमानता-स्थल में, फलतः रस

ध्वनि-स्थल में, सहभाव से वाच्य और प्रतीयमान की प्रतीति होती है यह विवक्षित है, तब असम्भव नहीं तो अव्याप्ति-दोष लक्षण में होगा। क्योंकि वस्तु और अलङ्कार स्वरूप प्रकाश्य का प्रकाशन, प्रकाश के साथ वहाँ होगा नहीं, जैसा कि लक्षण में कथित हैं। अतः वस्तु-ध्वनि और अलङ्कार-ध्वनि-स्थल में अव्याप्ति होगी।

न च रसादिष्वपि विभावादिप्रकाशनसहभावेन प्रकाशनमुपपद्यते। यतस्तैरेव कारणादिभिः कृत्रिमैर्विभावाद्यभिधानैरसन्त एव रत्यादयः प्रतिविम्बकल्पाः स्थायिभावव्यपदेशभाजः कविभिः प्रतिपत्तृप्रतीतिपथमुपनीयमाना हृदयसंवादास्वाद्यत्वमुपयान्तः सन्तो रसा इत्युच्यन्ते। न च कारणादिभिः कार्यादयः प्रतिविम्बकल्पाः सहैव प्रकाशितुमुत्सहन्ते कार्यकारणभावावसायस्यैवावसादप्रसङ्गात्। यत्र तु तल्लक्षणं मुख्यतया सम्भवति तत् काव्यमेव न भवतीति कुत एव तद्विशेषध्वनिरूपता स्यात्।

वस्तुतः रस आदि का भी प्रकाशन, विभाव आदि वाच्य के साथ होता है, यह भी उपपन्न नहीं होता है। क्योंकि उन कारण आदि से, जो कि कृत्रिम विभादि आदि नामों को पीछे प्राप्त करते हैं, प्रतिविम्ब-कल्प वे रत्यादि, जो कि प्रतीति के समय रहते नहीं और स्थायी-भाव कहलाते हैं, कवि के द्वारा जब सहृदय-सामाजिक के हृदय में, समानता के आधार पर उतारे जाते हैं, तब आस्वाद्य होते हुए रस कहलाते हैं। प्रतिविम्ब-कल्प कार्य, कारण आदि के साथ ही प्रकाशित हो सकते नहीं। क्योंकि ऐसा होने पर कार्यकारण-भाव-निश्चय का विलोप हो उठेगा। जहाँ मुख्यरूप से व्यञ्जन का मुख्य रूप से लक्षण सङ्गत होता है, वह काव्य का स्थल ही नहीं, फिर कैसे काव्यविशेष को ध्वनिरूपता होगी? वास्तविक व्यञ्जन-लक्षण तो प्रदीप से घटादि की अभिव्यक्ति-स्थल में समन्वित होता है।

द्विविधो हि प्रकाशकोऽर्थ उपाधिरूपः स्वतन्त्रश्चेति। तत्र ज्ञानशब्द प्रदीपादिरूपाधिरूपः। तदुक्तं— 'त्रयः प्रकाशा स्वपरप्रकाशा' इति। अन्यः स्वतन्त्रो धूमादिः। तत्राद्यस्तावद् भवद्भिर्नाभ्युपगन्तव्य एव। प्रत्यक्षाभिधेययोरेवा-

र्थयोः काव्यतापत्तिप्रसङ्गात् । अन्यस्य तु लिङ्गस्मेवोपपद्यते न व्यञ्जकत्वं, व्यक्ते
रनुपपत्ते ।

प्रकाशक पदार्थ द्विविध होता है—(१) उपाधिरूप और (२) स्वतन्त्र ।
उन दोनों के अन्दर (१) ज्ञान (२) शब्द और (३) प्रदीप आदि
होते हैं उपाधिरूप । जैसा कि “प्रयः प्रकाशाः” इत्यादि के द्वारा
कहा गया है । इसका अर्थ यह है कि तीन प्रकाशक ऐसे होते हैं, जो
अपने साथ और का भी प्रकाशक होते हैं । दूसरा स्वतन्त्र - प्रकाशक
होता है धूमादि । उनमें प्रथमपक्ष आपलोगों के द्वारा मान्य हो सकता
नहीं । क्योंकि तब प्रत्यक्ष एवं अभिधेय अर्थ को ही काव्यता आपन्न
हो उठेगी । और अन्य को लिङ्गता ही उपपन्न हो सकती है, व्यञ्जकता
नहीं । क्योंकि व्यञ्जन उत्पन्न होता नहीं ।

न च त्रिविधस्यापि व्यङ्ग्याभिमतस्थार्थस्य प्रकाशकसहभावेन प्रकाशस्तस्यापि
ध्वनिकारस्याभिमतः । यदयमाह— न हि विभावानुभावव्यभिचारिण एव रसा
इति कस्यचिदवगमः । तत एव तत्प्रतीत्यविनाभाविनी रसादीनां प्रतीतिरिति
तत्प्रतीत्योः कार्यकारणभावेनावस्थानात् क्रमोऽवश्यम्भावी । स तु लाघवान्न-
प्रकाशत इत्यलक्ष्यक्रपा एन सन्तो व्यङ्ग्या रसादय इति ।

व्यङ्ग्य रूप से अभिमत त्रिविध पदार्थों का, प्रकाशक के साथ ही
प्रकाशन भी ध्वनिकार का सम्मत नहीं, जैसा कि उन्होंने स्वयं “न हि
विभावानुभाव” इत्यादि द्वारा कहा है । उसका अर्थ यह है कि
विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभाव ही रस है, ऐसा कोई मानता
नहीं । इसलिये रस की प्रतीति, विभावादि की प्रतीति की
अविना-भाविनी होती है । इसलिये उक्त दोनों प्रकार की प्रतीतियों
के बीच कार्यकारणभाव अवस्थित होने के कारण, उन दोनों प्रतीतियों
में, क्रम भी अवश्यम्भावी है । वह क्रम शीघ्रता के कारण मालूम नहीं
पड़ता है, इसलिये रस रसाभास आदि, अलक्ष्यक्रम-व्यंग्य होते हैं ।

अथैतद्दोषभयात् सहभावानपेक्षमेतच्छक्षणमुच्यते । तथाप्यनुमानेऽतिव्याप्तिः ।
तत्राप्युपसर्जनीकृतात्मना धूमादिना प्रकाशस्य प्रकाशोऽस्त्येव । अथासद्ग्रहणेन
सा निरस्तेत्युच्यते तर्हि घटप्रदीपयोस्तस्याव्याप्तिः घटस्य सत्त्वात् ।

अथासद्ग्रहणं न करिष्यत इति तर्हि अर्कालोकेन्द्र-चापादावव्याप्तिः ।
इन्द्रचापादेरसत्त्वात् ।

अथोभयोरपि ग्रहणं न करिष्यत इति तदनुमानस्यैव तल्लक्षणं पर्यवस्यति
न व्यक्तेः । तच्चेष्टमेव नः, वाच्यप्रतीयमानयोः सतोरेव च क्रमेणैव प्रकाशोप-
गमात् ।

तस्मात् तदवस्थ एवासम्भवो लक्षणदोषः । किञ्च सदसदोस्तत्त्वेन प्रकाश्यस्य
विशेषणमनुपपन्नं व्यावर्त्याभावाद् इति ।

यदि उक्त दोष के भय से सहभाव की अपेक्षा न करते हुए व्यञ्जन
का लक्षण कहा जाय, फिर भी अनुमान में व्यञ्जन लक्षण की अति-
व्याप्ति होगी । क्योंकि अनुमान-स्थल में भी अपने को गौण बनाने-
वाले धूम आदि हेतु से, प्रकाश्य अग्नि आदि का प्रकाशन अर्थात् ज्ञान
होता ही है । यदि लक्षण में प्रकाश्य के लिये "असत्" शब्द का भी
प्रवेश किया जाय तो घट एवं प्रदीप के व्यंग्य-व्यञ्जकभाव-स्थल में
व्यञ्जन में उसके लक्षण की अव्याप्ति हो उठेगी । क्योंकि वहाँ का
प्रकाश्य घट असत् नहीं होगा, सत् होगा । यदि उक्त व्यञ्जन के
लक्षण में असत् पद का निवेश नहीं किया जाय, तो किरण और इन्द्र-
धनुष के बीच होनेवाले व्यंग्य-व्यञ्जकभाव-स्थल में व्यञ्जन में
अव्याप्ति होगी । क्योंकि इन्द्रधनुष आदि सत् नहीं असत् है । यदि
सत् या असत् किसी का उल्लेख न किया जाय, तब वह व्यञ्जन-का
लक्षण अनुमान का ही पर्यवसित होगा । तदतिरिक्त व्यञ्जन का नहीं,
और सो तो हम ध्वनिविरोधियों के लिये इष्ट ही होगा । क्योंकि
वाच्य और प्रतीयमान के बीच, सक्रम प्रकाश्य-प्रकाशक-भाव ही हम-
लोगों को मान्य है । इसलिये ध्वनिकाव्य के उक्त लक्षण में असम्भव
दोष पूर्ववत् है । और प्रकृत लक्षण में सत् असत् आदि विशेषण अनुप-
पन्न है । क्योंकि उस विशेषण का कोई व्यावर्त्य नहीं ।

किञ्च यत्र वाच्यस्यार्थस्य व्यञ्जकत्वं स चेद् ध्वनिस्तर्हि तदनुमितस्य
व्यञ्जकत्वे ध्वनित्वं न स्यात् वाच्यत्वाभावात् । ततश्च 'एवं वादिनि देवर्षी'

इत्यादौ ध्वनित्वमिष्टं न स्यात् इत्यतिव्याप्तिर्लक्षण दोषः । अथार्थशब्देनोभयमपि संगृहीतं तस्योभयार्थविषयत्वेनैष्टत्वात् । यदाह—

‘अर्थः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मा यो व्यवस्थितः ।

वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य मेदाबुभौ स्मृतौ ॥’

इति । सत्यम् । किन्तु तमर्थमिति तच्छब्देनानन्तर्यात् प्रतीयमानस्यार्थस्य परामर्शं सति पारिशेष्याद् ‘अर्थोवाच्यविशेष’ इति स्वयं विवृतत्वाच्च अर्थशब्दो वाच्य-विषय एव विज्ञायते, नोभयार्थविषय इति तदवस्थो दोषः ।

और यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि जहाँ वाच्य अर्थ व्यञ्जक होता है वहाँ यदि ध्वनि माना जाय, तब जहाँ वाच्य अर्थ से अनुमित व्यञ्जक होता है वह काव्य, ध्वनि-काव्य नहीं हो पायगा । क्योंकि अनुमित होने वाले वहाँ के व्यञ्जक में वाच्यत्व रहेगा नहीं । फल यह होगा कि “एवं वादिनि देवर्षी” इत्यादि काव्यों में ध्वनित्व नहीं हो पायगा जो कि इष्ट है, फलतः अव्याप्ति दोष होगा । यदि ‘अर्थ’ शब्द से वाच्य और वाच्यानुमित दोनों का संग्रह किया जाय, क्योंकि दोनों का प्रकाश-रूप से संग्रह इष्ट है, जैसा कि “अर्थः सहृदयश्लाघ्यः” इत्यादि के द्वारा कहा गया है कि, काव्य की आत्मा अर्थात् साररूप में स्वीकृत होने के कारण, अर्थ सहृदयजनों का श्लाघ्य है । (१) वाच्य और (२) प्रतीय-मान रूपमें उसके दो प्रभेद हैं । तो यह कथन सत्य है । परन्तु आनन्तर्य-प्रयुक्त “तमर्थम्” इसके अन्तर्गत तच्छब्द से प्रतीयमान अर्थ का ही ग्रहण होने पर, परिशेषवश तथा “अर्थो वाच्य विशेषः” इस प्रकार स्वयं ध्वनिकार द्वारा स्पष्टीकरण के कारण, ध्वनिकारोक्त ध्वनिलक्षणगत “अर्थ” शब्द वाच्य अर्थ में ही प्रयुक्त ज्ञात होता है (१) वाच्य और तदनुमित दोनों अर्थों में नहीं प्रयुक्त हुआ है, अतः “एवं वादिनि देवर्षी” इत्यादि ध्वनिकाव्य में अव्याप्ति दोष पूर्ववत् विद्यमान ही है ।

अस्तुभोभयार्थविषयः । तथाप्यतिव्याप्तिर्लक्षणदोषः, यत्र वाच्यार्थाद्विस्तु-मात्रेणैकेन द्वित्रैवन्तरिता वस्तुमात्रस्यैव साध्यस्य प्रतीतिस्तत्रापि ध्वनित्वापत्तेः, तल्लक्षणानुगमाविशेषात् ।

न च तत् तत्रेष्ट्यते, चारुतातिवृत्तेः । व्यभिचारिभावालङ्कारान्तरिताया एव तस्या ध्वनिविषयभावाभ्युपगमात् । अन्यत्र तु तद्विपर्ययात् । चारुत्वाचारुत्व-निश्चये च काव्यतत्त्वविदः प्रमाणम् ।

अथवा लक्षण गत “अर्थ” पद को वाच्य और वाच्यानुमित उभयार्थक मान भी लिया जाय, फिर भी लक्षण में अतिव्याप्ति दोष होगा । जहाँ वाच्य अर्थ से एकवस्त्वन्तरित या वस्तु-द्वयादि से अन्तरित रूप में वस्तु-मात्र साध्य की प्रतीति होती है, वहाँ भी ध्वनित्वापत्ति होगी । क्योंकि ध्वनि लक्षण, वहाँ भी अनुगत होगा । वहाँ ध्वनित्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि वैसी चारुता वहाँ होती नहीं । जहाँ व्यभिचारीभाव अथवा अलङ्कार से अन्तरित रूप में वाच्य से प्रतीयमान वस्तु की प्रतीति होती है, वहाँ ही अन्तरित होने पर भी ध्वनित्व स्वीकृत होता है । अन्यत्र तो उसके विपरीत ध्वनित्व मानाजाता नहीं । काव्य में कहाँ चारुता होती है, और कहाँ होती नहीं, इसके निर्णय में तो काव्यतत्त्व-विद् सहृदय जन ही प्रमाण हैं ।

तत्रैकेन वस्तुमात्रेणान्तरिता सा यथा—

‘सिंहिपिच्छकण्णउरा बहुआ वाहस्स गन्विणी भमइ ।

मुक्ता-हल-रइअ-पसाहणाण मज्झे सवत्रीणम् ॥’

(सिंहिपिच्छकण्णपूरा-वधूव्याघस्य गर्विणी भ्रमति ।

मुक्ताफलरचितप्रसाधनानां मध्ये सपत्नीनाम् ॥)

अत्र हि वक्ष्यमाणप्रकारेण व्याघवध्वाः सपत्नीभ्यः सौभाग्यातिरेकोऽनुमेयः । स चाविरतसम्भोगसुखासङ्गनिस्सहृदया पत्युर्मयूरमात्रमारणक्षमतयानुमीयमान-यान्तरितः ।

उक्त एकान्तरित और अनेकान्तरित प्रतिपत्तियों के अन्दर एक-वस्तुमात्र से अन्तरित रूप में वाच्य अर्थ से प्रतीयमान की प्रतिपत्ति का उदाहरण है “सिंहिपिच्छ-कण्णपूरा” इत्यादि । अर्थ यह है कि वह व्याघवधू जिसको कान में केवल मोरपंखी आभूषण है, और कहीं कुछ भी

नहीं वह मोती से जड़े अनेक अलङ्करणों वाली अपनी अनेक सपत्नियों के बीच अभिमान पूर्वक घूम रही है। यहाँ आगे वर्णनीय-पद्धति से, प्रकृत व्याधयुवती का अन्य अपनी सपत्नियों की अपेक्षा से-सौभाग्य का आधिक्य अनुमित होता है। वाक्यार्थबोध और अन्तिम उक्त प्रकार सौभाग्याधिक्य की अनुमिति स्वरूप, अन्तिम बोध इन दोनों के बीच आवश्यक रूपमें यह अनुमित्यात्मक बोध होता है कि इस युवतीका पति व्याध, इसके साथ सम्भोग में अति आसक्ति के कारण, अब इतना दुर्बल हो गया है कि, अब वह मयूर ही मार पाता है। अतः अन्तिम प्रतीति, मध्यवर्ती अनुमित्यात्मक प्रतीति से व्यवहित होती है।

द्वाभ्यामन्तरिता यथा—

‘वाणिज्यं हस्तिदन्ता कुतो अहमाण वगकिञ्चीत् ।

यावज्जुलितालकमुहो धरमि परिसक्कए सोहगा ॥’

(वाणिजक ? हस्तिदन्ताः कुतोऽस्माकं व्याघ्रकृत्तिश्च ।

यावज्जुलितालकमुखी गृहे परिष्वक्ते स्नुषा ॥)

अत्र हि वक्ष्यमाणप्रकारेण वृद्धव्याधेन वाणिजकं प्रति हस्तिदन्ताद्यभाव-प्रतिपादनाय व्यापकविरुद्धकार्योपलब्धिः प्रयुक्ता । यथा नात्र तुषारस्पर्शो धूमादिति ।

हस्तिदन्तव्याघ्राजिनादि-सम्भावो ह्यस्मद्गृहे समर्थस्य सतः सुतस्य तद्व्यापादनव्यापारपरतया व्याप्तः । तद्विरुद्धं च स्नुषासौभाग्यातिरेकप्रयुक्तमविरत-सम्भोगसुखासङ्गजनितमस्य निस्सहृत्वम् । तत्कार्यं च स्नुषाया विजुलितालक-मुखीत्वमिति ।

अन्तिम प्रतीति, दो प्रतीतियों के द्वारा अन्तरित अर्थात् व्यवहित होती है—
‘वाणिजक ! हस्तिदन्ता’ इत्यादि स्थल में । इसका अर्थ यह है कि ओ व्यापारी ! अब मेरे घर में तबतक हाथी दाँत और व्याघ्रचर्म कहाँ से मिलेगा, जबतक यह मेरी पुत्रवधू । जमके मुहपर तक बाल बिखरे हैं, मस्ती ले रही है । यहाँ आगे वर्णनीय प्रकार से हाथीदाँत और व्याघ्रचर्म के व्यापारी के प्रति वृद्धव्याध के द्वारा हाथीदाँत आदिका अभाव बतलाने

के लिए व्यापक के प्रति, विरुद्ध होनेवाले के कार्य की, उपलब्धि बतलाई गई है। जैसे 'यहां ठण्डक नहीं है, क्योंकि यहाँ धूम है' यहाँ पर। व्यापारी यह बतला रहा है कि, जिसके-जिसके घर, जब जब हाथीदांत और व्याघ्रचर्म रहता है, उसके, घर २ तब तब कोई सबल शिकारी अवश्य होता है। किन्तु अब यहाँ उस सबलता और प्रबल-शिकार-क्षमता के विरुद्ध बलहीनता और शिकार की अक्षमता का बोलवाला है। क्योंकि यह युवती इतनी सुन्दर है कि लड़का इसी के पीछे पड़ा रहता है। तभी तो घर में तेल तक न होने के कारण मुहपर वाल बिखराये धूम रही है? इसलिये मेरे घर में उन बहुमूल्य वस्तुओं का अभाव है।

त्रिभिरन्तरिता यथा—

‘विपरीतसुरतसमये वक्ष्यं दद्यूण णाहिकमलम्भि ।

हरिणो दाहिणणभणं चुम्बइ हिलिआउला लच्छी ॥’

(विपरीतसुरतसमये ब्रह्माणं दृष्ट्वा नाभिकमले ।

हरेर्दक्षिणनयनं चुम्बति द्वियाकुला लक्ष्मीः ॥)

अत्र हि लक्ष्मीलज्जानिवृत्तिस्साध्या । तत्र च भगवतो हरेर्दक्षिणस्याक्षः सूर्यात्मनो लक्ष्मीपरिचुम्बनं हेतुः । तद्धि तस्य साहचर्यान्नाभिनलिनस्य सङ्कोचम् । सोऽपि ब्रह्माणो दर्शनव्यवधानमिति त्रयाऽन्तरितानुमेयार्थ - प्रतिपत्तिः । तद्विय-मुपायपरम्परोपारोहनिस्सहा न रसास्वादान्तिकमुपगन्तुमलमिति प्रहेलिकाप्राय-मेतत् काव्यमित्यतिव्याप्तिः ।

तीन प्रतिपत्तियों से अन्तरित प्रतिपत्ति का उदाहरण है “विपरीत सुरत-समये” इत्यादि । उसका अर्थ यह है कि, विपरीत-सम्भोग के समय, नाभिकमल पर ब्रह्मा को देखकर लज्जा से आकुल लक्ष्मी, हरि के दक्षिण-नयन का चुम्बन करती हैं । यहाँ अन्तिम रूप से प्रतिपत्तव्य है लक्ष्मी की लज्जा-निवृत्ति । उसका हेतु है विष्णु के दक्षिण-नयनात्मक सूर्य का लक्ष्मी द्वारा चुम्बन । वह चुम्बन, नाभिकमल के सङ्कोच को, और वह सङ्कोच, ब्रह्मा के अदर्शन को ज्ञात कराता है । इस प्रकार अन्तिम-अनुमेयार्थ की प्रतिपत्ति, तीन-वस्तु-विषयक-प्रतिपत्ति से

अन्तरित होती है । इसलिये अन्तिम-प्रतिपत्ति, उपायभूत अनेक-प्रतीति-साध्यता के कारण, रसास्वाद तक पहुँचाने में समर्थ होती नहीं, इसलिये यह काव्य एक प्रकार से पहेली के समान है, उत्तम काव्य नहीं । अतः उसकी अलक्ष्यता के कारण उसमें समन्वित होनेवाला ध्वनि-लक्षण भति-व्याप्ति बोध से दुष्ट होता है ।

व्यभिचारिभावव्यवहिता यथा—

‘पत्युः शिरश्चन्द्रकलामनेन स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वम् ।

सा रञ्जयित्वा चरणौ कृताशी माल्येन तां निर्वचनं जघान ॥’

अत्र वृत्तप्रकारेणानुमितकौतुकौत्सुक्यप्रहर्षलज्जादिव्यभिचारि-भावान्तरिता गौर्यामाभिलाषिकशृङ्गारावगतिः ।

व्यभिचारी-भाव से, व्यवहित अन्तिम-प्रतीति होती है ‘पत्युः शिरश्चन्द्र-कलामनेन’ इत्यादि काव्य स्थल में । इसका अर्थ पहले बतलाया जा चुका है । यहाँ देवी गौरी में आभिलाषिक शृङ्गार की प्रतिपत्ति, जो कि अन्तिम होती है, उक्त-प्रकार से अनुमित होनेवाले कौतुक, उत्सुकता, प्रहर्ष, लज्जा आदि व्यभिचारी-भावों की प्रतिपत्ति से अन्तरित होती है ।

जलङ्कारव्यवहिता यथा—

‘लावण्यकान्तिपरिपूरित-दिङ्मुखेऽस्मिन्

स्मेरेऽधुना तव मुखे तरलायताक्षि ।।

क्षोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये

सुव्यक्तमेव जङ्गराशिरयं पयोधिः ॥’

अन्तिम-प्रतिपत्ति अलङ्कार-प्रतिपत्ति से, व्यवहित होती है “लावण्य-कान्ति-परिपूरित” इत्यादि काव्यस्थल में । इसका अर्थ यह है कि हे चञ्चलाक्षि ! यह तेरा मुख जब कि स्वगत लावण्यात्मक कान्ति से, सारी दिशाओं को परिपूर्ण कर रहा है, तब उचित यह था कि, समुद्र तरङ्गायित हो उठता । किन्तु यदि वह तरङ्गायित नहीं होता है, तो मैं समझता हूँ कि, वह सचमुच जङ्ग-राशि ही है, सर्वथा बुद्धिहीन ही है ।

अत्रापि कस्याश्चिदुक्तक्रमेण वदनपूर्णेन्दुविम्बयो रूप्यरूपकभावोऽनुमितः । तदन्तरिता चानुकार्यावगतिः । सैव ध्वनेर्विषयभावेनोपगन्तव्या नान्या ।

न च व्यवधानविशेषाद्व्यभिचार्यलङ्कारव्यवधानपक्षेऽप्येतत् समानमिति मन्तव्यं, वस्तुमात्रस्य व्यभिचार्यलङ्कारादीनां च भिन्नजातीयत्वात् । वस्तुमात्रं ह्यनुमेयादत्यन्तविलक्षणस्वभावमग्न्यादेरिव धूमादि । व्यभिचार्यादयस्तु तच्छायानुविधायिनस्तदुपरक्त इव तदालिङ्गिता इवोत्पद्यन्ते, न ततोऽत्यन्तविलक्षणा एवेति तद्व्यवधानमन्यदेव वस्तुव्यवधानादित्यसिद्धस्तद्विशेषः । अलङ्कारोप्यलङ्कार्यान् पृथगवस्थातुमर्हति तयोराश्रयाश्रयिभावेनावस्थानाद् इति तद्व्यवधानस्याप्यविशेषोऽसिद्ध एवेति तदवस्थैवातिव्याप्तिः ।

पहों भी उक्त प्रकार से पहले किसी सुन्दरो-मुख और चन्द्रविम्ब का रूप्यरूपक-भावात्मक रूपकालङ्कार अनुमित होता है, तदनन्तर ही जड़ और सुमृद्र-गत अनुकार्यानुकारक-भाव की अवगति होती है, यही अवगति ध्वनिका विषय मान्य है, अन्य नहीं । यह नहीं माना जा सकता है, कि अन्यकृत अर्थात् वस्तुकृत व्यवधान और अलङ्कारकृत तथा व्यभिचारी-भावकृत व्यवधान में कोई अन्तर नहीं । क्योंकि वस्तुमात्र और अलङ्कार तथा व्यभिचारीभाव भिन्न-जातीय हैं । वस्तुमात्र, चमत्कारी अनुमेय से उसी प्रकार अत्यन्त विलक्षण होता है, जिस प्रकार से, धूम अनुमेय अग्नि से अत्यन्त विलक्षण । व्यभिचारी आदि, जो कि आकर्षक अनुमेय के छाया अनुविधायी अर्थात् चमत्कारी होते हैं, तत्सम्पृक्त के समान, यों कहा जाय कि उससे आलिङ्गित के समान उत्पन्न होते हैं । अतः उससे अत्यन्त विलक्षण नहीं होते हैं । इसलिए अलङ्कार और व्यभिचारी-भाव द्वारा होनेवाला व्यवधान, वस्तुकृत व्यवधान से अन्य प्रकार का ही सिद्ध होता है, अतः दोनों व्यवधान एवं व्यावधानिक-काव्यों में विशेषता अनिवार्य है । प्रकृत अलङ्कार भी अलङ्कार्य से पृथगवस्थित होता नहीं, क्योंकि वे दोनों आश्रयाश्रित-भाव में आवद्ध होते हैं । अतः उन दोनों के अव्यवधानगत-अविशेषता असिद्ध है ।

यद्यर्थ इति वाच्योऽर्थो ऽभिमतोऽव्याप्तिरेव सा ।

ये नैवं वादिनीत्यादा वर्थस्यार्थान्तराद् गतिः ॥

अथोभौ तर्षतिव्याप्ति द्वित्रवस्तुव्यवायिनी ।

प्रहेलिकादिरूपेऽपि काव्ये ध्वन्यात्मता यतः ॥

इति संग्रहश्लोकौ ।

“यत्रार्थःशब्दोवा” इत्यादि ध्वनि-लक्षण के अन्दर अर्थ पद से यदि वाच्य अर्थ विवक्षित हो, तो “एवं वादिनि देवर्षी” इत्यादि ध्वनिकाव्य में अव्याप्ति होगी, जो पहले बताया गया है । क्योंकि वहाँ वाच्यानुमित से, प्रतीयमान की अवगति होती है । यदि लक्षणगत उक्त “अर्थ” शब्द-के अभिप्रेत अर्थ रूपमें (१) वाच्य और (२) वाच्यानुमित दोनों प्राप्ति हों तो, वस्तुत्रय-व्यवहित “वाणिजक कुतो हस्तिदन्ता” इत्यादि काव्यमें तथा “विपरीतरते लक्ष्मीः” इत्यादि वस्तुत्रय-व्यवहित काव्यमें जो कि प्रहेलिकाकल्प होने के कारण, तत्त्वतः ध्वनिकाव्य नहीं, उनमें अतिव्याप्ति होगी, यह यहाँ का सारार्थ है ।

केवलमत्रैवार्थस्योभयात्मनः सामान्येन यः काव्यात्मत्वेन व्यपदेशः सोऽनुपपन्नः । स हि प्रतीयमानार्थैकविषयो युक्तः, तस्यैव काव्यजीवितभूतस्य प्रधानतया ध्वनित्वेनेष्टत्वात् । यत् स एवाह ‘काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति’ । काव्यस्यात्मा स एवार्थ इति । प्रतीयमाना त्वन्यैव भूषा लज्जेव योषित इति च । तेन ‘यः काव्यस्य व्यवस्थित’ इति तत्रोचितः पाठः ।

यह कहना भी अनुपपन्न है कि वाच्य अर्थ तथा प्रतीयमान अर्थ दोनों समान रूपसे काव्य की आत्मा हैं । काव्य की आत्मा कहना तो केवल प्रतीयमान अर्थ के लिए ही उचित होगा । क्योंकि काव्य के जीवन भूत उस प्रतीयमान की प्रधानता के आधार पर काव्य में ध्वनित्व इष्ट है, जैसा कि ध्वनिकार ने स्वयं कहा है कि, “काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति” तथा “काव्यस्यात्मा स एवार्थः” “प्रतीयमाना त्वन्यैव भूषा लज्जेव योषितः” । इन खण्डवाक्यों के अर्थ क्रमशः ये हैं— (१) काव्य की आत्मा अर्थात् सार वस्तु, ध्वनि अर्थात् प्रतीयमान ही है । (२) काव्य

की आत्मा वह प्रतीयमान अर्थ ही है । (३) प्रतीयमान अर्थ, स्त्री में अवस्थित लज्जा के समान सार है । ऐसी परिस्थिति में यदि (१) वाच्य और (२) प्रतीयमान दोनों को काव्यात्मता वक्तव्य हो तो “अर्थः सहृदयश्लाघ्यः” इस पद्य में “काव्यात्मासौ व्यवस्थितः” के स्थान में “भः काव्यस्य व्यवस्थितः” ऐसा पाठ उचित होगा ।

किञ्चात्र वा शब्दो विकल्पार्थो वा स्यात् समुच्चयार्थो वा । न तावद्विकल्पार्थः पक्षान्तरासम्भवस्य व्युत्पादितत्वात् । सम्भवे वास्य द्विवचनानुपपत्तिः, तयोसमुच्चयाभावाद् । यथा— ‘शिरः श्वा काको वा द्रुपदतनयो वा परिमृशेत्’ इत्यत्र बहुवचनस्य । समुच्चयार्थत्वे यत्र शब्दार्थयोरेकैकस्य व्यञ्जकत्वं तत्र ध्वनित्वमिष्टं न स्यात् ।

और यह भी यहाँ विवेचनीय है कि “यत्रार्थः शब्दो वा” यहाँ ‘वा’ शब्द विकल्प-अर्थक मान्य होगा या समुच्चय-अर्थक ? विकल्पार्थक उसे इसलिये नहीं माना जा सकता है कि, पक्षान्तर असम्भव है, यह कहा जा चुका है । अर्थात् उक्त लक्षण में “शब्द” का उल्लेख संगत नहीं, इसलिये विकल्प का अवसर ही नहीं रह जाता है । विकल्प दो के बीच ही सम्भव है । यदि सम्भव माना ही जाय, अर्थात् उक्त ध्वनि-लक्षण में “शब्द” का भी उल्लेख उचित ठहराया जाय तो “व्यंक्तः काव्य विशेषः” इत्यादि के अन्तर्गत “व्यंक्तः” यह द्विवचन का प्रयोग, अनुपपन्न हो उठेगा, क्योंकि शब्द और अर्थ का समुच्चय होता नहीं । उक्त द्विवचन की अनुपपत्ति उसी प्रकार होगी, जैसे “शिरः श्वा काको वा” इत्यादि वाक्य-स्थल में “श्वकाकद्रुपदतनयाः परिमृशेयुः” ऐसा यदि प्रयोग किया जाता, तो जिस प्रकार अनुपपन्न होता । और यह कि वा शब्द को समुच्चयार्थक मानने पर जिस ध्वनि-काव्य-स्थल में केवल शब्द या अर्थ व्यञ्जक होता है, वहाँ इष्ट ध्वनित्व नहीं हो पायगा, अव्याप्ति होगी ।

शब्दस्य च विशेषणमनुपादेयमेव स्याद् अर्थस्य विशिष्टत्वेनैव तदवगति-सिद्धेः । अत एव च लक्षणवाक्ये दीपकाद्यलङ्कारमुखेनोवमाद्यभिन्वयतौ ध्वनित्व-

मिच्छता गुणीकृतात्मनोऽभिधाया उपादानं न कृतम् । अन्यथा तदपि कर्तव्यं स्यात् । तदाश्रितत्वादर्थस्यार्थाश्रितत्वाच्चालङ्काराणामिति पक्षद्वयमप्यनुपपन्नम् ।

उपसर्जनीकृतास्मा विशेषण, शब्द में व्यर्थता-प्रयुक्त उपादेय नहीं होगा, क्योंकि अर्थ में, वह विशेषण देने से ही, शब्द में भी स्वतः वह विशेषण अवगत हो जायगा । इसीलिये दीपकालङ्कार आदि के माध्यम से जहाँ उपमा आदि की अभिव्यक्ति होती है, उस काव्य में ध्वनित्व-सम्पादनार्थ अभिधा में गुणीकृतात्मत्व का उपादान नहीं किया गया है । नहीं तो उसका भी उपादान कर्तव्य होगा । क्योंकि अलङ्कार अर्थ और अभिधा, उभयाश्रित होता है । इस प्रकार ध्वनि-लक्षण-घटक “वा” शब्द का विकल्प अर्थ और समुच्चय अर्थ दोनों अनुपपन्न हैं । वा का और कोई अर्थ तो होता नहीं ।

अत्र केचिद्विद्वन्मानिषो द्विवचनसमर्थनामनोरथाक्षिप्तचित्ततया वाच्यवाचकयोस्तुप्रसिद्धप्रतीतिकमभावास्तयोरेककालिकतां शब्दस्योक्तनयनिरस्तामपि व्यञ्जकतां पश्यन्तस्तन्निबन्धनां ध्वनिभेदयो रविवक्षित-विवक्षितान्यपरवाच्ययोर्ध्वननव्यापारं प्रति पर्यायेणान्योन्यसहकारितां तदपेक्षां चानयोः प्रधानेतरतामुपकल्प्य सहकारितया व्यक्तिक्रियां प्रत्युभयोरपि कर्तृत्वात् तदपेक्षो व्यक्त इति द्विवचननिर्देशः, प्रधानापेक्षश्च ‘यत्रार्थः शब्दो वेति’ विकल्प इति मन्यमानाः न्यक्त इति द्विवचनेनेदमाह—

यहाँ कुछ अभिमानी विद्वान् “व्यञ्जकतः” इस द्विवचन के समर्थन में आकृष्ट-हृदय होने के कारण, वाच्य और वाचक की प्रतीतिगत क्रम के सुप्रसिद्ध होने पर भी, उन दोनों प्रतीतियों की एककालिकता और उक्त-रीति से शब्द की व्यञ्जकता निरस्त होने पर भी, शब्द की व्यञ्जकता पर जोर देते हुए, तन्मूलक ध्वनि-काव्य-विशेषभूत (१) अविवक्षित-वाच्य और (२) विवक्षितान्यपरवाच्य काव्य-स्थलों में ध्वनन-व्यापारार्थ, शब्द और अर्थ के बीच, पारस्परिक सहकारिता और उसी को अपेक्षा करके उन दोनों के बीच गौण-मुख्य-भाव की कल्पना करके व्यञ्जन-क्रिया के प्रति सहकारी रूप में शब्द और अर्थ दोनों में

कर्तृत्व-प्राप्ति के कारण, तत्सापेक्ष "व्यञ्जकः" यह द्विवचन का प्रयोग ध्वनि-लक्षण में हुआ है, और प्रधानता को दृष्टि में रखकर "यत्रार्थः शब्दो वा" यहाँ वा यह विकल्प अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ऐसा मानत है, इसी के अनुसार "व्यञ्जकः" वह द्विवचन निर्देशपूर्वक यह कहा है कि—

यद्यप्यविवक्षित-वाच्ये शब्द एव व्यञ्जकस्तथाप्यर्थस्य सहकारिता न त्रुट्यति । अन्यथाऽज्ञातार्थोऽपि शब्दस्तद्व्यञ्जकः स्यात् । विवक्षितान्य-पर-वाच्ये च शब्दस्यापि सहकारित्वं भवत्येव । विशिष्टशब्दाभिधेयतया विना तस्यार्थस्याव्यञ्जकत्वादिति सर्वत्र शब्दार्थयोर्ध्वननव्यापारः । एवञ्च भट्टनायकेन द्विवचनं यद् दूषितं, तद् गजनिमीलिकयैव । अर्थः शब्दोवेति तु विकल्पाभिधानं प्राधान्याभिप्रायेण इति यदाहुस्तद् भ्रान्तिमात्रमूलं न तत्त्वमित्यलमवस्तु-निर्धनेन ।

यद्यपि अविवक्षितवाच्य-काव्य-स्थल में शब्द ही व्यञ्जक होता है फिर भी अर्थ की सहकारिता विच्छिन्न होती नहीं । क्योंकि ऐसा न मानने पर ऐसा शब्द भी व्यञ्जक हो उठेगा, जिसका अर्थ विल्कुल ज्ञात ही नहीं । विवक्षितान्य-परवाच्य-ध्वनि-काव्य-स्थल में शब्द को व्यञ्जन में सहकारिता होती ही है । क्योंकि अर्थ खास शब्द से अभिहित होकर ही प्रतीयमान का व्यञ्जक होता है, शब्द से अभिहित हुए बिना नहीं, इसलिये ध्वनन व्यापार सर्वत्र शब्द और अर्थ उभयाधीन होता है । ऐसी परिस्थिति में भट्टनायक ने जो उक्त द्विवचन-प्रयोग को दूषित बतलाया है सो गज-निमीलन ही है । "अर्थः शब्दो वा" इस प्रकार विकल्प का कथन प्राधान्य के अभिप्राय से कहा गया है, ऐसा कहते हैं सो कथन भ्रान्तिमूलक है तात्त्विक नहीं । अधिक इस पर विचार अब व्यर्थ है ।

किञ्च तमिति तदः पुंस्त्वेन निर्देशोऽनुपपन्नः । तस्यानन्तरप्रक्रान्तार्थ परामर्शिनस्तल्लिङ्गतापत्तेः । न चात्र तल्लिङ्गताविशिष्टः कश्चिदर्थः प्रक्रान्तः, वस्तुतो नपुंसकाल्लिङ्गस्यानन्तरं प्रक्रान्तत्वात् । तेन तत्रैव—

'प्रतीयमानः पुनरन्य एव सोऽर्थोऽस्ति वाङ्मिषु महाकवीनाम् ।

योऽसौ प्रसिद्धावयवातिरिक्तश्चास्ति-लावण्यमिवाङ्गनाम् ॥' इति

‘सरस्वती स्वादुतमं तमर्थमिति च पाठविपर्यासः कर्तव्यः । न त्वत्रैव वस्तु तदिति । तत्रैव हि पाठविपर्यासे पर्यायप्रक्रमभेदः पुंस्त्वनिर्देशश्च परिहृतौ भवतः । अत्र त्वेक एव तदः पुंस्त्वनिर्देश दोषः । एषैव च प्रमेयशय्या श्रेयसी ।

एक यह भी और दोष यहाँ ध्यान देने योग्य है कि आनन्दवर्धना-चार्यकृत लक्षण में “तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थी” यहाँ “तं” इस प्रकार पुल्लिङ्ग निर्देश उचित नहीं है । पहले उस अर्थ का कथन जिस लिङ्ग से हुआ हो उसी लिङ्ग से गीछे भी परामर्श होना चाहिये तदनुसार यह तत् का नपुंसक लिङ्ग से निर्देश होना चाहिये । पुल्लिङ्ग युक्त किसी अर्थ का इस लक्षण-वाक्य के पहले उल्लेख नहीं हुआ है । वस्तुतः “प्रतीयमानं पुनरन्यदेव” इत्यादि के द्वारा नपुंसक-लिङ्गयुक्त शब्द का ही पहले प्रयोग हुआ है । अतः तदनुसार “तमर्थम्” की जगह ‘तदर्थम्’ ऐसा प्रयोग होना चाहिये था नहीं तो लक्षण के पहले प्रतीयमानः पुनस्त्य एवसोऽर्थोऽस्ति..... । योऽसौ प्रसिद्धावयवातिरिक्तः..... । और सरस्वतीस्वादुतमंतमर्थं.....इस रूप में पाठ का परिवर्तन करना चाहिये । ध्वनिलक्षण में ही “तमर्थ” के स्थान पर “वस्तुतदुप” इस रूप में परिवर्तन उचित नहीं । क्योंकि वैसा करने पर पर्यायप्रक्रमभेद और पुल्लिङ्गनिर्देश दोनों का त्याग होगा । प्रकृत परिवर्तन में केवल पुंस्त्वनिर्देश का । अतः ऊपर उक्त परिवर्तन ही उचित होगा ।

अपि च काव्यविशेष इत्यत्र काव्यस्य विशिष्टत्वमनुपपन्नम्, काव्यमात्रस्य ध्वनिव्यपदेशविषयत्वेनेष्टत्वात् तस्य रसात्मकत्वोपगमात् । यत् स एवाह—

‘काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथाचादिकवेः पुरा ।

क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः ॥’

और यह कि लक्षण-वाक्य के अन्दर ‘काव्यविशेषः’ यहाँ पर काव्य में विशेषता अनुपपन्न है । क्योंकि सभी काव्यों में ध्वनि-संज्ञा इष्ट है । यतः काव्य को रसात्मक मानना है । जैसा कि ध्वनिकार ने ही कहा है “काव्यस्यात्मा स एवार्थः” इत्यादि के द्वारा । अर्थ यह है कि काव्य की आत्मा वह प्रतीयमान अर्थ ही है । तभी आदि कवि का क्रौञ्च-द्वन्द्व-वियोग से होनेवाला शोक श्लोक बन आया ।

न च तस्य विशेषः सम्भवति निरतिशयसुखास्वादलक्षणत्वात् तस्य । यदाहुः—

पाठ्यादथ ध्रुवागानात् ततः सम्पूरिते रसे ।

तदास्वादभरैकाम्रो हृष्यत्यन्तर्मुखः क्षणम् ॥

ततो निर्विषयस्यास्य स्वरूपावस्थितौ निजः ।

व्यज्यते ह्लादनिष्यन्दो येन तृप्यन्ति योगिनः ॥

इति तदभावे चास्य काव्यतैव न स्यात् किमुत विशेष इति अनारम्भणीयमेवैतत् प्रेक्षावतां स्याद् वैफल्यात् ।

रस में विशेषता सम्भव नहीं है । क्योंकि निरतिशय सुख को आस्वाद ही उसका लक्षण है । जैसा कि "पाठ्यादथ ध्रुवागानात्" इत्यादि के द्वारा कहा गया है । अर्थ यह है कि पाठ्य तथा ध्रुवागान के द्वारा रस की पूर्ति होने पर सामाजिक उसके आस्वाद में एकाग्र होता हुआ क्षण भर के लिये अन्तर्मुख हो उठता है । तब बाह्य विषय से विरति के कारण, स्वकीय स्वरूपमात्र में अवस्थिति-प्रयुक्त वह आनन्द-प्रवाह व्यक्त हो उठता है, जिससे योगीजन तृप्त हुआ करते हैं । कविव्यापारो हि विभावादिसंयोजनात्मा रसामिव्यक्त्यव्यभिचारी काव्यमुच्यते । तच्चाभिनेयानभिनेयार्थत्वेन द्विविधम् ।

विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोजनात्मक कवि का वह व्यापार ही कहलाता है काव्य जिससे रस की अभिव्यक्ति अवश्य होती है । वह काव्य (१) अभिनेयार्थक और (२) अनभिनेयार्थक रूप में दो प्रकार का होता है ।

सामान्येनोभयमपि च तद् शास्त्रवद् विधिनिषेधविषयव्युरपत्तिफलम् । केवलं व्युत्पाद्यजनजाड्याज्जाड्यतारतम्यपेक्षया काव्यनाट्यशास्त्ररूपोऽयमुपायमात्रमेदो न फलमेदः ।

वे दोनों प्रकार के काव्य समान रूप से वेद आदि शास्त्रों की तरह विधि और निषेध के बोधार्थक ही होते हैं । केवल बोधनीय सामाजिकों की जड़ता और अजड़ता अर्थात् बुद्धिगत तारतम्य के आधार पर शास्त्र रूप में काव्य और नाट्य यह उपायमात्र का भेद होता है फल में कोई भेद नहीं ।

तत्राद्यं प्रख्यातरामरावणादिनायकप्रतिनायकसमाश्रयेण प्रसिद्धविधिनिषेधास्पद-चरितवर्णनमात्रात्मकम् ।

काव्य और नाट्य के अन्दर प्रथम तादृश चरित्र वर्णनात्मक मात्र होता है जो कि राम रावण आदि नायक और प्रतिनायक को आश्रय करके विधि और निषेध का आस्पद अर्थात् बोधक होता है ।

अपरं पुनरनुकारक्रमेण साक्षात् तत्प्रदर्शनात्मकम् । यदाहुः—

अनुभावविभावानां वर्णना काव्यमुच्यते ।

तेषामेव प्रयोगस्तु नाट्यं गीतादिरञ्जितम् ॥

एवं च ये सुकुमारमतयः शास्त्रश्रवणादिविमुखाः सुखिनो राजपुत्रप्रभृतयः पूर्वश्राधिकृताः, ये चात्यन्ततोऽपि जडमतयस्तावता व्युत्पादयितुमशक्याः स्त्री-नृत्यातोषादिप्रसक्ता उभयेपि तेऽभिमतवस्तुपुरस्कारेण गुडजिह्विकया रसास्वादसुखं मुखे दत्त्वा तत्र कटुकौषधपानादाविव प्रवर्तयितव्याः । अन्यथा प्रवृत्तिरेवैषां न स्यात्, किमुत व्युत्पत्तिः । काव्यारम्भस्य साफल्यमिच्छता तत्प्रवृत्तिनिवन्धन-भावेनास्य रसात्मकत्वमवश्यमुपगन्तव्यम् । तन्मात्रप्रयुक्तश्च ध्वनिव्यपदेशः ।

न च रसानां वैशिष्ट्ये तदात्मनः काव्यस्य विशिष्टत्वमिति युक्तं वक्तुम् अव्याप्तेः । एवं हि प्रतिनियतरसात्मन एव तस्य ध्वनिर्बन्धः स्यात्, नान्यस्थान्य-रसात्मनः, वैशिष्ट्याभावात् । इष्यते च तत्रापीत्यव्याप्तिलक्षणदोषः ।

दूसरा अभिनय अर्थात् अनुकरण के द्वारा साक्षात् भाव से विधि और निषेध का प्रदर्शनात्मक होता है । जैसा कि 'अनुभावविभावानां' इत्यादि के द्वारा कहा गया है । उसका अर्थ यह है कि अनुभाव और विभाव का वर्णन ही है काव्य और गीत आदि से अनुरञ्जित विभाव और अनुभाव का प्रयोग ही है नाट्य । फलितार्थ यह कि— वे राजपुत्र प्रभृति जो कि कोमलमति होते हैं, शास्त्रश्रवण आदि से विमुक्त होते हैं, सुखी होते हैं वे प्रथम के अर्थात् काव्य (श्रव्य) के अधिकारी होते हैं और जो अत्यन्त जडमति होते हैं काव्य के माध्यम से उपदेश योग्य नहीं होते हैं, या स्त्री-नृत्य-गीत आदि में अत्यन्त आसक्त होते हैं वे अभिनय के द्वारा उपदेश योग्य होते हैं । ये दोनों प्रकार के लोग अभिमत काव्य या नाट्य के द्वारा गुडजिह्विका न्याय से पहले रसास्वाद सुख पहुँचा कर उसी प्रकार अभिमुख कराये जाय, जैसे कड़वी दवा खिलाने या पिलाने हेतु मूँह में कुछ मीठा रोगी को दिया जाता है । ऐसा करके दोनों को सन्मार्ग पर लाना चाहिये । क्योंकि ऐसा न करने पर उक्त दोनों प्रकार के लोगों को उपदेश ग्रहण की ओर प्रवृत्त ही नहीं कराया जा सकता, बोध होने की बात तो दूर रहे । जो लोग

काव्य की रचना को सफल देखना चाहते हैं उन्हें उसके ग्रहणार्थ काव्य को रसात्मक मानना ही होगा। ध्वनि शब्द का प्रयोग तन्मात्र प्रयुक्त ही होता आया है और होता है। रसगत विशेषता के आधार पर भी काव्य में विशेषता नहीं बतलाई जा सकती, नहीं कही जा सकती। क्योंकि तब अव्याप्ति दोष होगा। यदि रसगत वैशिष्ट्य के कारण काव्य में विशिष्टता मानी जाय तो सुखास्वादात्मक रस को काव्य प्रतिनियत मानना होगा और तत्प्रयुक्त काव्य में ध्वनित्व हो पायेगा। किन्तु उक्त प्रकार रस तो व्यक्ति धर्म है काव्य धर्म नहीं। अन्य में अन्यगत धर्म के वैशिष्ट्य से वैशिष्ट्य सम्भव नहीं। क्योंकि अन्यगत वैशिष्ट्य अन्य में रहता नहीं जैसा कि माना जा रहा है अतः अव्याप्ति-दोष लक्षण में अनिवार्य होता है।

अत एव च न गुणालङ्कारसंस्कृतशब्दार्थमात्रशरीरं तावत् काव्यम्, तस्य यथोक्तव्यव्यङ्ग्यार्थोपनिबन्धे सति विशिष्टत्वमिति शक्यं वक्तुम्। तस्य रसात्मकभावे मुख्यवृत्त्या काव्यव्यपदेश एव न स्यात्, किमुत विशिष्टत्वम्।

इसीलिये गुण अलङ्कार आदि से संस्कृत शब्द अर्थमात्र है काव्य और उक्त प्रकार व्यङ्ग्य अर्थ के निबन्धन प्रयुक्त उसमें विशेषता होती है, यह भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि रसात्मकता न रहने पर मुख्यरूप से उसे काव्य ही नहीं कहा जा सकता, विशिष्ट काव्य कहने की बात क्या ?

न च रसात्मनः काव्यस्य वस्तुमात्रादिभिर्विशेषः शक्य आधातुम्, तेषां विभावादिरूपतया रसाभिव्यक्तिहेतुत्वोपगमात्। न च व्यञ्जकानां वैचित्र्ये व्यङ्ग्यस्य विशेषोऽभ्युपगन्तुं युक्तः शाबलेयादीनामिव गोत्वस्य।

रसात्मक काव्य में वस्तुमात्र-आदि-कृत विशेष आदृत हो सकता नहीं। क्योंकि वे वस्तुमात्र आदि, विभाव आदि रूप होने के कारण रसाभिव्यक्ति के हेतु रूप में स्वीकृत हैं। व्यञ्जकगत-वैचित्र्य-प्रयुक्त व्यङ्ग्य में वैचित्र्य माना जा सकता नहीं, जैसे गोगत-शबलता-आदि-प्रयुक्त गोत्व में कोई वैचित्र्य होता नहीं।

ततोऽस्य विशिष्टतोपगमे वा यत्र तयोरुभयोरेकैकस्य वा व्यङ्ग्यता तत्रैव ध्वनिव्यपदेशः स्यात् न केवलरसात्मनि काव्ये, वैशिष्ट्याभावात् । इष्यते चासौ तत्रापि । प्रहेलिकादौ च नीरसे स्यात् । तत्राप्युक्तक्रमेण वस्तुमात्रादेरभिव्यङ्ग्यत्वेनेष्टत्वाद् इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां काव्यत्वमात्रप्रयुक्तोऽसावित्यनुमीयते ।

व्यञ्जकगत - वैशिष्ट्य - प्रयुक्त व्यङ्ग्य में विशेषता मानने पर व्यञ्जकभूत वस्तु और अलङ्कार एतद्वय किम्बा एक-एक की जहाँ व्यङ्ग्यता होगी, वहाँ ही ध्वनित्व का व्यपदेशात्मक व्यवहार हो पायेगा केवल रसात्मक काव्य में नहीं । क्योंकि वहाँ वैशिष्ट्य रहेगा नहीं । किन्तु ध्वनित्व का व्यपदेश इष्ट वहाँ भी है । और वस्तु-आदि-मात्र-कृत ध्वनित्व का व्यपदेश मानने पर प्रहेलिका आदि नीरस में भी ध्वनित्व आपन्न हो उठेगा । क्योंकि उक्त प्रकार से वस्तुमात्र आदि की अभिव्यक्ति तो प्रहेलिका आदि स्थल में भी इष्ट है । इसलिये यह अनुमान किया जाता है कि अन्वय और व्यतिरेक के आधार पर ध्वनित्व का व्यवहार काव्यत्व-प्रयुक्त ही होता है अन्य प्रयुक्त नहीं ।

अतश्च समासोक्त्यादावप्यसावुपगन्तव्य एव, न प्रतिषेध्यः । प्रतीयमानस्य चार्थस्य द्वैविध्यमेव । तृतीयस्य रसादेः प्रकारस्योक्तनयेन काव्यत्वादेव सिद्धत्वादिति । न च तस्य तदङ्गभावो भणितुं युज्यते, अङ्गित्वेनेष्टत्वाद् इति काव्यत्वमेव ध्वनिव्यपदेशविषयोऽभ्युपगन्तुं युक्तो न तद्विशेषः ।

इसलिये समासोक्ति आदि स्थल में भी ध्वनित्व का व्यवहार इष्ट ही है, स्वीकर्तव्य ही है निषेध्य नहीं । प्रतीयमान अर्थ (१) वस्तु और (२) अलङ्कार ये दो ही हैं । रस आदि तृतीय प्रकार तो उक्त रीति से काव्यत्व रूप ही सिद्ध होता है । रस काव्य का अङ्ग नहीं माना जा सकता क्योंकि वह अङ्गी रूप से स्वीकृत है । अतः ध्वनित्व-व्यवहार का विषय समग्र काव्य ही मान्य है काव्यविशेष नहीं ।

किञ्च मुख्ये रसात्मनि काव्ये सम्भवति न तस्य गौणस्याश्रयणं युक्तं गौण-मुख्ययोर्मुख्ये सम्प्रत्यय इति नियमात् ।

यस्तु मेघदूतादौ काव्यविशेषव्यपदेशः सोऽभिधयार्थविशेषसमारोपकृतो न मुख्यः ।

इत्थञ्च काव्यस्य विशिष्टतानुपपत्तावितरत्तल्लक्षणविधायिमतातिरिक्तं न किञ्चिदनेनाभिहितं स्याद्, अन्यत्र ध्वनिव्यपदेशमात्रात् । न च तेनापि किञ्चित् । कथञ्चिद्वा तदुपपत्तौ तदवाच्यमेव । तस्य तत्पर्यवसायिनो लक्षणविशेषसम्बन्धादेव तदवगतेः । यथा योऽश्वमारूढः स पुरुषो राजेत्यत्र ।

अथ पुरुषस्याश्वविशिष्टस्यैव सतस्तल्लक्षणसम्बन्धो न तु तत एवास्य वैशिष्ट्यमिति, तथाप्यवाच्यं, काव्यत्वादेव तस्याप्यवगतत्वात् । तच्चोक्तमित्यवाच्य-वचनं दोषः ।

और यह कि सभी काव्य जब कि रसात्मक रूप में मुख्य ही हो सकते हैं तो काव्य को गौण अर्थात् गुणीभूत-व्यंग्य भी मानना उचित नहीं । गौण और मुख्य की सम्भावना के स्थल में मुख्य के ही आदर-का नियम है । मेघदूत आदि को जो विशिष्ट काव्य कहा जाता है सो वाच्य अर्थ में ही विशेषता का समारोप-मूलक ज्ञातव्य है । मुख्य रूप में उसे विशिष्ट अर्थात् विशेष युक्त नहीं कहा जाता है । ऐसी वस्तुस्थिति में केवल ध्वनि व्यवहार के अतिरिक्त ध्वनिलक्षण के द्वारा और कुछ नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि काव्य में किसी प्रकार की विशेषता अनुपपन्न हो चुकी है । फलतः कथित ध्वनिलक्षण ध्वनिवादियों की मान्यता के अतिरिक्त और कुछ नहीं कह सकता । अभिप्राय यह कि केवल इस सूचना से, कि ध्वनिवादी ऐसा मानते हैं कोई लाभ नहीं, और यदि कुछ लाभ सम्भव हो तो उसके उपपादन की आवश्यकता नहीं क्योंकि लक्ष्य का लक्षणानुरूप पर्यवसित होना, लक्षण-समन्वय से ही अवगत हो जाता है । यथा, "वह अश्वारूढ़ व्यक्ति राजा है" इत्यादि वाक्य प्रयोगस्थल में । यदि यह कहा जाय कि व्यक्ति अश्वारूढ़ता के कारण ही राजा समझा जाता, है वहाँ व्यक्ति में कोई वैशिष्ट्य होता नहीं ? फिर भी कहने का कोई प्रयोजन नहीं क्योंकि प्रकृत में काव्यत्व प्रयुक्त ही ध्वनित्व अवगत हो जाता है । काव्यत्व अन्य लक्षणवाक्य से ही उक्त है, अतः अवाच्य वचन अर्थात् अकथनीय कथन भी एक दोष है ।

किञ्च 'सूरिभिः कथित' इति कथन-क्रियाकर्तृनिर्देशः पक्षद्वयेऽप्यवाच्य एव । कर्तृमात्रविवक्षायां क्रियायाः कर्त्रव्यभिचारात् कर्तृविशेषविवक्षायामनन्तरोक्तक्रमेण व्यापारविशेषसम्बन्धादेव तद्विशेषावगति-सिद्धेरित्यवाच्यवचनं दोषः ।

और यह भी कि "सूरिभिः कथितः" यहाँ "सूरिभिः" इस रूप में कथन-क्रिया के कर्ता का निर्देश दोनों ही पक्षों में कर्तव्य नहीं । क्योंकि यहाँ यदि स्वभावतः कर्तामात्र की विवक्षा मानी जाय, तो वह तो कोई भी क्रिया, कर्ता के बिना सम्भव नहीं, इसीसे लब्ध हो जाता है और यदि किसी विशेष कर्ता की विवक्षा मानी जाय तो कर्तृगत व्यापार-विशेष के सम्बन्ध से ही अनन्तरोक्त क्रम से वह सिद्ध होने के कारण "अवाच्यवचन" अर्थात् अवक्तव्य-कथन दोष आपन्न होता है ।

अर्थस्य^१ विशिष्टत्वं शब्दः^२ सविशेषणस्तदः^३ पुंस्त्वम्^४ ।

द्विवचन^५ वा शब्दौ^६ च व्यक्तिध्यनिनाम्^७, काव्यवैशिष्ट्यम्^८ ॥

वचनञ्च^९ कथनकर्तुः^{१०} कंथिता ध्वनिलक्षणीति दश दोषाः ।

ये त्वन्ये तस्मैदप्रमेदलक्षणगता न ते गणिताः ॥

(१) अर्थ का उपसर्जनीकृतत्व (२) उपसर्जनीकृतार्थ शब्द का उल्लेख (३) शब्द शब्द का उल्लेख (४) लक्षण वाक्य में "तम्" यह तत् शब्द पुल्लिङ्गनिर्देश (५) "व्यङ्गतः" इस प्रकार द्विवचन का लक्षण-वाक्य में प्रयोग (६) वा शब्द का प्रयोग (७) व्यक्ति की ध्वनि संज्ञा (८) काव्यगत विशेषता (९) लक्षण वाक्य में अवाच्य वचन और (१०) कर्ता का उल्लेख ये दश दोष ध्वनिकारोक्त-लक्षण में प्राप्त हैं यहाँ उन दोषों की गणना नहीं की गई है, जो ध्वनि के प्रभेद और उनके प्रभेदों के लक्षणगत हैं ।

तदेवं लक्षणदोषदुष्टपदव्युदासेन परिशुद्धो ध्वनिलक्षणवाक्यस्यायमर्थोऽवतिष्ठते—

वाच्यस्तदनुमितो वा यत्रार्थोऽर्थान्तरं प्रकाशयति ।

सम्बन्धतः कुतश्चित् सा काव्यानुमितिरित्युक्ता ॥ इति ।

एतच्चानुमानस्यैव लक्षणं नान्यस्य । यदुक्तं, त्रिरूपलिङ्गाख्यानं परार्थानुमान-मिति केवलं संज्ञाभेदः ।

तो इस प्रकार प्राप्त होनेवाले लक्षणगत दोषप्रद अतएव दुष्ट होनेवाले पदों को उक्त लक्षणवाक्य से निकाल देने पर ध्वनिलक्षणवाक्य का पर्यवसित अर्थ यह रह जाता है कि वाच्य अर्थ या उसके द्वारा अनुमित होनेवाली कोई भी वस्तु जिस स्थल में अर्थान्तर का प्रकाशन करता है अव्यभिचरित सम्बन्ध के आधार पर वह काव्यानुमिति कहलाती है । यह लक्षण तो अनुमान का ही है और किसी का नहीं । जैसा कि कहा गया है— त्रिरूप अर्थात् (१) पक्षसत्त्व (२) सपक्षसत्त्व तथा (३) विपक्षसत्त्व इन तीन रूपों से युक्त लिङ्ग का आख्यान अर्थात् स्थापक वचन कहलाता है अनुमान । तब तो केवल नामभेद ही पर्यवसित होता है ।

काव्यस्यात्मनि संज्ञिनि रसादिरूपे न कस्यचिद्विमतिः ।

संज्ञायां सा,

यतः—

केवलमेषापि व्यक्त्ययोगतोऽस्य कुतः ॥

ध्वनि नाम से पुकारने योग्य काव्यात्मा रस और उसके स्वरूप के सम्बन्ध में तो किसी को वैमत्य नहीं है । नाम में मतभेद है । वह वैमत्य भी केवल अनुमिति की अमान्यतामात्र प्रयुक्त है नहीं तो और क्यों ?

शब्दस्यैकमिधा शक्तिरर्थस्यैकैव लिङ्गता ।

न व्यञ्जकत्वमनयोः समस्तीत्युपपादितम् ॥

शब्दगत शक्ति केवल एक अभिधामात्र है और अर्थगत वह लिङ्गता अर्थात् अनुमापकता ही है । शब्द या अर्थ में व्यञ्जकत्व नहीं है इसका उपपादन किया जा चुका है ।

उक्तं वृथैव शब्दस्योपादानं लक्षणे ध्वनेः ।

नहि तच्छक्तिमूलेष्टा काचिदर्थान्तरे गतिः ॥

यहाँ कहा जा चुका है कि ध्वनिलक्षण में शब्द का उपादान व्यर्थ है : क्योंकि शब्द-शक्तिमूलक अर्थान्तर का व्यञ्जन मान्य इष्ट नहीं ।

न चोपसर्जनत्वेन तयोर्युक्तं विशेषणम् ।

यतः काव्ये गुणीभूतव्यङ्ग्येऽपीऽष्टैव चारुता ॥

शब्द और अर्थ को उपसर्जनत्व अर्थात् गौणीकृतत्व-विशेषण से विशेषित करना उचित नहीं । क्योंकि गुणीभूत-व्यङ्ग्य काव्य में भी वही चारुता मान्य है जो ध्वनिकाव्य में मानी जाती है ।

अत एव विशेषस्योपादानमपि नार्थवत् ।

संज्ञासम्बन्धमात्रैकफलं तदिति गम्यते ॥

इसीलिये ध्वनिलक्षणवाक्य में “विशेष” पद का उपादान भी सार्थक नहीं ठहराया जा सकता । उक्त प्रकार से ध्वनिलक्षणप्रणयन का फल एक ध्वनि नाम का प्रचारगात्र ही कहा जा सकता है और कुछ नहीं ।

तदा चातिप्रसङ्गः स्यात् संज्ञायां यस्य कस्यचित् ।

यद्वाक्यवर्तिनोऽन्यस्य विशेषस्य तदासितः ॥

तब तो वाक्यवर्ती किसी अन्य विशेष की प्राप्ति के कारण, किसी की जो कुछ भी संज्ञा आपन्न हो उठेगी, जिसके फलस्वरूप अतिप्रसङ्ग हो उठेगा ।

तस्मात् स्फुटतया यत्र प्राधान्येनान्ययापि वा ।

वाच्यशक्त्यानुमेयोऽर्थो भाति तत् काव्यमुच्यते ॥

इसलिये जहाँ वाक्य-शक्ति के द्वारा अनुमित होनेवाला कोई भी अर्थ स्फुट रूप से प्रधान या अप्रधान रूप में भी ज्ञात होता है वह काव्य कहलाता है, यह मानना उचित है ।

वाच्यप्रत्येययोर्नास्ति व्यङ्ग्यव्यङ्ग्यकृताऽर्थयोः ।

तयोः प्रदोषघटवत् साहित्येनाप्रकाशनात् ॥

वाच्य और प्रतीयमान अर्थों के बीच व्यंग्य-व्यञ्जक-भाव नहीं है । क्योंकि उन दोनों का प्रकाश्य-प्रकाशक-भाव प्रदीप और घट के समा-सह-प्रकाश्य-प्रकाशकभाव नहीं पाया जाता है ।

पक्षधर्मत्वसम्बन्धव्याप्तिसिद्धिव्यपेक्षणात् ।

वृक्षत्वाभ्रत्वयोर्यद्वद् यद्वच्चानलधूमयोः ॥

अनुमानत्वमेवात्र युक्तं तल्लक्षणान्वयात् ।

असत्श्चेन्द्रचापादेः का व्यक्तिः कृतिरेव सा ॥

पक्षधर्मता और सम्बन्धात्मक व्याप्ति का ज्ञान, इनकी अपेक्षा के कारण वृक्षत्व और आभ्रत्व तथा धूम और अग्नि के समान अनुमानत्व ही प्रकृत में मान्य है; क्योंकि अनुमान का लक्षण समन्वित हो रहा है। असत् इन्द्रधनुष आदि का व्यञ्जन क्या हो सकता है ? वहाँ तो वह उसका उत्पन्न होना ही है व्यञ्जना ।

कार्यत्वं ह्यसतोऽपीष्टं हेतुत्वं तु निरुध्यते ।

सर्वसामर्थ्यविगमाद् गगनेन्दीवरादिवत् ॥

कार्यता असत् में भी मान्य है केवल हेतुता उसमें निरुद्ध है। क्योंकि आकाश-कमल आदि के समान उसमें किसी प्रकार का सामर्थ्य नहीं।

शब्दप्रयोगः प्रायेण परार्थमुपयुज्यते ।

नहि तेन विना शक्यो व्यवहारयितुं परः ॥

शब्द का प्रयोग प्रायः और के लिये ही उपयुक्त होता पाया जाता है। शब्द-प्रयोग के बिना किसी और को व्यवहारशील नहीं बनाया जा सकता।

न च युक्तिनिराशंसात् ततः कश्चित् प्रवर्तते ।

निवर्तते वेत्यस्येष्टा साध्यसाधनगर्भता ॥

युक्तिरहित-वाक्य प्रयोग से किसी को प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता। उसे सुनकर कोई प्रवृत्त होता हुआ पाया जाता नहीं। इसी प्रकार उससे निवृत्ति भी किसी की होती पाई जाती नहीं। इसलिये प्रवर्त्तक एवं निवर्त्तक वाक्य को साध्यसाधन-भावगर्भ मानना ही होगा।

ते प्रत्येकं द्विधा ज्ञेये शाब्दत्वार्थत्वमेदतः ।

यदार्थवाक्यार्थतया ते अपि द्विविधे मते ॥

(१) शाब्द और (२) आर्थ के रूप में साध्यसाधन भाव दो प्रकार के हैं और वे भी फिर (१) पदार्थगत और (३) वाक्यार्थगत रूप में दो प्रकार के मान्य हैं ।

तत्र साध्यो वस्तुमात्रमलङ्कारा रसादयः ।

इति त्रिधैव तत्राद्यौ पदं शब्दानुमानयोः ॥

काव्यस्थलीय अनुमान में (१) वस्तुमात्र (२) अलङ्कार और (३) रसरसाभास आदि ये तीन होते हैं साध्य । इन तीनों के अन्दर शब्द और अनुमान दोनों के विषय (१) वस्तु और (२) अलङ्कार ये दो ही होते हैं ।

अन्त्योऽनुमेयो भक्त्यानु तस्यव्यङ्ग्यत्वमुच्यते ।

भक्तेः प्रयोजनांशो यश्चमत्कारित्वलक्षणः ॥

अन्तिम अर्थात् तृतीय रस आदि तो नियमतः अनुमेय ही होते हैं । उन्हें व्यंग्य औपचारिक अर्थात् गौण रूप में ही कहा जाता है । इस प्रकार भाक्त-व्यवहार का प्रयोजन चमत्कारित्व है ।

स तत्रास्तीति सोऽप्यस्य विभावाद्येकहेतुकः ।

अत एव न लोकेऽपि चमत्कारः प्रसज्यते ॥

वह चमत्कारित्व वहाँ होता है और वह भी विभाव अनुभाव आदि हेतुक ही होता है अन्य हेतुक नहीं । इसीलिये लोक में भी काव्यस्थलीय चमत्कार आपन्न होता नहीं ।

तत्र हेत्वादयः सन्ति न विभावादयो यतः ।

न चैकार्थत्वमाशङ्क्य मेषां लक्षणमेदतः ॥

लोक में हेतु आदि होते हैं विभाव आदि नहीं । कारण और विभाव कार्य और अनुभाव, सहकारी और व्यभिचारी-भाव एक ही होते हैं। ऐसी शङ्का नहीं की जा सकती । क्योंकि कारण आदि और विभाव आदि के लक्षण अर्थात् स्वरूप भिन्न हैं ।

स्वभावश्चायमर्थानां यन्नसाक्षादमी तथा ।

स्वदन्ते सत्कविगिरां गता गोचरतां यथा ॥

यह पदार्थगत स्वभाव है कि साक्षात् उपयोग में लाने पर वे उस प्रकार आस्वाद नहीं देते हैं, जिस प्रकार वे ही कवि के द्वारा वर्णित होकर आस्वाद देते हैं ।

यत् पुनरस्यानेकशक्तिसमाश्रयत्वाद् व्यापारान्तरपरिकल्पनं तदर्थस्यैवोपपद्यते न शब्दस्य, तस्थानेकशक्तिसमाश्रयत्वाऽसिद्धेः । तथाहि— एकाश्रयाः शक्तयोऽन्योन्यान्पेक्षप्रवृत्तयोऽनादृतपौर्वापर्यनियमा युगपदेव स्वकार्यकारिण्यो दृष्टा, यथा दाहकत्वप्रकाशकत्वदयोऽग्नेः । नच शब्दाश्रयाः शक्तयस्तथा दृश्यन्ते, अभ्युपगम्यन्ते वा, नियोगतोऽभिधाशक्तिपूर्वकत्वेनेतरशक्तिप्रवृत्तिदर्शनात् । तस्माद्भिन्नाश्रया एव ता न शब्दैकसमाश्रया इत्यवसेयम् ।

वाग्-व्यवहार सर्वत्र एकमात्र-शक्ति-समाश्रित नहीं होता है अतः अभिधा के अतिरिक्त भी शब्दों में शक्ति कल्पनीय है, यह जो कहा जाता है, सो तब वह कल्पित शक्ति, अर्थगत ही सम्भव है शब्दगत नहीं । क्योंकि एकाश्रित अनेक शक्तियाँ परस्पर की अपेक्षा न रखते हुए एकसाथ हीं विभिन्न कार्यकारी पाई जाती हैं । यथा एक अग्निगत दाहन-शक्ति, पाचन-शक्ति और प्रकाशनाशक्ति, ये शक्तियाँ । किन्तु शब्दाश्रित ऐसी अनेक शक्तियाँ न तो देखी जा रही हैं और न मानी जा रही हैं । क्योंकि नियमित रूप में अन्य शक्तियाँ अभिधा-शक्ति-प्रवृत्तिपूर्वक ही प्रवृत्तिशील मानी जा रही हैं । इसलिये ये विभिन्न शक्तियाँ विभिन्नाश्रित ही मान्य हो सकती हैं एकमात्र शब्दाश्रित नहीं ।

यश्चासावाश्रयो भिन्नः, सोऽर्थ एवेति तद्व्यापारस्यानुमानान्तर्भावोऽभ्युपगन्तव्य एव । तथा हि । गौर्वाहीक इत्यादौ तावद्गवादयोऽर्था बाधितवाही-काद्यर्थान्तरैकाल्यास्ताद्रूप्यविधानान्यथानुपपत्त्या केनचिदंशेन तत्र तत्त्वमनुमापयन्ति न सर्वात्मना ।

मान्य अन्य शक्ति का वह अन्य आश्रय शब्द नहीं अर्थ ही है । इसलिए उस अर्थगत मान्य व्यापार को अनुमान में ही अन्तर्भाव स्वीकर्तव्य

है। यथा “गौर्वाहीकः” अर्थात् “यह भारवाहक पशु है” ऐसे वाक्य के प्रयोग स्थल में गो-पशु आदि शब्द वहाँ वाधितार्थक होने के कारण अवाधित-अर्थक वाहीक भारवाहक आदि शब्द के अर्थके साथ अपने अर्थ को एकात्मतापन्न रूपमें उपस्थित करते हैं। वह एकात्मता पूर्ण रूपमें अनुपपन्न होने के कारण अंशतः एकात्मता का अनुमान कराती है, सर्वात्मना एकात्मता का नहीं।

न ह्यनुन्मत्तः कश्चित् क्वचित् किञ्चित् कथंचित् साधर्म्यमनुपश्यन्नेवाकस्मात् तत्त्वमारोपयतीति परिशीलितवक्तृस्वरूपः प्रतिपत्ता तत्त्वारोपनिमित्तं सादृश्यमात्रमेव प्रतिपत्तुमर्हति न तत्त्वम्।

कोई भी अनुन्मत्त व्यक्ति किसीमें किसी का किसी प्रकार सादृश्य विलकुल न देखते हुए अकस्मात् अन्यमें तदन्यता का आरोप नहीं करता है। अतः वक्ता के स्वरूप को अच्छी तरह जानने वाला श्रोता वक्ता के द्वारा किए गये अन्यमें तदन्यता के आरोपमूलक वाक्य-प्रयोगस्थल में सादृश्य को ही उस आरोपका कारण समझता है इसलिए उसमें वाक्य-प्रयोगानुरूप वास्तविक तत्ताही नहीं समझता है। जैसे भारवाहक व्यक्ति को विलकुल पशु ही नहीं समझता है।

तद्वि वाच्यतयोपक्रम एव भासते, न प्रतीतिपर्यवसानास्पदं भवितुमर्हति तस्य बाधोपपत्तेः।

वह वाच्य रूपसे प्रारम्भ में ही ज्ञात होता है इसलिए वह प्रीति के पर्यवसान का स्थान नहीं बन सकता है। क्योंकि उसका बोध पहले ही उपपन्न हुआ रहेगा।

तस्य चैवंविधस्योपक्रमस्य निमित्तं साधर्म्यमात्रप्रतिपादनम्। प्रयोजनञ्च लाघवेन वाहीकादौ गवादिगतजाड्यादिधर्मप्रतिपादनं यस्मादतिदेशप्रकारो-यमर्थान्तरे शब्दविनिवेशो नाम। यदुक्तम्—

इस प्रकार के उस उपक्रम का निमित्त साधर्म्यमात्र का प्रतिपान

होता है । उसका प्रयोजन होता है सरलतया भारवाही आदिमें जड़ता आधि धर्मका प्रतिपादन । क्योंकि अन्य अर्थमें अन्य शब्दका प्रयोग भी अतिदेश का एक अन्य प्रकार है ।

जातिशब्दोऽन्तरेणापि जातिं यत्र प्रयुज्यते ।

सम्बन्धिसदृशाद्धर्मात् तं गौणमपरे विदुः ॥

जहाँ जाति के सम्बन्ध के बिना भी उस जाति के वाचक शब्द का प्रयोग, दोनों में होनेवाले किसी सदृश धर्म के आधार पर किया जाता है, उसे कुछ अन्य लोग गौण कहते हैं ।

एवं कृशाङ्ग्याः सन्तापं वदति विसिनीपत्रशयनम् इत्यादाववगन्तव्यम् । अविनाभाववाचसायपूर्विका ह्यन्यतोऽन्यस्य प्रतीतिरनुमानमित्यनुमानलक्षण मुक्तम् तच्चात्रोपलभ्यत एव ।

इसी प्रकार ‘कृशाङ्ग्याः सन्तापं वदति विसिनीपत्रशयनम्’ इत्यादि स्थल में भी समझना चाहिये । अविनाभाव-ज्ञानपूर्वक अन्य से होनेवाली अन्य की प्रतीति है अनुमान, यह अनुमान का लक्षण कहा गया है । वह वहाँ उपलब्ध होता ही है ।

तथा हि वदतीत्यादौ वदनादेरर्थान्तरस्य प्रकाशादेः प्रतीतिः । तयोश्चाविनाभावः कार्यकारणभावकृतः प्रकाशनस्य वदनकार्यत्वप्रसिद्धेः । न च वदतेः । प्रकाशो वाच्य इति शक्यं वक्तुं तस्य तत्रासमितत्वात् प्रकाशस्य चातत्त्वात् । न चायं स्वार्थमेव प्रतिपादयति, तस्य बाधोपपत्तेः ।

यथा— “वदति” इत्यादि उक्ति से कथनात्मक वदन से अतिरिक्त प्रकाश आदि अर्थ की प्रतीति होती है । उन दोनों के बीच अविनाभाव कार्यकारणभाव-मूलक ही होता है । क्योंकि प्रकाशन में वदन-कार्यता प्रसिद्ध है । वद् धातु का प्रकाशन वाच्यार्थ है यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रकाश अर्थ में वद धातु का सङ्केत गृहीत नहीं है । प्रकाश वदन है नहीं । वदति यह शब्द स्वार्थ का ही प्रतिपादन करता है, यह नहीं कहा जा सकता । क्योंकि वह बाधित है ।

अथोपचारत उपादानान्यथानुपपत्त्या वदनक्रियायाः सदृशे प्रकाशनाख्ये क्रियान्तरे वर्त्ततेऽयं वदतिरित्युच्यते, तर्ह्यन्यथानुपपत्त्या वदनादेः प्रकाशादिः प्रतीयमानोऽनुमेय एव भवितुमर्हति, अर्थापत्तेरनुमानान्तर्भावाभ्युपगमादित्युक्तम् ।

यदि यह कहा जाय कि औपचारिक प्रयोग की अन्यथा-अनुपपत्तिवश यह "वदति" शब्द, वदन-क्रिया-सदृश प्रकाशनात्मक क्रियान्तर अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो अन्यथानुपपत्तिवश वदन आदि से प्रतीयमान प्रकाश आदि, अनुमेय ही हो सकता है । अर्थापत्ति का अनुमान में ही अन्तर्भाव है ।

तस्माद्योऽयं वाहीकादौ गवादिसाधर्म्यावगमः स तत्त्वारोपान्यथानुपपत्तिपरिकल्पितोऽनुमानस्यैव विषयः । न शब्दव्यापारस्येति स्थितम् ।

गोस्वारोपेण वाहीके तत्साम्यमनुमीयते ।

को ह्यतस्मिन्नतत्तुल्ये तत्त्वं व्यपदिशेद्बुधः ॥

इसलिये भारवाही आदि व्यक्ति में जो गोपशु आदि के साधर्म्य का ज्ञान होता है वह गोत्व आदि के आरोप की अन्यथा-अनुपपत्ति से होता है, अतः अनुमान का ही विषय होता है, शब्द व्यापार का विषय होता नहीं, यह स्थिर है । फलितार्थ यह कि गोत्व के आरोप से वाहीक में गोसाम्य का अनुमान होता है । जो वह भी नहीं और उसके समान भी नहीं, उसे कौन बुद्धिमान व्यक्ति "वह" कहेगा ?

गङ्गायां घोष इत्यादावपि गङ्गादयोऽर्थाः स्वात्मन्यनुपपत्तियाधितघोषाधधिकरणभावास्तदुपादानसामर्थ्यात् सम्बन्धमात्रपरिकल्पिततत्त्ववारोपं तदधिकरणभावोपशमयोग्यमर्थान्तरमेव तटादिरूपमनुमापयन्ति ।

"गङ्गायां घोषः" अर्थात् गङ्गा में अहीरों की बस्ती है इत्यादि वाक्य प्रयोगस्थल में भी गङ्गा आदि, जिनमें बस्ती का होना वाधित होता है वे बस्ती के आधार कहे जाने के कारण ऐसे तट आदि का अनुमान कराते हैं जिनमें सामीप्य आदि किसी सम्बन्ध के कारण गङ्गात्व का आरोप होता है और बस्ती आदि के आधार भी होते हैं ।

न हि तत्सादृश्यमेवैकं तत्त्वारोपनिबन्धनमिष्यते, किन्तुहि, तत्सम्बन्धादिरपि, इति तत्सम्बन्धमात्रसमारोपिततद्भावस्तदादिरेव घोषाद्यधिकरणभावोपादानान्यथानुपपत्त्या गङ्गादीनामर्थानामनुमेय एव भवितुमर्हति ।

ऐसा नहीं है कि केवल सादृश्य-सम्बन्ध ही अतत् में अर्थात् तन्मिमांसा में तत्त्व को आरोप करा सकता है किन्तु अन्य-सम्बन्ध भी । इसलिये गङ्गा आदि के सामीप्य आदि सम्बन्ध-प्रयुक्त तट आदि ही आरोपित-गङ्गात्वयुक्त रूप में इसलिये घोष आदि के आधाररूप से अनुमेय ही होता है कि अन्यथा कथित घोषाधारता उपपन्न हो पाती नहीं ।

शब्दः पुनः स्वार्थाभिधानमात्रव्यापारपर्यवसितसामर्थ्यो नार्थान्तरस्य तटादेर्वार्तामपि वेदितुमुत्सहते, किं पुनः संस्पर्शमित्युक्तम् । प्रयोजनं पुनरस्यैवं विधस्योक्ति-वैचित्र्यपरिग्रहस्य तटादावारोपविषये वस्तुनि आरोप्यमाणगङ्गादिगतपुण्यत्व-शीतलत्वादिधर्मप्रतिपत्तिः, न सादृश्यमिति पूर्वस्मादस्यविशेषः । उभयत्रापि च तत्त्वारोप एव हेतुः । स हि तत्साम्यतत्सम्बन्धादिनिबन्धनत्वाद्वहुविध इष्टः । यदाहुः—

अभिधेयेन सम्बन्धात् सादृश्यात्समवायतः ।

वैपरोत्यात् क्रियायोगात्लक्षणा पञ्चधा मता ॥ इति ।

गङ्गा आदि शब्द, जिनका सामर्थ्य जलप्रवाह आदि अपने वाच्य अर्थ को समझाने में ही सीमित होता है, तट आदि, अर्थान्तर की वार्ता भी नहीं जान सकते, अर्थात् उसे समझाने की क्षमता बिलकुल नहीं रखते फिर उसे कैसे छू सकते, अर्थात् समझा सकते ? इस प्रकार विचित्र उक्ति के स्वीकार का प्रयोजन यह होता है कि आरोप के आधार-भूत तट आदि में आरोपित होनेवाले गङ्गात्व के साथ गङ्गा में विद्यमान पवित्रता, शीतलता आदि धर्म की प्रतिपत्ति हो, उनकी प्रतीति हो पाये, केवल सादृश्य की ही प्रतीति नहीं, यह पूर्ववर्त्ती से इसकी विशेषता है । कारण दोनों जगह तत्त्व का अर्थात् तट आदि में गङ्गात्व आदि का आरोप ही होता है । वह हेतुभूत आरोप सादृश्य तथा अन्य सामीप्य आदि सम्बन्ध-प्रयुक्त होने के कारण बहुत प्रकार का होता है जैसा 'अभिधेयेन सम्बन्धात्

इत्यादि के द्वारा कहा है। उसका अर्थ यह है कि (१) अभिधेय के साथ सम्बन्धप्रयुक्त (२) उसके साथ सादृश्यप्रयुक्त, (३) उसके साथ समवायप्रयुक्त (४) उसके वैपरीत्यप्रयुक्त और (५) तत्कार्य कारिताप्रयुक्त इस प्रकार लक्षणा पाच है।

तस्य च तैरविनाभावनियमो लोकोक्त-एवावसित इति न तत्र प्रमाणान्तरा-
पेक्षाप्रयासः। लोको हि तत्सदृशमर्थं तत्सम्बद्धं च तत्त्वेन व्यवहरन् दृश्यते,
तद्यथा दीर्घग्रीवं विकटकायं च कञ्चित् पश्यन् करभ इति व्यपदिशति, मञ्च-
सम्बन्धांश्च कांश्चित् क्रोशतो मञ्चाः क्रोशन्तीति।

हेतु का साध्यों से अविनाभाव सम्बन्ध लोक से ही निर्णीत होता है इसलिये तदर्थ प्रमाणान्तर के अन्वेषण का प्रयास अपेक्षित नहीं। जनता किसी के सदृश और उससे सम्बद्ध वस्तु को “वह” कहती पाई ही जाती है। जैसे, किसी दीर्घग्रीव विकटकाय मानव को देखकर लोग उसे ‘ऊँट’ कह दिया करते हैं। मञ्च पर होनेवाले व्यक्ति को अभिप्राय करके “मञ्च रो रहा है” ऐसा लोग कहते ही हैं।

किञ्चोपचारवृत्तौ शब्दस्य माभूदतिप्रसङ्ग इत्यवश्यं किमपि निमित्तमनुसर्तव्यम्। अन्यथान्यत्रप्रसिद्धसम्बन्धः कथमसमितमेवार्थान्तरं प्रत्याययेत्। यच्च तन्निमित्तं तदेवास्माभिरिह लिङ्गमित्याख्यातम्। युक्तञ्चैतत्। शब्दस्य तत्र व्यापाराभावात्। व्यापाराभावश्च सम्बन्धाभावात्। लिङ्गाच्च लिङ्गिनः प्रतीतिरनुमानमेवेति न गुणवृत्तावर्थान्तरप्रतीतिः शब्दाति तस्यावाचकाश्रयत्वमसिद्धमेव।

और यह भी कि शब्द की उपचारवृत्त अर्थात् लक्षणा अतिप्रसक्त न हो पड़े इसलिये कुछ उसका निमित्त मानना ही होगा। नहीं तो अन्यार्थक रूप में प्रसिद्ध शब्द बिल्कुल असङ्केतित अर्थान्तर को कैसे समझा पायेगा। जिसे और लोग निमित्त कहेंगे वही यहाँ हम लोगों के द्वारा लिङ्ग नाम से पुकारा जा रहा है। यह उचित भी इसलिये है कि अन्यार्थक शब्द का स्वार्थ के अतिरिक्त किसी में व्यापार नहीं। व्यापार इसलिये नहीं कि तदनुरूप सम्बन्ध नहीं। लिङ्ग से लिङ्गी की

प्रतीति अनुमान ही होती है। अतः अर्थान्तर की प्रतीति के आधार पर शब्द नहीं मान्य है और वह प्रतीति अभिधा के अधीन होती नहीं यह प्रसिद्ध ही है।

यः स तत्त्वसमारोपस्तत्सम्बन्धनिबन्धनः ।

मुख्यार्थवाचे सोऽप्यर्थ सम्बन्धमनुमापयेत् ॥

तत्त्व का जो आरोप अन्य में होता है सो आरोप्य के साथ सम्बन्ध-प्रयुक्त होता है। मुख्य अर्थ के वाधस्थल में वह आरोप अर्थाश्रित सम्बन्ध का ही अनुमान कराता है।

तत्साम्यतत्सम्बन्धौ हि तत्त्वारोपैककारणम् ।

गुणवृत्तेर्द्विरूपायास्तत्प्रतीतिरतोऽनुमा ॥

अतत् में तत्त्व के आरोप्य का एकमात्र कारण या तो सादृश्य होता है या उक्त के साथ सम्बन्ध। इसलिये उक्त द्विविधगुणवृत्ति से उत्पन्न कही जानेवाली प्रतीति वस्तुतः अनुमिति ही होती है शब्द नहीं।

किञ्च—

मुख्यवृत्तिपरित्यागो न शब्दस्योपपद्यते ।

विहितोऽर्थान्तरे ह्यर्थः स्वसाम्यमनुमापयेत् ॥

और यह कि शब्द अपनी मुख्यवृत्ति का परित्याग करता है यह युक्ति-युक्त नहीं। कथित अर्थ अर्थान्तर में अपनी समता का अनुमान कराता है।

तुल्यादिषु हि लोकोऽर्थेष्वर्थं तद्दर्शनस्मृतम् ।

आरोप्येन शब्दस्तु स्वार्थमात्रानुयायिनम् ॥

लोग सदृश आदि में ही उसे देखकर स्मृत वस्तु का आरोप करते पाये जाते हैं। शब्द स्वार्थसम्बद्ध अर्थ को (गौणवृत्ति से) समझाता है ऐसा नहीं।

इत्थमर्थान्तरे शब्दवृत्तेरनुपपत्तिः ।

फले लिङ्गैकगम्ये स्यात् कुतः शब्दः स्वच्छद्वातिः ॥

इस प्रकार अर्थान्तर में शब्द की वृत्ति ही अनुपपन्न होने के कारण लिङ्गमात्र से ज्ञात होनेवाले अर्थ को शब्द रुक कर (गौणवृत्ति से) समझाता है यह कैसे कहा जा सकता है ?

व्यापारोऽर्थे ध्वनेः साक्षान्मुख्या वृत्तिरुदाहृता ।

अर्थारोपानुगस्त्वेष गौणी तद्व्यवधानतः ॥

अपने अर्थ में होनेवाला शब्द का साक्षात् व्यापार मुख्यवृत्ति कहलाता है और व्यापार अर्थारोप का अनुगामी होने पर व्यवधानप्रयुक्त गौणीवृत्ति कहलाता है ।

आशुभावादनालक्ष्यं किन्त्वर्थारोपमन्तरा ।

लोको गौश्चैत्र इत्यादौ शब्दारोपमवस्यति ॥

लोग "गौश्चैत्रः" चैत्र पशु है इत्यादि वाक्प्रयोगस्थल में शीघ्रता के कारण लक्षित न होनेवाले अर्थारोप के बिना शब्दारोप समझ लेते हैं ।

प्रधानेतरभावेनावस्थानादर्थशब्दयोः ।

समशीर्षिकयारोपो न तयोरुपपद्यते ॥

अर्थ और शब्द प्रधान और अप्रधानभाव से अवस्थित होते हैं अर्थ है प्रधान और शब्द अप्रधान । ऐसी पश्चिस्थिति में समानरूप से दोनों का आरोप उचित नहीं ठहराया जा सकता ।

आरोपविषये यत्र विशेषः संप्रतीयते ।

अर्थादारोपितात् तत्र गुणवृत्तिरुदाहृता ॥

आरोप के अविष्टान में जहाँ आरोपित होनेवाले अर्थ के विशेषता प्रतीत होती है वहाँ गुणवृत्ति कही जाती है ।

गुणवृत्तौ गिरां या तु सामग्रीष्टा निबन्धनम् ।

सैव लिङ्गतयास्माभिरिष्टा तेऽर्थान्तरं प्रति ॥

शब्दगत गौणीवृत्ति की मान्यतापक्ष में निष्पादक रूप में जो सामग्री इष्ट अर्थात् स्वीकरणीय है, हमलोग अर्थान्तर की प्राप्ति के लिये उसे ही लिङ्ग मानते हैं ।

नहि तत् समयाभावाद्वाच्यं शब्दस्य कल्प्यते ।

प्रतीयमानतायां च व्यक्ताऽस्यामनुमेयता ॥

बहु प्रतीयमान अर्थान्तर सङ्केत के अभावप्रयुक्त शब्द का वाच्य नहीं माना जा सकता । उसे प्रतीयमान मान लेनेपर उसकी अनुमेयता स्पष्ट है ।

तस्मात् स्वार्थातिरेकेण गतिर्नार्थान्तरे गिराम् ।

वाचकत्वाश्रयेणातो गुणवृत्तेरसम्भवः ॥

इसलिये वाचकता के आधार पर वाच्य अर्थ के अतिरिक्त शब्द का और अर्थ नहीं हो सकता । अतः गुणवृत्ति की मान्यता सम्भव नहीं ।

ततश्च—

भक्त्या विभर्ति चैकत्वं रूपामेदादयं ध्वनिः ।

न च नाव्याप्त्यतिव्याप्त्योरभावाल्लक्ष्यते तथा ॥

स्वरूपगत भेद न होने के कारण ध्वनि अर्थात् व्यञ्जना, भक्ति से अर्थात् लक्षणा से भिन्न नहीं । अतः अव्याप्ति और अतिव्याप्ति के अभावप्रयुक्त यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतीयमान अर्थान्तर लक्ष्य नहीं हो सकता ।

सुवर्णपुष्पमित्यादौ न चाव्याप्तिः प्रसज्यते ।

यतः पदार्थवाक्यार्थभेदात् भक्तिर्द्विभेदिता ॥

“सुवर्णपुष्पा पृथिवी” इत्यादि काव्य-वाक्यस्थल में अव्याप्ति इसलिये नहीं आपन्न होती है कि (१) पदार्थ और (२) वाक्यार्थ के भेदप्रयुक्त भक्ति दो प्रकार की मानी जाती है ।

अतस्मिन्स्तत्समारोपो भक्तेर्लक्षणमिष्यते ।

अर्नान्तरप्रतीत्यर्थः प्रकारः सोऽपि शस्यते ॥

तद्विन्न में तत् का समारोप ही भक्ति का लक्षण इष्ट है । अर्थान्तर के प्रतीत्यर्थ वह प्रकार भी प्रशस्त मान्य है ।

ततश्च—

रूढा ये विषयेऽन्यत्र शब्दाः स्वविषयादपि ।

लावण्याद्याः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदं ध्वनेः ॥

इसलिये अपने वाच्य अर्थ से अन्य अर्थ में रूढ़ होनेवाले लावण्य आदि शब्द ध्वनि के स्थान नहीं होते हैं ।

मुख्यां वृत्तिं परित्यज्य गुणवृत्त्यर्थदर्शनम् ।

यदुद्दिश्य फलं तत्र शब्दो नैव स्खलद्गतिः ॥

जिस फल को उद्देश्य करके मुख्यवृत्ति-त्यागपूर्वक गुणवृत्ति का आदर करके अर्थान्तर का ज्ञान किया जाता है उस फल को समझाने में शब्द स्फलद्गति होने के कारण समर्थ नहीं हो सकता ।

वाचकत्वाश्रयेणैव गुणवृत्तिसङ्गता ।

गमकत्वैकमूलस्य ध्वनेः स्यात् विषयो न किम् ॥

फल अर्थ में गुणवृत्ति इसलिये असङ्गत है कि वह अभिधा को मूल में रखकर ही कार्यकर होती है । इसलिये उस फल को क्या अनुमानमूलक ध्वनि का ही विषय नहीं मानना होगा ?

व्यञ्जकत्वैकमूलत्वमसिद्धञ्च ध्वनेर्यतः ।

गमकत्वाश्रयापीष्टा गुणवृत्तिस्तदाश्रयः ॥

जिसलिये ध्वनि की व्यञ्जनामूलकता असिद्ध है अतः ऐसी भी गुणवृत्ति इष्ट है जो अनुमापकता पर आधारित है । तदनुसार ध्वनि-व्यवहार को तदाश्रित मानना चाहिये ।

समिदिध्मादयः शब्दाः प्रसिद्धा गुणवृत्तयः ।

ध्वनेः पदादिव्यङ्ग्यस्य येनोदाहरणीकृताः ॥

समिद् इध्मा आदि शब्द गुणवृत्ति रूप में प्रसिद्ध हैं जिसके कारण वे पद व्यङ्ग्यध्वनि के उदाहरण बताये गये हैं ।

तस्माद् व्युत्पत्तिशक्तिभ्यां निबन्धो यः स्खलद्गतेः ।

शब्दस्य सोऽपि विज्ञेयोऽनुमानविषयोऽन्यथ ॥

इमलिये स्वलद्गति शब्द का जो व्युत्पत्ति और शक्ति के आधार पर प्रयोग किया गया है उसे भी अन्य उदाहरण स्थलों के समान अनुमान का ही विषय समझना चाहिये ।

“विषं भक्षय मा चास्य गृहे भुंक्था, इत्यादावपि यदेतद् विषभक्षणानुज्ञानं तदर्थप्रकरणादिसहायमेतद्गृहे भोजनस्य ततोऽपि दारुणतरपरिणामत्वमनुमापयति । नष्टानुमत्तः सुहृदादौ हितकामः सन्नस्य क्वचिद् भोजननिषेधं विदधानः अकस्माद् विषभक्षणमनुजानातीत्यवगतवक्तृप्रकरणादि-स्वरूपः प्रतिपत्ता विषभक्षणानुज्ञानादेव तद्गृहभोजनस्यात्यन्तमकरणीयत्वमनुमातुमर्हति । विषभक्षणानुज्ञानादेर्वाक्यार्थस्याऽप्रस्तुतस्यैवोपन्यासो हि पूर्वोक्तेन नयेन प्रस्तुतातिरिक्तार्थान्तरप्रतिपादन-परत्वात् तत्र हेतुतयाऽवगन्तव्य इति न शब्दस्य तत्र व्यापारः परिकल्पनीयः ।

“विष खालो पर इसके घर मत खाना” इत्यादि वाक्य-प्रयोगस्थल में जो विषभक्षण की अनुज्ञा दी जाती है वह प्रयोजन और प्रकरण आदि की सहायता से “इसके घर में भोजन, विषभक्षण से भी भीषण-परिणामप्रद है यह अनुमान कराता है । कोई भी स्वस्थ बुद्धिवाला व्यक्ति जो कि अपने मित्र का हित अवश्य चाहता है, कहीं भोजन का निषेध करता हुआ अकस्मात् विषभक्षण की अनुज्ञा कर बैठ सकता है ? इसलिये प्रकरण और वक्ता आदि का सही ज्ञान रखनेवाला श्रोता, विषभक्षण की अनुज्ञा की ओर ध्यान देकर उसके घर में भोजन अत्यन्त अकरणीय है यह अनुमान कर सकता है । विषभक्षण की अनुज्ञा रूप अप्रस्तुत वाक्यार्थ का प्रतिपादन ही उक्त दृष्टान्तानुसार प्रस्तुतातिरिक्त अर्थ की प्रतिपादकता का हेतु ज्ञातव्य है । अतः शब्द का उस अर्थ में व्यापार कल्पनीय नहीं ।

विषभक्षणादपि परामेतद्गृहभोजनस्य दारुणताम् ।

वाच्यादतोऽनुमिमते प्रकरणवक्तृस्वरूपज्ञाः ॥

विषभक्षणमनुमनुते न हि कश्चिदकाण्ड एव सुहृदि सुधीः ।

तेनात्रार्थान्तरगतिरार्थी तात्पर्यशक्तिज्ञा न पुनः ॥

साथ वक्तव्य यह है कि प्रकरण और वक्ता आदि के स्वरूपज्ञान “विषं भक्षय” इत्यादि के वाक्यार्थ से इसके घर भोजन करना विषभक्षण से

भी भयानक है इस प्रकार अनुमान करते हैं। कोई भी व्यक्ति अकस्मात् अपने हितैषी को इस प्रकार कह सकता है ? अतः उक्त वाक्य-जन्य ज्ञान अर्थ होता है अर्थात् उक्त प्रकार अनुमान से होता है तात्पर्य-शक्ति से नहीं।

यदप्यन्ये मन्यन्ते— वाच्यावगमोपक्रमः प्रतीयमानार्थान्तरावसायपर्यन्तोऽयमेक एव दीर्घदीर्घः शब्दस्येषोरिव व्यापारः, न पुनरर्थान्तरस्य कश्चित् संवेद्यते। यथा श्लोक एवेषुर्वलवता धनुष्मता मुक्तः शत्रोरुरश्छदमुरश्च भित्त्वा जीवितमपहरति, न च वृत्तिभेदः, तथा शब्दोऽपि सत्कविना सकृत् प्रयुक्त एव क्रमेण स्वार्थ-भिधानमर्थान्तरप्रतीतिं चैकयैव प्रवृत्त्या वितनोति। न च व्यापार-भेदः कश्चित्।

किञ्च यत्परः शब्दः स शब्दार्थ इति शब्दस्यैवासौ व्यापारो न्याय्यो नार्थस्येति।

और कुछ लोग जो ऐसा मानते हैं कि वाच्यार्थ का अवगमात्मक उपक्रम से प्रतीयमान अर्थ के अन्तिम उपसंहारात्मक निश्चय पर्यन्त एक ही शब्दगत व्यापार-वाणगत-व्यापार की तरह अति दीर्घ होता है। अर्थ-गत कोई व्यापार ज्ञात होता नहीं। जिस प्रकार एक ही वाण किसी सबल धनुर्धारी के द्वारा फेंके जानेपर शत्रु के कवच और वक्षस्थल को छेदकर उसका प्राण तक हर लेता है। वाण में किन्तु एकाधिक कोई व्यापार होता नहीं, उसी प्रकार शब्द भी सत्कवि के द्वारा एक ही बार प्रयुक्त होकर क्रमशः वाच्यार्थ का प्रतिपादन और प्रतीयमान का अभिघा-व्यापार के द्वारा करता है, कोई व्यापारान्तर होता नहीं। और यह भी कि शब्द जिस अर्थ के प्रतिपादन के अभिप्राय से वक्ता द्वारा उच्चारित होता है वस्तुतः उस शब्द का अर्थ वही होता है। अतः वह प्रतिपादक व्यापार शब्दगत ही होना चाहिये अर्थगत नहीं।

तदयुक्तम्। साक्षाच्छब्दस्यार्थप्रतीतिहेतुत्वासिद्धेः। पारम्पर्येण तु तस्य हेतुत्वोपगमे वस्तुनां हेतुफलभावव्यवहारनियमो न व्यवतिष्ठते। ततश्च कुला-लोऽपि सेकसल्लिखोपकरणभूतं कुम्भं कुर्वन् मधुमास इव कुसुमविकासहेतुरिति मुख्यतया ख्यायेत, इत्यर्थस्यैव व्यापारोऽभ्युपगन्तुं युक्तो न शब्दस्य। न हि यः पुत्रस्य व्यापारः स पितुरेवेति मुख्यतया शक्यते वक्तुम्, तयोरन्योन्यव्यापार-साक्ष्यदोष-प्रसङ्गात्।

वह भी उचित नहीं । क्योंकि शब्द में आर्थप्रतीति की हेतुता साक्षात् भाव से नहीं मानी जा सकती, वह सर्वथा असिद्ध है । यदि परम्परया शब्द को आर्थप्रतीति के प्रति हेतुता मानी जाय तो कार्यकारणभाव का नियम नहीं रह पायगा । क्योंकि तब तो वसन्त समय के समान जल-सेचनात्मक उपकरणयुक्त घट का निर्माता कुम्हार भी फूल खिलने का कारण माना जाने लगेगा । इसलिये प्रतीयमान अर्थ का बोधक व्यापार, अर्थ में ही मान्य हो शब्द में नहीं यही मानना उचित है । ऐसा नहीं माना जा सकता कि पुत्रगत व्यापार मुख्यतया पितृगत होता है । क्योंकि ऐसा मानने पर उन दोनों के व्यापारों में साङ्कर्य-दोष हो उठेगा ।

किञ्चायं विषमः शरदृष्टान्तोपन्यासः । न हि यथा सायकः स्वभावत एव छेद्यमेद्याद्यर्थविषयमेकयैव वृत्त्या तत्कार्यं करोति, तथा शब्दः । स हि सङ्केत-सापेक्षः स्वव्यापारमारमेत न स्वभावत एवेति यत्रैवास्य सङ्केतस्तत्रैव व्याप्तिरिति । ततश्चाभिधेयार्थविषय एवास्य व्यापारो युक्तो नार्थान्तरविषयः, तत्र सङ्केताभावात् । तदभावेऽपि तत्र तत्परिकल्पने सर्वः कुतश्चिदभिधेयार्थवदर्थान्तरमपि प्रतीयात् । तस्माद्यत्र सङ्केतापेक्षा तत्रैवास्य व्यापार इत्यवगन्तुं युक्तं नार्थान्तरे, तत्र वक्ष्यमाण-नयेनार्थस्यैव तदुपपत्ति-समर्थनादिति ।

और यह भी कि वाण का जो दृष्टान्त दिया गया है वह प्रकृत की समानता नहीं रखता है, वह विषम है । जिस प्रकार वाण स्वाभाविक रूप से ही छेद्य कवच और भेद्य वक्षःस्थल-विषयक एकही व्यापार से छेदन और भेदन दोनों कार्य करता है, शब्द उस प्रकार नहीं कर सकता है । क्योंकि शब्द तो सङ्केत की सहायता से ही अपना काम करता है स्वाभाविक रूप से नहीं । इसलिये शब्द उसे ही समझा पायेगा जिस अर्थ में श्रोता को सङ्केत गृहीत होगा । अतः शब्द का व्यापार अभिधेय-अर्थ-विषयक ही हो, यही उचित होगा । अर्थान्तर-विषयक हो, यह नहीं । क्योंकि अर्थान्तर में सङ्केत होता नहीं । यदि सङ्केत का अभाव होने पर भी शब्द उसे समझाये तो लोग जिस किसी शब्द से जिस किसी अर्थ को समझने लगेंगे । इसलिये यही मानना उचित

होगा कि जहाँ सङ्केत हो, शब्द उसी को समझाये, अर्थान्तर में उसका व्यापार न हो। वक्ष्यमाण रीति से अर्थ में ही अर्थान्तर-प्रतिपादकता का समर्थन होता है।

‘शब्दार्थौ सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनि।

वन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्यादकारिणि ॥’

प्रबुद्धों को आह्लाददायी कविवक्र-व्यापारशाली रचना में साथ व्यवस्थित शब्द और अर्थ है काव्य।

इत्यादिना शास्त्रादिप्रसिद्धशब्दार्थोपनिबन्धव्यतिरेकि यद् वैचित्र्यं तन्मात्रलक्षणं वक्रत्वं नाम काव्यस्य जीवितमिति सहृदयमानिनः केचिदाचक्षते तदप्यसमीचीनम्।

इत्यादि कथन के अनुसार शास्त्र आदि में प्रसिद्ध शब्द और अर्थ के उपनिबन्धन-प्रयुक्त वैचित्र्य के अतिरिक्त जो वैचित्र्य वही है वक्रता, वही काव्य का जीवन है ऐसा कुछ सहृदयाभिमानी कहते हैं। वह भी उचित नहीं।

यतः प्रसिद्धोपनिबन्धव्यतिरेकित्वमिदं शब्दार्थयोरौचित्यमात्रपर्यवसायि स्यात् प्रसिद्धाभिधेयार्थव्यतिरेकि-प्रतीयमानाभिव्यक्तिपरं वा स्यात्। प्रसिद्ध-प्रस्थाना-तिरेकिणः शब्दार्थोपनिबन्धनवैचित्र्यस्य प्रकारान्तरासम्भवात्।

यतः “शब्द और अर्थ के उपनिबन्धनप्रयुक्त वैचित्र्य के अतिरिक्त वैचित्र्य” यह शब्द और अर्थगत औचित्यमात्र में पर्यवसित होगा अथवा “प्रसिद्ध जो अभिधेय अर्थ तद्व्यतिरिक्त जो प्रतीयमान अर्थ उसका व्यञ्जन” इसमें पर्यवसित होगा। क्योंकि प्रसिद्ध-मार्ग के अतिरिक्त शब्द और अर्थ के उपनिबन्धन-वैचित्र्य का और कोई प्रकार सम्भव नहीं है।

तत्राद्यस्तावत् पक्षो न शङ्कनीय एव, तस्य काव्यस्वरूपनिरूपणसामर्थ्य-सिद्धस्य पृथगुपादानवैयर्थ्यात्। विभावाद्युपनिबन्ध एव हि कविव्यापारो नापरः। ते च यथाशास्त्रमुपनिबध्यमाना रसाभिव्यक्तेर्निबन्धनभावं भजन्ते, नान्यथा। रसात्मकं च काव्यमिति कुतस्तत्रानौचित्यसंस्पर्शः सम्भाव्यते, यन्निरासार्थमित्थं काव्यलक्षणमाचक्षीरन् विचक्षणम्मन्याः।

इनमें प्रथम पक्ष शङ्कनीय नहीं । क्योंकि उसका, जो कि काव्य-स्वरूप-निरूपण-सामर्थ्य-सिद्ध है पृथक् उपादान व्यर्थ ही होगा । कवि का व्यापार विभाव, अनुभाव और सञ्चारीभाव का उल्लेखमात्र ही है और कुछ नहीं । वे शास्त्रानुसार उल्लेखित होने पर ही रसाभिव्यक्ति के निमित्तभाव को प्राप्त करते हैं अन्यथा नहीं । काव्य रसात्मक होता है अतः उसमें अनौचित्य का संस्पर्श कैसे सम्भावित हो सकता ? जिसके निरासार्थ इस प्रकार का काव्यलक्षण अपने को विचक्षण माननेवाले कहेंगे ?

द्वितीयपक्षपरिग्रहे पुनर्ध्वनेरेवेदं लक्षणमनया भङ्ग्याभिहितं भवति अभिन्नत्वाद् वस्तुनः । अत एव चास्य त एव प्रमेदास्तान्येवोदाहरणानि तैरुपदर्शितानि । तच्चायुक्तमित्युक्तं, वक्ष्यते च ।

द्वितीय पक्ष का स्वीकार करने पर तो यही मानना होगा कि इस प्रकार से ध्वनि का ही लक्षण कथित होता है । क्योंकि वस्तुगत कोई भेद प्राप्त हो नहीं रहा है । इसलिये इसके प्रभेद भी वे ही और उदाहरण भी उन्हीं के द्वारा दिखाये गये स्वीकार्य हैं । वह अयुक्त है यह कहा जा चुका है और आगे चलकर भी कहा जायगा ।

प्रसिद्धं मार्गमुत्सृज्य यत्र वैचित्र्यसिद्धये ।

अन्यथैवोच्यते सोऽर्थः सा वक्रोक्तिरुदाहृता ॥

जिसमें वैचित्र्यसिद्धयर्थ प्रसिद्धमार्ग को छोड़कर उसे और रूप में कहा जाता है किन्तु अर्थ वही होता है वही कही जाती है श्रोत्रि ।

पदवाक्यादिगम्यत्वात् स चार्थो बहुधा मतः ।

तेन तद्वक्रतापीड्या बहुधैवेति तद्विदः ॥

(१) पदगम्य और (२) वाक्यगम्य होने के कारण वह अर्थ अनेक प्रकार का होता है इसलिये अर्थगत वक्रता भी अनेक मान्य है ऐसा वक्रता-विज्ञान मानते हैं ।

अत्रोच्यतेऽभिधासंज्ञः शब्दस्यार्थप्रकाशने ।

व्यापार एक एवेष्टो यस्त्वन्योऽर्थस्य सोऽस्ति ॥

यहाँ कहना यह है कि अर्थप्रकाशनार्थं शब्द में केवल एक अभिधा नाम का ही व्यापार मान्य है । अन्य सारे व्यापार अर्थगत ही मान्य हैं ।

वाच्यादर्थान्तरं भिन्नं यदि तल्लिङ्गमस्य सः ।

तन्नान्तरीषकतया निबन्धो ह्यस्य लक्षणम् ॥

अमेदे बहुता न स्यादुक्तेर्मागान्तराग्रहात् ।

तेन ध्वनिवदेवापि वक्रोक्तिरनुमा न किम् ॥

वाच्य अर्थ से भिन्न यदि कोई अर्थ प्रकाशित होता है तो उसका वाच्य-अर्थ लिङ्ग होता है । अन्य अर्थ के व्याप्यरूप में वाच्य अर्थ का उल्लेख ही इसका सूचक है । उक्ति यदि एक ही प्रकार हो तो उक्ति वैचित्र्यात्मक वक्रता का अनुभव नहीं हो पायेगा, क्योंकि मार्गान्तर रहेगा नहीं । इसलिये ध्वनि के समान अनुमिति का अनुसरण भी एक प्रकार वक्रोक्ति ही क्यों न माना जाय ?

नापि शब्दस्याभिधायतिरेकेण व्यञ्जकत्वं व्यापारान्तरमुपपद्यते, येनार्थान्तरं प्रत्याययेद् व्यक्तेरनुपपत्तेः सम्बन्धान्तरस्य चासिद्धेः । तदभावेऽपि तदभ्युपगमे तस्यार्थनियमो न स्यात् निबन्धनाभावात् । न ह्यस्य गेयस्येव रत्यादिभिर्भावैः स्वाभाविक एव सम्बन्धः सर्वस्यैव तत्प्रतीति-प्रसङ्गात् ।

अभिधा के अतिरिक्त व्यञ्जकत्व नाम का शब्दगत व्यापार युक्तियुक्त है भी नहीं जो कि अर्थान्तर की प्रतीति करा पाये । क्योंकि व्यञ्जन अनुपपन्न है । प्रतीयमान अर्थ के साथ वाच्य अर्थ का अन्य सम्बन्ध असिद्ध है । सम्बन्ध के अभाव में भी यदि उसे प्रतीयमान अर्थ का बोधक माना जायगा तो अर्थ का नियम नहीं रह पायगा । क्योंकि कोई नियामक तो रहेगा नहीं । यह भी नहीं कहा जा सकता है कि रत्यादिभाव के साथ गान का जिस प्रकार स्वाभाविक सम्बन्ध है उसी प्रकार वाच्यार्थ और प्रतीयमान अर्थ के बीच भी स्वाभाविक ही सम्बन्ध है : क्योंकि तब सबको प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति होने लगेगी ।

नापि समयकृतः व्यञ्जकत्वस्यौपाधिकत्वाद् उपाधीनां चार्थप्रकरणादिसामग्री-रूपाणामानन्त्यादनित्यत्वाच्च प्रतिपदमिव शब्दानुशासनस्य समयस्य कर्तुमशक्य-त्वात् ।

सङ्केतकृत भी सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता । क्योंकि ध्वनिवादी भी व्यञ्जकत्व को सङ्केतकृत नहीं, औपाधिक अर्थात् अन्य-प्रयुक्त ही मानते हैं । प्रयोजन प्रकरण आदि सामग्रीरूप उपाधियाँ अनन्त और अनिश्चित हैं । शब्दानुशासन जिस प्रकार प्रत्येक पद के लिये हैं सङ्केत को वैसा नहीं किया जा सकता है ।

• एक एव हि शब्दः सामग्रीवैचित्र्याद् विभिन्नानर्थानवगमयति यथा 'रामोऽस्मि सर्वं सहे' इति, 'रामेण प्रियजोवितेन तु कृतं प्रेम्णः प्रिये ? नोचितम्' इति, 'रामस्य पाणिरसि निर्भरगर्भस्निन्नसीताविवासनपटोः करुणा कुतस्ते' इति, 'रामे तटान्तवसतौ कुशतरुपशायिन्यद्यापि नास्ति भगवन् ? भवतो व्यपेक्षा, इत्यादावेक एव रामशब्दः ।

एक ही शब्द सामग्रीवैचित्र्यप्रयुक्त विभिन्न अर्थों को समझाता है । जैसे "मैं रामहूँ सब सहताहूँ" "अपने जीने को ही महत्त्व देनेवाले इस राम के द्वारा प्रेम के अनुरूप आचरण नहीं किया गया" "ओ गर्भस्निन्न सीता को घर से निकालनेवाले बाहु ! तुम राम के बाहु हो तुम्हें भला करुणा कहाँ ?" "हे समुद्रदेव ! आपके तट पर कुशय्या-शायी राम के ऊपर आज भी सुदृष्टि नहीं ?" इत्यादि विभिन्न वाक्य प्रयोगस्थल में एक ही राम शब्द ।

यथाह ध्वनिकारः— शब्दार्थयोर्हि प्रसिद्धो यः सम्बन्धो वाच्य-वाचक-भावाख्यस्तमनुरुद्धान एव गमकत्वलक्षणो व्यापारः सामग्र्यन्तरसद्भावादौपाधिकः प्रवर्तते । अत एव च वाचकत्वात् तस्य विशेषः । वाचकत्वं हि शब्दविशेषस्य नियत आत्मा, सङ्केतव्युत्पत्तिकालादारभ्य तदविनाभावेन तस्य प्रसिद्धत्वात् । स त्वनियत औपाधिकत्वात् प्रकरणाद्यवच्छेदेन तस्य प्रतीतेरि (तरथात्व प्रतीतेरि) ति ।

जैसा ध्वनिकार का "शब्दार्थयोर्हि" इत्यादि के द्वारा कहना है । उसका अर्थ यह है कि शब्द और अर्थ के बीच जो वाच्यवाचकभाव नाम का सम्बन्ध प्रसिद्ध है उसीका अनुरोध करता हुआ गमकत्व स्वरूप व्यापार अन्य सामग्री के सङ्ख्याव-प्रयुक्त औपाधिक होनेवाला अर्थान्तर को समझाने हेतु प्रवृत्त होता है । इसलिये वाचकता से वह

अन्य है। वाचकता तो शब्दविशेष के लिये नियत होनेवाला उसका आत्मा है। क्योंकि सङ्केतग्रहणकाल से लेकर शब्द को बिना छोड़े उसमें विद्यमान रूपमें ज्ञात होता है। व्यञ्जकत्व ऐसा होता नहीं वह तो औपाधिक होने के कारण अनियत होता है। क्योंकि प्रकरण आदि-प्रयुक्त वह सीमितरूप में प्रतीत होता है।

न चानयोरन्यः सम्बन्धः सम्भवतीति तस्याः सामग्र्या एव सम्बन्धवलात् तद्गमकत्वमुपपन्नं न शब्दस्येति, नार्थपक्षादस्य कश्चिद्विशेष इति व्यर्थस्तत्पक्षोपन्यासः।

(१) वाचकत्व और (२) व्यञ्जकत्व अर्थात् गमकत्व के अतिरिक्त शब्द और अर्थ के बीच और कोई सम्बन्ध है नहीं, इसलिये प्रतीति की सामग्री को ही सम्बन्ध के बलपर गमकत्व उपपन्न होता है शब्द को गमकता युक्तिसिद्ध नहीं। ऐसी परिस्थिति में अर्थ की व्यञ्जकता-पक्ष से शब्द की व्यञ्जकतापक्ष में कोई विशेषता पाई नहीं जा रही है अतः लक्षण में उस पक्ष का उपन्यास व्यर्थ है।

ननु यदि शब्दस्यार्थनिरपेक्षस्य व्यञ्जकत्वं नेष्यते तत् कथं प्राप्तमित्यादौ- प्रादीनां द्योतकत्वमुक्तम्, न वाचकत्वम्। वाचकत्वे हि हलादित्वाद् धातोर्यङादि-प्रसङ्गः स्यात्। द्योतकत्वं प्रकाशकत्वं व्यञ्जकत्वं चेत्येक एवार्थ इति। सत्यम्। उक्तमुपचारतों न परमार्थत इति तस्य प्रदीपादि-निष्ठस्य वास्तवस्य शब्दार्थ-विषयत्वस्य प्रतिक्षेपात्।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि अर्थ-निरपेक्ष शब्द में व्यञ्जकता न मानी जाय तो 'प्राप्तम्' अर्थात् 'प्राप्त किया' इत्यादि वाक्य-प्रयोगस्थल में "प्र" आदि को द्योतक कैसे कहा जाता है? वाचक क्यों नहीं कहा जाता है? वाचक मानने पर हलादि होने के कारण धातु से यङ आदि प्रसक्त हो उठेगा। द्योतकता कहें प्रकाशकता कहें व्यञ्जकता कहें सब का अर्थ एक ही है। इसके उत्तर में वक्तव्य यह है कि यह प्रश्न-वाक्य आपाततः सत्य प्रतीत होता है, परन्तु शब्द को व्यञ्जक औपचारिक रूपमें कहा जाता है परमार्थतः नहीं। वास्तविक व्यञ्जकता तो प्रदीप आदि में ही होती है अतः वास्तविक

व्यङ्ग्यव्यञ्जकभाव शब्द और अर्थ के बीच प्रतिक्षिप्त अर्थात् निषिद्ध है वाधित है ।

अथोच्यते— पचत्यादयः क्रियासामान्यवचनाः । सामान्यानि चाशेष-विशेषान्तर्भावमास्ति भवन्तीति तत्प्रतीतिनान्तरीयकतयैव विशेषसदभावः सिद्ध एव । यद्वाहुः—निर्विशेषं न सामान्यं भवेच्छशविषाणवद्, इति केवलमर्थसामर्थ्य-सिद्धोऽपि विशेषो द्योतनमपेक्षत इति तन्मात्रव्यापाराः प्रादयो द्योतका एव भवितुमर्हन्ति न वाचका इति ।

अब यदि यह कहा जाता है कि पच आदि धातु क्रियासामान्यवाची हैं । सामान्य समग्र विशेषों को अपने में समेटनेवाले होते हैं । इसलिये सामान्य की प्रतीति के द्वारा ही सामान्य के नान्तरीयक रूपमें विशेषों का सम्झाव ज्ञात ही हो जाता है । जैसा कि कहते हैं— “निर्विशेषं न सामान्यं” इत्यादि के द्वारा । अर्थ यह है कि शशविषाण के समान सामान्य कभी निर्विशेष नहीं हो सकता । इसलिये अर्थ सामान्य के द्वारा सिद्ध अर्थात् ज्ञात होनेवाला भी विशेष द्योतन की अपेक्षा रखता है । अतः ‘प्र’ आदि को द्योतन-मात्र-व्यापारयुक्त माना जाता है, वे द्योतक ही होते हैं वाचक नहीं ।

सत्यम् । किन्तु यदप्रतीतौ सामान्यप्रतीतिरेव न पर्यवस्यति तद्विशेषमात्रं तेभ्यः प्रतीयतां नाम । न तु तावता व्यवहारसिद्धिः काचित् । तस्याः प्रतिनियतविशेषावसायनिबन्धनत्वात् । स त्वपूर्वतया प्रादिभ्य एवोद्भवन्नवधार्यते । न पचत्यादिभ्यः । नार्थादपि तत्सञ्ज्ञावसिद्धिः काचित् । अस्याः प्रतिनियतविशेषावसायनिबन्धनत्वात् ।

इसका उत्तर यह है कि यह कथन कुछ हद तक सही है । परन्तु जिस विशेष की प्रतीति के बिना सामान्य की प्रतीति ही सम्भव नहीं वह भले ही सामान्य की प्रतीति के बलपर ही प्रतीत हो जाय, परन्तु उसीसे व्यवहार की सिद्धि नहीं हो सकती । क्योंकि व्यवहार की सिद्धि प्रत्येक विशेष के निश्चय की अपेक्षा रखती है । वह विशेष अपूर्व होने के कारण प्र आदि के द्वारा ही अवधारित होता है पच आदि धातु से नहीं । उस विशेष के सम्झाव की सिद्धि फलतः हो जाती है

यह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके लिये भी अलग-अलग रूप से विशेष का निश्चय मूल रूपमें अपेक्षित होता है ।

तस्माद् यत्प्रयोगान्वयव्यतिरेकानुविधायिनी यस्य प्रतीतिस्तयोर्वाच्यवाचक-भावव्यवहारविषयत्वमेवोपगन्तुं युक्तं नाभिव्यक्तिविषयत्वम् । यथा घटशब्द-तदर्थयोः ।

प्रादिप्रयोगानुविधायिनी तत्र प्रपचतोत्यादौ प्रकर्षादिप्रतीतिरिति तेऽपि तथा भवितुमर्हन्त्येव । अन्यथा नीलोत्पलादौ सर्वस्यैव विशेषणाभिमतस्य नीलादि शब्दस्य विशेष्यवाचिनश्चोत्पलादेर्विशेषणविशेष्यभावव्यवहारोऽस्तमुपगच्छेत् ।

इसलिये जिसकी प्रतीति जिसके प्रयोग की अनुविधायिनी होती है अर्थात् जिसके प्रयोग के बिना जिसकी प्रतीति होती नहीं उन शब्द और अर्थों के बीच वाच्यवाचकभाव-व्यवहार-विषयता मानी जाय, यही उचित है । अभिव्यक्तिमात्र की विषयता मानना उचित नहीं, जैसे घट शब्द और कम्बुग्रीवादिमान् घट वस्तु के बीच वाच्यवाचकभाव ही मान्य होता है । “प्रपचति” इत्यादि प्रयोगस्थल में “प्र” शब्द के रहने और न रहने के अनुसार ही पाक आदि गत प्रकर्ष का बोध होता और नहीं होता है, इसलिये “प्र” आदि भी वाचक ही हो सकते हैं । अन्यथा नीलोत्पल आदि शब्द-प्रयोगस्थल में भी सर्वत्र नील उत्पल आदिगत विशेष्य-विशेषणभाव समाप्त हो जायेगा, विशेषणवाची शब्द का प्रयोग निरर्थक हो उठेगा ।

तत्रापि द्योतच्छक्यं वक्तुम् । उत्पलादयः सामान्यवचनाः । सामान्यानि च गर्भीकृतविशेषाणि भवन्तीन्ति तेषां तत्र सद्भावसिद्धौ सत्यां नीलादिशब्दा अपि तत्तद्द्योतनमात्रव्यापाराः प्रादिषद्द्योतका भवितुमर्हन्ति नाभिधायका इति ।

वहाँ भी यह कहा जा सकता है कि उत्पल आदि शब्द कमल सामान्य के वाचक हैं । सामान्य विशेषों को अपने गर्भ में रखनेवाले होते हैं । विशेष का इस प्रकार सामान्य से ही सिद्धि होने पर, नील आदि शब्द भी द्योतनमात्र-व्यापार-युक्त होंगे अतः ‘प्र’ आदि के समान द्योतक ही होंगे अभिधायक नहीं ।

एवञ्चान्तर्मात्रविपरिवर्तितया सिद्धसद्भावानां घटादीनां घटादिशब्दा अपि द्योतका एव स्युः, न वाचका इति वाच्यवाचकव्यवहारोऽस्तमियात् । तस्मात् भाक्तमेव द्योतकत्वमुपगन्तव्यं न मुख्यम् । भक्तेश्च प्रयोजनं वाच्यस्यार्थस्य स्फुटत्व-प्रतिपत्तिः, निमित्तं च विशेषणविशेष्यप्रतीत्योराशुभावितया क्रमानुपलक्षणात्, सह-भावप्रतीतिः ।

ऐसा होने पर परिणामवादी सिद्धान्त में घटपट आदि सारे पदार्थ अपने उपादान में पहले से ही सजातीय-परिणामयुक्त रूपमें विद्यमान रहते हैं एतत्प्रयुक्त घटपट आदि शब्द भी द्योतक ही होंगे वाचक नहीं, अतः वाच्यवाचकभाव का व्यवहार ही लुप्त हो उठेगा । इसलिये 'प्र' आदि का भी द्योतकत्व गौण ही मानना होगा मुख्य नहीं । गौण-प्रयोग का प्रयोजन होगा वाच्य-अर्थ की स्फुटता का बोध । कारण होगा शीघ्रता से विशेष्य और विशेषण की प्रतीति-प्रयुक्त क्रम न ज्ञात होने के कारण सहभाव का ज्ञान ।

द्विविधं हि विशेषणमिष्टम् अन्तरङ्गं वहिरङ्गं चेति । तत्राद्यमव्यवहितमेवार्थ-कारि लाक्षादिवत् स्फटिकादेः । द्वितीयमुभयरूपमयस्कान्तमिव लोहस्य । तद्वि-व्यवहितमपि लोहे स्वां शक्तिमुपदधात्येव । तदपि द्विविधम् समानाधिकरणं भिन्नाधिकरणं चेति । विशेष्योऽपि द्विविधो धात्वर्थो नामार्थश्चेति । तत्रोप-सर्गाणां प्रायो धात्वर्थो विषयो न नामार्थः । चादीनां तु निपातानामुपमयमपि । केवलं तेषां विशेष्यात् पूर्वं पश्चाच्च क्रमेण प्रयोगो नियोगतोऽवगन्तव्यः । नान्येषां विशेषणानाम् ।

अन्तरङ्ग और वहिरङ्ग रूपमें विशेषण दो प्रकार के होते हैं । दोनों के अन्दर प्रथम अर्थात् अन्तरङ्ग विशेषण अव्यवहितभाव से प्रयोजन का निष्पादक होता है । जैसे— आलता, जवापुष्प आदि अव्यवहितभाव से स्फटिक को रङ्गीन दिखलाते हैं । द्वितीय अर्थात् वहिरङ्ग विशेषण दोनों प्रकार से अर्थात् व्यवहित और अव्यवहित दोनों रूपों में कार्य-कारी होता है । जैसे चुम्बक निकटवर्ती और दूरवर्ती भी होकर लोहे पर अपना प्रभाव दिखलाता है । वह भी द्विविध होता है (१) समाना-धिकरण और (२) असमानाधिकरण । विशेष्य भी दो प्रकार के

होते हैं (१) नामार्थ और (२) धात्वर्थ । इन दोनों के अन्दर 'प्र' आदि उपसर्गों का विषय प्रायः धात्वर्थ ही होता है नामार्थ नहीं । किन्तु "च" आदि निपात के विषय दोनों होते हैं । केवल इनका अर्थात् उपसर्गों का प्रयोग नियमानुसार कहीं पहले और कहीं पीछे ही होता है यह ज्ञातव्य है । धातु के पहले ही और नाम के पीछे ही । अन्य विशेषणों में यह परिस्थिति होती नहीं ।

तदेवं विशेषणविशेष्यस्वरूपेऽवसिते यदेतदन्तरङ्गं विशेषणमुक्तं तदगवादौ गोत्वादिवद् विशेष्यस्वरूपान्तर्भूतमिवेति तत्प्रतीत्योराशुभावितया क्रमानुपलक्षणात् सहभावावगमो द्योत्यद्योतकभावभ्रमहेतुः । अत एव केचिदेषां धात्वन्तर्भावमिष मन्यमानाः ।

अडादीनां व्यवस्थार्थं पृथक्त्वेन प्रकल्पनम् ।

धातूपसर्गयोः शास्त्रे धातुरेव च तादृशः ॥'

इस प्रकार विशेष्य और विशेषण का स्वरूप निश्चित हो जाने पर जो यह अन्तरङ्ग विशेषण कहा गया है सो गो आदि में गोत्व आदि की तरह विशेष्य के स्वरूप में ही अन्तर्भूत-सा होता है । अतः वहाँ विशेषण और विशेष्य की प्रतीति अति शीघ्र होती है, इसलिये क्रम-ज्ञात न होने के कारण सहभाव प्रतीत होता है, वही द्योत्यद्योतकभाव-भ्रम का कारण बनता है । इसलिये कुछ लोग मानों उपसर्गों के धात्वन्तर्भाव को मानते हुए "अडादीनां व्यवस्थार्थं" इत्यादि के द्वारा यह कहते हैं कि शास्त्र में धातु और उपसर्ग को पृथक् अट आदि की व्यवस्था के लिये कहा गया है । वस्तुतः उपसर्ग के प्रयोगस्थल में धातु ही उपसर्ग-घटित होता है ।

चादीनां चोपाधीनां विशेष्येभ्यो निर्मलेभ्यः स्फटिकोपलेभ्य इव लाक्षादीना-मव्यवधानमेव । तेन ते यदनन्तरमुपाधीयन्ते, तेष्वेव विशेषमाधातुमलं नान्यत्रेति यत्तेषां भिन्नक्रमतया क्वचिदुपादानं तदनुपपन्नमेव । अयथास्थानविनिवेशिनो हि तेष्वन्तरमनभिमतमेव स्वोपरागेणोपरञ्जयेयुः । ततश्च प्रस्तुतार्थस्याऽऽसामञ्जस्य-प्रसङ्गः । कथञ्चिद् वा भिन्नक्रमतयाप्यभिमतार्थसम्बन्धोपकरणे प्रस्तुतार्थप्रतीते-

विञ्चितत्वात् तन्निबन्धने रसास्वादोऽपि विञ्चितः स्यात् शब्ददोषाणामनौचित्यो-
पगमात् तस्य च रसभङ्गहेतुत्वात् । यथाहुः—

“च” आदि उपाधियों का अपने विशेष्य के साथ उसी प्रकार अव्यवधान अपेक्षित होता है जिस प्रकार निर्मल स्फटिक और रङ्गीन भालता आदि का अव्यवधान स्फटिकगत-रक्तता की प्रतीति के लिये नियतः अपेक्षित होता है । इसीलिये वह जिसके साथ अव्यवहितभाव से संलग्न होता है उसीमें विशेषता का आधान कर पाता है अन्यत्र नहीं । कहीं कहीं जो उनका भिन्नक्रम-रूपमें प्रयोग किया जाता है वह अनुपपन्न ही है । क्योंकि वे अनुपयुक्त-स्थान में प्रयुक्त होकर अभिमत अन्य अर्थ को ही उपरञ्जित कर डालेंगे, जिससे प्रस्तुत अर्थ में असामञ्जस्य आपन्न हो उठेगा । कथञ्चित् भिन्नक्रम-रूपता पर भी अभिमत अर्थसम्बन्ध को मान्यता देनेपर प्रस्तुत अर्थ की प्रतीति में कुछ न कुछ विघ्न अवश्य होगा, अतः तादृश प्रयोग से रसास्वाद में भी विघ्न अवश्य होगा । क्योंकि शब्दगत दोषों को भी अनुचित माना जाता है । यतः वह रसभङ्ग का हेतु होता है । जैसा कहा जाता है कि—

अनौचित्यादते नान्यद् रसभङ्गस्य कारणम् ।

प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत् परा ॥

अनौचित्य ही रसभङ्ग का कारण है उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं । ऐसी रचना, जिसमें औचित्य स्पष्ट रहता है रस का श्रेष्ठ उपनिषत् अर्थात् प्रतिपादक फलतः रसास्वाद का प्रापक होती है ।

स्वाभाविकं ध्वनेर्युक्तं व्यञ्जकत्वं न दीपवत् ।

धूमवत् किन्तु कृतकं सम्बन्धादेरपेक्षणात् ॥

शब्द में दीप की तरह स्वाभाविक व्यञ्जकता नहीं है । किन्तु सम्बन्ध आदि की अपेक्षा के कारण धूम के समान उसमें कृतक अर्थात् अस्वा-
भाविक फलतः औपचारिक व्यञ्जकता होती है ।

प्रादीनां श्रोतकत्वं यत् कैश्चिदभ्युपगम्यते ।

तद् भावतमेव तन्नेष्टं न मुख्यं तदसम्भवात् ॥

“प्र” आदि में जो कुछ लोग द्योतकता अर्थात् व्यञ्जकता मानते हैं वह भाक्त ही है ऐसा ही हमलोगों को इष्ट है। असम्भव-प्रयुक्त उस व्यञ्जकता को मुख्य नहीं कहा जा सकता।

तथा हि यस्य शब्दस्य भावाभावानुसारिणी ।

यदर्थबुद्धिस्तस्यासौ वाच्योऽर्थ इति कथ्यते ॥

फलितार्थ यह हुआ कि जिस शब्द के प्रयोग पर जिस अर्थ की प्रतीति अवश्य होती है और जिसके अप्रयोग में जिस अर्थ की प्रतीति होती नहीं उस शब्द का वह अर्थ वाच्य कहलाता है।

गोशब्दस्यैव गौरर्थः, सान्यथा त्वव्यवस्थिता ।

वाच्यत्वव्यवहारश्च न स्यादर्थस्य कस्यचित् ॥

जैसे गो शब्द का अर्थ गो-पशु है। नहीं तो उक्त प्रतीति अव्यवस्थित हो उठेगी। और किसी अर्थ में वाच्यत्व का व्यवहार नहीं हो पायेगा जो कि द्रुमा करता है।

प्रादिप्रयोगानुगमव्यतिरेकानुसारिणी ।

प्रकर्षादौ मतिस्तेन तस्य तद्वाच्यता न किञ्च ॥

नियमतः प्रकर्ष आदि की बुद्धि ‘प्र’ आदि उपसर्गभूत-शब्दप्रयोग के अन्वय व्यतिरेक को अनुसरण करनेवाली पाई जाती है। इसलिये ‘प्र’ आदि को प्रकर्ष आदि वाचकता कैसे नहीं मानी जायगी ?

विशेषावगमस्याऽऽशुभावादनुपलक्षणात् ।

क्रमस्य सहभावित्वं भ्रमो भक्तेर्निबन्धनम् ॥

प्रकर्ष आदि विशेष का ज्ञान अतिशीघ्र होने के कारण क्रम नहीं समझा जा पाता है इसलिये सहभाव का भ्रम भक्ति का मूल होता है।

विशेषणं तु द्विविधमान्तरं बाह्यमेव च ।

तत्राव्यवहितं सद् यदर्थकारि तदास्तरम् ॥

बाह्य और आन्तर भेद से विशेषण दो प्रकार के होते हैं। उनके अंदर जो अव्यवहित होकर प्रयोजन-सम्पादक होता है उसे आन्तर विशेषण माना जाता है।

स्फटिकस्येव लाक्षादि द्वितीयमुभयात्मकम् ।

आयसस्येव तत्कान्तं तदपि द्विविधं मतम् ॥

असमानसमानाधिकरणत्वविभेदतः ।

विशेष्योऽपि द्विधा ज्ञेयो धातुनामार्थभेदतः ॥

जैसे, स्फटिक पर लाक्षा आदि अव्यवहितभाव से प्रभाव डालता है । दूसरा उभयात्मक होता है अर्थात् व्यवहित और अव्यवहित दोनों रूपोंमें प्रभाव डालनेवाला होता है । जैसे चुम्बक व्यवहित और अव्यवहित दोनों प्रकार से लोहे पर कार्यकारी होता है । यह द्वितीय भी फिर द्विविध होता है (१) समानाधिकरण-विशेषण और (२) असमानाधिकरण-विशेषण । (१) धात्वर्थ और (२) नामार्थ रूपमें विशेष्य भी दो प्रकार के होते हैं ।

शाब्दत्वार्थत्वभेदेन नामार्थोऽपि द्विधा मतः ।

तत्रोपसर्गाणां प्रायो धात्वर्थो विषयो मतः ॥

(१) शाब्द और (२) आर्थ के भेद से नामार्थ भी द्विविध मान्य है । उनके अन्दर उपसर्ग का विषय प्रायः धात्वर्थ हो होता है ।

चादोनां तु निपातानामुभयं परिकीर्तितम् ।

केवलं तु विशेष्यात् स्युः पूर्वं पश्चाच्च ते क्रमात् ॥

‘च’ आदि निपातों के विषय नामार्थ और धात्वर्थ दोनों कहे जाते हैं । केवल यह बात है कि वे क्रमशः विशेष्य से पहले एवं पश्चात् भी लगते हैं ।

विशेषणानामन्येषां पौर्वापर्यमयन्त्रितम् ।

इत्थं स्थिते स्वरूपेऽस्मिन् विशेषणविशेष्ययोः ॥

अन्य विशेषणों का पौर्वापर्य नियन्त्रित नहीं है । विशेष्य और विशेषण के स्वरूप इस प्रकार निर्धारित होने पर—

यदन्तरङ्गमुद्दिष्टमुभयात्म विशेषणम् ।

विशेष्ये मग्नमिव तद् रावि गोत्वमिव स्थितम् ॥

यह भी स्थिर होता है कि उभयात्मक रूपमें कथित होनेवाला अन्तरङ्ग विशेषण 'गो' आदि में मग्न होनेवाले गोत्व आदि की तरह विशेष्य में मग्न हुआ पाया जाता है ।

अत एवाशुभावित्वात् तत्प्रतीत्योः क्रमाग्रहः ।

यन्मूलश्चायमनयोद्योत्यद्योतकताभ्रमः ॥

प्रादीनां धातुगर्भत्वोपगमाच्च यदुक्तवान् ।

अडादीनां व्यवस्थार्थमित्यादि विदुषां वरः ॥

इसलिये शीघ्रभावी होने के कारण विशेष्य और विषण की प्रतीतिगत क्रम का ग्रह होता नहीं, यन्मूलक दोनों में द्योत्यद्योतकभाव का भ्रम होता है । जिस बात को श्रेष्ठ विद्वानों ने इस प्रकार से कहा है कि 'प्र' आदि, धातु के ही अन्तर्गत वस्तुतः मान्य है । धातु पृथक् इसलिये कह दिया जाता है कि अट् आदि की व्यवस्था हो पाये ।

अत एव व्यवहितैर्बुधा नेच्छन्ति चादिभिः ।

सम्बधं ते हि शक्तिं स्वामुपदध्युरनन्तरे ॥

इसलिये विद्वज्जन व्यवहित 'च' आदि के साथ अन्वय नहीं चाहते हैं । वे 'च' आदि अपने अव्यहित में अपनी शक्ति आहित करते हैं ।

सान्तरत्वे तु तां शक्तिमन्यत्रैवादधत्यमी ।

ततश्चार्थासामञ्जस्यादनौचित्यं प्रसज्यते ॥

तदनुसार व्यवहित होने पर अन्य निकटवर्ती पर ही अपना प्रभाव डालेंगे । जिसका कुप्रभाव यह होगा कि अर्थगत असामञ्जस्य-प्रयुक्त अनौचित्य की आपत्ति होगी ।

बहिरङ्गान्तरङ्गत्वमेदात् तद् द्विविधं मतम् ।

तत्र शब्दैकविषयं बहिरङ्गं प्रचक्षते ॥

(१) बहिरङ्ग और (२) अन्तरङ्ग के भेद से वह अनौचित्य भी दो प्रकार का होता है । उन दोनों के अन्दर शब्दगत अनौचित्य होता है बहिरङ्ग ।

द्वितीयमर्थविषयं तत् त्वाद्यैरेव दर्शितम् ।

तत्स्वरूपमतोऽस्माभिरिह नातिप्रतन्यते ॥

द्वितीय अर्थगत अनौचित्य तो आनन्दवर्धन आदि प्राचीन आचार्यों के द्वारा ही वर्णित हो चुका है इसलिये उसके विशेष-विवरणार्थ यहाँ हमलोगों द्वारा अधिक प्रयत्न नहीं किया जा रहा है ।

परम्पर्येण साक्षाच्च तदेतत् प्रतिपद्यते ।

कवेरजागरूकस्य रसभङ्गनिमित्तात् ॥

वह यह शब्दगत अनौचित्य असावधान कवि की रचना में कहीं साक्षात् और कहीं परम्परया रसभङ्ग का कारण बनता है ।

यत् त्वेतच्छब्दविषयं बहुधा परिदृश्यते ।

तस्य प्रक्रमभेदाद्या दोषाः पञ्चैव योनयः ॥

यह जो शब्दगत अनौचित्य बहुधा परिलक्षित होता है उसके कारण प्रक्रमभेद आदि पाँच दोष ही हैं ।

तेषां संक्षेपतोऽस्माभिः स्वरूपमभिधास्यते ।

यस्तु प्रपञ्चः पञ्चानां स्वयं तमवधारयेत् ॥

उन पाँचों के स्वरूप यहाँ संक्षेप में बतलाये जायेंगे । द्वितीय विमर्श में उन पाँचों के अवान्तरभेद-प्रभेद स्वयं अवधारणीय होंगे ।

किञ्च काव्यस्य स्वरूपं व्युत्पादयितुकामेन मतिमता तल्लक्षणमेव सामान्ये-
नाख्यातव्यम्, यत्र वाच्यप्रतीयमानयोग्यगमकभावसंस्पर्शस्तत् काव्यमिति,
तावत्तैव व्युत्पत्तिसिद्धेः । यत्तु तदनाख्यायैव तयोः प्रधानेतरभावकल्पनेन प्रकार-
द्वयमुक्तं तदप्रयोजकमेव । यो हि यद्विशेषप्रतीतौ निमित्तभावेन निश्चितः स एव
तदर्थिनः प्रतिपाद्यो भवति नान्यः, अतिप्रसङ्गात् । यथा दण्डिप्रतीतौ दण्डः ।
अनुमेयार्थसंस्पर्शमात्रं चान्वयव्यतिरेकाभ्यां काव्यस्य चारुत्वहेतुर्निश्चितम् । अत-
स्तदेव वक्तव्यं भवति न त्वस्य प्राधान्याप्राधान्यकृतो विशेषः ।

और यह कि, काव्यस्वरूप के विवेचनार्थ कामनाशील विद्वान का कर्तव्य
यह होता है कि वे पहले सामान्यतः काव्य का लक्षण बतलायें । वह

सरल लक्षण यही होगा कि जहाँ वाच्य और प्रतीयमान के बीच गन्ध-गमकभाव सम्बन्ध हो वह है काव्य । इतना कह देने से ही काव्य-स्वरूप का परिचय मिल जाता है । वैसा न कहकर जो वाच्य और प्रतीयमान के बीच गौणमुख्यभाव की कल्पना करके काव्य के दो प्रभेदों (१) ध्वनि और (२) गुणीभूतव्यंग्य का कथन किया गया है वह अयुक्त ही है । जो जिसके विशेष की प्रतीति में निमित्तरूप से निश्चित होता है विशेषार्थी के लिये वही प्रतिपाद्य होता है, और कोई नहीं । क्योंकि तब अतिप्रसङ्ग होगा । जैसे दण्डी की प्रतीति के लिये पहले दण्ड प्रतिपाद्य होता है । अन्वय और व्यतिरेक के आधार पर यह निश्चित है कि अनुमेय अर्थ का सम्बन्ध ही काव्यगत चारुता का हेतु है । इसलिये वही कहना चाहिये प्राधान्य एवं अप्राधान्य पर आधारित विशेषता वक्तव्य नहीं ।

न हि तयोः सामान्यविशेषयोस्त्रिष्वपि वस्तुमात्रादिष्वनुमेयेषु चेतनचमत्कार-कारो कश्चिद्विशेषोऽवगम्यते ।

अत्र वस्तुमात्रस्य प्राधान्ये यथा—

सन सामान्य और विशेषों के अन्तर्गत (१) वस्तु (२) अलङ्कार और (३) रस आदि अनुमेयों में चेतनचमत्कारी कोई विशेष अवगत नहीं होता है । वस्तुमात्रगत प्रधानता का उदाहरण यथा—

वच्च महं ग्विअ एक्काए होन्तु णीसासरोई अब्बाइम ।

मा तुज्झ वि तीए विण दक्खिण्हअस्स जाअन्दु ॥

‘ब्रजः ममैवैकस्या भवन्तु निःश्वासरोदितव्यानि ।

मा तवापि तया विना दाक्षिण्यहतस्य जनिषत ॥

जाओ, निःश्वास और रोदन आदि केवल मुझे ही हों । तेरे जैसे दाक्षिण्य नायक को भी वे न हों ।

तस्यैवाप्राधान्ये—

लावण्यसिन्धुरपरैव हि केयमत्र

यत्रोत्पलानि शशिना सह सम्प्लवन्ते ।

उन्मज्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र,

यत्रापरे कदलिकाण्डमृणालदण्डाः ॥

अनुमेय वस्तु की अप्रधानता का उदाहरण जैसे “लावण्यसिन्धु” इत्यादि । इसका अर्थ यह है कि यह कोई और ही लावण्य की कौन नदी है ? जहाँ अनेक कमल चाँद के साथ तैर रहे हैं । और हाथी के मस्तककुम्भ भी जहाँ उन्मज्जनशील हैं तथा जहाँ कदलीस्तम्भ और मृणालदण्ड भी विलक्षण ही देखे जा रहे हैं ।

यथा च—

अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरस्सरः ।

अहो दैवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः ॥

दूसरा उदाहरण है “अनुरागवती सन्ध्या” इत्यादि । इसका अर्थ यह है कि सन्ध्या अनुरागयुक्त है और दिवस उसके समक्ष उपस्थित है परन्तु हाथ रे विधाता का विचित्र विधान !! फिर भी दोनों का मिलन होता नहीं ।

अलङ्कारस्य प्राधान्ये यथा—

वीराणं रमइ घुसृणारुणमि ण तहा पिआणणुच्छङ्गे ।

दिट्ठोरिउगअकुम्भस्थलमि जइ बहलसिन्दुरे ॥

(वीराणां रमते घुसृणारुणे न तथा प्रियास्तनोत्सङ्गे ।

दृष्टी रिपुगजकुम्भस्थले यथा बहल-सिन्दूरे ॥)-

वीरों की आँखें अपनी प्रिया के कुंकुमारुण स्तनों पर उतना रमण नहीं पाती हैं, जितना रिपुगज के सिन्दूररञ्जित कुम्भस्थल पर । यह है अलंकारगत - प्राधान्य का उदाहरण । यहाँ व्यतिरेक अलङ्कार है प्रधान ।

तथा च—

तं ताणसिरिसहोअररअणाहरणम्मि हिअअमेक्करसम् ।

विम्बाहरे पिआणं णिवेसिअं कुसुमवाणेन ॥

(तत् तेषां श्रोसहोदररत्नाहरणे हृदयमेकरसम् ।

विम्बाधरे प्रियाणां निवेशितं कुसुमवाणेन ॥)

दूसरा उदाहरण है— “तत् तेषां” इत्यादि । इसका अर्थ यह है कि श्रीसहोदर कोस्तुभ मणि के आहरण में तल्लोन उनका हृदय कामदेव के द्वारा प्रियाओं के अधरों पर लगा दिया गया । यहाँ अतिशयोक्ति अलङ्कार है प्रधान ।

तस्यैवाप्राधान्ये यथा—

चन्दमऊपहि णिसा णलिणि कमलेहि कुसुमगुच्छेहि लआ ।

हंसेहि सरअसोहा कव्वकहा सज्जणेहि करइ गुरुई ।

(चन्द्रमयूखैर्निशा नलिनी कमलैः कुसुमगुच्छैर्लता ।

हंसैः शारदशोभा काव्यकथा सज्जनैः क्रियते गुर्वी ॥)

अलङ्कार की अप्रधानता का उदाहरण है “चन्द्रमयूखैर्निशा” इत्यादि । अर्थ यह है कि चन्द्रकिरण से रात्रि, कमल से कमलिनी, पुष्पगुच्छ से लता इनसे शरदऋतु की शोभा और सज्जनों से काव्यकथा महत्त्वपूर्ण बनाई जाती है । यहाँ दीपक अलङ्कार अप्रधान है ।

रसादीनां प्राधान्ये यथा कुमारसम्भवे मधुप्रसङ्गे वसन्तपुष्पाभरणं वहन्त्या देव्या आगमनादिवर्णने मनोभवशरसन्धानपर्यन्ते, शम्भोश्च विवृत्तधैर्यस्य चेष्टाविशेष-वर्णनादौ ।

रस आदि के प्राधान्य का उदाहरण कुमारसम्भवोद्य वसन्तवर्णन-प्रसङ्ग में वासन्तिक पुष्पों का आभरण धारण किये देवी पार्वती का आगमन-वर्णन आदि, जो कि कामकर्तृक - शरानुसन्धान-वर्णन नक चलता है और शिवजी का धैर्य-शैथिल्यपूर्वक चेष्टाविशेष का वर्णन आदि ज्ञातव्य है ।

तेषामप्राधान्यं शुद्धसङ्कीर्णतादिभेदाद् द्विविधम् ।

तत्र शुद्धं यथा—

किं हास्येन न मे प्रयास्यसि पुनः प्राप्तश्चिराद्दर्शनं
केयं निष्करणं ? प्रवासरुचिता केनासि दूरीकृतः ? ।

स्वापान्तेष्विति ते वदन् प्रियतमव्यासक्तकण्ठग्रहो
बुद्ध्वा रोदिति रिक्तबाहुवलयस्तारं रिपुस्त्रीजनः ॥

इति । अत्र करुणस्य शुद्धस्यैवाङ्गभावः ।

रस आदि का अप्राधान्य (१) शुद्ध और (२) सङ्कीर्ण के भेद से द्विविध ज्ञातव्य है । इन दोनों के अन्दर (१) शुद्ध का उदाहरण है “किं हास्येन” इत्यादि काव्य । अर्थ यह है कि “क्यों हँसते हो ? बहुत दिनों पर तुमने दर्शन दिया है, अब तो नहीं जाओगे ? ओ निष्करण ! प्रवास में इतनी रुचि क्यों ? महाराज ! स्वप्न में इस प्रकार बोलती हुई आपकी रिपु-स्त्रियाँ जगते ही अपने बाहुपाश को शून्य देखती हुई जोर से रोने लगती हैं । यहाँ शुद्ध करुण-रस को ही अङ्गता अर्थात् गौणता है ।

सङ्कीर्णरसादावङ्गभूते यथा—

क्षिप्तो हस्तावलम्बः प्रसभमभिहतोऽप्याददानोऽशुकान्तं
गृह्णन् केशेष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः सम्भ्रमेण ।

आलिङ्गन् योऽवधूतस्त्रिपुरयुवतिभिः साश्रुनेत्रोत्पलाभिः

कामीबाद्रापराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शराग्निः ॥

सङ्कीर्ण रस आदि के अङ्ग-भाव का उदाहरण है “क्षिप्तो हस्तावलम्बः” इत्यादि । श्लोक का अर्थ यह है कि महाराज ! भगवान् शिव का वह शराग्नि आपके विघ्न को नष्ट करे जो कि तुरन्त अपराधशील कामी के समान रिपु-स्त्री के झिड़कने पर भी उसका हाथ पकड़ता है उससे अभिहत होने पर भी उसका आँचल पकड़ता है । हटाने पर भी उसका केश पकड़ लेता है कि वे हट न पायें । वे जब आँख बन्द कर लेती है तो वह वेगपूर्वक पाँव पर जा गिरता है साश्रुनेत्र त्रिपुरयुवतियों के द्वारा हटाने पर भी उनका आलिङ्गन करता है ।

अत्र हि त्रिपुररिपुप्रभावातिशयस्य वाक्यार्थत्वे ईर्ष्याविप्रलम्भस्य श्लेष-
सहितस्यैवाङ्गभावः ।

यहाँ शिवजी का प्रभावातिशय ही मुख्यरूप से वाक्यार्थ होने के कारण
श्लेष-अलङ्कार-सहित ईर्ष्यामूलक विप्रलम्भ-शृङ्गार उसका अङ्ग होता,
है अङ्गी नहीं ।

तदेवं प्रकारत्रयेऽप्यनुमेयार्थसंस्पृश एव काव्यस्य चारुवद्देतुरित्यवगन्तव्यम् ।
यदाह ध्वनिकारः— सर्वथा नास्त्येव हृदयहारिणः काव्यस्य स प्रकारः, यत्र
प्रतीयमानार्थ-संस्पृशेन न सौभाग्यम् । तदिदं काव्यरहस्यं परममितिसूरिमिर्षि-
भावनीयम् ।

मुख्या महाकविगिरामलङ्कृतिभृतामपि ।

प्रतीयमानच्छायैषा भूषा लज्जेव योषिताम् । इति ॥

इसलिये (१) वस्तु (२) अलङ्कार और (३) रस आदि अनुमेय-
अर्थ के सम्बन्ध-प्रयुक्त ही काव्य में चारुता होती है, यह ज्ञातव्य है ।
जैसा कि ध्वनिकार ने कहा है कि— सहृदय-हृदयहारी काव्य का वह
प्रकार सर्वथा नहीं है, जहाँ प्रतीयमान-संस्पृश होने पर भी चारुता
नहीं । काव्यगत यह रहस्य कुशाग्रबुद्धि विद्वानों द्वारा ज्ञातव्य है ।
“अलङ्कार-युक्त महाकवियों की वाणियों में भी प्रतीयमान की छाया
ही मुख्यरूप से भूषण होती है, जैसे अलङ्कृत सुन्दरी युवतियों में लज्जा
ही मुख्य भूषण होती है ।

पुनः स एव यथा—

प्रकारोऽन्यो गुणीभूतव्यङ्ग्यः काव्यस्य दृश्यते

यत्र व्यङ्ग्यान्वये वाच्यचारुत्वं स्यात् प्रकर्षवत् ।

पुनः ध्वनिकार ने “प्रकारो यो गुणीभूत” इत्यादि के द्वारा यह कहा है
कि— काव्य का द्वितीय जो गुणीभूत-व्यङ्ग्य नाम का काव्य-प्रभेद देखा
जाता है, उसमें व्यङ्ग्य अर्थ होने पर भी प्रकर्षयुक्त-चारुत्व वाच्य
अर्थ का ही होता है ।

सम्भवापेक्षया चास्य ध्वनेः स्वरूपमात्रप्रतिपादनार्थत्वोपगमेऽन्येषामपि तद्वाक्यवर्तिनां पदवर्णसंख्यादीनां सदुपदर्शनप्रसङ्गो विशेषाभावादिति संज्ञा-संज्ञिसम्बन्धव्युत्पत्तिमात्रफलमेतत् पर्यवस्यतीति न काव्य-विशेषव्युत्पत्तिफलम् । न चायं प्रधानेतरभावेनोपनिबद्धस्तेषामनुमेयतां प्रतिबध्नाति ।

यदि ऐमा माना जाय कि “यत्रार्थः शब्दोवा” इत्यादि लक्षणवाक्य के द्वारा वास्तविक ध्वनि के स्वरूप का प्रतिपादन नहीं किया गया है किन्तु वह कथन ध्वनि की सम्भावनामात्र के आधार पर किया गया है तब ध्वनि काव्यगत (१) पद (२) वर्ण (३) संख्या आदि का भी वर्णन प्रसक्त होता है । क्योंकि सम्भावित ध्वनिस्वरूप में कोई ऐसी विशेषता नहीं बतलाई जा सकती कि उसका उक्त प्रकार अनुपयोगी स्वरूप का ही निरूपण किया जाय । इसलिये यही मानना होगा कि उक्त ध्वनि-लक्षणवाक्य केवल ध्वनि नाम और उसके प्रतिपाद्य सम्भावित ध्वनि के बीच सम्भावित वाच्यवाचकभावमात्र बतलाना उसका फल है और कुछ नहीं । तब उसका प्रयोजन, काव्य-विशेष को समझाना नहीं कहा जाता है । अर्थों के गौण-मुख्यभाव की जो चर्चा की गई है उससे व्यङ्ग्य कहे जानेवाले की अनुमेयता में बाधा आती नहीं ।

तदेवञ्च नार्थशब्दयोरुपसर्जनीकृतस्वार्थत्वमव्यभिचारासम्भवदोषदुष्टत्वात् । न वाच्यप्रतीयमानयोर्व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावस्तल्लक्षणाभावात् । न च काव्यविशेषस्य लक्षणकरणं प्रयोजनाभावात् । नापि ध्वनिव्यपदेशः व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावाभावादुप-पद्यत इति सर्वमसमञ्जसमिव तल्लक्षणमुपलक्ष्यते ।

तो इस प्रकार अर्थ और शब्द में जो उक्त लक्षण-वाक्य के द्वारा उप-सर्जनीकृतार्थत्व अर्थात् अपने को तथा अपने वाच्य को जो गौण बनाने की बात कही गयी है सो सही नहीं । क्योंकि अव्यभिचार और असम्भव-दोषप्रयुक्त दुष्टता अनिवार्य है । वाच्य और व्यङ्ग्य-प्रतीय-मान के बीच व्यङ्ग्य-व्यञ्जकभाव माना नहीं जा सकता । क्योंकि उसका लक्षण अन्वित होना नहीं । काव्यविशेष का लक्षण-विधान उचित नहीं, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन नहीं । व्यङ्ग्यव्यञ्जकभाव

के अभाव-प्रयुक्त ध्वनिनामकरण भी उपपन्न होता नहीं। ध्वनि का जो लक्षण किया गया है सब तरह से वह असम्भव ही है।

यदि काव्ये गुणभूतव्यंग्येऽपीष्टैव चारुता ।

प्रकर्षशालिनो, तर्हि व्यथ एवादर। ध्वनौ ॥

जब कि गुणोभूत-व्यङ्ग्य काव्य में भी प्रकृष्ट चारुता इष्ट ही है तब ध्वनि का आदर व्यर्थ ही है।

नहि काव्यात्मभूतस्य ध्वनेस्तत्रास्ति सम्भवः ।

तेन निर्जीवतैवास्य स्यात् प्रकर्षे कथैव का ॥

काव्यात्मभूत ध्वनि को सम्भावना बिल्कुल नहीं है इसलिये इसके आधार पर काव्य में निर्जीवता ही आयेगी प्रकर्ष की बात क्या ?

अतोऽतदात्मभूतस्य येऽभावं जगदुध्वनेः ।

ते मुधैव प्रतिक्षिप्ताः स्वोक्तिभावमपश्यता ॥

इसलिये निस्सारभूत ध्वनि का जिन्होंने अभाव कहा था उसका खण्डन उन ध्वनिवादियों ने व्यर्थ ही किया जिन्होंने अपने कथन के भाव को भी सही रूप में समझा नहीं।

अथेप्यते स तत्रापि रसादिव्यक्त्यपेक्षया ।

काव्यमेवान्यथा न स्याद्रसात्मक मिदं यतः ॥

रस रसाभास आदि की व्यक्ति के आधार पर यदि ध्वनि को इष्ट बतलाया जाय तो रस आदि के बिना तो काव्य ही होना असम्भव है क्योंकि काव्य नियमतः रसात्मक ही होता है।

इत्थञ्च गम्यमानार्थस्पर्शमात्रमलंकृतिः ।

वाच्यस्येत्येतदुक्तं स्यान्मता सैवानुमा ततः ॥

ऐसे विचार के अनन्तर यह कहना ही होगा कि अनुमेय-अर्थ का सम्बन्ध ही वाच्य की महत्ता है, तब प्रतीयमान की अनुमिति ही माननी होगी।

किञ्च यत् अविवक्षितवाच्यो विवक्षिततान्यपरवाच्यश्चेति ध्वनेः प्रकारद्वय-
 युक्तं, तत्र किमिदमविवक्षितत्वं नामेति तात्पर्यतोऽस्यार्थो वक्तव्यः । किम्
 अविवक्षितत्वमनुपादेयत्वम् ? उत, अन्यपरत्वम् ? अनुपादेयत्वं च किं सर्वा-
 त्मना अंशेन वा ? सर्वात्मनानुपादेयत्वे व्यञ्जकत्वमप्यस्यानुपादेयम्, तस्य तदा-
 श्रितत्वात् । ततश्च प्रयोग एवास्य दुष्टः स्याद् यथान्यस्य पुनरुक्तादेः ।

और यह कि (१) अविवक्षित वाच्य और (२) विवक्षितान्य-पर-
 वाच्य इस रूप में जो ध्वनि का प्रभेदद्वय कहा गया है वहाँ अविवक्षित-
 वाच्यता क्या है ? उसका तात्पर्य विषय अर्थ क्या है यह बतलाना
 चाहिये । क्या अनुपादेयता है अविवक्षित-वाच्यता ? या अन्यपरता
 है वह ? और अनुपादेयता भी पूर्णरूप से या अंशतः अभिप्रेत है ?
 यदि पूर्णतः अनुपादेयता कही जाय, तब तो तद्वत् व्यञ्जकत्व भी अनु-
 पादेय हो पड़ेगा । क्योंकि व्यञ्जकत्व भी उसी पर आश्रित होगा ।
 तब तो व्यञ्जक का प्रयोग ही दुष्ट अर्थात् दोषयुक्त हो पड़ेगा जैसे
 अन्य पुनरुक्ति-दोषाघायक पद आदि का प्रयोग दोषाघायक होता है ।

अथांशेनेत्युच्यते ? वक्तव्यस्तर्ह्यसावंशः । स च निरूप्यमाणः स्वाप्राधान्य
 एव पर्यवस्यति । ततश्चाविवक्षितत्वमन्यपरत्वमुपसर्जनीकृतात्मत्वं चेत्येक एवार्थ
 इत्यनया भङ्ग्या स्वरूपमेव ध्वनेरुक्तं भवति नतु तस्य प्रकारभेदः ।

यस्य हि यत्लक्षणांनुगमे सति अवान्तरविशेषसंस्पर्शः स तस्य प्रकार
 इत्युच्यते, यथा गोत्वस्य शावलेयत्वादि, न तु तस्यैव स एव प्रकारो भवितु-
 मर्हति तदनवस्थाप्रसङ्गात् । न चात्र विशेषसंस्पर्शः कश्चिदिति कथमस्य ध्वनि-
 प्रकारत्वोक्तिर्युक्तिमती ?

यदि अंशतः अनुपादेयता कही जाय ? तब यह बतलाना चाहिये कि
 किसे अनुपादेय कहना है । उसका निरूपण किये जाने पर वह अंश
 उसके अपने अप्राधान्य में ही पर्यवसित होगा । तब तो (१) अविवक्षित-
 वाच्यत्व (२) अन्यपरत्व और (३) उपसर्जनीकृतात्मत्व ये तीनों एक
 ही पड़ेंगे, अतः तब तो रूपान्तर से ध्वनि-सामान्य का ही स्वरूप उक्त
 होता है ध्वनि का प्रभेद नहीं । जो जिसके लक्षण से युक्त होता हुआ

कुछ अवान्तर विशेष भी रखता है वह उसका प्रभेद कहलाता है जैसे चित्ररंग की गाय गोसामान्य का प्रभेद होती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि वही उसका प्रभेद हो, क्योंकि ऐसा मानने पर तो अवस्था हो पड़ेगी। अविवक्षित-वाच्य में ध्वनिसामान्य से कुछ विशेषता तो मालूम नहीं हो रही है, ऐसी परिस्थिति में अविवक्षित-वाच्य को ध्वनि का एक प्रभेद कैसे माना जाय ?

किञ्चेदं विवक्षितान्यपरवाच्यत्वं नाम न बुध्यामहे। यदि विवक्षितत्वं नाम प्राधान्यमुच्यते तत् कथं तस्यान्यपरत्वं घटते। अन्यपरत्वं ह्यन्यस्याङ्गभावो भण्यते। यस्य चाङ्गभावः स कथं तदैव विवक्षितत्वं प्राधान्यमनुभवेत्, इति यद् वाच्यस्य विवक्षितत्वमन्यपरत्वञ्चोपगतं तद् विप्रतिषिद्धं विवक्षितान्यपरत्वयोर्विरोधात्।

यह विवक्षितान्यपरवाच्यता भी क्या है ? हमलोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। यदि विवक्षितत्वं प्राधान्य है तब विवक्षित होनेवाला भला अन्य-पर कैसे हो सकता है ? दूसरे किसी का अङ्ग बन जाना है अन्यपरत्व। जो अङ्ग होगा वह भला कैसे उसी समय विवक्षितत्व-स्वरूप प्राधान्य को धारण करेगा ? इसलिये एक ही वाच्यार्थ में विवक्षितत्व और अन्यपरत्व दोनों का होना सर्वथा परस्पर विरुद्ध होगा। क्योंकि विवक्षितत्व और अन्य-परत्व ये दोनों आपस में विरुद्ध हैं।

एकाग्रयत्वेन हि प्राधान्येतरयोगित्वं विशेषणाभिमतार्थविषयमेव सङ्गच्छते, नान्यविषयम्। तदेव हि विशेष्यस्योत्कर्षाधाननिबन्धनभावेन विवक्षितत्वम् प्राधान्यम् उपाधिभावाच्च वास्तवादप्राधान्यमनुभवितुमशकम्, यथा 'रामस्य पाणिरसि निर्भरगर्भस्त्रिजसीताविवासनपटोः करुणा कुतस्ते' इत्युक्तम्।

“विवक्षितान्यपरवाच्य” यहाँ पर विवक्षितत्व और अन्य-परत्व अर्थात् प्राधान्य और अन्ययोगित्व स्वरूप विशेषण किसी एक अभिमत विशेष्य के लिये ही प्रयुक्त होने पर सङ्गत हो सकते हैं अन्य अन्य गत होने पर नहीं। हाँ, एक ही कोई विशेष्य में उत्कर्षाधायक होने के कारण प्रधान और धर्मी का उपाधि अर्थात् उसका धर्म होने के कारण वास्तविकरूप से अप्रधान भी कहला सकता है। जैसे 'रामस्य बाहुरसि'

इत्यादि स्थल में । अर्थ यह है, कि ओ पूर्णगर्भवती सीता को घर से निकालने की पटुता रखनेवाले मेरे बाहु ! तुम राम के बाहु हो, तुम्हें भला करुणा कहाँ ? यहाँ सीताविवासन-पटुता को उत्कर्ष का आधायक रूपमें प्राधान्य और बाहु का धर्म होने के कारण अप्राधान्य कहा जा सकता है । इसी प्रकार यह अन्यत्र भी कहा जा सकता है, परन्तु इसको ध्वनि से ही कोई खास सम्बन्ध नहीं है कि इसके आधार पर ध्वनिकाव्य का कोई प्रभेद माना जा सके ।

किञ्चास्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनिप्रभेदत्वेऽभ्युपगम्यमाने वाच्यस्यान्यपरत्वमनुपादेयमेव तस्य तत्प्रभेदत्वादेव सिद्धेः । अन्यपरत्व ह्युपसर्जनीकृतात्मत्वम् । तच्च ध्वनेः सामान्यं रूपमुक्तमेव ।

यथात्र तदुपादीयते पूर्वत्रापि तदुपादीयताम् उभयत्रापि वा मोपादीयताम् उभयोरपि तत्प्रकारत्वाविशेषात् ।

और यह भी कि यदि विवक्षितान्य-परवाच्य को ध्वनि काव्य का एक प्रभेद माना जाय तब ध्वनिलक्षण में जो वाच्य को अन्य-पर अर्थात् व्यङ्ग्य-पर कहा गया है वह वहाँ नहीं कहना चाहिये । क्योंकि विवक्षितान्य-परवाच्य को जब ध्वनि का एक प्रभेद कहा जा रहा है तब उसीसे ध्वनि के लिये वह प्राप्त होता है । यह पहले कहा जा चुका है कि उपसर्जनीकृतात्मत्व अन्य-परत्व ही है ।

यह भी कहा जा सकता है कि ध्वनिवादी की मान्यता के अनुसार अविवक्षितवाच्य स्वरूप ध्वनि के निर्वचन में अन्यपरता कही जाय या दोनों में कही जाय, और नहीं तो फिर कहीं भी यह नहीं कही जाय । क्योंकि ध्वनि के प्रभेद दोनों माने जा रहे हैं ।

किञ्चार्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्य यदुदाहरणं तदग्निर्माणवक इतिवद् गुणवृत्तेरेव सङ्गच्छते, तस्य गुणवृत्तिप्रकारत्वसमर्थनात् । तथा हि प्रसिद्धान्यूनानतिरिक्तभावस्यान्यस्य साधर्म्यप्रतिपत्त्यर्थमन्यत्रारोप उपचारः । स चायमारोप्यारोपकभावात्मकतया उभयार्थ-विषयो वेदितव्यः ।

और यह कि अर्थान्तर-संक्रमित-वाच्य का जो उदाहरण है वह “अग्नि-माणवकः” इत्यादि वाक्य के समान गौणीवृत्ति पर ही आधारित

रूपमें ही सङ्गत है। क्योंकि उसमें गौणवृत्ति की प्रभेदता का ही समर्थन होता है। क्योंकि जिसका “अन्यूनानतिरिक्तभाव” अर्थात् परिस्थितगत-साम्य प्रसिद्ध हो, ऐसे अन्य का अन्यत्र किया जानेवाला आरोप ही होता है उपचार। वह आरोप्य-आरोपभावात्मक होने के कारण, परस्पर दोनों अर्थविषयक सम्भव होता है।

ततश्च यदा एक एव अर्थ एकशब्दामभिधेयः सामान्यविशेषांशपरिकल्पनेनोभयरूपोऽस्य विषयभावं भजते, तदार्थ-प्रकरणाद्यध्यवसितोत्कर्षापकर्षौ विशेषांश एव समारोपितस्तत्र साधर्म्यावगतिहेतुर्भवति यथा— “तदमृतममृतं स इन्दुरिन्दुः” इति। न तु सामान्यांशः, विशेषस्य सामान्याव्यभिचारात्।

अतः जब एक ही अर्थ जो कि एक ही शब्द का अभिधेय अर्थात् वाच्य भी होता है सामान्य और विशेष रूपमें दो प्रभेदों में उपस्थापित होता है तब प्रयोजन और प्रकरण आदि के द्वारा उत्कर्ष और अपकर्ष का निश्चय होने पर विशेष अंश ही आरोपित होकर साधर्म्य और वैधर्म्य की अवगति का हेतु होता है, जैसे “वही अमृत अमृत है” वही चांद, चांद है। सामान्य अंश आरोपित होकर साधर्म्यावगति का हेतु होता नहीं। क्योंकि विशेष सामान्य का अव्यभिचारी होता है।

अर्थान्तरसंक्रमितवाच्योऽप्यनुमान एवान्तर्भवति। रामादिशब्दा हि प्रकरणाद्यवसितोत्कर्षापकर्षलक्षणधर्मविशिष्टं संज्ञितं प्रत्याययन्ति, न संज्ञिमात्रम्, अर्थान्तरं यदनुमितं धर्मरूपं तत्र संक्रमितमाश्रयभावेन परिणतं वाच्यमस्येति कृत्वा।

द्विविधो ह्यनुमेयोऽर्थो धर्मरूपो धर्मिरूपश्चेति। तत्राद्योऽस्य विषयः। तस्यैव वाच्यार्थनिष्ठतया प्रतीतेः। अन्यस्त्वन्यस्य, यथा अग्निरत्र धूमादिति। ततो धर्मविशेषप्रतिपत्तौ प्रकरणादिरेष हेतुतयावगन्तव्यः, न रामादि-शब्दा इति।

अर्थान्तर-संक्रमितवाच्य भी अनुमान में ही अन्तर्भूत होता है। राम आदि शब्द प्रकरण आदि के द्वारा उत्कर्ष या अपकर्ष स्वरूप धर्म से युक्त रूपमें निश्चित होनवाले वाच्य अर्थ को समझाता है, केवल वाच्य अर्थ को नहीं। धर्मात्मक जो अर्थान्तर वह उसमें संक्रमित अर्थात् उसके

आश्रयभाव से परिणत होकर उसका वाच्य होता है इसलिये अर्थान्तर संक्रमिक वाच्य कहा जाता है ।

अनुमेय पदार्थ द्विविध होता है (१) धर्मरूप और (२) धर्मिरूप । इन दोनों के अन्दर अर्थान्तर-संक्रमिक-वाच्यस्थल में प्रथम अर्थात् धर्मात्मक ही साध्य विषय बनता है । क्योंकि वाच्यार्थ रूपमें उसी की अवगति होती है । अन्य अर्थात् धर्म्यात्मक साध्य, अन्य अनुमान का विषय बनता है जैसे यहाँ अग्नि है क्योंकि धूम देखा जा रहा है” इत्यादि अनुमान स्थल में । इसलिये धर्मात्मक साध्य की अनुमिति स्थल में प्रकरण आदि ही हेतु रूप से ज्ञातव्य हैं । राम आदि शब्द नहीं ।

अत्यन्ततिरङ्कृतवाच्यस्तु पदार्थोपचार एव यथा गौर्वाहीक इति । तस्याप्यनुमानान्तर्भावः समर्थित एव ।

शब्दशक्तिमूलानुकरणरूपव्यंग्यस्तु न सम्भवेत्येव । शब्दस्याभिधाशक्तिव्यतिरेकेण शक्त्यान्तरानभ्युपगमादित्येतदुक्तं, वक्ष्यते च ।

अत्यन्त-तिरङ्कृत-वाच्य स्थल में पदार्थ का ही उपचार होता है जैसे “गौर्वाहीकः अर्थात् यह भारवाही व्यक्ति गोपशु है” इत्यादि वाक्य-स्थल में । वहाँ अनुमान ही होता है इसका समर्थन पहले किया जा चुका है । और आगे भी कहा जायगा ।

नाविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेर्युक्ता प्रकरता ।

न हि प्रकारस्तस्यैव स एवेत्युपपद्यते ॥

अविवक्षित वाच्य को ध्वनि का प्रभेद मानना उचित नहीं । उसी का प्रभेद वही हो यह उपपन्न नहीं ।

भक्तिः पदार्थवाक्यार्थरूपत्वात् द्विविधा मता ।

तदबुद्धिश्चानुमानान्तर्भूता यदुपपादिता ॥

तत् तिरङ्कृत-वाच्यस्य ध्वनेर्भक्तेश्च का भिदा ।

द्वितीयोऽपि प्रकारो यः सोऽपि सङ्गच्छते कथम् ॥

परस्पर-विरुद्धत्वाद् विवक्षाऽतत्परत्वयोः ।

भक्ति (१) पदार्थ और (२) वाक्यार्थ के रूपमें द्विविध मान्य है । तत्रत्य बोध अनुमान के ही अन्तर्गत मान्य है, यह यतः उपपादित किया जा चुका है । अतः तिरष्कृत-वाच्य-ध्वनि और भक्ति के बीच क्या विभिन्नता दिखलाई जा सकती है ? द्वितीय प्रभेद अर्थात् विवक्षितान्य-परवाच्य-प्रभेद कैसे सङ्गत हो सकता ? क्योंकि “विवक्षित” भी होना और “अन्य-पर” भी होना, सर्वथा परस्पर विरुद्ध हैं ।

यः शब्दशक्तिमूलोऽन्यः प्रभेदो वर्णितो ध्वनेः ।

सोऽयुक्तोऽन्यत एवासौ तत्रेष्टार्थान्तरे गतिः ।

शब्दे शक्त्यन्तराभावस्यासकृत् प्रतिपादनात् ॥

ध्वनि का शब्दशक्तिमूल जो अन्य प्रभेद बतलाया गया, वह अयुक्त ही है क्योंकि वहाँ अर्थान्तर का ज्ञान अन्य हेतु से ही होता है । यह इसलिये कि शब्द में वाचकता के अतिरिक्त और शक्ति का अभाव प्रतिपादित हो चुका है ।

इति राजानकमहिमभट्टविरचिते व्यक्तिविवेकाख्ये काव्याऽलङ्कारे

ध्वनिलक्षणाक्षेपो नाम प्रथमो विमर्शः ॥

राजानक महिमभट्ट-रचित व्यक्तिविवेक नामक काव्यालङ्कारग्रन्थ का ध्वनिलक्षणखण्डन नामक प्रथम विमर्श समाप्त ॥

कामेश्वरसिंह-दरभंगा-संस्कृत-विश्वविद्यालय के

सम्मानित-प्राध्यापक कवितार्किकचक्रवर्ती

आचार्य श्री आनन्द झा कृत हिन्दी अनुवाद समाप्त ।



1. The first part of the paper is devoted to a general
 discussion of the problem. It is shown that the
 problem is of great importance and that it has
 not been solved before. The author then proceeds to
 state the main results of the paper.

2. The second part of the paper is devoted to a
 detailed discussion of the problem. It is shown that
 the problem is of great importance and that it has
 not been solved before. The author then proceeds to
 state the main results of the paper.

3. The third part of the paper is devoted to a
 detailed discussion of the problem. It is shown that
 the problem is of great importance and that it has
 not been solved before. The author then proceeds to
 state the main results of the paper.

4. The fourth part of the paper is devoted to a
 detailed discussion of the problem. It is shown that
 the problem is of great importance and that it has
 not been solved before. The author then proceeds to
 state the main results of the paper.

5. The fifth part of the paper is devoted to a
 detailed discussion of the problem. It is shown that
 the problem is of great importance and that it has
 not been solved before. The author then proceeds to
 state the main results of the paper.

6. The sixth part of the paper is devoted to a
 detailed discussion of the problem. It is shown that
 the problem is of great importance and that it has
 not been solved before. The author then proceeds to
 state the main results of the paper.

7. The seventh part of the paper is devoted to a
 detailed discussion of the problem. It is shown that
 the problem is of great importance and that it has
 not been solved before. The author then proceeds to
 state the main results of the paper.

8. The eighth part of the paper is devoted to a
 detailed discussion of the problem. It is shown that
 the problem is of great importance and that it has
 not been solved before. The author then proceeds to
 state the main results of the paper.

9. The ninth part of the paper is devoted to a
 detailed discussion of the problem. It is shown that
 the problem is of great importance and that it has
 not been solved before. The author then proceeds to
 state the main results of the paper.

ध्वनिकल्लोखिनी

ध्वनिखण्डनम्

(व्यक्तिविवेक - प्रथम - विमर्श - वाचिकम्)

—:❖:—

चरणप्रणताऽशेष-हृदाऽऽवरणवारिणी ।

उदेतु हृदये काऽपि, सवीणा करुणा मम ॥

यदीयवदनस्फुरन्नवनिशाकर-भोज्ज्वला-

मुपास्य सुरभारती महमभूवमेतादृशः ।

तदीयचरणारुणाम्बुजपरागपुञ्जे कथं

न मत्प्रणतिसन्ततिर्भ्रमरभामिनीबोल्लसेत् ॥

—:❖:—

प्रणिपत्य परां वाचं ध्वनिखण्डनमेतदाक्रियते ।

व्यक्तिविवेकस्याद्यं विमर्शमाश्रित्य निर्यत्नम् ॥१॥

वह वीणाधारिणी करुणा मेरे हृदय में उद्भित हों, जो अपने चरणों पर विनत होनेवाले सभी लोगों के हृदयगत अन्धकार को नष्ट कर डालती हैं ॥ जिनके मुख से निर्गत चन्द्रोज्ज्वल-वाणी की उपासना के फल-स्वरूप, मैं ऐसा हो पाया, मेरी प्रणति परम्परा उनके चरणकमलगत परागपुञ्ज में, भौरी के समान भला कैसे नहीं उल्लास प्राप्त करेगी ?

—०—

परावाणी को प्रणाम और व्यक्तिविवेक के प्रथम विमर्श का आश्रयण करके यतः मैं इस “ध्वनिखण्डन” की रचना करता हूँ, अतः आयास का अभाव स्वाभाविक है ॥१॥

अनुमानेऽन्तर्भावो ध्वनेर्महिम्ना प्रकाशितस्तत्र ।

ध्वनिखण्डन - विध्वंसनकृत्यं विहितं विशेषतः प्रथमम् ॥२॥

युक्तोयमेति पद्यं विरचयता तेन सम्प्राक्तम् ।

रुचि-वैचित्र्यं हेतु, ध्वनिमण्डनखण्डनादौ तु ॥३॥

“इहसम्प्रती”ति पद्यात् कृत्यादस्माद्यशोलाभः ।

भविता ममेति गदितं, ध्वनिकृति पूज्यत्वमुक्तमतः ॥४॥

सहसा यशोभिसर्तुं समुद्यतादृष्टदर्पणा मम धीः ।

स्वालङ्कार - विकल्प - प्रकरूपने वेत्ति कथमिवावद्यम् ॥५॥

ध्वनिवर्त्मन्यतिगहने स्खलितं वाण्याः पदे पदे सुलभम् ।

रमसेन यत्प्रवृत्ता प्रकाशकं चन्द्रिकाद्यदृष्टवैव ॥६॥

महिमभट्ट ने अपने व्यक्तिविवेक के प्रथम-विमर्श में ध्वनि का अन्तर्भाव अनुमान में बतलाया है । वहाँ उन्होंने सर्वप्रथम ध्वनिकाव्य के लक्षण का खण्डन किया है । “युक्तोयमात्मसदृशान् प्रतिमेप्रयत्नो” इस अपने श्लोक के द्वारा महिमभट्ट ने यह अभिप्राय बतलाया है कि यहाँ का खण्डन और मण्डन रुचिगत विभिन्नता पर ही आधारित है राग-द्वेष पर नहीं । तदनन्तर “इहसम्प्रतिपत्तितोऽन्यथा वा” इस श्लोक के द्वारा उन्होंने यह बतलाया है कि यहाँ किये जानेवाले ध्वनिखण्डन से मुझे यश की प्राप्ति अवश्य होगी । यह कहकर उन्होंने ध्वनिकार आनन्दवर्धन में पूज्यता बतलाई है, उनके प्रति अपना आदर बतलाया है ।

इसके अनन्तर “सहसा यशोभिसर्तुम्” (१) । ध्वनिवर्त्मन्यति-गहने (२) । किन्तु तदवधीर्ययिः (३) इत्यादि तीन पद्यों के द्वारा महिमभट्ट ने अपनी हार्दिक पवित्रता बतलाई है । साथ ही यह बतलाया है कि ध्वनि का खण्डन और मण्डन बराबर से होता आया है “ध्वनि-दर्पण” ध्वनि-चन्द्रिका” आदि ग्रन्थ पहले भी रचे गये थे जो आज उपलब्ध नहीं हैं । अतः ध्वनि का खण्डन अति नवीन नहीं । हाँ, उन प्राचीन ग्रन्थों की अप्राप्ति के कारण मेरी खण्डन-पद्धति अवश्य नवीन है । ७,८,९

किन्तु तदवधोर्यथै गुणलेशो समवहितैर्मान्यम् ।
 परिपवनवदथवा ते जात्यैव न शिक्षितास्तुषग्रहणम् ॥७॥
 पद्यत्रयेऽत्र हृदयं स्वकीयमादर्शितं तेन ।
 पूर्वमपीतो दर्पणचान्द्रयादेः सत्त्वमादिष्टम् ॥८॥
 यद्विषयो ध्वनिखण्डन मासीत्तन्नो नवीननिदम् ।
 पद्धति रस्तिनवीना परिचयविरहोस्ति यत्तेषाम् ॥९॥
 ध्वनिमार्गे गहनत्वं वाण्याः स्खलनं निजीकृतं त्वस्याः ।
 गुणलेशग्रहणार्थं याश्चा विनिवेदिता स्वस्य ॥१०॥
 यत्रार्थः शब्दोर्वित्यादिकमुक्तं ध्वने लक्ष्य ।
 घटतेनन्वनुमानस्यैव, ततो नो ध्वनिर्मान्यः ॥११॥
 अर्थस्य तावदुपसर्जनमृतात्मत्व मुक्तं यत् ।
 ध्वनिलक्षणवाक्ये, तन्नोपादेयत्वमावहति ॥१२॥
 अभिधेयस्यार्थस्थोपादानं व्यंग्य-बोधार्थम् ।
 तस्माद् व्यंग्यार्थनाऽव्यभिचारस्तस्य मान्यः स्यात् ॥१३॥

इन सारी बातों को बतलाते हुए उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि ध्वनि से सम्बद्ध खण्डनमण्डनात्मक विचार अत्यन्त गहन है, अत्यन्त कठिन है, अतः इसमें मेरा कथन स्खलनयुक्त अर्थात् दोषयुक्त हो सकता है। इसलिये विवेकीजन इसके गुणग्रहण में ही जागरूक हों, दोष की ओर ध्यान नहीं दें, यह याचना भी उन्होंने की है १०। अनन्तर उन्होंने यह कहा है कि ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने जो “यत्रार्थः शब्दो वा” इत्यादि के द्वारा ध्वनिकाव्य का लक्षण बतलाया है, विचार करने पर वह अनुमान का ही लक्षण हो सकता है। इसलिये ध्वनिकाव्य एक स्वतन्त्र-काव्य मान्य नहीं है। उक्त “यत्रार्थः शब्दो वा” इत्यादि ध्वनिलक्षण-वाक्य के अन्तर्गत जो अर्थ में गौणता-स्वरूप उपसर्जनता को काव्यगत ध्वनित्व का उपादाक कहा गया है सो इसलिये नहीं कहा जा सकता कि काव्य के द्वारा वाच्य - अर्थ प्रतीयमान अर्थ को सूचित करे। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में

अव्यभिचारो व्याप्तिः, साध्यविरहवत्यवर्तमानत्वम् ।
 व्यंग्यैर्निरूपिता सा वाच्येष्वर्थेषु सम्भविनी ॥ १४ ॥
 ध्वनिकाव्यग-वाच्यार्थं यद्गौणत्वं समादिष्टम् ।
 व्यंग्यापेक्षं, तदपि प्रतिकूलं नानुमानस्य ॥ १५ ॥
 प्रभवति धूमो हेतु गौणो मुख्यः शिखी साध्यः ।
 पारार्थ्यमेव गौणत्वं मान्यं युक्तिसंसिद्धम् ॥ १६ ॥
 व्यंग्यत्वर्थः क्रिययाऽपि प्रभवत्येव चाज्ञकया ।
 प्रभवति वाच्यस्त्वर्थो यत्र न तस्मादधिकवृत्तिः ॥ १७ ॥
 व्यंग्योर्थो वाच्यार्थात्, व्यापकताऽधिकगते नित्या ।
 तस्माद्वाच्यस्त्वर्थो व्याप्यो व्यंग्यस्य ननु मान्यः ॥ १८ ॥
 साध्यव्याप्तिः पक्षेऽस्तिता च हेतोर्यदा ज्ञाता ।
 का वाधाऽनुमितौ स्यात् हेतोः साध्यस्य ननु पक्षे ॥ १९ ॥

प्रतीयमान की व्याप्ति वाच्य अर्थ में अवश्य मान्य होगी । यह इसलिये कि अव्यभिचार ही है व्याप्ति । वस्तुतः वह है “साध्याभाववदवृत्तित्व” वाच्य अर्थ में होनेवाली उक्त व्याप्ति व्यंग्य-अर्थ-निरूपित होगी । इस प्रकार उक्त लक्षण वाक्य के द्वारा जो व्यंग्य अर्थ की अपेक्षा से वाच्य अर्थ में गौणता बतलाई गई है वह भी अनुमान के लिये प्रतिकूल होती नहीं । तदनुसार काव्यवाक्य को भलीभाँति अनुमापक काव्य कहा जा सकता है । ११, १२, १३, १४, १५ ।

धूमहेतु गौण होता है और अग्निसाध्य मुख्य । यह युक्ति-सिद्ध है कि गौणत्व परार्थता ही है । जहाँ अर्थ का व्यञ्जन क्रिया से होता है वाचक शब्द से नहीं, वहाँ यह स्पष्ट हो उठता है कि व्यंग्य अर्थ वाच्य अर्थ से अधिक स्थान में रहता है । अधिक स्थानस्थित में व्यापकता अवश्य है इसलिये वाच्य अर्थ को व्यंग्य अर्थ का व्याप्य मानना ही होगा । जब हेतु में साध्य की व्याप्ति और पक्षवृत्तिता ज्ञात हो जाये तब पक्ष में हेतु से साध्य की अनुमिति में भला क्या वाधा बतलाई जा सकती ? १६, १७, १८, १९ ।

यद्यत्र प्रज्ञयात् ध्वनिवादी नोचितोक्तिस्ते ।

यस्माद्वा घंग्याभाने ऽप्यर्थो वाच्यः स्फुरत्येव ॥२०॥

व्यंग्यविरहवत्येवं वाच्यस्यार्थस्य वृत्तित्वात् ।

व्यंग्यनिरूप्या व्याप्तिः प्रभवति वाच्यार्थगा नैव ॥२१॥

सत्येवं, कथमेवं व्यञ्जनमनुमान मेवेति ।

वक्तुं शक्यमशक्यं हन्त महिम्नाऽमहिम्नेदम् ॥२२॥

एतत्तदुत्तरं स्यादव्यञ्जनपक्षतो ज्ञेयम् ।

सर्वे वाचकशब्दा व्यञ्जकताशालिनो मान्याः ॥२३॥

सर्वस्मादथ शक्याद् व्यंग्यमतिर्जायते न कुतः ।

इति नो वाच्यं सहृदयताया स्तत्रावरुद्धत्वात् ॥२४॥

अन्यमनस्कत्वेन प्रभवति रोषः सहृदयस्य ।

सर्व्वेऽपि व्यंग्यस्याभावः स्यात्तन्मते सुलभः ॥२५॥

इसके विरुद्ध यदि ध्वनिवादी यह कहें कि उक्त कथन इसलिये उचित नहीं कि काव्यजगत् में ऐसा भी स्थल पाया जाता है जहाँ व्यंग्य अर्थ न होने पर भी वाच्य अर्थ प्रतिभात होता है । ऐसी परिस्थिति में व्यंग्य अर्थ के अभाव-स्थल में भी वाच्य अर्थ होने के कारण वाच्य-अर्थ में व्यंग्य अर्थ की व्याप्ति नहीं मानी जा सकती है । ऐसी परिस्थिति में यह कथन कैसे संगत कहा जा सकता है कि व्यञ्जन अनुमान ही है । २०, २१, २२ । व्यञ्जन-विरोधियों की ओर से इसके उत्तर में वक्तव्य यह है कि सारे वाचक शब्द व्यञ्जक भी अवश्य मान्य हैं । यहाँ यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि जब सारे वाचक शब्द व्यञ्जक भी होते ही हैं तो सर्वत्र वाच्यार्थ-बोधस्थल में व्यंग्यार्थ-बोध होता क्यों नहीं ? क्योंकि सर्वत्र व्यंग्य-अर्थ-बोध का अभाव, सहृदयता के अवरोध के कारण होता है । सहृदय-व्यक्ति के रहने पर भी तद्गत सहृदयता का अवरोध अन्यमनस्कता के कारण सम्भव है । व्यंग्य अर्थ के होने पर भी व्यंग्यार्थ-बोध का अभाव उक्त हेतु-प्रयुक्त हो सकता है । इसलिये वाच्य अर्थ में व्यंग्य अर्थ की व्याप्ति

वाच्ये तस्मादर्थे व्यङ्ग्यव्याप्ते न वै विरहः ।

वाच्यं तस्मादञ्जन मनुमानं नेतरत्तस्मात् ॥२६॥

एतदनन्तरमत्रायं प्रश्नः सम्भवत्युदयी ।

वाच्योपसर्जनत्वं स्वीकृतमनुमानपक्षेऽपि ॥२७॥

यदि चेत्, लक्षणवाक्ये कुतोऽनुपादेयता प्रोक्ता ।

व्यञ्जनमनुमानं चेत् प्रोक्तं ध्वनिक्षम तल्लक्षम् ॥२८॥

उपसर्जनोक्तात्मत्वं नोपादेयमिति कस्मात् ।

उक्तं भट्टमहिम्ना यत्तु तथाहीति ननु लिखता ॥२९॥

अत्रायमभिप्रायो ज्ञेयो दूरार्थदर्शिनस्तस्य ।

व्यभिचारसम्भवाभ्यां विशेषणं सार्थकं प्रभवेत् ॥३०॥

नैवान्यथेति मान्यं सर्वैरनुभूति-सिद्धत्वात् ।

कस्मिन्नपि सविशेषणवाक्ये विज्ञातुमेतदथ शक्यम् ॥३१॥

नीलोत्पलमितिबुद्धौ प्रभवति नीलं विशेषणं यस्मात् ।

का अभाव नहीं कहा जा सकता है । ऐसी परिस्थिति में यह भलीभाँति कहा जा सकता है कि व्यञ्जन अनुमान ही है और कुछ नहीं । २३, २४, २५, २६ ।

इसपर यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि महिमभट्ट भी वाच्य अर्थ को गौण मानते ही हैं तब “यत्रार्थः शब्दो वा” इस लक्षण-वाक्य के द्वारा कही गई वाच्यार्थ की गौणता का खण्डन वे क्यों करते हैं ? उक्त लक्षण-वाक्य को अस्वीकरणीय क्यों कहते हैं ? जब व्यञ्जन और अनुमान दोनों एक ही हैं ध्वनि का लक्षण अनुमान का ही लक्षण है तब “तथाहि” इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा महिमभट्ट यह क्यों कहते हैं कि वाच्य अर्थ में उपसर्जनीकृतात्मता उपादेय नहीं ? तो यहाँ दूरदर्शी महिमभट्ट का अभिप्राय यह ज्ञातव्य है कि कोई भी विशेषण सार्थक तभी होता है जब कि सम्भव और व्यभिचार दोनों होते हैं, अन्यथा नहीं, यह सर्वानुभव-सिद्ध है । क्योंकि किसी भी सविशेषण वाक्य-प्रयोग-स्थल में इसे भलीभाँति समझा जा सकता है । २७, २८, २९, ३०, ३१ ।

व्यभिचारो नैरुयोत्पलतयोः सिते पङ्कजे सुलभः ॥३२॥

नीलोत्पले च नैरुयं बाधाभावेन सम्भवं भजते ।

व्यभिचार-सम्भवाभ्यामेवं नैरुयं विशेषणं जलजे ॥३३॥

प्रकृते न व्यभिचारो वाच्येऽर्थे व्यंग्यभूतस्य ।

तत् तज्ज्ञापकता चे दुपसर्जनतापि तन्नियता ॥३४॥

व्यंथोपसर्जनत्वं यद्येवं वाच्यभूतस्य ।

नियतं, नो व्यभिचारः शक्यो वक्तुं कदाचिदपि ॥३५॥

व्यभिचारस्याभावे विशेषणत्व-प्रयोजकाभावः ।

विरहस्ततो विशेषण-विशेष्यभावस्य विशेषः ॥३६॥

यदि कश्चित् प्रव्रूया दनुपादेयत्वमेवोक्तम् ।

बाधो विशेषणत्वस्य हि नोक्तो युज्यतेऽथ कुतः ॥३७॥

“नील-कमल” इत्यादि बोधस्थल में नीलता और कमलत्व का व्यभिचार सफेद कमल में उपलब्ध है और नील-कमल में नीलता का अभाव न होने के कारण सम्भव भी होता है इसलिये कमल में नीलता विशेषण उचित होता है । ३२, ३३ ।

प्रकृत में वाच्य अर्थ में व्यंग्य अर्थ का व्यभिचार पाया जाता नहीं । वाच्य अर्थ जब कि व्यंग्य अर्थ का ज्ञापक माना जा रहा है तब व्यंग्य अर्थ के प्रति वाच्य अर्थ की उपसर्जनता अर्थात् ग्रीणता भी होगी ही, उसका व्यभिचार कभी नहीं कहा जा सकता है । ऐसी परिस्थिति में विशेष्य-विशेषण-भाव के नियामक व्यभिचार का अभाव होने के कारण वाच्य अर्थ को विशेष्य और उपसर्जनीकृतात्मत्व को विशेषण बनाते हुए ध्वनि का उक्त लक्षण कैसे किया जा सकता है ? ३४, ३५, ३६ । यदि ध्वनिवादी की ओर से यह कहा जाय कि तब तो महिमभट्ट को यह कहना चाहिये कि उपसर्जनीकृतात्मत्व वाच्यार्थ का विशेषण हो सकता नहीं । किन्तु ऐसा न कहकर उसे अनुपादेयमात्र क्यों कहा है । ३७ ।

तत्रेदं वक्तव्यं ज्ञेयं व्यावर्तकत्वस्य — ।

विरहात् वैयर्थ्यं स्यात् कथितस्यार्थोपसर्जनत्वस्य ॥ ३८ ॥

वाच्यगमप्राधान्यं धूमस्येवाथ तस्य गौणत्वात् ।

यदिदं प्रोक्तं, युक्तं कथं ? समासोक्तिं न यतः ॥ ३९ ॥

प्रश्नस्यास्योत्तरमिदं मुक्तं यत्पुनरिति प्रोक्त्या ।

भट्टमहिम्ना, मौख्यं प्राकरणिकताख्यमेवहि तत् ॥ ४० ॥

वाच्ये संक्षेपौक्तौ, प्राकरणिकतात्मकं मौख्यम् ।

न ह्यनुमेयापेक्षिक मिति गौणत्वं विरुद्धं नो ॥ ४१ ॥

अनुरागि लोलतारं तथा गृहीतं निशामुखं क्षिणा ।

अपि गलितं तिमिरांशुक मलक्षितं रक्तया निशया ॥ ४२ ॥

अत्र हि सन्ध्यावर्णन-पद्ये वाच्यार्थतामेति ।

षटना निशेन्द्रनुगता, नन्वनुमेया न या भवति ॥ ४३ ॥

दम्पत्योरथषटना ऽनुमेयता भावहन्ती या ।

सैवहि मौख्यं भजते निशेन्दुगा किन्तु गौणत्वम् ॥ ४४ ॥

इसपर ज्ञातव्य रूप से वक्तव्य यह है कि उक्त प्रकार व्यभिचार न होने के कारण व्यावर्तकता नहीं होगी, इसलिए कथित उपसर्जनत्व-विशेषण व्यर्थ हो उठेगा । क्योंकि विशेषक अर्थात् व्यावर्तक होने के कारण ही विशेषण विशेषण कहलाता है । ३८ ।

धूम से की जानेवाली वल्लभनुमिति-स्थल में धूम के समान, वाच्य अर्थ व्यंग्य अर्थ की अपेक्षा से गौण ही होता है यह कथन उचित कैसे ? क्योंकि समासोक्ति - अलङ्कार - स्थल में तो वाच्य ही प्रधान होता है व्यंग्य अर्थ से ? इस प्रश्न का उत्तर महिमभट्ट ने यह दिया है “यत्पुनः” इत्यादि कथन द्वारा, कि वहाँ की मुख्यता प्राकरणिकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं । मारांश यह कि समासोक्ति - अलङ्कार - स्थल में वाच्यार्थगत - प्राकरणिकता अनुमेय (व्यंग्य) को अपेक्षा करनेवाली वास्तविक मुख्यता नहीं, इसलिए गौणत्व - कथन असंगत नहीं, विरुद्ध नहीं । “चन्द्र ने अनुरागी एवं लोलतार निशामुख

नायक-नायिकयो र्वा भावो धारोपितस्तत्र ।

क्षणदाशशिनो स्तस्मा द्वाक्यार्थत्वं तयोरेव ॥४५॥

तस्यैव च क्लिप्तत्वा दुपसर्जनभाव आस्थेयः ।

तस्मादव्यभिचारो व्यभिचारो नैव ननु यस्मात् ॥४६॥

नार्थित्वं तस्मादथ ततो भ्रवं भावि वैयर्थ्यम् ।

“व्यभिचारेपी”त्यादिक पक्षान्तरमपि समुपदिष्टम् ॥४७॥

तस्यायमभिप्रायो नैष्फल्येनानुपादानम् ।

गुणभूतव्यंग्येपिहि चारुत्वं व्यंग्यगं दृष्टम् ॥४८॥

को इस प्रकार पकड़ा कि निशा को यह भी पता नहीं रहा कि मेरा तिमिरांशुक पूर्ण रूप से नीचे गिर गया” इस सन्ध्या-वर्णन में वाच्य होनेवाली चांद और निशा की घटना, जो कि मुख्य है, वह अनुमेय नहीं, जो अनुमेय है नायक-नायिका की घटना, वही मुख्य होती है, चन्द्र और निशा की घटना गौण ही होती है। अथवा यों कहा जाय कि चन्द्र में नायक-भाव और निशा में नायिका-भाव का आरोप होता है, अतः वाच्यार्थ चन्द्र और निशा ही होते हैं, तथा लिङ्गत्व-प्रयुक्त गौणता भी उन्हीं दोनों की घटना में होती है। इस प्रकार व्यभिचार न होने के कारण “अव्यभिचार” कहलाता है। ऐसा होने पर व्यावर्त्य न होने के कारण वैयर्थ्य आवश्यक हो पड़ता है। ३६, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६। महिमभट्ट ने “व्यभिचारेऽपि” इत्यादि के द्वारा पक्षान्तर भी उपस्थित किया है। इसका अभिप्राय यह है कि वाच्य अर्थ में उपसर्जनता का लक्षणगत उल्लेख इसलिए भी निष्फल है कि गुणीभूत-व्यंग्य काव्य भी कम आकर्षक नहीं। क्योंकि वहाँ भी व्यंग्य अर्थ में चारुता पायी ही जाती है। ४७, ८।

इसलिए गुणीभूत-व्यंग्य काव्य के निराकरणार्थं ध्वनि-लक्षण वाक्य में वाच्य अर्थ में उपसर्जनीकृतात्मत्व विशेषण दिया गया है, यह नहीं कहा जा सकता। “उक्तं गुणीकृतार्थत्वं इत्यादि संग्रह पद्य से भी इन्हीं बातों को संक्षेप में इस प्रकार बतलाया गया है कि ध्वनि नाम से कहे

तस्मान्न तन्निरासो विशेषणस्य प्रयोजनं प्रभवेत् ।

“उक्तं गुणी”ति संग्रहपद्येनेदं समुपदिष्टम् ॥४९॥

गमकत्वादगुणताऽतो विशेषणं नार्थगं युक्तम् ।

अव्यभिचासत्, विरहाद्व्यभिचारस्य प्रयोजकाभावात् ॥५०॥

इत्यभिधाय ततःपरं मुक्तं शब्दोऽनुपादेयः ।

यत्रार्थः शब्दोवेत्यत्रहि वाक्ये तु लाक्षणिके ॥५१॥

यो यस्य व्यापारस्तत्र च मुख्यत्वमेव ननु तस्य ।

स्वार्थाभिधानमेव व्यापारो भवति शब्दस्य ॥५२॥

तत्रोपसर्जनत्वं तस्य न वक्तुं कदाचिदप्युचितम् ।

द्विविधः प्रभवति शब्दोऽनुकरणतद्विचरूपत्वात् ॥५३॥

अनुकरणव्यतिरिक्तोऽर्थे नष्टुपसर्जनीभूतः ।

अनुकरणोदाहरणं “तं कर्णे”त्यादि-पद्येन ॥५४॥

उक्तं रघुवंशीयेनेति-शिरस्केन, भट्टेन ।

अर्थगतिर्हि भवन्ती तत्राप्यनुकार्य-शब्देन ॥५५॥

जानेवाले काव्य-स्थल में वाच्य अर्थ अनुमेय (व्यंग्य) अर्थ का अनुमापक होने के कारण स्वतः गौण होता ही है । ऐसी परिस्थिति में व्यभिचार-प्रयोजक के अभाव-प्रयुक्त अव्यभिचार अनिवार्य है । अतः ध्वनि लक्षण के अन्दर वाच्य अर्थ में उपसर्जनीकृतात्मत्व विशेषण उचित नहीं । ४९, ५० ।

इसके अनन्तर यह कहा गया है कि “यत्रार्थः शब्दो वा” इस ध्वनिलक्षण वाक्य के अन्दर “शब्द” का उल्लेख भी सङ्गत नहीं । क्योंकि जो जिसका व्यापार अर्थात् कार्य होता है उसके प्रति उसका मुख्य होना स्वाभाविक है । इसलिए उसके प्रति उसे गौण कहना सही नहीं कहा जा सकता है । अनुकरणात्मक और अननुकरणात्मक दो प्रकार के शब्द हैं । उनके अन्दर दूसरा अर्थात् अननुकरणात्मक शब्द स्वबोध्य अर्थ के प्रति कभी उपसर्जन नहीं हो सकता है । महिम-भट्ट ने अनुकरण शब्द का उदाहरण रघुवंश-महाकाव्य-गत “तं कर्ण-मूलमागत्य” इत्यादि श्लोक को उपस्थित करके दिया है । महिम-भट्ट ने कहा है कि अनुकरण-वाक्य के प्रयोग-स्थल में होनेवाला वाक्यार्थबोध अनुकार्य-वाक्य से ही होता है । ५१, ५२, ५३, ५४, ५५ ।

अनुकार्योऽपि द्विविधः सार्थनिरर्थकतया भेदात् ।

अनुकरणात्मकशब्दा दर्थावगतिर्न हीतोऽस्ति ॥५६॥

इतिनाऽवच्छिन्नत्वात् स्वरूपमात्रे व्यवस्थानात् ।

किं तत्स्वरूपमिति चे दनुकार्यगताऽनुपूर्वी-युक् ॥५७॥

अनुकार्यस्य न कथमप्युपसर्जनता स्ववाच्येऽर्थे ।

तं बोधयितुं यस्मादनुकार्यस्यास्त्युपादानम् ॥५८॥

योहि यदर्थं प्रभवति करोति तं नोपसर्जनं नित्यम् ।

उदकोपादानार्थं घटो गृहीतो नहि क्वापि ॥५९॥

सार्थक और निरर्थक भेद से अनुकरण-शब्द दो प्रकार का होता है । अनुकरण-शब्द से अर्थ-बोध इसलिए नहीं होता है कि वहाँ अनुकार्य-शब्द के अव्यवहित उत्तर “इति” अवश्य रहता है । वहाँ का वह “इति” शब्द नियमित रूप से अनुकार्य शब्द के स्वरूप को ही कहता है ! उसका स्वरूप क्या होता है ? इसका उत्तर यह है कि अनुकार्यगत आनुपूर्वी-युक्त । ५६, ५७ ।

प्रकृत बात यह है कि अनुकार्य शब्द अपने वाच्य अर्थ के प्रति कभी उपसर्जन अर्थात् गौण नहीं हो सकता है । ऐसा इसलिए कि वह उस अपने अर्थ को समझाने के लिए ही बोला जाता है । जो जिसके लिए होता है वह उसे कभी गौण नहीं करता । जलानयन के लिए गृहीत घड़ा कभी जल को उपसर्जन अर्थात् गौण बनाता नहीं । जल तो घटातिरिक्त पात्र से भी लाया जा सकता है अतः घड़ा छोड़ा भी जा सकता है । परन्तु जलार्थी प्यासा व्यक्ति जल को नहीं छोड़ सकता । उसे जल चाहिए ही यह सर्वथा सत्य है । यदि व्यभिचार और सम्भव दोनों को थोड़ी देर के लिए माना भी लिया जाय, फिर भी बिचार करने पर ध्वनिकारोक्त ध्वनि-लक्षण में पुनरुक्ति दोष पाया ही जाता है । क्योंकि व्यंग्यगत अर्थान्तरता से ही शब्द और अर्थ उभयगत गौणत्व स्पष्ट रूप में लब्ध रहता है । यह कहना भी सङ्गत नहीं कि ध्वनिलक्षण-वाक्य में कहा गया “उपसर्जनी-

उपसर्जनतामुदके ददाति सुस्पष्टमेवेदम् ।
 उदकस्याहरणार्थं घटान्यदप्याश्रितं भवति ॥६०॥
 उदकार्थिनाऽऽश्रितं नो प्रभवत्युदकान्यदिति तत्त्वम् ।
 व्यभिचार-सम्भवोभय-सम्भवमप्यस्युपेत्यात्र ॥६१॥
 विहिते पुनर्विचारे पुनरुक्त्या लक्षणं दुष्टम् ।
 उपसर्जनीकृतत्वं शब्दार्थोभयगतं यस्मात् ॥६२॥
 व्यंग्यार्थान्तरतायाः सामर्थ्यादेव लभ्यते विशदम् ।
 अनुवादोऽसावित्यपि कथनं नो युज्यते, यस्मात् ॥६३॥
 सत्यां निरर्थतायां मान्या तत्रापि पुनरुक्तिः ।
 प्रतिपाद्यैव मथैवं च यदीत्याद्येन सुस्पष्टम् ॥६४॥
 सुवर्णपुष्पेत्यादिक-पद्येप्यनुमान मादिष्टम् ।
 तदसिद्धेति ग्रन्थ-व्याख्या मान्याऽन्यदीया नो ॥६५॥
 अनुमेयसाध्यसाधन-धर्मानुगतैव तेनोक्ता ।
 यत्साध्यसाधनाभ्यां धर्माभ्यामनुगतं भवति ॥६६॥

छतस्वाथेत्वं” अर्थात् गोणत्व कथन-मात्र है । क्योंकि निरर्थक अनुवाद-
 स्थल में भी पुनरुक्ति होती हो है । “एवं च यदि” इत्यादि ग्रन्थ द्वारा
 इन बातों को स्पष्ट करके महिम-भट्ट ने यह बतलाया है कि “सुवर्ण-
 पुष्पा पृथिवी” इत्यादि काव्य-वाक्य स्थल में भी उससे अनुमान ही
 होता है । इसलिए उसकी वह व्याख्या जो कि ध्वनिवादियों का अभिमत
 है मान्य नहीं है । अर्थात् वहाँ भी श्रोता को अनुमान ही होता है ।
 व्ययंजनामूलक शाब्द-बोध नहीं । उन्होंने इसे अच्छी तरह स्पष्ट किया
 है कि उक्त “सुवर्ण-पुष्पा पृथिवी” इस वाक्य-प्रयोग-स्थल में भी अनु-
 मान ही होता है । क्योंकि परार्थानुमान-स्थल में वाक्य से अनुमान
 होता है यह विज्ञानों को मालूम ही है । ६०, ६१, ६२, ६३, ६४,
 ६५, ६६ ।

प्रथमं तदुदाहरणं प्रसिद्धमेवास्ति विज्ञानाम् ।
 किञ्चेत्यादिक्-लेखात् दोषान्तर मुक्तमेतद्धि ॥६७॥
 अभिधायकभिधेयोभयगत-गुणतेव नो कस्मात् ।
 अभिधायका गुणतापि न प्रोक्ताऽपेक्षिततया तत्र ॥६८॥
 किं तत्प्रयोजनं स्यात् जिज्ञासा चेदियं तत्र ।
 समुपस्कृत्यो व्यंग्य-व्यञ्जक-भावस्थले ऽ व्याप्तिः ॥६९॥
 भंगिभणितिरूपत्वा दुषस्कृतीनां समभिधात्वम् ।
 अभिधात्वमेष वाच्योपस्कृतिगं तर्हि मान्यं स्यात् ॥७०॥
 वाच्यस्य मुख्यतायां न ध्वनिता काव्यगा मान्या ।
 इत्येवहि सिद्धान्तो ध्वनिमान्यत्वं समाश्रयताम् ॥७१॥

इसके अनन्तर “किञ्च” इत्यादि ग्रन्थ द्वारा यह दोषान्तर उपस्थित किया है कि जब अभिधेय अर्थ और अभिधायक शब्द इन दोनों की गौणता का ध्वनि-लक्षण में उल्लेख किया गया है तो अभिधागत गौणता का भी उल्लेख अपेक्षित रूप में क्यों नहीं किया गया ? इसपर यदि यह पूछा जाय कि अभिधागत-गौणत्व के उल्लेख से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? तो अव्याप्तिधारण प्रयोजन ज्ञातव्य होगा । क्योंकि अन्यथा अलङ्कार-द्वय के व्यंग्य-व्यञ्जक-भाव स्थल में अव्याप्ति होगी । यतः “भंगिभणिति” अर्थात् विलक्षण शैली में कथन स्वरूप होने के कारण अलङ्कार भी अभिधा ही है । व्यञ्जक वाच्यभूत अलङ्कार भी अभिधात्मक ही मान्य होगा । ६७, ६८, ६९, ७० ।

वाच्यार्थ के मुख्य हो जाने पर काव्य ध्वनि होता नहीं, यही ध्वनि-वादियों का सिद्धान्त है । अलङ्कारद्वय के व्यंग्य-व्यञ्जक-भावस्थल में वाच्य अलङ्कार को गौण मानने पर उसमें मुख्यता नहीं रहेगी । अभिधायक और अभिधेयगत गुणता को “प्रोक्त” अर्थात् अभिधागत गुणता नहीं कहा जा सकता । किन्तु ऐसे ध्वनि काव्य स्थल में जहाँ कि व्यंग्य और व्यञ्जक दोनों अलङ्कार ही होते हैं, वाच्य अलङ्कार-गत गौणता वस्तुतः अभिधागत गौणता होती है, जिसका उल्लेख ध्वनि-

मुख्यत्वाभावः स्याद् गुणतायां तत्रमान्यायाम् ।

अभिधायकाभिधेयोभयगत गुणता नहि प्रोक्ता ॥७२॥

तस्माल्लक्षणवाक्यं यत्रार्थेत्यादिना प्रोक्तम् ।

युक्तं वक्तुमशक्यं, निर्लक्षणमभ्युपेयं नो ॥७३॥

वाच्ये व्यंग्यपरत्वं प्रभवति समपेक्षितं कान्ये ।

ध्वनितायै, तस्मान्नो ध्वनित्वमिष्टं, ततोऽदोषः ॥७४॥

नो वाच्ये तत्परते त्यस्य न निर्णायकं किञ्चित् ।

सत्येवं तत्परताऽभावो हेतुर्न वै सिद्धः ॥७५॥

तेन ध्वनिताऽभावस्ताध्यः सिद्धिर्न वै भजते ।

दीपकवाच्योपस्कृतितो हि यदा लब्धुमर्हास्ति ॥७६॥

उपमा, तदा ध्वनित्वं कान्ये युक्त्या भवेत्सिद्धम् ।

ध्वनिमार्गगया, यस्माच्चारुत्वं लभ्यते लभ्ये ॥७७॥

लक्षण में किया नहीं गया है । इसलिए “यत्रार्थः शब्दोवा” इत्यादि ध्वनिलक्षण को सही नहीं कहा जा सकता, और लक्षणरहित पदार्थ मान्य नहीं । अतः ध्वनिकाव्य नहीं माना जा सकता । ७१, ७२, ७३ । काव्य को ध्वनि होने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वाच्य, व्यंग्य पर हो, इसलिए उक्त दो अलङ्कारों के व्यंग्य-व्यञ्जक-भावस्थल में काव्य में ध्वनित्व ही नहीं, अतः उक्त अव्याप्ति नहीं दी जा सकती, यह कथन इसलिए ठीक नहीं कि उक्त परिस्थिति में वाच्य अलङ्कार व्यंग्य-अलङ्कार-पर होता नहीं इसका कोई निर्णायक नहीं । ऐसी परिस्थिति में वाच्य में व्यंग्यपरता के अभाव को हेतु बनाकर ध्वनित्वाभाव साध्य की सिद्धि नहीं की जा सकती । जिस काव्यस्थल में दीपकालंकारात्मक-वाच्य से उमालङ्कार का लाभ होता है वहाँ ध्वनि मार्गीय युक्ति से काव्य में ध्वनित्व सिद्ध होता ही है । क्योंकि लभ्य उपमा में चारुता होती ही है । उक्त स्थल में प्रापक होता है दीपकालङ्कार और प्राप्य उपमालङ्कार । प्राप्य में यदि चारुता होगी तो वह वहाँ उपमा में ही होगी । ऐसी परिस्थिति में “अलङ्कारान्तरस्यापि

लभ्यकता दीपकगा लभ्यत्वं तूपमानिष्ठम् ।
 लभ्यगतं चारुत्वं चेदुपमागं हि तन्मान्यम् ॥७८॥
 सत्येव मलङ्कारान्तरेति पद्येन ननु विहितः ।
 प्रतिषेधो नो घटते प्रोक्तमिदं श्रोविद्येककृता ॥७९॥
 अर्थप्रतीत्यनुपपत्त्या सद्भावोऽभिधायाः स्यात् ।
 ज्ञातोऽर्थशब्दगाया गुणताया एव सामर्थ्यात् ॥८०॥
 स्यात्तस्या अपि गुणता ज्ञाता, प्रोक्ता ततः सा नो ।
 एवं चेत् प्रब्रूयाद्ध्वनिवादी वारणीयोऽसौ ॥८१॥
 यस्मात् शब्दगुणतापेक्षा लक्षणगता प्रोक्ता ।
 तत्प्रोक्त्या हि युक्त्या सा वैयर्थ्यं गता प्रभवेत् ॥८२॥
 अर्थस्य गौणतायां शब्दे गुणता स्वतःप्राप्ता ।
 सत्येवं शब्दोवेत्यादिककथनं वृथैव स्यात् ॥८३॥

प्रतीतौ यत्र भासते” इत्यादि के आधार पर उक्त स्थल में ध्वनित्व ही मान्य नहीं यह ध्वनित्व प्रतिषेध उचित नहीं । यह व्यक्तिविवेकार ने बतलाया है । ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९ । अभिधा का सद्भाव अर्थ प्रतीति की अनुपपत्ति से ही ज्ञात होगा, और उस अभिधा में गौणता शब्द और अर्थ की गौणता से ही ज्ञात हो जायगी । अतः ध्वनिकार ने ध्वनि-लक्षण में स्पष्ट रूप से उसे नहीं कहा ऐसा यदि ध्वनिवादी कहें तो उन्हें रोकना चाहिए । ८०, ८१ ।

क्योंकि ऐसा कहने पर ध्वनि लक्षण में जो शब्दगत गौणता की अपेक्षा काव्यगत ध्वनित्व के लिए कही गयी है वह भी अव्यवहित पूर्वोक्त युक्ति से व्यर्थ हो उठेगी, खण्डित हो उठेगी । सारांश यह कि अर्थ की गौणता होने पर शब्द में गौणता स्वतः प्राप्त हो जायगी । ऐसी परिस्थिति में “यत्रार्थः शब्दो वा” यहाँ पर “शब्दो वा” यह कथन व्यर्थ हो उठेगा । शब्द और अर्थ की गौणता के स्वतः लब्ध होने होने पर भी यदि उसका उल्लेख ध्वनिकार ने ध्वनिल-क्षण में किया

शब्दाभिधेययोर्यदि गुणता लब्धापि सम्प्रोक्ता ।

अभिधाया अपराधः कोस्ति यतो नो तदुल्लेखः ॥८४॥

स्वार्थाभिधानमात्रे सामर्थ्यं शब्दगं यस्मात् ।

अर्थान्तरावगमनं शब्दस्य न युक्तिसंसिद्धम् ॥८५॥

सत्येवं कमपेक्षयोपसर्जनत्वं हि शब्दस्य ।

अर्थस्यैव तथात्वं घटते युक्त्या न चान्यस्य ॥८६॥

व्यवहारः खलु शाब्दो निस्त्रिलः प्रायेण न स्वतन्त्रोऽस्ति ।

अनुमानरूप एव हि, साधनसाध्यादिगर्भता हेतोः ॥८७॥

भवति प्रवृत्तिरेवं निवृत्तिरपि किञ्चित्तन्मूला ।

नाज्ञातार्थः कश्चित् प्रवर्तते वा निवर्तते शब्दात् ॥८८॥

स्वीकृतिरथ प्रवृत्ति निवृत्ति रस्वीकृति रान्या ।

युक्तिमनभ्युपगच्छन् कोऽपि न तरुणीनतां धत्ते ॥८९॥

है तो अभिधा का क्या ऐसा अपराध हुआ कि उसकी गौणता ध्वनि-लक्षण में नहीं बतलायी गयी ? । ८२, ८३, ८४ । शब्द में वाक्यार्थ-बोध तक कराने की क्षमता होती नहीं । शब्द केवल विशृङ्खल अर्थों का अभिधान करता है । ऐसा होने पर शब्द में किस मुख्य से गौणता आयेगी ? कहने की आवश्यक नहीं कि वह मुख्य अर्थ ही होगा और कोई नहीं । अतः वाच्य अर्थ में गौणता होने पर शब्द में भी गौणता स्वतः प्राप्त हो सकेगी । ८५, ८६ ।

सारा शब्द व्यवहार प्रायः अनुमान रूप ही होता है, स्वतन्त्र नहीं । क्योंकि सारे वाक्यात्मक शब्द के प्रयोग साध्य-साधनभाव घटित ही होते हैं । सारी प्रवृत्तियाँ एवं निवृत्तियाँ अनुमानमूलक ही हुआ करती हैं । कोई भी व्यक्ति केवल शब्द को सुनकर ही प्रवृत्त या निवृत्त नहीं होता है किन्तु वाक्यात्मक शब्द को सुनने के अनन्तर अनुमान करके ही प्रवृत्त या निवृत्त होता है । स्वीकार के अतिरिक्त प्रवृत्ति और कुछ नहीं और अस्वीकार के अतिरिक्त निवृत्ति भी और कुछ नहीं । युक्ति की ओर ध्यान दिये बिना कोई भी व्यक्ति विषय की ओर उन्मुख या विमुख नहीं होता है । ८७, ८८, ८९ ।

पदवाक्यभेदतः खलु शब्दोद्विविधः । सिद्धोस्ति ।
 तत्र पदं वैविध्यं भजते नामादिकाद्भेदात् ॥९०॥
 उपसर्गश्चाऽऽख्यातः तथा निपातः प्रवचनीयः ।
 आदिपदेन ग्राह्यः पञ्चत्वं तेन पदनिष्ठम् ॥९१॥
 नाम सुवन्तम्, दशविधलकार-रूपस्तथाख्यातः ।
 उपसर्गस्त्वाऽऽडादि भवति निपातस्तथेवादिः ॥९२॥
 प्रतिपर्यनुप्रभृतयो ज्ञेयाः कर्मप्रवचनीयाः ।
 नाम प्रभवति फलतः सिद्धार्थं तद्धि बहुरूपम् ॥९३॥
 जातिगुणकर्मद्रव्य-प्रवृत्तिहेतुत्वभेदेन ।
 केचित् क्रियां प्रवृत्ते निमित्तमूचूहि सर्वत्र ॥९४॥
 घटना घटशब्दस्य प्रवृत्ति-हेतुत्वमावहति ।
 सर्वत्रैवं ज्ञेयं तेन न काऽपि क्षति भव्या ॥९५॥

(१) पद और (२) वाक्य के भेद से शब्द दो प्रकार का है यह प्रसिद्ध है । उनके अन्दर प्रथम (१) पद नाम आदि रूप में अनेक प्रकार का होता है । आदि पद से (१) उपसर्ग (२) आख्यात (३) निपात और (४) कर्म प्रवचनीय ये ज्ञातव्य हैं । तदनुसार पद के प्रभेद पाँच होते हैं । जिसके अव्यवहित उत्तर में सु औ, आदि सुप् प्रत्यय प्रयुक्त होता है वह कहलाता है नाम । लट् लिट् आदि दश-विध लकार तदनुसार तिप् तस् आदि कहलाते हैं आख्यात । आङ् आदि हैं उपसर्ग और इव आदि कहलाते हैं निपात । ९०, ९१, ९२ ।
 प्रति परि अनु आदि शब्द कर्मप्रवचनीय ज्ञातव्य हैं । किसी सिद्ध वस्तु-मात्र को समझानेवाला शब्द होता है नाम । जातिवाची, गुणवाची, क्रियावाची, द्रव्यवाची आदि रूप में उसके अनेक प्रभेद हैं । कुछ लोग सर्वत्र क्रिया को ही प्रवृत्त-निमित्त अर्थात् प्रयोग-नियामक मानते हैं । अभिप्राय यह कि वे कुछ लोग सारे शब्दों को क्रियावाची ही मानते हैं । घट आदि शब्द भी घटना आदि क्रियाओं को ही प्रवृत्त-निमित्त बनाता हुआ प्रयुक्त होता है । ऐसा ही सर्वत्र ज्ञातव्य है । ऐसी मान्यता में कोई क्षति नहीं बतलायी जा सकती । ९३, ९४, ९५ ।

घटनापेक्षस्तु घटः सत्तापेक्षस्तु नासमन्वयतः ।

बहिरङ्गत्वात् तस्याः भवत्यधिश्चित्य पाचकोद्विधया ॥९६॥

नित्या प्रभवति सत्ता समवायोपिच तथा नित्यः ।

घटनात् पूर्वं न घटः सत्येवं स्यादथान्वयो नैव ॥९७॥

अव्यवहितपरवर्ति-प्रयुज्यमानां क्रियामपेक्षयैव ।

प्रायेण पौर्वकार्यं त्कोविषयो भवति नान्यां ताम् ॥९८॥

श्रुत्वापि नाम बधिरो दृष्ट्वाप्यन्धो जडो विदित्वापि ।

यो देशकालकार्यव्यपेक्षया पण्डितः स पुमान् ॥९९॥

इत्यादावत एव त्कासिद्धिं नान्यथा सा स्यात् ।

श्रुतिशक्तिविरहलक्षण बाधियपेक्षयैवहि या ॥१००॥

बड़ा घट इसलिए कहलाता है कि वह घटनात्मक-क्रियाशील होता है न कि इसलिए कि वह सत्ताशील होता है । यह इसलिए कि अन्यथा सङ्गति बनती नहीं । क्योंकि सत्ता बहिरङ्ग होती है । कोई भी व्यक्ति पाचक इसलिए नहीं कहलाता है कि वह अस्तित्वशील व्यक्ति होता है । किन्तु इसलिए कि वह पाक क्रिया करता है । सत्ता जाति भी नित्य होती है और उसका समवाय सम्बन्ध भी नित्य होता है फिर भी घटनात्मक क्रिया के पूर्व घट होता नहीं । अतः घट आदि नामों को क्रियावाची न मानने पर सङ्गति बैठती नहीं । ९६, ९७ ।

अव्यवहित उत्तर प्रयुज्यमान क्रिया को अपेक्षा करके ही प्रायः पूर्व-कालीनता अर्थ में त्का प्रत्यय का उपयोग किया जाता देखा जाता है अन्य की अपेक्षा करके नहीं । सभी नामों को क्रियावाची न मानने पर “पण्डित वही है जो देश काल और कार्य को अपेक्षा करके सुनकर भी बहिरा होता है, देखकर भी अन्धा होता है, जानकर भी अनजान होता है” “एतदर्थं श्रुत्वापि नाम बधिरः” इत्यादि वाक्य-प्रयोग-स्थल में “श्रुत्वा बधिरः” इत्यादि में “त्का” प्रत्यय उचित नहीं हो पायेगा, जो कि प्रयुक्त हुआ पाया जाता है । बधिर आदि शब्दों को भी क्रियावाची मानने पर श्रुति-शक्ति-विरहस्वरूप बधिरता क्रिया को अपेक्षा करके त्का प्रत्यय की सिद्धि होगी । नहाकर, खाकर, पीकर जाता है एतदर्थं

स्नात्वा भुत्का पीत्वा व्रजतीत्यादौ बहुक्रिये वाक्ये ।

अव्यवहितपरविश्रुतिमाप्तामेव व्यपेक्ष्य तत्सिद्धिः ॥१०१॥

“भवति विपच्य घटोसा” वित्यत्रापिच तथाभावे ।

घटनापेक्षा सिद्धिः त्को वाच्या नान्यथैवाऽथ ॥१०२॥

घट इत्युक्तौ घटना विशेषणत्वं यत्नो व्रजति ।

प्रभवति विभिन्नकर्तृकताया आन्तिस्ततस्तत्र ॥१०३॥

शिशिरमपास्य गुणः कश्शीतहरस्यहि कुचोष्मणो नः स्यात् ।

इति बुद्ध्या गतरोषाः प्रियाः समाशिशिलुषुः मुंदा स्वपतीन् ॥१०४॥

कर्तुः कुचोष्मणोः या शीताऽऽहरण-क्रियाऽत्रोक्ता ।

समपेक्ष्यहि तां प्रभवति त्का ऽपास्येत्यत्र नैवान्याम् ॥१०५॥

तद्वै शीतहरत्वं विशेषणं यत् कुचोष्मणो भवति ।

तस्माद् आन्तिः प्रभवति विभिन्नतम-कर्तृकत्वस्य ॥१०६॥

“स्नात्वा भुत्का पीत्वा व्रजति” इत्यादि वाक्य-प्रयोग-स्थल में अव्यव-हित उत्तर सुनी जानेवाली क्रिया को अपेक्षा करके ही त्का प्रत्यय की सिद्धि मान्य है । पकंकर वह घड़ा हो रहा है एतदर्थक “विपच्य घटो भवति” इस वाक्य के प्रयोग-स्थल में भी क्त्वा प्रत्यय की सिद्धि घटनात्मक क्रिया को अपेक्षा करके ही हुई मान्य है । ६८, ६९, १००, १०१, १०२ ।

“घटोवर्त्तति” इत्यादि वाक्य-प्रयोग-स्थल में घटना यतः घटांश में विशेषण होती है अतः अन्य कर्तृकत्व का भ्रम होता है । “शिशिर ऋतु” को छोड़कर शीतहर कुचोष्मा से हमको क्या लाभ ? एतदर्थक “शिशिरमपास्य नः शीतहरस्य कुचोष्मणः कः गुणः स्यात्” इस वाक्य के प्रयोग-स्थल में कुचगत शीतहरण क्रिया को अपेक्षा करके “अपास्य” यहाँ पर त्का प्रत्यय होता है । वह शीतहरता यतः कुचोष्मा के विशेषण रूप में प्रयुक्त होता है अतः अन्य कर्तृकता का भ्रम होता है । कर्ण को क्रुद्ध देखकर यम को भी भय और पक्षपात होते हैं । एतदर्थक “क्रुद्धं प्रवीक्ष्य कर्णं मृत्योरपि भीतिपक्षापातोस्तः” इस वाक्य

क्रुद्धं प्रवीक्ष्य कर्णं मृत्योरपि भीतिपक्षपातौ स्तः ।

भीत्याद्यपेक्षयात्रं प्रवीक्षणं पूर्वकालीनम् ॥१०७॥

भीतोहि पक्षपाती यस्मात्तस्माद्विषयविषयि-भावः ।

भयपक्षप्रपतनयो रवगम्यः श्रीविद्येककृतोक्तः ॥१०८॥

दृष्ट्वा समुत्सुके मे मनसि न चान्या समायाति ।

अत्रहि दर्शनकर्तुर्विशेषणत्वं गतौऽसुफता ॥१०९॥

कर्तुः सम्बन्धं सा व्रजती भ्रमहेतुतां षत्ते ।

स्मर संस्कृत्य न शान्तिर्मेऽस्तौत्यादौ तथाभावः ॥११०॥

कर्तृक्रिययोरनुपादानादपि कर्तृभिन्नता-भ्रान्तिः ।

वीक्ष्य गुणं ननु सर्वः पूज्यत्वं कस्यचिद्विजानाति ॥१११॥

पूजासमवेक्षणयो रेकः कर्ताऽत्र नैव खलु विमतिः ।

कर्तुर्लोकस्यैकस्यानुक्तिर्गौणतार्चयाम् ॥११२॥

उभयं कर्तुर्भेद-भ्रमं वितनुते ध्रुवं श्रोतुः ।

परसन्तापमकृत्वा ऽ गत्वा खलनम्रतामेवम् ॥११३॥

के प्रयोग-स्थल में भय और पक्षपातात्मक क्रिया की अपेक्षा से प्रवीक्षण क्रिया पूर्वकालीन होती है । अतः “प्रवीक्ष्य” यहाँ त्का प्रत्यय होता है । महिमभट्ट ने यह भी बतलाया है कि पक्षपाती भीत व्यक्ति ही होता है । अतः भय और पक्षपात के बीच विषय-विषयिभाव सम्बन्ध है । १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८ ।

उसे देखकर मेरे मन में और कोई आती नहीं एतदर्थक “दृष्ट्वा समुत्सुके मे मनसि न चान्या समायाति” इस वाक्य के प्रयोग-स्थल में समुत्सुकता क्रिया को अपेक्षा करके “दृष्ट्वा” यहाँ पर त्का प्रत्यय होता है और वह उत्सुकता दर्शनकर्त्ता का विशेषण होती है । इस प्रकार-कर्तृसम्बन्ध वह प्रयुक्त अन्य-कर्तृकत्व-भ्रम का कारण बनती है । पाद करो, पाद करके मुझे शान्ति नहीं है एतदर्थक “स्मर संस्मृत्य न शान्तिरस्मि मे” इस वाक्य के प्रयोग-स्थल में अशान्ति क्रिया को अपेक्षा करके “संस्मृत्य” यहाँ पर त्का प्रत्यय होता है और

अनुसृत्य च सन्मार्गं स्यादरूपं यत्तदपि बहु ।

अत्र प्रकरणलाभा लामानुक्त्यास्ति विभ्रान्तिः ॥११४॥

नूनं विभिन्नकर्तृकतायाः प्रोक्तक्रियासु ननु ।

कर्तुरुपाधितयोक्ता कृद्वाच्यतया गतान्यगुणतां वा ॥११५॥

त्कोभिन्नकर्तृकत्वभ्रमाय भवति क्रियाऽवचश्च तयोः ।

यद् वास्तवं क्रियाणां पौर्वापर्यं तदनुरोधि ॥११६॥

क्कः पौर्वकाख्य मिति नो प्रधानतदितर-विचार आस्थेयः ।

इति विहितः सु विचारः क्रियार्थकत्वं पदस्य ननु वक्ति ॥११७॥

तस्मात्सर्वे शब्दा वाचकभूता घटाद्या ये ।

मान्याः क्रियानिमित्ता इति केषाञ्चिन्मतं प्रोक्तम् ॥११८॥

कर्त्ता तथा क्रिया दोनों के अनुपादान-प्रयुक्त अन्यकर्तृता का भ्रम होता है । प्रत्येक व्यक्ति किसी के गुण को देखकर ही उसे पूज्य समझता है एतदर्थक "वीक्ष्य गुणं ननु सर्वः पूज्यत्वं कस्यचिद्विजानाति" इस वाक्य के प्रयोग-स्थल में पूजा और अवेक्षण का कर्त्ता कोई एक ही है इसमें किसी को वैमत्य नहीं । उस एक कर्त्ता की अनुक्ति और पूजा में उसकी गौणता ये दोनों अन्यकर्तृकता के भ्रम में हेतु होते हैं । दूसरों को सन्ताप न देते हुए, बुरे जनों के समक्ष झुकते न हुए और सही मार्ग पर चलते हुए जो ही कुछ मिल जाय, वही बहुत है एतदर्थक "अकृत्वा परसन्तापमगत्वा खलनम्रताम् । अनुत्सृज्य सतांवर्त्मं यत् स्वल्पमपित-द्रुह" । इस वाक्य के प्रयोग-स्थल में लाभानुक्ति-प्रयुक्त अन्यकर्तृकत्व का भ्रम होता है । १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४ ।

सारांश यह कि उक्त अनेक एककर्तृक क्रियाओं में विभिन्न कर्तृकता का जो भ्रम होता है, निश्चित रूप से उसके ये कारण होते हैं कि (१) कर्तृ-विशेषणता (२) कृत्प्रत्ययवाच्यता-प्रयुक्त अन्यगुणता (३, ४) कर्त्ता और क्रिया की अनुक्ति और (५) दोनों की अनुक्ति । त्का प्रत्यय से बोधित होनेवाली पूर्वकालीनता, उक्त क्रियाओं में होनेवाले

किन्तु नहीदं युक्तं यस्मान्नामैवयपि नाम ।
 लभ्यत एव प्रवृत्ति र्थस्यानैव क्रियामूला ॥११९॥
 छित्थ डवित्थाद्या ये शब्दा भाट्टच्छिकावहवः ।
 नैवक्रियाप्रवृत्ता स्तेकथमपि वक्तुमर्हाः स्युः ॥१२०॥
 भवति सुबन्ततिङन्त प्रभेदतः पदमपि द्विविधम् ।
 नामाख्यात निपातोपसर्गभेदाच्चतुर्धा वा ॥१२१॥
 पञ्चविधत्वं ब्रुवता ग्राह्यं कर्मप्रवचनीयम् ।
 तत्त्वं प्रकृतिप्रत्ययभेदाद्विधत्वं पदे भाज्यम् ॥१२२॥
 वाचकतैवहि पदता प्रकृतिप्रत्ययगता नान्या ।
 साऽश्रयभेदाद्भिन्ना तस्माद्विधत्वं पदे ग्राह्यम् ॥१२३॥

पूर्वापरीभाव मात्र को अपेक्षा करती है, क्रियागत गौणप्रधान-भाव विवेच्य नहीं । इस प्रकार से किया जानेवाला गम्भीर विचार यह बतलाता है कि सारे नाम पद क्रियावाची ही हैं । इसलिए कुछ आचार्यों का मत है कि सारे वाचक शब्दक्रिया-प्रवृत्ति-निमित्तक अर्थात् क्रियावाची ही होते हैं ।

परन्तु यह मतवाद इसलिए सही नहीं है कि ऐसे भी अनेक नाम पाये जाते हैं जिनकी प्रवृत्ति क्रियामूलक नहीं । यह स्पष्ट है कि छित्थ-डवित्थ आदि ऐसे अनेकानेक यादृच्छिक नाम हैं जो किसी भी प्रकार क्रिया-प्रवृत्ति-निमित्तक नहीं कहे जा सकते । ११५, ११६, ११७ ११८, ११९, १२० ।

पद के प्रभेद दो हैं (१) सुबन्त और (२) तिङन्त । अथवा—
 (१) नाम (२) आख्यात (३) उपसर्ग और (४) निपात । इस प्रकार पद के चार प्रभेद हैं । जो लोग पद को पाँच प्रकार मानते हैं वे कर्म-प्रवचनीय नाम का भी पद का एक प्रभेद मानते हैं । सही परिस्थिति तो यह है कि (१) प्रकृति-पद और (२) प्रत्यय-पद । इस प्रकार पद के दो ही प्रभेद माने जायें । (१) प्रकृति और प्रत्यय समयगत-पदत्व वाचकता ही है और कुछ नहीं । वाचकता आश्रय-भेद से भिन्न होती है । इसलिए पद दो प्रकार के होते हैं । क्रिया-

क्रियया वाक्यसमाप्ते वाक्यं त्वेकप्रकारं स्यात् ।

वाच्यानुमेयमेदार्थोपि स्याद्विषयैव क्लृप्तान्यः ॥१२४॥

योहि श्रुतिमात्रेण प्रतीयतेऽर्थः स वै वाच्यः ।

तस्माच्चदनुमिता द्वाऽनुमीयते योऽनुमेयः सः ॥१२५॥

वाच्यो द्विविधः काव्येऽलङ्कारो वस्तुरूपश्च ।

अनुमेयस्तु त्रिविधो रसोऽपि यस्मात्तृतीयोऽस्ति ॥१२६॥

भावरसाभासादीनामपि रसशब्दतो ग्रहणम् ।

तेन विभागव्याघातो नापाद्यत्व मावहति ॥१२७॥

भवति पदार्थो वाच्यो नचानुमेयः कदाचिदपि ।

तत्साधनभूतस्याङ्गस्यात्यन्तेन विरहेण ॥१२८॥

वाक्यार्थस्तु द्विविधः प्रभवति वाच्योऽनुमेयश्च ।

वाक्यस्यार्थो लोके सिद्धासिद्धार्थ-घटितत्वात् ॥१२९॥

पद से वाक्य की समाप्ति के कारण वाक्य एक ही प्रकार का होता है । पद के समान अर्थ भी दो ही प्रकार के होते हैं यथा (१) वाच्य और (२) अनुमेय । १२१, १२२, १२३, १२४ ।

संकेत-ग्रहणाली व्यक्ति के द्वारा जो वाचक पद के सुनते ही प्रतीत होता है वह अर्थ कहलाता है वाच्य । और जो वाच्य अर्थ से अथवा वाच्य से अनुमित से अनुमित होता है वह होता है अनुमेय ।

(१) अलङ्कार और (२) वस्तु रूप में काव्यान्तर्गत वाच्य दो प्रकार के होते हैं । रस भी जिस लिए अनुमेय होता है, अनुमेय के प्रभेद (१) अलङ्कार (२) वस्तु और (३) रस । इस प्रकार तीन प्रभेद हैं । भाव एवं रसाभास आदि भी रस शब्द से यहाँ संगृहीत हैं इसलिए विभाग में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं बतलायी जा सकती है । पद का अर्थ नियमतः वाच्य ही होता है क्योंकि उसके साधक भूत अङ्ग का अत्यन्त अभाव होता है । वाक्यार्थ किन्तु सिद्धार्थघटित और सिद्धार्थघटित होने के कारण (१) उपपादन-योग्य और (२) उपपादना-योग्य रूप में दो प्रकार के होते हैं । "उत्तर दिशा में देवता-

उपपाददनयोग्यत्वा ऽ योग्यत्वाभ्यां द्विधा भवति ।

अस्युत्तरदिशि देवस्वरूपतामावहन् हिमवान् ॥१३०॥

अत्रास्तोति विधि न ह्युपपाद्योऽस्ति प्रसिद्धत्वात् ।

विधितानुवादता च स्वरूपमात्रानुवादेन ॥१३१॥

यत्र विधेयासिद्धिः सिद्धोऽंशस्तत्र हेतुः स्यात् ।

सिद्धे साध्यव्याप्ति-ज्ञानं नितरामपेक्षितं वेद्यम् ॥१३२॥

व्याप्यव्यापकभावः प्रभवति मानेन संसिद्धः ।

मानं त्रिविधं ज्ञेयं लोकोवेदस्तथाध्यात्मम् ॥१३३॥

अवधूतः कोपनया पदानतः सापराधस्त्वम् ।

इत्यत्र साध्यसाधनभावो लोकेन संसिद्धः ॥१३४॥

अपराधकोपनात्वे यत्पादानतिरस्कृत्योः ।

व्याप्ये, कारणविधया, सिद्धमिदं लोकतो नृणम् ॥१३५॥

वेदपदेन पुराणेतिहास-धर्मादिशास्त्राणाम् ।

ग्रहणं प्रवेदितव्यं तेषामपि वेद-मूलत्वात् ॥१३६॥

देवमयात्रक्रमद्वि-ग्राहयितुं नो शशाक निजतनयाम् ।

इत्यत्रानर्थित्वे दानाभावाविनाभावः ॥१३७॥

स्वरूप-हिमालय है” यहाँ ‘है’ यह विधान उपपाद्य इसलिए नहीं है कि

असिद्ध है । ऐसे स्थलों में विधान और अनुवाद स्वरूपानुवाद मात्र

पर्यवसित होता है । १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१ ।

जहाँ विधेय असिद्ध होता है वहाँ सिद्ध-अंश हेतु बन जाता है । उस

सिद्ध-अंश में साध्य-विधेय की व्याप्ति नितान्त अपेक्षित होती है । व्याप्य-

व्यापक-भाव प्रमाण से सिद्ध होता है । प्रमाण (१) लोक (२) वेद

तथा (३) अध्यात्म रूप में त्रिविध होता है । अपराधो तुम पाँव पर

गिरने पर भी उस क्रुद्धा से तिरस्कृत हुए” यहाँ का साध्य-साधनभाव

अर्थात् व्याप्य-व्यापक-भाव लोक-सिद्ध होता है । अपराध और कोप

पादानति और तिरस्कार के व्याप्य होने के कारण यह लोक-सिद्ध है ।

१३२, १३३, १३४, १३५ ।

शास्त्रप्रमाणसिद्धो युधिष्ठिरं प्रति यतः प्रोक्तिः ।

अन्नं विद्या कन्या नानर्थिभ्यः प्रदीयते राजन् ॥ १३८ ॥

अन्यत्सर्वं मयाचितमपि दातुं शक्यते साधु ।

या सम्प्रदानता साऽर्थात्ता ततो नैव बाधाऽत्र ॥ १३९ ॥

अनुमत्या प्रेरणया वा लभते सम्प्रदानतां कोऽपि ।

अप्रेरणेऽप्यनुमते भवितुं शक्यैव सम्प्रदानता तत्र ॥ १४० ॥

अध्यक्षं मानसमिह नन्वध्यात्मं विवक्षितं ज्ञेयम् ।

गौरीसमागमोक्तो देवो दुःखान्निनाय बहुदिवसान् ॥ १४१ ॥

उत्कृत्व-दुःखयोरिह मानसप्रत्यक्षविषयत्वात् ।

तत्साध्यसाधनत्वे तस्मादेव हि परिज्ञेये ॥ १४२ ॥

वेद पद से पुराण इतिहास और धर्म-शास्त्रों का भी ग्रहण यहाँ इसलिए कर्तव्य है कि वे वेद-मूलक हैं । याचना न करनेवाले शिवजी को कन्या-पिता हिमालय अपनी कन्या नहीं दे पाये” इस वाक्य-प्रयोग-स्थल में अयाचकता में दानाभाव की व्याप्ति शास्त्र-प्रमाण सिद्ध है । क्योंकि युधिष्ठिर को भीष्म ने कहा है कि अप्रार्थी को (१) अन्न (२) विद्या और (३) कन्या । इन तीनों का दान नहीं करना चाहिए । अन्य वस्तुएँ अयाचक को भी दी जा सकती हैं । यहाँ याचकता से सम्प्रदानता विवक्षित है इसलिए प्रकृत में कोई असंगति नहीं । क्योंकि अनुमति और प्रेरणा से भी व्यक्ति सम्प्रदान होता है । इसलिए कन्यादान-स्थल में याचना एवं प्रेरणा के अभाव में भी अनुमत में सम्प्रदानता हो सकती है । १३६, १३७, १३८, १३९, १४० ।

अध्यात्म-प्रमाण-पद से यहाँ मानस-प्रमाण को समझना चाहिए । “गौरी के साथ मिलनार्थ उत्सुक शिवजी ने दुःखपूर्वक बहुत दिन बिताये ।” इस काव्य-वाक्य के प्रयोग-स्थल में उत्सुकता और दुःख यतः मानस-प्रत्यक्ष विषय होते हैं । अतः यहाँ का व्याप्य-व्यापक-भाव मानस-प्रत्यक्ष-सिद्ध होता है यह ज्ञातव्य है । १४१, १४२ ।

साध्यत्व-साधनत्वे शाब्दत्वार्थत्व मेदाभ्याम् ।
 द्विविधे, तेऽपि च विविधे हेतो धर्मादिरूपत्वात् ॥१४३॥
 स्पष्टं शब्दादुक्तो धर्मः साधनतया यत्र ।
 तत्रहि शाब्दो धर्मः साधनभावं गतो भवति ॥१४४॥
 विनयाधानाभ्ररणाद्रक्षणतोऽपि च दिलीप एवासीत् ।
 जनको ननु जनतायाः जनका जननेन वै जनकाः ॥१४५॥
 इत्यादौ विनयाऽऽधानादौ शाब्दश्चि साधनता ।
 सद्यो द्विषतामुदयोऽरमणीय-फलस्तु विशेषेण ॥१४६॥
 फलसम्पत्प्रवणश्चेत् परिक्षयोपिच न वै सद्यः ।
 शब्दादत्रानुक्ते हेतो राथ्येव साधनता ॥१४७॥
 दुर्मन्त्रणया नृपतिः सज्जाच्च यति विनाशमायाति ।
 अत्रत्वधर्मधर्मित्वे-शाब्दं साधनत्वं स्यात् ॥१४८॥

साध्यता एवं साधनता शाब्द और अर्थ के रूप में भिन्न होने के कारण दो प्रकार की होती है । शाब्द और अर्थ दोनों प्रकार के साधन धर्मात्मक और धर्म-भिन्नात्मक रूप में द्विविध होते हैं । जिस वाक्य के प्रयोग-स्थल में साधनभूत-धर्म स्पष्ट भाव से शब्दोक्त होता है वहाँ का धर्मात्मक साधन शाब्द कहलाता है । “विनयाधान भरण और रक्षण करने के कारण जनता के सच्चे जनक अर्थात् पिता तो महाराज दिलीप थे । अपने-अपने पिता तो केवल पैदा करनेवाले थे” । इत्यादि वाक्य-प्रयोग-स्थल में विनयाधान आदि में होनेवाली साधनता शाब्दी होती है । १४३, १४४ ।

दुश्मनों का वह उदय भी विज्ञ-जनों के लिए सद्य होता है जो कि अपने लिए रमणीय फल वाला होता है और वह परिक्षय भी सद्य होता नहीं जो कि आगे चलकर दुश्मनों के लिए हितकर होनेवाला होता है” यहाँ साधनता शब्दोक्त नहीं है अतः यहाँ की साधनता आर्थी होती है” शाब्दी नहीं । “कुमन्त्रणा से राजा और संग से सत्यासी नष्ट

बोध्येयं साधनता शाब्दी-चार्थी-पदार्थमृतगता ।
 वाक्यार्थ-गताऽपि च सा तथैव बोध्या द्विधा मान्या ॥१४९॥
 अम्भो यल्लावण्यं त्रिवली वीचि दृशौ मीनौ ।
 तद् इयस्तनकुम्भो मग्नोऽस्यां स्मरगजो नृनम् ॥१५०॥
 पुनरपि किमपि विवक्षुर्निवार्यतामालि ! विप्रवदुः ।
 श्रोताऽपि निन्दक इव प्रभवति महतामघानुगतः ॥१५१॥
 आर्थी वाक्यार्थगता साधनता बुध्यतामत्र ।
 व्यक्तिविवेके “दिवमि”-र्युक्तमुदाहरण मन्यदपि ॥१५२॥
 वाच्यानुमित-विभेदादर्थोयस्माद्द्विधा प्रोक्तः ।
 अनुमेयार्थगतापि च साधनता तेन मान्यैव ॥१५३॥
 सौवर्ण-पुष्परुचिरां पृथ्वीं पुरुषास्त्रयो विचिन्वन्ति ।
 शूरः कृतविद्यो वा यो वा जानाति सेवितुं नितराम् ॥१५४॥

होते हैं । यहाँ धर्मधर्मिभाव की उक्ति के बिना शाब्दी साधनता ज्ञातव्य है । इन सारे उदाहरण-स्थलों की शाब्दी एवं आर्थी साधनताएँ पदार्थ-गत ज्ञातव्य हैं । किन्तु वाक्यार्थगत भी साधनता शाब्दी और आर्थी के रूप में द्विविध मान्य है । १४७, १४८, १४९ ।”

जिस लिए इस तरुणी-शरीर में लावण्य-जल, त्रिवली-तरंग है, और आँखें मीन हैं अतः इसमें वह स्मरगज अवश्य डूबा है जिसका मस्तक स्तन-रूप में देखा जा रहा है” यहाँ वाक्यगत शाब्दी-साधनता ज्ञातव्य है । ओ सखी ! फिर कुछ बोलने के इच्छुक इसे ब्राह्मण-वटुक को रोको । बड़े लोगों के निन्दक के समान निन्दा का श्रोता भी पापी बनता है” यहाँ वाक्यार्थगत आर्थी साधनता ज्ञातव्य है । व्यक्ति-विवेक में “दिवं यदि प्रार्थय से” इत्यादि अन्य भी उदाहरण दिया गया है । १५०, १५१, १५२ ।

यतः अर्थों को (१) वाच्य और (२) अनुमेय रूप में द्विविध पहले ही बतलाया जा चुका है । अतः अनुमेय अर्थगत भी साधनता अवश्य मान्य है । शूर, विद्वान् और सेवा-विशेषज्ञजन, जिसमें सोने के फूल खिले

इत्यादावनुमेयार्थे साधनता परिज्ञेया ।

शूरादीनां सुलभा विभूतयस्त्वेत दनुमेयम् ॥१५५॥

सख्या रञ्जितचरणा स्पृश-पतिशिरसि स्थितं चन्द्रम् ।

त्वमनेनेति प्रोक्ता माल्येन जघान गौरी ताम् ॥१५६॥

माल्य-हननानुभावो लज्जा-हर्षादिकान् भावान् ।

व्यभिचारिणोऽनुमापयति प्रथमं, ते रेति देव्याः ॥१५७॥

अन्यदुदाहरणद्वय-मुक्तं विदुषा विवेककृता ।

तदुदाहरणबहुत्व-ज्ञापकमास्थेय मिह विबुधैः ॥१५८॥

रसभावाद्यनुमेयस्थले प्रतीत्योर्हि साध्यसाधनयोः ।

प्रभवन् क्रमोऽपि लक्ष्यो नेतः सहभावविभ्रान्तिः ॥१५९॥

व्यंग्यव्यञ्जकभावं ततस्समुपगम्य तन्मूलः ।

व्यपदेशो ध्वनिनाम्नौपचारिको नैव मुख्योऽसौ ॥१६०॥

रहते हैं ऐसी पृथ्वी प्राप्त करते हैं” यहाँ की साधनता अनुमेयार्थगत ज्ञातव्य है । शूर, विद्वान् और सेवा-विशेषज्ञ-जनों के लिए विभूतियाँ सुलभ होती हैं, यहाँ यह अनुमेय है । १५३, १५४, १५५ ।

सखियों ने गौरी के चरणों में महावर लगाकर यह परिहास-वाक्य कहा है कि इससे तुम अपने पति के मस्तक-स्थित चन्द्र को छूना तो उसने मौन-भाव से सखी को तुष्पमाला से मारा” यहाँ माल्य-हननात्मक अनुभाव, लज्जा हर्ष आदि व्यभिचारी-भावों का अनुमान कराता है और वे गौरीगत शिव-विषयक रति का अनुमान कराते हैं । १५६, १५७ ।

विद्वान् व्यक्ति-विवेककार ने और भी दो उदाहरण दिये हैं उन्हें उदाहरण-बहुत्व का ज्ञापक समझना चाहिए । जहाँ रस तथा भाव आदि अनुमेय होते हैं वहाँ साधन और साध्य की प्रतीतियों के बीच होनेवाला क्रम प्रतीत होता नहीं, अतः सहभाव का भ्रम होता है ।

उपचारस्य प्रयोजनमुपगम्य हृच्चमत्कारः ।

मुख्ये चित्रादौ यः प्रकाशिते दृश्यते स्पष्टम् ॥१६१॥

अन्यत्र तु सर्वत्र क्रमः सुलक्ष्यो भवत्येव ।

वस्त्वादावनुमेये साधनसाध्यप्रतीत्योर्हि ॥१६२॥

वाच्यस्त्वर्थो न तथा सहचमत्कारको यथा काव्ये ।

काकभिषेयौ किं वा अनुमेयभूतौ विधिनिषेधौ ॥१६३॥

कौरवशतमथ समरे कोपाज्ञाहं प्रमथ्नामि ? ।

दुःशासनस्य रुधिरं पिबामि नाहं किमघैष ? ॥१६४॥

या चारुतावगतिरिह श्रुतयो रथ विधिनिषेधयोर्भाति ।

शब्दाभिषेययोर्नो सा कथमपि लब्धुमर्हास्ति ॥१६५॥

विधिरपि निषेधयुग्मात् समनुमितो हृच्चमत्कारी ।

प्रभवति यथा तथा नो स्व-शब्द-वाच्यः प्रसिद्धमिदम् ॥१६६॥

उसी के आधार पर व्यंग्य-व्यञ्जक-भाव मानकर काव्य को औपचारिक रूप में ध्वनि कहा, माना जाता है । अतः ध्वनि-व्यपदेश को मुख्य नहीं कहा जा सकता है । वह हृदयगत चमत्कार ही उक्त उपचार का प्रयोजन मान्य है जो कि चित्र आदि सुन्दर वस्तुओं के साक्षात्कार-स्थल में स्पष्ट रूप से होता पाया जाता है । १५८, १५९, १६०, १६१ । अन्यत्र वस्तु और अलङ्कार की अनुमेयता-स्थल में साधन और साध्य की प्रतीतियों के बीच होनेवाला क्रम स्पष्ट-भाव से प्रतीत होता है । काव्य में वाच्य अर्थ वैसा चमत्कारी होता नहीं जैसा काव्य के द्वारा कथित अथवा अनुमेय विधि निषेध चमत्कारी होते हैं । “मैं क्रुद्ध होकर युद्ध में सभी कौरवों को क्या मार नहीं डालूंगा ?” क्या मैं आज ही दुःशासन का रुधिर पान नहीं करूँगा ? इन वाक्यों के प्रयोग-स्थल में विधि और निषेध की अवगतियों में जो सौन्दर्य प्रतीत होता है वह अन्यवाचक शब्द से उनकी प्रतीति-स्थल में नहीं, यह प्रसिद्ध है । १६२, १६३, १६४, १६५ ।

दो निषेधों द्वारा अनुमित निषेध जैसा हृदय को चमत्कृत करता है अतथा-भूत स्वशब्द-वाच्य विधान वैसा नहीं, यह सुप्रसिद्ध है । १६६ ।

भवति सुवन्ततिङन्त-स्पर्शितया खलु निषेधोऽपि ।

द्विविधो हृद्गतमासः प्रोक्तोऽत्यन्तं चमत्कारी ॥ १६७॥

मृगशावक-सुभगाक्षी न न काम्या तस्य धूनः सा ।

नेच्छति न साऽपि मन्मथसुभगं युक्तो द्वयोः योगः ॥ १६८॥

इत्यादौ प्रतिषेधद्वयं चमत्कारि विज्ञेयम् ।

विधिमुख-तत्प्रत्ययतो भवति न तावांश्चमत्कारः ॥ १६९॥

वस्तुपस्कृत्योस्तु प्रभवति यत्रानुमेयत्वम् ।

क्रमसौलक्ष्याद् भ्रान्तिः सहभावस्यापि नैव स्यात् ॥ १७०॥

व्यंग्यस्य निर्निबन्धनमेव व्यपदेशनं तत्र ।

तस्मान्नद्यौचित्यं भजते तदिति ध्रुवं मान्यम् ॥ १७१॥

ये श्रूयमाण-शब्दाः स्फोटस्य व्यञ्जकत्वेन ।

ध्वनि-पदवाच्याः प्रोक्ता स्तेप्यनुमापकतया युक्ताः ॥ १७२॥

वह निषेध भी सुवन्त-सहकृत और तिङन्त सहकृत रूप में द्विविध होता है । दोनों ही हृदयगत होकर अत्यन्त चमत्कारी होते हैं । “वह मृगनयनी उस युवक के लिए काम्य नहीं है यह नहीं, और मन्मथ-सुन्दर उस युवक को वह नहीं चाहती यह भी नहीं” इत्यादि निषेधद्वय अति आकर्षक प्रतीत होता है । विधिमुख प्रतीति से उतना चमत्कार होता नहीं । १६७, १६८, १६९ ।

वस्तु-और अलङ्कार की अनुमेयता-स्थल में तो साधन और साध्य की प्रतीतियों के बीच क्रम सुलक्षित होने के कारण सहभाव की भ्रान्ति भी सम्भव नहीं, जिसके आधार पर ध्वनि-व्यवहार उचित कहा जा सके औपचारिक रूप में भी । अतः वहाँ तो ध्वनि-व्यवहार को अनुचित मानना ही होगा । स्फोट-व्यञ्जक होने के कारण श्रूयमाण शब्दों को जो ध्वनि-नाम से पुकारा जाता है वहाँ भी अनुमापक होने के कारण ही ध्वनि व्यवहार होता है, इसलिए ध्वनि नाम से पुकारे जानेवाले

तस्मात्तान् दृष्टान्तीकृत्य न काव्येषु हृद्येषु ।
 ध्वनिशब्दव्यपदेशः कथमप्युपपन्नतां गच्छेत् ॥१७३॥
 गम्यगमक-भावो ऽ सौ कथं समुपपद्यते तत्र ।
 इत्यपि नो वक्तव्यं जन्यजनकभाव सम्बित्तेः ॥१७४॥
 काव्यार्थ-विभावादेः समकालं रसमतिर्यस्मात् ।
 तत्रान्तरा न तस्मात् वक्तुं शक्या-स्मृति-व्याप्तेः ॥१७५॥
 यद्यन्तरा-स्मृतिः स्याद्व्याप्तेः, सा विन्नभूततया ।
 प्रभवेद् ज्ञाताऽऽस्वादे रसस्य, किन्तु स्थिति नो सा ॥१७६॥
 तस्माद् ज्ञाप्य-ज्ञापकभावो नो मान्यताऽ होऽस्ति ।
 सत्येवं व्यञ्जनया बोधात् ध्वनि-काव्यता मान्या ॥१७७॥
 गम्यगमकभावो यो मान्यः सोऽपि प्रदीप-घटतुल्यः ।
 व्यंग्य-व्यञ्जक-भावो नान्यः तस्मात् ध्वनि-मान्यः ॥१७८॥

शब्दों को दृष्टान्त बनाकर काव्य-विशेष में ध्वनि-शब्द का प्रयोग उप-पन्न होता नहीं । अनुमेयानुमापक-भाव वहाँ कैसे माना जा सकता है ? यह इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि वाच्यार्थ-बोध और प्रतीयमानार्थ-बोध के बीच जन्य-जनक-भाव ज्ञात होता ही है । १७०, १७१, १७२, १७३, १७४ ।

इसपर ध्वनिवादी की ओर से यह भी नहीं कहा जा सकता है कि काव्यार्थभूत विभाव-अनुभाव और व्यभिचारी-भाव के साथ ही यतः रस का आस्वाद होता है अतः बीच में वाच्यार्थ की स्मृति नहीं मानी जा सकती है । यदि बीच में व्याप्ति का स्मरण माना जाय तो उसका रसास्वाद में बाधक रूप में भान होना चाहिए, जैसा कि होता नहीं । ऐसी परिस्थिति में अनुमेय-अनुमापक-भाव नहीं कहा जा सकता है । अतः व्यञ्जना से ही रसादि का बोध मान्य होने के कारण ध्वनि-काव्य मानना ही होगा । ध्वनि-विरोधीजन जिसे गम्य-गमक-भाव अनुमेय-अनुमापक-भाव आदि नामों से कहते हैं वह भी प्रदीप और घट आदि के बीच होनेवाले व्यंग्य-व्यञ्जक-भाव के समान व्यंग्य-व्यञ्जक-भाव

लीलोत्पल-पत्राण्य थ गिरिजा गणयाञ्चकार वाक्येऽत्र ।

नीलाम्बुज-दल-गणन-यञ्जकतो व्यंग्य-सम्बुद्धिः ॥१७९॥

श्रुतगोपन-साधनतो गोप्यो-गौरीमुखाकारः ।

व्यक्तः प्रभवति दीपात् घट इव गाढान्धकारस्थः ॥१८०॥

दीपघट-द्योतनयो नाऽसहभावः कथञ्चिदपि ।

विज्ञापतेऽनुभूतं सर्वेषां तद्ध्वनिर्मान्यः ॥१८१॥

ध्वनि-पक्षादित्यादिक मपि नो वाच्यं क्रमो यतो मान्यः ।

वाच्य प्रतीयमानो भय-बोधो भवति नैव समम् ॥१८२॥

ध्वनिकृत् “सतूक्तयुक्ते” रितिवाक्येनाह मतिविरहम् ।

कुत्रापि जायमानं क्रमस्य विरहं न वै तस्य ॥१८३॥

साधन-साध्यज्ञात्योः क्रमिकत्वं सर्वमान्यं चेत् ।

बाधोपस्थापयितुं नो शक्या लिंगलिङ्गित्वे ॥१८४॥

ही मान्य है, अन्य कुछ नहीं । इसलिए ध्वनि-काव्य अवश्य मान्य है । “नाश्च के मुख से अपने विवाह की बात सुनकर गौरी नीचे मुख किए नील-कमल के पत्तों को गिनने लगी” इस वाक्य के प्रयोग-स्थल में नील-कमल के दलों की गणनास्वरूप व्यञ्जक से व्यंग्य का बोध होता है । १७५. १७६, १७७, ७८, ७९ ।

सुने जानेवाले गोपन-साधन अधोमुखता, नील-कमल-दल-गणना आदि को सुनकर गोप्य अर्थात् अनुक्त गौरी-मुखाकार उसी प्रकार व्यक्त हो उठता है, जिस प्रकार प्रदीप से अन्धकार-स्थित घड़े आदि । दीप और घट के प्रकाशनों में सहभाव होता नहीं यह सर्वानुभूत है । इसलिए ध्वनि-काव्य अवश्य मानना चाहिए, इत्यादि पूर्वोक्त बातें ध्वनि-वादियों की ओर से इसलिए नहीं कहा जा सकती है कि व्यंग्य और व्यञ्जक की प्रतीति के बीच क्रम अवश्य मान्य है । वाच्य और प्रतीयमान दोनों के बोध साथ होते नहीं । ध्वनिकार ने भी “सतूक्त-युक्ते” इत्यादि वाक्य द्वारा क्रममति का अभाव बतलाया है क्रम का अभाव नहीं । इस प्रकार साध्य और साधन के ज्ञानों के बीच क्रम के सर्वमान्य होने पर अनुमेय-अनुमापक-भाव की मान्यता में कोई बाधा नहीं उपस्थित की जा सकती है । १८०, १८१, १८२, १८३, १८४ ।

सिद्धे चैवं तस्मिन् अनुमेयो यो ध्वनेर्विषयः ।

न हि सर्वोद्यनुमेयो भवितुं योग्यो ध्वनेर्विषयः ॥१८५॥

एतस्मान्ननु हेतो र्मान्यं ह्यनुमान-माहात्म्यम् !

महति लघारन्तर्गति रनुभव-सिद्धैव संसारे ॥१८६॥

पर्यायोक्ता-दावपि गुणभूत-व्यंग्यतापक्षे ।

अनुमेय-विषयकत्वं न च ध्वनित्वं ततोऽपि तथा ॥१८७॥

अनुमानं तु द्विविधं भवति स्वार्थं परार्थं च ।

काव्य-स्थले परार्थं वचन-व्यापारपूर्वत्वात् ॥१८८॥

पक्षे हेतोः सत्त्वं तथा सपक्षेऽपि तत्सत्त्वम् ।

विरहस्तस्य विपक्षे प्रोक्तं रूपत्रयं हेतोः ॥१८९॥

रूपत्रयाभिधेयक-वाक्यं न्यायाभिधं प्रोक्तम् ।

तत्प्रतिपादित-लिङ्गाल्लिङ्ग्यनुमिति रिति सुविज्ञेयम् ॥१९०॥

यह सिद्ध होने पर ध्वनि के विषय को अनुमेय कहा जा सकता है । सारे अनुमेयों को ध्वनि का विषय नहीं कहा जा सकता है । इसलिए अनुमान-स्थानाधिक्य मानना होगा, उसका महत्व मानना होगा । महान् में लघु का अन्तर्भाव संसार में अनुभव सिद्ध ही है । १८५, १८६ ।

अनुमेय-अनुमापक-भाव को ध्वनि से अधिक स्थान वाला इसलिए भी मानना होगा कि गुणीभूत-व्यंग्य पर्यायोक्त आदि काव्य-स्थलों में अनुमेय-अनुमापक-भाव होता है । किन्तु ध्वनि-काव्यता वहाँ ध्वनिवादी भी नहीं मानते । १८७ ।

अनुमान के स्वार्थ और परार्थ दो प्रभेद होते हैं । किन्तु काव्य-स्थल में वचनव्यापारपूर्वक बोध होने के कारण श्रोता को परार्थानुमान ही होता है । हेतु में समीचीनता के आधायक तीन रूप अर्थात् धर्म होते हैं, (१) पक्ष-सत्त्व, (२) सपक्ष-सत्त्व और (३) विपक्षासत्त्व । हेतु में इन तीन रूपों के प्रतिपादक वाक्य को न्याय कहा जाता है । उसके द्वारा प्रतिपादित लिङ्ग से अर्थात् हेतु से लिङ्गी अर्थात् साध्य की अनुमिति होती है । १८८, १८९, १९० ।

काव्ये न्यायत्वं चेदक्षुण्णं तद्गृहीतेन ।
 लिङ्गेन नो कथं स्यादनुमिति रिति चिन्त्यतां सूक्ष्मम् ॥ १९१ ॥
 रूपत्रय-प्रकारक-विज्ञाति लिङ्गविषया या ।
 साऽपेक्षिता ऽ अमत्वं नापेक्ष्यं तत्र मित्यर्थम् ॥ १९२ ॥
 काव्येनोपस्थापितलिङ्गात् सम्पादिताऽनुमितिः ।
 आन्ताऽपि जायमानाऽऽस्वादमयी स्यादिति श्लिष्टम् ॥ १९३ ॥
 एतेन ध्वनि-पक्षिभिरक्तं हेतोस्तु दुष्टत्वम् ।
 तत्तद्ग्रन्थे प्रोक्तं किञ्चित्करतां न वै घटे ॥ १९४ ॥
 अत्रायं समुदेति प्रश्नो दृष्टान्त-वाक्यत्वम् ।
 उपलभ्यं काव्ये नो सर्वत्रेति स्थिति र्व्यक्ता ॥ १९५ ॥
 व्याप्ते दृष्टान्तेन हि ज्ञानं शक्यं न चापरथा ।
 कथमथ काव्यादनुमिति रिति वक्तुं शक्यते विबुधैः ॥ १९६ ॥

यह गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि जब काव्य में भी उक्त प्रकार
 न्याय-वाक्यत्व अक्षुण्ण है तब उसके द्वारा गृहीत लिङ्ग से अनुमिति
 क्यों नहीं होगी । हेतु में उक्त रूपत्रय-प्रकारक ज्ञान-मात्र अनुमिति
 के लिए अपेक्षित होती है, उस ज्ञान में प्रमात्व होना अनुमिति के लिए
 अपेक्षित नहीं । काव्य के द्वारा उपस्थापित लिङ्ग से होनेवाली
 अमात्मक अनुमिति भी आस्वादमय हो सकती है यह सर्वथा सुन्दर
 है । १९१, १९२, १९३ ।

यहां विहित इस विचार से तत्तद्-ग्रन्थ में ध्वनिवादियों द्वारा प्रदर्शित
 हेतुगत दुष्टत्व भी अकिञ्चित्कर सिद्ध हो जाता है । १९४ ।

यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि काव्य-वाक्य-स्थल में दृष्टान्त-वाक्य
 तो रहता नहीं यह स्थिति स्पष्ट है । हेतु में व्याप्ति का ज्ञान दृष्टान्त
 से ही होता है अन्यथा नहीं । ऐसी परिस्थिति में काव्य से अनुमिति
 होने की बात कैसे कही जा सकती है ? विद्वान् कैसे काव्य से अनु-
 मिति मान सकते हैं ? । इसका उत्तर यह ज्ञातव्य है कि दृष्टान्त की

अत्रोत्तरमवसेयं तदपेक्षा यत्र सिद्धिर्नो ।
हेतौ व्यासे स्तस्मात् सिद्धौ तस्या न तदपेक्षा ॥१९७॥
अत्र प्राचीनोक्तिः प्रमाणरूपेण विन्यस्ता ।
“तद्भावे” त्याल्लिखिता भट्टमहिम्ना विवेककृता ॥१९८॥
रत्यादयः सुखादेरेवावस्था-विशेषा यत ।
कान्ये कथमथ तेषामास्वादो हृच्चमत्कारी ॥१९९॥
परगत-सुखानुमित्या लोके सज्जन-सुखं दृष्टम् ।
कान्ये यदि तदिव स्यात् वैशिष्ट्यं तर्हि किं तत्र ॥२००॥
शोकः करुणस्थायी सोऽनुमितो नो सुखप्रदो लोके ।
भयदुःखन्दौर्मनस्याद्यनिष्ठदो दृश्यते साधौ ॥२०१॥
कान्ये ऽतिशयो लोका न दृश्यते येन कान्यीये ।
संसारे, ऽनुमितान्ननु शोकाद्वर्षोदयो मान्यः ॥२०२॥
कारण-कार्यसहाया ये लोके ते विभावाद्याः ।
गमकाः, त एव रत्याद्या गम्या लौकिका भावाः ॥२०३॥

अपेक्षा अनुमिति के लिए वहाँ ही होती है जहाँ उसके बिना हेतु में व्याप्ति पूर्व सिद्ध रहती नहीं । इसलिए व्याप्ति-सिद्धि होने पर उसकी अपेक्षा रहती नहीं । इसी के सम्बन्ध में महिमभट्ट ने “तद्भावे” इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा प्राचीनोक्ति बतलायी है । १९५, १९६, १९७, १९८ ।

रति-आदि भी सुख आदि के ही अवस्था विशेष हैं । फिर क्या कारण है कि काव्य-स्थल में चमत्कारी होते हैं । यह तो लौकिक जगत् में भी पाया ही जाता है कि सज्जनों को दूसरे के सुखों का अनुमान करके सुख मिलता है । काव्य में भी याद वैसा ही माना जाय तो काव्य-जगत् की क्या विशेषता होगी ? शोक करुण रस का स्थायी-भाव है । वह लोक में अनुमित होने पर सुखप्रद होता नहीं । प्रत्युत दूसरे के शोक से सज्जनों को भय, दुःख, अशान्ति आदि ही होते पाये जाते हैं । १९६, २००, २०१ ।

तत्कोऽतिशयः काव्ये रसरसनं येन तत्रैव ।

इत्याद्या ये प्रश्नास्ते ध्वन्यध्वन्युभय-पक्षाः ॥२०४॥

उभयस्मादपि पक्षा दुत्तरमिदमेव विशेषम् ।

अन्तर्गत-भावानां यदा विभावादिकात् प्राप्तिः ॥२०५॥

सहृदयहृत्सम्बेद्यः तदाभवत्यथ रसास्वादः ।

प्रामाणिकजनपर्यनुयोज्यो वस्तुस्वभावो नो ॥२०६॥

अतएव हि रसमुनिना भरतेनोक्तो रसास्वादः ।

प्रभवति काव्य-विभावानुभाव-सहचारि-संयोगात् ॥२०७॥

नात्यन्तमभिन्नत्वं विभाव-हेत्वो विचारसहम् ।

अनुभाव-कार्ययोरथ निमित्त-सहचारिणो र्वापि ॥२०८॥

कविवर्णनप्रप्ता एवहि रामादिगा भावाः ।

स्थायित्वं भजमानाः भवन्ति रत्यादिका लोके ॥२०९॥

काव्य-जगत् भी लोक-वाह्य नहीं । तदनुसार काव्य में कोई ऐसी विशेषता नहीं पायी जाती है कि 'अनुमित' शोक से सामाजिक को हर्ष माना जाय । वे ही लौकिक कारण कार्य सहकारी काव्य-जगत् में विभाव-अनुभाव और सहचारी या व्यभिचारी कहलाते हैं, जो कि गमक अर्थात् अनुमापक होते हैं, और वे ही लौकिक रति हास आदि काव्य-जगत् में स्थायी-भाव होते हैं जो कि गम्य अर्थात् अनुमेय होते हैं । ऐसी परिस्थिति में काव्य-जगत् की क्या ऐसी विशेषता होती है कि विलक्षण रसास्वाद वहाँ ही होता है ? इत्यादि प्रश्न ध्वनिवादी और ध्वनिविरोधी दोनों पक्षों के लिए समान हैं । अतः दोनों पक्षों से उनका उत्तर यह ज्ञातव्य है कि मानव-हृदयगत भावों की प्राप्ति जब विभाव-अनुभाव और सञ्चारी भावों के माध्यम से होती है तभी सहृदय-हृदय सम्बेद्य रसास्वाद होता है । वस्तुओं के स्वभाव पर प्रामाणिक-जनों का आक्षेप सम्भव नहीं । अतः रसमुनि भरत के द्वारा यह कहा गया है कि "विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोगों से रस की उत्पत्ति होती है" अर्थात् उसका आस्वाद होता है । २०२, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७ ।

प्राप्तकविवर्णना स्ते सहदास्वादस्य विषयत्वम् ।

स्वस्मिन् समादधाना भवन्ति रस-वाच्यतामाप्ताः ॥२१०॥

एवं विभाव हेत्वो भेदः कार्यानुभावयो रेवम् ।

सहचारि-निमित्तयोरपि काव्ये लोके च विज्ञेयः ॥२११॥

कविवर्णनविषयत्वं विशेषणीकृत्य लभ्यमानो यः ।

भेदस्तं वारयितुं भवेत् समर्थो न कोऽपि भुवि ॥२१२॥

अदधित्वे दुग्धस्य हि यत्कार्यं तद्वधित्वे नो ।

कार्यविभेदात्तत्त्वैक्येऽपि विभेदो भवत्येव ॥२१३॥

प्रभवति दण्डविरहितः प्रथमं पश्चात्स एव ननु दण्डो ।

व्यक्त्यैक्येऽपि च कार्यं भेदात् भेदस्तयो भ्रुवं मान्यः ॥२१४॥

शुद्धविशिष्टविभेदे युक्त्यात्वेवं स्थिरीकृते नूनम् ।

प्रोक्तः प्रश्नो नैवावकाशमाप्नोति समुदेतुम् ॥२१५॥

विभाव और कारण, अनुभाव और कार्य, सहचारी और निमित्त-कारण इन जोड़ियों के बीच अत्यन्त अभेद नहीं माना जा सकता है। कवि के द्वारा अवर्णित राम-आदि-गत भाव लौकिक रति आदि भाव होते हैं। और वे ही जब कवि के द्वारा वर्णित होते हैं और सहृदय सामाजिकों के द्वारा आस्वादित होते हैं तब वे रस कहलाते हैं, उसके पूर्व नहीं। इस प्रकार विभाव और कारण, अनुभाव और कार्य, तथा सहचारी एवं व्यभिचारी-भावों के बीच लौकिक और अलौकिक रूप में भिन्नता ज्ञातव्य है। इस प्रकार कविवर्णितत्व-विशेषण से प्राप्त भेद को संसार में कोई नहीं मिटा सकता है। २०८, २०९, २१०, २११, २१२। दधि-भाव नहीं प्राप्त करते समय तक, दूध से जो काम किया जाता है, उसका फल प्राप्त होता है, दधि भाव प्राप्त करने पर वह नहीं प्राप्त किया जाता है। और दही हो जाने पर जो उसका गुण होता है सो दही जमने से पूर्व नहीं, अतः कारण और विभाव के बीच भेद मानना अनिवार्य है। जो व्यक्ति पहले दण्ड रहित होता है वही पीछे डण्डा लेकर दण्डी हो जाता है। वहाँ व्यक्ति एक होने पर भी कार्यगत भिन्नता के आधार पर

स्थायिन अष्टौ व्यभिचारिणस्त्रयस्त्रिंशदित्युक्ताः ।

सात्त्विकभावा अष्टौ सर्वे व्यभिचारिणोऽभिमतः ॥२१६॥

मेदेन व्यपदेशो रूपस्य प्रतिनियततायाः ।

स्थायित्वं स्थायिष्वथ नियतं नान्यत्र कुत्रापि ॥२१७॥

एवं सञ्चारित्वं सञ्चारिष्वेव नेतरयोः ।

प्रोक्तोभयभिन्नेषु हि सात्त्विकता नैव चोक्तेषु ॥२१८॥

यो भावो यत्र स्यात् प्ररुद्धिमाप्तो विभावाद्यैः ।

स्थायीति कथ्यतेऽसौ नान्ये भावाः तथा प्रकथ्यन्ते ॥२१९॥

स्थायित्वं व्यभिचारित्वं च परस्पर-विरुद्धमिति ।

कथमैकाधिकरण्यं तयोर्विजिज्ञास्य मस्ति यदि ॥२२०॥

अस्येदमुत्तरं स्यादवगन्तव्यं प्रबुद्धजनैः ।

व्यभिचारि सजातीया एवहि सर्वे विजातीयाः ॥२२१॥

प्राप्त होनेवाली भिन्नता दण्डी और अदण्डी के बीच माननी ही होगी । इस प्रकार शुद्ध और विशेषण-विशिष्ट वस्तु में युक्ति के द्वारा भिन्नता समर्थित हो जाने पर उक्त प्रश्न स्वयं समाहित हो जाता है, वह उठ ही नहीं सकता । २१३, २१४, २१५ । स्थायी-भाव हैं आठ, व्यभिचारी-भाव हैं तैंतीस और सात्त्विक भाव है आठ । ये सात्त्विक-भाव भी व्यभिचारी भाव ही हैं परन्तु उनके अन्दर प्रत्येक के स्वरूप निश्चित हैं, नियत हैं । अतः इन्हें व्यभिचारियों से अलग रूपमें 'सात्त्विक' नाम से पुकारा जाता है । स्थायित्व आठ स्थायी भावों में ही रहता है अन्य में नहीं । इस प्रकार व्यभिचारित्व व्यभिचारियों में ही रहता है स्थायी-भाव और सात्त्विक-भावों में नहीं । और सात्त्विक-भावत्व आठ सात्त्विक-भावों में ही रहता है स्थायी-भाव और व्यभिचारी-भाव में नहीं । जो भाव विभाव अनुभाव और सञ्चारी-भावों के द्वारा प्ररुद्ध होता है, दृढ़ हो जाता है, सुस्थिर हो जाता है, वही स्थायी-भाव कहलाता है अन्य भाव नहीं । २१६, २१७, २१८, २१९ ।

स्थायित्व और व्यभिचारित्व जब कि परस्पर विरुद्ध हैं तब दोनों में

नात्यन्तं, भावत्वात्, औपाधिकमेव वैजात्यम् ।

विहिते विवेचनेऽस्मिन् काव्यान्तर्गत-विभावादेः ॥२२२॥

लौकिक-हेत्वादीनामक्रित्रिमता स्फुटीभूता ।

क्रित्रिमता च विभावादीनां दुस्पष्टतामाप्ता ॥२२३॥

एवं लौकिक-काव्यगुखानुभूत्यो हि जनकानाम् ।

भिन्नत्वादनुभूत्यो स्तयोरपि स्यान्महान् भेदः ॥२२४॥

लौकिक-सुखानुभूति भवति प्रत्यक्षविषयैव ।

सुखिनि सुखस्य स्थित्या मनसा तेनेक्षणात्तस्य ॥२२५॥

रत्यादीनां सर्वेषामपि गतिरीदृशी नान्या ।

काव्यजगति ते किन्त्वथ न तथा भूताः स्थिते विरहात् ॥२२६॥

यस्मात् प्रतीतिरेव हि तेषां, तस्मात् प्रतीयमानास्ते ।

गम्या अपि चोच्यन्ते ह्युपपन्ना मुख्यया वृत्त्या ॥२२७॥

समानाधिकरण्य कैसा ? यह जिज्ञासा उपस्थित होने पर, उत्तर यह ज्ञातव्य है प्रबुद्ध जनों के द्वारा कि, सारे भाव भाव के रूप में व्यभिचारी भावों के सजातीय ही हैं, अत्यन्त विजातीय नहीं । इस प्रकार विवेचन करने पर लौकिक कारण, कार्य और सहकारी-कारणों में जहाँ अक्रित्रिमता अर्थात् स्वाभाविकता स्फुट होती है वहाँ विभाव अनुभाव और सञ्चारी भावों में क्रित्रिमता । २२०, २२१, २२२, २२३ ।

इस प्रकार लौकिक जगत् और काव्य जगत् की दो प्रकार की सुखानुभूतियों को जनकगत-विभिन्नता के कारण, लौकिक और काव्यस्थलीय सुखानुभूतियों में महान् भेद होता है । लौकिक जगत् की सुखानुभूतियाँ प्रत्याक्षत्मक होती हैं, उनके विषयभूत सुख-प्रत्यक्ष विषय होते हैं । क्योंकि सुखी व्यक्ति में सुख रहने के कारण सन्निकर्ष-प्रयुक्त सुख का मानस प्रत्यक्ष होता है । किन्तु काव्यस्थलीय सुख वैसे नहीं होते हैं क्योंकि सामाजिक के अन्दर वे रहते नहीं । यतः उन सुखों को प्रतीति ही होती है, अतः वे प्रतीयमान होते हैं । अभिधावृत्ति के अनुसार वे गम्य भी कहलाते हैं यह उचित ही है । २२४, ५२५, २२६, २२७ ।

ध्रुवमेतदभ्युपेयं घटना स्सर्वा न काव्यगताः ।
 प्रभवन्त्यकस्त्रिता स्ताः तांश्च तस्तर्कं सिद्धमिदम् ॥२२८॥
 स्थाय्यनुमित्यनुभूति र्या तु स्वभाविकी नित्यम् ।
 सैव रसास्वादतया मान्या विज्ञैः, किमपि नान्यत् ॥२२९॥
 यत्रैतिहासिकी ननु घटना तत्रापि रत्यादेः ।
 सामाजिक-प्रत्यक्षाविषयत्वं स्यादध्रुवं मान्यम् ॥२३०॥
 प्रत्यक्षोऽपि ह्यर्थः साक्षात्सम्बेद्यमानोऽपि ।
 हृदये सचेतसां नो तथा चमत्कार मातनुते ॥२३१॥
 सत्कविवाग्विषयत्वं गतो यथाऽसौ चमत्कारी ।
 शाणानुरलीढं यत् खनिनिर्गतिमन्महद्वत्नम् ॥२३२॥
 नाकर्षणमातनुते तथा यथा शाणसंलीढम् ।
 स्वदते यथा विभावाद्यैरनुमेय स्तथा नान्यः ॥२३३॥

यह निश्चित रूप से मानना ही होगा कि काव्यगत सारी घटनाएँ
 अकल्पित ही नहीं होती हैं वास्तविक ही नहीं होती है । इसलिये यह तर्क
 सिद्ध है कि स्थायीभाव की अनुमिति की जो अनुभूति होती है स्वाभाविक
 रूप में उसे ही विज्ञानों द्वारा रसास्वाद माना जाय और कुछ नहीं ।
 जहाँ की घटना ऐतिहासिक भी होती है वहाँ भी रत्यादि सामाजिकों
 के प्रत्यक्ष विषय बनते नहीं यह मानना ही होगा । २२८, २२९, २३० ।
 प्रत्यक्ष का विषय बननेवाला भी पदार्थ साक्षात् रूप में सम्बन्धमात्र
 होने पर भी सहृदयों के हृदय में वैसा चमत्कार नहीं पैदा करता है जैसा
 कि वह सत्कवियों के द्वारा वर्णित होकर । खान से निकलनेवाला
 महान् रत्न भी तबतक वैसा नहीं चमकता जैसा कि खान पर चढ़ाया
 हुआ अन्य रत्न । सारांश यह कि वह वैसा आकर्षक होता नहीं ।
 अतः विज्ञानों का यह कथन सर्वथा युक्तियुक्त है कि लौकिकहेतुओं से
 अनुमित, वैसा आस्वादित होता नहीं, जैसा कि विभाव अनुभाव और
 सञ्चारी-भावों से अनुमित, आस्वादित होता है । २३१, २३२, २३३;
 २३४ ।

अत एवोक्तं विज्ञै रिदं हि पद्यं समुपपन्नम् ।

नानुमितो हेत्वाद्यैः स्वदतेऽनुमितो यथा विभावाद्यैः ॥२३४॥

न च सुखयति वाच्योर्थः प्रतीयमानः स एव यथा ।

काव्ये गम्यगमकयोः सत्यासत्यत्व-सुविचारः ॥२३५॥

नैवोपयोगमागथ सचेत्सां काव्यजे बोधे ।

मणिदीपप्रभयोरथ मणिरितिबुद्ध्याऽभिधावतोर्यस्मात् ॥२३६॥

अर्थक्रियाविशेषो लभ्यत एव अमे तुल्ये ।

तात्त्विक-हेतो स्तात्त्विक-साध्यस्यैवानुमेयत्वम् ॥२३७॥

नो तत्र सुखास्वादो लोके भवतीति निश्चितं मान्यम् ।

लोकात् काव्येऽतिशयो मान्यस्त्वयमेव यः सुखास्वादः ॥२३८॥

तस्मात्तत्र हि गम्ये व्यंग्यत्वस्योपचारोऽस्ति ।

तर्हि द्विविधोद्वर्था वाच्यो गम्यश्च सम्मान्यः ॥२३९॥

वाच्य अर्थ वैसा सुखद होता नहीं, जैसा कि प्रतीयमान अर्थ सुखद होता है । सहृदयों को होनेवाले काव्यजन्य-बोध के लिये काव्यस्थलीय अनुमेय और अनुमापकगत सत्यता और असत्यता का विचार बिलकुल उपयोगी नहीं । मणि की प्रभा और दीप की प्रभा को मणि समझ कर उस ओर ग्रहणार्थ अग्रसर होनेवाले दोनों यद्यपि समान रूप से भ्रान्त होते हैं । परन्तु प्रवृत्ति की सफलता और विफलता को लेकर दोनों में अन्तर होता ही है । लोक में तात्त्विक हेतु से तात्त्विक साध्य का ही अनुमान होता है, वहाँ कोई सुखास्वाद होता नहीं, यह निश्चित रूप से मान्य है । लोकजगत से काव्यजगत की यही विशेषता मान्य है कि वहाँ सुखास्वाद होता है । इसीलिये अनुमेय में व्यंग्यत्व का औपचारिक प्रयोग होता है । तब वाच्य और अनुमेय दोनों प्रकार के अर्थ अवश्य मान्य होंगे । अनुमेय अर्थ-विशेषों को ही व्यंग्य भी कहा दिया जाता है । व्यंग्य कहा जानेवाला अनुमेय-वहिर्भूत होता नहीं । वाच्य और प्रतीयमान अर्थ के बीच औपचारिक रूप में कहा जानेवाला व्यंग्यव्यञ्जक-भाव वास्तविक कभी नहीं हो सकता । व्यक्ति अर्थात् व्यञ्जन का सही लक्षण यह ज्ञातव्य है कि—व्याप्ति स्मरण की अपेक्षा

गम्यविशेषो व्यंग्य स्ततो बहिर्भावमाहू नैव ।

व्यंग्यव्यञ्जकभावो मुख्यं वृत्तिं पुरस्कृत्य ॥२४०॥

वाच्यप्रतीयमानोभयगः कथमपि न सम्भावी ।

सम्बन्धस्मृत्यनवेक्षिणा प्रकाशेन सममेव ॥२४१॥

सतोऽसतो वाऽर्थस्य प्रकाश्यता व्यक्तिरिति लक्ष्म ।

त्रिविधा साऽभिव्यक्ति व्यंग्य-त्रैविध्यतो ज्ञेया ॥२४२॥

क्षीरादौ दध्यादेः स्थितस्य शक्त्यात्मना पूर्वम् ।

पाश्चात्येन्द्रियगोचरता ऽभिव्यक्तिर्भवेत्प्रथमा ॥२४३॥

शक्त्यात्मना स्थितिर्नो मान्या कार्यस्य कारणे यदिचेत् ।

प्रथमेयमभिव्यक्तिः प्रोच्यते उत्पत्ति-शब्देन ॥२४४॥

दीपादिना घटादे र्याऽभिव्यक्तिस्तमोगम्य ।

सा हि द्वितीयभूता सह प्रकाशेन निर्वर्त्या ॥२४५॥

अनुभूतस्य हि पूर्वं संस्कारतया स्थितस्यान्तः ।

सद्भेतोः शब्दा द्वा प्रभवति संस्कारसम्बुद्धिः ॥२४६॥

न रखनेवाले प्रकाशक से उसके साथ ही होनेवाली सत् अथवा असत् अर्थ की प्रकाश्यता ही है व्यक्ति । अभिव्यंग्य की त्रिविधता के आधार पर अभिव्यक्ति त्रिविध मान्य है । २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२ ।

त्रिविध अभिव्यक्तियों में प्रथम अभिव्यक्ति है दूध आदि में शक्ति रूप में पहले विद्यमान दही आदि की, पीछे होनेवाली इन्द्रिय गोचरता । कारण में शक्ति रूप में कार्य की पहले यदि विद्यमानता नहीं मानी जाय तो इसी प्रथम अभिव्यक्ति को उत्पत्ति शब्द से भी कहा जाता है । अन्धकारस्थित घट आदि की वह अभिव्यक्ति जो कि प्रकाश के साथ ही होती है, होती है द्वितीय अभिव्यक्ति । २४३, २४४, २४५ । पूर्वानुभूत एवं संस्कार रूप में हृदयावस्थित अग्नि आदि का धूमादि-दर्शन-प्रयुक्त किंवा शब्द-श्रवण-प्रयुक्त होनेवाला संस्कार का उद्बोध है तृतीय अभिव्यक्ति । “धूमादिदर्शन-प्रयुक्त” यहाँ पर आदि पद से

धूमादे रग्न्यादे र्या सा ज्ञेया तृतीयेति ।

अनुकरण प्रतिविम्बाऽऽलेख्यादे रादितो ग्रहणम् ॥२४७॥

शब्देन घटपटादेः प्रोद्धोघो यः तृतीया सा ।

व्यक्तिः, शाब्दो बुद्धिर्विज्ञेया वस्तुतत्त्वज्ञैः ॥२४८॥

असत्स्वेकविधैव हि व्यक्तिर्मान्या प्रकारविरहेण ।

ऐन्द्रधनुरादिकाना मर्कालोकादिना दृष्टा ॥२४९॥

व्यक्तिस्वेतास्वथ नो काऽपि तृतीयां विनाकृत्य ।

वाक्यार्थ-बोधघटना-क्षमतां स्वस्यामुपाधत्ते ॥२५०॥

या तु तृतीया व्यक्तिः स्वस्यामनुमानतां दधती ।

अवलोक्यतेऽनुमानस्वरूपयोगात्ततो नान्या ॥२५१॥

भवति त्रिरूपल्लिङ्गादनुमेयज्ञानमनुमानम् ।

पूर्वमदोदं प्रोक्तं ततो न हि व्यञ्जना मान्या ॥२५२॥

कस्मादप्येकस्मादर्था दर्थान्तरस्य यज्ज्ञानम् ।

अनुभवरूपं सर्वं तद्व्यनुमानं ततो नान्यत् ॥२५३॥

अनुकरण प्रतिविम्ब एवं चित्र आदि का ग्रहण जातव्य है । शब्द सुनकर घटपट आदि का प्रोद्धोघ अर्थात् तद्विषयक संस्कारोद्धोघ स्वरूप, तृतीयांतः-पाती द्वितीय अभिव्यक्ति ही कही जाती है शाब्दबुद्धि, शाब्दबोध वाक्यार्थबोध आदि नामों से । उदाहृत अभिव्यक्तियाँ सत् की अभिव्यक्तियाँ हैं । असत् की अभिव्यक्ति एक ही प्रकार की होती हैं । सूर्यप्रकाश आदि के द्वारा होती देखी जानेवाली इन्द्रधनुष आदि की अभिव्यक्ति है असत् की अभिव्यक्ति जो कि तृतीय प्रकार की अभिव्यक्ति को मान्यता दिये बिना कथमपि सम्भव नहीं । २४६, २४७, २४८, २४९ । अपने में वाक्यार्थबोध सम्पादन की क्षमता रखनेवाली तृतीय प्रकार की अभिव्यक्ति अनुमान स्वरूप होती हुई तृतीय अभिव्यक्ति, अनुमान के स्वरूप को धारण करने कारण अनुमान से अन्य नहीं मान्य है । यह बात पहले भी बतलाई जा चुकी है कि रूपत्रय-सम्बद्ध लिंग से होनेवाला ज्ञान अनुमान अर्थात् अनुमिति है । अतः ध्वनिवादी-सम्मत

उपमानादीनामप्यनुमानान्तर्गति मान्या ।

वाच्यादर्थार्थान्तर-प्रतीति विना व्याप्तेः ॥२५४॥

बोधं प्रजायमाना कथमनुमित्यात्मिका मान्या ।

वचनीयं नो, तत्र व्यप्तिज्ञानं यतो मान्यम् ॥२५५॥

व्याप्तिज्ञानापेक्षा नोचेन्मान्या प्रतीत्यर्थम् ।

अर्थान्तरप्रतीतिः सर्वेषां स्यात् समापन्ना ॥२५६॥

वाच्यव्यंग्यार्थोभयमतिः सहैवेति नो वाच्यम् ।

धूमाग्निप्रतिपत्त्योरिव क्रमस्यापि वेद्यत्वात् ॥२५७॥

व्यञ्जना मान्य नहीं । किसी भी एक वस्तु को देखकर या सुनकर जो वस्त्वन्तर का अनुभवात्मक ज्ञान होता है वह अनुमान ही मान्य है तदतिरिक्त और कुछ नहीं । उपमान आदि का भी अनुमान में ही अन्तर्भाव मान्य है । २५०, २५१, २५२, २५३ । वाच्य अर्थ की प्रतीतिमात्र से व्याप्तिज्ञान के विना होनेवाली प्रतीति कैसे अनुमिति हो सकती है ? यह नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि व्याप्तिज्ञान वहाँ भी मान्य है । क्योंकि व्याप्तिज्ञान की मान्यता न होने पर सबको अर्थान्तर की प्रतीति होने लगेगी २५४ । वाच्यार्थ का बोध और व्यंग्यार्थ का बोध दोनों साथ ही होते हैं, यह नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि धूम और अग्नि के बोधस्थल के समान वहाँ भी क्रम प्रतीत होता है । ऐसी परिस्थिति में ध्वनिकार का उक्त ध्वनि-काव्यलक्षण असम्भव दोष-ग्रस्त होता है । क्योंकि व्यञ्जन जब कि अनुमान की ही मान्यता से खण्डित हो चुका है, तब कैसे ध्वनिकाव्य कहीं पाँव टेक सकता, और कैसे ध्वनिकाव्य का उक्त लक्षण सङ्गत हो सकता है ? इसपर यदि यह कहा जाय कि काव्य से होनेवाले रस रसाभासादि के आनस्थल में वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों का सहप्रकाशन होता ही है, अतः प्रदीप और घट आदि के प्रकाशनस्थल के समान वहाँ भी व्यंग्यव्यञ्जक-भाव होना ही चाहिये, इसलिये ध्वनिलक्षण का असम्भव नहीं कहा जा सकता, फिर भी वस्तुध्वनि और अलङ्कार-ध्वनिस्थल में होनेवाली अव्याप्ति अनिवार्य होगी । २५५, २५६, २५७ ।

एवञ्च ध्वनिलक्षण मसम्भवादोषतो दुष्टम् ।

यत्रार्थः शब्दोवेत्यादिक मुक्तं हि यत्तज्ज्ञैः ॥२५८॥

अनुमानेन व्यञ्जनमपाकृतं चेत् कथङ्कारम् ।

तत्र न्यस्तपदं तत् ध्वनिकाव्यं वाऽथ तल्लक्षम् ॥२५९॥

अक्रमतो ननु भानं भवति रसादे र्यत स्तेन ।

भवति रसध्वनिकाव्ये सहप्रकाशस्तयोरिति चेत् ॥२६०॥

तत्र कथञ्चिल्लक्षणसम्भवतोऽसम्भवेऽस्तेपि ।

अव्याप्तिर्वस्तूपस्कृतिध्वनौ ननु कथं वार्या ॥२६१॥

प्रथमं भवति बिभादिकेन सह नो रसादेश्च ।

कारणकार्यमती नो यतः सहैवाथ सम्भाव्ये ॥२६२॥

व्यंग्यव्यञ्जकभावो घटप्रदीपादि-दृष्टान्ते ।

प्रभवति सत्यं किन्तु न काव्यत्वं तत् कुतो ध्वनिता ॥२६३॥

व्यापकविरहे व्याप्याभावो भ्रुव एव सम्भावी ।

काव्यत्वं ध्वनिताया व्यापकमित्यत्र नो विमतिः ॥२६४॥

द्विविधः प्रकाशकोऽर्धो भवत्युपाधिः स्वतन्त्रश्च ।

ज्ञान-प्रदीप-शब्दा उपाधिरूपा हि विज्ञेयाः ॥२६५॥

वस्तुतः रस आदि का प्रकाशन विभाव आदि के साथ होता नहीं ।

क्योंकि कारण और कार्य-भूत बोध एक साथ सम्भव नहीं । घट

आदि और प्रदीप के दृष्टान्त-स्थल में प्रकाशनगत सहभाव और व्यंग्य-

व्यञ्जक-भाव होता है सहो परन्तु वहाँ काव्यता नहीं कि उसके बलपर

ध्वनिकाव्य मनाया जा सके । अतः कैसे ध्वनि-काव्यता सिद्ध हो

सकती है । २५८, २५९, २६०, २६१, २६२, २६३ ।

व्यापक के अभावस्थल में व्याप्य का अभाव होना अवश्यम्भावी है ।

काव्यत्व ध्वनित्व का व्यापक है इसमें कोई मतभेद नहीं । उपाधि-

रूप और स्वतन्त्र रूप में प्रकाशक द्विविध मान्य हैं । स्व-पर दोनों के

लिये प्रकाश-भूत, उपाधि-भूत प्रकाश तीन प्रकार के होते हैं ।

स्वपरप्रकाशरूपाः त्रयः प्रकाशा उपाधितामासाः ।

धूमादयः स्वतन्त्राः प्रकाशका हेतुभूता ये ॥२६६॥

प्रकृतो व्यंग्यव्यञ्जकभावो नाद्यात्मको मान्यः ।

प्रत्यक्षवाच्योरपि यतो भवेत् काव्यताऽऽपन्ना ॥२६७॥

अन्यस्य तु लिङ्गत्वं न व्यञ्जकतोपपन्ना स्यात् ।

व्यंग्यव्यञ्जकभावस्ततोऽनुमेयानुमानभावो हि ॥२६८॥

न विभावाद्या हि रसा इत्यादिक मावदन् ध्वनिकृत् ।

सत्तां रसध्वनावप्यवीक्ष्यभूतक्रमस्य मेने हि ॥२६९॥

यथा, (१) ज्ञान (२) प्रदीप और (३) शब्द ये तीन उपाधिरूप होते हैं और धूम आदि हेतुभूत-प्रकाशक स्वतन्त्र-प्रकाश होते हैं । प्रकृत काव्यस्थलीय व्यंग्य-व्यञ्जक-भाव को प्रथम अर्थात् उपधेय उपाधिगत नहीं माना जा सकता । क्योंकि तब घट प्रदीप आदि में भी काव्यता आपन्न हो उठेगी । २६४, २६५, २६६, २६७ ।

द्वितीय अर्थात् स्वतन्त्र-प्रकाशक लिंग ही होगा, उसमें अनुमापकता ही होगी, व्यञ्जकता उपपन्न होगी नहीं । इसलिये प्रकृत अर्थात् काव्यस्थलीय व्यंग्य-व्यञ्जक-भाव को अनुमेयानुमाक-भाव ही मानना होगा ।

ध्वनिकार ने भी “नहि विभावादय एव रसाः” इत्यादि कहते हुए रस-ध्वनिस्थल में भी अज्ञेय क्रम की सत्ता मानी ही है । ऐसी परिस्थिति में ध्वनि की यह भी परिभाषा नहीं मानी जा सकती कि “प्रकाशक के साथ होनेवाला उक्त त्रिविध प्रकाश्य-प्रकाशक है ध्वनि” ।

क्योंकि ध्वनिकार ने भी क्रम माना ही है । एक ही जगह दो के बीच क्रमभाव भी हो और सहभाव भी हो इसे युक्तियुक्त नहीं ठहराया जा सकता । क्योंकि सक्रमता और अक्रमता दोनों के बीच विरोध स्पष्ट है । ऐसी परिस्थिति में पूर्वोक्त सहभावा-घटित ध्वनिलक्षण असम्भवग्रस्त होने के कारण विज्ञानों के समक्ष उपस्थापन योग्य नहीं होगा । यदि इस दोष के भय-प्रयुक्त ध्वनि-काव्य का लक्षण सहभाव से अघटित किया जाय तो अनुमान-स्थल में ध्वनिलक्षण की अतिव्याप्ति हो उठेगी । धूम से जहाँ वल्लि की अनुमिति होती है

त्रिविधप्रकाशप्रकाशः प्रकाशकैस्सह भवन् ध्वनिः कथितः ।

इत्यपि वक्तुमशक्यं क्रमस्य तेनाऽपि मान्यत्वात् ॥२७०॥

सहभावक्रमभावौ द्वयोरुभौ नैव सम्पाद्यौ ।

एकत्रैव हि, युक्त्या, तयो विरोधो यतः स्पष्टः ॥२७१॥

सहभावेन च घटितं प्रोक्तं लक्षणमसम्भव-ग्रस्तम् ।

तेन हि तस्याप्युक्तिर्विज्ञसमक्षं न युक्ता स्यात् ॥२७२॥

एतदोषभयाद्यदि सहभावाघटितलक्षणं कार्यम् ।

तदतिव्याप्तिस्तर्हि स्यादनुमाने दुरुद्धरा नितराम् ॥२७३॥

धूमाद्ब्रह्मधनुमानस्थलेऽपि गुणभूतधूमेन ।

भवति प्रकाशो वह्ने विमतिर्नास्त्यत्र कस्यापि ॥२७४॥

प्रभवेन्ननु प्रकाशोऽसत्तः प्रकाशकवलाद्यत्र ।

व्यंग्यव्यञ्जकभावः तत्रेत्यपि वक्तुमहं नो ॥२७५॥

यस्माद् घटप्रदीपोभयोस्तदा स्यादथाव्याप्तिः ।

न घटेऽसत्त्वं कथमपि विरहो वा व्यंग्यभावस्य ॥२७६॥

वहाँ भी गुणभूत धूम से वह्नि का प्रकाश अर्थात् ज्ञान होता ही है । किसी को भी इसमें विमति नहीं । प्रकाशक के बल से जहाँ असत्-का प्रकाशन होता है वहाँ व्यंग्य-व्यञ्जक भाव मान्य है यह भी नहीं कहा जा सकता । २६८, २६९, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५ । क्योंकि ऐसा कहने पर घट और प्रदीप के बीच व्यंग्य व्यञ्जक-भाव नहीं हो पायेगा, वहाँ अव्याप्ति हो उठेगी । न घड़े में असत्ता होती है और न वहाँ व्यंग्य-व्यञ्जना-भाव की अमान्यता होती है । यदि व्यक्ति अर्थात् ध्वनि के लक्षण में “असत्” पद का निवेश न रखते हुए लक्षण बनाया जाय, और अव्याप्ति का निवारण किया जाय, तो सूर्यालोक द्वारा व्यक्त होनेवाले इन्द्र-धनुष को लेकर उसमें अव्याप्ति होगी । क्योंकि इन्द्र-धनुष में सत्ता का अभाव तथा व्यंग्यत्व और सूर्यालोक में व्यञ्जकत्व अमान्य नहीं हो सकता विशेषज्ञों द्वारा २७६, २७७, २७८ ।

असतो ग्रहणमकृत्वा तत्राव्याप्तिं निवारणीया चेत् ।

अर्कालोक-व्यंग्येन्द्रचापमादाय पुनरथाव्याप्तिः ॥२७७॥

सत्त्वाभावस्तत्र व्यंग्यत्वं व्यञ्जकत्वं च ।

अर्कालोके नैवाभान्यं कथमपि विशेषज्ञैः ॥२७८॥

ग्रहणं करिष्यते नो सत्त्वासत्त्वोभयो र्यदि चेत् ।

ध्वनिलक्षणेऽनुमानस्यैव हि तरुलक्षणं तर्हि ॥२७९॥

तच्चेष्टमेव नः स्वात् क्रमप्रकाशस्य मान्यत्वात् ।

वाच्यप्रतीयमानोभयोः सतोरेव, सत्काव्ये ॥२८०॥

सत्येवं तदवस्थोऽसम्भवदोषोऽस्ति लक्षणे प्रोक्ते ।

यत्रार्थः शब्दोवेत्यत्र ध्वनिकृद्भिरिति बोध्यम् ॥२८१॥

सदसद्भ्यामथ भिन्नं यस्मात् किञ्चित्प्रकाश्यं नो ।

तस्मात्ताभ्यां तस्य हि विशेषणं नोपपन्नं स्यात् ॥२८२॥

वाच्याऽर्थे व्यञ्जकता ध्वनिकाव्ये चेद्विबक्षिता नित्यम् ।

तदनुमितव्यञ्जकतायां नो ध्वनिता भवेत्तर्हि ॥२८३॥

देवर्षाविति वादिनि पितृपाश्वर्गता विनम्रास्या ।

लीलाकमलदलान्यथ गणाञ्चक्रे शुभानना गौरी ॥२८४॥

ध्वनि-के लक्षण में यदि सत्त्व, और असत्त्व दोनों का ग्रहण न किया जाय तब वह लक्षण फलतः अनुमान का ही लक्षण हो जायगा । सो तो हमलोगों को इष्ट ही होगा । क्योंकि काव्यस्थल में सद्भूत वाच्य और प्रतीयमान के प्रकाशन के बीच क्रम का प्रकाशन मान्य ही है । इन परिस्थिति में ध्वनिकार के द्वारा कथित "यत्रार्थः शब्दो वा" इत्यादि ध्वनि-लक्षण में असम्भव दोष पुनः पूर्ववत् आपन्न हो उठेगा ॥ सत् और असत् को छोड़कर तीसरा कोई प्रभेद यतः प्रकाश्य का है नहीं, इसलिये भी ध्वनि-लक्षण में सत् और असत् का प्रवेश उचित नहीं होगा । २७६, २८०, २८१, २८२ ।

यदि वाच्य अर्थ में व्यञ्जकता नित्य मानी जाय अर्थात् उसमें ही व्यञ्जकता मानी जाय तो वहाँ अव्याप्ति हो उठेगी जहाँ अनुमित=निष्ठ

अत्रस्यादव्याप्तिं भुङ्खनप्रतयाऽनुमेया हि ।

लज्जा यद् ज्ञापयति स्थाणुरतिं पार्वतीनिष्ठाम् ॥२८५॥

लज्जा न वाच्यभूता व्यञ्जकता यद्गता मान्या ।

सत्येवं वाच्यार्थव्यञ्जकताऽभावतोऽव्याप्तिः ॥२८६॥

लक्षणघटकस्त्वर्थो न हि वाच्यः केवलो ग्राह्यः ।

लक्ष्यार्थव्यंग्यार्थावपि यद् ग्राह्यौ ततो हि ना व्याप्तिः ॥२८७॥

व्यंग्यत्वमादधाना लज्जा स्थाणौ रतिं तस्याः ।

प्रतिबोधयितुं शक्तेत्यपि नो वाच्यं विरोधतो वचसः ॥२८८॥

अर्थो वाच्यविशेषः स्वयमिति निवृत्तं ध्वनेः कर्त्रा ।

कथमथ ततो विरुद्धं स एव कथयेत् ततो विद्वान् ॥२८९॥

व्यञ्जकता को लेकर ध्वनिकाव्यता होती है । 'देवर्षि नारद के द्वारा अपने विवाह की चर्चा सुनकर पिता के बगल में खड़ी सुमुखी गौरी, मुह नीचे करके करगत कमल के पत्तों को गिनने लगी' इस काव्य-वाक्यस्थल में अव्याप्ति हो उठेगी । क्योंकि वहाँ मुह नीचे करने से अनुमेय लज्जा यतः पार्वतीनिष्ठ शिवविषयक रति अर्थात् प्रेम को बतलाती है । वहाँ जिस लज्जा में व्यञ्जकता मान्य है वह लज्जा वाच्य नहीं । अतः वाच्यार्थ में व्यञ्जकता न होने के कारण अव्याप्ति होगी । २८३, २८४, २८५, २८६ । इस अव्याप्ति के वारणार्थ "यत्रार्थः शब्दो वा" इत्यादि ध्वनिलक्षण - घटक अर्थ पद से यतः वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ सभी ग्राह्य हैं अतः उक्त अव्याप्ति नहीं होगी । क्योंकि व्यंग्य होनेवाली लज्जा पार्वतीनिष्ठ शिव-विषयक रति को बतलायेगी यह बात भी ध्वनिकार की ओर से नहीं कही जा सकती । क्योंकि ऐसा कहने पर ध्वनिकार के अपने वाक्यों में ही विरोध प्राप्त हो उठेगा । ध्वनिकार ने स्वयं "अर्थोवाच्य-विशेषः" ऐसा जब कि कहा है, तब उनके जैसा विद्वान् उस कथन के विरुद्ध कैसे कह सकता ? २८७, २८८, २८९ ।

अथवा रहें ये बातें, फिर भी अतिव्याप्ति दोष अनिवार्य होगी ।

आस्तां तथा, तथापि स्यादथ दोषो ह्यतिव्याप्तिः ।

वस्त्वन्तरिता यत्र हि वस्तुमतिस्तत्र लक्षणानुगतेः ॥२९०॥

चारुत्वाभावान्नो तत्रेष्टा सेति शक्यते वक्तुम् ।

इष्टं यद्व्यवधानं भवति व्यभिचार्यलङ्घ्योः ॥२९१॥

किमचारु चारु वा किं प्रमाणमिह काव्यतत्त्वज्ञाः ।

नावाच्यमतिव्यवधानात् ध्वनितेष्टा कस्यचिद्वृष्टौ ॥२९२॥

शिल्विपिच्छकर्णपूरा व्याधवधूर्गर्विणी अमति ।

मध्ये मुक्ताचितप्रसाधनानां सपत्नीनाम् ॥२९३॥

सौभाग्यातिशयोऽस्या इह सर्वाभ्यः सपत्नीभ्यः ।

अनुमेयो व्यंग्यो वा ऽन्तरितोऽस्त्येकेन वस्तुना नित्यम् ॥२९४॥

सम्भोगाऽऽसङ्गागत-निस्सहता ऽतो मयूरमात्रस्य ।

क्षमताऽस्ति मारणेऽस्याः पत्यु र्मध्येऽनुमीयते यदिति ॥२९५॥

क्योंकि जिस काव्यस्थल में वस्तु का बोध मध्यवर्ती अन्य बोध से अवश्य व्यवहित होगा, वहाँ भी ध्वनिकार का ध्वनि-लक्षण यतः चला जाता है । वहाँ लक्षण जाना इष्ट होगा, यह इसलिये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ चारुता रहेगी नहीं । क्योंकि व्यवधान वहाँ इष्ट होता है व्यभिचारीभाव और अलङ्कार इन दोनों के द्वारा । कौन कितना सुन्दर है, कौन कितना असुन्दर, इसके विषय में काव्यतत्त्वज्ञ-जन ही प्रमाण होंगे । वाच्यातिरिक्त-अर्थ-घटित होने के कारण ही काव्य में ध्वनित्व इष्ट नहीं । “मुक्तामय अलङ्करणों से लदी सौतों के बीच मोरपंखी अलङ्करण धारण करके भी वह व्याधवधू गर्वीली होकर घूमती है” इस काव्यवाक्य के प्रयोगस्थल में “सारी सौतों से इस व्याधवधू का भाग्य ऊँचा है” यह अनुमेय या व्यंग्य जो भी कुछ माना जाय, उसे एक वस्तु से व्यवहित मानना ही होगा । क्योंकि इसका पति इसके साथ सम्भोग में अत्यासक्ति के कारण, इतना निर्बल हो गया है कि उसमें अब मयूरमात्र-मारण की क्षमता रह गई है” यह मध्य में अवश्य अनुमेय है । २९०, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५ ।

वाणिजक ! हस्तिदन्ताः कृत्तिर्व्याघ्रस्य वा कुतोऽस्माकम् ।

गेहे यावत्लुलिताऽलका परिभ्रमति पुत्रवधूः ॥२९६॥

अन्तरितत्वं द्वाभ्यां वस्तुभ्यामत्र विज्ञेयम् ।

पुत्रस्य निस्सहत्वात् हस्त्यादिवधस्य चाभावात् ॥२९७॥

विपरीतसुरतसमये नाभ्युत्पल्लवं विधिं वोक्ष्य ।

विष्णोर्दक्षिणनयनं चुम्बति लज्जाकुला लक्ष्मीः ॥२९८॥

चुम्बनहेतोर्लक्ष्मीलज्जाविरहोऽत्र साध्योऽस्ति ।

अत्र च वस्तुत्रयतोऽन्तरितत्वं शक्यते बोद्धुम् ॥२९९॥

हरिनयन-सूर्य-चुम्बन-जनितं ननु तत्तिरोधानम् ।

नाभ्युत्पल्लसङ्कोचस्ततो विधेर्मुद्रणं गम्यम् ॥३००॥

कस्मान्नैषु ध्वनिता गम्यानेकत्व-युक्तेषु ।

जिज्ञासा चेदत्रोत्तरमगवन्तव्यमिति विबुधैः ॥३०१॥

“ओ वणिक् ! मेरे घर में तबतक हाथी के दाँत, बाघछाले आदि कहाँ ? जबतक मुह पर बाल बिखरे यह मेरी पुत्रवधू घूम रही है” इस काव्यवाक्य के प्रयोगस्थल में दो वस्तुओं से होनेवाला व्यवधान ज्ञातव्य है । क्योंकि (१) पुत्र की दुर्बलता और (२) हाथी, बाघ आदि का मारणाभाव ये दो, मध्य में आवश्यक रूप में अवगत होते हैं । “विपरीत सुरत के समय नाभिकमलगत ब्रह्मा को देखकर अति लज्जावती लक्ष्मी ने विष्णु के दक्षिण नयन को चुम्बनार्थ ठक डाला” इस काव्यवाक्य-स्थल में चुम्बनार्थ लज्जा का अभाव साध्य है । यहाँ तीन वस्तुओं से व्यवधान ज्ञातव्य है । क्योंकि (१) विष्णुनयनात्मक सूर्य के चुम्बन से ब्रह्मा का ठक जाना (२) उससे नाभिकमल सङ्कोच और उससे (३) ब्रह्मा का छिपना ये तीन गम्य होते हैं । २९६, २९७, २९८, २९९, ३०० ।

जब कि अनेक प्रतीयमान विद्यमान हैं तब इन तीन उक्त काव्यों में ध्वनित्व क्यों नहीं मान्य है ? ऐसी जिज्ञासा हो तो विद्वानों को उत्तर यह समझना चाहिये कि कारण परम्परा-स्वरूप सीढ़ियों पर चढ़ते-

कारण-परम्परोपारोहणतो निस्सहा यस्मात् ।

मुख्यार्थ-प्रतिपत्तिर्नास्वादस्यान्तिकं याति ॥३०२॥

आस्वादे न महत्त्वं रसस्य यदि चेत् कुतो ध्वनिता ।

एवं विधं हि काव्यं मान्यं तस्मात् प्रहेलिकाप्रायम् ॥३०३॥

पत्युः शिरसश्चन्द्रं सखि ! स्पृशनेन प्रोक्तैवम् ।

गौरी रञ्जितचरणां सखी मवचना जघान माख्येन ॥३०४॥

अत्रोत्तमता काव्ये मान्या व्यभिचारिमध्यत्वात् ।

शृंगाराऽवगतिर्यत् कौतुक-हर्षादि पूर्वैव ॥३०५॥

उदितेऽपि तवमुखेऽस्मिन् न मनाक् क्षोभं यतो याति ।

सुव्यक्तमेव मन्ये जङ्गराशिरसौ पयोधिरिति ॥३०६॥

अत्रालङ्कारेण व्यवधाना दुत्तमत्वं स्यात् ।

मुखचन्द्र-रूपणेनान्तरिता यस्मात्तु सम्बन्धिः ॥३०७॥

चढ़ते मुख्यार्थ-बोध यतः आस्वाद के निकट जा नहीं पाता है । जहाँ रसास्वादगत महत्त्व नहीं वहाँ ध्वनित्व कैसा ? इसलिये ऐसे काव्यों को पहेली-सदृश मानना चाहिये । “हे सखी ! अपने पति के मस्तक-स्थित चाँद को इस रङ्गे पाँव से छूना” इस प्रकार कहने पर, कहने-वाली सखी को मौन गौरी ने पुष्पमाला से मारा” यहाँ काव्य में उत्तमता इसलिये मान्य होती है कि मध्य में व्यभिचारी-भाव की प्रतीति होती है । क्योंकि वहाँ शृंगार रस की अवगति कौतुक हर्ष आदि व्यभिचारी-भावागम-पूर्वक ही होती है । ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५ । “यतः यह समुद्र तेरे मुख के उदय पर भी तरङ्गायित नहीं होता है अतः मैं मानता हूँ कि यह सचमुच जङ्ग-राशि ही है ।” यहाँ उत्तम काव्यता इसलिये हो पायेगी कि यहाँ मध्य में अलङ्कार की प्रतीति होती है । यह इसलिये कि यहाँ का काव्यार्थ-बोध, मुख और चन्द्रगत-रूपक - अलङ्कारयुक्त - मध्यशाली होता है । अनुत्तम बोधित होनेवाले उक्त तीन काव्यस्थलों के समान यद्यपि इन दो स्थलों में भी व्यवधान पाया जाता है, फिर भी यहाँ महत्त्व कम

व्यवधानं पूर्वोदाहरणेभ्यो न्यक्कृतेभ्यस्तु ।

यद्यप्यत्रापि सभं किन्तु न्यूनं महत्त्वं नो ॥३०८॥

वस्तुषु न चास्ता सा भावालङ्कृतिगता या हि ।

तस्मादेतद्व्यवहिति रस्ति महत्त्वस्य बाधिका नैव ॥३०९॥

किञ्चान्यदत्र बोध्यं विश्रान्ति-स्थानतोऽनुमेयाद्धि ।

भजते वस्त्वतिवैलक्षण्यं धूमो यथा वह्नेः ॥३१०॥

व्यभिचार्यादीनां तु च्छायानुविधायिनां तस्य ।

नात्यन्त-विशदृश्यत्वं तत्सम्पृक्तयैव जनितानाम् ॥३११॥

तस्मात्तद्व्यवधानं वस्तु-व्यवधानतो भिन्नम् ।

व्यवधायकतामात्रा दुभयो नो सर्वथा साम्यम् ॥३१२॥

काव्यगतोऽलङ्कारो देहलङ्कारतो भिन्नः ।

अर्हति नावस्थातुं पृथक् स्वकीयादलङ्कार्यात् ॥३१४॥

होता नहीं । क्योंकि वस्तु अलङ्कार और रस इनके बीच वस्तु में वह सुन्दरता होती नहीं जो कि अलङ्कार और रस में । इसलिये यहाँ के दो परवर्ती काव्यों में ज्ञायमान व्यवधान महत्त्व का बाधक होता नहीं । ३०६, ३०१, ३०८, ३०९ । और यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि धूम में जिस प्रकार अनुमेय अग्नि से अत्यन्त विषमता होती है काव्यस्थल में भी वस्तु में उसी प्रकार आश्वाद्य अनुमेय से विषमता होती है । किन्तु अलङ्कार और व्यभिचारी भावों में वैसी आश्वाद्य-अनुमेयावधिक विषमता होती नहीं । क्योंकि अलङ्कार और व्यभिचारी-भाव आश्वाद्य अनुमेय से सम्पर्क के कारण चमत्कारी अर्थात् चमकदार होते हैं । ३१०, ३११ ।

इसलिये अलङ्कार और व्यभिचारीभाव के द्वारा प्राप्तव्यवधान वस्तु के द्वारा होनेवाले व्यवधान से भिन्न है । व्यवधायकमात्र होने के आधार पर वस्तु और अलङ्कार तथा व्यभिचारी-भाव को समान नहीं माना जा सकता । ३१२ । जिस प्रकार काव्यगत अलङ्कार देहगत अलङ्कार से भिन्न होता है । क्योंकि काव्यालङ्कार उस प्रकार आश्रयभूत

आधाराधेयत्वेनावस्थाना द्विलक्षणता ।

वस्तुकृतव्यवधाना दुपस्कृतिव्यवहितिभिन्ना ॥३१५॥

“काव्यस्यात्मा ध्वनि” रिति “काव्यस्यात्मा स एवार्थः” ।

प्रतीयमानेत्यादिकतः श्लाघ्यत्वं न वाच्येऽर्थः ॥३१६॥

नो वा काव्यात्मत्वं यः प्राहेत्यं स्वयं ध्वनिकृत ।

श्लाघ्यत्वं कथमाहावाच्येऽसाव “ऽर्थः” इत्यादेः ॥३१७॥

सहृदः श्लाघाविषयस्यार्थस्य द्वौ प्रभेदौ यत् ।

वाच्य-प्रतीयमाना वुक्तौ तन्नैव युज्यते सत्यम् ॥३१८॥

“यत्रार्थः शब्दो वे” त्यत्र हि वाऽर्थो विकल्पः किम् ।

किंवा समुच्चयार्थः स्यादिति वचनीयतास्थानम् ॥३१९॥

प्रथमे “व्यंक्त” इतीत्यं द्विवचनवचनं न युक्तं स्यात् ।

अपरस्मिन् शब्दार्थान्यतर-व्यंग्ये समन्वयाभावः ॥३२०॥

अलङ्कार को छोड़कर अलग नहीं रह सकता है जिस प्रकार देहा-
लङ्कार देह को छोड़कर भी रहता है, आधाराधेयभाव को लेकर ही
काव्यालङ्कार होता है यह उसकी देहालङ्कार से विलक्षणता होती है।
उसी प्रकार वस्तुकृत व्यवधान से अलङ्कारकृत व्यवधान भी अलग
होता है । ३१३, ३१४, ३१५ ।

“काव्यस्यात्मा-ध्वनिरिति” “काव्यस्यात्मा स एवार्थः” “प्रतीयमानं
पुनरन्यदेव” इन अपनी उक्तियों के द्वारा ध्वनिकार आनन्दवर्धन
ने जब कि वाच्य अर्थ में श्लाघ्यता का अभाव बतलाया है, यह कहा
है कि वाच्य अर्थ काव्य का सारभूत आत्मस्वरूप नहीं हो सकता, तब
उन्होंने ही “अर्थः सहृदयश्लाघ्यः काव्यस्यात्मा व्यवस्थितः” इत्यादि
कथन के द्वारा यह कैसे बतलाया कि सहृदयों के द्वारा श्लाघित अर्थ के
प्रभेद (१) वाच्य और (२) प्रतीयमान के रूप में दो हैं?
इस प्रकार उनकी परस्पर विरोधी बातें उचित नहीं । ३१६,
३१७, ३१८ ।

“यत्रार्थः शब्दो वा” इत्यादि ध्वनिलक्षण-वाक्य में, “वा” शब्द की

किञ्च न लक्षणवाक्ये तमिति तदः पुंस्त्वंनिर्देशः ।

युक्तः, प्रक्रान्तार्थ-प्रतिपादकताया स्तदः सिद्धेः ॥३२१॥

यस्मात् “प्रतीयमानं पुन” रित्याद्ये तु तेनोक्ते ।

वस्त्विति नपुंसकत्वेनैव व्यंग्यस्य निर्देशः ॥३२२॥

“काव्यविशेष” इतीत्थं कथन मपि स्यात्कथं युक्तम् ।

वैशिष्ट्य मनुपपन्नं यस्मात्काव्यस्य कस्यापि ॥३२३॥

नारससारं काव्यं यस्मात् सोऽप्याह सुस्पष्टम् ।

“काव्यस्यात्मा से” ति ध्रुवं ध्वनित्वं हि काव्यात्त्वम् ॥३२४॥

रसवैशिष्ट्यकृतं नो काव्ये वाच्यं विशिष्टत्वम् ।

अविशिष्टत्वात्तस्यान्यथाऽपिचा ऽव्याप्तिरेव स्यात् ॥३२५॥

रुचिवैचित्र्यात्सर्वे रसा न कस्यापि समरूपाः ।

प्रतिनियता स्याद्वनिता प्रतीतिकयेव वास्तवी नैव ॥३२६॥

अर्थ विकल्प है या समुच्चय ? यह भी वक्तव्य है । यदि विकल्पार्थक उसे माना जाय तो “व्यंक्तः” यह द्विवचनान्त - क्रियापद का प्रयोग उचित नहीं होगा । और यदि उक्त ‘वा’ शब्द का अर्थ समुच्चय रखा जाय तो जहाँ केवल शब्द या केवल अर्थ व्यञ्जक होगा तादृश अन्यतर-व्यंग्ययुक्त काव्य में लक्षण नहीं जायगा, अव्याप्ति हो उठेगी । ३१९, ३२० ।

और असङ्गति यह है कि उक्त “यत्रार्थः शब्दो वा” इत्यादि ध्वनिलक्षण-वाक्य में “तमर्थमुपसर्जनी” इसके अन्तर “तं” इस प्रकार जो पुलिङ्ग का प्रयोग किया गया है वह भी उचित नहीं । क्योंकि तत् शब्द प्रक्रान्त-अर्थ का प्रतिपादक सिद्ध है । जब कि पहले “प्रतीयमानं पुनरन्यदेव” इत्यादि पद्य में व्यंग्य का नपुंसक लिंग “वस्तु” शब्द से निर्देश किया गया, तब तदनुसार पीछे भी तदनुरूप ही प्रयोग होना चाहिये । ३२१, ३२२ ।

ध्वनिकाव्य के लक्षण में जो “काव्यविशेषः” यह कहा गया है यह भी उचित नहीं । क्योंकि काव्य में विशेषता अनुपपन्न है । “काव्य रसान्तरमक-सार से रहित नहीं होता” यह ध्वनिकार ने भी स्पष्ट कहा है ।

सत्येवमेकदृष्टौ काव्ये कुत्राप्यवस्थिता ध्वनिता ।

नान्यत्रगामिनी स्या दव्यासिस्तर्हि दुर्बारा ॥३२७॥

रससार-काव्यगं नो वैशिष्ट्यं वस्तुमात्रकृतम् ।

वस्तु विभावाद्यात्मकतया रसव्यक्ति हेतुर्यत् ॥३२८॥

न व्यञ्जक-वैचित्र्यात् वैचित्र्यं व्यंग्यगं मान्यम् ।

गोत्रे वैचित्र्यं नो गोधावल्यादिकात् दृष्टम् ॥३२९॥

व्यञ्जक-वस्तूपस्कृति-वैचित्र्याद्रसगतं तच्चेत् ।

तद्विच्छित्तिकृतं वै मान्यं काव्ये ध्वनित्वं स्यात् ॥३३०॥

स्याच्च प्रहेलिकादौ रसरहितेऽपि ध्वनित्वं तत् ।

वस्त्वादिगत विशेष स्तत्राप्यक्षुण्ण एव यतः ॥३३१॥

सत्येवं गुणभूत-व्यंग्य-समासोक्ति-काव्यादौ ।

मन्तव्यैव ध्वनिता तत्प्रतिषेधो न युक्तः स्यात् ॥३३२॥

यह भी कहा है कि “काव्य की आत्मा वह रस ही है” । इससे यह निश्चि होता है कि काव्यत्व और ध्वनित्व एक ही है । इसलिये रसता पर आधारित काव्यगत कोई विशेषता नहीं कही जा सकती । जब रस ही काव्य की आत्मा होगी, तब रस के बिना तो काव्य हो ही नहीं सकता । इस प्रकार काव्य की निर्विशेषता के कारण ध्वनि को “काव्यविशेष” नहीं कहा जा सकता । फलतः ध्वनित्व को काव्यत्व ही कहना होगा । तब ध्वनिकाव्य में काव्यविशेषता के अभाव प्रयुक्त उसमें ध्वनिकाव्य के लक्षण का समन्वय नहीं होगा, अव्याप्ति होगी, एवं ध्वनि-भिन्न काव्य में ध्वनित्वात्मक काव्यता न जाने से उसमें काव्यत्व की अव्याप्ति हो उठेगी । ३२३, ३२४, ३२५ । काव्य में रसकृत विशेषता मानने पर दूसरी आपत्ति यह होगी कि रुचि-वैचित्र्य-प्रयुक्त सभी रस सबके लिये समान नहीं होंगे । ऐसी परिस्थिति में ध्वनित्व, प्रतिनियत हो उठेगा, प्रातिभासिक हो उठेगा, वास्तविक नहीं होगा । उसका फल यह होगा कि व्यक्तिविशेष की दृष्टि में काव्यगत होनेवाला ध्वनित्व उसकी दृष्टि में अन्य काव्य में नहीं जा पायेगा ।

फलतः प्रतीयमानार्थ-द्वैविध्याद् ध्वने द्विविधतैव ।

॥ रसमुख्यत्वं सर्वत्र हि काव्ये यतो मान्यम् ॥ ३३३ ॥

अङ्गित्वेनाभीष्टे रसे हि नाङ्गत्वमास्थेयम् ।

तस्मात्सर्वं काव्यं व्यपदेश्यं ध्वनिपदस्यास्ति ॥ ३३४ ॥

काव्यगतो नो तस्मान्मान्यः कश्चिद्विशेषोऽस्ति ।

तन्मान्या नो ध्वनिता काव्यत्व-व्याप्यतापन्ना ॥ ३३५ ॥

भवति विशेष व्यपदेशो यो ननु मेघदूतादौ ।

अभिधेय मेघवर्णनं वैचित्र्यादेर्ह्यसौ मान्यः ॥ ३३६ ॥

यदि निर्विशेष-सामान्याऽस्वीकृतितो विशेषः स्यात् ।

तत एव तर्हि तस्याधिगमाल्लक्षणकृतिर्यर्था ॥ ३३७ ॥

पूर्वोक्त्याऽथ युक्त्या ध्वनिता चेत्काव्यता-रूपा ।

काव्यस्य लक्षणेन हि तदधिगते व्यर्थमथ लक्ष्म ॥ ३३८ ॥

इसलिये भी अव्याप्ति दुर्वार होगी । ३२६, ३२७ । रसात्मक-काव्य में वस्तुकृत वैशिष्ट्य नहीं माना जा सकता । क्योंकि वस्तु विभाव, अनुभाव आदि रूप होने के कारण रसव्यञ्जन का हेतु होती है । व्यंग्य में व्यञ्जकगत वैचित्र्यमूलक वैचित्र्य भी नहीं माना जा सकता । क्योंकि गाय आदिगत ध्वलता आदि प्रयुक्त, गोत्व आदि में वैचित्र्य पाया जाता नहीं । यदि यह कहा जाय कि रस के व्यञ्जक वस्तु और अलङ्कारगत वैचित्र्य से रस में वैचित्र्य अर्थात् विशेषता मासंगे, और उसके आधार पर काव्य में वैचित्र्य होगा, ध्वनित्व होगा, तो ऐसा कहने पर रस - रहित पहेली आदि में भी ध्वनित्व आपन्न होगा । क्योंकि मूलभूत वस्तु-आदिगत वैचित्र्य तो प्रहेलिका में भी रहता है । यदि उसे भी इष्ट किया जाय तो गुणी-भूत-व्यंग्य समासोक्ति-युक्त काव्य आदि में भी ध्वनित्व मानना होगा और तब वहाँ ध्वनित्व का निषेध नहीं किया जा पायेगा । ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२ ।

फलतः वस्तु और अलंकार दो ही प्रतीयमान अर्थ होने के कारण ध्वनि-

“कथितः” सूरिभिरिति चाभिधान मौचित्ययोगि न वै ।

सामान्यतस्तु कर्तुः क्रियया सामान्ययाऽऽक्षेपात् ॥३३९॥

कर्तृ-विशेष-विवक्षायामपि तन्नोचितं नित्यम् ।

परवर्ति व्यापारग-विशेषत स्तद्विशेषगतेः ॥३४०॥

तद्दुष्टपदत्यागे विहिते ध्वनिलक्षमवाक्यस्य ।

अयमेव पर्यवसितः परिशुद्धोऽर्थो भवेत्लभ्यः ॥३४१॥

वाच्य स्तदनु मितो वा यत्रार्थोर्थान्तरं प्रकाशयन्नि ।

सम्बन्धतः कुतश्चित् सा काव्यानुमिति रित्युक्ता ॥३४२॥

काव्यस्यात्मनि संज्ञिनि रसादिरूपे न कस्यचिद्विमतिः ।

संज्ञायां सा केवल मेघापि व्यक्तयोगतोऽस्य कुतः ॥३४३॥

शब्दाश्रया न कथमपि बह्व्यः स्युः शक्तयो मान्याः ।

एकाश्रित-शक्तीनां सदैव कार्य-प्रकारित्वात् ॥३४४॥

काव्य में द्विविधता ही होगी । क्योंकि रस की मुख्यता तो काव्य में सर्वत्र मान्य होगी । अङ्गी रूप में अभिप्रेत रस में अङ्गत्व नहीं माना जा सकता । इस प्रकार काव्यपद से कहे जाने वाले सभी, ध्वनि पद से भी कहे जायेंगे । जब इस प्रकार सभी काव्य ध्वनि हो गये तब ध्वनि को काव्य-विशेष अर्थात् काव्य का एक प्रभेद नहीं कहा जा सकता । ध्वनित्व, काव्यत्व का व्याप्य नहीं हो सकता । मेघदूत आदि जो विशेष-काव्य कहा जाता है सो वाच्यभूत मेघ आदि के वर्णन के कारण ही, अन्य किञ्चित्प्रयुक्त नहीं । यदि इसलिये काव्यगत विशेषता मानी जाय कि सामान्य निर्विशेष होता नहीं, तब उस विशेषता के आधार पर ही काव्यप्रभेद को ध्वनि कहा या माना जा सकेगा, “यत्रार्थः शब्दो वा” इत्यादि ध्वनिलक्षण करना व्यर्थ हो जायेंगे । सारांश यह कि पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार, जब कि ध्वनित्व काव्यत्वं स्वरूप ही हो जाता है तब ध्वनि का परिचय काव्यलक्षण से ही प्राप्त हो जायेगा अलग ध्वनि का लक्षण करना असङ्गत हो उठेगा । ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८ ।

दाह-पचन-प्रकाशः सहैव दृष्टा भवन्ति लोकेऽस्मिन् ।

नाना शक्तिमतोऽग्नेः, शब्दो न तथा प्रकाशकोर्थानाम् ॥३४५॥

अभिधा यदैव बोधं जनयति, नो व्यञ्जना तदैवेति ।

ध्वनिवादिनोऽपि मन्यन्त एव नात्रास्ति तद्विभक्तिः ॥३४६॥

अभिधातो नो भिन्नाऽञ्जनरूपा शब्दगा शक्तिः ।

वक्तुं शक्या, तस्मात् शब्दव्यञ्जो भवेन्नार्थः । ३४७॥

उक्त ध्वनि लक्षणवाक्य में जो “सूरिभिः कथितः” यह कहा गया है सो भी युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता । क्योंकि सामान्यतः क्रिया से सामान्यतः कर्ता का आक्षेप हो ही जाता है । ऐसी परिस्थिति में “सूरिभिः” यह कथन सङ्गत नहीं । कर्तृविशेष की विवक्षा के कारण “सूरिभिः” यह कहा गया है यह भी कथन उचित नहीं । क्योंकि व्यापारगत विशेषता से ही कर्तागत विशेष जाना जा सकता है । इसलिये उक्त ध्वनिकारोक्त ध्वनिलक्षण-वाक्यगत दुष्ट पदों को निकाल डालने पर उससे पर्यवसित रूप में प्राप्त होनेवाला ध्वनिलक्षण-वाक्य यही होगा कि वह काव्यानुमिति कहलाती है जहाँ किसी खास सम्बन्ध के कारण वाच्य अर्थ या तदनुमित अर्थ अन्य अर्थ का प्रकाशन करता है । ३३९, ३४०, ३४१, ३४२ ।

ध्वनि आदि नाम से कहे जानेवाले काव्य और उसकी आत्मा रस आदि में किसी को वैमत्य नहीं है । मतवैषम्य केवल ध्वनि अनुमान आदि संज्ञा में है । अभिधा लक्षणा और व्यञ्जना ये तीन शक्तियाँ शब्दगत नहीं मानी जा सकती हैं । क्योंकि एकगत अनेक शक्तियाँ साथ ही काम करनेवाली पाई जाती हैं । अग्निगत दाहक, पाचक और प्रकाशक शक्तियाँ साथ ही दाह पाक और प्रकाश कार्य करती हैं । परन्तु शब्दगत अभिधा जब अभिधेय को बतलाती है तभी लक्षणा और व्यञ्जना लक्ष्य एवं व्यंग्य अर्थ को समझाती हैं ऐसा ध्वनिवादी भी नहीं मानते हैं । इसलिये अभिधा के अतिरिक्त व्यञ्जना-शक्ति शब्द में नहीं मानी जा सकती । कोई भी अर्थ शब्द-व्यंग्य नहीं हो सकता । अर्थगत ज्ञापक=शक्ति अनुमापकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं । ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७ । इसी प्रकार शब्दगत लक्षणाशक्ति

अर्थस्यापि च या साऽनुमापकत्वान्न वै भिन्ना ।

नो लक्षणाऽपि काचन शक्तिर्मन्याऽथ शब्दगता ॥३४८॥

“गौर्वाहीक” इतीत्थं प्रभवति यत्र प्रयोगस्तु ।

बोध्यतया वाहीके गोशब्दानुमिति रूपपन्ना ॥३४९॥

नो जाड्यमन्दतादिक-हेतुमनादृत्य बोधोऽसौ ।

परबोधनाय चोक्तः शब्दोऽभिधयैव बोधयति ॥३५०॥

गोत्वस्य शक्यतावच्छेदकभूतस्य विरहेण ।

कथमभिधया भविष्यति वाहीकार्थस्य ननु बोधः ॥३५१॥

इतिचेदवगन्तव्यं तथाविधत्वं तु जाड्यादेः ।

निर्बाधमेव सत्त्वं गो-वाहीकोभयो र्यस्य ॥३५२॥

भी मान्य नहीं । जहाँ “भारवाही पशु है” ऐसा वाक्य प्रयोग होता है वहाँ उस बोध्यभूत भारवाही में गो शब्द की अर्थात् गो शब्द-वाच्यता की अनुमिति होती है यह युक्तियुक्त है । क्योंकि जड़ता मन्दता आदि समझे बिना “गौर्वाहिकः” यह वाक्य प्रयोग, या उससे बोध होता नहीं । अतः जब दूसरे को समझाने के लिये उक्त प्रकार वाक्य-प्रयोग होता है तब प्रयुक्त शब्द अभिधा से ही समझाता है । यदि यह प्रश्न उठाया जाय कि गोपद का शक्यतावच्छेदकभूत गोत्व जब भारवाही व्यक्ति में है नहीं तब अभिधा से वाहीक अर्थ का बोध कैसे हो सकता ? इसका उत्तर यह ज्ञातव्य है कि जिस जाड्यमान्द्य आदि का अस्तित्व गाय पशु और भारवाही व्यक्ति दोनों में रहता है उसे शक्यतावच्छेदक मानकर वैसा प्रयोग होने में कोई बाधा नहीं । ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२ । यह बात जो पहले कही गई है कि सारे शाब्दबोध अनुमिति ही मान्य हैं, उसके आधार पर भी प्रश्न निरवकाश हो जाता है । यह कमलदल की शय्या उस कृशाङ्गी नायिका के शरीर-गत सन्ताप को बतला रही है” इत्यादि काव्यस्थल में भी अनुमिति ही ज्ञातव्य है, क्योंकि अनुमिति का लक्षण वहाँ समन्वित होता है । अन्निनाभाव-स्वरूप व्याप्ति के ज्ञानप्रयुक्त किसी वस्तु से होनेवाला

सर्पः शाब्दो बोधो ह्यनुमितिरूपस्ततो न खलु भिन्नः ।
 इत्यप्युक्तं पूर्वं ततोऽपि प्रश्नो निरवकासः ॥३५३॥
 विसिनीदलस्य शयनं वदति कृशांग्यास्तु सन्तापम् ।
 इत्यादावप्यनुमिति रेव हि तदलक्षणस्य योगेन ॥३५४॥
 अविनाभाव-ज्ञानादन्येनान्य-प्रतीति रनुमानम् ।
 उपपद्यत एव हि चेत् तदत्र मान्यं न तत् कस्मात् ॥३५५॥
 वदन-प्रकाशयोरपि अन्यजनकभाव-सम्बन्धः ।
 लोक-प्रसिद्ध एव हि धूमाग्न्योरपि न वै विमतः ॥३५६॥
 फलतो वदतीत्यस्यानुमापयत्येतदर्थकत्वं हि ।
 अनुमा विसिनीशय्या-म्लान्यादिक-हेतुजा ज्ञेया ॥३५७॥
 म्लानिः स्वाश्रय-शय्यासंयोगात्तत्-कृशाङ्गिता ।
 सा तत्सन्तापाऽऽश्रयतयाऽनुमेयत्व भावहति ॥३५८॥

तदन्य का ज्ञान ही होना है अनुमान । कथन और प्रकाशन के बीच अन्यजनकभाव सम्बन्ध उसी प्रकार लोकप्रसिद्ध है जिस प्रकार धूम और अग्नि के बीच व्याप्यव्यापकभाव सम्बन्ध प्रसिद्ध है । फलतः "सन्ताप को बतला रही है" यहाँ "बतला रही है" इसका अर्थ अनुमान करा रही है ज्ञातव्य है । अनुमान कमलदलीय-शय्यागत म्लानि आदि-हेतुक होता है । शय्यागत म्लानता स्वाश्रयशय्या-संयोग सम्बन्ध से कृशाङ्गी में आती है जहाँ ताप रहता है इसलिये वह कृशाङ्गी तापवती रूप में अनुमित होती है । ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८ । यदि यह कहा जाय कि कमलशय्यागत मालिन्य की अनुपपत्ति से कृशाङ्गी में ताप का बोध होता है तो हमलोगों को उसमें भी कोई आपत्ति नहीं । क्योंकि हमलोग अर्थापत्ति को अनुमान ही मानते हैं । "गङ्गा में अहीरों की बस्ती है" इत्यादि वाक्य-प्रयोगस्थल में भी वाक्य से अनुमिति ही मान्य है । स्वत्व स्वीय और स्वयं "स्व" में भी होता है यह सुप्रसिद्ध है । ऐसी परिस्थिति में गङ्गा के तट में भी गङ्गात्व उपपन्न होता ही है जहाँ कि अहीरों की बस्ती हो ही सकती

शय्यामालिन्यानुपपत्तेर्यदि तापसम्बोधः ।

न ततः क्षतिरस्माकं यर्ह्यर्थापत्तिरनुमानम् ॥३५९॥

घोषो गंगायामिति वाक्यादध्यनुमितिर्मान्या ।

स्वीये स्वस्मिन्नपि च स्वत्वमितीदं प्रसिद्धतरम् ॥३६०॥

गंगासम्बन्धिनि तटटेऽपि गंगात्वमुपपन्नम् ।

तत्र च घोषविधानं नानुपपन्नं कथञ्चिदपि ॥३६१॥

यद्वा तटस्य बोध्यनुमितिरूपो हि मान्योऽस्ति ।

गंगैव हेतुभूताऽनुमापयत्यथ तटं योग्यम् ॥३६२॥

गंगातट इति नोक्त्वा गंगायामिति हि यातूक्तिः ।

सा शैत्यपावनत्वानुमानजननाय मन्तव्या ॥३६३॥

शाब्दो हि व्यवहारो भूयानारोपमूलको भवति ।

आरोपमूलभूतः सम्बन्धो लोकसंसिद्धः ॥३६४॥

दीर्घग्रीवं कं च न वीक्ष्योष्ट्रोऽयं जनं जनो ब्रूते ।

रुदतो मञ्चस्थानपि मञ्चाः क्रोशन्ति इति चापि ॥३६५॥

हे ! अथवा वहाँ भी तट का बोध अनुमान से ही होता है । गङ्गा ही हेतु बनकर योग्य तट की अनुमिति कराती है । ३६२ । “गङ्गा में अहीरों ही बस्ती है” ऐसे वाक्य-प्रयोगस्थल में “गङ्गा तट पर” ऐसा न कहकर “गङ्गा में” यह इसलिये कहा जाता है कि शीतलता और पवित्रता का अनुमान हो पाये । वाक्य-प्रयोग अधिकतर आरोपमूलक होता पाया जाता है और आरोप का मूलभूत सम्बन्ध लोकसिद्ध होता है । किसी लम्बे गलेवाले व्यक्ति को देखकर “यह ऊँट आया” ऐसा वाक्यप्रयोग कोई करता है । इसी प्रकार किसी मञ्चस्थ व्यक्ति को रोते देखकर “यह मञ्च रो रहा है” ऐसा भी वाक्य प्रयोग कोई करता है । इस प्रकार औपचारिक प्रयोग योंही सर्वत्र निर्निमित्तक न होने लगे एतदर्थ विवेकीजनों को ऐसे औपचारिक वाक्य-प्रयोगों के कुछ नियामक मानने होंगे । नहीं तो यह भी प्रश्न असमाधेय होगा कि अन्यार्थबोधक शब्द अन्य अर्थ को उक्त

एवंविधोपचारो भवतु नचातिप्रसक्त इति ।

अनुसर्तव्यमवश्यं किमपि निमित्तं विवेकपरैः ॥३६६॥

नो चेदन्यार्थकतामुपादधानः कथंशब्दः ।

अन्यार्थ-बोधनायोक्तः प्रभवेद्वोषयेद्वाऽन्यम् ॥३६७॥

एतन्निमित्तभूतं यदेव वाच्यं परैः किञ्चित् ।

अनुमापकं तदेव हि लिंगतयाऽस्माभि राख्येयम् ॥३६८॥

युक्तञ्चेत्तन्नोचेदभिधाभावादथान्यस्मिन् ।

परसामायिकः शब्दः कथमन्यार्थस्य बोधकः प्रभवेत् ॥३६९॥

भक्ष्यविषं वरं त्वं माचास्य गृहे कदाचिदपि सुद्धाः ।

इत्यादावप्यनुमितिरेव न विपरीतलक्षणा मान्या ॥३७०॥

विषभक्षणादपि परा मेतद्गृह-भोजनस्य दारुणताम् ।

वाच्यादतोऽनुमिते प्रकरण-वक्तृ-स्वरूपज्ञाः ॥३७१॥

विषभक्षणमनुमनुते नहि कश्चिदकाण्ड एव सुहृदि सुधीः ।

तेनात्रार्थान्तर-गतिरार्थी तात्पर्य-शक्तिजा न पुनः ॥३७२॥

प्रकार औपचारिक वाक्य-प्रयोगस्थलों में कैसे समझायेंगे ? अन्यजन जिन्हें ही औपचारिक-प्रयोग का निमित्त मानेंगे हमलोग उन्हें ही अनुमापक हेतु वहाँ कहेंगे । यदि इसे उचित नहीं माना जाय तो अन्यार्थक शब्द अन्य अर्थ का बोधक कैसे हो पायेगा ? ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९ ।

तुम विष खाना पर उसके घर खाना न खाना" इत्यादि वाक्य प्रयोग-स्थलों में भी अनुमिति ही मान्य है विपरीत लक्षणा नहीं । प्रकरण एवं वक्ता के वचनरूप को जाननेवाले वहाँ वाच्यार्थ से "उसके घर खाना खाना विषभक्षण से भी अधिक भयानक है ऐसा अनुमान करते हैं । कोई भी बुद्धिमान् व्यक्ति यों ही किसी को विष नहीं खिलाना चाहता है । इसलिये वाच्यार्थ को समझकर वहाँ होनेवाला अन्य अर्थ का ज्ञान केवल वक्ता के तात्पर्य के बल पर होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता । ३७०, ३७१, ३७२ ।

वाण इव दीर्घदीर्घः शब्दव्यापार एको हि ।

शब्दस्तु यत्परः स शब्दार्थ स्तेन न व्यंग्यः ॥३७३॥

व्यंग्याभावे तद्गतचारुत्वकृतो ध्वनिर्मान्यः ।

कथमथकाव्य-विशेषो नैवात्यत्रार्थनिर्भरोऽस्माकम् ॥३७४॥

सङ्केताभावान्नो साक्षादभिधा मुपादाय ।

व्यंग्यत्वेनाभिमतं शब्दोऽर्हः स्याद्भ्रुवं प्रबोधयितुम् ॥३७५॥

पारम्परिकं नीत्वा सम्बन्धं बोधयति शब्दः ।

इत्यपि वक्तुमशक्यं यत् प्रसक्तिस्तदा नित्यम् । ३७६॥

सेकोपकरणभूतं कुम्भं कुर्वन् कुलालः किम् ।

हेतुः कुसुम-समृद्धे मुस्यो मधुमास इव मान्यः ॥३७७॥

तस्मादभिधेयस्य प्रतीयमान-प्रतीतो स्यात् ।

मान्योऽथ व्यापारोऽनुमापकत्वस्वरूपोऽसौ ॥३७८॥

कुछ लोग जो ऐसा कहते हैं कि मुक्त वाण के समान शब्द में एक सुदीर्घ व्यापार होता है, जिसके बल पर शब्द निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती वस्तु को भी समझाता है। कभी निकटवर्ती अर्थ को और कभी दूरवर्ती अर्थ को वह इसलिये समझाता है कि जहाँ जिस अभिप्राय से शब्द उक्त होता है वहाँ वही अभिप्रेत अर्थ शब्द से समझा जाता है। इसलिये सारे अर्थ वाच्य ही होते हैं कोई व्यंग्य होता नहीं। व्यंग्य अर्थ के अभाव में तद्गत चारुत्व मूलक ध्वनिकाव्य नहीं माना जा सकता है, इस पर हमलोगों को आस्था नहीं है। क्योंकि दूरवर्ती अर्थ में शब्द का संकेत न होने के कारण संकेत की सहायता वह ही अर्थ को समझानेवाली अभिधा कैसे उस अर्थ को समझा पायेगी? यदि यह कहा जाय कि संकेतित अर्थ-घटित परम्परा-सम्बन्ध के बल पर शब्द असंकेतित दूरवर्ती अर्थ को भी समझाता है तो यह इसलिये नहीं कहा जा सकता कि तब अतिप्रसक्ति अर्थात् आपत्ति होगी। क्या कुसुम-समृद्धि के प्रति वसन्त-समय के समान सींचने के उपकरण-भूत घड़े का उत्पादक कुम्हार कारण मान्य होगा? इसलिये प्रतीय-

विषमः शरदृष्टान्तः किञ्चेत्यपि बुध्यतां स्पष्टम् ।

छेद्यच्छेदनमेकव्यापारेण स्वभावतः कियते । ३७९॥

सङ्केतापेक्षामपि वाच्यस्यापि प्रबोधने शब्दः ।

निश्चितभावेनैव हि धत्ते नास्त्यत्र ननु विमतिः ॥३८०॥

नोचेद्भाषाशिक्षा ऽस्तमितभूयाद्यतः सा हि ।

सङ्केत-ज्ञापनतो नान्या कापीति सुव्यक्तम् ॥३८१॥

ज्ञानं सङ्केतस्य न प्रतीयमानेषु केषाञ्चित् ।

इत्यप्यनुभवसिद्धं तस्माद्विषमः शरस्य दृष्टान्तः ॥३८२॥

शब्दार्थाविति पथं ननु प्रलिखता विवेककृता ।

यकत्वमेव कान्ये जीवितमिति मतमुपस्थाप्य ॥३८३॥

तत्खण्डनमपि विहितं विविधविकल्पानुपाश्रित्य ।

तस्यायं सारांशो विज्ञेयो बुद्धिमज्जिरिह ॥३८४॥

मान की प्रतीति का सम्पादक वाच्यार्थगत, व्यापार अनुमापकत्व ही मान्य होगा । ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८ । उक्त मुक्त-वाण का जो दृष्टान्त दिया गया है, वह भी सही नहीं है, इसे यों स्पष्ट रूप से जानना चाहिये कि छेद्य वस्तु का छेदन एक ही व्यापार से हो जाता है । यह स्वाभाविक रूप से देखा जाता है कि अनेक व्यापार वहाँ नहीं अपेक्षित होता है । शब्द भी वाच्य अर्थ को समझाने में संकेत की अपेक्षा निश्चित भाव से रखता है, इसमें किसी को भी विमति नहीं देखी जाती है । ऐसा न मानने पर भाषा के माध्यम से चलनेवाली सारी शिक्षाएँ समाप्त हो जायेंगी । विशेष रूप से भाषा की शिक्षा इसलिये नहीं हो पायेगी कि वह संकेत-ज्ञापन के अतिरिक्त और कुछ नहीं, यह सुस्पष्ट है । प्रतीयमान अर्थ में शब्द का अर्थात् अन्य-वाचक शब्द का संकेत-ज्ञान होता नहीं यह अनुभव सिद्ध है अतः उक्त वाण-दृष्टान्त विषमता के कारण सही नहीं । ३७९, ३८०, ३८१, ३८२ । व्यक्ति - विवेकार ने "शब्दार्थी" इत्यादि पद्य लिखते हुए यकता ही काव्य का जीवन है इस मतवाद को उठाकर

शास्त्रादिषु प्रसिद्धा ये शब्दार्था निबन्धनतः ।
 तेषां व्यतिरेकि हि यत् त्रैचित्र्यं तद्धि वक्रता काव्ये ॥३८५॥
 काव्यस्य जीवितं सेत्यथ सहृदयताभिमानिनः केचित् ।
 प्रवदन्ति तत्र युक्तं प्रोक्तव्यतिरेकि-वैयर्थ्यात् ॥३८६॥
 औचित्यं शब्दार्थोभयस्थमेवाथ यदि लभ्यम् ।
 तत्काव्य-रूप-रूपण-सामर्थ्यादिव-संसिद्धम् ॥ ३८७॥
 व्यापारो ननु कविगो भवति विभावादि-विन्यासः ।
 नातः परोऽपि कश्चित् यत्स्वयापकता विशेषणे प्रभवेत् ॥३८८॥
 काव्ये रसात्मके तोऽनौचित्य-स्पर्श-सम्भवस्तस्मात् ।
 औचित्यार्थ-विशेषण-दानं नो युज्यते नित्यम् ॥३८९॥
 यदिचोक्तं व्यतिरेकित्वं व्यंग्यस्यैव बोधनाग्रोक्तम् ।
 भंग्यन्तरेण तर्हि ध्वनिलक्षणमेव सम्प्रोक्तम् ॥३९०॥

विविध प्रकार के विकल्पों का आश्रयण करते हुए, उसका खण्डन भी किया है । उसका सारांश यह ज्ञातव्य है कि जो शब्द और अर्थ सम्बद्ध रूप में शास्त्र आदि में प्रसिद्ध हैं उनका व्यतिरेकी त्रैचित्र्य ही कहलाता है काव्य में "वक्रता" । वही वक्रता काव्य का जीवन है, यह अपने में सहृदयता का अभिमान करनेवाले कुछ लोग कहते हैं । परन्तु वह उसका कथन इसलिये युक्तियुक्त नहीं कि वक्रता के उक्त लक्षण में "व्यतिरेकी" यह पद व्यर्थ है । यदि कहा जाय कि उक्त व्यतिरेकी पद शब्द और अर्थगत औचित्य के लाभार्थ लक्षण में कहा गया है तो सो इसलिये ठीक नहीं कि औचित्य की प्राप्ति तो काव्य के स्वरूप के ही विरूपण से लब्ध हो जाता है । विभावादि के उपन्यास से व्यतिरेक कोई कविगत व्यापार होता नहीं, जिसके लाभार्थ उक्त विशेषण को सार्थक कहा जा सके । ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८ । रसात्मक काव्य में अनौचित्य का बिल्कुल सम्भव नहीं, अतः औचित्य के प्रत्यर्थ उक्त विशेषण को संगत नहीं कहा जा सकता । यदि यह कहा जाय कि प्रोक्त व्यतिरेकित्व-विशेषण व्यंग्य के लाभार्थ दिया

अभिधातो नो भिन्नो व्यापारः शब्दगतः कोऽपि ।

॥ ३१ ॥ तस्मान् प्रतीयमाने न हि शब्दस्यास्ति सम्बन्धः ॥ ३१ ॥

सम्बन्धव्यतिरेक्यपि बोध्यः शब्देन चेन्मुनम् ।

॥ ३२ ॥ प्रभवेदतिप्रसंगो दुर्वारो यो नहीष्टः स्यात् ॥ ३२ ॥

षड्जादिभिर्दश रागैः स्वाभाविकै एव सम्बन्धः ।

॥ ३३ ॥ गेयस्य तस्य यत्र तत्तद्रत्यतिभिः भविः ॥ ३३ ॥

इत्यपि वक्तुमशक्यं सर्वेषां समस्ति नो यत् ।

नाप्येषु तेषु तेषु प्रतीयमानेषु समयकृतः ॥ ३४ ॥

॥ ३५ ॥ सम्बन्धोऽपि प्रभवेत् कर्तुमशक्यो यतोऽसौ नित्यम् ।

॥ ३६ ॥ प्रत्येकपदं शब्दानुशासिनस्येव बाहुल्यात् ॥ ३६ ॥

एकोऽपि रामशब्दो विभिन्न-काव्य-प्रयुक्तिमागतः ।

॥ ३७ ॥ सामग्री-वैचित्र्योत्-भिन्नानर्थान् प्रबोधयत् स्वयः ॥ ३७ ॥

मया है तब उक्त व्रकता का लक्षण फलतः ध्वनि-लक्षण में ही प्रय-
वस्य होता है । परन्तु अभिधा से अतिरिक्त ओर कोई शब्द में
अर्थ-बोधानुकूल व्यापार है नहीं, यः कान्वा राग-रागी जहाँ जहाँ लगी है
अतः प्रतीयमान के साथ भी शब्द का सम्बन्ध मानना ही होगा ।
यदि ऐसा माना जाय कि शब्द असम्बद्ध अर्थ को समझाता है तब अर्थ
का कोई तिर्यगति रह पाने के कारण होनेवाला अतिप्रसंग दुर्वार
होगा जिसे इष्ट नहीं ठहराया जा सकता ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥
षड्ज-मध्यम-गान्धारि आदि स्वरों और विभिन्न राग-रागिनियों के साथ
जैसे गेय शब्द का स्वाभाविक ही सम्बन्ध होता है तद्वत् रत्नादि-आदियों
के साथ भी शब्द का स्वाभाविक ही सम्बन्ध होता है, यह भी नहीं
कहा जा सकता है । क्योंकि सब को समान रूप से रसास्वादि होता
नहीं । प्रत्येक तत्त्व प्रतीयमान अर्थ के साथ शब्द का साङ्केतिक सम्बन्ध
होता है, यह भी नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि प्रत्येक विभिन्न
रूप-पद के शब्दानु शासन के समान प्रत्येक पद के प्रत्येक अर्थ के
साथ साङ्केतिक सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता । यतो प्रत्येक पद का

शब्दप्रतीयमानोभयो न कश्चिदस्ति सम्बन्धः ।

गमकोऽर्थक्षेत्रेणान्यः "शब्दो" वेत्यस्य कोऽर्थः स्यात् ॥३९७॥

व्यंग्य-व्यञ्जक-भावो मुख्यतया कुम्भदीपादौ ।

तस्मात्प्राधुपसर्गे-द्योतकता त्वौपचारिकी ज्ञेया ॥३९८॥

अनुपेयेषु त्रिविधेषु वस्तूपस्कृतिरसान्येषु ।

नाशान्तरो विशेषः कश्चन मान्यः चमत्कारो ॥३९९॥

एकैक-प्राधान्या-उपाधान्याभ्यां चमत्कारे ।

वैलक्षण्यं मान्यं यदुदाहरणं प्रविन्यस्तम् ॥४००॥

प्रसन्न मभैव केवलं मस्तु त्रितित्वासारोदितव्यादि ।

मा तव तथा विना तत् दाक्षिण्य-हृतस्य जायेत ॥४०१॥

त्वे तस्याः अनुरक्तो निसर्गतो धूर्त ! नैव मयि ।

इत्यत्रान्या-समातिशयो गम्यं भवति वस्तु ॥४०२॥

प्रत्येक अर्थ में संकेत गृहीत नहीं हो सकता । विभिन्न काव्यवाक्यों में प्रयुक्त होनेवाला एक भी राम शब्द विभिन्न सामग्री के बल पर विभिन्न अर्थों का बोध कराता हुआ पाया ही जाता है । जब कि शब्द और अनेक प्रतीयमान अर्थों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं माना जा पा रहा है, तब केवल अर्थों को ही अर्थ का बोधक मानना होगा । फिर "यन्मार्थः शब्दो वा" यहाँ शब्द का उल्लेख कैसे संगत होगा ? मुख्य रूप से व्यंग्यव्यञ्जक-भाव घट और प्रदीप आदि के बीच ही मान्य है । इसलिये 'प्र' आदि उगसर्गों में भी मानी जानेवाली द्योतकता को औपचारिक ही समझना चाहिये । ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८ ।

(१) वस्तु (२) अलङ्कार और (३) रस इन तीनों में कोई स्वाभाविक अन्तर विशेष नहीं मान्य है । एक-एक के प्राधान्य एवं अप्राधान्य के आधार पर ही चमत्कार-वैलक्षण्य होता है, इसका उदाहरण व्यक्तिविवेककार द्वारा दिया गया है । यथा "जाओ, वसन्तकृति, सोवन आदि अकेले मृग ही हों ।" दाक्षिण्य अर्थात्

- सम्प्लुतशशिकमलेयं लावण्यतरङ्गिणी भाति ।
 यत्रोन्मज्जन्तीमे मृडालरम्भा-द्विरदकुम्भाः ॥४०३॥
 अत्र प्रतीयमानं पूर्णत्वं नायिकाङ्गानाम् ।
 वस्तु प्रधानभावं नो भजते वाच्यतस्त्वर्थात् ॥४०४॥
 चन्दनचर्चितकुचयो दृष्टी रमते न वीरणाम् ।
 सिन्दूरारुणरिपुगजकुम्भे यद्वद्वनुष्मतां तेषाम् ॥४०५॥
 कुचगजकुम्भोभयगाऽऽकर्षकता-साम्यरूपा हि ।
 उपमा प्राधान्यवती वाच्याद्व्यतिरेकतस्त्वत्र ॥४०६॥
 रजनीचन्द्रमयूखैरलिनी कमलैर्लता कुमुमगुच्छैः ।
 हंसैः शारदशोभा काव्यकथा सज्जनैर्गुर्वी ॥४०७॥
 अत्र हि गुर्वीति पदं देहलिकादीप इव लग्नम् ।
 रजनीचन्द्रमयूखादाविति वाच्योऽथ दीपको भवति ॥४०८॥

अनेक नायिकागन समानुगाग से आहत-तुम्हें वे रोदन आदि नहीं” इस काव्यवाक्य के प्रयोगस्थल में ओ धूर्त ! स्वाभाविक रूप में तुम उस तरुणी में आशक्त हो मुझ में नहीं, इस रूप में अन्य नायिका के प्रति प्रेमाग्निशयात्मक वस्तु प्रतीत होती है । ३९९, ४००, ४०१, ४०२ । “यह नायिका लावण्य की वह नदी मालूम पड़ रही है जिसमें चन्द्र और कमल तैर रहे हैं और मृणाल, केले तथा हाथी के मस्तक गोंता लग रहे हैं” इस काव्य-वाक्य के प्रयोगस्थल में नायिका के अंगों की पूर्णतास्वरूप प्रतीयमान-वस्तु वाच्य अर्थ से प्रधान नहीं । ४०३ ४०४ । “घनुधारी वीरों की दृष्टियाँ लिप्तचन्दन तरुणी-स्तनों पर उतना रमण नहीं प्राप्त करती हैं, जितना रिपुगज के सिन्दूर के समान लाल मस्तक पर” इस काव्य के प्रयोगस्थल में वाच्य-अर्थभूत व्यतिरेक अलङ्कार से स्तन और गजकुम्भ इन दोनों की आकर्षकतागत समानतात्मक उपमा प्रधान है । ४०५, ४०६ । चन्द्रमयूख के कारण रात्रि, कमल के कारण भौरी, कुमुमगुच्छ के कारण लता, हंस के कारण शरद-ऋतु की शोभा और सज्जनों के कारण काव्यकथा महत्त्वपूर्ण है” इस

सज्जनचन्द्रप्रयूखादीनामुपमाऽनुमानविषयत्वम् ।

भजमाना दीपकतस्तस्मान्नैव प्रधानतां भजते ॥४०९॥

अम्भोनिधिरिव चन्द्रोदये महेशश्चलितधैर्यः ।

हैमवतीमुखकमलेऽक्षोणि व्यापारयाश्चक्रे ॥४१०॥

अत्रतु हरहृदयोदयभाक् शृंगारः प्रधानतां गच्छन् ।

प्रभवति नन्वनुमेयोऽन्यत्राप्येवं हि बोद्धव्यम् ॥४११॥

प्रोक्तमथाप्राधान्यं द्विविधं शुद्धं च सङ्कीर्णम् ।

अन्यरसादिविमिश्रणराहित्यं शुद्धता ज्ञेया ॥४१२॥

अकरुण ! मा हस केयं प्रवासरुचिता ? कुतो गतोदूरम् ।

एवं प्रोक्तस्वप्ना बुद्ध्वा रोदिति तवाग्निधूः ॥४१३॥

शुद्धस्यैवाङ्गत्वं कारुणस्यात्रानुमेयस्य ।

राजविषयके भावे वक्तृमनःस्थेऽनुमेयभूतेऽत्र ॥४१४॥

काव्य-वाक्य के प्रयोगस्थल में "महत्त्वपूर्ण है" यह देहलीगत दीप के समान रात्रि, चन्द्र-किरण आदि अनेक में संलग्न है, इसलिये दीपक अलङ्कार वाच्य है । और उस दीपक से वह उपमा जो कि रजनी चन्द्र-किरण आदि गत रूप में अनुमित होती है प्रधान नहीं होती है ।

४०७, ४०८, ४०९ । "चन्द्रोदय के समय समुद्र के समान अक्षीर हो उठनेवाले शिवजी ने गौरी के मुख-स्थल पर अपनी आँखें लगाईं"

इम काव्य-वाक्य के प्रयोगस्थल में शिवजी के हृदय में उदयशील शृंगार प्रधान होता हुआ अनुमेय होता है । प्रकृत में प्रधान का अर्थ अंगी और अप्रधान का अर्थ अंग विवक्षित है । उक्त उदाहरण-स्थलीय अंगीत्व को (१) शुद्ध और (२) सङ्कीर्ण इन दो प्रभेदों में विभक्त समझना चाहिये । शुद्ध का अभिप्रेत अर्थ है अन्य रस आदि के मिश्रण से रहित । ४१०, ४११, ४१२ ।

महाराज ! आपके दुश्मन की स्त्री, ओ करुणारहित ! क्यों हँस रहे हो ? प्रवास के प्रति इतनी रुचि क्यों ? तुम क्यों दूर चले गये ? इत्यादि बोलकर स्वप्न से जगकर रोती है ।" यहाँ वक्ता

क्षितो हस्ते लग्नोऽभिहतो गृह्णन् दुकूलमथकेशम् ।
 कामोव त्रिपुरवध्वाः पातु शराग्निं महेशस्य ॥४१५॥
 अत्रश्लेषानुगतस्येर्ष्यामूलस्य विप्रलम्भस्य ।
 अङ्गत्वं शिवभावे नन्वनुमेयेऽनुमेयस्य ॥४१६॥
 एभिस्तूदाहरणैः सुस्पष्टमिदं विभात्येव ।
 अनुमेयार्थस्पर्शः काव्ये सर्वत्र चारुता बीजम् ॥४१७॥
 एभिर्निरूपणैरिह विशदोभूतं ध्वने लक्ष्म ।
 ग्रस्तं व्यर्थविशेषणतया ततो नोचितं प्रोक्तम् ॥४१८॥
 दुष्टालक्षणतो नो व्यर्थविशेषणतया ग्रस्तात् ।
 साध्यभितरभिन्नत्वं व्याप्यत्वासिद्धिदोषदुष्टत्वात् ॥४१९॥
 धूमेऽग्निसाधकत्वं प्रभवति नो नीलधूमेऽपि ।
 नैत्यविशेषणवैयर्थ्यादिति जानन्ति तत्त्वविदः ॥४२०॥

के हृदयस्थित रूप में अनुमेय राजभक्ति के प्रति शुद्ध ही करुण-
 रस में अङ्गता होती है । क्षिप्त होने पर हाथ पकड़नेवाला, अभि-
 हत होने पर कपड़े और केश पकड़ डालनेवाला अतएव त्रिपुर की
 स्त्रियों के प्रति कामीजन के समान आचरणशोल शिवजी का शराग्नि
 हमारा और आपकी रक्षा करे” इस काव्यवाक्य के प्रयोगस्थल में
 अनुमेय शिव-भक्ति के प्रति श्लेषानुगत ईर्ष्यामूलक विप्रलम्भ-शृंगार
 अंग होता है । इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो उठता है कि काव्यों
 में सर्वत्र सौन्दर्य का बीज अनुमेय अर्थ का सम्बन्ध ही होता है ।
 यहाँ किये गये इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि ध्वनिकार
 के द्वारा उक्त ध्वनि का लक्षण व्यर्थ-विशेषणता दोष से ग्रस्त होने
 के कारण उचित नहीं कहा जा सकता है । ४१३, ४१४, ४१५,
 ४१६, ४१७, ४१८ । व्याप्यत्वासिद्धि नामक दोष से दुष्ट हो उठने
 के कारण व्यर्थ - विशेषणताग्रस्त लक्षण से लक्ष्य में लक्ष्येतर-भेदा-
 त्मकसाध्य सिद्ध नहीं हो सकता । धूम हेतु को सही अग्नि का
 साधक माना जाता है, किन्तु नीलधूमहेतु को सही अग्निसाधक हेतु

व्यभिचारावारकमथ विशेषणं नैव सार्थकं हेतौ ।

नैल्यं धूमे प्रभवति तथेति नो सार्थकं भवति ॥४२१॥

तत्त्वमिहेदं ज्ञेयं प्रभवति लघुधर्मरूपेण ।

चेद्व्याप्यता न गुरुणा रूपेणेष्टा तु सा भवति ॥४२२॥

धूमत्वं लघुधर्मो गुरुधर्मो नील-धूमत्वम् ।

तत् धूमत्वैनैव व्याप्यो धूमो न नैल्य सहितेन ॥४२३॥

अतएव व्यप्यत्वासिद्धिर्नीलस्य धूमस्य ।

हेतुत्वे वहद्यादेः साध्यत्वे भवति युक्तिमती ॥४२४॥

यत्रार्थः शब्दोवेत्यादिध्वनिलक्षणस्यापि ।

तद् वद् व्यर्थ-विशेषणघटितत्वाद् व्याप्यताऽसिद्धा ॥४२५॥

लक्ष्येतरभेदान्न व्याप्यं यल्लक्ष्यं तन्न भवेत् ।

इतरव्यावर्तकतैव हि लक्षणतानियामिका यस्मात् ॥४२६॥

नहीं माना जाता है । क्योंकि "नीलधूमात्" यहाँ पर नीलता स्वरूप विशेषण व्यर्थ होता है यह बात सभी विज्ञानजन जानते हैं । "नीलधूमात्" यहाँ पर नैल्य-विशेषण जिस प्रकार व्यभिचार का वारक न होने के कारण सार्थक नहीं होता है उसी प्रकार विहित विचारणी के अनुसार, व्यर्थ-विशेषण-घटित ध्वकारोक्त ध्वनिलक्षण सही हेतु नहीं हो सकता और इसीलिये वह सही लक्षण भी नहीं हो सकता । सारांश यह कि लघुधर्मपुरस्कारेण व्याप्यता बन पाने पर गुरुधर्मपुरस्कारेण व्याप्यता इष्ट होती नहीं, मान्य होती नहीं । धूमत्व लघु धर्म है और नील-धूमत्व गुरु धर्म, इसलिये धूम धूमत्व धर्म से पुरस्कृत रूप में ही व्याप्त माना जा सकता है नीलता सहित धूमत्व धर्म से नहीं । इसलिये नील-धूम को हेतु मानने पर व्याप्यत्व सिद्धि दोष होता है । इसलिये वल्लि-साध्यक नील-धूम-हेतुक अनुमानस्थल में हेतु व्याप्यत्वाऽसिद्धियुक्त है । इसी प्रकार "यत्रार्थः शब्दो वा" इत्यादि ध्वनि-लक्षण भी उक्त विचार के अनुसार व्यर्थ विशेषण घटित होने के कारण व्याप्यत्वासिद्ध है । अतः अपने

व्यावृत्तिरितरभेदः तत्साधकतैव विज्ञेया ।

व्यावृत्तकता नान्या, साधकता व्याप्यतारूपा ॥४२७॥

व्याप्ति हि व्याप्यत्वं साध्यविरहवत्यवृत्तित्वम् ।

अद्वा हेतुव्यापक-साध्याश्रयवर्तमानत्वम् ॥४२८॥

तद्वह्निमन्महोदधरवर्तिनि ननु रासमेऽपि गतम् ।

इति चेन्निरुक्तवृत्तित्वावच्छेदकयुतिर्हेतौ ॥४२९॥

वृत्तित्वावच्छेदकता सा नो रासमत्वगता ।

सा धूमत्वे गच्छति यदवच्छिन्नाऽस्ति साधनता ॥४३०॥

लघुधर्मोऽवच्छेदकता यदि सम्भाविता तर्हि ।

गुरुधर्मो सा नैव हि मान्यत्वं व्रजति युक्तिबलात् ॥४३१॥

तस्मान्नगोऽग्निमानित्यनुमाने नोलघूमत्वम् ।

श्लिखिमद्वत्तित्वावच्छेदकतां नो वहति नित्यम् ॥४३२॥

लक्ष्येतर-भेद का व्याप्य नहीं हो सकता है । फलतः यह लक्षण नहीं हो सकता है । क्योंकि इतर-व्यावर्तकता ही लक्षणता का नियामक है । व्यावृत्ति है इतरभेद और तत्साधकता ही होती है व्यावर्तकता और कुछ नहीं । साधकता भी व्याप्यता के अतिरिक्त और कुछ नहीं कही जा सकती है । व्याप्यता है व्याप्ति, जिसकी सरल व्याख्या है "साध्याभावा के आधार में अवर्तमानता" अथवा "हेतु के प्रति व्यापक होनेवाले साध्य के आधार में वर्तमानता" । ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८ । वह हेतु व्यापक-साध्याश्रय-वर्तमानत्व तो अग्निमान् पर्वत में रहनेवाले रासभ में भी चला जाता है किन्तु वह रासभ तो अग्नि का व्याप्य नहीं मान्य है ? यह प्रश्न उठने पर वक्तव्य यह है कि तब 'हेतु - व्यापक - साध्याधार - वर्तमानता - वच्छेदक-युक्तता' है हेतु में व्याप्यता । उक्त रासभ आदि में धूम व्यापक-अग्नि के आश्रय-निरूपित-वर्तमानतावच्छेदक - धूमत्वयुक्तता जाती नहीं है । क्योंकि उक्त वर्तमानतावच्छेदकता धूमत्व में जाती है रासभत्व में नहीं । इसलिये रासभ में अग्नि की व्याप्यता

प्रकृते शब्दार्थगताप्युपसर्जनताऽस्ति नैत्यतुल्यैव ।

तत् तद्वच्छब्दार्थव्यञ्जककत्वं गुरु धर्मः ॥४३३॥

लघुधर्मः शब्दार्थव्यञ्जककत्वं ततो भवति ।

सत्येवं व्याप्तित्वं नो गुरुधर्मस्य तस्य स्यात् ॥४३४॥

ध्वनिभिन्नभिन्नतातः साध्याद्धि निरूपिता व्याप्तिः ।

आनन्दवर्धनोक्तध्वनिलक्षणगा ततो नैव ॥४३५॥

नेतरभेदाव्याप्यं वस्तु किमपि लक्षणं भवति ।

पृथिवीतरभेदस्य व्याप्यत्वात् गन्धयुक्तत्वम् ॥४३६॥

प्रभवति पृथ्वीलक्षण मिति प्रसिद्धं विवेकिना पुरतः ।

व्यंग्यव्यञ्जकभावो नो खलु वाच्यानुमेययो र्हः ॥४३७॥

आपन्न नहीं होती । जहाँ लघुभूत-धर्म में व्याप्यता सम्भव होती है वहाँ गुरुभूत-धर्म में अवच्छेदकता मानी नहीं जाती है । क्योंकि युक्त-युक्त यही है । इसलिये पर्वतो वह्निसान् धूमात् इस अनुमानस्थल में "धूम-व्यापक-वह्नि मद्वृत्तितावच्छेदकता" धूमत्व में ही जाती है नील-धूमत्व में नहीं । ४२६, ४३०, ४३१, ४३२ ।

ध्वनि-लक्षणस्थल में भी शब्दार्थगत उपसर्जनता 'नीलधूम'गत नैत्य के समान ही है । इसलिये नीलधूमत्व के समान "उपसर्जनीभूत-शब्दार्थ-व्यञ्जकताकत्व" होगा गुरुधर्म और "शब्दार्थ-व्यञ्जकताकत्व" होगा लघुधर्म, ऐसी परिस्थिति में उक्त गुरुभूत-धर्म में व्याप्तित्व नहीं हो सकेगा । इसलिये ध्वनि-भिन्न-भिन्नता-स्वरूप-साध्यनिरूपित व्याप्ति आनन्दवर्धनोक्त ध्वनिलक्षण में नहीं जा पायेगी । इतरभेद के प्रति व्याप्य नहीं होनेवाला कोई, लक्षण नहीं हो सकता है । पृथिवी-तरभेद-व्याप्य होने के कारण ही गन्धवत्त्व पृथिवी का लक्षण होता है यह विवेकीजनों के निकट सुप्रसिद्ध है । ४३३, ४३४, ४३५, ४३६ । वाच्य और अनुमेय अर्थों के बीच व्यंग्यव्यञ्जक-भाव सम्भव नहीं, यह विस्तृत रूप में विचारित हो चुका है, अनुमान से काम चलने के कारण उसे मानने का कोई प्रयोजन नहीं, इसलिये आनन्दवर्धनोक्त ध्वनि का लक्षण उचित नहीं । तदनुसार व्यंग्यव्यञ्जक-भाव की

विरहात्मयोजनस्य न काव्य-विशेषस्य लक्षणं युक्तम् ।

व्यंग्यव्यञ्जकभावस्याधीनो नो ध्वनेस्समुपदेशः ॥४३८॥

असमञ्जसमिव सर्वं प्रतीयते लक्षणं तस्य ।

अविवक्षितवाच्यत्वं विवक्षितान्यपर-वाच्यत्वम् ॥४३९॥

द्वयमिदमपरं ध्वनिताया इत्यपि नो विचारसहम् ।

अविवक्षितवाच्यत्वं किं नामेत्येव मृग्यतां प्रथमम् ॥४४०॥

तद्वष्टकं ह्यविवक्षणमनुपादेयत्व मन्यपरता वा ।

अनुपादेयत्वं चेत् तदपि किमंशेन सर्वथावेति ॥४४१॥

वचनीयमेव तस्मान्नैव तृतीया गतिः काऽपि ।

सर्वात्मनेतिपक्षे व्यञ्जकताप्याभिता तत्र ॥४४२॥

अनुपादेया प्रभवेत् ? व्यंग्यत्वं यन्निरूपितं नित्यम् ।

व्यंग्यव्यञ्जकभावे नष्टे ध्वनिकाव्यमान्यतामैरौ ॥४४३॥

मान्यता के अधीन होनेवाला ध्वनि-सम्बन्धी सारा का सारा उपदेश अनुचित है । क्योंकि आनन्दवर्धनोक्त ध्वनि का लक्षण सर्वथा असञ्जस प्रतीत होता है । ४३७, ४३८ । विचार करने पर यह भी असञ्जस प्रतीत होता है कि ध्वनित्व के व्याप्य दो हैं, (१) अविवक्षित-वाच्यत्व और (२) विवक्षितान्य-परवाच्य । पहले यही अन्वेषण किया जाय कि अविवक्षित-वाच्यत्व क्या है ? तद्वष्टक अविवक्षण क्या है ? (१) अनुपादेयत्व या (२) अन्याभिप्रायकत्व ? यदि अनुपादेयत्व, तो वह भी अंशतः अनुपादेयत्व या सर्वथा अनुपादेयत्व ? इन दोनों में एक किसी को स्वीकार करना ही होगा । क्योंकि तीसरा कोई चारा नहीं । सर्वात्मना अनुपादेयता के पक्ष में वाच्यगत व्यञ्जकता भी अनुपादेय हो उठेगी, जिसके कारण प्रतीयमान में व्यंग्यता होती है । ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२ ।

ध्वनिकाव्य की मान्यता के मेरुदण्डभूत व्यंग्यव्यञ्जक-भाव के इस प्रकार नष्ट हो जाने पर ध्वनिकाव्य की सम्भावना भी नष्ट हो उठेगी । ऐसा होने पर वाच्य अर्थ व्यञ्जक होता है तनिष्ठ व्यञ्जकता प्रतीय-

स्थात्करूपनापि तस्यासम्भविनी येन नाधारः ॥४४४॥

सत्येवं वाच्यस्य व्यञ्जकता व्यङ्ग्य रूपितेत्येवम् ॥४४४॥

तद्वादिभिः प्रयोगः क्रियमाणो दुष्ट एव स्यात् ।

भक्त्या ध्वनिप्रयोगो भवतीत्यपि नैव वक्तुमर्थयोग्यम् ॥४४५॥

अनुपादेये वाच्ये तत्सम्बन्धः क्व वै भक्तिः ।

अविवक्षणमंशेन न, पूर्णतयेत्यपि तत्रैव युक्तम् ॥४४६॥

अंशोऽसौ वक्तव्योऽविवक्षणं यस्य त्वस्त्विष्टम् ।

यदि वाच्यं व्यञ्जकतां स्थाप्य पृथक्, वाच्यमविवक्ष्यम् ॥४४७॥

फलतो ध्वनित्वरूपाद्यविवक्षितवाच्यता जाता ।

सत्येवं ध्वनिकाव्यप्रभेदता तस्य या प्रोक्ता ॥४४८॥

अविवक्षित-वाच्यस्य हि सेष्टा वक्तुं कथं शक्या ।

यस्य हि यत्लक्षणतो योगेऽवान्तरविशेष-संस्पर्शः ॥४४९॥

माननिष्ठ-व्यङ्ग्यता निरूपित होती है इत्यादि वाक्यों का ध्वनिवादियों द्वारा किया जानेवाला प्रयोग सर्वथा दोषयुक्त होगा ॥४४३, ४४४॥ ध्वनि शब्द का प्रयोग औपचारिक होता है अर्थात् लाक्षणिक होता है यह भी नहीं कहा जा सकता । क्योंकि अविवक्षित-वाच्य-ध्वनिस्थल में अव्यवहित पूर्व कथनानुसार वाच्य के अनुपादेय ही जाने पर "वाच्य-सम्बन्ध" स्वरूप भक्ति भी अर्थात् लक्षणा भी कैसे सम्भव होगी । "अविवक्षित वाच्य यहाँ पर सर्वथा अविवक्षण अभिप्रेत नहीं है, किन्तु अंशतः अविवक्षण अभिप्रेत है, ऐसा यदि कहा जाय तो वह अंश वक्तव्य होगा जिसका अविवक्षण अभिप्रेत होगा । यदि यही कहा जाय कि धर्मभूत व्यञ्जकता का अविवक्षण अभिप्रेत नहीं है, केवल उसके धर्म वाच्य अर्थ का अविवक्षण अभिप्रेत है, तब अविवक्षित-वाच्यता और ध्वनित्व में कोई अन्तर नहीं रह जाता है । और ऐसा होने पर अविवक्षित-वाच्य में मान्य ध्वनिकाव्य-प्रभेदता खण्डित हो उठती है, अतः उसका उपादान कैसे किया जा सकता ? ॥४४५, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९॥ जिसमें जिसका लक्षण संगत होते हुए किसी

स तत्प्रभेद उक्तो गोत्वस्य यथा वृषत्वादिः ।
 स्वयमेव न प्रभेदो निजस्य योग्यः कथञ्चिदपि भवितुम् ॥४५०॥
 अनवस्था सत्येवं भवेत् प्रसक्ता सुदुर्वारा ।
 अविवक्षितवाच्यस्य हि न दृश्यतेऽसौ विशेषसंस्पर्शः ॥४५१॥
 ध्वनिभेदतोक्तिरस्य स्यात्कथमथ युक्ति-संयुक्ता ।
 एवं बोद्धुमशक्यं विवक्षितान्यपरवाच्यत्वम् ॥४५२॥
 यस्माद्विवक्षितत्वान्यपरत्वे नैकभूमिष्ठे ।
 प्राधान्यमेव वाच्यं विवक्षितत्वं ततो नान्यत् ॥४५३॥
 अन्याङ्गभाव एवहान्य-परत्वं प्रवक्तव्यम् ।
 अन्यपरत्वं फलतोऽप्राधान्यं यद्विरुद्धं हि ॥४५४॥
 प्राधान्येन, कथं स्यात्तर्हि द्वयमेकदैकत्र ।
 एकाश्रययो रुभयोर्विशेषणत्वेन निश्चितयोः ॥४५५॥

विशेष का भी सम्बन्ध होता है वह उसका प्रभेद कहलाता है, जैसे पशु का प्रभेद गोजातीय और उसका प्रभेद बैल, अथवा यों कहा जाय कि गोत्व का वृषत्व । स्वयं अपने अपना प्रभेद कभी नहीं हो सकता है । क्योंकि ऐसा मानने पर अनवस्था दोष अविरत हो उठेगा । अविवक्षित-वाच्य में ऐसा कोई विशेष-धर्म का सम्बन्ध नहीं देखा जा रहा है जिसके आधार पर उसे ध्वनि का प्रभेद कहा जा सके । इसी प्रकार विवक्षितान्य-पर-वाच्यता का भी सही निर्वचन नहीं किया जा सकता है । ४५०, ४५१, ४५२ ।

क्योंकि विवक्षितत्व और अन्यपरत्व ये दोनों एक आधारस्थ नहीं हो सकते । विवक्षितत्व को प्राधान्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता । और अन्यपरत्व को अन्य किसी का अंग हो जाना इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता । फलनः अन्यपरत्व अप्राधान्य रूप ही होता है, जो कि प्राधान्य का विरोधी होता है । ऐसी परिस्थिति में विवक्षितत्व और अन्यपरत्व ये दोनों एक ही वाच्य में कैसे आ पायेंगे ? एकाश्रित ऐसे दो विशेषण जो कि विशेष्य में

भवति विशेष्योत्कर्षाऽऽधायकतातः प्रधानत्वम् ।

एकविशेषणयोगिन्येक-विशेष्ये प्रधानत्वम् ॥४५६॥

नियतं, विशेषणे नो, यदि न विशेष्यस्य चारुता हेतुः ।

भवदपि विशेषणं तत् प्रधानमास्ते विशेष्ये यत् ॥४५७॥

चारुत्वकारि “रामो” “रामस्य तु बाहु” रित्यादौ ।

रामीयत्वस्योक्त्या बाहौ यस्माद्विशेष्यभूते तु ॥४५८॥

निर्दयता वैशिष्ट्यं प्रकाशयते रामशब्देन ।

मान्ये ध्वनिमेतत्वे विवक्षितान्यपरवाच्यकस्याथ ॥४५९॥

वाच्यस्यान्यपरत्वं नोपादेयत्वमावहति ।

अन्यपरत्वं ह्युपसर्जनीकृतात्मत्व मास्थेयम् ॥४६०॥

तच्चेद् ध्वनिलक्षणं कुतः प्रभेदे पुनर्वाच्यम् ।

वाच्यं परत्र भेदे, भेदे पूर्वत्र नो कुतो वाच्यम् ॥४६१॥

उत्कर्ष का आधान करते हैं चास्त्वाधायक होने के कारण प्रधान होते हैं । विशेष्य में चारुता का आधायक न होने पर विशेषण में प्रधानता होती नहीं । एक विशेषणयुक्त एक-विशेष्यक-वाक्य-प्रयोगस्थल में विशेषण-प्रयुक्त विशेष्य में चारुता होने पर विशेष्य में प्रधानता आती है । जैसे “रामस्य बाहुरसि” यहाँ बाहु में रामीयता की उक्ति से निर्दयता कठोरता आदि विशेषता प्रकाशित होती है । प्रकृत में (१) विवक्षितत्व और (२) अन्यपरत्व ये दोनों उक्त - विचार के अनुसार विरुद्ध होने के कारण “विवक्षितान्य-परवाच्य-ध्वनि” यहाँ पर विशेष्यभूत ध्वनि में कोई विशेषता नहीं ला सकते हैं । फिर तो उस ध्वनि को “विवक्षितान्यपरवाच्य” कहना भी कठिन है । अतः उसे भी ध्वनिकाव्य का प्रभेद नहीं कहा जा सकता । इसके अतिरिक्त इसलिये भी विवक्षितान्यपरवाच्य को ध्वनि का प्रभेद नहीं कहा जा सकता है कि वाच्य अन्यपर हो ही नहीं सकता है । “अन्यपरत्व” को उप-सर्जनीकृतात्मत्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता है । वह जब कि ध्वनि के लक्षण में ही कहा गया है तब उसके प्रभेद

उभयो रामिति नो वा युक्तं पङ्क्तेः कुतो भेदः ।

यदुदाहरणं प्रभवेदर्थान्तर-संक्रमितवाच्ये ॥४६२॥

तद्वहिर्माणवकोसावितिबद्गौणताऽऽक्रान्तम् ।

कदली कदलीत्यादावर्थप्रकरणवशानुमितः ॥४६३॥

भवति विशेषस्तस्मान्नार्थान्तर-संक्रमितवाच्यः ।

किञ्चेत्तत्र बोध्यं विशेषकूटो हि सामान्यम् ॥४६४॥

तन्न्यूनाधिकतैव हि नूनं बोध्याऽन्यसंक्रमितवाच्ये ।

सा च न्यूनाधिकता ध्रुवमनुमेया प्रकरणाद्यैः ॥४६५॥

सत्येवं ध्वनिभेदो नायं स्याद्व्यञ्जनामूलः ।

धर्मो धर्मो द्विविधः प्रभवत्यनुमेयताशाली ॥४६६॥

अर्थान्तर-संक्रमिते वाच्ये धर्मोऽनुमेयोऽस्ति ।

सेयं धर्मानुमितिः प्रकरणहेत्वादिका भवति नित्यम् ॥४६७॥

में भी वह कैसे कहा जा सकता है ? अव्यवहित पूर्वविवेचन के अनुसार जब कि "अन्यपरत्व" कोई खास प्रयोजन नहीं रखता है फिर भी यदि निष्प्रयोजन उसे ध्वनि के दूसरे प्रभेद के नाम में जोड़ा जाता है, तो फिर उसे ध्वनि के प्रथमप्रभेद के नाम के साथ क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है ? या तो दोनों में कहना चाहिये या दोनों में नहीं । पङ्क्तिभेद क्यों ? २५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४५९, ४६०, ४६१ ।

अर्थान्तर-संक्रमितवाच्य ध्वनि का जो भी उदाहरण होगा सो 'अग्नि-माणवकः' अर्थात् यह उपनीत बालक अग्नि है इत्यादि वाक्य-प्रयोग-स्थल के समान गौणता से आक्रान्त होता है । "कदली-कदली" इत्यादि वाक्य-प्रयोगस्थल में प्रयोजन और प्रकरण के बल पर विशेषता का अनुमान हो जाता है, इसलिये अर्थान्तर-संक्रमित-वाच्य-ध्वनि नाम का, विवक्षितान्य-परवाच्य, ध्वनि का प्रभेद भी मान्य नहीं । और यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि सामान्य, विशेष-कूट ही होता है । अन्य-संक्रमित-वाच्यस्थल में विशेष की न्यूनता या विशेष की अधिकता का प्रकरणादि हेतु के द्वारा अनुमान ही होता है । ऐसी परिस्थिति में

वन्हेरगादिपक्षे भिन्नात् सा जुनु प्रक णाद्यैः ।
 वाच्यस्याति-तिरस्कृतियुक्तो ध्वनिरपि न वै मान्यः ॥४६८॥
 अनुमानेन्तर्भावः समर्थितः पूर्वमेवेतः ।
 अभिधातो व्यतिरिक्ता काचन शक्तिर्न यच्छब्दे ॥४६९॥
 तच्छब्दशक्तिमूलानुरणनरूपं श्रयन् व्यंग्यम् ।
 कथमपि भवितुं नार्हो ध्वनेः प्रभेदोऽपि सम्प्रोक्तः ॥४७०॥
 एवं प्रभेदखण्डनतोऽपि ध्वनिखण्डनं बोध्यम् ।
 वैशेषविरहकूटात् प्रभवति सामान्यविरहोऽपि ॥४७१॥
 अनुमेय, इति हि लोके प्रसिद्धमेवास्ति सर्वत्र ।
 वायौ नीलादीनां रूपाणां विरहकूटेन ॥४७२॥
 सामान्यतोऽपि रूपाभावः संसिद्धिमाप्नोति ।
 तस्माद् भिन्नां व्यक्तिं वृत्तमुपाश्रित्य न ध्वनिर्मान्यः ॥४७३॥

ध्वनि के इस प्रभेद को व्यञ्जनामूलक नहीं कहा जा सकता है । धर्मी और धर्म दो प्रकार के अनुमेय होते हैं । अथान्तर-संक्रमित-वाच्य-स्थल में धर्म अनुमेय होता है । वह धर्मानुमिति नियमतः प्रकरण आदि हेतुक ही होती है किन्तु पर्वत आदि पक्ष में अग्नि आदि की अनुमिति प्रकरण आदि से अन्य धूम आदि हेतुक ही होती है । ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८ । अत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्यध्वनि भी मान्य नहीं है । क्योंकि अनुमान में अन्तर्भाव का समर्थन किया जा चुका है । अभिधा से अतिरिक्त शब्दगत कोई शक्ति नहीं, इसलिये शब्द-शक्ति-मूलानुरणन रूप व्यंग्य को आश्रयण करनेवाला ध्वनि मान्य नहीं है जिसे ध्वनिवादियों ने बतलाया है । इस प्रकार ध्वनि के प्रभेदों के खण्डन के आधार पर भी ध्वनि-सामान्य का खण्डन समझना चाहिये । क्योंकि विशेषाभाव कूट से सामान्यभाव की सिद्धि होती ही है यह लोक-प्रसिद्ध है । तभी तो वायु में नील पीत आदि रूप विशेष-कूट के अभाव से रूप-सामान्याभाव अनुमित होता है । ४६९, ४७०, ४७१, ४७२ । इसलिये व्यञ्जना नामक एक स्वतन्त्र वृत्ति मानकर जो

काव्य-प्रमेदभूतो यथोक्तमालोककारेण ।
 अनुमितिरेव ध्वननं काव्यत्वं चेदध्वनित्वरूपञ्च ॥४७४॥
 आस्तां तत्र न विमतिः काव्यस्माकं परिज्ञेया ।
 तेनामिति किन्तुक्ते निगृहीतत्वं हृदुर्वारम् ॥४७५॥
 अपसिद्धान्तेनेति प्रधोभिरेताद्विचार्यतां सूक्ष्मम् ।
 काव्यप्रमेदभूतो ध्वनिरित्यालोकसिद्धान्तः ॥४७६॥
 त्यक्तोभवेदसौचेत् कथं भवेन्नापसिद्धान्तः ।
 यत् सिद्धान्तत्यागे प्रभवत्येवापसिद्धान्तः ॥४७७॥
 रचितवताध्वनिसिद्धिं ध्वनिखण्डनमेतदारचितम् ।
 व्यक्तिविवेकीयस्य प्रथमविमर्शस्य वार्तिकं सरलम् ॥४७८॥
 लक्ष्मणपूर्विश्वविद्यालयस्य प्राच्ये विभागेऽत्र ।
 अध्यापयता विधिवत्, विविधान् ग्रन्थांश्च विचयता । ४७९॥
 आनन्देनैतेन प्रभूततोषाऽस्तु मत्प्रसूमिथिला ।
 यद्गर्भादुपजाता वन्धा श्रीमैथिली चतुर्भाषा ॥४८०॥

इति लखनऊ - विश्वविद्यालय - प्राच्यसंस्कृतविभाग -
 प्रधान - वेदान्तवागीश - साहित्यालङ्कार -
 श्रीमदानन्दभा-
 न्यायाचार्य प्रणीतं ध्वनिखण्डनं समाप्तम् ।

ध्वनिकाव्य माना गया है वह उचित नहीं । शारांश यह कि अपने ध्वन्यालोक ग्रन्थ-रचना द्वारा आनन्दवर्धन ने जिसे काव्य के प्रभेद रूप में माना है वह ध्वनि मान्य नहीं है । यदि वे ध्वनन को अनुमिति और ध्वनित्व को काव्यत्वमात्र-रूप मान लें तो ऐसा हो सकता है । तब उनसे मेरा मतभेद नहीं । परन्तु उनके सामने बड़ी कठिनाई यह है कि उक्त प्रकार मेरे कथन पर यदि ध्वनिकार "हाँ" कह दें, तो उन्हें अपसिद्धान्त नामक निग्रह-स्थान से निग्रहीत हो हो जाना पड़ेगा यह विद्वानों को विचारना चाहिये सूक्ष्मरूप से । ध्वन्यालोक द्वारा निर्णीत सिद्धान्त यह है कि 'ध्वनि' काव्य का एक प्रभेद है । यदि उसका ध्वनिवादीगण त्याग करें तो अपने सिद्धान्त के त्याग के कारण उन्हें अपसिद्धान्त होकर ही रहेगा । ४७४, ४७५, ४७६, ४७७ ।

एतदनन्तर यह कहा गया है कि इस ध्वनिखण्डन का रचयिता में आनन्द झा, लखनऊ-विश्वविद्यालय के प्राच्य-संस्कृत-विभाग में विविध ग्रन्थों का उचित रूप से अध्यापन कर रहा हूँ । मैंने अबतक उन अनेक ग्रन्थों की रचना की है जिनके अन्दर एक ग्रन्थ ध्वनिसिद्धि भी है । मेरी इस रचना से उस मेरी जन्मभूमि मिथिला को प्रचुर संतोष मिले, जिसके गर्भ से भगवती मिथिली और उनकी मैथिली-भाषा दोनों का उद्भव हुआ । ४७८, ४७९, ४८० ।

मिथिला-संस्कृत - शोध - संस्थान के आवासी-पण्डित-पदासीन

तथा कामेश्वरसिंह = दरभंगा - संस्कृत - विश्वविद्यालय के

सम्मानित-प्राध्यापक न्यायाचार्य वेदान्तवागीश

साहित्यालङ्कार कवितार्किकचक्रवर्ती

श्रीआनन्दझा रचित

ध्वनिखण्डन समाप्त ।



ग्रन्थकर्तृपरिचयः

माता भगवती यस्य पिता च बबुनन्दनः ।
 चन्द्रशेखरशर्मा तु यस्यासीत् प्रथमो गुरुः ॥१॥
 द्वितीयस्तर्कवागीशः सम्राट्सम्मानभाजनम् ।
 फणिभूषणशर्मोद्यद्यशः-कुमुदबान्धवः ॥२॥
 स्फुरन्महामहोपाध्यायोपाधिः शिवतां गतः ।
 वामाचरणशर्माऽऽसीत्तृतीयः शास्त्रवारिधिः ॥३॥
 सीताऽऽसीत्प्रथमा पत्नी यज्जाताऽभूदरुन्धती ।
 पद्माभवनपद्मेव द्वितीया यत्सर्घमिणी ॥४॥
 यतो यातास्त्रयः पुत्रा मृत्युञ्जयधनञ्जयो ।
 प्रबुद्धौ, बाल एवाऽऽस्ते तृतीयोऽयं ऋपुञ्जयः ॥५॥
 ध्वनिकल्लोलिनी तेनाऽऽनन्देनैषा विनिर्मिता ।
 नानाग्रन्थविनिर्मात्रा भाषासु विविधास्वपि ॥६॥
 एतत्कल्लोलिनीतोयं तस्याः पाद्याय जायताम् ।
 यत्कारुण्यकणस्पशान्मूको भवति गीष्पतिः ॥७॥

(दण्डकम्)

या हि वभिज्ञानात्मा मिथीलागता ख्यातिमाप्ता पुरी तद्गतो
 देववाग्विश्वविद्यालयः सिंहकामेश्वरीयोऽद्यविद्योतते तस्य विद्वत्तमो
 रामकरणः सुधीः कुलपतिस्तद्गुणग्राहिताप्राप्तहस्तावलम्बा प्रकाशं गता
 भातु कल्लोलिनीयं ध्वने र्यत्र सुस्नानमाप्ता बुधा निर्मला स्सम्भवेयु नं
 संशीतिलेशोऽस्तिमे, भङ्गमाप्नोतु हृद्ग्रन्थिरत्राध्वनी, भङ्गमाप्नोतु
 हृद्ग्रन्थिरत्र ध्वनी, भङ्गमाप्नोतु हृद्ग्रन्थिरत्र ध्वनी ।

इति ध्वनिसाहस्री-संहिता ध्वनिकल्लोलिनी समाप्ता ।

॥ ध्वनिश्लोकवार्तिकं समाप्तम् ॥

प्रमाणपत्र

१. प्रमाणित किया जाता है कि श्री
 २.
 ३.
 ४.
 ५.
 ६.
 ७.
 ८.
 ९.
 १०.
 ११.
 १२.
 १३.
 १४.
 १५.
 १६.
 १७.
 १८.
 १९.
 २०.

(अंकित)

१. प्रमाणित किया जाता है कि श्री
 २.
 ३.
 ४.
 ५.
 ६.
 ७.
 ८.
 ९.
 १०.
 ११.
 १२.
 १३.
 १४.
 १५.
 १६.
 १७.
 १८.
 १९.
 २०.

१. प्रमाणित किया जाता है कि श्री
 २.
 ३.
 ४.
 ५.
 ६.
 ७.
 ८.
 ९.
 १०.
 ११.
 १२.
 १३.
 १४.
 १५.
 १६.
 १७.
 १८.
 १९.
 २०.







